उपयोग
हेतु निर्मित
उन्नयन
हेतु अभिकल्पित

आज़ादी का अमृत महोत्सव

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी-I)

23वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

विषय-सूची

02-48

कॉरपोरेट अवलोकन

02 हमारे बारे में
04 दशकों में हमारी विकास यात्रा
06 वृद्धिशील मूल्य का निर्माण, सतत् विकास को डिजाइन करना
08 जिम्मेदारी से हितधारक संपत्ति बनाना
10 हमारे ईएसजी रोडमैप में सुधार
12 हमारा व्यवसाय मॉडल
14 अध्यक्ष का संदेश
18 वित्तीय विशिष्टताएं
20 व्यावसायिक सेगमेंट
21 खानपान
26 बोतल बंद पीने का पानी
28 इंटरनेट टिकटिंग
32 यात्रा और पर्यटन
40 समाज कल्याण
42 निदेशक मंडल की प्रोफाइल
46 कॉरपोरेट सूचना
48 दस साल वित्तीय विशिष्टताएं

49-212

वैधानिक रिपोर्ट

49 निदेशकों की रिपोर्ट
90 प्रबंधन चर्चा और कॉरपोरेट अभिशासन पर विश्लेषण रिपोर्ट
110 कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
149 सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
157 व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

213-302

वित्तीय विवरण

213 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
226 तुलन पत्र
227 लाभ और हानि का विवरण
228 नकदी प्रवाह का विवरण
232 भारतीय लेखांकन के अनुसार लेखांकन नीतियां
303 भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

हमारे बारे में अधिक पढ़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

दूरंदेशी बयान

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में भविष्योन्मुखी कथन हो सकते हैं जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यवसाय योजना और संभावनाएं आदि शामिल हैं और आमतौर पर "विश्वास," "योजना," "जैसे भविष्योन्मुखी शब्दों द्वारा पहचाने जाते हैं। आशा करना," जारी रखना," "अनुमान लगाना," "उम्मीद करना," "हो सकता है," "होगा" या अन्य समान शब्द। फ़ॉयवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट ऐसे बयानों के आधार पर मान्यताओं या आधार पर निर्भर हैं। हमने इन मान्यताओं या आधारों को सद्भावना से चुना है, और हम मानते ह कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालाँकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्योन्मुखी कथनों में व्यक्त या निहित रूप से भिन्न हो सकते हैं। हम किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं, चाहे वह नई जानकारी,भविष्य की घटनाओं, या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

पिछले वर्ष की तरह, वित्त वर्ष 22 की शुरुआत भी एक निराशाजनक नोट के साथ हुई, जिसमें महामारी लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी। हम एक बार फिर हमारी टीमों के उत्कृष्ट प्रयासों और समर्पण द्वारा समर्थित, हमारे व्यापार मॉडल के लचीलेपन का प्रदर्शन किया।

वर्ष के दौरान, हमने व्यापार निरंतरता पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी लागतों को अनुकूलित किया, अपने व्यापार मिश्रण को बदला और अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाओं के साथ सेवा देना जारी रखा, जो हमारी पहचान बनी हुई है क्योंकि हमने दो दशक से अधिक समय पहले अपनी यात्रा शुरू की थी।

जैसे-जैसे परिदृश्य धीरे-धीरे सामान्य होता गया और अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी, हमारी दूरदर्शिता और धैर्य न हमें वर्ष के दौरान सभी व्यावसायिक क्षेत्रों के योगदान के साथ अपने राजस्व और लाभप्रदता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद की।

जैसा कि हम प्रदान करते हैं, आने वाले वर्षों में हमार विकास पथ में और तेजी आएगी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से हमारे ग्राहका के लिए असाधारण मूल्य। हम अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने, अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की रीढ़ को मजबूत करने और भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे।

142%
वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि

254.87%
वर्ष-दर-वर्ष पीएटी वृद्धि

शून्य
31 मार्च, 2022 तक पुस्तकों में शून्य ऋण

46%
आरओसीई

40%
आरओई

हमारे बारे में

भारत का विश्वसनीय यात्रा भागीदार

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी), एक मिनी रत्न (श्रेणी – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम), एकमात्र इकाई है जो भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन रेलवे टिकट, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में खानपान सेवाएं और पैकेज्ड पेयजल प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में खानपान और आतिथ्य सेवाओं के उन्नयन के उद्देश्य से भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में की गई थी। हम बजट होटल, विशेष टूर पैकेज, वैश्विक आरक्षण प्रणाली और सूचना और वाणिज्यिक प्रचार विकसित करके भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। आईआरसीटीसी यात्रियों के लिए खानपान, इंटरनेट टिकटिंग, यात्रा और पर्यटन और पैकेज्ड पेयजल जैसी सेवाओं की पेशकश के साथ वन-स्टॉप समाधान बन गया है।

उद्देश्य

ग्राहक संतुष्टि के लगातार उच्च स्तर के साथ, ग्राहक खंडों की एक श्रृंखला के लिए पर्यटन और आतिथ्य संबंधी सेवाएं एकमात्र कंपनी जो ऑनलाइन रेलवे टिकट और खानपान सेवाएं जारी करने के लिए अधिकृत है

एकमात्र

कंपनी जो ऑनलाइन रेलवे टिकट और खानपान सेवाएं जारी करने के लिए अधिकृत है

1971

मानव संसाधन पूंजी 31 मार्च, 2022 तक

6.31%

वित्त वर्ष 8 से वित्त वर्ष 22 के बीच राजस्व में 5 साल का सीएजीआर

31.86%

वित्त वर्ष 18 से वित्त वर्ष 22 के बीच पीएटी में 5 साल का सीएजीआर

लक्ष्य

हमारा लक्ष्य सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के साथ रेलवे खानपान, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन के माध्यम से ग्राहक सेवाओं को बढ़ाना है और यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके आईआरसीटीसी को एक नेतृत्व करने वाली कंपनी के रूप में मजबूत करना व भारतीय रेलवे और गैर-भारतीय रेलवे से संबंधित सेवाओं को समान रूप से लक्षित करना और एक मजबूत व्यापार पोर्टफोलियो का निर्माण करना जो स्केलेबल और मुख्य क्षमता पर आधारित है।

दशकों में हमारी विकास यात्रा

1999
भारतीय रेलवे की विस्तारित शाखा के रूप में शामिल

2002
इंटरनेट टिकटिंग सेवाओं की शुरुआत

2003
नांगलोई, नई दिल्ली में पहला **रेल नीर संयंत्र स्थापित** किया गया

2004
पटना के दानापुर में दूसरा **रेल नीर संयंत्र स्थापित**

2008
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए श्रेणी- I **“मिनी-रत्न का दर्जा”** प्रदान किया गया

2010
महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की शुरूआत

2011
तीसरा **रेल नीर संयंत्र** पालूर, चेन्नई में स्थापित किया गया

2012
एयर-टिकटिंग माइक्रो-साइट लॉन्च की गई

2013
एसएमएस टिकट बुकिंग शुरू की

2014
ट्रेनों में **ई-केटरिंग सेवा** शुरू की

नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च किया **ई-टिकटिंग सिस्टम (एनजीईटी)**

चौथा रेल नीर संयंत्र अंबरनाथ, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया

2015

आईआरसीटीसी ने सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग हासिल की अर्थात एक दिन में 13,45,519 टिकट

अमेठी, उत्तर प्रदेश में **5वां रेल नीर संयंत्र** स्थापित

2016

वैकल्पिक यात्रा बीमा ऑनलाइन शुरू हुआ और सभी कन्फर्म/आरएसी यात्रियों को मुफ्त बीमा प्रदान किया गया।

पारासाला, त्रिवेंद्रम में छठा रेल नीर संयंत्र स्थापित किया गया

2017

आईआरसीटीसी के लिए **रेल मंत्रालय द्वारा खानपान नीति** 2017 **जारी करना।**

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में **7वां रेल नीर संयंत्र** स्थापित किया गया

2018

ट्रेन में **लग्जरी सैलून कार** चलाई

2019

आईआरसीटीसी अपने पहले **आईपीओ** के

साथ सार्वजनिक हुई भारत की **पहली निजी ट्रेन** लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई

साणंद, हापुड़, नागपुर, मंडीदीप और जगी रोड में पांच नए **रेल नीर संयंत्र** स्थापित किए गए

2020

दूसरी आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन **अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद** रेलमार्ग में।

संकरेल और मनेरी में दो नए **रेल नीर संयंत्र** स्थापित किए गए

2021

ओएफएस की घोषणा की गई जिससे 20% हिस्सेदारी और कम हो गई

2022

आईआरसीटीसी वेबसाइट **www.irctc.co.in** और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के चैटबॉट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग सेवा की शुरुआत

‘श्री रामायण यात्रा’ पर भारत और नेपाल को जोड़ने

वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के ऊना **में** 15**वां रेल नीर संयंत्र स्थापित** किया गया

वर्ष की मुख्य विशेषताएं

8.03 करोड़ से ज्यादा यूजर्स

62.73 लाख दैनिक लॉगिन

प्रतिदिन औसतन **11.44** लाख टिकट बुक किए गए

2 मार्च, 2022 को एक दिन में **15.88** लाख टिकटों की रिकॉर्ड बुकिंग

123.68%
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि

65.57%
लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी

6.52 मिलियन
ई-कैटरिंग के माध्यम से बुक किया गया खाना

आईआरसीटीसी की दुनिया

वृद्धिशील मूल्य का निर्माण, सतत् विकास को डिजाइन करना

वर्ष दर वर्ष वृद्धि

इंटरनेट टिकटिंग

1:1.76
वर्तमान यात्री प्रति टिकट अनुपात

सुविधा शुल्क आय वर्ष 2015 से **174.27%** बढ़ी है

(सुविधा शुल्क वित्तीय वर्ष 15 में रू. **253** करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में रू. **694** करोड़ हो गया है)

खानपान

151
वर्ष 2017 से 151 और गाड़ियों को खानपान सेवाओं में शामिल किया गया ।

74.40%
पिछले तीन वर्षों में ई-कैटरिंग पार्टनर्स आउटलेट्स में वृद्धि हुई है

57
पेंट्री पिछले पांच वर्षों में बढ़ी है

सह-निर्माण मूल्य

मूल्यवर्धित सेवाएं और क्रॉस-सेलिंग सेवाएं/उत्पाद

वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर आगंतुकों/ उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या डिजिटल विज्ञापनों को और मजबूत करेगी

यात्रियों के बीच स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण भोजन के प्रति बढ़ती प्राथमिकता

व्यंजनों के कई विकल्पों के साथ 'सीट-स्टेप' भोजन वितरण उपभोक्ताओं के रुझान को ई-खानपान की ओर बदल रहा है।

पेयजल

166.4%
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि

19.86 करोड़ बोतलें बेची गई

(नागपुर, हापुड़, साणंद, मंडीदीप, मनेरी, जागीरोड, संकरैल और ऊना)
पिछले पांच वर्षों में नए संयंत्र जोड़े गए

(भुसावल, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, कोटा और विशाखापत्तनम)
अगले 3 वर्षों में नए संयंत्र चालू होने की उम्मीद है

उपभोक्ताओं के बीच **बेहतर** गुणवत्ता और ब्रांड धारणा

अधिक स्टेशनों पर रेल नीर की बढ़ती बिक्री और वितरण नेटवर्क

विशाल अप्रयुक्त बाजार विकास के नए अवसर खोलता है

कम लागत और बेहतर मार्जिन का नेतृत्व करने के लिए कुशल संचालन

बेहतर ब्रांडिंग और पैकेजिंग अग्रणी बढ़ती वृद्धि के लिए

पर्यटन

252%
पिछले वर्ष की तुलना में व्यवसाय में वृद्धि

64%
पिछले वर्ष की तुलना में बुकिंग में वृद्धि (यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के संदर्भ में)

5,25,981
वित्त वर्ष 22 में की गई बुकिंग (यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या के संदर्भ में)

वित्त वर्ष 22 के लिए कुल राजस्व में रेलवे पर्यटन का 17.2% हिस्सा

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर पर्यटन खुलने से बुकिंग बढ़ेगी

धार्मिक पर्यटन आक्रामक रूप से विकसित हो रहा है

गैर-रेल बुकिंग पर किफ़ायती सुविधा शुल्क से हमारे व्यवसाय के प्रति ग्राहकों का आकर्षण बढ़ा है

आईआरसीटीसी के लिए विकास चालक

भारतीय रेल नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है, अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और नई ट्रेनें जोड़ी जा रही हैं

केंद्रीय बजट 2022-23 में रेलवे में निवेश 27.5% बढ़कर रू.~1.4 लाख करोड़ हो गया।

रेल गतिशीलता में प्रौद्योगिकी का परिचय (जैसे रेम्लॉट टू जीपीएस ट्रैक ट्रेन)

400 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी

कोविड-9 के बाद अवकाश यात्रा में वृद्धि आसान हो गई है

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार, 2022 में भारत में यात्रा और पर्यटन के 7.4% बढ़ने की उम्मीद है

आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच तेजी से टीकाकरण कवरेज

देश में पर्यटन को व्यापक रूप से बढ़ावा देना

भारत यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक (2019) में 140 देशों में से 34वें स्थान पर है - 203 में 65वें स्थान से ऊपर

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों का उन्नयन

देश में पर्यटन और यात्रा में निजी क्षेत्र के निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि

धार्मिक और तीर्थ पर्यटन में वृद्धि

तेजी से इंटरनेट की पैठ और बढ़ते मोबाइल उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान में वृद्धि और ऑनलाइन/एप्लिकेशन

मोड के माध्यम से सेवाओं के प्रति बढ़ती स्वीकार्यता सुरक्षित और सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क ऑनलाइन मोड के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास बढ़ा रहा है

जिम्मेदारी से हितधारक संपत्ति बनाना

हम शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाने का प्रयास करते हैं – पूंजी का हमारा प्राथमिक स्रोत। हमारी विशेषज्ञता और उच्च-प्रदर्शन आधारित तकनीक हमें लगातार प्रदर्शन प्रदान करने में सक्षम बनाती है, जिससे निवेशक समुदाय के बीच एक मूल्यवान ब्रांड का निर्माण होता है।

पूंजी में मूल्य वृद्धि

₹11,644 करोड़

बाजार पूंजीकरण

लिस्टिंग की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2019 तक

₹61,976 करोड़

बाजार पूंजीकरण

दिनांक 3 मार्च, 2022 को

432.25 %

बाजार पूंजीकरण में की वृद्धि

सापेक्ष बेहतर प्रदर्शन

बीएसई सेंसेक्स और आईआरसीटीसी शेयर मूल्य

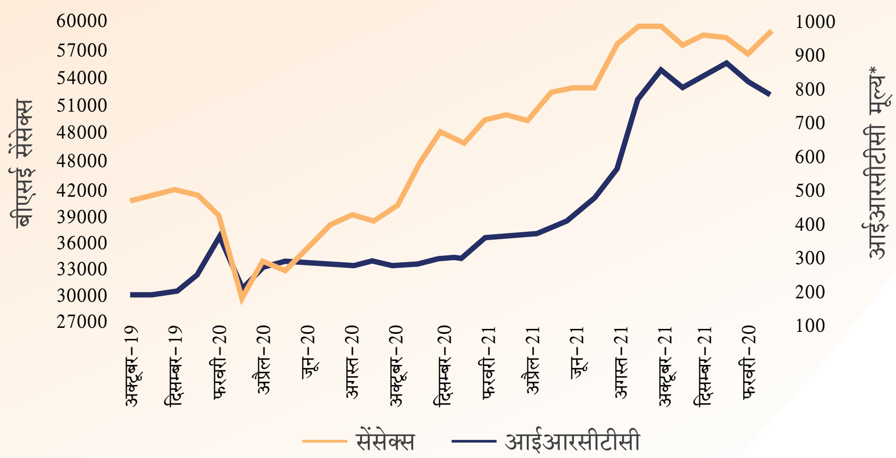

*आईआरसीटीसी के इक्विटी शेयर की कीमत को स्प्लिट के लिए एडजस्ट किया गया है।

निरंतर लाभांश भुगतान

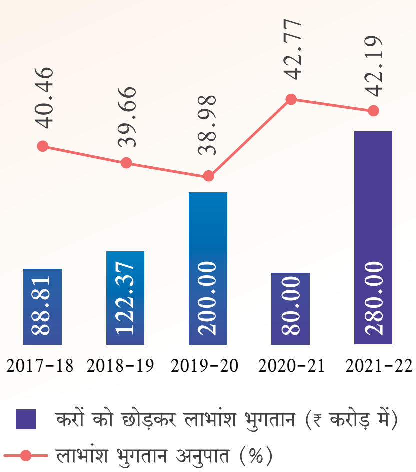

एनएसई निफ्टी और आईआरसीटीसी शेयर मूल्य

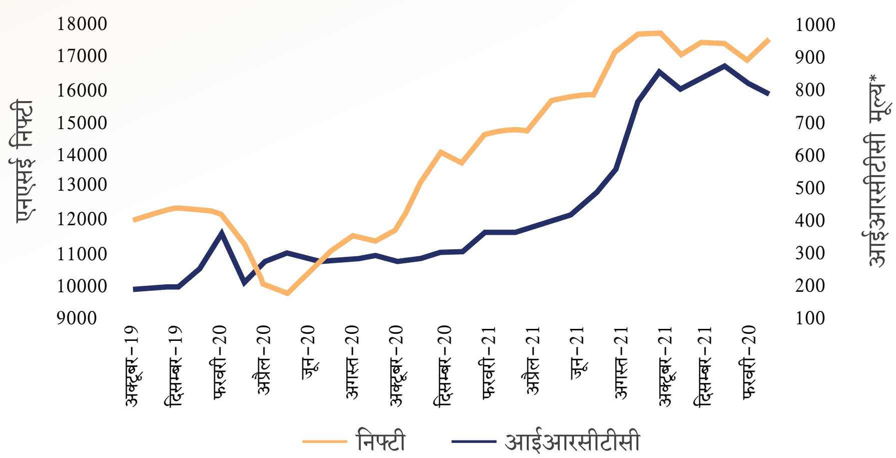

*आईआरसीटीसी के इक्विटी शेयर की कीमत को स्प्लिट के लिए एडजस्ट किया गया है।

भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में

आपकी कंपनी ने 2019 में बाजार में अपनी शुरुआत के बाद से बहुत कम समय में 31 मार्च 2022 को कंपनी के बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में अपना स्थान बनाया। वित्तीय वर्ष 2022 में कंपनी बीएसई और एनएसई में 81वें और 79वें स्थान पर रही।

हमारे ईएसजी रोडमैप में सुधार

ईएसजी के प्रति हमारा समर्पण आज और भविष्य में हमारे हितधारकों के प्रति हमारे दायित्वों को पूरा करने और उससे आगे निकलने की हमारी क्षमता से प्रदर्शित होता है।

हमने उत्कृष्ट शासन और सामाजिक और पारिस्थितिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए सफलता हासिल की है। एक जिम्मेदार व्यवसाय के रूप में, हमने अपने व्यवसाय में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारकों को शामिल करने की अपनी जिम्मेदारी को तुरंत स्वीकार कर लिया।

पर्यावरण नेतृत्व

पर्यावरण की स्थिरता एक प्रमुख चिंता है और आईआरसीटीसी में हमने इसे संबोधित करने के लिए कई रणनीतियों को अपनाया है। हम अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरे में कमी और न्यायिक जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारे प्लास्टिक उपयोग को कम करने के लिए पीईटी बोतल का वजन 22 ग्राम से घटाकर 20 ग्राम कर दिया गया और एचडीपीई कैप वजन 2.2 ग्राम से घटाकर 1.6 ग्राम कर दिया गया। हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को और कम करने के लिए परिचालन क्षमता को बढ़ा रहे हैं और अपनी सुविधा में 3 आर सिद्धांत को लागू कर रहे हैं।

4,370
मीट्रिक टन
प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ

470.64
मीट्रिक टन
प्लास्टिक की खपत में

2.02
जूल / रूपए
ऊजा तीव्रता

0.0002
लीटर/ रूपए
जल तीव्रता

पृष्ठ 179
पर्यावरण प्रबंधन पर अधिक जानकारी के लिए बीआरएसआर के सिद्धांत देखें।

सामाजिक उत्तरदायित्व

हम सामाजिक अधिकारों का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि समाज के वंचित वर्ग को हमारी सामाजिक गतिविधियों का लाभ मिले। हमारी सीएसआर पहल के माध्यम से, हम जिन समुदायों में काम करते हैं हम उन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों और मूल्य-श्रृंखला भागीदारों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण देने के लिए समर्पित हैं क्योंकि हम एक जन-उन्मुख व्यापार हैं। हम जानते हैं कि विस्तार के लिए हमारी सफलता और आकांक्षाएँ हमारे कर्मियों के सामान्य शारीरिक, मानसिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।

सीएसआर ध्यानाकर्षण केन्द्र

1,971
मानव संसाधन पूंजी

1,130
स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रशिक्षित कर्मचारी

0
खोया समय चोट आवृत्ति दर

₹ 9.90 करोड़
सीएसआर बजट

11,427
सीएसआर लाभार्थी

पृष्ठ 174
सामाजिक उत्तरदायित्व पर अधिक जानकारी के लिए बीआरएसआर देखें।

शासन

हम नैतिक मूल्यों का प्रचार करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी शासन ढांचे में विश्वास करते हैं। हम आंतरिक खुलेपन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं और जवाबदेही। हम अनुभवी प्रबंधन और निदेशक मंडल के निर्देशन में एक जिम्मेदार व्यावसायिक संगठन के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए समर्पित हैं। हमने प्रासंगिक हितधारकों की पहचान की है और उनकी चिंताओं को हल करने के लिए उनके साथ नियमित बातचीत की है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर भरोसा करते हैं कि हमारी सभी ऑनलाइन सेवाएं और उनका डेटा शामिल हैं जो वर्तमान साइबर सुरक्षा खतरों से उचित रूप से सुरक्षित हैं।

पृष्ठ 157
सरकार के बारे में अधिक जानकारी के लिए बीआरएसआर देखें।

पहचाने गए हितधारक

ग्राहकों

शेयरधारक / निवेशक

नियामक और सरकार

कर्मचारी

समुदाय और नागरिक समाज/एनजीओ

विक्रेता / सहयोगी

1,34,03,080
कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया गया

हमारा बिजनेस मॉडल

इनपुट

हमारे **वित्तीय संसाधनों** में इक्विटी निवल मूल्य और वर्तमान संपत्तियां शामिल हैं।

- ₹ **160** करोड़ इक्विटी
- ₹ **1,883.88** करोड़ नेट वर्थ
- **शून्य** दीर्घकालिक ऋण

हमारे **प्रमुख मानव संसाधन** वे कर्मचारी हैं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं। इनमें स्थायी कर्मचारियों के साथ ही ठेका कर्मचारी भी शामिल हैं।

- **1971** मानव संसाधन पूंजी
- ₹ **237.44** करोड़ कर्मचारियों को व्यय में लाभ होता है

सेवा की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए **प्रौद्योगिकी** में निरंतर निवेश

- ई-टिकटिंग एप्लिकेशन पर कुल ट्रैफिक - **2289.66** मिलियन (703.65 मिलियन वेबसाइट ट्रैफिक और 1586.01 मोबाइल ऐप ट्रैफिक)
- आज तक (एंड्रॉयड और आईओएस संयुक्त) आईआरसीटीसी एप्लिकेशन के ₹ **75.22** मिलियन डाउनलोड
- पिछले तीन वर्षों में प्रौद्योगिकी उन्नयन में ₹ **20.35** करोड़ का निवेश।

संचालन और सेवाओं को बनाए रखने के लिए **प्राकृतिक संसाधनों** की आवश्यकता होती है।

- **37992755624** जूल ऊर्जा की खपत
- **37,8046** किलो लीटर जल सेवन किया

उपभोक्ता, कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों और समुदायों के साथ **संबंध मजबूत** करना

- वित्त वर्ष 22 के लिए ₹ **9.90** करोड़ सीएसआर बजट
- मोबाइल केटरिंग के लिए **57** सूचीबद्ध विक्रेता
- स्टेटिक कैटरिंग के लिए **28** नए वेंडर
- ई-कैटरिंग के लिए **175** नए वेंडर
- **2185504** शेयरधारक

मूल्य सृजन

मजबूत कॉरपोरेट अभिशासन और तकनीकी आधारित सेवा मंच

- ट्रैन में खाना और पेय परोसना।
- हमारे एपलिकेशन फूड पार्टनर के माध्यम से यात्रियों की मांग पर उनकी सीट पर भोजन पहुंचाना।
- स्टेशनों पर फूड प्लाजा

- यात्रियों के लिए रेलनीर का पैकेज्ड पीने का पानी का निर्माण और उपलब्ध कराना।

दैनिक 62.73 लाख लॉगइन के साथ 7343 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की

व्यावसायिक क्षेत्र

- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रेलवे के लिए 1915 लाख ई टिकट बुकिंग और वेबसाइट के माध्यम से 2259 लाख टिकट (सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा 742.27 लाख टिकट और एजेंटों द्वारा 1516.85 लाख टिकट बुक किए गए)
- एयरवेज और बसों के लिए टिकट बुकिंग
- एआई ग्राहक समर्थित 'आस्क दिशा' ग्राहक सहायता – आस्कदिशा द्वारा संचालित कुल प्रश्न एआई ग्राहक समर्थित 'आस्क दिशा' ग्राहक सहायता – वित्तीय वर्ष 22 में आस्कदिशा चैटबॉट द्वारा संचालित कुल प्रश्न 53,16,235 (अंग्रेजी प्रश्न – 51,26,204 और हिंदी प्रश्न 1,90,031)

इंटरनेट टिकटिंग

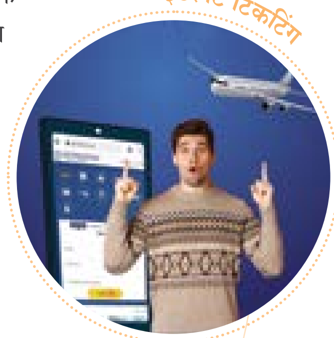

यात्रा और पर्यटन

- यात्रा पैकेज
- विशिष्ट गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें, बढ़ाने के लिए पर्यटक अनुभव
- लक्जरी पर्यटक ट्रेनें– महाराजा' एक्सप्रेस और गोल्डन चैरिएट।
- निवास स्थान
- आउटबाउंड पैकेज
- कॉरपोरेट यात्रा व्यवसाय

वित्त वर्ष 22 में बुक किए गए 4174.49 लाख टिकटों के मुकाबले ₹ 3,81,78.32 करोड़ के वार्षिक टिकट किराए के साथ प्रति दिन औसतन 11.44 लाख टिकट बुक किए गए।

उत्पादन	परिणाम
• पीएटी ₹ **663.69** करोड़ • निवल मूल्य में वृद्धि ₹ **428.07** करोड़	• राजस्व में वृद्धि • राजस्व में सुधार • मजबूत मार्जिन • उद्योग में सबसे कम विपणन व्यय
• कर्मचारी उत्पादकता **100**% • **52304** घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया गया	• विविध कार्यबल • व्यस्त और प्रेरित • कर्मचारियों की वृद्धि और विकास
• यातायात में समग्र वृद्धि **137.06**% (वेब साइट में 161.92% वृद्धि 127.48% मोबाइल में वृद्धि) • ई-टिकटिंग में **139.85**% की वृद्धि (वित्त वर्ष 21 में 1740 लाख टिकटों से वित्त वर्ष 22 में 4174 लाख टिकटों की वृद्धि) • उपयोगकर्ताओं में **20.23**% की वृद्धि आवेदन पर (वित्तीय वर्ष 21 तक 6.68 करोड़ उपयोगकर्ता से बढ़कर वित्तीय वर्ष 22 तक 8.03 करोड़ उपयोगकर्ता)	• अधिक उपभोक्ता जुड़े • बाधारहित टिकटिंग सेवा से ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि
• ऊर्जा संरक्षण **615260** मेगावॉट • पानी की बचत **179400** लीटर • प्लास्टिक का पुनर्चक्रण **560** मीट्रिक टन	• नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करें • कार्बन फुटप्रिंट कम करें
• स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के बाद से बाजार पूंजीकरण में **432.25**% की वृद्धि	• लगातार भुगतान के साथ कमाई के लिए धन सृजन करना • सक्रिय रूप से सामाजिक शेयर में निवेश करें • ग्राहकों के बीच विश्वास बढ़ाना और ब्रांड को मजबूत करना

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों

वित्त वर्ष 202-22 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रिकवरी और ट्रांजिशन का वर्ष रहा है। महामारी का सबसे बुरा अनुभव करने के बाद, बढ़ते टीकाकरण के साथ अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे खुल रही है कवरेज और व्यावसायिक गतिविधियों में एक और बहाली ने भारत को गति प्राप्त करने में मदद की। कुल जीएसटी लेनदेन, कोयला उत्पादन, बिजली की मांग आदि जैसे संकेतकों के स्वस्थ विकास में निरंतर आर्थिक पुनरुद्धार के संकेत देखे जा सकते हैं।

हालांकि, तेजी से सुधार के बावजूद, वित्तीय वर्ष के अंत में, अर्थव्यवस्था बाहरी जोखिमों के अधीन थी। रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव ने तेल और कमोडिटी की कीमतों को बढ़ा दिया जिससे भारत में पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति बढ़ गई।

यद्यपि निकट भविष्य में प्रतिकूलता प्रबल होती है, फिर भी भारत अपनी निरंतर लचीली भावना के साथ संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। बजट 2022-23 के माध्यम से सरकार ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप संरचनात्मक सुधारों को लागू किया है। पूंजीगत व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि के साथ-साथ विकासशील

संरचना पर जोर भारत को लंबी अवधि में टिके रहने में मदद करेगा।

महामारी से सबसे बुरी तरह पीड़ित होने के बाद, यात्रा और पर्यटन उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में यात्रा में एक आशाजनक वृद्धि के साथ, अंततः सुधार दिखाया है। वैक्सीन रोलआउट में वृद्धि और इनबाउंड और आउटबाउंड यात्रा पर छूट न भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग को अंततः उद्योग को महामारी से प्रेरित झटके से उबरने में सक्षम बनाया। यात्रा उद्योग के जल्दी से सामान्य स्थिति में वापस आने की बढ़ती उम्मीद के साथ, चालू वित्त वर्ष होने की संभावना है यात्रा का एक वर्ष जिसमें घरेलू यात्रा, बदले की यात्रा और बढ़ी हुई कॉरपोरेट यात्रा शामिल है।

ऑफ़लाइन बुकिंग सेगमेंट की तुलना में यात्रा में वापसी ऑनलाइन पर अधिक स्पष्ट रही है। इंटरनेट के व्यापक उपयोग के साथ, ऑनलाइन टिकट बुकिंग में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऑनलाइन बुकिंग के लिए ग्राहकों की और बढ़ी हुई प्राथमिकता दिखाई दी, जिसमें ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म और ऐप पर निर्भरता बढ़ी। यह ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली निर्बाध ऑनलाइन बुकिंग है जो उन्हें उनकी पसंदीदा पसंद बना रही है। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, मेरा मानना है कि प्रभावी कीमतों और सुविधाजनक आवास और बदलती उपभोक्ता वरीयताओं के लिए इंटरनेट को प्राथमिकता देने वाले अधिक भारतीयों के साथ, हम आगे आने वाल अवसरों की भीड़ को जब्त करने के लिए तैयार हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने ₹ 1,952.30 करोड़ की कुल आय के साथ एक मजबूत

> **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने ₹ 1,952.30 करोड़ की कुल आय के साथ एक मजबूत वित्तीय निष्पादन दर्ज किया, जो 2020-21 में ₹ 861.64 करोड़ से बढ़ गया।**

वित्तीय वर्ष निष्पादन ₹ 1952.30 दर्ज किया, जो 2020-21 में ₹ 861.64 करोड़ से बढ़ गया। हमारा ईबीआईटीडीए पिछले वित्त वर्ष में ₹ 272.74 करोड़ से बढ़कर ₹ 953.56 करोड़ रहा। हमारा पीएटी वित्त वर्ष 21 में ₹ 187.02 करोड़ से बढ़कर ₹ 663.69 करोड़ हो गया। ईबीआईटीडीए और पीएटी दोनों क्रमश: 48.84% और 34.00% के स्वस्थ मार्जिन पर समाप्त हुए।

कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों ने वित्त वर्ष 22 के लिए ₹ 1.50/- प्रति शेयर (₹ 20 करोड़) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह फरवरी 2022 में घोषित 2/- प्रति शेयर (₹ 160 करोड़) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है और मार्च 2022 में शेयरधारकों को भुगतान किया गया। इसके साथ, वित्त वर्ष 22 के लिए कंपनी द्वारा घोषित कुल लाभांश ₹ 3.50 है। ₹ 2/- प्रत्येक का अनुमेय हिस्सा।

इंटरनेट टिकटिंग के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए हमारे खंडवार हाइलाइट्स पर आते हुए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 11.44 लाख टिकट बेचे गए, जो भारतीय रेलवे कुल ऑनलाइन बुक किए गए आरक्षित टिकटों का 80.43% है। पर ऑनलाइन।

कंपनी ने 21 मार्च, 2022 को 15.88 लाख टिकटों की रिकॉर्ड बुकिंग हासिल करने का एक और मील का पत्थर छुआ। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से रूपे प्लेटफॉर्म पर आस्कदिशा चैटबॉट और आईआरसीटीसी बीओबी लॉयल्टी कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ई-टिकट बुकिंग भी शुरू की। आपकी कंपनी आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in) के आईआरसीटीसी एक्सक्लूसिव सेक्शन में एकीकृत बस सुविधा भी प्रदान करती है।

पर्यनन क्षेत्र में आते हुए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सरकार की भारत गौरव

योजना के तहत दो देशों के बीच जोड़ने वाली कड़ी बनने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली एजेंसी बन गए हैं।

भारत में पहले स्वदेशी लक्ज़रीक्रूज़र लाइनर को बढ़ावा देने और मार्केटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हुए, हमने वित्तीय वर्ष में अग्रणी क्रूज़ लाइनर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने हमारे उपयोगकर्ताओं को कुछ बेहतरीन भारतीय और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए नौकायन का लाभ दिया है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 22 के दौरान कई लैंड टूर पैकेज, घरेलू हवाई पैकेज, भारत दर्शन, तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक ट्रेन, राज्य विशेष ट्रेनें, अनुकूलित यात्रा पैकेज, डीलक्स पर्यटक ट्रेन और आईआरसीटीसी कॉरपोरेट ट्रेनों को लॉन्च और संचालित किया। यात्री ट्रेन की पूर्ण बहाली के साथ 2021 के अंत तक आईआरसीटीसी ने रेल टूर पैकेजों का संचालन शुरू कर दिया और तदनुसार, अनुरोधित ट्रेनों में निर्धारित बर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अयोध्या-सीतामढ़ी-जनकपुर- वाराणसी-प्रयागराज-चित्रकूट-नासिक-हंपी-रामे श्वरम- काचीपुरम-भद्राचलम जैसे भगवान राम के सभी प्रमुख स्थलों को कवर करते हुए एसी डीलक्स पर्यटक ट्रेन के साथ रामायण यात्रा भी संचालित की।

कैटरिंग सेगमेंट के संबंध में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान नियमित राजधानी, तेजस, गतिमान, वंदे भारत, शताब्दी, दुरंतो और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन निलंबित था। और 2021-22 के प्रमुख भाग, और यात्रियों की आवाजाही की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा केवल विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। हालांकि, नवंबर 2021 से नियमित ट्रेनों और पकाए गए भोजन के संचालन को फिर से शुरू करने के कारण, कंपनी ने मोबाइल कैटरिंग का संचालन जोर-शोर से शुरू कर दिया है। 31 मार्च, 2022 तक आपकी कंपनी ने 391 ट्रेनों में ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाएं प्रदान कीं और 180 जलपान कक्ष, 55 जन आहार, 06 सेल किचन और 306 फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयों का प्रबंधन किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि फिर से शुरू होने के बाद, ई-कैटरिंग ने भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है और मार्च, 2022 में ई-केटरिंग के माध्यम से बुक किए गए औसत भोजन प्रति दिन 24,813 थे।

आपकी कंपनी अखिल भारतीय आधार पर आठ एक्जीक्यूटिव लाउंज का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। इन 'अत्याधुनिक' एक्जीक्यूटिव लाउंज ने रेल यात्रियों के लिए प्रस्थान से पहले और आगमन के बाद आराम से प्रतीक्षा करने के लिए उनकी त्रुटिहीन सजावट, सेवा और सुविधाओं के लिए सभी से प्रशंसा प्राप्त की है। हाल ही में, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के कार्यकारी लाउंज का दौरा किया और कार्यकारी लाउंज की सुविधाओं के बारे में आईआरसीटीसी के अधिकारियों से बातचीत की।

आपकी कंपनी होटलों की एक सुनियोजित श्रृंखला का एक नेटवर्क बनाने की भी योजना बना रही है जो अर्थव्यवस्था/बजट यात्रियों को लक्षित करती है। वर्तमान में, लखनऊ, खजुराहो और केवड़िया में बजट होटल निर्माणाधीन हैं और कंपनी अन्य स्थानों पर ऐसे होटलों के लिए रास्ते तलाश रही है और इसके लिए कई राज्य सरकारों से संपर्क किया है।

कंपनी के नांगलोई, दानापुर, पलूर, अंबरनाथ, अमेठी, परसल्ला, बिलासपुर, साणंद, हापुड़, मंडीदीप, नागपुर, जागीरोड, मनेरी, संक्रेल और ऊना में स्थित 15 परिचालन रेलनीर संयंत्र हैं, जिनमें से अमेठी, परसाला, साणंद, पीपीपी मॉडल के तहत हापुड़, मंडीदीप, नागपुर, जागीरोड, मनेरी, संकरेल और ऊना संचालित हैं। उपर्युक्त संयंत्रों से, ऊना, हिमाचल प्रदेश में रेलनीर संयंत्र चालू कर दिया गया है और वित्त वर्ष 22 के दौरान वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। अपनी बाजार हिस्सेदारी

हाल ही में, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईआरसीटीसी के कार्यकारी लाउंज वाराणसी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और कार्यकारी लाउंज की सुविधाओं के बारे में आईआरसीटीसी के अधिकारियों से बातचीत की।

बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी भुसावल, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम में नए रेल नीर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, भुवनेश्वर और कोटा।

कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से सार्थक कल्याणकारी पहलों में शामिल है जो समाज में जीवन की गुणवत्ता को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है और वंचित लोगों की मदद करती है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, आपकी कंपनी ने स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में प्रतिक्रिया को प्राथमिकता दी। आपकी कंपनी ने सीएसआर कार्यक्रम के तहत कोविड-19 क्षेत्रों से प्रभावित दलित लोगों को भी अपना समर्थन दिया। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 9.90 करोड़ के सीएसआर बजट का पूरी तरह से उपयोग किया।

आपकी कंपनी कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानक को बनाए रखने और सेबी और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन प्रभावी प्रबंधन की सुविधा देता है और कंपनी को उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य का अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग प्राप्त की है और वित्त वर्ष 22 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग की अपेक्षा करती है।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कॉरपोरेट गवर्नें स में "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग प्राप्त की है और वित्त वर्ष 22 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग की अपेक्षा करती है।

हमारे लिए अवसर लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और ट्रेन से जुड़े संचालन में हमारे व्यापक अनुभव के साथ, हम अपने शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करते रहने की उम्मीद करते हैं। वास्तव में, मैं अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और शेयरधारकों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। उनके निरंतर भरोसे और योगदान के बिना, हमारी कई उपलब्धियों में से कोई भी संभव नहीं होती।

सादर,

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट: इसका तात्पर्य इस वार्षिक रिपोर्ट की कार्यवाई बनाने से नहीं है।

वित्तीय विशिष्टताएं

संचालन से राजस्व
(₹ करोड़ में)

6.31

कुल मूल्य
(₹ करोड़ में)

18.81

ईबीआईटीडीए
(₹ करोड़ में)

27.55

पीएटी
(₹ करोड़ में)

31.86

आरओसीई
(₹ करोड़ में)

6.32

प्रति शेयर लाभांश
(₹ करोड़ में)

33.26

₹ 10 के प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर को 29 अक्तूबर, 2021 की रिकॉर्ड तिथि के प्रभाव से प्रत्येक ₹ 2 के अंकित मूल्य के पाँच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है। तद्नुसार, अक्तूबर में उप–विभाजन के बाद प्रति शेयर लाभांश परिलक्षित किया गया है।

परिचालन राजस्व मिश्रण

(₹ करोड़ में)

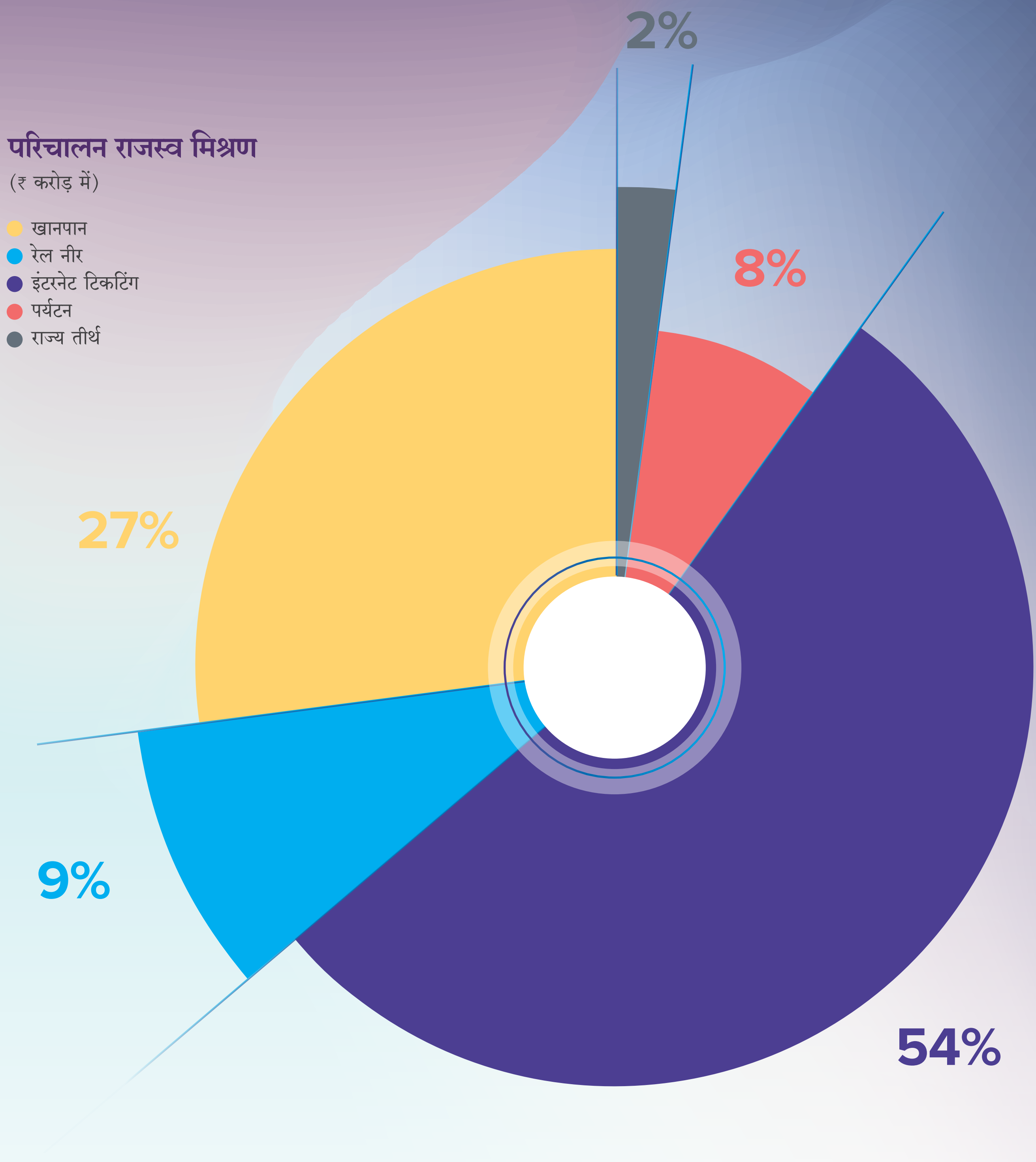

व्यावसायिक क्षेत्र

खानपान

बोतलबंद पेयजल

इंटरनेट टिकटिंग

यात्रा और पर्यटन

खानपान

आईआरसीटीसी देश के अग्रणी हॉस्पिटैलिटी एंटरप्राइज में से एक है, जो रेल यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। हमारी सेवाओं को विशेष रूप से सर्वोत्तम स्वच्छता और स्वाद के संयोजन वाले यात्रियों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आतिथ्य और खानपान व्यवसाय–

1

मोबाइल खानपान व्यवसाय

- राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, तेजस, वंदे भारत में दी जाने वाली सेवाएं
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें
- ट्रेन साइड वेंडिंग

2

चल खानपान

- फूड प्लाजा
- फास्ट फूड इकाइयां
- जलपान कक्ष
- जन जाहार
- सेल किचन
- बेस किचन

3
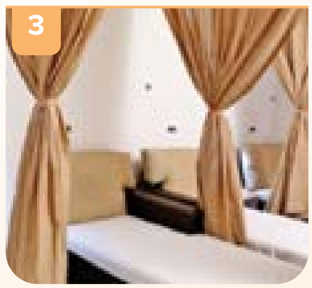

अन्य आतिथ्य सेवाएं

- कार्यकारी लाउंज
- विश्राम कक्ष
- रेल यात्री निवास/बीएनआर होटल

4

ई–खानपान

चेपळींलपस`ष लरींशीळपस शिर्शीींळलशी

आईआरसीटीसी ने ऑन–बोर्ड खानपान सेवाओं पर नजर रखने के लिए ट्रेनों में अनुभवी खानपान पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। निगरानी के अलावा, इन पर्यवेक्षकों को अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने का भी काम सौंपा गया है।

शिकायत निवारण

आईआरसीटीसी ने यात्रियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष इंटरनेट आधारित मॉड्यूल विकसित किया है जिसे खानपान सेवा सूचना प्रबंधन (ई–सीएसआईएम) के रूप में जाना जाता है और इसके लिए एक समर्पित पोर्टल (www.catering.irctc.co.in) भी है।

27%

कुल राजस्व योगदान

यात्री 'रेल मदद' एप्लिकेशन या वेब पोर्टल (www.railmadad.indianrailways.gov.in) के माध्यम से भी सेवाओं पर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

प्राप्त और संबंधित शिकायतों की संख्या

विवरण	ई–सीएसआईएम	सीपीग्राम	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
प्राप्त शिकायतों की सं.	5596	1660	99
संबोधित शिकायतों की सं.	5596	1630	99

1 मोबाइल खानपान

आईआरसीटीसी द्वारा ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए 391 यात्री ट्रेनों में पेंट्री कार हैं। सेवाओं की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित गुणवत्ता जांच की जाती है। आईआरसीटीसी ट्रेनों या एक्सप्रेस के लिए ट्रेन साइड वेंडिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, जहां पेंट्री कार नहीं है, यात्रियों से ऑर्डर लिए जाते हैं और निर्दिष्ट पिक-अप बिंदुओं से भोजन लिया जाता है।

ट्रेनों के पेंट्री कार में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं के

391

प्रावधानों के साथ

2 स्थिर खानपान

आईआरसीटीसी ने सस्ती कीमतों पर सुरक्षित और स्वच्छ भोजन परोसने के लिए रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार और सेल किचन की स्थापना/विकास किया है। रेल यात्रियों को जन आहार (क्षेत्रीय और स्थानीय वस्तुओं से युक्त इकोनमी कॉम्बो भोजन परोसने वाली इकाई), सेल किचन (ट्रेनों या स्थिर इकाइयों को भोजन की आपूर्ति करने वाले मिनी बेस किचन), रिफ्रेशमेंट रूम (यूनिट जहां अ-ला-कार्टे आइटम, रेडी-टू-ईट भोजन और थाली भोजन परोसे जाते हैं), फूड प्लाजा (भोजन परोसने वाला बहु-व्यंजन प्लाजा) बाजार संचालित दरों पर आइटम) और फास्ट फूड इकाइयां (स्वयं सेवा काउंटरों के माध्यम से फास्ट फूड आइटम बेचने वाली प्रमुख इकाइयां)। हम उच्चतम गुणवत्ता के भोजन परोसने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ बेस किचन भी विकसित कर रहे हैं। दिनांक 31.03.2022 को स्टेटिक केटरिंग यूनिट की कुल संख्या इस प्रकार है:

फूड प्लाजा और फास्ट फूड इकाइयों की संख्या

306

जन आहार की संख्या

55

बेस किचन की संख्या

11

जलपान कक्षों की संख्या

180

सेल किचन की संख्या

6

रेलवे बोर्ड ने पके हुए खाने की जगह रेडी टू ईट मील शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने रसोई उन्नयन गतिविधियों को रोकने का भी निर्देश दिया।

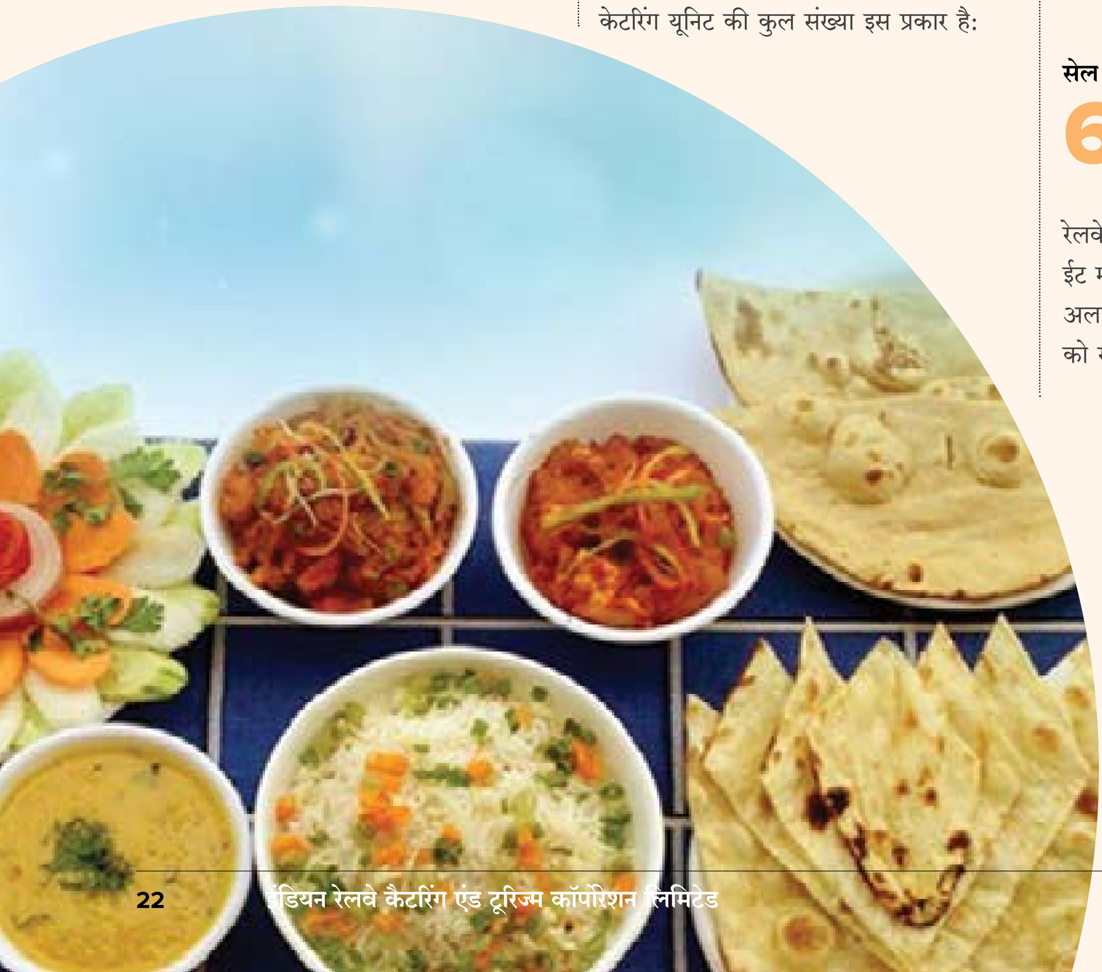

3 अन्य आतिथ्य सेवाएं

आईआरसीटीसी ने यात्रियों को आराम करने और आरामदायक महसूस करने के लिए भारतीय रेलवे (आईआर) नेटवर्क पर कार्यकारी लाउंज और विश्राम कक्ष स्थापित किए हैं। ये रिटायरिंग रूम और लाउंज न्यूनतम कीमतों पर आराम करने वाले सोफे, वाई-फाई सेवा, बुफे भोजन, साफ शौचालय जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। यात्रियों के आराम और सुविधा को बढ़ाने के लिए भारत के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कई नए विश्राम कक्ष विकसित और पुनर्निर्मित किए जा रहे हैं। 31 मार्च, 2022 तक अन्य स्थिर इकाइयों की कुल संख्या इस प्रकार है:

एक्जीक्यूटिव लाउंज की संख्या

10

कोविड पाबंदियों के कारण एक्जीक्यूटिव लाउंज का संचालन प्रभावित हुआ। कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड) और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 2021-22 में 02 (दो) कार्यकारी लाउंज चालू किए गए हैं।

विश्राम कक्षों की संख्या

25

कोविड पाबंदियों के चलते रिटायरिंग रूम का संचालन प्रभावित रहा। कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद आगरा कैंट, ग्वालियर, लोनावाला, पल्लकड़ और एमएमसीटी रेलवे स्टेशन पर पीओडी कॉन्सेप्ट विश्रामालय में 5 (पांच) विश्राम गृह चालू किए गए

रेल यात्री निवास/बीएनआर होटलों की संख्या

04

4 ई-केटरिंग

ई-केटरिंग आईआरसीटीसी द्वारा एक अपेक्षाकृत नई सेवा है जहां आरक्षण टिकट वाले यात्री आईआरसीटीसी के साथ भागीदारी करने वाले रेस्तरां से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं (जब वे यात्रा पर हों)। फिर भोजन को संबंधित बर्थ/सीट पर पहुंचाया जाता है। बुकिंग अग्रिम में की जानी है और सेवाएं केवल चुनिंदा स्टेशनों पर उपलब्ध हैं।

भागीदार रेस्तरां की संख्या

1,774

डायरेक्ट वेंडर - 260

फूड एग्रीगेटर - 11

विक्रेता के माध्यम से एग्रीगेटर - 1514

प्रति दिन भोजन परोसा गया

वित्त वर्ष 22 में

8,632

वित्तीय वर्ष 23 में
(01 अप्रैल'22 से 31 मई'22)

21,730

ऐप ट्रैफिक में वृद्धि (मासिक औसत)

वित्त वर्ष 22

1.67 करोड़

प्रतिशत वृद्धि

49%

वर्ष के हाइलाइट्स (2021–22)

ई–कैटरिंग पर 20 मार्च, 2022 को बुक किया गया अब तक का सबसे उच्चतम भोजन!

34,980

पेज व्यू के परिणामस्वरूप वेबसाइट और ऐप पर संयुक्त रूप से एक दिन में सबसे अधिक ट्रैफ़िक आया!

~10 लाख

होली प्रचार

पहली बार होली पर विशेष खाद्य सामग्री वितरित की गई। हमारे गुजिया और ठंडाई के कॉम्बो ने कुछ मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया।

नवरात्रि प्रचार

साबूदाना खिचड़ी की शुरूआत जैसे नवरात्रि विशेष खाद्य पदार्थों के प्रचार के दौरान महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। मार्केटिंग टीम ने प्रचार को सफल बनाने के लिए हमारे ऐप्स पर पुश नोटिफिकेशन से लेकर, ईमेलर्स, रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्टैंडी और वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन में विशेष बदलाव पेश किए।

नियामक सुधार

जनवरी 2022 में, हमने फूड एग्रीगेटर्स के लिए अपडेट किए गए जीएसटी मानदंडों का पूरी तरह से पालन करने के लिए सिस्टम को नया रूप दिया। हमने वेंडर्स के लिए बिल ऑफ सप्लाई मैकेनिज्म भी पेश किया, जिससे वेंडर्स को भुगतान आसान हो गया। हमने सीडीएसी और सीईआरटी–इन टीमों के साथ काम किया और तकनीकी प्रणाली की सुरक्षा में कई सुधार किए।

Shh...here's
a secret
BOOKING
BENEFIT
just for you!

Relish delectable cuisine in thematic
restaurants aboard

SBI card RuPay
DISCOVER EXCITING
DEALS
IRCTC SBI card on
RuPay platform

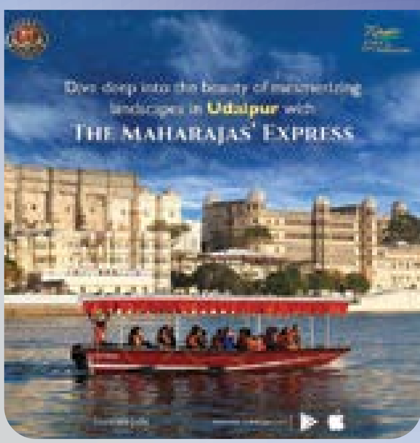
Dive deep into the beauty of mesmerizing
landscapes in Udaipur with
THE MAHARAJAS' EXPRESS

LOOKING FOR
HOTELS
WITH HOME
kind of comfort?
Visit
IRCTC Portal
SEARCH FROM
HUNDREDS
OF OPTIONS
Book for as low as
Rs.600 per night.

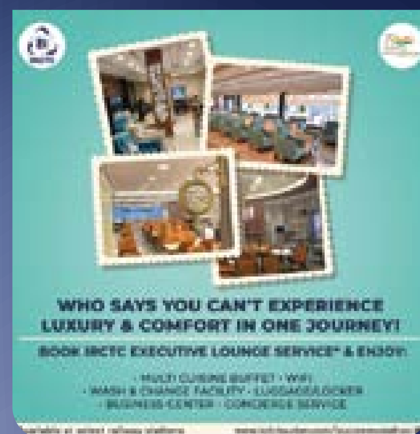
WHO SAYS YOU CAN'T EXPERIENCE
LUXURY & COMFORT IN ONE JOURNEY!
BOOK IRCTC EXECUTIVE LOUNGE SERVICE* & ENJOY:

For best ever
bus ticket booking experience,
visit IRCTC portal

TIRUPATI
BALAJI
DARSHANAM
8287932228
8287932229
8287932230

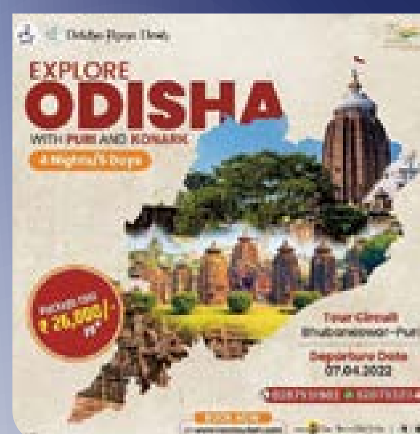
EXPLORE
ODISHA
WITH PURI AND KONARK
Tour Circuit
Bhubaneswar-Puri
Departure Date
07.04.2022

ASK DISHA IS HERE TO HEAR YOU OUT...
and also to clear all your doubts!
So visit IRCTC Portal and get answers right away

BEST RATES
GUARANTEED!
WE DON'T
JUST SAY IT,
we mean it.
Book hotel on
IRCTC Portal

FOR YOUR KIND
OF HOTELS
AT YOUR KIND
OF PRICES,
visit our kind of place
- IRCTC Portal

बोतलबंद पेयजल

रेल नीर आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। रेल नीर डिब्बाबंद पेयजल है, जो अत्याधुनिक कारखाना में पैक किया जाता है। बोतलें पैक करने वाली फैक्ट्रियां पूरी तरह से स्वचालित हैं और बोतलबंद पानी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद की कोई मैन्युअल हैंडलिंग नहीं की जाती।

इस वर्ष के दौरान, ऊना के रेल नीर संयंत्र, का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया, जबकि विशाखापत्तनम में नया रेल नीर संयंत्र संचालन के लिए तैयार है।

मुख्य विचार

9%
कुल हिस्सा राजस्व

42%
क्षमता उपयोग

19.86 करोड़
कुल बोतलों का उत्पादन

आईआरसीटीसी के पास अब तक 15 विनिर्माण संयंत्र हैं

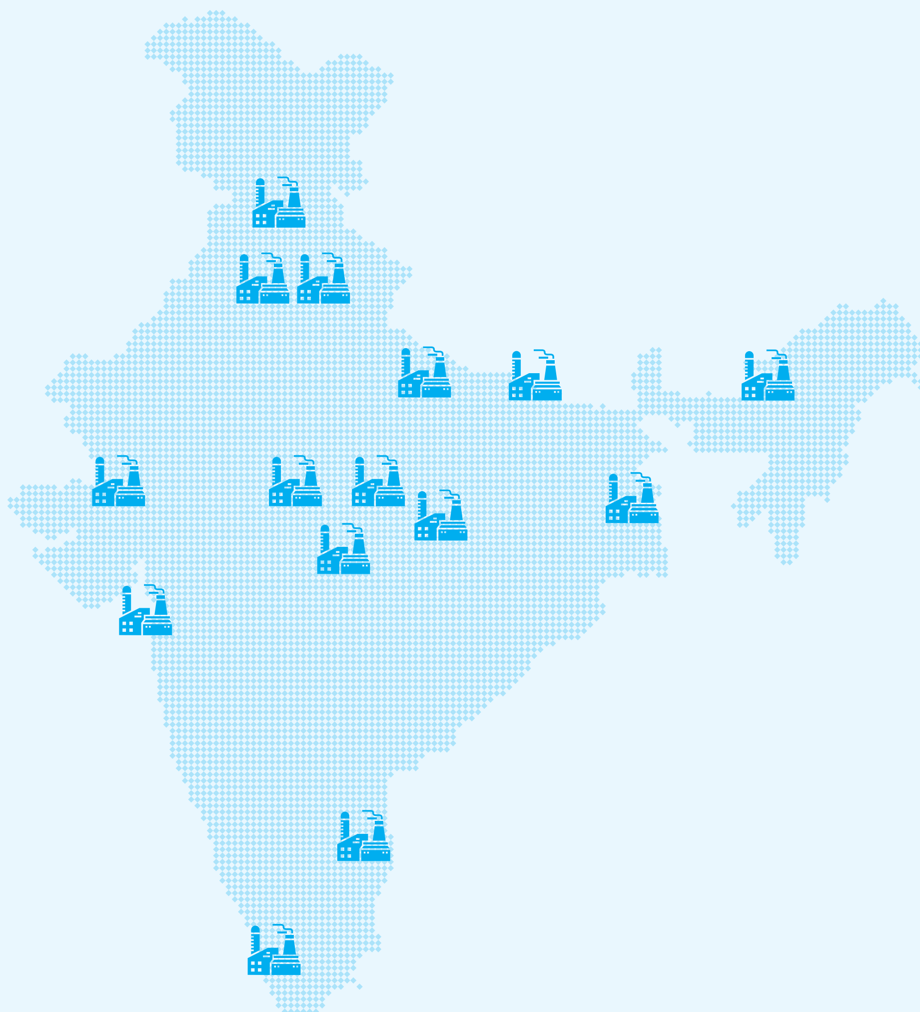

हमारे संयंत्र स्थान

- नांगलोई (दिल्ली)
- दानापुर (बिहार)
- पलुर (तमिलनाडु)
- अंबरनाथ (महाराष्ट्र)
- अमेठी (उत्तर प्रदेश)
- परसल्ला (केरल)
- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
- हापुड़ (उत्तर प्रदेश)
- साणंद (गुजरात)
- मंडीदीप (मध्य प्रदेश)
- नागपुर (महाराष्ट्र)
- संकरेल (पश्चिम बंगाल)
- मनेरी (मध्य प्रदेश)
- जागीरोड (असम)
- ऊना(हिमाचल प्रदेश)

आगामी रेल नीर संयंत्र

भुसावल (महाराष्ट्र) – एडवांस कमीशनिंग का चरण

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) – सिविल निर्माण का अग्रिम चरण।

भुवनेश्वर (ओडिशा) – निर्माणाधीन।

कोटा (राजस्थान)– संविदा सम्मानित किया।

विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश) – वाणिज्यिक उत्पादन को शीघ्र शुरू किया जाएगा।

इंटरनेट टिकटिंग

आईआरसीटीसी एकमात्र प्राधिकरण है जिसे आवेदन और वेबसाइट के माध्यम से भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा प्रदान करने की अनुमति है।

पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 22 में कुल आरक्षित टिकटों में से लगभग 80.43% ऑनलाइन बुक किए गए थे। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और डिजिटल बैंकिंग के साथ, वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर ट्रैफिक बढ़ने से, विज्ञापनों से हुई आय में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है।

मुख्य विशेषताएं

54%

राजस्व में योगदान

₹38178.32 करोड़

वित्त वर्ष 22 में रुपये का टिकट किराया वसूला गया

4,174.49 लाख टिकट

कुल बुक टिकट

आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए 2259 **लाख टिकट** (सामान्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए 742.27 लाख टिकट और एजेंटों द्वारा बुक किए गए 1516.85 लाख टिकट)

आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड और आईआओएस) के जरिए 1915.37 **लाख टिकट** बुक किए

बुक किए गए का शेयर (%)

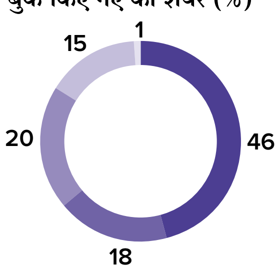

- आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप साधारण उपभोक्ता
- आईआरसीटीसी वेबसाइट साधारण उपभोक्ता
- बीटूसी साधारण उपभोक्ता
- रिटेलर
- जीटूजी

प्रति दिन

11.44 लाख टिकट

आईआरसीटीसी वेबसाइट और एप्लिकेशन के माध्यम से प्रति दिन बुक किए गए औसत टिकट

नई पहलें

इंटरनेट टिकटिंग

1. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी वेबसाइट में मल्टी लैप पूछताछ सुविधा का शुभारंभ।
2. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में रिटायरिंग रूम बुकिंग सुविधा शुरू।
3. आईओएस प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में प्रिविलेज पास/पीटीओ धारकों के लिए रेल ई-टिकट बुकिंग की शुरुआत।
4. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in) के आईआरसीटीसी एक्सक्लूसिव सेक्शन में बस सुविधा का एकीकरण।
5. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और वेबसाइट में एस्कॉर्ट के साथ शिशु दिव्यांग रियायत बुकिंग।
6. आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग वेबसाइट पर जंक/ डिस्पोजेबल ईमेल आईडी के साथ उपयोगकर्ता पंजीकरण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
7. आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग के लिए यात्रा बीमा भागीदारों के रूप में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का एकीकरण
8. आईओएस और एंड्रॉइड पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप सुविधा में माननीय एमपी / पूर्व सांसद उपयोगकर्ता आईडी के माध्यम से सामान्य यात्री बुकिंग।
9. एंड्रॉइड पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में टिकट रद्द करने के खिलाफ यात्रा बीमा प्रीमियम राशि की वापसी।
10. एंड्रॉइड और आईओएस पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में ऐड मील विकल्प को शामिल करना।
11. एंड्रॉइड और आईओएस पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में ऑन बोर्ड कैटरिंग सेवाओं के लिए बदलाव।
12. एंड्रॉइड पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के 'आईआरसीटीसी एक्सक्लूसिव' सेक्शन के तहत ई-गिफ्ट वाउचर विकल्प शामिल
13. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में "ईएमआई आधारित" भुगतान विकल्प का एकीकरण एन्ड्रॉइड पर: इसके लॉन्च के बाद से ईएमआई भुगतान मोड का उपयोग करके 5,539 टिकट बुक किए गए थे।
14. होटल/बस ऑपरेटरों/विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए स्वचालित भुगतान प्रणाली लागू की गई।
15. आईआरसीटीसी ने अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करने के लिए ई- टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित किया है।
16. अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करने के लिए ई-टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित किया।

    ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली इन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उनकी आरक्षित ट्रेन टिकट आवश्यकताओं को संभालने और बोझिल मैनुअल प्रक्रियाओं रेलवे वारंट प्रबंधन और उनके सुलह से बड़ी राहत लाएगी।

17. बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से रूपे प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी बीओबी लॉयल्टी कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया।

18. **आस्क के जरिए ई-टिकट बुकिंग दिशा चैटबॉट:** अब आईआरसीटीसी पासवर्ड की आवश्यकता के बिना भी वॉयस और चैट का उपयोग करके सुविधाजनक संवादात्मक तरीके से आस्कदिशा के माध्यम से रेलवे ई-टिकट खरीदे जा सकते हैं। आस्कदिशा (डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनीटाइम) एक आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट है। इसे 30-दिसंबर -2021 को चयनित उपयोगकर्ताओं के लिए और 31मार्च 2022 को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण रूप से लॉन्च किया गया था।

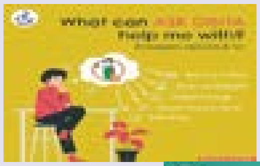

माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई (बिजनेस इंटेलिजेंस) टूल रीयल-टाइम रिपोर्टिंग की जांच करने और देखने के लिए आस्क-दिशा में लागू किया गया है। रिपोर्ट डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के रूप में उपलब्ध हैं।

विश्लेषण संबंधी

9009 कुल बुक किए गए टिकट

18 हजार (कुल यात्री सं.)

बुक किए गए कोटे से कुल टिकट

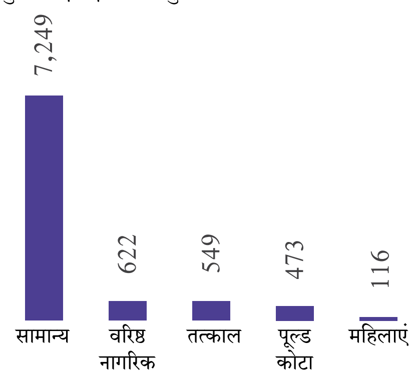

बुक कोटा	कुल बुक किए गए टिकट
महिलाएं	116
पूल्ड कोटा	473
तत्काल	549
वरिष्ठ नागरिक	622
सामान्य	7,249
कुल	**9009**

बुकिंग तिथि के अनुसार बुक किया गया कुल टिकट

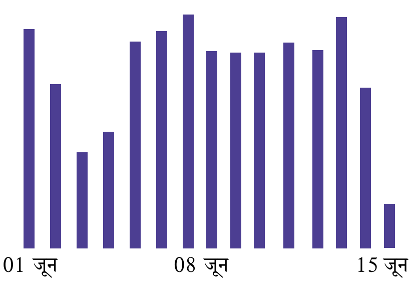

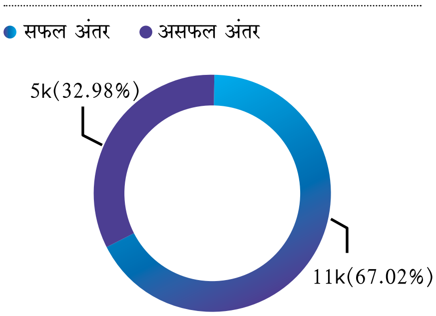

बुकिंग की तारीख से ग्राहक रेटिंग

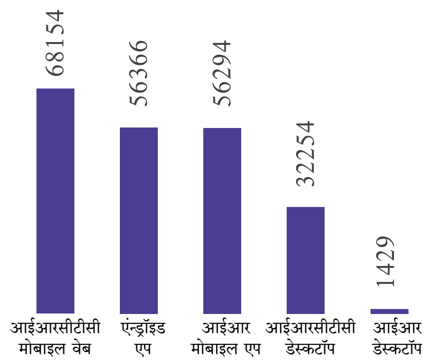

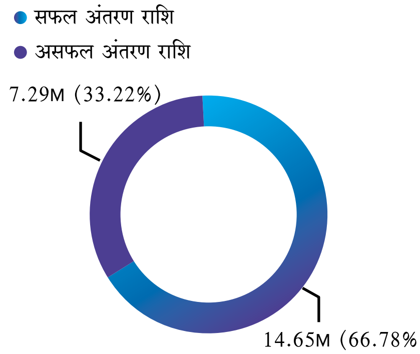

19. अन्य यात्रियों के साथ शिशु यात्रियों (0 से 4 वर्ष) के लिए पूर्ण बर्थ बुक करने के विकल्प का कार्यान्वयन

20. आधार के साथ प्रोफ़ाइल विवरण को पुन: सत्यापित करने के विकल्प का कार्यान्वयन। अगर, उपयोगकर्ता ने आधार विवरण अपडेट किया है तो वे आधार के साथ प्रोफ़ाइल विवरण को फिर से सत्यापित कर सकते हैं।

21. **पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ई-टिकटिंग आंकडें**

विवरण	2020-2021	2021-2022	% वृद्धि
बुक किए गए कुल टिकटों की संख्या (₹ लाख में)	1740.46	4174.49	139.85%
एकत्र किया गया कुल किराया (₹ करोड़ में)	17761.59	38178.32	114.95%
ई-टिकटिंग का शेयर %	79.63%	80.43%	1.00%
प्रतिदिन औसतन बुक किए गए टिकट (₹ लाख में)	4.76	11.44	140.34%

विश्राम कक्ष

अप्रैल 2021 में शुरू किए गए रिटायरिंग रूम को उपयोगकर्ता अब देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बुक कर सकते हैं।

बस बुकिंग

बस बुकिंग सेवा के एकीकरण को आईआरसीटीसी की मूल्य-श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण अंतिम-मील कनेक्टिविटी माना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को रेल या हवा के माध्यम से एक गंतव्य तक पहुंचने के बाद बस बुक करने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता अब 22 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न मार्गों पर बसें बुक कर सकते हैं, इसके पर्यटन पोर्टल पर मैसर्स अभि बस और मेसर्स रेड बस और राज्य सड़क परिवहन निगम जैसे कई निजी भागीदारों के साथ करार किया गया है। आगे बढ़ते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ, सेगमेंट बढ़ेगा और व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

लेन-देन	पैक्स की संख्या
34637	52628

ईएमआई आधारित भुगतान

ईएमआई-आधारित भुगतान की शुरूआत उपयोगकर्ताओं को सुविधानुसार भुगतान करने के विकल्प के साथ टिकट और अन्य यात्रा बुकिंगकरने की अनुमति देती है। हमने 02 बैंकों और फिनटेक यानी पेटीएम और रेजरपे के साथ साझेदारी की है, जो अब हमारे प्लेटफॉर्म पर पार्टनर हैं, जो यूजर्स को कई **ईएमआई** भुगतान विकल्पों का विकल्प प्रदान करते हैं।

वित्त वर्ष 22 के दौरान ईएमआई भुगतान मोड का उपयोग करके 5,539 टिकट बुक किए गए थे। आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से (ईएमआई-आधारित लेनदेन बंद)।

आईआरसीटीसी आंशिक भुगतान

आईआरसीटीसी यात्रियों द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से बुक किए गए प्री-बुक किए गए पैकेजों के लिए आंशिक भुगतान विकल्प भी प्रदान करता है और पूरी राशि को रोके बिना अग्रिम रूप से उनकी यात्रा की योजना बनाता है।

यात्रा और पर्यटन

भारत कई समृद्ध और विविध संस्कृतियों का घर होने के कारण इसे एक ऐसा देश बनाता है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। आईआरसीटीसी इन यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। हम रेलवे, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और जलमार्ग के माध्यम से यात्री पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न अवसरों की खोज करके पर्यटन को सरल बनाते हैं।

पर्यटन प्रस्ताव

आईआरसीटीसी पर्यटन

एयर टिकटिंग

- होटल
- लाउंज
- विश्राम कक्ष
- आईआरसीटीसी होटल

होटल और पर्यटन पैकेज

- पर्यटन पैकेज
- एयर पैकेज
- घरेलू
- अनुकूलित
- शहरी भ्रणम

रेलवे पर्यटन

रेलवे टूर पैकेज (आरटीपी)

- आरटीपी चार्टर्स
- यात्रा पैकेज

विशेष ट्रेनें

- चार्टर बुकिंग
- सेमी लग्जरी
- चुनाव विशेष
- शैक्षणिक भ्रमण
- बौद्धिस्ट ट्रेन
- राज्य विशेष
- विरासत
- तीर्थयात्रा विशेष
- भरत गौरव
- हिल चार्टर

लग्जरी ट्रेन

- महाराजा एक्सप्रेस
- गोल्डणन चैरिएट

विविध

- संगठित यात्रा
- रह करना
- कंसीअर्ज
- कैब
- एलटीसी पैकेज
- अन्य

मुख्य विशेषताएं

8%

कुल राजस्व में योगदान

63,350

पर्यटकों ने हमारे टूर पैकेज (आरटीपी, एलटीपी और अनुकूलित पैकेज) का लाभ उठाया

39

चार्टर्ड ट्रेनों का संचालन

2440

प्रति दिन बुक किए गए औसत हवाई टिकट

श्री रामायण यात्रा

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'देखो अपना देश' पहल के तहत, हमने धार्मिक पर्यटन के तहत डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन द्वारा 'श्री रामायण यात्रा' की शुरुआत की। 10 शहरों और 06 राज्यों में 7500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, विशेष पर्यटक ट्रेन यात्रियों को बेहतर भोजन रेस्तरां, आधुनिक रसोई, शॉवर क्यूबिकल्स, सेंसर-आधारित वॉशरूम फ़ंक्शन, फुट मसाजर, प्रत्येक कोच के लिए सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरा, होटलों में आवास, यात्रा प्रदान करती है। भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े स्थानों की 7 दिनों की यात्रा के लिए बीमा और आईआरसीटीसी टूर गाइड मैनेजर। वित्त वर्ष 22 में आईआरसीटीसी ने 375 यात्रियों के साथ श्री रामायण यात्रा की 3 फेरे संचालित की हैं।

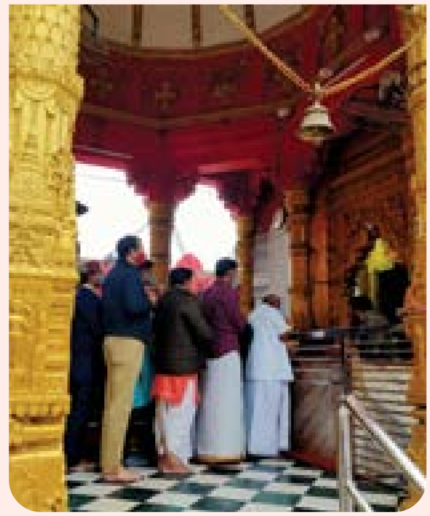

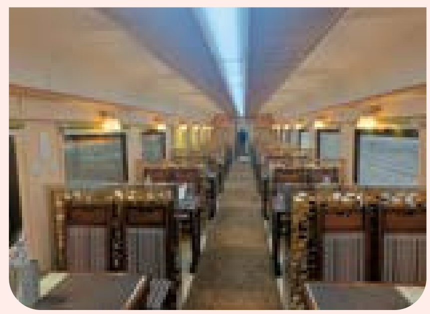

लक्ज़री समुद्री पर्यटन

अगस्त 21 में, हमने भारत में पहले स्वदेशी लक्ज़री क्रूज़ लाइनर के प्रचार और विपणन के लिए जलमार्ग लेज़र पर्यटन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

269
यात्रियों
सितंबर'21 में लॉन्च के बाद सें ने बुकिंग की है

विशेष ट्रेनें

जो लोग भारत की विरासत के साथ-साथ समृद्ध संस्कृति का अनुभव यात्रा के दौरान करने के इच्छुक हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी विशेष ट्रेनों की पेशकश करता है।

महाराजा एक्सप्रेस

आईआरसीटीसी के पास बेहतरीन लक्ज़री ट्रेनों में से एक, जिसका उद्देश्य यात्रियों को एक शाही अनुभव प्रदान करना है। ट्रेन में विभिन्न थीम और हरे-भरे इंटीरियर के साथ विभिन्न केबिन हैं और यह नवीनतम से सुसज्जित है यात्रियों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी, बेहतर सवारी आराम के लिए न्यूमैटिक सस्पेंशन, आरएफआईडी डोर लॉक और चौबीसों घंटे पैरामेडिक सेवाएं जैसी विशेषताएं हैं। मेहमानों के मनोरंजन के लिए केबिन एसी, वाई-फाई, टीवी, डीवीडी प्लेयर आदि से सुसज्जित हैं।

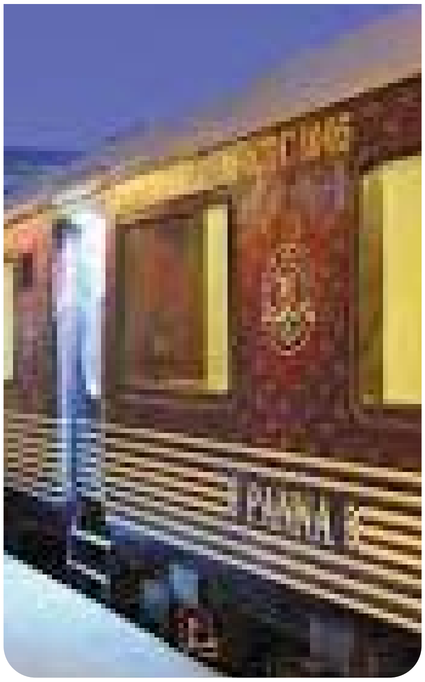

208 यात्री

वित्त वर्ष 22 में की गई बुकिंग

गोल्डन चैरिएट

कर्नाटक राज्य के साथ साझेदारी में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (केएसटीडीसी) गोल्डणन चैरिएट ट्रेन यात्रियों को कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा के मध्य से एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। गोल्डन चैरिएट तीन यात्रा पैकेज प्रदान करता है; 'प्राइड कर्नाटक की', 'दक्षिण का गहना' और 'कर्नाटक की झलक'।

भारत दर्शन

यह देश में सबसे पसंदीदा और सस्ती पर्यटक यात्रा ट्रेनों में से एक है। ट्रेन यात्रियों को समृद्ध संस्कृति और विरासत वाले शहर में ले जाती है। ट्रेन का रास्ता ऐसा है कि यह कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। गया, नासिक, उज्जैन, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, सोमनाथ, अमृतसर, कटरा, तिरुपति, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरै, पुरी आदि कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टूर पैकेज में शामिल हैं।

तीर्थयात्री विशेष

तीर्थयात्री स्पेशल यात्रियों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई है। यह ट्रेन यात्रियों को उचित मूल्य पर पूरे भारत के हृदय स्थल में ले जाती है।

डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन

आईआरसीटीसी ने को भारत दर्शन या तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेनों से बेहतर सेवाओं की पेशकश करते हुए मिड- सेगमेंट मार्केट पर कब्जा करने के लिए इन ट्रेनों को लॉन्च किया है।

नए प्रस्ताव

निम्नलिखित कुछ भविष्य की परियोजनाएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना है:

- **तीसरे पक्ष के संगठनों तक विस्तार करके चैटबॉट सेवाओं का मुद्रीकरण।** ई-टिकटिंग प्लैटफ़ॉर्म पर चैटबॉट पूछताछ सेवा चलाने का अनुभव प्राप्त होने के बाद आईआरसीटीसी अब एआई आधारित चैटबॉट सेवाओं (जैसे एआई चैटबॉट्स, वॉयसबॉट्स, वीडियोबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटेलिजेंट आरपीए और बॉट्स आदि) को सरकार और निजी संगठन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों और कार्यों में प्रस्तावित करेगा।
- **राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप:** आईआरसीटीसी, रेल मंत्रालय और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) के सहयोग से, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के लिए ऑनलाइन टिकट प्रणाली विकसित करेगा जिसके माध्यम से आगंतुक प्रवेश और सवारी के लिए अग्रिम रूप से अपने ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
- **तीसरे पक्ष के ऑपरेटरों को ट्रेन सूचना पूछताछ सेवाएं:** आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेन सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के एकीकरण के लिए नीति तैयार की गयी है। तृतीय पक्ष ऑपरेटरों को उनके संबंधित प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ट्रेन की प्रामाणिक जानकारी (उपलब्धता और किराया, स्टेशनों के बीच की ट्रेनें, क्लस्टर स्टेशनों की सूची, ट्रेन की समय-सारणी, बोर्डिंग स्टेशनों की सूची, पीएनआर पूछताछ आदि) के प्रसार के लिए ट्रेन सूचना पूछताछ सेवा प्रदान की जाएगी।
- **ई-मार्केट प्लेस:** आईआरसीटीसी लोकप्रिय ई-कॉमर्स फर्मों - अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रू. डीएफसी लाइफ, आदि के साथ साझेदारी कर अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप में ई-मार्केट प्लेस और बिल भुगतान/रिचार्ज सेवाएं और अन्य तृतीय पक्ष सेवाएं जैसे ऑनलाइन बीमा प्रदान करेगा।
- **फिनटेक कंपनी के रूप में आईआरसीटीसी का विविधीकरण:** आईआरसीटीसी आईपे एक ऑनलाइन भुगतान गेटवे है जो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा स्वामित्व और संचालित है और आईआरसीटीसी की पहली फिनटेक पहल है। आइपे वर्तमान में आईआरसीटीसी के इन-हाउस उत्पादों/ सेवाओं (हवाई, ट्रेन,

पर्यटन, ई–टिकटिंग आदि) में उपयोग किया जाता है।

- **अतिरिक्त रसोई इकाइयां का उन्नयन:** वर्तमान में 48 उन्नत रसोई इकाइयों के अलावा, आईआरसीटीसी ट्रेनों में सेवा के लिए भोजन की आपूर्ति को अधिकतम करने के लिए अधिक रसोई की पहचान और उन्नयन की प्रक्रिया में है। यह खानपान नीति–207 के अनुसार अनबंडलिंग के अनुपालन को आगे बढ़ाएगा।
- **खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की तैनाती:** सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर खाद्य उत्पादन की निगरानी के लिए आईआरसीटीसी उत्पादन इकाइयों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी।
- **थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ऑडिट:** यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए: आईआरसीटीसी सेवा प्रदाता को मोबाइल और स्टेटिक यूनिट्स के लिए एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित एजेंसी को थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ऑडिट के लिए अनुबंध देने की दिशा में काम कर रहा है।
- **पाइपलाइन में अतिरिक्त बजट होटल:** पूरे भारत में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आईआरसीटीसी ने विभिन्न राज्यों – जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सिक्किम, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि से भूमि आवंटन बाबत संपर्क किया
- **ई–कैटरिंग में वृद्धि के लिए पैन इंडिया आधार पर कई स्थानों पर ब्रांड्स का संघ।**
- **गैर किराया राजस्व की खोज:** भारत गौरव ट्रेनों को चलाने के लिए लगाए गए ढुलाई शुल्क की भरपाई करने के लिए आईआरसीटीसी रेक की जगह/क्षेत्र विपणन और बिक्री के माध्यम से गैर–किराया राजस्व (एनएफआर) उत्पन्न करने का प्रस्ताव करेगा
- **भारत गौरव की यात्रा कार्यक्रम शुरू करने की योजना:** आईआरसीटीसी ,भारत गौरव ट्रेनों की छोटी अवधि के पैकेज व इसे और अधिक मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाने के विचार के साथ यात्रा कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है
- **हेलीकाप्टर यात्रा, चिकित्सा के रूप में पर्यटन आदि सेगमेंट में प्रवेश करने की योजना है**
- **गैर–रेल आधारित पर्यटन जैसे एमआईसीई, कॉपरिट यात्रा व्यवसाय, क्रूज/नदी पैकेज आदि का विस्तार करना**
- **मौजूदा रेल नीर संयंत्रों इकाइयां में पूर्व–निर्माण के माध्यम से पिछड़े एकीकरण की खोज करना**
- **बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर अधिक रेल नीर संयंत्रों की स्थापना करना**

डिजिटल पहलें

पेमेंट गेटवे के रूप में आईआरसीटीसी आई-पे:

आईआरसीटीसी ने अपनी यात्रा में बाजार में संचालित पेमेंट गेटवे से कई चुनौतियों का सामना किया है। ई- टिकटिंग की अपनी यात्रा में पेमेंट गेटवे और बैंकों द्वारा आईआसीटीसी को दी गई चुनौती का सामना करने के लिए, अपने पेमेंट गेटवे का मालिक होना बुद्धिमानी समझा गया। आईआसीटीसी के पास अब अपना खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे- आईआरसीटीसी, आईपे (एक पीसीआई-डीएसएस कंप्लेंट पेमेंट सॉल्यूशन) है, जो वन-स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन है, जो सभी भुगतान मोड (जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई अकाउंट और ऑटोपे) के माध्यम से भुगतान की सुविधा देता है। और मर्चेंट वेबसाइट व संस्थान, अधिग्रहण बैंकों और भुगतान गेटवे प्रदाता के बीच सुरक्षित लेनदेन कराता है। आईआरसीटीसी,आईपे व्यापारियों को उत्पाद सूट की व्यापक रेंज का उपयोग करके भुगतान एकत्र करने, संसाधित करने और वितरित करने का अधिकार देता है। आईआरसीटीसी,आईपे पेमेंट गेटवे एक बेहतर डिजिटल अनुभव, बेहतर ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सुविधा और व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। वर्तमान में समाधान आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध है। रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप, आईआरसीटीसी एयर वेबसाइट www.air.irctc.co.in आईआरसीटीसी पर्यटन वेबसाइट www.irctctourism.com वित्तीय वर्ष 202-22 में, आई-पे ने अच्छे लाभ मार्जिन के साथ ₹ 52.88 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

आईपे अंतरण (2019-2022)
(₹ करोड़ में)

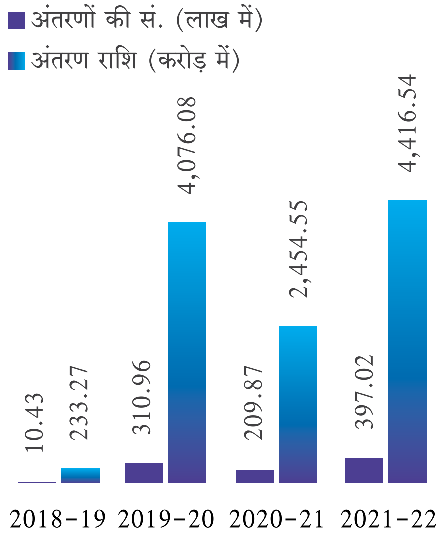

आईपे राजस्व (2019-2022)
(₹ करोड़ में)

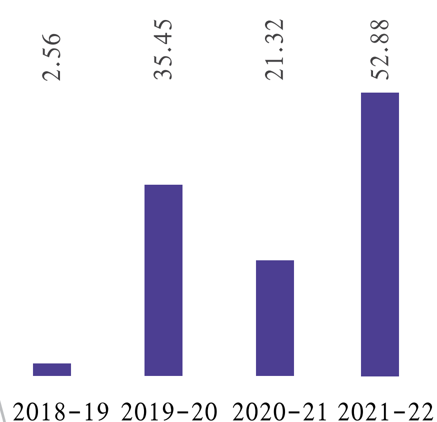

नए एआई वर्चुअल असिस्टेंट की यूएसपी (आस्क दिशा 2.0):

- पूरी तरह से क्लाउड-आधारित ऑटो स्केलिंग प्लेटफॉर्म यह एप्लीकेशन पर नज़र रखता है और स्थिर प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए स्वचालित रूप से क्षमता समायोजित करता है
- आस्क दिशा 2.0 सुरक्षित है, संवादात्मक एआई प्लेटफॉर्म सीईआरटी-इन पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा निर्मित और प्रमाणित है
- समाधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित है।
- आवाज के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। (अंग्रेजी, हिंदी और हिंग्लिश)
- त्वरित रिफंड ,भुगतान सफल लेकिन टिकट बुक नहीं होने पर। (वेबसाइट और मोबाइल ऐप में समस्या आ रही है)
- 15 मिनट के भीतर असफल लेनदेन का पुनः प्रयास।
- गाइडेड टिकट बुकिंग अनुभव
- आवाज़ द्वारा बुकिंग (अंग्रेजी, हिंदी और हिंग्लिश में)
- ओटीपी आधारित टिकट बुकिंग: बिना आईआरसीटीसी पासवर्ड जाने
- सहेजें यात्री सूची

53,16,235

वित्तीय वर्ष 22 में आस्क दिशा चैटबॉट द्वारा हैंडल की गई कुल प्रश्न।

जिनमें से 51,26,204 अंग्रेजी प्रश्न और 1,90,031 हिंदी प्रश्न हैं।

समाज कल्याण

आईआरसीटीसी में, हम मानते हैं कि जिन समुदायों में हम काम करते हैं उनका समग्र विकास हमारे व्यवसाय की सफलता का अभिन्न अंग है। इसलिए, हमारी कॉरपोरेट सामाजिक गतिविधियों का उद्देश्य उन समुदायों की सामाजिक और आर्थिक भलाई सुनिश्चित करना है जिनमें हम काम करते हैं

ध्यानाकर्षण केन्द्र

स्वास्थ्य देखभाल

शिक्षा

सशस्त्र बल

अनुसंधान एवं विकास

पर्यावरण स्थिरता

₹9.90 करोड़

सीएसआर गतिविधियों पर खर्च

स्वास्थ्य देखभाल

हमारे सीएसआर फंड के महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग देश के हेलथकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस दिशा में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने जम्मू में विकलांग लोगों के लिए अनंतिम सहायता और उपकरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ सहयोग किया। हमने जानकी स्थान, सीतामढ़ी (बिहार) में 9 सीट वाले सुलभ शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए सुलभ इंटरनेशनल को वित्तीय सहायता भी दी, गुना (मध्य प्रदेश) में चेलेशन पंप, लाइब्रेरी कम थैलेसीमिया वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए विशिंग फैक्ट्री को वित्तीय सहायता दी और नर्मदा (मध्य प्रदेश) के पास गांव में एक नदी एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा समग्र को वित्तीय सहायता दी।

हम कमजोर बच्चों को पोषण आहार प्रदान करने के लिए रेलवे चिल्ड्रेन इंडिया का सहयोग करते हैं, किचन अपग्रेडेशन के लिए फूड ट्रक की खरीद के लिए हेल्दी एजिंग इंडिया का, ग्रास्क ग्रामीण रोजगार एवं समाज कल्याण समिति और अनमोल-एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का विकलांग व्यक्तियों के लिए बैसाखी और व्हीलचेयर खरीदने सहित अपनी मौजूदा परियोजनाओं में भी योगदान देना जारी रखते हैं। दूसरी और तीसरी लहर के दौरान कोविड-19 वायरस के बढ़ते खतरे के साथ, हम पीएम केयर फंड में योगदान करना जारी रखते हैं और उत्तर रेलवे सिविल अस्पताल के कोविड सेल को भोजन और रेलनीर वितरित करते हैं।

शिक्षा

हम देश के युवा दिमागों को शिक्षित करने के लिए अपना समर्थन देना जारी रखते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने जम्मू-कश्मीर के चंगा गोंडोह डोडा में छात्राओं के छात्रावास के विकास हेतु सेवा भारती में वित्तीय योगदान दिया। हमने येलोग्रीन स्कूल को सुधारने के लिए लद्दाख में सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचा और क्लस्टर गुणवत्ता शिक्षा एन्नोबल सोशल इनोवेशन का भी समर्थन किया, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमने ब्राइट फ्यूचर ऑर्गनाइजेशन के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों के 15 बच्चों को शिक्षा सहायता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की।

पर्यावरण स्थिरता

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने पांच रेलवे स्टेशनों पर पेट बॉटल क्रशर यूनिट उपलब्ध कराने में योगदान दिया।

अनुसंधान और विकास

हमने खाद्य पैकेजिंग के लिए कृषि अपशिष्ट से बने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के इन्क्यूबेटरों और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई को वित्तीय सहायता प्रदान की।

सशस्त्र बल

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए फ्लैग डे फंड (एएफएफडीएफ)। सशस्त्र बलों को केंद्रीय कल्याण कोष और सशस्त्र बलों में योगदान दिया।

निदेशक मंडल की प्रोफाइल

श्रीमती रजनी हसीजा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक (पर्यटन और विपणन)

श्रीमती रजनी हसीजा पूर्णकालिक निदेशक (पर्यटन और विपणन) हैं और उनके पास हमारी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है। वह 18 मई, 2018 से हमारी कंपनी के बोर्ड में हैं। वह 1989 बैच की भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) की अधिकारी हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.फिल के साथ विज्ञान की विद्वान हैं। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कानून में डिग्री भी है। भारतीय रेलवे में अपने 32 वर्षों के शानदार करियर में, उन्होंने विभिन्न मंडलों, क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न प्रबंधकीय क्षमताओं में काम किया है और उन्हें भारतीय रेलवे में आईटी, विपणन, संचालन और योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वह आईआरसीटीसी के साथ आईटी बिजनेस सेगमेंट को संभालने वाले ग्रुप जनरल मैनेजर की हैसियत से जुड़ी हुई हैं और पूरे जोन की समग्र प्रभारी भी हैं। श्रीमती हसीजा की रेलवे की इंटरनेट टिकटिंग साइट www.irctc.co.in की स्थापना और विकास में अग्रणी भूमिका थी। अपने गहन तकनीकी ज्ञान, आयोजन और योजना कौशल और अपने साथियों और टीम के साथ संवाद करने की क्षमता के साथ, उन्होंने आईआरसीटीसी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और समयबद्ध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जैसे राष्ट्रमंडल गेम्स 2010 के लिए गतिशील ऑनलाइन सह काउंटर टिकटिंग प्लेटफॉर्म की योजना बनाने और निष्पादन से लेकर महाराजा एक्सप्रेस लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की इंटरनेशनल मार्केटिंग तक।

श्री अजीत कुमार

निदेशक (वित्त) और सीएफओ

1989 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस (आईआरएएस) के अधिकारी श्री अजीत कुमार 29 मई, 2020 से आईआरसीटीसी से जुड़े हुए हैं। श्री अजीत कुमार को रेलवे के विभिन्न संगठनों के साथ-साथ बाहरी निकायों में भी व्यापक अनुभव है। मंडल और मुख्यालय के अलावा, उन्होंने डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप (डीएलडब्ल्यू), रेलवे विद्युतीकरण, आईआरपीएमयू में काम किया है। श्री अजीत कुमार ने एनडीएमसी में निदेशक/वित्त लेखा के रूप में कार्य किया है। वे सदस्य वित्त/रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) के बोर्ड सदस्य भी थे। कानूनी पृष्ठभूमि से होने के नाते, उन्होंने निविदा और अनुबंधों के प्रलेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर रेलवे में वे वाणिज्यिक विभाग के कैटरिंग ठेके और अर्जन निविदाएं देख रहे थे। निदेशक/वित्त, आईआरसीटीसी का कार्यभार संभालने से पहले, उन्हें वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए एंड सीएओ) के रूप में नियुक्त किया गया था। सीएओ) रेल मंत्रालय (आईआरओएएफ) के तहत वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन में।

श्री देबाशीष चंद्रा

निदेशक (खानपान सेवाएं) (18.01.2022 से प्रभावी)

श्री देबाशीष चंद्रा, निदेशक (खानपान सेवाएं), आईआरसीटीसी 1993 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं और 8 जनवरी, 2022 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में नियुक्त हैं। वह इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कोलकाता से होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी और एप्लाइड न्यूट्रिशन में तकनीकी रूप से योग्य हैं। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला में स्नातक हैं। उन्होंने इग्नू से मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया है। आईआरसीटीसी के निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने आईआरसीटीसी, पूर्वी क्षेत्र के समूह महाप्रबंधक के रूप में काम किया। वह जुलाई, 205 में प्रतिनियुक्ति पर आईआरसीटीसी में शामिल हुए और फरवरी, 209 में समाहन लिया। आईआरसीटीसी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने आईआरसीटीसी के सबसे बडे क्षेत्र यानी खानपान, पर्यटन और रेल नीर संचालन के लिए पूर्वी क्षेत्र को जोनल प्रमुख के रूप में प्रबंधित किया। उन्होंने कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में समूह महाप्रबंधक (खानपान योजना और परियोजना) के रूप में भी काम किया। भारतीय रेलवे में अपने शानदार करियर के दौरान, उन्होंने बीएनआर होटल, पुरी, सीनियर कमर्शियल मैनेजर (केटरिंग), दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं उप. महाप्रबंधक (जी) के रूप में विभिन्न क्षमताओं में काम किया।

श्री नीरज शर्मा

सरकार नामित निदेशक

श्री नीरज शर्मा, ईडी (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड हमारी कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। वह 2 जुलाई, 2018 से हमारी कंपनी के बोर्ड में हैं। वह 1991 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के अधिकारी हैं। श्री शर्मा गोविंद बललभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नैनीताल से स्नातकोत्तर हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पीएचडी हैं। भारतीय रेलवे के साथ 25 से अधिक वर्षों के अपने सहयोग के दौरान, उन्होंने आईआरआईटीएम (भारतीय) में सहायक संचालन प्रबंधक, मंडल संचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल संचालन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक प्रोफेसर प्रशासन, आपदा प्रबंधन सहित पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान), लखनऊ, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर रेलवे और मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (यात्री विपणन), उत्तर रेलवे। उनकी उपलब्धियों के कारण, उन्हें दो बार रेल मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारतीय रेल पर सर्वोच्च मान्यता है।

श्री विनय श्रीवास्तव
सरकार नामित निदेशक
(12.09.2021 तक)

श्री. विनय श्रीवास्तव ने 12 सितंबर, 2021 तक हमारी कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में कार्य किया। उनके पास सरकारी सेवा का बहुआयामी अनुभव है। जमालपुर के यांत्रिक इंजीनियर होने के साथ उनके पास सिरैक्यूज़ विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री भी है।उन्हें रोलिंग स्टॉक डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और संचालन का अनुभव है। वह वर्तमान में रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और रेलवे के यात्री रोलिंग स्टॉक और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के रूप में काम किया है, जहां वे सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, ईंधन सेल प्रोपेल्ड वाहन और ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों के प्रभारी थे। उन्होंने आरसीएफ कपूरथला में कोच प्रोडक्शन और कोच डिजाइन में और दक्षिण मध्य रेलवे में सीनियर डीएमई हैदराबाद के रूप में काम किया है। उन्होंने आरडीएसओ में प्रशासन, परीक्षण और कैरिज निदेशालय में भी काम किया है। रेलवे के अलावा उन्होंने विदेश मंत्रालय में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ में पब्लिक फेसिंग रोल के रूप में भी काम किया है। उनके पास कैबिनेट में निदेशक के रूप में काम करते हुए उच्चतम स्तर पर नीतिगत अनुभव भी है जैसे सचिवालय, बुनियादी ढांचा मंत्रालयों - एमओयूडी, एचयूपीए रेलवे, सड़क परिवहन, नागरिक उड्यन आदि को संभालने सहित, राज्य सरकारों के साथ समन्वय की भूमिका निभाना। उन्होंने पर्यावरण वन मंत्रालयों ,जलवायु परिवर्तन और मानव संसाधन विकास और सूचना और प्रसारण मंत्री के सहयोगी के रूप में भी काम किया है।

श्री विश्वनाथ शंकर
सरकार नामित निदेशक
(14.12.2021 से प्रभावी)

श्री विश्वनाथ शंकर वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (योजना), रेलवे बोर्ड के रूप में कार्यरत हैं और 14 दिसंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में भी हैं। वह भारतीय रेल यातायात सेवा (1990 बैच) के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे के कई क्षेत्रों और मंडलों में काम किया है और पश्चिमी क्षेत्र, बंदरगाहों, उत्तरी क्षेत्र आदि में रेलवे संचालन का अधिकांश अनुभव रखते हैं। उन्होंने हैम्बर्ग पोर्ट कंसल्टेंसी के साथ नौकरी प्रशिक्षण के साथ-साथ जर्मनी में फ्रेट और लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया है। उन्होंने आईएसबी,हैदराबाद,आईसीएलआईएफ, कुआलालंपुर और आईएनसीईएडी, सिंगापुर में प्रबंधन पाठ्यक्रम में उच्च कार्य किया है। वह भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना की तैयारी और विकास में सहायक थे।

श्री विनय कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक
(09.11.2021 से प्रभावी)

श्री विनय कुमार शर्मा को 9 नवंबर, 2021 से रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईआरसीटीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक डिग्री, अर्थशास्त्र और सामाजिक कार्य, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी), इंदौर से में मास्टर डिग्री है। उनके पास प्रबंधन, वित्त, बिक्री, विपणन, कॉपरिट प्रशासन और योजना के क्षेत्रों में विविध और व्यापक अनुभव है। वह इंडसइंड बैंक (2002-2008) में रीजनल हेड क्रेडिट रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (2008-2012) में रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर हेड प्रोजेक्ट अकाउंट्स। वह वर्तमान में जैविक खेती के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

श्री नामग्याल वांगचुक
स्वतंत्र निदेशक
(12.11.2021 से प्रभावी)

श्री नामग्याल वांगचुक को 12 नवंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। वह पेशे से एक वकील हैं, जिन्हें सिविल/आपराधिक/वैवाहिक/ट्रिब्यूनल/कॉरपोरेट आदि में अभ्यास के विभिन्न क्षेत्रों में अधिवक्ता के रूप में 23 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 997 में कश्मीर विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 997 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और मार्च 998 से मार्च 2000 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अभ्यास अधिवक्ता के रूप में दिल्ली बार काउंसिल के रोल पर थे। उन्होंने 4998 से 2000 तक केसर दास बी एंड एसोसिएट्स के साथ एक सहयोगी के रूप में काम किया। उन्होंने अगस्त 2001 से अगस्त 2003 तक मुंसिफ/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में भी कार्य किया। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैनलबद्ध वकील हैं।

मुख्य वित्त अधिकारी

श्री अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ

कंपनी सचिव

सुश्री सुमन कालरा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

वरिष्ठ प्रबंधन

डॉ. पराग अग्रवाल
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री संजीव मिश्रा
समूह महाप्रबंधक
(प्रापण)

श्री सुनील कुमार
समूह महाप्रबंधक
(इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं)

श्री संदीप त्रिवेदी
समूह महाप्रबंधक (मा.सं.वि.)

श्री अवधेश कुमार
समूह महाप्रबंधक (सेवाएं)

श्री राजेश कुमार
समूह महाप्रबंधक (पर्यटन)

श्री गईसिंगम कबुई
समूह महाप्रबंधक (वित्त)

श्री सुधीश वी.सी.
समूह महाप्रबंधक
(इंटरनेट टिकटिंग सेंटर-II)

श्री एल. रवि कुमार
महाप्रबंधक (पर्यटन)

श्री राजेश राणा
महाप्रबंधक
(मोबाइल खानपान सेवाएं)

श्री साकेत चंद श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(रेल नीर परियोजना)

श्री सुधीर वॉरियर
महाप्रबंधक
(अन्य खानपान सेवाएं)

आंचलिक प्रमुख

श्री एस. एस. जगननाथन
समूह महाप्रबंधक
(दक्षिण जोन)

श्री राहुल हिमालियन
समूह महाप्रबंधक
(पश्चिम जोन)

श्री डी. नरसिंह राव
समूह महाप्रबंधक
(दक्षिण मध्य जोन)

श्री आशीष कुमार
समूह महाप्रबंधक
(उत्तर जोन)

श्री ज़फर आज़म
समूह महाप्रबंधक
(पूर्व जोन)

कॉरपोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

श्रीमती रजनी हसीजा,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार) और निदेशक
(पर्यटन एवं विपणन)

श्री अजीत कुमार,
निदेशक (वित्त) एव मुख्य वित्त अधिकारी

श्री देबाशीष चद्र
निदेशक (खानपान सेवाएं)
(18.01.2022 से)

श्री नीरज शर्मा
कार्यकारी निदेशक (यात्री
विपणन), रेलवे बोर्ड,
सरकारी नामित निदेशक

श्री विश्वनाथ शंकर
कार्यकारी निदेशक (योजना),
रेलवे बोर्ड,
सरकारी नामित निदेशक
(14.12.2021)

श्री विनय श्रीवास्तव,
कार्यकारी निदेशक (पीएसयू), रेलवे बोर्ड,
सरकारी नामित निदेशक
(12.09.2021 तक)

श्री विनय कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक
(09.11.2021 से)

श्री नामग्याल वांगचुक
स्वतंत्र निदेशक
(12.11.2021 से)

पूरक जानकारी

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री अजीत कुमार

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सुमन कालरा

वैधानिक लेखापरीक्षक
पीआर मेहता एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
(पंजीकरण नं. 000051एन)
901 नई दिल्ली हाउस
27 बाराखंभा रोड
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

आंतरिक लेखापरीक्षक
एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 708 सूर्य किरन
19 कस्तूरबा गांधी माग
दिल्ली – 110001

लागत लेखापरीक्षक
मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी 31,
कम्यूनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-I,
दिल्ली - 110052.

सचिवालीय लेखापरीक्षक
अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स (कंपनी
सचिवालयीन) एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी
नगर, दिल्ली-110092

पंजीकृत एंव कॉरपोरेट कार्यालय
बी-148, 11वां तल, स्टेट्स्मैन हाउस,
बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001

इंटरनेट टिकटिंग
न्यू ऑपरेशंस सेंटर, उत्तर रेलवे आरक्षण
कार्यालय, आईआरसीए परिसर,
स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली- 110 055.

पर्यटन कार्यालय
एम-13, पुंज हाउस, एम-ब्लॉक,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

रेल नीर प्लांट, नांगलोई
उत्तर रेलवे वायरलैस स्टेशन एरिया,
नांगलोई बस डिपो के सामने,
रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली- 110 041.

रेल नीर प्लांट, दानापुर
लोको कालोनी, साउथ आर.पी.एफ. बैरेक्स,
खगौल, दानापुर, पटना- 801 105.

रेल नीर प्लांट, पालुर
पालुर रेलवे स्टेशन ग्राम एवं पोस्टपालुर,
तालुक- चेंगलपट्टु,
जिला- कांचीपुरम (तमिलनाडु) - 603101

रेल नीर प्लांट, अंबरनाथ
जीआईपी डैम के निकट,
एजिशनल एमआईडीसी, पोस्ट आनंद नगर,
अंबरनाथ (पूर्व), जिला थाणे,
महाराष्ट्र - 421506

रेल नीर प्लांट, अमेठी
प्लॉट नं. सी-11 एवं 12,
यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया,
टकरिया गौरीगंज, जिला

रेल नीर प्लांट, पारसला
रेलवे यार्ड, न्यू पारसला रेलवे स्टेशन,
केरल -695502

रेल नीर प्लांट, बिलासपुर
प्लॉट नं. 22/23, सेक्टर-इ,
सिरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया,
जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495004

रेल नीर प्लांट, हापुड़
आई-2, इंडस्ट्रियल एरिया,
मसूरी गुलावठी रोड, हापुड़

रेल नीर प्लांट, नागपुर
डी-53, एमआईडीसी बुटी बोरी इंडस्ट्रियल
एरिया, जिलानागपुर

रेल नीर प्लांट, संकरेल
एफपी3/8, फूड पार्क,
फेज-III, संकरेल

रेल नीर प्लांट, भोपाल
प्लॉट नं.01, वेयरहाउसिंग कॉम्पलेक्स,
इंडस्ट्रियल एरिया, मंदीदीप, फेज-II,
जिला रायसेन, मध्य प्रदेश

रेल नीर प्लांट, जागी रोड
उत्तर खोला मौजा के अधीन
ग्राम बोरखल, अमलीघाट, मोरीगांव,
गुवाहटी (असम)

रेल नीर प्लांट, सानंद-II, अहमदाबाद
सानन-II, स्थित प्लॉट नं.668,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, अहमदाबाद

रेल नीर प्लांट, जबलपुर
प्लॉट नं.11, सेक्टर-ई,
आईजीसी मनेरी,
जिला मांडला (जबलपुर)

रेल नीर प्लांट, ऊना
प्लॉट नंबर - 5E(1), औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर,
जिला - ऊना (एच.पी.)

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तरी क्षेत्र

रेल यात्री निवास, भूमितल,
नई दिल्लीरेलवेस्टेशन, अजमेरी गेट साइड,
नई दिल्ली - 110 002.

पूर्वी क्षेत्र

ओल्ड कोयलाघाट बिल्डिंग (भूमितल),
3, कोयलाघाट स्ट्रीट,
कोलकाता - 700 001.

पश्चिमी क्षेत्र

द्वितीय तल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
मध्य रेलवे, सीएसटी, मुंबई - 400001.

दक्षिणी क्षेत्र

6ए, दि रेन ट्री प्लेस, 9,
मैक निकोलस रोड, चेटपेट, चेन्नै - 600 031.

दक्षिण मध्य क्षेत्र

तीसरातल, ऑक्सफोर्ड प्लाजा,
सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद,
आंध्र प्रदेश - 500003

वेबसाइट : www.irctc.com

ईमेल आईडी : investors@irctc.com

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया;
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक
यस बैंक
यूको बैंक
फेडरल बैंक
कर्नाटका बैंक
इंडसइंड बैंक
कोटक महिन्द्रा
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र करूर वैश्य बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
आरबीएल बैंक लिमिटेड
साउथ इंडियन बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
एयू स्माल फाइनेंस बैंक

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,

पता :

4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन,
झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली - 110055

ईमेल आईडी : rta@alankit.com

फोन नं. 011-42541234

शेयरों की सूचीबद्धता :

स्टॉक एक्सचेंज	स्क्रिप कोड/प्रतीक
बीएसई लिमिटेड	542830
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया	आईआरसीटीसी

डिपॉजिटरी :

नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

आईएसआईएन : INE335Y01020

दस वर्षीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012–13*	2013–14*	2014–15*	2015–16**	2016–17**	2017–18**	2018–19**	2019–20**	2020–21**	2021–22**
1	कुल आय	719.69	954.70	1,141.21	1,523.41	1,598.71	1,544.75	1,958.94	2,342.41	861.64	1,952.30
2	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	611.24	810.52	906.76	1,193.58	1,242.31	1,184.45	1,486.78	1,563.98	588.90	998.75
3	परिचालन सीमा	108.45	144.18	234.45	329.82	356.40	360.30	472.16	778.44	272.74	953.55
4	ब्याज खर्च	–	–	–	1.81	2.54	2.91	2.35	9.76	8.27	11.05
5	मूल्यह्रास	16.04	16.77	20.42	21.22	22.41	23.66	28.64	40.21	46.35	48.98
6	कर पूर्व लाभ	92.41	127.41	214.03	306.79	331.45	338.98	478.56	729.58	257.51	889.51
7	कर पश्चात् लाभ	58.84	72.01	130.63	197.30	214.69	219.52	308.56	513.11	187.03	663.69
8	घोषित लाभांश	11.77	14.40	26.13	75.45	84.68	88.81	122.37	200.00	80.00	280.00
9	विदेशी परियोजना रिजर्व	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	अन्य आरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	रिजर्व और अधिशेष	271.77	326.92	424.25	680.57	738.34	905.37	911.02	1,153.82	1,295.81	1,723.88
13	अचल परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	203.12	213.52	276.84	310.69	337.62	336.63	356.35	380.96	450.32	438.91
14	इन्वेंट्री	9.08	9.53	9.54	8.26	6.58	7.41	7.89	9.76	6.54	7.93
15	विदेशी मुद्रा आय	11.06	11.80	21.89	35.23	47.51	37.59	33.54	43.32	9.85	19.37
16	शेयर पूंजी	20.00	20.00	20.00	20.00	40.00	40.00	160.00	160.00	160.00	160.00
17	नियोजित पूंजी	291.77	346.92	444.25	700.57	778.34	945.37	1,071.02	1,313.82	1,455.81	1,883.88
18	सरकारी निवेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	कुल मूल्य	291.77	346.92	444.25	700.57	778.34	945.37	1,071.02	1,313.82	1,455.81	1,883.88
20	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ (% में)	31.67	36.73	48.18	43.79	42.58	35.86	44.68	55.53	17.69	47.22
21	नियोजित पूंजी का परिचालन मार्जिन (% में)	37.17	41.56	52.77	47.08	45.79	38.11	44.09	59.25	18.73	50.62
22	पूंजी शेयर के कर के बाद लाभ (% में)	294.19	360.05	653.15	986.48	536.73	548.80	192.85	320.69	116.89	414.81
23	व्यय से आय (% में)	84.93	84.90	79.46	78.35	77.71	76.68	75.90	66.77	68.35	51.16
24	कर्मचारियों की संख्या	1,725	1,672	1,511	1,483	1,494	1,464	1,509	1,446	1,417	1,408
25	प्रति कर्मचारी आय	0.42	0.57	0.76	1.03	1.07	1.06	1.30	1.62	0.61	1.39
26	प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा अर्जन	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01
27	वर्तमान अनुपात	1.20	1.45	1.55	1.96	1.80	1.60	1.55	1.61	1.76	1.87
28	ऋण/ इक्विटी अनुपात	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	निवेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

***आंकड़े तुलनपत्र के संशोधित अनुसूची VI प्रारूप के अनुसार हैं**

****आंकड़ें भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अनुसार हैं**

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के व्यवसाय और संचालन पर 23वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2022 (वित्तीय वर्ष 22) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा की गई टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए हमें गर्व और सौभाग्य की अनुभूति होती है। कंपनी के विस्तृत वित्तीय और परिचालन कार्यनिष्पादन को इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

(क) वित्तीय कार्यनिष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं नीचे उल्लिखित हैं :

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21	प्रतिशत वृद्धि/(कमी)
परिचालन से राजस्व	1,879.48	776.66	142.00
कुल आय	1,952.30	861.64	126.58
ईबीआइटीडीए (आपवादिक मदें पूर्व लाभ, वित्त लागत, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन)	953.56	272.74	249.62
मूल्यह्रास	48.99	46.35	5.70
कर पूर्व लाभ एवं आपवादिक मदें	893.52	218.12	309.64
कर पूर्व लाभ	889.51	257.51	245.43
कर के लिए प्रावधान	225.82	70.49	220.36
कर पश्चात लाभ	663.69	187.02	254.87
अंतरिम लाभांश	160	-	-
अंतिम लाभांश	120	80	50
सामान्य रिजर्व	35	35	-
रिजर्व और अधिशेष	1723.88	1295.81	33.04
निवल मूल्य	1883.88	1455.81	29.40
प्रति शेयर आय (₹)	8.30	2.34	254.70

(i) पूंजी संरचना

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन के कारण (जैसा कि नीचे दिए गए पैरा में समझाया गया है), कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 250 करोड़ रूपये थी जिसमें प्रत्येक 2/- रूपये के 125 करोड़ के इक्विटी शेयर और 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की पेड-अप शेयर पूंजी 160 करोड़ रूपये थी जिसमें 2/- रूपये के 80 करोड़ इक्विटी शेयरों शामिल है।

(ii) इक्विटी शेयरों का उप विभाजन/ विभाजन

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, रेल मंत्रालय और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, शेयरधारकों ने 29 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 22वीं वार्षिक आम बैठक में, कंपनी के प्रत्येक 10/- रूपये के एक (1) इक्विटी शेयर का 2/- रूपये के पांच (5) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया,और कंपनी के एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम के मौजूदा पूंजी अनुच्छेद V में परिणामी संशोधन (एमओए) किया। विनिमय यानी बीएसई और एनएसई और डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के अपेक्षित अनुमोदन के बाद, कंपनी को नया आईएसआईएन यानी आईएनई335वाई01020 आवंटित किया गया है। शेयर के अंकित मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव 28 अक्टूबर, 2021 (यानी पूर्व-रिकॉर्ड तिथि) से प्रभावी स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) पर शेयर की कीमत पर परिलक्षित हुआ था।

शेयरों के डीमटेरियलाइजेशन, डीमैट सस्पेंस अकाउंट/अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट का विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(iii) भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता (पीओआई)

कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 67.40% पर बना रहा है। हालांकि, कंपनी के इक्विटी शेयरों के सब-डिवीजन/विभाजन के बाद, इक्विटी शेयरों की संख्या के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता 2020-21 में प्रत्येक ₹ 10/- के 10,78,34,434 इक्विटी शेयर से बढ़कर 2021-22 में प्रत्येक ₹ 2/- के 53,91,72,170 इक्विटी शेयर हो गए।

इसके अलावा, कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के तहत निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) की आवश्यकता का अनुपालन करती है।

(iv) लाभांश

निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के लिए भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश निवल मूल्य का 5% या कर पश्चात लाभ का 30% जो भी अधिक हो होना चाहिए।

निदेशक मंडल ने फरवरी 2022 में ₹ 2/-प्रति इक्विटी शेयर (यानी ₹ 160 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी पर 100%) का अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जिसकी राशि ₹ 160 करोड़ के बराबर थी। उक्त अंतरिम लाभांश का भुगतान मार्च 2022 में सभी शेयरधारकों को किया गया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने मई, 2022 में आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2021-22 के लाभ में से, आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, ₹ 1.50/- प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात् ₹ 120 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 75%) के अंतिम लाभांश (अंतरिम लाभांश के अलावा) की सिफारिश की, जिसकी राशि क120 करोड़ के बराबर है।

इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश ₹ 280 करोड़ होगा, यानी 2021-22 के लिए कर-पश्चात लाभ का 42.19% और 31 मार्च, 2022 को शुद्ध मूल्य का 14.86%।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के विनियम 43ए की आवश्यकताओं के पालन में, आपकी कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है और कंपनी की वेबसाइट के वेब लिंक https://irctc.com/assets/images/IRCTC_DIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-31.07.2019_CB%20Comments%20[05.08.2019].pdf पर उपलब्ध है।

(v) रिज़र्व में हस्तांतरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने ₹ 35 करोड़ को सामान्य रिज़र्व में हस्तांतरित किया।

(vi) स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) में आईआरसीटीसी की रैंकिंग

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2019 में आईआरसीटीसी ने बाजार में अपनी शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में, शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में अपना स्थान बनाया जो 31 मार्च 2022 को कंपनी के बाजार पूंजीकरण के आधार पर है। कंपनी वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में बीएसई और एनएसई पर क्रमशः 81वें और 79वें स्थान पर है।

(vii) कंपनी का रेल मंत्रालय को राजस्व हिस्सेदारी के माध्यम से योगदान

कंपनी रेल मंत्रालय (एमओआर) को राजस्व हिस्सेदारी के माध्यम से योगदान देती है और योगदान का कुल हिस्सा पिछले वर्ष के दौरान ₹ 155.83 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹ 419.67 करोड़ था। रेल मंत्रालय को राजस्व के योगदान में ढुलाई शुल्क, रेलवे का हिस्सा और लाभांश शामिल हैं।

(ख) इंटीग्रल रिपोर्ट:

निम्नलिखित तालिका में दिखाई गई रिपोर्ट, प्रासंगिक उप-परिशिष्टों सहित निदेशक रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है और क्रमशः उनके परिशिष्टों के साथ लगाया गया हैं :

रिपोर्ट का नाम	अनुबंध
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	"क"
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट	"ख"
सीएसआर और सतत गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	"ग"
व्यापार उत्तरदायित्व और सतत रिपोर्ट	"घ"
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	"ङ"
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	"च"
फॉर्म एओसी-2	"छ"

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के मामलों का अवलोकन इसकी कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, कारोबारी माहौल, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय और खंड-वार परिचालन कार्यनिष्पादन, शक्तियां, अवसरों, बाधाओं, रणनीति और जोखिम और चिंताओं के साथ साथ मानव संसाधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख होता हैं [**अनुबंध-"क"**]।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट में कॉरपोरेट गवर्नेंस के दर्शन और कंपनी के प्रमुख मूल्यों पर प्रकाश डालती है, इसके निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना, उनके विवरण सहित 2021-22 के दौरान बोर्ड में शामिल होने वाले निदेशकों की प्रोफाइल, निदेशक आदि की उपस्थिति और पारिश्रमिक आदि, अन्य प्रासंगिक प्रकटीकरण और शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी [**अनुबंध-"ख"**] यह निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्रों द्वारा परिपूर्ण है:

i. सभी निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (**परिशिष्ट-"ख1"** पर संलग्न);

ii. वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, अपेक्षित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक, वित्त (सीएफओ) का प्रमाणपत्र (**परिशिष्ट-"ख2"** पर संलग्न);

iii. कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट-"ख3"** पर संलग्न);

iv. कंपनी के निदेशकों को अपात्र नहीं ठहराए जाने के संबंध में कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट-"ख4"** पर संलग्न)।

सीएसआर और सतत गतिविधि पर वार्षिक रिपोर्ट – यह कंपनी की सीएसआर और सतत नीति का संक्षिप्त वर्णन, सीएसआर समिति की संरचना, विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, निर्धारित सीएसआर व्यय और वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की गई गतिविधियों / परियोजनाओं पर खर्च किए गए सीएसआर का विवरण प्रदान करती है [**अनुबंध–"ग"**]।

व्यापार उत्तरदायित्व और सतत रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार, बाजार पूंजी (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना के अनुसार) के आधार पर शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध उद्यम इसकी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल होंगे जिसमें एक व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट में पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन के दृष्टिकोण से किए गए उपायों का समय–समय पर सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में उल्लेख किया जाता हैं। हालांकि, सेबी ने 05 मई, 2021 की अपनी अधिसूचना के तहत यह प्रावधान किया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बाद और उसके बाद, वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रभाव से, उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध उद्यम समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में बाजार पूंजीकरण पर आधारित एक व्यापारिक उत्तरदायित्व और सतत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेबी ने यह भी प्रावधान किया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भी, शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध उद्यम अनिवार्य व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के स्थान पर स्वेच्छा से व्यापारिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तदनुसार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी, 31 मार्च 2022 को, मानदंड के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध उद्यमों में से एक है, व्यापारिक उत्तरदायित्व और सतत रिपोर्ट स्वैच्छिक आधार पर तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के साथ **अनुबंध–"घ"** के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014, के साथ पठित के अनुसरण में, आईआरसीटीसी ने मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कंपनी सचिवीय की एक स्वतंत्र प्रैक्टिसिंग फर्म को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–"च"** के रूप में संलग्न है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की वर्ष 2021–22 के लिए वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणी/कथनों पर प्रबंधन के उत्तर को **अनुबंध–"छ"** पर लगाया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के अनुच्छेद (एच) और कम्पनिया (लेखा) नियम के नियम (8) के तहत निर्धारित फॉर्म **एओसी–2 अनुबंध–"ज"** पर संलग्न है।

(ग) आईआरसीटीसी पर कोविड–19 का प्रभाव: चुनौतियों का सामना:

भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत में सेवा क्षेत्र के बीच विकास के प्रमुख चालकों में से एक के रूप में बहार आया है। समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, पारिस्थितिकी में विविधता, देश भर में फैले क्षेत्रों और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों को देखते हुए भारत में पर्यटन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। कई अन्य देशों की तरह पर्यटन भी भारत में विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2016 से 2019 तक विदेशी मुद्रा आय 7% की सीएजीआर से बढ़ी लेकिन 2020 में कोविड–19 महामारी के कारण कमी आ गई।

समग्र रूप से सेवा क्षेत्र मार्च–मई 2020 के दौरान लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन और अप्रैल–मई 2021 में दूसरी कोविड लहर के दौरान स्थानीय लॉकडाउन के प्रभाव से बहार आने की प्रक्रिया में है, हालांकि कुछ उप–क्षेत्रों पर प्रभावित रह सकते है। 2021–22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र 10.8 प्रतिशत से बढ़ा। वित्त वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही में सेवाओं का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) पूर्व–महामारी के स्तर को पार कर गया है, इसे देखते हुए रिकवरी अधिक स्पष्ट है। हालांकि, एक संपर्क गहन उप–क्षेत्र होने के कारण, 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं' का जीवीए अभी भी अपने पूर्व–महामारी स्तर से नीचे है। 2021–22 में समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की अपेक्षा है, हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार निकट अवधि के लिए अनिश्चितता सीमा लाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मानव संपर्क की आवश्यकता होता है।

कंपनी ने कोविड–19 के प्रभाव से लड़ने के लिए किए गए सभी उपायों की नजदीक से निगरानी की और जीत हासिल की, जिसे वित्त वर्ष 2022 के दौरान इसके वित्तीय और परिचालन कार्यनिष्पादन के माध्यम से देखा जा सकता है। क्षेत्रवार पहलों का विवरण नीचे उल्लिखित है:

- **खानपान**

  यात्रियों को गुणवत्ता युक्त, पैसे के महत्त्व युक्त, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयास का पालन करते हुए, आईआरसीटीसी ने लॉकडाउन चरणबद्ध रूप से हटाने के साथ अपना स्थिर तालमेल बनाए रखा जिसमें यात्रियों की ऑफबोर्ड खानपान तथा आतिथ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अपनी खानपान और आतिथ्य सेवाओं के माध्यम से पूरा किया। भारत सरकार/राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के साथ, आईआरसीटीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (चेक्क्रश्च) द्वारा समय–समय पर निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन करते हुए अपने स्थिर खानपान यूनिट जैसे जन आहार, रिफ्रेशमेंट कक्ष, सेल किचन, फूड प्लाजा एवं फास्ट फूड यूनिटों का परिचालन शुरू किया। वित्तीय वर्ष के अंत तक भोजन के साथ मोबाइल केटरिंग की सेवाएं पूरी तरह से पुनःस्थापित कर दी गईं। कंपनी ने यात्रियों के लिए सुविधाएं भी सुनिश्चित की है जैसे इनवॉइस और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने – पीओएस और ई–पेमेंट अनुप्रयोग।

- **पर्यटन**

भारत की सुंदरता और विविधता और इसकी पर्यटन क्षमता बहुत अधिक है। अपनी समृद्ध और विविध ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ, भारत दुनिया के कई आकर्षक पर्यटन स्थलों का निवास है। देश के भूगोल और स्थलाकृति में दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता है।

भारत में पर्यटन का आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समान रूप से मजबूत प्रासंगिकता है। वैश्वीकरण और बुनियादी ढांचे और पर्यटन सुविधाओं के मामले में देश में समग्र विकास के साथ, भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन 2003 में प्रति वर्ष 3 मिलियन से बढ़कर 2019 में लगभग 11 मिलियन हो गया है, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा 2.74 मिलियन (-75%) तक घट गया है।). वहीं, घरेलू पर्यटकों की यात्रा भी महामारी से प्रभावित हुई है, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी और चौथी तिमाही में बेहतर स्थिति के साथ, 7.29 मिलियन घरेलू पर्यटकों ने देश भर में यात्रा की।

महामारी से पहले, वैश्विक यात्रा और पर्यटन (इसके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों सहित) व्यापार क्षेत्र में 2014-19 की अवधि के दौरान यात्रा और पर्यटन द्वारा सृजित सभी नई नौकरियों में 4 में से 1 का योगदान था, जबकि 2020 में, 11 में से 1 नौकरी दुनिया भर में बनी थी। 2019 में यात्रा और पर्यटन से जीडीपी में कुल योगदान वैश्विक जीडीपी का 10.4% (9.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जबकि 2020 में यह घटकर वैश्विक जीडीपी का 5.5% (4.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया है।

उद्योग मंडल सीआईआई और हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग फर्म होटेलीवेट के एक अध्ययन के अनुसार, महामारी ने भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग को गंभीर झटका दिया है और इस क्षेत्र से जुड़ी पूरी मूल्य श्रृंखला को लगभग ₹ 5 लाख करोड़ या 65.57 बिलियन का नुकसान होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र संगठित क्षेत्र को 25 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। कुल मिलाकर, महामारी के कारण, भारतीय यात्रा और पर्यटन उद्योग लगभग 38 मिलियन की नौकरी क्षति होने की संभावना देख रहा है।

2020 में, जीडीपी में यात्रा और पर्यटन उद्योग का योगदान 121.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था; यह 2028 तक 512 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना अपेक्षित है। भारत में, उद्योग का जीडीपी में प्रत्यक्ष योगदान 2019 और 2028 के बीच 10.35% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है।

इसलिए, तथ्यों और अनुभव पर निर्मित रणनीतिक दृष्टिकोण लेने और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने का महत्व, सफल प्रबंधन और संकट की तेजी से पुन:प्राप्ति के लिए केंद्रीय बना हुआ है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) ने कोविड -19 के बाद क्षेत्र को वापस परिचालन में सक्षम बनाने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन की सिफारिश की है जैसे यात्रा सुविधा में सुधार, बाधाओं को दूर करना, राजकोषीय नीतियों को आसान बनाना, प्रोत्साहन के साथ-साथ गंतव्यों का समर्थन शुरू करना। क्षेत्र की पुन:प्राप्ति का समर्थन करने के लिए, डब्ल्यूटीटीसी ने उपभोक्ताओं के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से वैश्विक प्रोटोकॉल लॉन्च किए हैं ताकि प्रतिबंध हटने के बाद वे सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें।

आगे का मार्ग अनिश्चित दिखाई दे सकता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि मार्ग में आने वाली चुनौतियों को यात्रा और पर्यटन में अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्षेत्र पिवट करेगा और अंततः मजबूत वापसी के अनुकूलित होगा।

मांग के दृष्टिकोण से, कोविड-19 यात्री के झुकाव और व्यवहार को परिचित, अनुमानित, विश्वसनीय और यहां तक कि कम जोखिम की ओर बदल रहा है। घरेलू और क्षेत्रीय छुट्टियां, व्यापक शोध और योजना, और बाहरी पर्यटन अल्पावधि में शीर्ष पर होंगे, पर्यटन व्यवसाय और गंतव्य पहले से ही तदनुसार अनुकूल होंगे। मांग बढ़ाने के लिए सक्रिय संचार महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इन बदलाव की लंबी अवधि अभी भी अज्ञात है, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में प्रचलित व्यापार मॉडल पर पुनर्विचार और पुनश्चर्या करने का एक अनूठा अवसर है।

यात्रा और पर्यटन एक अत्यधिक स्थिति-स्थापक क्षेत्र है और हमारे जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। मौजूदा रुझान आशा देनेवाले हैं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सुरक्षित रूप से बहाल करने और एक ऐसे क्षेत्र की रक्षा करने के लिए देशों के बीच स्पष्ट नियमों और समझौतों की आवश्यकता है जो वैश्विक आर्थिक सुधार को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कोविड-19 महामारी ने पर्यटन उद्योग को प्रभावित किया है। सितंबर 2021 में, पर्यटन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देने की योजना की घोषणा की और औपचारिक प्रोटोकॉल पर चर्चा चल रही है। पिछली घोषणाओं के अनुसार, पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को मुफ्त वीजा जारी किया जाएगा।

- **इंटरनेट टिकटिंग**

वर्ष के दौरान टिकट बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई जिसमें 21 मार्च 2022 को एक दिन में 15.88 लाख टिकटों की रिकॉर्ड बुकिंग हुई। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान औसत टिकट बुकिंग प्रति दिन 11.44 लाख टिकट थी, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रति दिन 4.80 लाख टिकटें बुक हुई थी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग में यह महत्वपूर्ण वृद्धि यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने के साथ-साथ भारतीय रेलवे द्वारा कोविड स्थिति में सुधार के साथ ट्रेन परिचालन को सामान्य स्थिति में पुनःस्थापित करने के कारण हुई है।

- **रेलनीर**

कैप्टिव रेल यात्री बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आईआरसीटीसी ने वर्ष 2003 में रेल नीर बोतलबंद पीने के पानी की शुरुआत की जिसका प्रथम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली में स्थित हैं। इसके बाद, और प्लांट जोड़े गए और वर्तमान में देश भर में फैले 14.80 लाख लीटर प्रतिदिन की कुल उत्पादन क्षमता वाले पंद्रह परिचालक प्लांट रेल यात्रियों के लाभ के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को रेल नीर की आपूर्ति कर रहे हैं। आईआरसीटीसी के पूंजीगत समर्थन से पीपीपी मॉडल पर पांच और प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। अपेक्षा है कि 2022-23 तक कुल निर्माण क्षमता बढ़कर लगभग 18-20 लाख बोतल प्रतिदिन हो जाएगी।

पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय अस्पताल और केंद्र/राज्य सरकारों के फ्रंट लाइन कर्मियों के लिए रेल नीर की आपूर्ति की गई थी। कोविड-19 महामारी ने कंपनी के रेल नीर परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि रेल नीर विशेष रूप से गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर स्टालों में बेचा जाता है। गाड़ियों के और स्टेशनों पर स्टॉल सेवाओं के निलंबन/समाप्ति से रेल नीर का उत्पादन और बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप कोविड के पूर्व वर्ष की तुलना में उत्पादन में गिरावट और रेल नीर की बोतलों की बिक्री में कमी आई है।

हालाँकि, प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के साथ, कंपनी ने रेल नीर की बोतलों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने के लिए पहल की है और चल रहे रेल नीर प्लांट के काम को भी फिर से शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2020-21 में 7.52 करोड़ बोतलों की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में रेल नीर का उत्पादन 19.86 करोड़ बोतल हुआ था।

(घ) परिचालनिक कार्यनिष्पादन:

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का क्षेत्रवार परिचालन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

(i) खानपान और आतिथ्य-सत्कार;

(ii) यात्रा और पर्यटन;

(iii) इंटरनेट टिकटिंग;

(vi) बोतलबंद पीने का पानी (रेल नीर)

(i) खानपान और आतिथ्य-सत्कार

आईआरसीटीसी के खानपान और आतिथ्यसत्कार क्षेत्र निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

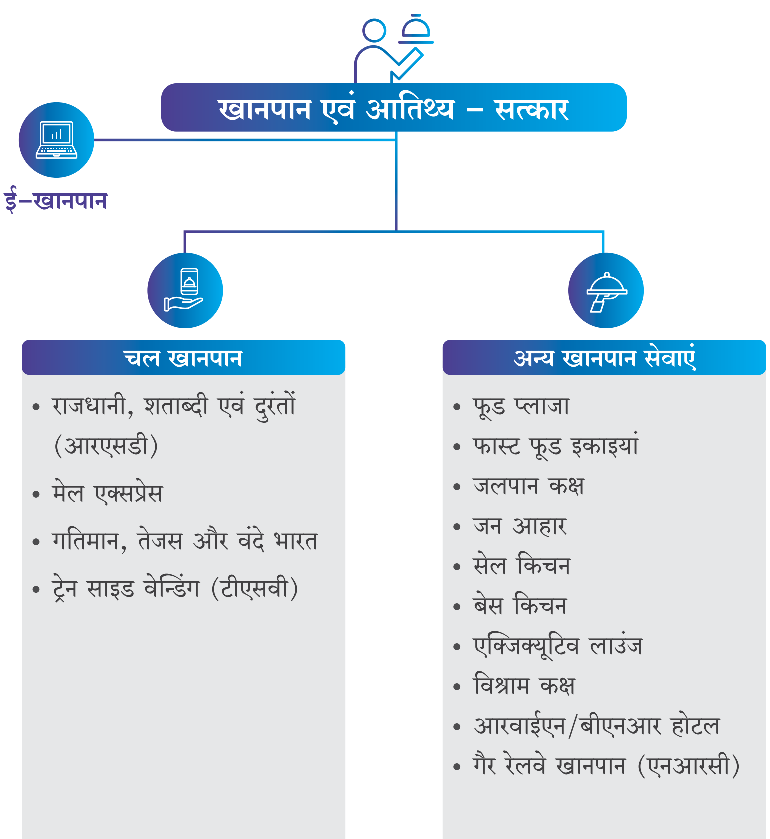

- **मोबाइल खानपान**

मोबाइल खानपान गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं की व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण करता है। मोबाइल खानपान गाड़ी में लगे पेंट्री कार/मिनी पैंट्री (ऑन-बोर्ड स्टोरेज, रीहीटिंग और कूलिंग सुविधा के साथ) से उपलब्ध कराया जाता हैं या उन गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के माध्यम से जिनमें पैंट्री कार/मिनी पैंट्री नहीं होती है। गाड़ियों में सर्विस के लिए भोजन प्रारंभिक/मार्गस्थ स्टेशनों से लिया जाता है और यात्रियों को परोसा जाता है।

31 मार्च, 2022 को आईआरसीटीसी ने 391 गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं प्रदान कीं।

कोविड-19 महामारी के कारण, नियमित राजधानी, तेजस, गतिमान, वंदे भारत, शताब्दी, दुरंतो और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के प्रमुख भाग के दौरान निलंबित रहा। इस दौरान यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रेलवे द्वारा विशेष गाड़ियों का संचालन किया जा रहा था। आईआरसीटीसी केवल रेडी टू ईट (आरटीई) भोजन और पैक्ड आइटम प्रदान करके इन विशेष गाड़ियों की ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन कर रहा था।

नवंबर 2021 से रेलवे ने नियमित गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है और सभी गाड़ियों में पके भोजन की सेवा भी शुरू कर दी गई है। 2021-22 की अंतिम तिमाही के दौरान पके हुए भोजन के पुनःप्रारम्भ के परिणामस्वरूप खानपान क्षेत्र के राजस्व और लाभ में वृद्धि हुई है।

- **ट्रेन-साइड वेंडिंग**

बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें पेंट्री कार या मिनी पैंट्री नहीं हैं। ऐसी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग के माध्यम से आईआरसीटीसी द्वारा ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में सेवादारों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था शुरुआती और मार्गस्थ स्टेशनों से की जाती है।

प्रक्रिया को तेज करने और राजस्व को अधिकतम करने के लिए आईआरसीटीसी ने केंद्रीकृत एंड टू एंड टीएसवी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्थाएं सेक्शनल टीएसवी के अंतर्गत आने वाली 363 गाड़ियों के अतिरिक्त हैं। इस निर्णय से ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने में मदद मिली है और खानपान क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिली है।

31 मार्च, 2022 को आईआरसीटीसी 486 गाड़ियों में ट्रेन साइड वेंडिंग व्यवस्था (क्षेत्रीय/एक सिरे से आखिरी सिरे तक) के माध्यम से ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है।

- **गुणवत्ता नियंत्रण**

यात्रियों को मानक गुणवत्ता वाले भोजन और सेवा में सुधार करने के लिए आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित कार्यप्रणाली स्थापित की हैं।

- **नियमित और औचक निरीक्षण:**

  आईआरसीटीसी के ज़ोन के अधिकारियों और रेलवे के नामित अधिकारियों द्वारा गाड़ियों एवं और आईआरसीटीसी की स्थैतिक इकाइयों में औचक निरीक्षण किए जाते है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों पर आवश्यक निवारक कार्रवाई की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान करीब 40600 निरीक्षण किए गए थे।

- **खाद्य नमूनाकरण:**

  इस परीक्षण समय में स्वच्छता मानकों और न्यूनतम हाथ संपर्क सुनिश्चित करने के लिए, पके हुए भोजन को एमआरपी-आधारित खाने के लिए तैयार (आरटीई) भोजन और अन्य प्रोप्राइटी आर्टिकल डिपो (पीएडी) स्नैक्स से बदल दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन उपभोग के लिए सुरक्षित है और इसमें कोई हानिकारक संदूषक नहीं है, आरटीई और पीएडी वस्तुओं के खाद्य नमूनों का परीक्षण किया जाता है, इसे एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से परीक्षण के लिए नमूने भेजकर एफएसएसएआई मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 37 खाद्य नमूने एकत्र किए गए और एनएबीएल प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया गया।

- **तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा एवं हाइजीन लेखा परीक्षा:**

  आईआरसीटीसी द्वारा तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता लेखा परीक्षा किया जाता हैं ताकि स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता, बुनियादी-सुविधाओं की सुविधा, एफएसएसएआई नियमों के कार्यान्वयन आदि पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी के कारण यह अभ्यास नहीं किया जा सका। इसलिए, आने वाले वर्ष में सभी गाड़ियों और स्थैतिक इकाइयों में तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता लेखा परीक्षा आयोजित किए जाएंगे।

- **ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण:** आईआरसीटीसी द्वारा तृतीय पक्ष ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया जाता है ताकि प्रतिष्ठित पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की प्रतिक्रिया और राय प्राप्त की जा सके। वित्त वर्ष 22 के लिए यह कोविड -19 महामारी के कारण नहीं किया जा सका। हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 में इसे शुरू करने की योजना है।

- **खानपान पर्यवेक्षकों की ऑन-बोर्ड तैनाती:** आईआरसीटीसी ने एक सिरे से आखिरी सिरे तक सभी प्रीमियम गाड़ियों में खानपान सेवाओं की निगरानी और सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां की सेक्शनल निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों/खानपान सहायकों को तैनात किया है। ऑन-बोर्ड के निगरानी कर्मचारी भी वास्तविक समय के आधार पर यात्रियों की शिकायतों का समाधान करते है।

- **ऑन-लाइन पैनल:** महामारी के समय में, प्रोटोकॉल जैसे सामाजिक दूरी, स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने और व्यापार करने में आसानी का पालन किया गया। इसलिए, सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लाने के लिए, आईआरसीटीसी ने प्रोप्राइटी आर्टिकल डिपो (मालिकाना सामग्री डिपो)(पैड) और खाने के लिए तैयार (आरटीई) उत्पाद के लिए ऑनलाइन पैनल प्रक्रिया शुरू की है। कोई भी आवेदक अपने कार्यालय या घर से पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकता है और अपने उत्पाद की आईआरसीटीसी को एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अर्थात www.irctc.com.html पर पैनल में शामिल कर सकता है आवेदक को समयबद्ध प्रक्रिया में आवेदन का परिणाम सूचित किया जाता है।

- **एमएसएमई/स्टार्ट-अप की भूमिका:** एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के तहत, आईआरसीटीसी ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप फर्मों के बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छूट प्रदान की हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में,

आईआरसीटीसी ने एमएसएमई/स्टार्ट-अप फर्मों द्वारा प्रचारित 13 ब्रांडों को भारतीय रेलवे नेटवर्क पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया।

- **शिकायत की निगरानी:** यात्री खानपान सेवाओं के विरुद्ध 'रेल मदद' मॉड्यूल पर प्रतिक्रिया दे सकता है या शिकायत दर्ज कर सकता है, जो यात्री को मोबाइल ऐप/वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए कई अन्य विभिन्न तरीके हैं जैसे सीपीजीआरएएम, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, शिकायत पुस्तकें आदि।

आईआरसीटीसी द्वारा एक निगरानी दल नामित है जो संबंधित विभाग/विभागों को शिकायत फीडबैक डेटा अग्रेषित करता है और सोशल मीडिया पर यात्रियों को अंतरिम जवाब देता है। समेकन उद्देश्य के लिए आईआरसीटीसी से संबंधित शिकायतें/फीडबैक ई सीएसआईएम (खानपान सेवा सूचना प्रबंधन) पर दर्ज की जाती हैं।

- **शिकायत निवारण:** आईआरसीटीसी ने अपने ई-सीएसआईएम प्लेटफॉर्म पर खानपान संबंधी 5596 शिकायतें दर्ज कीं और इस अवधि के दौरान सभी शिकायतों का निपटान कर दिया गया।

NSDL Mobile App is available on
App Store
Google Play

- **क्यूआर कोड:** यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तकनीकी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए क्यूआर कोड की अवधारणा शुरू की गई जिसमे पकाने की तिथि, रसोई का नाम, एफएसएसएआई, वजन, लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग लिंक आदि की जानकारी प्रदान की है। रेल मंत्रालय द्वारा गाड़ियों में पके हुए भोजन की सेवा पुनः शुरू होने के बाद उसी का पुनःस्थापन प्रक्रियान्तर्गत हैं।

- **सीसीटीवी निगरानी:** आईआरसीटीसी ने पके हुए भोजन के स्वच्छता स्तर और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी रसोई इकाई में सीसीटीवी कैमरा लगाए है जोकि कॉर्पोरेट कार्यालय और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में रसोई इकाइयों/बेस किचनों की 24X7 निगरानी रखी जाती हैं। पके हुए भोजन को पुनः शुरू करने के बाद, सीसीटीवी लाइव फीड पुनःप्राप्त किया जाएगा।

- **पीओएस हैंडहेल्ड बिलिंग मशीन:** अधिक मूल्य लेने को समाप्त करने के लिए, आईआरसीटीसी ने अपने वेंडरों को पीओएस मशीनों के द्वारा इनवॉइस जारी करना अनिवार्य कर दिया है। ये मशीनें चलती गाड़ी सहित हर लेनदेन के लिए बिल जारी करने में सक्षम हैं। यह उचित लेखा प्रणाली और नियंत्रण भी सुनिश्चित करता है। वर्तमान में, सभी इकाइयों, मोबाइल और स्थैतिक में पीओएस के माध्यम से बिल देने की व्यवस्था है। प्रयास किया गया है कि सभी गाड़ियों, ट्रेन-साइड वेंडिंग आदि में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत नकदी रहित लेनदेन की व्यवस्था हैं। 31.03.2022 तक, 2270 पीओएस मशीनें पैंट्री कारों और टीएसवी गाड़ियों के 867 रेक में उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा, 581 पीओएस मशीनें आईआरसीटीसी के तहत 474 परिचालनिक स्थैतिक इकाइयों, रिफ्रेशमेंट कक्ष, जन आहार, सेल किचन, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, रिटायरिंग रूम, एक्जीक्यूटिव लाउंज और आरवाईएन/बीएनआर होटलों में उपलब्ध कराई गईं।

स्थैतिक खानपान:

स्थैतिक खानपान इकाइयां में पूरे देश भर में रेलवे स्टेशनों पर स्थित रेलवे संस्थानों की स्थैतिक इकाइयों में संरक्षकों को खानपान सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- जन आहार (क्षेत्रीय और स्थानीय वस्तुओं वाले सस्ते कॉम्बो भोजन परोसने वाली इकाइयां);
- सेल किचन (गाड़ी या स्थैतिक इकाइयों को भोजन की आपूर्ति करने वाले मिनी बेस किचन);
- अल्पाहार गृह (ऐसी इकाइयां जहां ए-ला-कार्टे आइटम, खाने के लिए तैयार भोजन और भोजन की थाली परोसी जाती है)
- फूड प्लाजा;
- फास्ट फूड यूनिट; तथा ;
- फूड कोर्ट।

31 मार्च 2022 तक आईआरसीटीसी द्वारा 180 **अल्पाहार गृह** 55 **जन आहार** और 06 **सेल किचन** का प्रबंधन किया गया हैं। ये इकाइयां रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं और सस्ते खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं। इन इकाइयों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची इनके मूल्यसूची के साथ रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इन इकाइयों से सामान्यतः यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं और कभी-कभी चलती गाड़ियों में भोजन की आपूर्ति की जाती हैं।

फूड प्लाजा (एफपीएस)/फास्ट फूड यूनिट्स (एफएफयूएस)/फूड कोर्टः

फास्ट फूड इकाइयां बड़ी इकाइयां हैं, जहां सेल्फ सर्विस काउंटरों द्वारा फास्ट फूड पदार्थ बेचे जाते हैं। इन आउटलेट्स में पैकेटों में खाद्य पदार्थ ले जाने के लिए ग्राहकों को पैकेटबंद खाना दिया जाता है। फूड प्लाजा बहु-व्यंजन प्लाजा हैं जहा खाने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। फूड कोर्ट एक नामांकित स्थान पर स्टालों का समूह है, जहां ब्रांडेड उत्पाद/खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं।

फूड प्लाजा / फास्ट फूड यूनिट व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां मूल्य बाजार-संचालित होती हैं। फूड प्लाज़ा में सामान्यतः एक ही छत के नीचे, आरामदेह वातावरण में अच्छे माहौल के साथ मल्टी-क्यूज़ीन भोजन प्रदान करते हैं और कॉमन किचन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। 31.03.2022 तक, आईआरसीटीसी ने 306 **फूड प्लाज़ा/फ़ास्ट फूड इकाइयों का प्रबंधन किया**।

फूड प्लाजा- चर्च गेट

फूड प्लाजा- कोयम्बटूर

फूड प्लाजा- नई दिल्ली

फूड प्लाजा- सियालदह

फास्ट फूड यूनिट– चेन्नई सेंट्रल

फास्ट फूड यूनिट– चेन्नई सेंट्रल

फास्ट फूड यूनिट– नेल्लोर

फास्ट फूड यूनिट– मानसी

फूड प्लाजा– एर्नाकुलम साउथ

फूड प्लाजा– बैंगलोर गार्डन

ई–खानपान

आईआरसीटीसी ने यात्रा के दौरान गुणवत्तापूर्ण और विस्तृत श्रेणी के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा स्टेशनों पर गाड़ियों में भोजन वितरण के लिए अपना नया ई–कैटरिंग ऐप की शुरुआत की है। गूगल प्ले और आईट्यून्स से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, यात्री अब अपने एंड्रॉइड या आईओएस स्मार्ट फोन पर आसानी से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के फूड पार्टनर्स से गाड़ियों में स्वादिष्ट लेकिन सस्ते फूड डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं। ई–कैटरिंग के तहत बुक किए गए भोजन की कीमतें बाजार––संचालित होती हैं, जहां रेस्तरां मेन्यू तय करता है।

इस नए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के साथ, यात्री गाड़ी में भोजन का आर्डर दे सकते हैं वो भी मात्र अपने यात्रा विवरण जैसे पीएनआर नंबर, गाड़ी का नाम, सीट/बर्थ नंबर दर्ज करके और गाड़ी में स्वादिष्ट और त्वरित फूड डिलीवरी की उम्मीद कर सकते हैं। गाड़ी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की यह प्रभावी प्रणाली न केवल आपकी सीट पर स्वादिष्ट भोजन की गारंटी देती है, बल्कि आपकी यात्रा को थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए एक नया रेलवे भोजन मेनू भी प्रदान करती है। स्टेशनों पर कई फूड एग्रीगेटर्स के साथ, यात्री अब उत्तर भारतीय से लेकर दक्षिण भारतीय तक, पिज्जा से लेकर मुंह में पानी लाने वाली बिरयानी, बटर चिकन और चाइनीज व्यंजनों आदि के व्यापक समूह का आनंद ले सकते हैं।

1 फरवरी, 2021 से ई–खानपान सेवाओं को पुनःशुरू कर दिया गया है और केंद्र/राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से ई–खानपान अम्ब्रेला के तहत और स्टेशनों को जोड़ा जा रहा है।

आईआरसीटीसी ई–खानपान ने बी2सी भागीदारों के साथ एकीकरण किया है। कुछ को पहले ही लाइव कर दिया गया है जैसे इक्सिगो, कंफर्मटिकट, मेक माय ट्रिप, यात्रा, पेटीएम आदि ताकि ग्राहकों तक पहुंचने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके।

ई–केटरिंग सेवाओं से जुड़े कुछ प्रमुख ब्रांड डोमिनोज पिज्जा, केएफसी, सबवे, हल्दीराम, फासोस, बिरयानी ब्लूज, ए2बी, सर्वना भवन, निरुला आदि हैं।

ई–खानपान का विकास

* प्रति दिन बुक किए गए औसत भोजन

ई-खानपान ने पुनः शुरू होने के बाद ऑॅर्डर लेना शुरू कर दिया है और मार्च, 2022 में ई–खानपान के माध्यम से बुक किए गए भोजन प्रति दिन 24,813 भोजन थे।

एग्जीक्यूटिव लाउंज

31 मार्च, 2022 तक, आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड और अजमेरी गेट साइड), आगरा कैंट जयपुर अहमदाबाद मदुरै सियालदह और वाराणसी में 08 एक्जीक्यूटिव लाउंज स्थापित किये हैं। एग्जीक्यूटिव लाउंज के विशाल माहौल के अलावा, कई अन्य सुविधाएं यात्रियों को मामूली शुल्क पर प्रदान की जाती हैं, जैसे रिक्लाइनिंग सोफे, बफे सर्विस में भोजन, वाई–फाई इंटरनेट सेवाएं, शॉवर की सुविधा आदि। ये एग्जीक्यूटिव लाउंज अपनी तरह के सम्पूर्ण वातानुकूलित सुविधा है, जहां रेल यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा करने के लिए ठहर सकते हैं।

कार्यकारी लाउंज, वाराणसी

कार्यकारी लाउंज, मदुरै

एग्जीक्यूटिव लाउंज, सियालदह

कार्यकारी लाउंज, अहमदाबाद

विश्रामालय

रेलवे स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएं और उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से गाड़ी आगमन के बाद/प्रस्थान से पूर्व प्रभावी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को रेलवे स्टेशनों पर स्थित विश्रामालयों के नवीनीकरण करके उनका संचालन और रखरखाव करने के आदेश दिए है। आईआरसीटीसी ने आतिथ्य सत्कार क्षेत्र के प्रतिष्ठित फर्मों/कंपनियों के माध्यम से सभी "ए-1" और "ए" श्रेणी के स्टेशनों पर नवीनीकरण कार्य हाथ में लिया, ताकि विश्रामालयों को स्टार होटलों जैसी सुविधाओं के साथ अपग्रेड करके सुविधाएं उचित किरायों पर दी जाए।

विश्रामालयों में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं में वातानुकूलित कक्ष और शयनगृह, गुणवत्ता वाली लीनन, सामान के लिए लॉकर सुविधा, एलईडी टेलीविजन, समस्त मूलभूत सुविधाओं जैसे डब्ल्यूसी, गीजर, शॉवर आदि के साथ बाथरूम, पैंट्री और हाउसकीपिंग सेवाएं शामिल हैं। नवीनीकृत विश्रामालयों की यात्रियों द्वारा सराहना और प्रशंसा की जाती है। 31 मार्च, 2022 तक 21 स्टेशनों यानी वडोदरा, बिलासपुर, थिविम, मडगाँव, काचीगुडा, उडुपी, सियालदह, तिरुचिरापल्ली, जयपुर, लखनऊ, मदुरै, तिरुपति, अहमदाबाद, टाटा नगर, गोरखपुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पल्लकड़, मुंबई सेंट्रल (झज़ू कॉन्सेप्ट), लोनावाला, ग्वालियर और आगरा में विश्रामालयों को चालू कर दिया गया है।

पलक्कड़

मदुरै

पॉड/कैप्सूल कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री

बिलासपुर

रेल यात्री निवास/बजट होटल

आईआरसीटीसी रेल यात्री निवास/बीएनआर होटलों का विकास, संचालन और रखरखाव भी करता है। साइटों को आईआरटीसी ने लाइसेंस पर दिया गया था जिसमें तीसरे पक्ष को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उप-लाइसेंस अधिकारों की अनुमति सहित दिया था। 31 मार्च, 2022 तक आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली और हावड़ा में दो रेल यात्री निवास और पुरी और रांची में दो बीएनआर होटल संचालित किए।

आईआरसीटीसी होटलों की एक सुनियोजित चेन का नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है जो सस्ते/बजट यात्रियों को लक्षित करता है। इस संबंध में, निम्नलिखित स्थानों पर होटल निर्माणाधीन हैं:

- **बजट होटल, लखनऊ:** लखनऊ में 125 की बजट होटल की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। होटल की स्थापना पीपीपी मॉडल द्वारा 20 करोड़ रुपये के निवेश से की जा रही है। होटल में पर्यटकों और एमआईसीई की मांग को पूरा करने की सुविधाएं होंगी।

वास्तु दर्शन

- **बजट होटल,खजुराहो:** खजुराहो में 60 की बजट होटल की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। होटल का विकास पीपीपी मॉडल के जरिए सात करोड़ रुपये के निवेश से किया जा रहा है।

- **बजट होटल, केवड़िया:** स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पर आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण और केवडिया के आगामी पर्यटन स्थल की पर्यटन क्षमता का लाभ प्राप्त करने के लिए, आईआरसीटीसी शहर में 500 की होटल सुविधा बनाने की प्रक्रिया में है। प्रथम चरण में केवड़िया में 125 केज बजट होटल की स्थापना का कार्य पीपीपी मॉडल द्वारा 20 करोड़ रुपये के निवेश से प्रगति पर है।

- **पाइपलाइन में अन्य होटल:** अखिल भारतीय आधार पर उपस्थिति के लिए, आईआरसीटीसी ने भूमि के आवंटन के लिए अन्य राज्य सरकारों अर्थात हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम मेघालय आंध्र प्रदेश नागालैंड और जम्मू-कश्मीर से संपर्क किया है, जो निम्नानुसार है:

  क. **गोवा में बजट होटल का विकास:** गोवा सरकार ने गोवा में बजट होटल के विकास के लिए पहले ही भूमि आवंटित कर दी है। बजट होटल बनाने का काम प्रगति पर है।

  ख. **अयोध्या, उत्तर प्रदेश में बजट होटल का विकास:** उत्तर प्रदेश सरकार ने पवित्र नगरी अयोध्या में बजट होटल के विकास के लिए पहले ही भूमि उद्दिष्ट कर ली है।

  ग. **कोहिमा, नागालैंड में बजट होटल का विकास:** नागालैंड सरकार ने कोहिमा नागालैंड में बजट होटल की स्थापना के लिए आईआरसीटीसी से संपर्क किया है। उपरोक्त परियोजना के लिए आईआरसीटीसी को भूमि आवंटन के लिए चर्चा उन्नत चरण में है।

(ii) यात्रा एवं पर्यटन

कोविड-19 महामारी का यात्रा पर्यटन उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ा है जो न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा है। हालांकि, आईआरसीटीसी पर्यटन पेशेवरों की अपने दल के साथ चुनौतियों को व्यावसायिक अवसरों में बदलने में सफल रहा। आईआरसीटीसी ने अपने सभी टूर पैकेज लॉन्च किए जिसमें नए सामान्य और कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया है और मेहमानों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं। आईआरसीटीसी पहली कंपनी थी जिसने अभूतपूर्व महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कोविड प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए और कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए लोगों के लिए ट्रेन टूर पैकेज को फिर से शुरू किया। आईआरसीटीसी ने कई घरेलू पैकेजों और कुछ अंतरराष्ट्रीय पैकेजों को बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक संचालित किया और इस प्रकार पर्यटकों के बीच पुनः यात्रा करने के लिए आत्मविश्वास उत्पन्न करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।

आईआरसीटीसी, आज, बाजार में अग्रणी यात्रा और पर्यटन कंपनियों में से एक है, जो विविध पर्यटन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करती है। रेलवे पीएसयू होने की ताकत के साथ, आईआरसीटीसी रेल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती है, और वर्तमान में, इस क्षेत्र में मार्केट लीडर है। रेल पर्यटन के अलावा, आईआरसीटीसी कई अन्य पर्यटन व्यवसायों में भी विविधता लाई है जिससे वह बेहद प्रतिस्पर्धी पर्यटन बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके।

आईआरसीटीसी के पर्यटन कारोबार वाले क्षेत्रो में संपन्न बाजार के लिए लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन जैसे महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट मध्य खंड के लिए बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी और डीलक्स पर्यटक गाड़ी, बजट खंड के लिए भारत दर्शन/आस्था सर्किट पर्यटक गाड़ी, राज्य प्रायोजित तीर्थ यात्रा विशेष पर्यटक गाड़ी, रेल टूर पैकेज, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयर पैकेज, लैंड टूर पैकेज, होटल बुकिंग (ऑनलाइन और ऑफलाइन), कस्टमाइज्ड और एलटीसी टूर, इवेंट मैनेजमेंट और आईआरसीटीसी प्रीमियम पैसेंजर ट्रेन यानी लखनऊ-दिल्ली -लखनऊ आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस और अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। आईआरसीटीसी का एक समर्पित पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com है, जो कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पर्यटन उत्पादों और सेवाओं की बुकिंग के लिए वन स्टॉप शॉप भी है।

आईआरसीटीसी के पर्यटन उत्पाद और सेवाएं

घरेलू पर्यटन पैकेज	घरेलू पर्यटन लक्षित टूर	जन पर्यटन	विदेशी पर्यटन पैकेज	एयर टिकट एवं कॉरपोरेट यात्रा	अन्य पर्यटन गतिविधियां
रेल पर्यटन पैकेज	महाराजा एक्सप्रेस	भारत दर्शन/आस्था पर्यटन गाड़ी		एयर इंडिया	इवेन्ट प्रबंधन
अवकाश पैकेज	गोल्डन चेरियट	राज्य विशेष गाड़ी		कॉरपोरेट ट्रेवल	चार्टर गाड़ियों के कोचों की बुकिंग
चार्टर्ड गाड़ी/कोच का पैकेज	बुद्धिस्ट विशेष पर्यटन गाड़ी	तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेनें			हिल एण्ड हेरिटेज चार्टर्स
कस्टमाइज्ड पर्यटन	मजेस्टि राजस्थान पर्यटन गाड़ी	आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट ट्रेनें			सैलून टूर्स एण्ड चार्टर्स
एलटीसी पर्यटन	डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन	चुनाव विशेष			रहने एवं ठहरने की सुविधा की ऑनलाइन बुकिंग
घरेलू एयर पैकेज					साहसिक पर्यटन
शैक्षिक पैकेज					

पूरे देश में कोविड-19 टीके की खुराक देने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित अब तक के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने नागरिकों में सुरक्षा के लिए आवश्यक आत्मविश्वास उत्पन्न किया, जिससे यात्रा की मांग में पुनः वृद्धि हुई। आईआरसीटीसी ने अपने पर्यटन उत्पादों को ग्राहकों के बीच अच्छी तरह से विपणन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लोगों को विभिन्न टूर पैकेजों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें उन्हें पर्यावरणीय बबल में रखने और पर्यटन के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी। आईआरसीटीसी के पर्यटन कारोबार ने वित्त वर्ष 2021-22 में टर्नओवर में और अधिक वृद्धि दर्ज की होती, यदि अंतर्राष्ट्रीय वीजा प्रतिबंध नहीं होते, क्योंकि केवल आपातकालीन प्रकृति के सीमित वीजा ही दिए जाते थे, और आउटबाउंड हवाई पैकेजों का संचालन लगभग पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निलंबित रहा था।

आईआरसीटीसी ने अपने सभी सेवा प्रदाताओं के साथ मजबूत संबंध विकसित किए और होटल, परिवहन सेवा प्रदाताओं आदि के साथ सफलतापूर्वक टाई-अप स्थापित किया, जिससे अपने मेहमानों के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित की गई। इसके अलावा, नए विषयों जैसे विरासत, संस्कृति, साहसिक कार्य, चिकित्सा कल्याण और विशेष रुचि पर्यटन पर आधारित पैकेजों की योजना बनाकर नए मार्ग भी तलाशे गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पर्यटन दल द्वारा आपूर्तिकर्ता के साथ अच्छी तरह से बातचीत द्वारा तय की गई दर के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने में की गई कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप बेहद प्रतिस्पर्धी दरों पर आकर्षक टूर पैकेज लॉन्च किए गए।

आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कई लैंड टूर पैकेज, घरेलू हवाई पैकेज, भारत दर्शन, तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ी, राज्य विशेष गाड़ी, कस्टमाइज़्ड यात्रा पैकेज, डीलक्स पर्यटक गाड़ी और आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट गाड़ी लॉन्च और संचालित की गई। एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी किया गया था जो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश आधारित था और इसका पालन कोविड-19 के प्रसार को रोकने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्यटक गाड़ियों/दौरों के संचालन के दौरान किया जाना था। 2021 के अंत में यात्री गाड़ी सेवाओं को पूरी तरह से पुनः शुरू करने के साथ, आईआरसीटीसी ने रेल टूर पैकेजों का संचालन शुरू किया और तदनुसार प्रतिबंधित गाड़ियों में निर्धारित बर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की।

पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

- **घरेलू पर्यटन**

(क) रेल टूर पैकेज – रेल टूर पैकेज, जिसे "आरटीपी" के नाम से भी जाना जाता है, आईआरसीटीसी के सबसे अनूठे उत्पादों में से एक है, जिसमें कंपनी ग्राहकों को सभी समावेशी टूर पैकेज प्रदान करती है, जिसमें आगे और वापसी की कन्फर्म रेल यात्रा, सड़क मार्ग, आवास, उचित दरों पर भोजन और पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में केवल 20 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 5,341 पर्यटकों ने आईआरसीटीसी के रेल टूर पैकेज का लाभ उठाया। आरटीपी के कारोबार में यह वृद्धि मुख्य रूप से 2021 के अंत में नियमित यात्री गाड़ियों के फिर से शुरू होने के कारण हुई, जिससे आईआरसीटीसी को पैकेज संचालित करने के लिए निर्धारित बर्थ प्राप्त करने में मदद मिली।

(ख) हॉलिडे पैकेज – आईआरसीटीसी हॉलिडे पैकेज (लैंड पैकेज) भी संचालित करता है जिसमें रोड ट्रांसफर, आवास, भोजन और पर्यटन स्थल का भ्रमण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 9,657 मेहमानों की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 56,854 मेहमानों ने आईआरसीटीसी के हॉलिडे पैकेज का लाभ उठाया। कारोबार में वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी द्वारा शुरू किए गए आक्रामक विपणन अभियानों के कारण हुई है।

(ग) चार्टर कोच एवं ट्रेन पैकेज – ये सभी पैकेज में रेल टूर पैकेज (आरटीपी) की तरह सभी कुछ शामिल हैं, जहां रेल यात्रा का प्रबंध चार्टर्ड कोच या गाड़ियों के माध्यम से आईआरसीटीसी द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मात्र 1 आरटीपी चार्टर कोच टूर में 49 यात्रियों ने यात्रा की और इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में, आईआरसीटीसी ने 14 आरटीपी का चार्टर ट्रेनों/कोचों का संचालन किया, जिसमें 2,558 यात्रियों ने यात्रा की।

(घ) कस्टमाइज्ड टूर पैकेज – पर्यटकों की मांग के अनुसार आईआरसीटीसी कस्टमाइज़्ड टूर पैकेज भी प्रदान करता है जिसमें टूर पैकेज के तत्व जैसे पसंदीदा गंतव्य, परिवहन, आवास और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है जो ग्राहकों की पसंद अनुरूप होती हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 1,155 पर्यटकों ने पैकेज का लाभ उठाया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 311 थी।

(ड़) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)

भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत टूर के संचालन के लिए आईआरसीटीसी को अधिकृत किया गया है। आईआरसीटीसी इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को सामान्य और साथ ही कस्टमाइज़्ड एलटीसी पैकेज प्रदान करता है। सभी आईआरसीटीसी टूर एलटीसी यात्रा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी ने 79 मेहमानों के लिए विशेष एलटीसी पैकेज की व्यवस्था की है।

(च) घरेलू एयर पैकेज

घरेलू हवाई पैकेज वर्तमान परिदृश्य में लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि लोग अभी भी चल रही महामारी के समय में विदेश यात्रा हेतु सतर्क हैं। मार्च, 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू होने के कारण, आईआरसीटीसी ने इस अवसर का लाभ उठाया और देश भर में विभिन्न गंतव्यों से बड़ी संख्या में घरेलू हवाई पैकेजों का संचालन किया। घरेलू हवाई पैकेज दिन-प्रति-दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आईआरसीटीसी ने सभी क्षेत्रों से विभिन्न गंतव्यों जैसे शिरडी, गोवा, दिल्ली, तिरुपति, गंगटोक, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अंडमान और निकोबार, लद्दाख, श्रीनगर, मुंबई, पुरी, कोणार्क, अयोध्या और अन्य

के लिए कई घरेलू हवाई पैकेज संचालित किए। आईआरसीटीसी प्रत्येक यात्री को ₹ 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर रहा है जो पैकेज का लाभ उठा रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में, आईआरसीटीसी ने 249 घरेलू एयर पैकेज 5,085 मेहमान सहित संचालित किए और इसकी तुलना में वर्ष 2020-21 में 75 पैकेज 1,419 मेहमान सहित संचालित किए गए थे।

(छ) शैक्षणिक टूर

आईआरसीटीसी "सीखने के लिए यात्रा" योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए शैक्षणिक टूर का संचालन करता है। कंपनी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक टूर संचालित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी स्कूलों के साथ तालमेल किया हुआ है। जारी महामारी ने वस्तुतः इस कारोबार पर रोक लगा दी थी जो समाज के लिए कंपनी का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। लगभग 2 शैक्षणिक वर्षों के लिए, स्कूली छात्र स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपने घर में ही सीमित रहे थे और स्कूलों द्वारा केवल वर्चुअल और ऑनलाइन शिक्षण लागू किया जा रहा था। वर्ष 2021-22 के दौरान, शैक्षणिक सत्र के अंत में स्कूल खोले गए जो मुख्य रूप से छात्रों को वर्षांत परीक्षाओं की तैयारी के लिए था। फिर भी आईआरसीटीसी वित्त वर्ष 2021-22 में 514 छात्रों के लिए शैक्षणिक टूर संचालित करने में सफल रहा।

- **इनबाउंड पर्यटक को लक्षित टूर**

क) महाराजा एक्सप्रेस

महाराजा एक्सप्रेस चार भिन्न-भिन्न यात्रा कार्यक्रमों के अनुसार संचालित की जाती है, इनमें से तीन यात्रा कार्यक्रम 6 रातों / 7 दिनों के हैं जबकि एक यात्रा कार्यक्रम 3 रातों / 4 दिनों की अवधि का है। यह गाड़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, खजुराहो और वाराणसी का भ्रमण कराती है जो देश की सांस्कृतिक भव्यता का जीवंत उदाहरण भी हैं।

आईआरसीटीसी की एक समर्पित वेबसाइट www.the-maharajas.com है, जिसमें गाड़ी, सुविधाओं, यात्रा और टैरिफ के बारे में सभी जानकारी प्रदर्शित की जाती है, साथ ही आने वाले सीज़न में प्रस्थान की निर्धारित तारीख की भी जानकारी उपलब्ध होती है। गाड़ी का संचालन हर वर्ष सितंबर से अप्रैल माह के पर्यटक सीजन में किया जाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में आईआरसीटीसी ने 3 चार्टर यात्राएं 208 घरेलू पर्यटकों सहित संचालित की। जारी महामारी के कारण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण, आईआरसीटीसी को वित्त वर्ष 2021-22 में महाराजा एक्सप्रेस की सभी निर्धारित कमर्शियल यात्राओं को रद्द करना पड़ा।

ख) गोल्डन चेरिएट

गोल्डन चेरिएट एक लग्ज़री पर्यटक गाड़ी है जिसका संचालन मुख्य रूप से देश के दक्षिणी भाग के विभिन्न सर्किटों में किया जाता है। आईआरसीटीसी के द्वारा 2019 में कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम से गोल्डन चेरिएट गाड़ी के विपणन, संचालन और अनुरक्षण के लिए करार माध्यम से 10 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया, इसके लिए दोनों संगठनों ने करार पर हस्ताक्षर किए। आईआरसीटीसी ने गाड़ी का भौतिक रूप से कार्य जनवरी, 2020 में संभाला।

यह गाड़ी तीन भिन्न-भिन्न यात्रा कार्यक्रमों के अनुसार संचालित की जाती है, जैसे कर्नाटक का गौरव(6 रातें/7 दिन), ज्वेल्स ऑफ साउथ (6 रातें/7 दिन) और कर्नाटक दर्शन (3 रातें/4 दिन) जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा राज्यों के विभिन्न प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को शामिल करती है। महाराजा एक्सप्रेस की तरह ही, गोल्डन चेरिएट की भी एक विशिष्ट वेबसाइट www.goldenchariot.org है, जिसमें गाड़ी, इसकी सुविधाओं, यात्रा और आगामी सीज़न के लिए निर्धारित प्रस्थान के साथ टैरिफ के बारे में जानकारी है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों और वस्तुतः कोई इनबाउंड ट्रैफिक न होने के कारण, आईआरसीटीसी गाड़ी की किसी भी यात्रा को संचालित नहीं कर सकी।

ग) बुद्धिस्ट सर्किट विशेष गाड़ी

बुद्धिस्ट सर्किट विशेष पर्यटक गाड़ी एक पूर्ण वातानुकूलित गाड़ी है जो 7 रात्रि और 8 दिन का पैकेज का सभी समावेशी ट्रेन टूर पैकेज ऑफर करती है, जिसमें भारत और नेपाल में लुम्बिनी के सभी प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल शामिल है। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन के नए रेक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें कई सुविधाएं हैं जैसे दो विशेष डाइनिंग कार, वैक्यूम बायो-टॉयलेट, सुरक्षा लॉकर, आशोधित 2एसी वाले कोच जिसमें साइड में बैठने सुविधा है, ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा, फुट मसाजर और मिनी लाइब्रेरी आदि शामिल है। यात्रा कार्यक्रम और निर्धारित प्रस्थान तिथियां सहित ट्रेन की वेबसाइट www.irctcbuddhisttrain.com पर उपलब्ध कराया गया है। चल रही महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आईआरसीटीसी पिछले 2 वित्तीय वर्षों में बुद्धिस्ट सर्किट विशेष पर्यटक गाड़ी की किसी भी यात्रा का संचालन नहीं कर सका।

घ) डीलक्स पर्यटक गाड़ी

आईआरसीटीसी बुद्धिष्ट विशेष गाड़ी के रेक के उपयोग बढ़ाने और इसे घरेलू पर्यटकों के लिए विभिन्न पर्यटक सर्किटों पर संचालित करने के उद्देश्य से डीलक्स पर्यटक गाड़ियों की शुरुआत की। आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में घरेलू पर्यटकों के लिए डीलक्स गाड़ी टूर की जबरदस्त मार्केटिंग की और प्रचार किया। तदनुसार, कंपनी ने गाड़ी के 9 टूर 1,016 ऑनबोर्ड पर्यटकों सहित संचालित किए जो गत वित्त वर्ष 2020-21 में केवल 1 टूर 84 यात्रियों सहित संचालित की गई थी।

- **आउट बाउंड टूर पैकेज**

आईआरटीसी कोविड-19 महामारी के कारण वीसा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण, वित्त वर्ष 2021-22 में पड़ोसी देश नेपाल में केवल 2 आउट बाउंड पैकेज 79 पर्यटकों सहित संचालित कर सका, जबकि वित्त वर्ष 2020- 21 कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयर पैकेज का संचालन नहीं कर सका था।

- **एयर टिकटिंग और कॉर्पोरेट ट्रैवल**

क) ऑनलाइन एयर टिकटिंग

एक संपूर्ण ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर बनने और ग्राहकों को एयर टिकट बुक करने का विकल्प देने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन एयर टिकटिंग का कारोबार शुरू किया। आईआरसीटीसी की एयर-टिकटिंग माइक्रो-साइट www.air.irctc.co.in मार्किट में अन्य एयर टिकट बुकिंग प्लेटफार्मों की तुलना में न्यूनतम सुविधा शुल्क के साथ बहुत ही प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर ग्राहकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयर टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान करता है।

आईआरसीटीसी एंड्राइड और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए अपने मोबाइल ऐप आईआरसीटीसी एयर के माध्यम से चलते-फिरते हवाई टिकट बुक करने की सुविधा भी प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में, आईआरसीटीसी एयर टिकटिंग वेबसाइट के माध्यम से एक दिन में औसत 2,440 एयर टिकट बुक किए गए थे जो पिछले वर्ष के औसत 2,426 से कम वृद्धि है। आईआरसीटीसी ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों को 50 लाख रुपये का कॉम्प्लिमेंट्री यात्रा बीमा कवरेज भी प्रदान करता है।

ख) कॉरपोरेट ट्रैवल बिजनेस

आईआरसीटीसी द्वारा कॉरपोरेट के लिए संपूर्ण यात्रा सोल्यूशन का ऑफर देता है, जिनमें एयर टिकटिंग, एलटीसी टिकटों सहित घरेलू बुकिंग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय टिकट, होटल बुकिंग, वीजा सुविधा, बीमा आदि शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने क्षेत्रीय स्तर पर कारोबार का विकेंद्रीकरण किया है ताकि पीएसयू/मंत्रालय/सरकारी विभाग आदि के साथ अधिक तालमेल किया जा सके और संगठनों के साथ बेहतर समन्वय बनाया जा सके। आईआरसीटीसी कॉरपोरेट कार्यालय का 85 पीएसयू/मंत्रालयों/सरकारी विभागों और संस्थानों के साथ तालमेल है। आईआरसीटीसी ने अपने

कॉरपोरेट कार्यालय और ज़ोन के माध्यम से कॉरपोरेट यात्रा कारोबार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/मंत्रालयों/सरकारी विभागों सहित लगभग 200 संगठनों के साथ समझौता किया है।

- **समूह पर्यटन**

क) भारत दर्शन/आस्था सर्किट पर्यटन गाड़ी

आईआरसीटीसी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन उत्पादों में से एक भारत दर्शन पर्यटन गाड़ी है, जिसे मुख्य रूप से बजट सेगमेंट पर्यटकों के लिए विकसित किया गया है। ये गाड़ियां देश भर के विभिन्न शहरों से प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को शामिल करने वाले विभिन्न सर्किटों पर संचालित होती हैं। इसका आकर्षक मूल्य ₹ 900/- + जीएसटी गैर-वातानुकूलित स्लीपर श्रेणी का और ₹ 1100/- + जीएसटी वातानुकूलित थर्ड ऐसी श्रेणी प्रति दिन प्रतियात्री का है। ट्रेन टूर पैकेज में रेल और सड़क यात्रा, सभी भोजन, दर्शनीय स्थल का भ्रमण और आवास शामिल हैं। इन सबके अतिरिक्त, सभी पर्यटकों को ₹ 10 लाख की राशि तक के दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में आईआरसीटीसी ने भारत दर्शन पर्यटक गाड़ी की 42 ट्रिप 30,714 यात्रियों सहित संचालित की, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 21 ट्रिप 13,312 यात्री सहित संचालित किए, और संचालित ट्रिप की संख्या में 100% की वृद्धि दर्ज की गई और इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में 131% की वृद्धि हुई।

रेल मंत्रालय द्वारा पर्यटक गाड़ियों पर भारत गौरव नीति के कार्यान्वयन के साथ, 01.04.2022 से भारत दर्शन/आस्था सर्किट पर्यटक गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

ख) राज्य विशेष गाड़ियां

आईआरसीटीसी विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय से राज्य विशेष पर्यटक गाड़ी का परिचालन करती है। सरकार टूर पैकेज के लाभार्थियों का चयन करती है जिनमें अधिकांशत वरिष्ठ नागरिक होते हैं। ये गाड़ी टूर पूरे भारत में पर्यटक और तीर्थयात्रा महत्व के विभिन्न स्थलों को शामिल करती। वित्त वर्ष 2021-22 में, आईआरसीटीसी ने दिल्ली सरकार के लिए 16 राज्य विशेष गाड़ियों का संचालन किया है और 15,757 पर्यटकों को विभिन्न तीर्थस्थलों तक पहुंचाया है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण कोई राज्य विशेष पर्यटक गाड़ी का संचालन नहीं किया जा सका।

ग) तीर्थ यात्रा विशेष पर्यटक गाड़ियां

तीर्थ यात्रा विशेष पर्यटक गाड़ियां एक विशेष रुची रेल पर्यटन उत्पाद है जो तीर्थ यात्रा पर केंद्रित हैं। स्लीपर श्रेणी और थर्ड एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए इन गाड़ियों का मूल्य क्रमशः ₹ 900/- और ₹ 1500/- + जीएसटी प्रति दिन प्रति व्यक्ति है। इस मूल्य में रेल और सड़क यात्रा, सभी भोजन, दर्शनीय स्थल का भ्रमण और आवास के साथ-साथ ₹ 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आईआरसीटीसी ने तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ी की 17 ट्रिप परिचालित की गई जिसमें 9,974 तीर्थयात्रियों ने लाभ उठाया, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में, तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ी की मात्र 4 ट्रिप परिचालित की जिसका 2,426 यात्रियों ने लाभ उठाया। रेल मंत्रालय द्वारा पर्यटक गाड़ियों पर भारत गौरव नीति लागू किए जाने के साथ ही तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ी का संचालन भी 01.04.2022 से बंद कर दिया जाएगा।.

घ) आईआरसीटीसी कॉरपोरेट गाड़िया

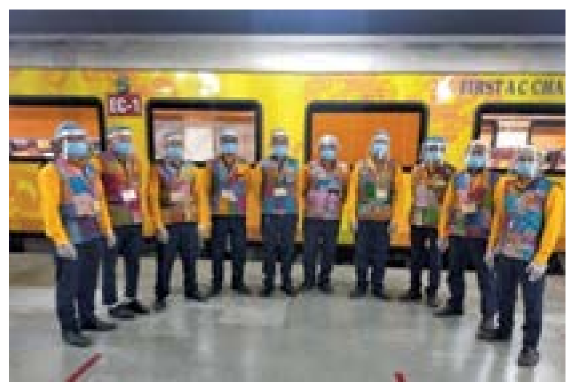

वित्त वर्ष 2020-21 में कई रुकावटों के बाद और महामारी की आवर्ती लहरों के कारण वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में, गाड़ियों का परिचालन 7 अगस्त, 2021 से नियमित आधार पर पुनःशुरु कर दिया गया था।। आईआरसीटीसी ने दोनों गाड़ियों में डिब्बों की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी है। कोविड संबंधित प्रतिबंधों में ढील के साथ, आईआरसीटीसी ने दोनों गाड़ियों के परिचालन दिनों की संख्या सप्ताह में 4 दिन से बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन कर दी है।

आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस गाड़ियों से अधिक गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और गाड़ियों के कोचों के आंतरिक और बाहरी हिस्से के विज्ञापन स्थानों की बिक्री के लिए विज्ञापन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में है।

ङ) चुनाव विशेष गाड़ियां

आईआरसीटीसी को एकल खिड़की के रूप में चुनाव विशेष गाड़ियों में सैन्य बल की आवाजाही के लिए बुकिंग और परिवहन के साथ ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं के लिए नामित किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में आईआरसीटीसी ने 367 चुनावी विशेष गाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालित की जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में आम चुनावों के लिए अर्धसैनिक बलों के आवागमन हेतु 275 गाड़ियों का परिचालन किया गया।

- **अन्य पर्यटन गतिविधियां**

क) इवेंट प्रबंधन

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे, पीएसयू, शिक्षा विभाग और अन्य प्रमुख संस्थानों के लिए विभिन्न सम्मेलनों, कार्यक्रमों और प्रोत्साहन पैकेजों का आयोजन करता रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में, आईआरसीटीसी ने उदयपुर में मैसर्स ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के 26 क्लाइंट के लिए 3 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया।

ख) चार्टर गाड़ियों और कोचों की बुकिंग

रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सभी गाड़ियों और कोचों को चार्टर आधार पर ऑनलाइन बुकिंग के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में नामित किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आईआरसीटीसी ने 130 (39 गाड़िया और 91 कोच) चार्टर गाड़ी/कोच बुक किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न समूहों के लिए 94 (25 गाड़ियां और 69 कोच) चार्टर बुक किए गए। फुल टैरिफ रेट (एफटीआर) गाड़ियों/कोचों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी के एक्सक्लूसिव वेब पेज www.ftr.irctc.co.in के जरिए की जाती है।

ग) हिल और हेरिटेज चार्टर

आईआरसीटीसी सक्रिय रूप से भारत की 5 हिल रेलवे अर्थात नीलगिरी माउंटेन रेलवे (एनएमआर), दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर), कालका-शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे और माथेरान रेलवे को बढ़ावा देने का कार्य करता है। आईआरसीटीसी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की कालका-शिमला, नीलगिरि माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर हिल चार्टर का संचालन करता है। आईआरसीटीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में कालका शिमला हिल सेक्शन पर कुल 7 कोचों की 01 चार्टर गाड़ी का संचालन किया जिसमें 108 यात्रि थे, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में आईआरसीटीसी ने कालका शिमला सेक्शन पर 12 यात्रियों सहित 1 हिल चार्टर कोच का परिचालन किया।

घ) लग्जरी रेलवे सैलून कार

रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया कि वे अपनी लग्जरी सैलून कोचों के बेड़े को खुले बाजार में बुकिंग के लिए खोल दे और आईआरसीटीसी को इस विशेष रेल उत्पादों के विपणन और बुकिंग का कार्य सौंपा है। सैलून कार में सामान्यतः एक बैठक कक्ष, दो वातानुकूलित शयनकक्ष - एक में दो बेडरूम और अन्य वातानुकूलित प्रथम श्रेणी कूपे की तरह अटैच बाथरूम सहित, डायनिंग एरिया और किचन होती है। इनमें वैकल्पिक सेवाएं जैसे परिचारक, खानपान पिक एन्ड ड्राप की सुविधा पर्यटकों की मांग पर दी जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आईआरसीटीसी ने पूरे भारत में 48 सैलून चार्टर का संचालन किया जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 29 सैलून कारों का परिचालन किया।

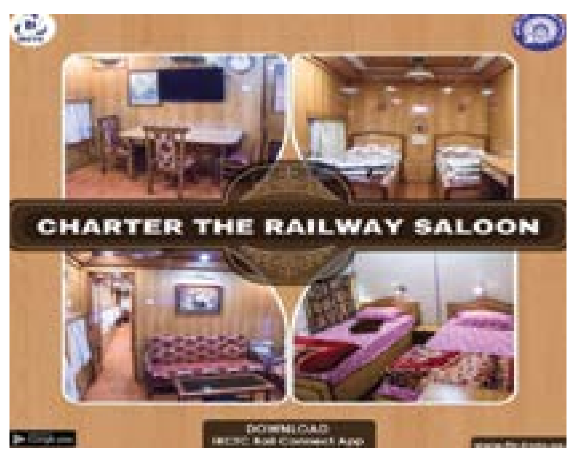

ड़) स्टेशनों पर स्थित विश्रामालयों की ऑनलाइन बुकिंग और होटल बुकिंग

- आईआरसीटीसी अपने पर्यटन पोर्टल के माध्यम से कन्फर्म पीएनआर वाले रेल यात्रियों को 535 रेलवे स्टेशनों पर स्थित विश्रामालयों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यात्री एंड्राइड और आईओएस मोबाइल ऐप पर भी विश्रामालयों की बुकिंग करा सकते हैं। 48 स्टेशनों पर घंटो के हिसाब से भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। विश्रामालयों की कुल बुकिंग का लगभग 65% ऑनलाइन किया जा रहा है। 20 प्रतिशत बुकिंग मोबाइल एप के माध्यम से हो रही है। कोविड-19 के कारण केवल 299 स्टेशनों पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है।
- आईआरसीटीसी ने 21 रेलवे स्टेशनों पर विश्रामालयों की सेवाओं को अपग्रेड करने तथा और प्रबंधन करना शुरू कर दिया है, जिनमें सियालदह, राजिंदर नगर, टाटा नगर, उडुपी, मडगाँव, अहमदाबाद, वडोदरा, थिविम, लखनऊ, जयपुर, गोरखपुर, त्रिच्चुरापल्ली, मदुरै, कंचेगुड़ा, तिरुपति, बिलासपुर, पलक्कड़, मुंबई सेंट्रल, लोनावाला, आगरा कैंट और ग्वालियर शामिल हैं। अपग्रेड किए गए विश्रामालयों में होटल जैसी सुविधाएं जैसे फुल एसी, वाईफाई, टीवी, गीजर, लिनेन, सोफा आदि हैं।
- वित्त वर्ष 2021-22 में, कुल बुकिंग संख्या 1.62 लाख थी और इससे ₹ 10.20 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 10,121 बुकिंग हुई थी और ₹ 81.89 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ था

च) ऑनलाइन बस बुकिंग

मल्टी-मोडल परिवहन बुकिंग सुविधा को ऑनलाइन प्रदान करने के उद्देश्य से, आईआरसीटीसी ने bus.irctc.co.in पर बस टिकट बुकिंग उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन बस बुकिंग सुविधाओं को पुनः शुरू करने के साथ, आईआरसीटीसी के पास अब तीनो प्रकार की परिवहन व्यवस्था हैं यथा रेल, वायु और बस ग्राहकों द्वारा बुकिंग के लिए इसके ऑनलाइन प्लेटफार्म पर है, जिससे यात्रा आवश्यकताओं की एक स्थान पर समाधान मिलता हैं। आईआरसीटीसी ने मैसर्स अभी बस और मेसर्स रेड बस जैसे विभिन्न ऑनलाइन बस एग्रीगेटर्स के साथ जनवरी, 2021 में गठबंधन किया है। बस सेवा 29 जनवरी, 2021 से बुकिंग के लिए उपलब्ध कराई गई थी और यह 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2021-22 में 52,340 यात्रियों ने आईआरसीटीसी की ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा का लाभ उठाया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बुक किए गए कुल ट्रांसैक्शन की संख्या 34,460 है।

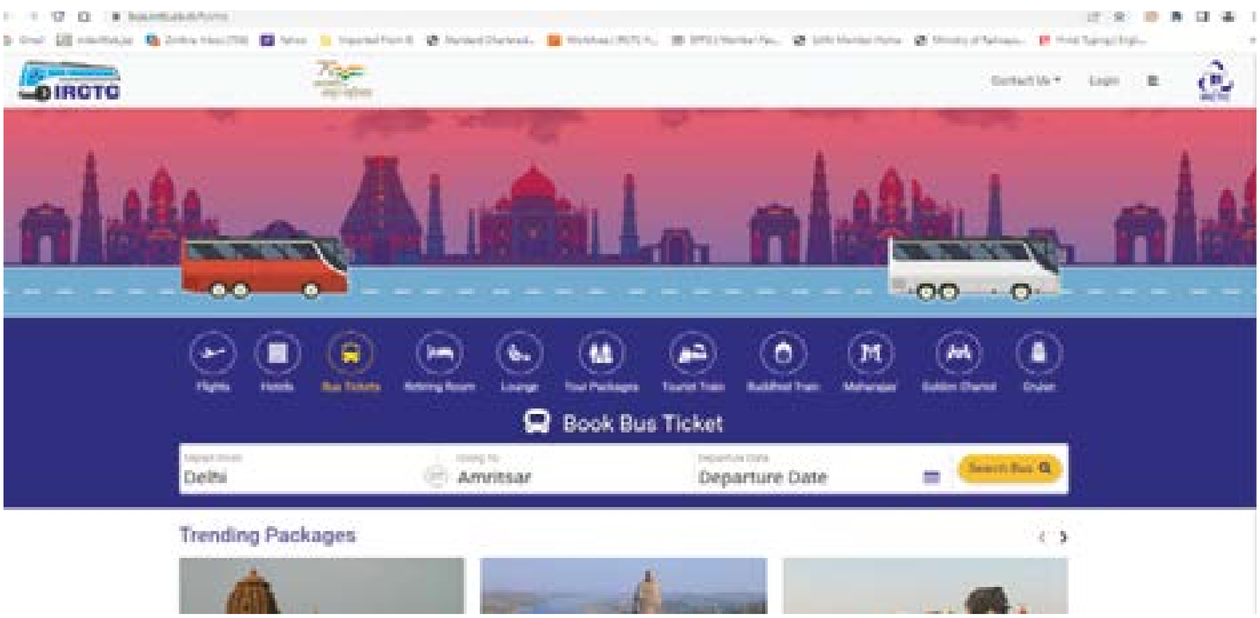

छ) आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप

कंपनी के मोबाइल एप "आईआरसीटीसी एयर" और "आईआरसीटीसी पर्यटन" के नाम से हैं। आईआरसीटीसी के ऐप एंड्राइड और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। ग्राहक ऐप का प्रयोग करके आसानी से अपनी पसंद की यात्रा और पर्यटन उत्पाद बुक कर रहे हैं। एंड्रॉइड के साथ ही साथ आईओएस प्लेटफॉर्म पर महाराजा एक्सप्रेस के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है ताकि गेस्ट फीडबैक सिस्टम की रिकॉर्डिंग को सरल बनाया जा सके और ऑफ-बोर्ड भ्रमण को बढ़ावा दिया जा सके।

ज) पर्यटन पोर्टल

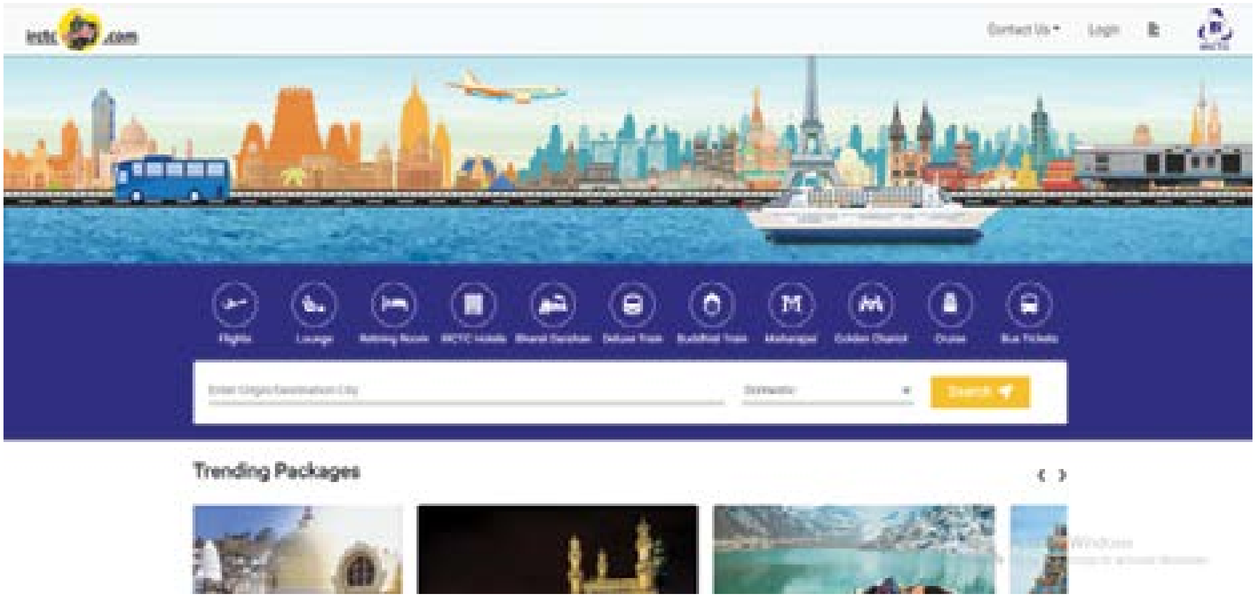

पोर्टल रेल, हवाई या सड़क मार्ग द्वारा पर्यटक गाड़ियां, एयर टिकट, होटल, सैलून कार, एसी पर्यटक गाड़िया, इवेंट मैनेजमेंट टूर पैकेजों की ऑन-लाइन बुकिंग ऑफर करता है। उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण और सुविधाओं के अनुरूप होना जो अन्य ओटीए प्रदान करते हैं, आईआरसीटीसीने अपनी पर्यटन वेबसाइट को नया रूप दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में, कुल टीआईडी की बुकिंग 49,745 थी, जिसमें 2,56,991 यात्री थे, जिनका सकल राजस्व ₹ 167.89 करोड़ था जबकि, 2020-21 में कुल बुकिंग 27,905 थी, जिसमें 83,573 यात्री थे और 39.06 करोड़ रुपये का सकल राजस्व प्राप्त हुआ था।

झ) ऑनलाइन फीडबैक मॉड्यूल

आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी पर्यटक गाड़ियों, पैकेज आदि पर पर्यटक/ यात्रा कर रहे यात्रियों से टूर के दौरान टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन फीडबैक लेना आरम्भ किया है, ताकि वास्तविक फीडबैक प्राप्त किया जा सके और इसका उपयोग उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई या कदम लेने के लिए किया जा सके। आईआरसीटीसी पर्यटन विभाग ने नियमित ऑनलाइन फीडबैक मॉड्यूल के लिए प्रत्येक जोन को 04 टैबलेट वितरित किए हैं।

ञ) आंशिक भुगतान की सुविधा

ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहक अब अपने पर्यटन पैकेज बुक करने के लिए आंशिक भुगतान सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और पूरी राशि को ब्लॉक किए बिना अग्रिम रूप से अपनी यात्रा की योजना तैयार कर सकते हैं।

- ऑनलाइन बुकिंग के लिए सभी पैकेजों के लिए ₹ 50,000/- प्रति ट्रांसैक्शन से अधिक पैकेज लागत के लिए आंशिक भुगतान की अनुमति है।
- आईआरसीटीसी पंजीकृत उपयोगकर्ता और अतिथि उपयोगकर्ता www.irctctourism.com पर ऑनलाइन बुकिंग के लिए आंशिक भुगतान सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- आंशिक भुगतान सुविधा के लिए न्यूनतम एआरपी (उन्नत आरक्षण अवधि) प्रस्थान तिथि से 35 दिन पहले की गई बुकिंग के लिए होगी।
- आंशिक भुगतान कुल बुकिंग राशि पर लागू होता है, जहां पैकेज की लागत ₹ 50000/- से अधिक है। इसे जीएसटी सहित 2 किस्तों में लिया जाएगा।
    - घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय एयर पैकेजों के लिए: - पहला भुगतान 30% राशि के लिए , 70% के लिए अंतिम/शेष भुगतान।
    - अन्य सभी पैकेजों के लिए: - पहला भुगतान 25% राशि के लिए, 75% के लिए अंतिम/शेष भुगतान।
- यदि देय/अंतिम भुगतान प्रस्थान तिथि से 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो अंतिम भुगतान के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा और बुकिंग को रद्द माना जाएगा और प्रासंगिक कैंसलेशन शुल्क लागू होंगे।

ट) ऑनलाइन होटल बुकिंग

आईआरसीटीसी के इंटीग्रेटेड एकोमोडेशन पार्टनर (होटल, होम स्टे, बेड एन्ड ब्रेकफास्ट, पीजी, डॉरमेट्री, पेइंग गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हॉउस, हॉलिडे होम, स्टार्ट अप आदि) इसके प्लेटफार्म https://www.hotel.irctctourism.com पर या "आईआरसीटीसी टूरिज्म" मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

पार्क होटल	स्टर्लिंग हॉलीडेज
ओयो रूम्स	स्वेल्ट होटल्स
प्राइड होटल	उबेरॉय आनंद
ओगा होटल	डोरोटा हाउस
कोमोपोलिटियन होटल	एमपी पर्यटन
केटीडीसी होटल	ले रोई होटल
जिंजर होटल	साउथर्न ग्रैंड होटल
आईआरसीटीसी गेस्ट हाउस, कटरा	होटल रमादा
सुनील एंटरप्राइज़ होटल	वेल्किन रेजीडेंसी
होटल एक्सीलेंस	उमराव होटल
चंद्र इन होटल	क्लार्क्स ग्रैंड
तमिलनाडु गेस्ट हाउस	अमन्त्र कम्फर्ट होटल
होटल रियाल्टो	होटल मयूर
द प्राइड- मसूरी	होटल द्वारा
O2 ऑक्सीजन	फैब होटल
होटल सोनीटेल आदि।	

ग्राहक अब ₹ 600/- रूपये के आरम्भिक किराये के साथ 435 से अधिक शहरों में लगभग 6900 होटल बुक कर सकते हैं। अधिकांश होटल रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सिटी सेंटर्स के पास स्थित हैं। यदि चेक-इन के 24 घंटे से पहले होटल की बुकिंग रद्द कराइ जाती है तो अधिकांश होटल कोई रद्दीकरण शुल्क नहीं लेते हैं। 2021-22 में होटल बुकिंग के 4925 ट्रांसैक्शन हुए थे जिसका कुल राजस्व ₹ 1.13 करोड़ था।

पर्यटन योजना

आईआरसीटीसी को अत्यंत विविध पर्यटन उत्पाद लाइन पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अद्भुत गुंजाइश प्रदान करती है। इसके अनुरूप, कंपनी आने वाले वर्षों में मौजूदा कारोबारी लाइनों का विस्तार और सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ नए उत्पाद लाइनों को पेश करके पर्यटन कारोबार को और बढ़ाने और समेकित करने की योजना बना रही है।

आईआरसीटीसी पर्यटन को अभूतपूर्व स्थितियों जैसे चल रही कोविड-19 महामारी को संभालने के लिए और अधिक गतिशील और लचीला होना होगा। भारतीय रेलवे ने पर्यटक गाड़ियों की वर्तमान चार्जिंग नीति को वापस लेने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत दर्शन/तीर्थयात्रा विशेष गाड़ियां, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चेरिएट और बुद्धिस्ट सर्किट पर्यटक गाड़िया शामिल हैं जो आईआरसीटीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्हें "**भारत गौरव ट्रेन**" चार्जिंग सिद्धांत की नई नीति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसके कारण रेलवे को देय ढुलाई शुल्क में वृद्धि हुई है।

हालांकि कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्व वाले क्षेत्रों की पहचान की है जो निम्न हैं: -

क. रेल टूर पैकेज: आईआरसीटीसी रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और भारत दर्शन और तीर्थयात्रा विशेष गाड़ी के राजस्व के कथित नुकसान की भरपाई हेतु रेल टूर पैकेजों की संख्या में वृद्धि करेगा और जोनल रेलवे से अधिक संख्या में बर्थ ब्लॉक करने का अनुरोध करेगा जो इन पैकेजों के परिचालन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा चिन्हित गाड़ियों में वैट नीति के अनुसार होगा।

ख. कस्टमाइज़्ड अवकाश पैकेज: आईआरसीटीसी कस्टमाइज़्ड अवकाश पैकेज पर ध्यान केंद्रित करेगा जो परिवार और मित्रों के छोटे ग्रुप के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार होगा और ग्राहकों को विविधता प्रदान करेगा।

ग. होटल और परिवहन कंपनियों के साथ सीधा समझौता: आईआरसीटीसी ने होटल और होटल चैन के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों के साथ सीधा समझौता किया है। ताकि यात्रियों को प्रतिस्पर्धी पैकेज मूल्य मिल सके। आईआरसीटीसी ऐसा करती रहेगी ताकि ग्राहकों तक अधिकतम लाभ पहुंच सके।

घ. ऑनलाइन बस बुकिंग: आईआरसीटीसी ने मैसर्स अभि बस और मेसर्स रेड बस के साथ यात्रियों के लिए ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग की सुविधा के लिए गठबंधन किया है और इसके पोर्टल का निरंतर विकास करके यात्रियों के लिए आसानी से टिकट बुक करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस कारोबार की पहुंच को व्यापक बनाने के विकल्प अधिक बस कॉन्सोलिडेटर को जोड़कर खोजे जाएंगे।

ङ. भारत गौरव गाड़ियां: आईआरसीटीसी पूरे भारत में भारत गौरव गाड़ियों को लॉन्च और संचालित करेगा ताकि भारत दर्शन/तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ी के संचालन से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई की जा सके। शुरुआत के तौर पर वित्त वर्ष 2022-23 में ही नॉन एसी स्लीपर कोच के एक रेक और एसी कोच के दूसरे रेक का परिचालन शुरू हो जाएगा।

च. यात्री गाड़ियां: महामारी की स्थिति में सुधार होने के कारण यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि हुई है, इसलिए आईआरसीटीसी दोनों तेजस गाड़ियों को सप्ताह में 6 दिन परिचालित करेगी। इसे लाभदायक बनाने के लिए, आईआरसीटीसी विज्ञापन एजेंसियों को भी सूचीबद्ध कर रहा है जिसे गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करने के लिए दोनों तेजस गाड़ियों के आंतरिक और बाहरी स्थानों/क्षेत्रों को बेचा जाएगा।

आईआरसीटीसी अधिक प्रीमियम कॉर्पोरेट यात्री गाड़ियों को 10 अलग समूहों में परिचालित करने की योजना बना रही है जो पीपीपी मॉडल या स्वतंत्र रूप से भारतीय रेलवे द्वारा पहचाने गए हैं। आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे के पास "तेजस एक्सप्रेस" ब्रांड के तहत उपलब्ध अन्य गाड़ियों की बुकिंग, परिचालन एवं प्रबंधन के लिए कार्यभार लेने की भी योजना बना रही है।

छ. **क्रूज पैकेज:** जैसे ही आउट बाउंड पर्यटकों का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध कम या हट जाएंगे, आईआरसीटीसी विश्वव्यापी क्रूज लाइनर के लिए प्रमुख क्रूज पैकेजों को शुरू करने ध्यान देगा। आईआरसीटीसी कोरडिला क्रूज में सीटों/केबिनों को ब्लॉक करवाएगा और उनको घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्किट में बिक्रय करने की भी योजना है।

ज. **रिवर क्रूज पैकेज:** आईआरसीटीसी अंतरा क्रूज के साथ समन्वय में देश में लग्जरी रिवर क्रूज टूर ऑफर करने वाले पैकेज लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये टूर महाराजा एक्सप्रेस के मेहमानों को भी प्रस्तावित किए जाएंगे।

(iii) इंटरनेट टिकटिंग

आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट-आधारित रेलटिकट बुकिंग की शुरुआत की, जो 2021-22 में भारतीय रेलवे पर ऑनलाइन बुक की गई कुल आरक्षित टिकटों का 80.43% था। 2021-22 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से औसत 11.44 लाख टिकट प्रतिदिन बिक्री की गई। साइट चौबीस घंटे सिवाय 23:45 बजे से 00:20 बजे तक के 35 मिनट के ब्रेक को छोड़कर टिकट बुकिंग सेवाएं प्रदान करती है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने के बाद टिकट बुकिंग ने गति पकड़ी है क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन परिचालन को सामान्य स्थिति में पुनःआरम्भ कर दिया गया था।

सेवा प्रभार/सुविधा शुल्क

आईआरटीसी अपने प्लेटफॉर्म से आरक्षित रेल टिकट बुक करने पर नॉन-एसी श्रेणी के लिए प्रति टिकट ₹ 20 + टैक्स और एसी श्रेणी के लिए प्रति टिकट ₹ 40 / - + टैक्स का सेवा प्रभार लेता था, लेकिन डिजिटल ट्रांसैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के रूप में रेल मंत्रालय द्वारा 23.11.2016 से 31.08.2019 तक समाप्त कर दिया गया था।

आईआरसीटीसी ने 01-सितम्बर-2019 से ई-टिकट बुकिंग पर प्रति टिकट नॉन-एसी श्रेणी के लिए ₹ 15/- + जीएसटी और एसी श्रेणियों के लिए प्रति टिकट ₹ 30/- + जीएसटी (प्रथम श्रेणी/एफसी सहित) की दर से सुविधा शुल्क लेना आरम्भ कर दिया गया हैं। भीम/यूपीआई से भुगतानों के लिए सुविधा शुल्क कम करके प्रति टिकट नॉन-एसी श्रेणी के लिए ₹ 10/- + जीएसटी और एसी श्रेणियों के लिए प्रति टिकट ₹ 20/- + जीएसटी प्रभारित किया जाता है।

आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग सेवा शुल्क/सुविधा शुल्क (₹ करोड़ में)

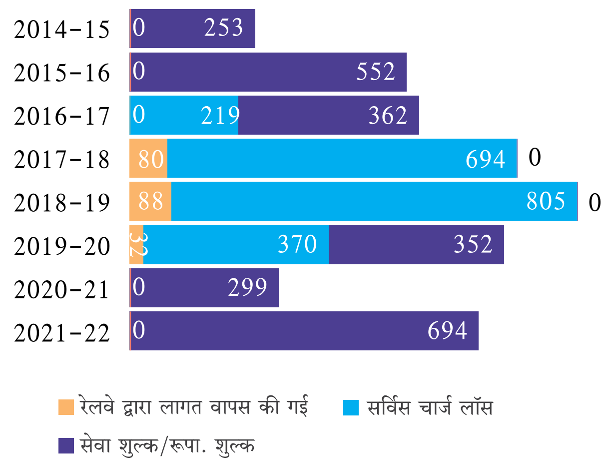

इंटरनेट टिकटिंग आंकड़े

क. ई-टिकटों और बुक किए गए यात्रियों की संख्या

वर्ष 2021-22 में कुल 4174.49 लाख टिकट बुक किए गए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2020-21 में 1740.46 लाख टिकट बुक किए गए। कुल मिलकर, 2021-22 में कुल 7343.26 लाख यात्रियों ने ई-टिकट बुक कराया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2020-21 में 3052.67 लाख यात्रियों ने ई-टिकट बुक कराए। वर्ष के दौरान यात्री से टिकट का अनुपात 1.76:1 था। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के साथ वर्ष के दौरान बुक किए गए टिकटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

टिकट/यात्री

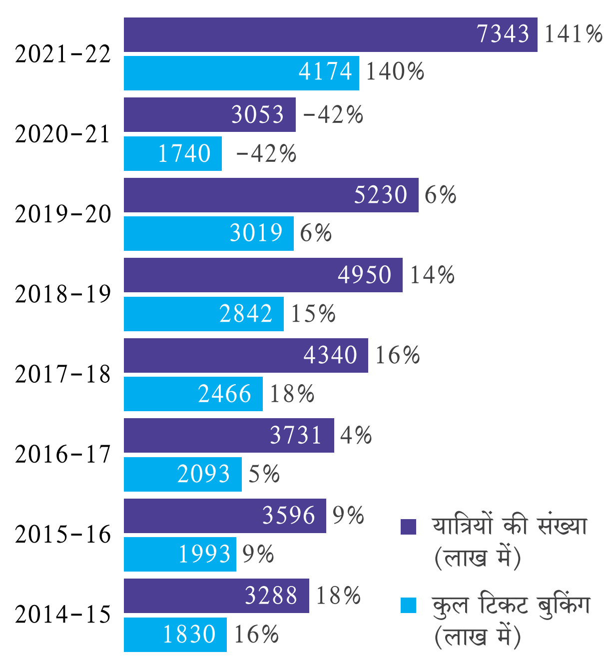

ख. ई–टिकटिंग से प्राप्त राजस्व

वर्ष 2021–22 के दौरान, उपयोगकर्ताओं से टिकट किराये के रूप में कुल ₹ 38178.32 करोड़ ई–टिकटिंग राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष के ₹ 17761.60 करोड़ के राजस्व से 115% अधिक है।

टिकट से एकत्र किया किराया (₹ करोड़ में)

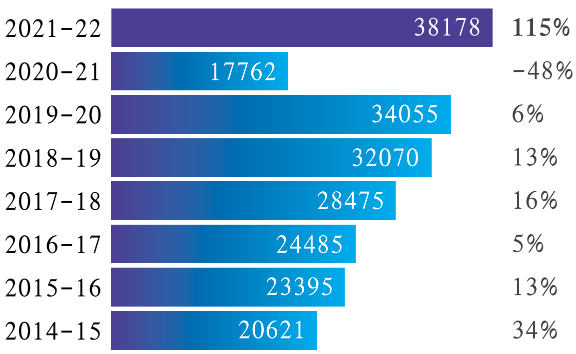

वर्ष 2021–22 के दौरान की गई नई पहल

क. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी वेबसाइट में मल्टी लैप पूछताछ की सुविधा: यह सुविधा यात्रियों को दो स्टेशनों के बीच कनेक्टिंग गाड़ी यात्रा की बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है, जिसके लिए सीधी गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं।

- वेबसाइट : 09–अप्रैल–2021
- आईओएस : 12– अप्रैल –2021

ख. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में विश्रामालय बुकिंग की सुविधा: यह सुविधा यात्रियों को ऐप के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए स्टेशनों पर, जहां भी उपलब्ध हो, विश्रामालय की बुकिंग की अनुमति देता है।

- एंड्रॉयड: 27– अप्रैल –2021

ग. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में विशेषाधिकार पास/पीटीओ धारकों के लिए रेल ई–टिकट बुकिंग: इस सुविधा के द्वारा, भारतीय रेल कर्मचारी आईओएस प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप से विशेषाधिकार पास/पीटीओ के साथ ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।.

- आईओएस: 13–मई–2021

घ. आईआरसीटीसी द्वारा आईआरसीटीसी में बस बुकिंग सुविधा का एकीकरण: आईआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in) का एक्सक्लूसिव सेक्शन और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप एंड्रॉइड और आईओएस क्रमशः 1 जुलाई 2021, 9 और 26 अगस्त, 2021। यह एकीकरण ग्राहकों को मोबाइल ऐप और वेबसाइट से बस टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान कर रहा है जो पर्यटन पोर्टल पर बस बुकिंग पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करता हैं।

- वेबसाइट : 01–जुलाई–2021
- एंड्रॉयड : 09– अगस्त –2021
- आईओएस : 26– अगस्त –2021

ङ. आईआरसीटीसी ने क्रमशः 25 अगस्त और 22 सितंबर, 2021 से आईआरसीटीसी वेबसाइट और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में एस्कॉर्ट के साथ शिशु दिव्यांग रियायत बुकिंग भी शुरू की :

च. जंक/डिस्पोजेबल ईमेल आईडी के साथ उपयोगकर्ता पंजीकरण जिसे आईआरसीटीसी ई–टिकटिंग वेबसाइट पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। (21–सितंबर–2021)

छ. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस (27–नवंबर–2021) और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस (01–नवंबर–2021) का आईआरसीटीसी ई–टिकटिंग के लिए यात्रा बीमा भागीदारों के रूप में एकीकरण जिसकी प्रीमियम राशि को 49 पैसे से संशोधित कर 35 पैसे की गई

ज. माननीय सांसद/पूर्व सांसद उपयोगकर्ता आईडी द्वारा आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में सामान्य यात्री बुकिंग: ऐप के माध्यम से माननीय सांसद/पूर्व सांसद उपयोगकर्ता आईडी द्वारा सामान्य यात्री बुकिंग की सुविधा।

- आईओएस: 11– नवंबर –2021
- एंड्रॉयड: 18– नवंबर –2021

झ. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में ऐड मील विकल्प का समावेश: यह सुविधा उपयोगकर्ता को आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते समय तीसरे पक्ष (पैंट्री के अलावा) के भोजन को जोड़ने/बुक करने की सुविधा प्रदान करेगी।

- एंड्रॉयड: 02– दिसंबर –2021
- आईओएस: 06–दिसंबर–2021

ञ. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में ऑन बोर्ड कैटरिंग सेवाओं से भोजन की बुकिंग: इस सुविधा द्वारा अब ग्राहक आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते समय ऑन बोर्ड पैंट्री कार से भोजन जोड़/बुक कर सकते हैं।.

- एंड्रॉयड: 02– दिसंबर –2021
- आईओएस: 06–दिसंबर–2021

ट. ई–गिफ्ट वाउचर विकल्प का आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के 'आईआरसीटीसी एक्सक्लूसिव' सेक्शन के तहत समावेश: यह सुविधा ग्राहक को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न तृतीय पक्ष उत्पादों के लिए ई–गिफ्ट वाउचर खरीदने की अनुमति देगा।

- एंड्रॉयड : 31–दिसंबर–2021

ठ. आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर "ईएमआई आधारित" भुगतान विकल्प का एकीकरण: यह भुगतान विकल्प ग्राहक को ई–टिकट बुक करने और लागू नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार समान किस्तों में टिकट का किराया भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा।

- एंड्रॉयड : 31–दिसंबर–2021

ड. होटल/बस ऑपरेटरों/विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए स्वचालित भुगतान प्रणाली जनवरी, 2022 में लागू की गई थी। इस डिजिटलीकरण के साथ, आईआरसीटीसी द्वारा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ भुगतान समय पर संसाधित कर पाएगा।

ढ. आईआरसीटीसी ने अर्धसैनिक बलों के लिए ई-टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित किया है जो अपने कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकट बुक कार्य सकते है।

- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली 04-फरवरी-2022 से शुरू की गई थी जो सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकटों की बुकिंग कर सकते है।

- सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली 17-फरवरी-2022 से शुरू की गई थी जो सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकटों की बुकिंग कर सकते है।

- पूर्व में सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एनएसजी और एआर के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली विकसित की गई है। ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली इन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उनकी आरक्षित ट्रेन टिकट आवश्यकताओं को संभालने और रेलवे वारंट प्रबंधन और भारतीय रेल और गृह मंत्रालय के बीच उनके सामंजस्य और लेखांकन के लिए बोझिल मैनुअल प्रक्रियाओं से बड़ी राहत प्रदान करेगी।

ण. बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से रुपे प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी बीओसी लॉयल्टी कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। (21-फरवरी-2022):

त. आईआरसीटीसी बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से ग्राहकों को लाभ:

- जारी करने पर ₹ 500+ जीएसटी का ज्वाइनिंग शुल्क।
- प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण पर ₹ 350+जीएसटी का नवीनीकरण शुल्क।
- एक्टिवेशन लाभ - कार्ड जारी होने के 45 दिनों के भीतर ₹ 1,000 या अधिक के एकल ट्रांसैक्शन पर 1,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट।
- रेलवे लाउंज हेतु प्रवेश - पार्टनर रेलवे लाउंज में प्रति वर्ष 4 कॉम्प्लिमेंट्री प्रवेश (प्रति तिमाही 1) (केवल प्राथमिक कार्डधारक के लिए)।
- ईंधन अधिभार छूट - भारत के सभी पेट्रोल पंपों पर जीएसटी और अन्य शुल्कों को छोड़कर ₹ 500 - ₹ 3,000 के ट्रांसैक्शन पर 1% ईंधन अधिभार की छूट (क्रेडिट कार्ड खाता प्रति विवरण चक्र ₹ 100 की अधिकतम अधिभार छूट)।
- 1 रिवॉर्ड पॉइंट = ₹ 0.25/-।
- रिवॉर्ड पॉइंट (मूलभूत) - गैर-ईंधन खुदरा खरीद पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹ 100 के लिए 2 रिवॉर्ड पॉइंट,
- रिवार्ड पॉइंट्स (त्वरित)- 2द यानी निम्न पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹ 100 पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट:
  - किराना
  - डिपार्टमेंटल स्टोर (अधिकतम प्रति माह 1000 आरपी)
- रिवार्ड पॉइंट्स (आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग पर त्वरित) - आईआरसीटीसी पोर्टल पर टिकट खरीद के लिए 1एसी, 2एसी , 3एसी , सीसी या ईसी श्रेणी बुकिंग पर 20द तक रिवॉर्ड पॉइंट।
- को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर आईआरसीटीसी पर रेलवे टिकट बुकिंग पर भुगतान गेटवे ट्रांसैक्शन शुल्क के 1% की छूट।

थ. आस्कदिशा चैटबॉट द्वारा ई-टिकट बुकिंग: पहली बार, रेलवे ई-टिकट को आईआरसीटीसी पासवर्ड की आवश्यकता के बिना भी वॉयस और चैट का उपयोग करके सुविधाजनक संवादात्मक तरीके से खरीदा जा सकता है। सिस्टम को किसी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के आधार पर काम करेगा। आस्कदिशा (डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनीटाइम) एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित चैटबॉट

है, जो आईआरसीटीसी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसके माध्यम से ग्राहक अब आरक्षित रेल ई-टिकट भी बुक कर सकते हैं।

द. चैटबॉट ई-टिकटिंग सेवा 30 दिसंबर 2021 को चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट पर आरम्भ की गई थी और 31 मार्च 2022 को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण रूप से आरम्भ की गई थी।

ध. अन्य यात्रियों के साथ शिशु यात्रियों (0 से 4 वर्ष) के लिए पूर्ण किराया बर्थ बुक करने के विकल्प का कार्यान्वयन (आरम्भ तिथि 31-मार्च-2022)।

न. प्रोफ़ाइल विवरण को आधार के साथ पुनः सत्यापित करने के विकल्प का कार्यान्वयन। यदि उपयोगकर्ता ने अपना आधार विवरण अपडेट किया है, तो वे प्रोफ़ाइल विवरण को आधार के साथ पुनः सत्यापित कर सकते हैं। (31-मार्च-2022)।

इंटरनेट टिकटिंग की मुख्य विशेषताएं (2021-22)

1. 21 मार्च, 2022 को 15,88,592 टिकटों की अब तक की सर्वाधिक वेबसाइट बुकिंग का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया।
2. बुक की गई टिकटों की कुल संख्या 4174.49 लाख थी, जो गत वर्ष का 140% है।
3. वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ट्रेन टिकट किराया ऑनलाइन ई-टिकटिंग के लिए ₹ 38178.32 करोड़ था।
4. 31 मार्च, 2022 तक कुल 7.81 करोड़ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर) डाउनलोड हुए।
5. मोबाइल बुकिंग: 2021-22 के दौरान औसत मोबाइल ऐप बुकिंग प्रति दिन 5.25 लाख टिकट थी जबकि इसकी तुलना में 2020-21 में 2.21 लाख टिकट बुकिंग थी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 46% आईआरसीटीसी ई-टिकट आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप से बुक की गई हैं।
6. 2021-22 में ऑनलाइन बुक की गई आरक्षित रेल टिकटों का हिस्सा 80.43% था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन बुक की गई आरक्षित टिकट का हिस्सा 79.83% था। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग शेयर में लगातार वृद्धि हुई है।
7. 31-मार्च-2022 को आस्कदिशा चैटबॉट का ई-टिकट बुकिंग के लिए एकीकरण।
8. विज्ञापन/विपणन/प्रचार गतिविधियां:
   - **आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर पुश नोटिफिकेशन सेवाएं:** आईआरसीटीसी ने जुलाई, 2021 में आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर पुश नोटिफिकेशन सेवाएं शुरू की थीं ताकि आईआरसीटीसी के इन-हाउस उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके और पुश नोटिफिकेशन द्वारा तीसरे पक्ष की सेवाओं/उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा सके।
   - **आईआरसीटीसी वेबसाइट के लिए नया विज्ञापन एग्रीगेटर–** आईआरसीटीसी ने एड एग्रीगेटर टेक्नोलॉजी को आईआरसीटीसी वेबसाइट पर एकीकृत किया ताकि अतिरिक्त विज्ञापन मांग को पूरा करने और कंपनी के लिए वृद्धिशील राजस्व प्राप्त किया जा सके। परियोजना सितंबर 2021 में शुरू की गई थी।

     प्रत्यक्ष विज्ञापन के द्वारा अपूर्ण एड सूची को पूर्ण करने का प्रयास किया गया।
9. **प्रणाली में सुधार:**
   - आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग एंटी फ्रॉड (आईटीएएफ) दल ने संदिग्ध लोग इन के आईपी लेवल ब्लॉक लगाने की पहल की जो चरम तत्काल के दैनिक बुकिंग विवरण के आधार पर किया जाता है। इससे आम यात्रियों के लिए इंटरनेट टिकटिंग की पहुंच में सुधार हुआ है। मार्च, 2022 तक कुल 09 वीपीएस/क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के आईपी को सामान्य उपयोगकर्ता के लिए ब्लॉक किया गया और आईआरसीटीसी अधिकृत विक्रेताओं के लिए व्हाइटलिस्टेड किया गया।
   - आईआरसीटीसी ने प्रौद्योगिकी संचालित फर्म मैसर्स पिनाका टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड के द्वारा "**एंटी-टूटिंग और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस**" का संचालन किया जो गहन और इंटेलीजेंट डेटा विश्लेषण के माध्यम से टूटिंग गतिविधियों के सक्रिय शमन के लिए पायलट आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम ने अवैध तत्काल सॉफ़्टवेयर के उपयोग से टूटिंग गतिविधि की प्रभावशीलता को कम करने में सक्षम बनाया है।

ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकटिंग की वृद्धि

ई-टिकटिंग शेयर (% में)

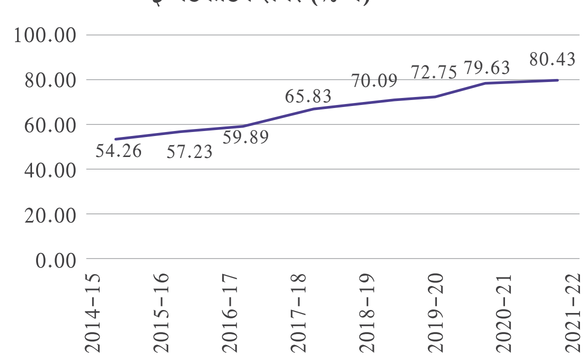

ऑनलाइन टिकट बुकिंग का क्षेत्र-वार शेयर

क्षेत्र	कुल बुकिंग (लाख में)	बुकिंग राशि (₹ करोड़ में)	% बुकिंग का शेयर
आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप सामान्य उपयोगकर्ता	1,915.37	15,101.32	46%
आईआरसीटीसी वेबसाइट सामान्य उपयोगकर्ता	742.27	8,218.42	18%
बी2सी सामान्य उपयोगकर्ता	843.88	6,760.14	20%
रिटेलर	609.91	6,758.03	15%
जी2जी	63.06	1,340.41	1%
कुल	**4,174.49**	**38,178.32**	**100%**

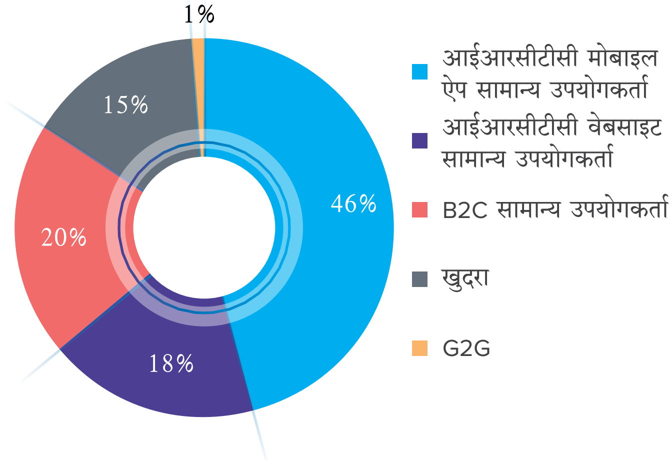

डेटा और साइबर सुरक्षा

कंपनी अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर करती है और इसके डेटा को मौजूदा साइबर सुरक्षा खतरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षा करती है। कंपनी अपने डेटा को एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम से सुरक्षा करती है और मौलशस वायरस या अन्य साइबर खतरों से सफलतापूर्वक सिस्टम का बचाव करती है।

आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग प्रणाली एक अच्छी प्रकार से संरक्षित प्रणाली है, जो उद्योग-मानक के अनुसार अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक युक्त है जिससे साइबर खतरे और डेटा चोरी से बचाव करती है। इसमें नेटवर्क फ़ायरवॉल, नेटवर्क इंट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल आदि शामिल हैं। वेबसाइट एक्सटेंडेड वेरिफिकेशन (ईवी) एसएसएल/टीएलएस सर्टिफिकेट पर चलती है जो वेबसाइट और इसके उपयोगकर्ताओं के मध्य एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। संवेदनशील डेटा जिसमें उपयोगकर्ता का पासवर्ड डेटाबेस में एन्क्रिप्टेड रूप में स्टोर किया जाता है।

नेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड सहित सभी ऑनलाइन भुगतान एकीकरण यूआरएल-रिडाइरेक्शन मॉडल पर कार्यान्वित किए गए हैं, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया हेतु संबंधित बैंकों/पेमेंट गेटवे वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट किया जाता है, यह आईआररसीटीसी की ओर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड डेटा लीक होने के सभी अवसर को पूर्णत समाप्त कर देता है।

गत वर्ष, कंपनी ने अपनी यात्रा और पर्यटन और खानपान सेवाओं के लिए आईसीटी अवसंरचना को भी रिफ्रेश किया था, और कई साइबर सुरक्षा उपायों को जोड़ा गया था जिसमें वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सुरक्षित ईमेल गेटवे और मालवेयर सैंडबॉक्सिंग उपाय भी है इसका साइबर सुरक्षा पोस्चर को बढ़ाना भी है।

साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, कंपनी ने अपने यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के लिए फरवरी 2022 में पीसीआई डीएसएस सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पीसीआई क्यूएसए सेवाओं को नियुक्त किया है। पीसीआई डीएसएस अनुपालन वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपेक्षित है।

(iv) बोतलबंद पेयजल (रेल नीर)

रेलनीर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) का एक प्रमुख उत्पाद है। हमारे बोतलबंद पेयजल को संसाधित, शुद्ध, बोतलबंद और अत्याधुनिक संयंत्रों में पैक किया जाता है और भारतीय रेलवे नेटवर्क के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर व्यापक रूप से उपलब्ध है।

रेल नीर पेयजल को रेलवे स्टेशनों पर अनिवार्य कर दिया गया है और बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए आईआरसीटीसी देश भर में विभिन्न रेल नीर संयंत्र स्थापित कर रहा है।

31 मार्च, 2022 को आईआरसीटीसी के नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ, अमेठी, परसाला, बिलासपुर, साणंद, हापुड़, मंडीदीप, नागपुर, जागीरोड, मनेरी, संकरेल और ऊना में स्थित 15 परिचालन संयंत्र हैं, इनमें से अमेठी, परसाला, साणंद, हापुड़, मंडीदीप, नागपुर, जागीरोड, मनेरी, संकरैल और ऊना पीपीपी मॉडल के तहत संचालित हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में रेल नीर संयंत्रों का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	उत्पादन (करोड़ बोतलों में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	संयंत्र उपयोगिता (%)
2021-22	19.86	172.26	42.60%
2020-21	7.52	57.24	16.35%

गुणवत्ता: नांगलोई, दानापुर, पालूर और बिलासपुर स्थित रेल नीर संयंत्र को आईएसओ: 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और रेल नीर संयंत्र, अंबरनाथ को आईएसओ: 22000-2015 प्रमाणन मिला हुआ है।

प्रमाणन प्रयोगशालाओं द्वारा रेल नीर बोतलबंद पेयजल के लिए किए गए परीक्षणों के परिणाम दर्शाते है कि कीटाणुरोधी अपशिष्ट के लिए रेल नीर की गुणवत्ता **यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (ईईसी)** के नियमों के अनुरूप है।

2021-22 के दौरान, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के पास सिम्हाद्री में एक नया रेल नीर संयंत्र लगाया गया है।

प्रौद्योगिकी/क्षमता का अपग्रेडेशन

डुप्लीकेट डिजाइन और घटिया जल की परिणामी बिक्री से मुकाबला करने के लिए पायलट परियोजना के आधार पर सुरक्षा उपाय के रूप में रेल नीर की बोतल पर एक होलोग्राम लगाया गया है।

संयंत्रों में रेल नीर वितरण सम्बन्धी संचालन कार्यो की निगरानी के लिए हैंडहेल्ड टर्मिनलों (एचएचटी) का उपयोग आरम्भ कर दिया गया है।

रेल नीर ले जाने और और उसे आगे भेजने वाली एजेंसियों (सीएफए) को हैंडहेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) के माध्यम से लाइसेंसधारियों को इनवॉइस जारी करने का अधिकार दिया गया है, ताकि संयंत्र में एक पायलट परियोजना के तहत गाड़ियों और खानपान इकाइयों में स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति का लाइव रिकॉर्ड और समाधान किया जा सके। इससे कम समय में बिल के निपटान की प्रक्रिया सरल बना दी है और हर समय सटीक परिणाम प्राप्त होते है। इसके फलस्वरूप स्टेशनरी में भी बचत हुई है और समाधान के लिए समय मिलता है। साथ ही, डेटा को आईआरसीटीसी के सर्वर पर डाले जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है ताकि रेल नीर के कार्यनिष्पादन का आकलन किया जा सके और इसका उपयोग निर्णय लेने के टूल के रूप में किया जा सके।

भविष्य की योजनाएं

भारतीय रेलवे पर बोतलबंद पेयजल की औसत दैनिक आवश्यकता लगभग 18-20 लाख लीटर प्रतिदिन है। आईआरसीटीसी की उत्पादन क्षमता लगभग 14.80 लाख लीटर प्रतिदिन है, जो पंद्रह कार्यरत संयंत्रों में फैली हुई है। पांच और संयंत्रों के चालू होने के साथ, क्षमता लगभग 18.40 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ जाएगी, और यह 2022-23 तक संचालन में आ जाएंगे। इसे भारतीय रेलवे की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। ऊना में नव स्थापित रेल नीर संयंत्र का वाणिज्यिक संचालन 31 जुलाई, 2021 से शुरू हो गया है।

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) के समीप सिम्हाद्री और भुसावल (महाराष्ट्र) में रेल नीर संयंत्र कार्य समापन के उन्नत चरणों में है और विजयवाड़ा के पास मल्लवल्ली और भुवनेश्वर स्थित रेल नीर संयंत्र का सिविल निर्माण कार्य जारी हैं। इन सभी संयंत्रों के वित्त वर्ष 2022-23 में चालू होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, कोटा (राजस्थान) में एक और संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्णय-पत्र प्रदान किया गया है।

(ड़) आईआरसीटीसी की सोशल मीडिया उपस्थिति

2021-22 में यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा प्रतिबंध। आईआरसीटीसी ने जुड़े रहने के निरंतर प्रयास किए है और अपने ग्राहकों को सहायता प्रदान की है दर्शकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में सूचित किया और यात्रा दिशानिर्देशों के बारे में निरंतर रिमाइंडर भेजे हैं। इससे ब्रांड की उपस्थिति और पहचान बनाने में मदद मिली है जिससे नए संभावित ग्राहकों से जुड़ने में मदद मिली है।

2021-2022 के दौरान, आईआरसीटीसी को 2,28,717 उल्लेख प्राप्त हुए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थे। एक ब्रांड के लिए, यह इंटरएक्टिव पोस्ट बनाने और अपने ग्राहकों को ब्रांड से जोड़े रखना एक निरंतर जगल है। आईआरसीटीसी पोस्ट को 6,95,936 लोगों से प्रतिक्रिया मिली, जो समाचार वेबसाइटों, ऑनलाइन मंचों आदि सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी सफलता है जो संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने में सक्षम होने में पर्याप्त वृद्धि दर्शाती है। आईआरसीटीसी को विभिन्न सोशल नेटवर्क पर कुल 48,290 सकारात्मक उल्लेख प्राप्त हुए हैं।

2021 में आईआरसीटीसी अपने उपयोगकर्ताओं के साथ दो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कु और टेलीग्राम से जुड़ा। भले ही कु प्रोफ़ाइल फरवरी, 2021 में बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में इसे इंस्टेंट 30,000 से अधिक फॉलोअर्स प्राप्त हुए, कु हैंडल के 124.8k फॉलोअर्स हैं और यह अभी भी अद्भुत प्रतिक्रिया के साथ बढ़ रहा है।

आईआरसीटीसी का टेलीग्राम अकाउंट जनवरी, 2021 में बनाया गया था और वर्तमान में, 2021-22 में इसके फॉलोअर्स की संख्या में 291.44% की वृद्धि देखी गई है।

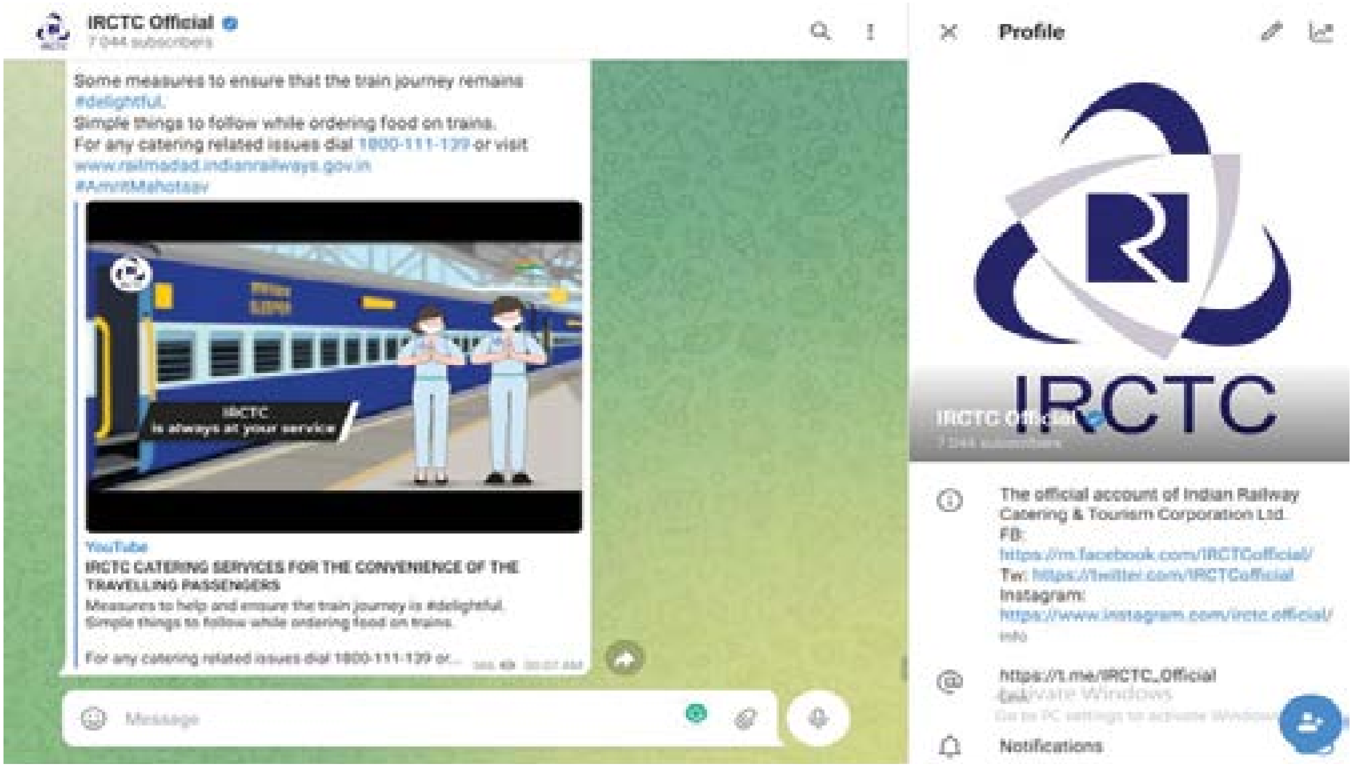

गत वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में, आईआरसीटीसी को इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या में भारी वृद्धि प्राप्त हुई है। यूट्यूब ने सब्सक्राइबर्स में 11871.30% की वृद्धि देखी और इंस्टाग्राम ने अपने फॉलोअर्स की संख्या में 3.15% की वृद्धि प्राप्त हुई है। ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या में 27.83% की वृद्धि प्राप्त हुई। फेसबुक पर इसमें 6.68% की वृद्धि हुई और लिंक्डइन पर फॉलोअर्स की संख्या में 117% की वृद्धि हुई जबकि पिनइंटेरेस्ट में 878.3% की वृद्धि प्राप्त हुई।

आईआरसीटीसी के महाराजा एक्सप्रेस यूट्यूब अकाउंट में सब्सक्राइबर की संख्या में 103% की वृद्धि हुई है, जिसके बाद ई-कैटरिंग के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो किया जाता है। इसने अच्छा प्रदर्शन किया है और फॉलोअर की संख्या में 60.66% की वृद्धि प्राप्त की है।

आईआरसीटीसी ने "श्री रामायण यात्रा" गाड़ी शुरू की थी, जो भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थानों को शामिल करती है। इसने पर्यटकों के बीच काफी रोमांच और उत्साह उत्पन्न किया जो सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दिया। भगवान राम के भक्तों के लिए यह एक बहुत अच्छा अनुभव था।

सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रणनीतियों ने वेबसाइटों की रैंकिंग और ट्रैफिक को बेहतर बनाने में काफी मदद की है। आने वाले महीनों में अधिक आक्रामक रणनीतियां लागू की जाएंगी जो एल्गोरिथम के साथ मदद करेंगी और इंटरनेट पर आईआरसीटीसी और इसके उत्पादों के लिए पहुंच और बेहतर दृश्यता में सुधार करेंगी।

(च) मानव संसाधन विकास

आईआरसीटीसी मानता है कि मानव संसाधन विकास किसी भी संगठन और उसके विकास के लिए आवश्यक संसाधनों में से एक है, अर्थात यदि संगठन स्व-प्रेरित और विकासोन्मुखी है। आईआरसीटीसी में, मानव संसाधन विभाग कंपनी के लिए कार्यरत कर्मचारियों की क्षमताओं की पहचान, पोषण और उपयोग करता है। यह संगठन के कर्मचारियों को उनकी संगठनात्मक और व्यक्तिगत क्षमताओं, जानकारी और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए एक संरचना बनाता है, आईआरसीटीसी के मानव संसाधन विभाग का उद्देश्य प्रत्येक एक दूसरे में निवेश करके नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर संचार, योग्यता वृद्धि, प्रेरणा मिलती, और ऐसा करने में, विश्वास की एक कॉर्पोरेट संस्कृति ने ऐसा वातावरण तैयार किया है जो व्यक्ति और नियोक्ता के लक्ष्यों की सफलता के लिए अनुकूल है। कंपनी ने हाल ही में संरचित और मजबूत उत्तराधिकार योजना ढांचा विकसित किया है जो नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रतिभा की पहचान और विकास करेगी

31 मार्च, 2022 को, कंपनी में 1971 कर्मियों की कुल जनशक्ति थी जिनका विरवान इस प्रकार हैं:

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
नियमित कर्मचारी	1363
प्रतिनियुक्त	45
अनुबंध पर	0
आउट सोर्स्ड	555#
सलाहकार	08

सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जनशक्ति एजेंसी के माध्यम से नियुक्त।

कंपनी के नियमित कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों, विकलांग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या का % (1363)
महिला कर्मचारी	113	8.29
अनु जा कार्मिक	268	19.66
अ ज जाति कार्मिक	73	5.35
ओबीसी	335	24.57
दिव्यांग व्यक्ति	11	0.80

कर्मचारी कल्याण:

आईएलओ के अनुसार, “कर्मचारी कल्याण को ऐसी सेवा, सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के रूप में समझा जाना चाहिए, जो उपक्रमों में या उनके आसपास स्थापित की जा सकती हैं ताकि उनमें कार्यरत व्यक्ति स्वस्थ और शांतिपूर्ण परिवेश में अपना काम कर सकें और सुविधाओं का लाभ उठा सकें जो उनके स्वास्थ्य में सुधार करें और उच्च मनोबल लाएं। उपर्युक्त का पालन करते हुए, मानव संसाधन (एचआर) विभाग ने 2021-22 के दौरान निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय किए:-

- **व्यापक कर्मचारी कल्याण योजना:** दुर्घटना से मृत्यु के साथ ही प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में राशि को बढ़ाकर 70 माह के मूल वेतन महंगाई भत्ते सहित के बराबर राशि दिए जाने की सुविधा सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों सहित आईआरसीटीसी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए है।
- **आईआरसीटीसी के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नीति:** आईआरसीटीसी के नियमित कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की शुरुआत की गई, जिन्होंने सेवा के दौरान अपनी जान गंवा दी (आत्महत्या के मामले को छोड़कर), सेवा की शेष अवधि के बावजूद, अधिवर्षिता की आयु तक।
- **कर्मचारी अंशदायी कल्याण योजना:** आईआरसीटीसी कर्मचारी अंशदायी कल्याण योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई कि आईआरसीटीसी के कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। एक कर्मचारी प्रति माह ₹ 100/- की मामूली राशि का योगदान करके स्वैच्छिक आधार पर योजना का सदस्य बन सकता है।
- **आईआरसीटीसी चिकित्सा परिचर्या नियम:** चिकित्सा उपचार के लिए जहाँ अस्पताल में भर्ती और आंतरिक देखभाल की आवश्यकता है, पैनलबद्ध अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों आदि में किए गए खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है। यह योजना गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, गुर्दे की विफलता, हृदय रोग, आदि से पीड़ित कर्मचारियों/परिवार को शामिल करती है।
- **पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम (पीआरएमएस):** यह कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय है जो उनकी देखभाल प्रदान करेगी। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ उन कर्मचारियों तक विस्तारित करेगी जो आईडीए वेतनमान में पात्र है और उनके पति या पत्नी जो सीपीएसई (एस) में 15 वर्ष की सेवा के बाद 01.01.2007 को या उसके बाद वयोवृद्ध/सेवानिवृत्त/मृत्यु हो गई है। यह योजना उन कर्मचारियों को भी शामिल करती है जो 01.01.2007 को या उसके बाद पहले ही वयोवृद्ध, सेवानिवृत्त या चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं)।
- **चिकित्सीय उपचार का वैकल्पिक तरीका:** चिकित्सा मदद के वैकल्पिक तरीके को बढ़ावा देने के लिए, आईआरसीटीसी ने कॉरपोरेट कार्यालय और नार्थ जोन के कर्मचारियों के लिए होम्योपैथिक फिजिशियन की निःशुल्क परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराइ है। बड़ी संख्या में स्टाफ और उनके परिवारों को बीमारियों से बचाव में मदद मिली है, जैसे सामान्य खांसी, जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए होम्योपैथि इलाज से सहायता मिली।
- **मृत कर्मचारी का अन्त्येष्टि खर्च:** मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अंत्येष्टि व्यय के रूप में ₹ 25,000/- की राशि अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान की जाती है।
- **अप्रेंटिसो की तैनाती:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देश अनुसार, आईआरसीटीसी स्वीकृत क्षमता के 2.5% से 10% के बैंड में अप्रेंटिसो के लिए प्रशिक्षण के अपने दायित्व को विधिवत पूरा कर रहा है। प्रशिक्षण की इस अवधि के लिए, प्रत्येक अप्रेंटिस को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार वजीफा दिया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, 68 अप्रेंटिसो (अर्थात कुल कर्मचारियों संख्या का 3.45%) को नियुक्त किया गया था।
- **टॉक टु मैनेजमेंट:** हाल ही में, एक योजना '**टॉक टु मैनेजमेंट**' आरम्भ की गई है, जहां एक कर्मचारी/संविदात्मक कर्मचारी आईआरसीटीसी के मानव संसाधन प्रमुख (अर्थात समूह महाप्रबंधक/मानव संसाधन विकास) के साथ अनौपचारिक रूप से अपनी शिकायतों या अपने नियंत्रण अधिकारी/पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बिना संगठन के प्रदर्शन या किसी अन्य मुद्दे पर सुधार के लिए किसी अभिनव विचार के बारे में बातचीत कर सकते हैं। इस योजना के पीछे मूल विचार संगठन की प्रणाली में सुधार के लिए 'मंथन' द्वारा कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करना है, साथ ही कर्मचारियों की शिकायत का समाधान करना है।
- **कर्मचारियों को प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण सेल ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड जागरूकता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, पॉश, एमडीपी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वर्चुअल कैंपस से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और सभी स्तरों पर प्रशिक्षण को शामिल किया। कोविड के कारण, प्रशिक्षण के तरीके को ऑफलाइन से

ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था। विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों की एक छोटी सी झलकी इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षित किए गए स्टाफ की संख्या	कार्य दिवस
2020-21	13	2253	3573
2021-22	26	3323	6538

विदित की गई प्रशिक्षण की संक्षिप्त विशेषताएं:

- विगत वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रशिक्षण की तुलना में कर्मचारियों के प्रशिक्षण में काफी वृद्धि हुई है।
- कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला का संचालन जैसे कार्य नैतिकता, योग और ध्यान, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, पॉश, जीईएम, खाद्य संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा, जनसंपर्क के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संकट के बाद व्यक्तिगत और व्यावसायिक लचीलापन, साइबर सुरक्षा, इनसाइडर ट्रेडिंग, आदि।
- वर्चुअल क्लासरूम (संयुक्त महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों के लिए सहायक प्रबंधक द्वारा आयोजित सत्र) का संचालन और ओरिएंटेशन कार्यक्रम (निदेशक और जीजीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा संचालित सत्र) का संचालन जो कंपनी के क्षमता निर्माण के लिए आईआरसीटीसी प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ईओ और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए किया गया था।
- अधिकारियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
- नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, जीईएम एंड जीएफआर - नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, वडोदरा
- एफएसएसएआई "लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन" - नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल अकादमी ऑफ़ इंडियन रेलवेज़, वडोदरा
- टूवड्र्स एन एथिकल वर्क कल्चर - डीएमआरसी
- सूचना का अधिकार अधिनियम पर इंटरएक्टिव संगोष्ठी - स्कोप
- व्यापार रणनीति और निर्णय लेना नए सलाहकारों के लिए परामर्श, आदि - एआईएमए
- सब्सटांस एज डिसऑर्डर - इंस्टिट्यूट ऑफ़ काउंसेलर ट्रेनिंग रिसर्च एन्ड कंसल्टेंसी
- एनएएचआरडी द्वारा वेतन निर्धारण नियम, अनुशासनात्मक नियम और प्रक्रियाएं आदि
- एफसीटीडी द्वारा प्रबंधकीय उत्कृष्टता के लिए स्वयं को विकसित करना

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

		भाग लेने वाले	अवधि	भाग लेने वाले	कार्यदिवस
1	कार्य नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता और संगठनात्मक शिष्टाचार	पर्यवेक्षक एवं उच्च	1 दिन	45	45
2	सुश्री प्रभा द्वारा योग सत्र (पीसीटीआईएल)	सभी कर्मचारी	1 दिन	79	79
3	एफएसएसएआई "लेबलिंग और डिस्प्ले विनियम" - राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	ई-0 एवं उच्च	2 दिन	6	12
4	नेशनल प्रोजेक्ट एन्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पालिसी फ्रेमवर्क (एनपीएमपीएफ) - नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, वडोदरा द्वारा	ई-0 एवं उच्च	1 वरू	4	4
5	व्यक्तिगत और व्यावसायिक लचीलापन पोस्ट क्राइसिस – एचसीटीडी	ई-0 एवं उच्च	2 वरू	25	50
6	नैतिक कार्य संस्कृति की ओर - डीएमआरसी प्रशिक्षण।	एएम/सतर्कता	03 दिन	1	3
7	मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण – पीसीटीआईएल	कामगार एवं उच्च	3 दिन	135	405
8	पीआरओ के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम - श्री मनोज वर्मा द्वारा (सीनियर न्यूज एंकर, एलएसटीवी)	पर्यवेक्षक एवं उच्च	1 दिन	20	20
9	जीईएम और जीएफआर- भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा द्वारा	ई-0 एवं उच्च	2 दिन	7	14
10	सूचना का अधिकार अधिनियम पर इंटरएक्टिव संगोष्ठी - स्कोप द्वारा	ई-5 एवं ई-6	2 दिन	2	4
11	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम - एड. रिंकू तिवारी	कामगार एवं उच्च	1 दिन	41	41
12	इनसाइडर ट्रेडिंग का ऑनलाइन सत्र - श्री. नरेश कुमार सिन्हा	कामगार एवं उच्च	1 दिन	150	150
13	साइबर सुरक्षा जागरूकता - सीडीएसी द्वारा	कामगार एवं उच्च	1 दिन	175	175
14	व्यापार रणनीति और निर्णय लेने पर कार्यशाला - एआईएमए द्वारा	ई-5	1 दिन	3	3

		भाग लेने वाले	अवधि	भाग लेने वाले	कार्यदिवस
15	जीईएम का बेसिक मॉड्यूल (गवर्नमेंट ई-मार्किट प्लेस) - जीईएम द्वारा	पर्यवेक्षक एवं उच्च	1 दिन	125	125
16	फूड हैंडलर्स पर ऑनलाइन प्रशिक्षण- खाद्य सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वच्छता	कामगार एवं उच्च	1 दिन	500	500
17	सब्स्टन्स एज डिसऑर्डर- इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसलर ट्रेनिंग रिसर्च एंड कंसल्टेंसी द्वारा	एजीएम एवं उच्च	1 दिन	6	6
18	प्रिंसटन अकादमी द्वारा एक्सेल का उपयोग करके डेटा विश्लेषण पर ऑनलाइन कार्यशाला	ई1 एवं उच्च	3 दिन	5	15
19	डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन के सहयोग से "चुनौतीपूर्ण समय के दौरान लीवर देखभाल" पर वेबिनार	कामगार एवं उच्च	1 दिन	50	50
20	वेतन निर्धारण नियम- एनएएचआरडी द्वारा	एएम एवं उच्च	2 दिन	4	8
21	अनुशासनात्मक नियमों और प्रक्रियाओं पर आवासीय कार्यशाला- एनएएचआरडी द्वारा	जेजीएम एवं उच्च	3 दिन	3	9
22	प्रबंधकीय उत्कृष्टता के लिए स्वयं को विकसित करना -एफसीटीडी द्वारा	जेजीएम एवं उच्च	2 दिन	3	6
23	सभी कर्मचारियों के लिए वर्चुअल कैंपस	कामगार एवं उच्च	12 सत्र	800	1600
24	ई0 से ई3 स्टाफ के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम	ई0 से ई3	14 सत्र	160	2240
25	नए सलाहकारों के लिए परामर्श- एआईएमए द्वारा	ई6 से ई8	1 दिन	14	14
26	खाद्य संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा फोस्टैक प्रशिक्षण- मैसर्स एचयूएल द्वारा	कामगार एवं पर्यवेक्षक	1 दिन	960	960
	कुल			3323	6538

औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंधों का माहौल परंपरागत रूप से सौहादपूर्ण रहा है। कंपनी में एक सहयोगी और निर्बाध आईआर वातावरण बनाए रखा गया है ताकि आईआरसीटीसी के कर्मचारी बदलते कारोबारी माहौल के कारण कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें। सशक्तिकरण, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और सहभागी प्रबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी में एक प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित की गई है ताकि कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने में प्रबंधन का समर्थन किया जा सके।

कर्मचारियों का विवरण

अधिनियम की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। परिणामतः, निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी की नीति और अधिनियम की धारा 178 (3) के तहत आवश्यक अन्य मामलों का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

इसी तरह, अधिनियम की धारा 197 भी एक सरकारी कंपनी के लिए छूट प्राप्त है। परिणामतः, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का औसत कर्मचारी के पारिश्रमिक से अनुपात और इस तरह के अन्य विवरणों के प्रकटन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरणों को दर्शाने वाला विवरण शामिल है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान/आंशिक रूप से कार्यरत थे, नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, उन्हें कंपनी (प्रबंधकीय स्तर के कार्मिको की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(12) के संदर्भ में प्रदान नहीं किया गया है।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग

ईआरपी:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईआरपी "ओरेकल रिलीज 12" का अपग्रेडेड वर्जन को कार्यान्वित किया है। वित्तीय, खरीद, इन्वेंटरी प्रबंधन जैसी कार्यात्मक प्रक्रियाएं और बढ़ी हुई कार्यात्मकताओं वाले सभी अनुबंध पुरे भारत में कंपनी में कार्यान्वित किए जाते हैं।

संगठन के सभी आधिकारिक डेटा एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में यूज़र एक्सेस राइट्स कंट्रोल में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है।

उपरोक्त के अलावा और दैनिक दिनचर्या के काम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के व्यापक उपयोग के उद्देश्य से, संगठन में विभिन्न इन-हाउस अनुप्रयोगों को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है। आईटी विभिन्न यूज़र विभागों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता के लाभ के लिए कई पहल की गई हैं।

आईआरसीटीसी के कर्मचारियों द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए ड्राइव:

ऑनलाइन सिस्टम विकसित और कार्यान्वित की गई जो कर्मचारियों के आधिकारिक कामकाज का समर्थन करने और बाहरी जनता के लिए और अधिक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए है जैसे;

"ग्रेच्युटी और वार्षिक संपत्ति रिटर्न" सिस्टम का उपयोग करके, कर्मचारी अपने नामित और संपत्ति से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भरने की घोषणा कर सकते हैं।

इसके अलावा, आईआरसीटीसी में ऑनलाइन नामांकन और प्रवेश पत्र बनाना अब डिजिटल हो गया है।

"ऑनलाइन शिकायत प्रणाली" नाम की एक डिजिटल रूप से संचालित पद्धति शुरू की जो संगठन के कार्यनिष्पादन में सुधार या किसी शिकायत के लिए प्रबंधन के साथ संवाद करने और विचारों को साझा करने के लिए है। इस विशेष कदम के पीछे मूल विचार संगठन के सिस्टम में सुधार के लिए युक्ति के माध्यम से कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करना है।

"लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम" नाम का मैनेजमेंट टूल लॉन्च किया गया है जो एक बार में कानूनी मामले की स्थिति देता हैं।

आईआरसीटीसी के बाहर आम जनता के लिए किए गए प्रयास:

आईआरसीटीसी के विभिन्न कारोबारी क्षेत्र हैं इसलिए कई ब्रांड और फर्म सेवा प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके संभावित उपयोगकर्ताओं को फर्म के ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन जमा करने और भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, "रेडी टू ईट एंड पीएडी के लिए इम्पैनलमेंट सिस्टम" लागू की गई है।

आईआरसीटीसी में वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए की गई पहल:

कार्यालय परिसर के भीतर "एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम" को लागू करके प्रतिबंधित पहुंच।

कार्यालय का डिजिटलीकरण:

आईआरसीटीसी में ई-ऑफिस सिस्टम के 100% उपयोग की उपलब्धि प्राप्त की। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मदद से डेटा सुरक्षा को बनाए रखा जाता है।

खरीद के लिए जीईएम का अनिवार्य उपयोग:

वर्ष के दौरान, जीईएम पोर्टल का पूंजीगत सामान, उपभोग्य सामग्रियों के साथ-साथ ज़ोन और क्षेत्रों में सेवाओं की खरीद के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था।

(ज) सतर्कता

आईआरसीटीसी में सतर्कता विभाग सीवीसी, रेलवे बोर्ड सतर्कता और संगठन के बीच सीधे संपर्क के रूप में कार्यरत प्रमुख विभाग है। इसे समय समय पर विभिन्न औचक निरीक्षण करने और विभिन्न अन्य विभागों के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच करने के अधिदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिससे संगठन में धोखाधड़ी, कदाचार, भ्रष्टाचार और अनुचित/गैरकानूनी व्यावसायिक आचरण का समय पर पता लगाया जा सके। यह आईआरसीटीसी प्रबंधन और रेलवे बोर्ड सतर्कता के साथ स्खलित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता प्रशासन, नीति और अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों से निपटने में समन्वय करता है। आईआरसीटीसी सतर्कता विभाग का नेतृत्व पूर्णकालिक सीवीओ द्वारा किया जाता है जिन्हे कॉरपोरेट कार्यालय में डिप्टी मुख्य सतर्कता अधिकारी, 3 सतर्कता अधिकारी और 3 मुख्य सतर्कता निरीक्षक से सहायता प्राप्त हैं। विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक 5 सतर्कता अधिकारी हैं क्षेत्र जो सतर्कता संबंधी मामलों को संभालते है। मुख्य सतर्कता अधिकारी जो सीवीसी की विस्तारित शाखा है जो संगठन में पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रक्रियाओं, उचित कारोबार आचरण और सतर्कता जागरूकता की संस्कृति को आगे बढ़ाने में गहनपूर्वक से प्रवृत्त हुआ है। सतर्कता विभाग का केंद्र क्षेत्र सूचना एकत्र करने, जाँच और निगरानी की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। सक्रिय निवारक सतर्कता उपाय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह निष्पक्ष प्रणाली और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है जिससे पारदर्शिता बढ़े और विवेकाधिकार की गुंजाइश कम हो।

वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग ने विस्तृत रूप से 4 शिकायतों की जांच की और 20 शिकायतों को संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया। कुल 78 निवारक/औचक जांच खानपानऔर ई टिकटिंग क्षेत्र में की गई। इस प्रकार पाई गई भ्रष्टाचार की घटनाओं एवं कदाचारों की सूचना संबंधित विभाग को लाइसेंसधारियों एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए भेजी गई थी। परिणामस्वरूप ₹ 29,52,076/- का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग की अनुशंसा पर सिस्टम में सुधार विभिन्न विभागों द्वारा लागू किए गए थे जो विशेष रूप से खरीद, खानपान और ई-टिकटिंग क्षेत्रों में कदाचार की घटनाओं को कम करने के लिए हैं। सीवीसी के दिशानिर्देश अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध/आईआरसीटीसी ने मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ सतर्कता विभाग की गतिविधियों और कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देश अनुसार "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन आईआरसीटीसी में 25 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2021 तक किया गया जिसका विषय स्वतंत्र भारत 75; ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता थे और आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा शपथ ली। आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिता/सेमिनार का आयोजन प्रणाली को बेहतर करके निवारक उपायों से जागरूकता उत्पन्न करना हैं। इसके अलावा, नई पहल जैसे "तेजसथॉन" को लागू किया गया जिसमें यात्रियों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए ताकि आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके। पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटन और मुखबिरों का संरक्षण) शिकायतों पर विशेष जोर और कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाई गई जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान सीवीसी की सलाह के अनुसार किया गया था।

सत्यनिष्ठ समझौता

आईआरसीटीसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम का पालन किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी कंपनी या सरकारी विभागों और उनके सप्लायरों के बीच समस्त गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किए जाते हैं। सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाने से आईआरसीटीसी को स्वस्थ बिज़नेस प्रथा अपनाने में मदद मिलेगी। सार्वजनिक खरीद/अनुबंधों में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी ने सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाया है। सीवीसी के अनुमोदन से आईआरसीटीसी में एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में, डॉ. परवेज हयात, आईपीएस (सेवानिवृत्त) आईआरसीटीसी में सत्यनिष्ठा समझौते के लिए आईईएम हैं। सत्यनिष्ठा समझौते की निगरानी और सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक कॉर्डिनेटर की भी नियुक्ति की गई है। सत्यनिष्ठा समझौते का उपयोग अब उन सभी निविदाओं में किया जा रहा है जो चिन्हित सीमा मूल्यों से परे हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति/तर्क तंत्र की स्थापना

सतर्क तंत्र की स्थापना के संबंध में प्रकटीकरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के **अनुबंध–"ख"** में शामिल है। सतर्क तंत्र के अलावा, कंपनी में एक पूर्ण विकसित सतर्कता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते है। विभाग सतर्कता प्रबंधन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में काम करता है और आगे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों द्वारा निर्देशित होता है। सतर्कता गतिविधियों का मुख्य ध्यान निवारक और भागीदारीपूर्ण सतर्कता रहा है जहाँ जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित बातचीत की जाती हैं।

(झ) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी सक्रिय रूप से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों जिनमें पूरे राष्ट्र में सामाजिक कल्याण/उत्थान गतिविधियों के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक रूप से वर्षो से योगदान दे रही है। कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण और सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों आदि हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने र 9.90 करोड़ का सम्पूर्ण बजट विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट के साथ साथ सीएसआर की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-"ग" पर संलग्न है। सीएसआर समिति का गठन कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी की सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट के वेब लिंक https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf पर देखा जा सकता है।

(ञ) लागू विभिन्न विनियमों/दिशानिर्देशों/कानूनों का अनुपालन

- **सूचना का अधिकार अधिनियम**

  कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया गया है। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, अर्थात https://www.irctc.com/rti.html पर विस्तृत जानकारी और नियमित रूप से अद्यतन की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीपीआईओ/एपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारि का विवरण, अनिवार्य प्रकटनों पर तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट रिपोर्ट आदि शामिल हैं। आरटीआई आवेदनों पर त्वरित तरिके से कार्रवाई करने के लिए आईआरसीटीसी प्रत्येक आवेदन का एक यूनिक पंजीकरण नंबर (यूआरएन) देता है और इसका उत्तर संबंधित सीपीआईओ/पीआईओ के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाता है।

  कंपनी ने डीओपीटी, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के साथ जुड़ा है और इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों / अपीलों का निपटान केवल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। तिमाही रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय पर केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट अर्थात www.cic.gov.in पर भेजी जाती हैं।

  वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल 1694 मामले प्राप्त हुए और सभी आवेदनों का समय पर निपटान कर दिया गया।

विवरण	31.03.2021 को अथशेष	अनुच्छेद 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकारी से हस्तांतरित प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य लोक प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित	अनुच्छेद 6(3) के अंतर्गत अन्य लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध/ अपील अस्वीकार कर दी गई हों	ऐसे निर्णय जहां अनुरोध/ अपील का उत्तर दिया गया हो	31.03.2022 को अथशेष
अनुरोध	36	12	1599	366	2	1266	1
पहली अपील	4	0	95	0	0	98	1

राष्ट्रपति के निर्देश

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति के कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

राजभाषा

आईआरसीटीसी के कॉरपोरेट कार्यालय में राजभाषा विभाग के गठन के बाद राजभाषा अधिकारी/राजभाषा सहायक के नामांकन की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तत्पश्चात सभी अधीनस्थ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई। उपरोक्त गठन एवं नामांकन सभी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के साथ-साथ अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सभी कर्मचारियों को हिन्दी पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी/प्राधिकारी इसका लाभ उठा सकें।

आईआरसीटीसी के प्रत्येक कार्यालय द्वारा सभी आवेदनों, अपीलों या अभ्यावेदनों के उत्तर हिंदी में हस्ताक्षरित राजभाषा में दिए जाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, प्रशिक्षण, बैठकें, विभिन्न प्रतियोगिताओं इत्यादि आयोजित की गई। राजभाषा में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वालों के लिए अनेक पुरस्कार, प्रमाण-पत्र एवं पारितोषिक योजनाएँ भी क्रियान्वित हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में सभी अधिकारियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हिन्दी में कार्य करने का निर्देश दिया गया। कमियों वाली मदों पर नजर रखने और उन पर विशेष ध्यान देने का निरंतर निर्देश दिया गया, ताकि सभी अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रुची से राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर निर्धारित लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर सकें।

आईआरसीटीसी कॉरपोरेट कार्यालय में 13 सितंबर से 21 सितंबर, 2021 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी श्रुतलेखण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण, प्रारूप लेखन तथा हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिनांक 01.10.2021 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 16 विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ-साथ प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा सभी विभागाध्यक्षों के समक्ष राजभाषा नियम-अधिनियमों से संबंधित प्रभावी प्रस्तुति दी गई जिसमें राजभाषा सप्ताह 2021 में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि को प्रभावशाली तरिके से वर्णित किया गया है। दिनांक 18.02.2022 को वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों में राजभाषा के प्रयोग का प्रसार करना तथा विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति जागरूकता लाई जा सके।

वर्ष 2021-22 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उपसमिति ने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों सहित पश्चिम और उत्तर क्षेत्र का निरीक्षण किया अर्थात् भोपाल, चंडीगढ़। इसके अतिरिक्त, समिति ने "सी" क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दक्षिण जोनल कार्यालय/चेन्नई का भी निरीक्षण किया और आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में राजभाषा की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की।

आईआरसीटीसी रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, रेलवे बोर्ड, राजभाषा कार्यान्वयन समिति और रेलवे राजभाषा अधिकारियों की लगभग सभी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। आईआरसीटीसी नरकास (उपक्रम) का एक सक्रिय सदस्य भी है जिसमें भारत सरकार के सभी शीर्ष उपक्रम शामिल हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम) 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण की आवश्यकता

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और तत्संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं का पता लगने पर तत्काल कार्रवाई करती है। अधिनियम के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और उनकी संरक्षा के लिए आईआरसीटीसी अधिनियम के अनुसार अपेक्षित संरचना के अनुसार कॉरपोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (समितियों) को नामित किया है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उस पर संबंधित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा विचार किया गया था और मामले का निपटान कर दिया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्रापण

भारत सरकार की संशोधित सार्वजनिक खरीद नीति तथा संशोधित के अनुरूप कंपनी को एमएसई से माल और सेवाओं की कुल खरीद में से न्यूनतम 25% खरीदना आवश्यक है जिसमें से 4% एससी/ एसटी उद्यमियों और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद करना निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसई से खरीद निम्नानुसार थी:

मापदंड	लक्ष्य	वास्तविक
एमएसई से कुल खरीद (सामान्य, आरक्षित एससी/एसटी और महिला)	25%	30.76%
आरक्षित एससी/एसटी एमएसई से खरीद	4% (25% का उप-लक्ष्य)	शून्य
महिला स्वामित्व एमएसई से खरीद	3% (25% का उप-लक्ष्य)	0.84%

लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों के अंतर्गत कमी का कारण वेंडरों उपलब्ध न होना था;

माल एवं सेवा की एससी/एसटी के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद करने के लिए पहचान करने के लिए कई पहल की गईं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी सीपीएसई को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर स्वयं को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित किया जाए।

उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में, आपकी कंपनी एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्त मदद के लिए उनको प्राप्तियों की छूट सुविधा देने के लिए टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर है और उनके भुगतान देय तिथि से पहले जारी कर रही है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसएमई द्वारा एमएसएमई समाधान - विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली पर एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे समय पर हल किया गया था।

ज्ञान प्रबंधन प्रणाली:

एक सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल से महत्वपूर्ण शिखर हासिल करने के लक्ष्य तक पहुंच हो सकती है, यह कर्मचारियों में, संगठन में और उससे बढ़कर भी महत्वपूर्ण ज्ञान की पहचान, सृजन, व्यवस्थित, वितरित और अंतरित में सहायक होता है, इसलिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने समन्वय प्लेटफार्म को विकसित किया हैं। आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म का सक्रिय सदस्य है और कंपनी से संबंधित विवरण नियमित रूप से अद्यतन करते रहते हैं।

इसी प्रकार, विजन न्यू इंडिया 2022 के एक भाग के रूप में दृष्टि डैशबोर्ड का सृजन सीपीएसई की भूमिका और जिम्मेदारी का सुधार उनकी कार्य योजना सीपीएसई कांक्लेव से उत्पन्न चुनौतियों की रियल टाइम निगरानी के लिए किया गया है। कंपनी पोर्टल पर जानकारी डालती है और नियमित अपडेशन भी किया जा रहा हैं।

समझौता ज्ञापन

कंपनी के कार्यनिष्पादन को “बहुत अच्छा” के रूप में रेट किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निहित प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में प्राप्त परिणाम पर आधारित हैं।

(ट) कंपनी अधिनियम 2013/सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के अंतर्गत अनुपालन

वार्षिक रिटर्न

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित है, वार्षिक रिटर्न को कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है और इसका https://irctc.com/Annual%20Return.html लिंक से एक्सेस किया जा सकता है।

जमा

कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के अध्याय त के तहत जनता से किसी जमा को स्वीकार या राशि के लिए आमंत्रण नहीं दिया है। अतः कंपनी (लेखाजोखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) के तहत रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षित सूचना **शून्य** है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि सचिवीय मानकों में प्रावधान है, राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)/राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के विवरण के बारे में जानकारी के संबंध में लगाए गए जुर्माने को डिपोजिटर द्वारा भुगतान करने के समय को बढ़ाने और जुर्माने का विवरण, यदि कोई हो **शून्य**।

ऋणों एवं दी गई गारंटी, किए गए निवेशों और प्रस्तुत प्रतिभूतियों के विवरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है; अथवा कोई गारंटी नहीं दी है। अतः, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के तहत रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

संबंधित पार्टियों के साथ संविदाएं और व्यवस्था/संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और सेबी के दिशानिर्देश अनुरूप, सामग्री आरपीटी पर एक नीति तैयार की गई है, जिसे लिंक https://irctc.com/assets/images/IRCTC_Related%20Party%20Transactions-_03.08.2019.pdf पर देखा जा सकता है।

कंपनी ने संबंधित पक्षों (भारत सरकार, रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी कंपनियों/विभागों, जैसे क्रिस, रेलटेल और आरवीएनएल) के साथ वर्ष के

दौरान कारोबार के सामान्य पाठ्यक्रम में और आर्म'स लेंथ ट्रांसैक्शन किया है। आरपीटी से संबंधित प्रकटन लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट-44 में उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अलोक में, अनुच्छेद 134(3)(एच) जिसे अधिनियम के अनुच्छेद 188 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाता है, के संदर्भ में प्रपत्र संख्या एओसी-2 को **अनुबंध-"छ"** के रूप में रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित की है, जो नीतियों और प्रक्रियाओं को इसके व्यवसाय का कुशल संचालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी के परिचालन के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता प्रबंधन समीक्षा, स्व-मूल्यांकन और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा स्वतंत्र परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, और यह दर्शाता है कि आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सुचारु रूप से परिचालित हैं। लेखा परीक्षा समिति इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा करती है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को वित्तीय विवरणों के साथ रखा गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) के प्रमाणन के लिए मैसर्स एस.के. मिश्रा और गुजराती, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कार्य सौंपा गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षक और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति के समक्ष उनके विचार और विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण **अनुबंध-"क"** में दी गई प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति बनाई है और इसके गठन का विवरण, आयोजित बैठक तथा विचारणीय विषयों को कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है जो **अनुबंध-"ख"** पर रखा गया हैं।

कंपनी ने समूह महाप्रबंधक स्तर के अधिकारीयों की बोर्ड से निचले स्तर की एक समिति बनाई है, जिसमें जीएम/पर्यटन, आईआरसीटीसी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बनाया गया हैं। समिति का कार्य आईआरसीटीसी के विशिष्ट बिज़नेस सेगमेंट से संबंधित जोखिमों की पहचान करना है ताकि कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए उचित फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके।

बोर्ड के निचले स्तर के जोखिम प्रबंधन समिति की तिमाही बैठकों के दौरान विभिन्न जोखिमों की पहचान की गई है और बोर्ड स्तरीय समिति में उन पर विचार-विमर्श किया गया है। पहचाने गए कुछ प्रमुख जोखिम इस प्रकार है:

(i) महामारी जोखिम
(ii) निर्भरता जोखिम
(iii) प्रतिस्पर्धा जोखिम
(iv) मानव संसाधन जोखिम
(v) साइबर सिक्योरिटी जोखिम
(vi) व्यवसाय निरंतरता जोखिम
(vii) वित्तीय जोखिम
(viii) प्रौद्योगिकी जोखिम
(ix) गुणवत्ता जोखिम
(x) नकली उत्पादों से जोखिम
(xi) उपभोक्ता वरीयता जोखिम
(xii) वाणिज्यिक जोखिम
(xiii) खानपान परिचालन जोखिम
(xiv) रेल नीर परिचालन जोखिम
(xv) पर्यावरण जोखिम

चिह्नित जोखिमों ओर उन्हें समाप्त के जाने के विवरण सम्बन्धी नीतियों का विवरण प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है, जो **अनुबंध-"क"** के रूप में संलग्न है।

महत्वपूर्ण और सामग्रीपरक आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा सामग्री परक आदेश जारी नहीं किए गए हैं जिनसे भविष्य में कंपनी की सम्बद्ध स्थिति ओर परिचालनिक कार्यों पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

सचिवालीय मानक

कंपनी ने इंस्टिट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानकों का काफी हद तक अनुपालन किया है।

निवेशक शिक्षण और संरक्षण फंड (आईईपीएफ)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में भुगतान बकाया/दावा नहीं किया लाभांश ओर आईईपीएफ के हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी रिपोर्ट करना

लेखापरीक्षकों ने वर्ष के लिए दी गई अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट नहीं दी है।

प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। आगे के विवरण का उल्लेख कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

इंसॉलवेंसी और बैंकरप्सी कोड, 2016 के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवाला शोधन प्रक्रिया

कंपनी के पास उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रकटीकरण के लिए कोई सूचना नहीं है।

किसी भी कॉरपोरेट कार्रवाई को लागू करने में विफलता

कंपनी ने सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक ओर निर्धारित समय-सीमा में कार्यान्वित किया है। अतः, कंपनी के पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल

कोविड-19 महामारी के कारण एमसीए और सेबी द्वारा दी गई छूट बढ़ाने से और कंपनी की हरित पहल के प्रोत्साहन के कारण कंपनी ने एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक तरिके से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी है, जिनके ई -मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के पास पंजीकृत थे। इसके अतिरिक्त, हरित पहल के एक भाग के रूप में, बैठकों की कार्यसूची इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एन्क्रिप्शन ओर पासवड सुरक्षा सहित भेजा जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी को अपनाने और विदेशी मुद्रा विनिमय आय तथा व्यय इत्यादि सम्बन्धी विवरण।

अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाता है,के तहत ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी और विदेशी मुद्रा विनिमय से आय और व्यय से सम्बंधित विवरण प्रकट किए जाने है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

आईआरसीटीसी ने अपने परिचालनों, उत्पादों एवं सेवाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने की दिशा में निरंतर प्रयासत है, इसके लिए ऐसी प्रक्रियाओं, कार्य विधियों, सामग्रियों और उत्पादों का प्रयोग करता है जिससे प्रदूषण नहीं होता, कम होता है और नियंत्रित रहता हैं। एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए सभी संयंत्रों/इकाइयों में प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों का अनुपालन और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाता है।

उपरोक्त के विवरण व्यापार उत्तरदायित्व और निरंतरता रिपोर्ट के साथ संलग्न **अनुबंध-"घ"** में उल्लिखित हैं।

तकनीक का समाहन-

विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैं:

क्र सं	विवरण	स्थिति
(a)	आयातित प्रौद्योगिकी के विवरण;	शून्य
(b)	आयात करने का वर्ष;	लागू नहीं
(c)	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से समाहित कर लिया गया है;	लागू नहीं
(d)	यदि पूर्णतः पूरी तरह से समाहित नहीं किया गया है तो उसके कारण;	लागू नहीं

- **अनुसंधान और विकास पर किया गया खर्च**

  आपकी कंपनी की इस क्षेत्र में उपस्थित नहीं होने के कारण कंपनी विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं नहीं करती हैं। तथापि, अपने व्यवसाय क्षेत्र में तकनीकी क्षमता में सुधार करने और सक्षमता में वृद्धि के लिए कुछ तरीकों और तकनीकों का विकास किया गया है और अभिनव प्रणाली शुरू की गई हैं।

- **विदेशी मुद्रा से आय और व्यय**

  पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के अंतर्गत अर्जित विदेशी मुद्रा और वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के बाह्य प्रवाह की अंतर्गत की गई विदेशी मुद्रा का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
विदेशी मुद्रा अर्जन	19.37	9.85
विदेशी मुद्रा व्यय		
विदेश यात्रा पर होने वाला व्यय	0.01	0.01

रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में रोटेशन के आधार पर किसी भी स्वतंत्र निदेशक की सेवानिवृत्त पर विचार नहीं किया गया किन्तु अन्य सभी निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे। तदनुसार, सभी अन्य निदेशकों में से एक तिहाई अर्थात श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन और विपणन) और श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ रोटेशन पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे।

निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(पी) के प्रावधान के अंतर्गत सूचीबद्ध एंटिटी आवश्यक है जिसमें समितियों और अलग-अलग निदेशकों का औपचारिक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला विवरण शामिल करना अपेक्षित है। तथापि, सरकारी कंपनियों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 और 05.07.2017 के अनुसार उक्त प्रावधानों से छूट प्राप्त है। आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों से भी छूट प्राप्त है।

आईआरसीटीसी में, कार्यरत निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन में सम्बंधित कार्यरत निदेशकों स्व-मूल्यांकन शामिल होता है और अंतिम मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुवर्ती मूल्यांकन होता हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में स्व-मूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वाराअंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशक

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते है, उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।

(ठ) पुरस्कार और उपलब्धियां

1. मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल मिनिरत्न ऑफ द ईयर (नॉन-मैन्युफैक्चरिंग), बेस्ट पीएसयू ऑफ इंडिया 2021 अवाड्र्स/दलाल स्ट्रीट इनवेस्टमेंट जर्नल।
2. इंडियन रेलवे हॉस्पिटैलिटी कंपनी आईआरसीटीसी दो वर्ष बाद नेक्स्ट 500 रैंकिंग में वापस आई है, फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 कंपनियों में 309 स्थान पर है।
3. आस्क दिशा, आईआरसीटीसी का एआई चैटबॉट, कॉ-रोवर द्वारा संचालित को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इनोवेशन अवार्ड मिला।

(ड) संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम

कंपनी के कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में 50:50 की भागीदारी के साथ इसे 27 नवंबर, 2008 को इस उद्देश्य के साथ रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के नाम में शामिल किया गया था कि लग्ज़री गाड़ियों को प्राप्त करके, सजाकर, उनका रखरखाव तथा प्रबंध करके मार्किट में ऐसी लग्ज़री गाड़ियों के एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में हॉलिडे पैकेज के साथ संचालित किया जाए।

तदनुसार, 23 डिब्बों वाली एक लग्ज़री ट्रेन का निर्माण कराया गया, सजाया गया और कंपनी द्वारा निधि दी गई और इसे महाराजा एक्सप्रेस के नाम से मार्किट में उतारा गया था और इस लग्जरी गाड़ी को चलाने, संचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से इसे 15 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को सौंपा गया। तथापि, भागीदारों के बीच कुछ मुद्दों के कारण, इस लग्जरी गाड़ी की लीज वापस ले ली गई थी और 10 दिसंबर, 2008 को हुए संयुक्त उद्यम करार को 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त लग्जरी गाड़ी के संचालन का जिम्मा आईआरसीटीसी को सौंप दिया। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने शुरुआती चरण में मध्यस्थता की कार्रवाई आरम्भ करते हुए संयुक्त उद्यम करार की बहाली के लिए आग्रह किया। मध्यस्थता मध्यस्थ न्यायाधिकरण समक्ष अंतिम तर्क चरण में हैं।

आईआरसीटीसी ने भी कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 388बी, 397, 398, 399 और 403 के अंतर्गत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (तत्कालीन कंपनी लॉ बोर्ड) के समक्ष रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध एक याचिका भी दायर की है और उक्त याचिका विचाराधीन है और तर्कों के लिए सूचीबद्ध है। एनसीएलटी ने घोषित किया कि उक्त कंपनी (आरआईआरटीएल) को प्रबंधकीय विवाद में है। संयुक्त उद्यम के विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखाजोखा की टिप्पणियों में टिपणी सं 37.2 और 45 के अंतर्गत शामिल किए गए है। पार्टियों ने जुलाई, 2013 में एनसीएलटी से भी अनुमति ली थी कि बोर्ड की तथा आरआईटीआरएल की आम बैठकें इसके अनुमोदन के बिना आयोजित न की जाए।

वित्तीय विवरणों का समेकन

जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ में उल्लेख है, RIRTL में बोर्ड की बैठकें तथा आम सभा बैठकें कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ विवाद के चलते वित्तीय वर्ष 2010-2011 से आयोजित नहीं की गई हैं। अतः, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 129(3) के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय विवरणों को समेकित नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखाजोखा की टिपण्णी सं 45 के द्वारा भी स्पष्ट और प्रकट भी किया जा चूका था।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स पी.आर. मेहरा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है जो कंपनी के वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करेंगे। सांविधिक लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समेकित आधार पर भुगतान किए जाने का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
वैधानिक ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस तथा सीमित रिव्यू फीस	0.24

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 जो कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठनीय में, के अनुपालन में आईआरसीटीसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की स्वतंत्र फर्म, मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुबंध-"च"** के रूप में संलग्न है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुच्छेद 138 जो कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 13 के साथ पठनीय है, के अनुसार कंपनी ने एक स्वतंत्र लेखाकरण फर्म, मैसर्स एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, की स्वतंत्र लेखा फर्म को वित्त वर्ष 2021-22 की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा है। फर्म के दायरे और कार्यों समबन्धी विवरण प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए है।

लागत लेखापरीक्षक

आईआरसीटीसी के बिज़नेस सेगमेंट कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए लागत लेखापरीक्षा नियमों के अंतर्गत नहीं आता हैं। तथापि, कंपनी ने रेल नीर संयंत्रों द्वारा रखे जाने वाले लागत रिकार्डो की लागत लेखापरीक्षा स्वैच्छिक आधार पर मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी द्वारा कराइ जो वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा कराई है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा पर सी एन्ड एजी की टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी।

निदेशकों की जिम्मेदारी सम्बंधित विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134 (5) के अनुपालन में पुष्टि की है कि:

i. वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है साथ ही मैटीरियल डीपारचर के बारे में समुचित स्पष्टीकरण भी दिए गए है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतरता के साथ लागू किया है तथा वे निर्णय और अनुमान दिए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा उक्त अवधि में कंपनी का लाभ और हानि दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;

iii. निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने चल रही चिंता को सामने रखकर वार्षिक लेखाजोखा तैयार कराया हैं; तथा

v. निदेशकों ने उन समस्त प्रणालियों, जो पर्याप्त रूप से और प्रभावी ढंग से संचालित हों, पर विचार किया है ताकि समस्त लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधन अधिकारी (केएमपी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त), निदेशक (खानपान सेवाएं), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी (केएमपी) हैं।

पिछली वार्षिक आम बैठक से अब तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन अधिकारीयों की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

i. श्री विनय श्रीवास्तव (डीएलएनः 08638850), ईडी (पीएसयू), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या ईआरबी-I/2017/2/35 दिनांक 13 सितंबर, 2021 के अनुसार 13 सितंबर 2021 से कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के पद से हटा दिया गया है।

ii. श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएनः 03604125) को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2019/PL/57/22 दिनांक 09 नवंबर, 2021 के अनुसार आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 09 नवंबर, 2021 से नियुक्त किया गया था।

iii. श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएनः 09397676), ईडी (योजना) को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2019/पीएल/57/22 दिनांक 09 नवंबर, 2021 के अनुसार आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में 12 नवंबर, 2021 से नियुक्त किया गया था।

iv. श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएनः 07903588), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2021/PL/49/14 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के अनुसार आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में 14 दिसंबर, 2021 से नियुक्त किया गया था।

v. श्री देबाशीष चंद्रा (डीआईएन: 08641893) को रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2018/ई(ओ)II/40/10 दिनांक 18 जनवरी, 2022 के अनुसार आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में 18 जनवरी, 2022 से नियुक्त किया गया था।

रिपोर्ट की तिथि के दिन निम्नलिखित निदेशक कार्यरत हैं:-

क्र सं.	विवरण	नियुक्ति की तारीख
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन: 08083674)** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	18 मई, 2018 से
2.	**श्री अजीत कुमार (डीआईएन: 07247362)** निदेशक (वित्त)	29 मई, 2020 से
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा (डीआईएन: 08641893)** निदेशक (खानपान सेवाएं)	18 जनवरी, 2022 से
4.	**श्री नीरज शर्मा (डीआईएन 08177824)** सरकार नामित निदेशक	12 जुलाई, 2018 से
5.	**श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588)** सरकार नामित निदेशक	14 दिसंबर, 2021 से
6.	**श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन: 03604125)** स्वतंत्र निदेशक	9 नवंबर, 2021 से
7.	**श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676)** स्वतंत्र निदेशक	12 नवंबर, 2021 से

आभार

आपके निदेशक विशेषकर के रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों, नियामक एवं सांविधि प्राधिकरणों/एजेंसियों को उनके द्वारा समय समय पर कंपनी को सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। बोर्ड इसके सभी साझेदारों जिनमें बैंकरों, निवेशकों, सदस्यों, ग्राहकों, परामर्शदाताओं, लेखा परीक्षकों, ठेकेदारों, वेंडरों आदि को उनके निरंतर समर्थन और कंपनी में विश्वास रखने के लिए भी धन्यवाद देते है।

आपके निदेशक भारत के लेखा परीक्षकों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को स्वीकार करते हैं और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक सभी शेयर-स्वामी, व्यापार भागीदारों, पूर्ववर्तियों, श्री विनय श्रीवास्तव, सरकारी नामित निदेशक, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और आईआरसीटीसी परिवार के सभी सदस्यों को बोर्ड में उनके आस्था, भरोसे और विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देते है।

आपके निदेशक चुनौतीपूर्ण और अभूतपूर्व महामारी की स्थिति के बावजूद, आईआरसीटीसी के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और समर्पित योगदान की यथार्थ प्रशंसा करना चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी निरंतर बनी रहे, विकास करे और उत्कृष्टता प्राप्त करे।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08083674

दिनांक : 21.06.2022
स्थान: नई दिल्ली

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

1. भारतीय आर्थिक समीक्षा

वृहद संकेतकों के कारण जिन्होंने वैश्विक तनावों के विरुद्ध अर्थव्यवस्था को पृथक रखा है, भारत वैश्विक स्तर पर अनिश्चित माहौल में अपनी पुनःप्राप्ति में स्थिर बना हुआ है। वित्त वर्ष 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.9% की वृद्धि होने का अनुमान है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार है।[1]

विकास, आंशिक रूप से पहली तिमाही में कम आधार प्रभाव के कारण, भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रख दिया है। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में अधिक गति आई क्योंकि कोविड से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और टीकाकरण दर में वृद्धि के बाद व्यावसायिक गतिविधियों में काफी हद तक सुधार आया।

दूसरी तिमाही में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बाद, प्रगतिशील पुनःप्राप्ति यात्रा तीसरी तिमाही में ऊपर नीचे रही जिसमें सभी क्षेत्रों में दुर्बलता दिखाई दी।

सरकार का पूंजीगत व्यय और निर्यात पर जोर भविष्य में उत्पादन क्षमता और कुल मांग को बा सकती है। यह निजी पूंजी को भी आकर्षित करेगा। निवेश गतिविधियों को अनुकूल आर्थिक माहौल से बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सर्वेक्षणों के अनुसार, क्षमता उपयोग बढ़ रहा है, जिससे निवेश और उपभोग माँग को बढ़ावा मिलना चाहिए।

कृषि क्षेत्र ने महामारी के कारण हुए व्यवधानों का सबसे कम प्रभाव की अनुभूति की। वित्त वर्ष 22 में इसके 3.9% से बढ़ने की अपेक्षा है। वित्त वर्ष 21.2 में 7.2% की गिरावट के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि वित्त वर्ष 22 में 12.5% आंकी गई है।[2]

चित्र 3: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए

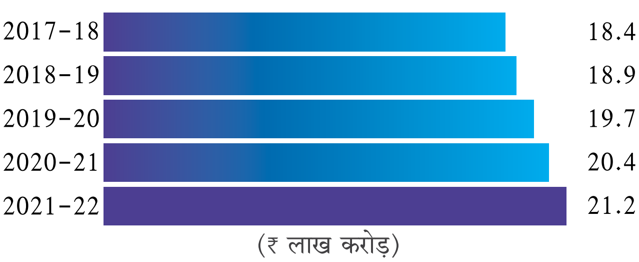

स्रोत– आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022

सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों ने महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभाव देखा है। इस क्षेत्र में 8.2% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है जो 2020-21 में 8.4% की गिरावट के बाद होना है। यात्रा, व्यापार और होटल सेगमेंट अभी भी अपने महामारी-पूर्व स्तरों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि वित्त, रियल एस्टेट और लोक प्रशासन सेगमेंट पहले से ही महामारी-पूर्व स्तरों से ऊपर हैं।[3]

दृष्टिकोण

समीक्षाधीन वर्ष में भारत पुनरावृत्त कोविड संक्रमण से जूझता रहा, जिससे जीवन और आजीविका का भारी नुकसान हुआ है। तथापि, बढ़ते टीकाकरण कवरेज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा स्थिर और उदार मौद्रिक नीति और भारत सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन ने प्रभाव को काफी हद तक कम करने में मदद की।

वित्तीय वर्ष के अंत में ओमिक्रॉन के डर के कम होने के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे ठीक होने लगी, विशेष रूप से गैर-संपर्क क्षेत्र। तथापि, उच्च कमोडिटी कीमतों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला मुद्दों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण मुद्रास्फीति वृद्धि में ही रही।

भारत की वास्तविक जीडीपी 2022-23 में 7.2% की दर से बढ़ने की अपेक्षा है, जिसमें पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4% की वृद्धि होगी। सीपीआई मुद्रास्फीति 2022-23 में औसत 5.7% - पहली तिमाही में 6.3%, दूसरी तिमाही में 5.8%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति प्रक्षेपण में तेज उछाल मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन विवाद के कारण आर्थिक व्यवधानों के कारण है।[4]

उद्योग का विश्लेषण

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद के स्थान पर है। यह दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है लगभग 1.3 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। रेलवे में कुल 126,366 किमी ट्रैक है जो 67,956 किमी रूट में फैला हुआ है और लगभग 7,335 स्टेशन हैं। वित्त वर्ष 22 में, रेलवे क्षेत्र ने माल ढुलाई में 18% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई का वजन 1029.94 एमटी था।[5]

सरकार की पहल

- ₹ 1,40,367.13 करोड़ की राशि केंद्रीय बजट 2022-23 में भारतीय रेलवे को आवंटित की गई थी, जो 2021-22 के बजटीय आवंटन से 27.5% अधिक है।
- आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए, 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा।
- 2023 तक सभी रेलवे नेटवर्क का पूर्ण विद्युतीकरण जिसमें रिजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए तीन-फेज़ प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग और 'हेड ऑन जेनरेशन' तकनीक का डीजल-फ्यूल्ड पावर कारों की आवश्यकता को खत्म करने के लिए उपयोग करना और वनीकरण के लिए कार्बन सिंक बनाना।[6]

[1] https://mospi.gov.in/documents/213904/416359/PRESS%20NOTE%20SAE%2028-02-2022M1646051035697.pdf/f0035128-6098-8329-3e7b-6d7df22e8b2d

[2] कृषि और संबद्ध क्षेत्र महामारी से सबसे कम प्रभावित हुए हैं और 2021-22 में इस क्षेत्र के 3.9 प्रतिशत बढ़ने की अपेक्षा है- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022- अर्थव्यवस्था की स्थिति- https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap01.3333pdf

[3] आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022- अर्थव्यवस्था की स्थिति - https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap01.pdf

[4] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=53601

[5] https://www.investindia.gov.in/sector/railways

[6] आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022

शीर्षक: अक्ष ऊर्जा के उपोग के माध्यम से भारती रेलवे द्वारा अपेक्षित CO_2 उत्सर्जन में कमी

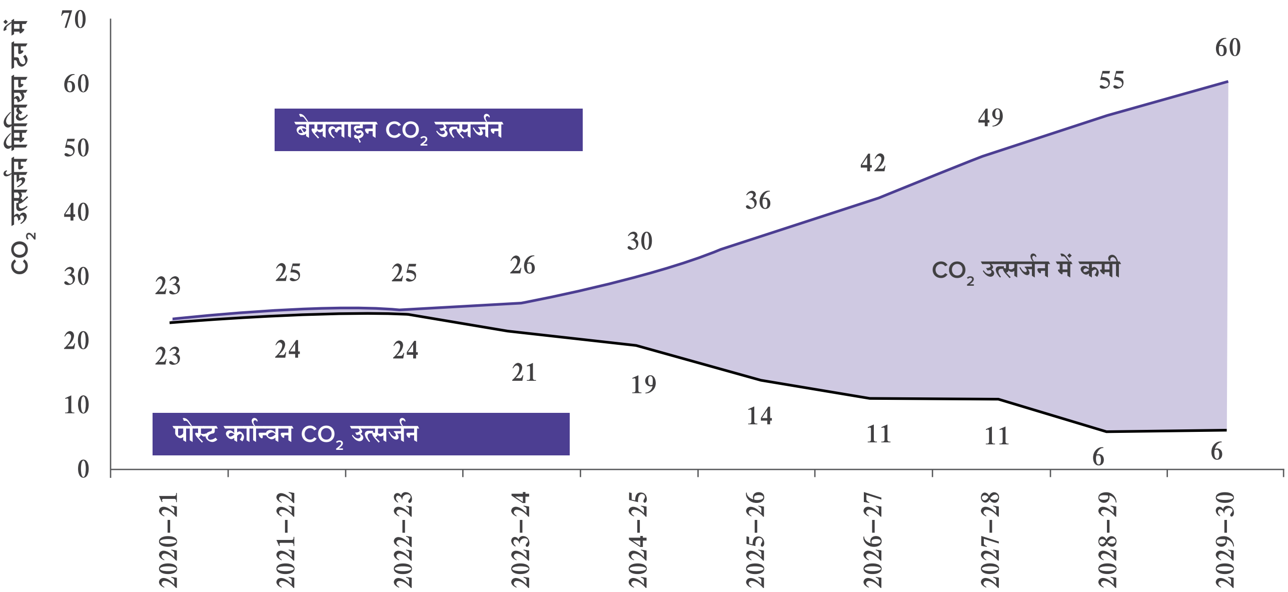

स्रोत- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022

- गति शक्ति योजना के अंतर्गत, 400 नई वंदे भारत गाड़ियां और 100 नए कार्गो टर्मिनल की शुरुआत की गई हैं जिसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2022-23 में किया गया है।
- सभी स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराना सिवाय विराम स्टेशनों के। 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया गया है।
- भारतीय रेलवे ने 1,841 किसान रेल सेवाएं परिचालित की हैं, जो फलों और सब्जियों सहित लगभग 6 लाख टन नाशवान सामानों का परिवहन करती हैं।

ई-बुकिंग उद्योग

इंटरनेट के बढ़ते उपयोग और आर्टिफीसियल/ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) की शुरुआत के साथ, ऑनलाइन यात्रा सेवा मार्किट तेजी से बदल रहा है जिसके कारण अधिक से अधिक भारतीय बेहतर यात्रा कीमतों और आवास के लिए इंटरनेट की ओर जा रहे है। भारतीय ऑनलाइन यात्रा बाजार में वृद्धि ऑनलाइन पोर्टल्स द्वारा दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और होटल बुकिंग के बते प्रवेश से शुरू हुई है।

कुछ अन्य कारक जो विकास में योगदान करते हैं, वह है- उपभोक्ता प्राथमिकताएं, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम, सुविधा की मांग और विकल्पों की विस्तृत विविधता। हाल ही के दिनों में, उपभोक्ता स्वयं से यात्रा बुकिंग विशेष करके ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स (ओटीए) के माध्यम से पसंद करते हैं। ये ऑनलाइन कंपनियां घर से बुकिंग की सुविधा देती हैं और अक्सर पैकेज डील और मूल्य-बचत विकल्प प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप, कई यात्रियों ने पारंपरिक ब्रिक-और-मोर्टार ट्रैवल एजेंसियों से दूर होकर ऑनलाइन विकल्पों की ओर जा रहे हैं। भारतीय रेलवे अपने ई-बुकिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी देता है।

यह अपेक्षित है कि भारत में यात्रा सेवाओं का बाजार 2021-25 के दौरान लगभग 12% के सीएजीआर के साथ 11.11 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगा।[8]

खानपान सेवाएं

भारत में खाद्य वितरण व्यवसाय अत्यधिक खंडित है और वेंडर बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। भारत में खाद्य वितरण बाजार 2021 और 2026 के बीच 28.13% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आकार में 716.53 मिलियन की वृद्धि होगी।[9] विकसित हो रहे बाजार के प्रमुख चालक उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदल रहे हैं और आय में वृद्धि कर रहे हैं।

बोतलबंद पेयजल

बोतलबंद पेयजल पूरे देश में बिकने वाली सर्वाधिक वस्तुओं में से एक है। कोई भी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस बिना बोतलबंद पेयजल के संपन्न नहीं होता। महामारी से इस क्षेत्र की बिक्री में 50% कम होने से गहरा आघात पहुंचा। बोतलबंद पानी की कंपनियों ने अपने वितरण मॉडल में बदलाव करते हुए सीधे उपभोक्ता को बेचने वाला मॉडल को अपनाया और ऑनलाइन ऐप पर बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति डायरेक्ट सेलिंग मार्किट में प्रवेश करना आसान नहीं हैं, लेकिन कई कंपनियों ने ग्राहकों को हासिल करने और अपने घाटे को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। भारत में बोतलबंद पेयजल का बाजार 2019 में 24 बिलियन डॉलर था और 2023 के अंत तक 60 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। तथापि, इस क्षेत्र में महामारी के कारण 30% तक वृद्धि कम हुई हैं।

[7] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/online-travel-market-in-india

[8] https://www.prnewswire.com/news-releases/travel-services-market-in-india-to-grow-by-usd-11-11-billion--technavio-301344407.html

[9] https://www.prnewswire.com/news-releases/food-delivery-market-in-india-to-grow-at-a-cagr-of-28-13-by-2026-evolving-opportunities-with-bundl-technologies-pvt-ltd--dominos-pizza-inc17000-technavio-reports-301439214.html

यात्रा और पर्यटन

भारत में पर्यटन उद्योग सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी और रोजगार सृजन के मामले में अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास चालक रहा है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध भौगोलिक परिदृश्य इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता हैं। देश को 38 यूनेस्को - विश्व धरोहर स्थलों, खूबसूरत समुद्र तटों और बर्फ से ढके पहाड़ों से अर्पित किया गया है जो यात्रा विकल्पों का सही मिश्रण देते हैं। सहस्राब्दी की लगातार बढ़ती जनसँख्या, उच्च डिस्पोजेबल आय और यात्रा और आवास के लिए अधिक किफायती विकल्पों के साथ, टूरिज्म ट्रेंड्स काफी हद तक गंतव्य-आधारित पर्यटन से अनुभव-आधारित पर्यटन में स्थानांतरित हो गए हैं। भारत में अंतर्राष्टीय आगमन पर लॉकडाउन और प्रतिबंध मार्च और अप्रैल के बीच सर्वाधिक यात्रा का मौसम का संयोग रहा है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ बड़े पैमाने पर एकीकृत होने के कारण, व्यापक व्यावसायिक क्षेत्रों में स्पिल-ओवर प्रभाव महसूस किए गए।

जनवरी से जून 2021 के बीच भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 4.19 लाख थी, जो कि 2020 में इसी अवधि की तुलना में 83.1% कम दर्ज हुई।[10]

पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा आय (एफईई) का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान, पर्यटन उद्योग से होने वाली आय विदेशी मुद्रा आय ₹ 50,136 करोड़ रही, जबकि 2019 में यह ₹ 211,661 करोड़ थी।

पर्यटन और आतिथ्य-सत्कार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- **स्वदेश दर्शन योजना:**

  स्वदेश दर्शन योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा थीम-आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई है।

  इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रयुक्त करना है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता - सीएफ सर्किट के अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को उपलब्ध कराई जाती है।

  इस योजना को अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ तालमेल बिठाने की कल्पना की गई है, जिसमें यह विचार है कि पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सृजन के लिए प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना, आर्थिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति बनना, विभिन्न क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाना ताकि पर्यटन को अपनी क्षमता का एहसास करवाना।

- **प्रसाद योजना:**

  प्रसाद योजना का पूर्ण रूप पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान' है।

  यह योजना पूरे भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है ताकि धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध बनाया जा सके। इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता देना, नियोजित करना और स्थिर तरीके से एकीकृत करना है ताकि संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके। घरेलू पर्यटन का विकास काफी हद तक तीर्थ पर्यटन पर निर्भर करता है।

  तीर्थ पर्यटन की क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा चयनित तीर्थ यात्रा स्थलों के समग्र विकास की आवश्यकता है जो अन्य हितधारकों के सहयोग के साथ किया जा सकता है।

  प्रसाद योजना का उद्देश्य भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और प्रचार का मार्ग प्रशस्त करना है।

- **सेवा प्रदाताओं (संस्थानों) के लिए क्षमता निर्माण की योजना (सीबीएसपी योजना):**

  लोगों का एक बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक विशेषज्ञता की विशिष्ट व्यवसायों के लिए आवश्यक है। हाल ही में फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट (एफसीआई) और होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) हैं जहां व्यक्तियों को आतिथ्य उद्योग के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। लोगों को यात्रा और पर्यटन उद्योग में व्यवसाय लेने के लिए भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर, भुवनेश्वर स्थित इसके पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित इसके विभिन्न चैप्टर के द्वारा पर्यटन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रही है। पर्यटन सेवा प्रदाता स्वीकृत/संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में हैं। आईएचएम और एफसीआई मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र यानी होटल और रेस्तरां के लिए प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र जैसे छोटे होटल, सड़क किनारे खाने के स्थान, टिकट/ट्रैवल एजेंसी, ढाबा आदि में काम करते हैं।

  पर्यटन सेवा प्रदाताओं का एक वर्ग ऐसा है जो अन्य व्यवसायों में प्रवृत्त है लेकिन पर्यटकों के संपर्क में आते हैं। ये व्यक्ति, जैसे बस/रेलवे स्टेशनों के कर्मचारी, पुलिस कर्मी, हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन स्टाफ, कुली, टैक्सी/कोच चालक, स्मारकों के कर्मचारी, गाइड आदि।

[10] र्पटन मंत्राल - बाजार अनुसंधान और सांख्यिकी

पर्यटक विभिन्न सेवा प्रदाताओं के संपर्क में आते हैं और यह उनका अनुभव है जो अत्याधुनिक के साथ बातचीत करते समय एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत के उनके अनुभव को नियंत्रित करता है। अतः यह आवश्यक लगा कि इन बड़ी संख्या में सेवा प्रदाताओं को कुछ निश्चित इनपुट दिए गए हैं जो उनके व्यवहार और सेवा स्तरों में सुधार कर सकते हैं। अतः एक योजना तैयार की गई जिसमें असंगठित क्षेत्र में इन सेवा प्रदाताओं को कुछ इनपुट दिए गए है ताकि उनके व्यवहार और सेवा कौशल को उन्नत किया जा सके।

- **एक विरासत को अपनाएं– अपनी धरोहर, अपनी पहचान पर्यटकों के अनुकूल गंतव्यों का परियोजना विकास:**

  भारत हमेशा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध रहा है। भारत का गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक विविधता एक शक्तिशाली मिश्रण बनाती है जो हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपने पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करती है। भारत की समृद्ध विरासत कई मंदिरों, महलों, स्मारकों, किलों आदि के रूप में बहुतायत से झलकती है, जिन्होंने देश के भीतर पर्यटन के विकास में योगदान दिया है।

  भारत सरकार ने, हाल के दिनों में, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं और पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में भारत की छवि को अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के अंतर्गत किए गए प्रचारों द्वारा और अधिक बढ़ाया गया है।

  देश में विरासत स्थलों के संबंध में, यह देखा गया है कि वे मुख्य रूप से विभिन्न बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सेवा संपत्तियों के निर्माण और परिचालन और रखरखाव से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अल्पावधि में बुनियादी सुविधाओं और दीर्घकालिक आधार पर उन्नत सुविधाओं के प्रावधान के लिए स्थलों पर मजबूत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

  इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों/संगठनों के सहयोग से अन्य बुनियादी ढांचा विकास योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने की कल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य विरासत और पर्यटक स्थलों में सुख-सुविधा और सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करना है, समग्र पर्यटक अनुभव और क्षेत्र के आर्थिक विकास को आवश्यक गति प्रदान करना है।

2. कंपनी परिदृश्य– एक निर्बाध सफर

27 सितंबर, 1999 को स्थापित इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी)। स्टेशनों, गाड़ियों और अन्य स्थानों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं को अपग्रेड करने, पेशेवर बनाने और प्रबंधित करने के लिए और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बजट होटल, विशेष टूर पैकेज, सूचना और वाणिज्यिक प्रचार और वैश्विक आरक्षण प्रणाली के विकास के द्वारा बढ़ावा देने के लिए इसे भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक विस्तारित शाखा के रूप में स्थापित किया गया है।

मिनी रत्न (श्रेणी-I) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, रेल मंत्रालय के अंतर्गत,आईआरसीटीसी सभी यात्रा, पर्यटन, ई-टिकटिंग और आतिथ्य-संबंधी सेवाओं के लिए संपर्क बिंदु प्रदान करता है। इसने भारत के यात्रा उद्योग में भारी परिवर्तन किया है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग से लेकर होटल और फ्लाइट बुकिंग तक कई सेवाओं के साथ, ऑनलाइन पोर्टल विभिन्न यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करता है। आईआरसीटीसी विशेष टूर पैकेज और उन्नत ई-टिकटिंग सेवाओं के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देता है।

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत एकमात्र इकाई है जो ऑनलाइन रेलवे टिकट बेचने, गाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करने और भारत में रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में बोतलबंद पेयजल पहुंचाने के लिए अधिकृत संस्था है। कंपनी चार प्रमुख डिवीजनों- खानपान एवं आतिथ्यसत्कार, इंटरनेट टिकटिंग, यात्रा एवं पर्यटन, और बोतलबंद पेयजल (रेल नीर) के माध्यम से काम करती है, ये उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला पेश करती है जो लाखों लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करती है।

- **ई-टिकटिंग सेवाएं**- आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग सिस्टम को ई-टिकट बुकिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए 2014 में अगली पीढ़ी के ई-टिकटिंग सिस्टम (एन-जीईटी) में माइग्रेट किया गया था। क्षमता को 2,000 से बढ़ाकर 7,200 टिकट प्रति मिनट कर दिया गया। सिस्टम की क्षमता और सुरक्षा को बाने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में, एनजीईटी प्रणाली में एक मिनट में 26,458 टिकटों की रिकॉर्ड बुकिंग के साथ प्रति मिनट 26,000 से अधिक टिकट बुक करने की क्षमता है। 31 मार्च, 2022 को ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकट बुक करने के लिए ई-टिकटिंग के 8 करोड़ से अधिक पंजीकृत सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

  वित्त वर्ष 22 के दौरान भारतीय रेलवे पर 80.43% आरक्षित टिकट आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग सेवा का उपयोग करके बुक किए गए थे। शेष टिकट रेलवे कर्मचारियों द्वारा संचालित यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) के माध्यम से बुक किए गए थे।

- **आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप (मोबाइल टिकटिंग):** ट्रेन टिकट बुकिंग को आसान बनाने में, आईआरसीटीसी ने अपने मोबाइल ऐप को नया रूप दिया और 2017 में इसे 'आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट' के रूप में पुनः लॉन्च किया। पहला ई-टिकटिंग एंड्रॉइड ऐप, 'आईआरसीटीसी कनेक्ट' 2014 में लॉन्च किया गया था। एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ऐप के द्वारा कुल 1915 लाख टिकट बुक किए गए थे, जो 2021-22 के दौरान ऑनलाइन बुक किए गए कुल टिकटों का 46% है।

- **आईआरसीटीसी भुगतान प्रणाली:** - आईआरसीटीसी ऑनलाइन भुगतान के लिए अपनी वेबसाइट और ऐप पर कई विकल्प ऑफर करता है जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वॉलेट, कैश कार्ड, भीम/यूपीआई, स्कैन-एंड-पे, पे-ऑन-डिलीवरी/पे-लेटर। अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता एटम टेक्नोलॉजीज द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष गेटवे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके और अन्य कई भुगतान विकल्पों के साथ आईटीजेड कैश कार्ड का उपयोग करके भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।

- **भुगतान गेटवे के रूप में आईआरसीटीसी आई-पे:** आईआरसीटीसी ने अपनी यात्रा में मार्किट में संचालित भुगतान गेटवे से कई चुनौतियों का सामना किया है। पेमेंट गेटवे और बैंकों द्वारा आईआरसीटीसी को ई-टिकटिंग की अपनी यात्रा में दी गई चुनौती का सामना करने के लिए, अपना स्वयं का पेमेंट गेटवे होना बुद्धिमानी थी। आईआरसीटीसी के

पास अब अपना खुद का डिजिटल पेमेंट गेटवे-आईआरसीटीसी आई-पे (एक पीसीआई-डीएसएस कंप्लेंट पेमेंट सॉल्यूशन) है, एक वन-स्टॉप पेमेंट सॉल्यूशन, जो सभी भुगतान मोड (जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई अकाउंट और ऑटोपे) के माध्यम से भुगतान की सुविधा देता है और मर्चेंट वेबसाइट, कई जारी करने वाले संस्थानों, अधिग्रहण करने वाले बैंकों और भुगतान गेटवे प्रदाताओं के बीच सुरक्षित और सुरक्षित लेनदेन के लिए।आईआरसीटीसी आई-पे व्यापारियों को उत्पाद सूट की व्यापक रेंज का उपयोग करके भुगतान एकत्र करने, प्रोसेस करने और वितरित करने का अधिकार देता है। आईआरसीटीसी आई-पे पेमेंट गेटवे एक बेहतर डिजिटल अनुभव, बेहतर ऑनलाइन डिजिटल भुगतान सुविधा और व्यापार करने में आसानी प्रदान करता है। वर्तमान में यह आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in, रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप, आईआरसीटीसी एयर वेबसाइट www.air.irctc.co.in, आईआरसीटीसी पर्यटन वेबसाइट www.irctctourism.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आई-पे ने अच्छे लाभ मार्जिन के साथ ₹ 52.88 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

- **आरक्षित टिकटों के लिए तत्काल योजना:** तत्काल प्रभार द्वितीय श्रेणी के लिए मूल किराए के 10% और अन्य सभी वर्गों के लिए मूल किराए के 30% की न्यूनतम और अधिकतम के अधीन किराए के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है। तत्काल टिकट यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए जारी किए जाते हैं, न कि एंड-टू-एंड के लिए यह गाडी पर लागू दूरी प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। चार्ट तैयार होने तक एक ही तत्काल बर्थ/सीट को कई चरणों में बुक किया जा सकता है। चार्ट तैयार करते समय, अप्रयुक्त भाग सामान्य आरएसी/प्रतीक्षा सूची यात्रियों को जारी किया जाता हैं। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के एक्जीक्यूटिव क्लास में भी तत्काल सुविधा उपलब्ध है जो आवास का 10% (प्रति कोच 5 सीटें) निर्धारित है। यात्रा की तारीख को छोड़कर यात्रा की वास्तविक तारीख से एक दिन पहले वातानुकूलित श्रेणी के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे और गैर-वातानुकूलित श्रेणी के लिए 11 बजे सुबह खुलती है। यह योजना www.irctc.co.in और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर उपलब्ध है, जहां ग्राहक तत्काल योजना पर आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।

- **विकल्प योजना:** बुकिंग कोटा या रियायतों के बावजूद प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्री, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम पांच गाड़ियों का चयन कर सकते हैं। यह बर्थ की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि यह दी गई ट्रेन में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन बदली गई गाड़ियों के लिए कोई रिफंड या अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता है जिसमें तत्काल कीमतें भी शामिल है। इस योजना का चयन करने वाले पीएनआर के सभी यात्रियों को या तो एक ही श्रेणी में वैकल्पिक गाड़ियों में स्थानांतरित किया जाएगा या उनमें से कोई भी नहीं। एक बार वैकल्पिक गाड़ी में कन्फर्म होने के बाद रद्दीकरण शुल्क सामान्य नियमों के अनुसार लागू होता है। उपयोगकर्ता द्वारा किए गए चयन के अनुसार एक व्यक्ति को विंडो के भीतर उपलब्ध किसी भी गाड़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प के अंतर्गत एक बार चयनित गाड़ी सूची को केवल एक बार बदला या अपडेट किया जा सकता है।

- **आईआरसीटीसी – एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और रुपे प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी बीओबी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड:** माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुसरण में और अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में, आईआरसीटीसी और एसबीआई ने एक साथ एक नया सह-ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड एनपीसीआई के रूपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। कार्ड को रेल मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 28 जुलाई, 2020 को कार्ड को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया था।

  आईआरसीटीसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सहयोग में 21-फरवरी-2022 को रुपए प्लेटफॉर्म पर बीओबी लॉयल्टी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है।

  कार्ड को लगातार रेल यात्रा करने वालो को पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रूपे प्लेटफॉर्म पर नए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रेल यात्रियों को उनकी यात्रा पर रिटेल, भोजन और मनोरंजन के साथ-साथ लेनदेन शुल्क माफ़ पर विशेष लाभ के साथ अधिकतम बचत प्रस्ताव प्रदान करते हैं।

- **भीम/यूपीआई भुगतान विधि:** उन उपयोगकर्ता के लिए जो भीम/यूपीआई भुगतान विधि के माध्यम से ई-टिकट के लिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं, सुविधा शुल्क कम दर पर लिया जाता है ताकि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को पूरा किया जा सके।

- **यात्रा बीमा:** आईआरसीटीसी ने भारतीय नागरिकों (पांच वर्ष से ऊपर) के लिए यात्रा बीमा की शुरुआत केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट एप्लिकेशन के माध्यम से अपना टिकट बुक करने वालो के लिए हैं। यात्रा बीमा भारतीय रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों को दुर्घटना कवरेज प्रदान करता है। गाड़ियों की आपस में टक्कर, यात्रियों को ले जा रही गाड़ी का पटरी से उतर जाने या किसी अन्य प्रकार की गाड़ी दुर्घटना के कारण कोई भी दुर्घटना होने पर यात्री या नामित व्यक्ति उस मामले में मुआवजे का दावा कर सकते हैं। पॉलिसी का कवरेज पीएनआर के आधार पर होगा और इसमें मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता, स्थायी आंशिक विकलांगता के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती रहने का शुल्क शामिल होंगे। ₹ 10 लाख का यह यात्रा बीमा उन यात्रियों को प्रदान किया जाता है जो प्रति यात्री ₹ 0.49 की कम प्रीमियम का भुगतान करके इसे चुनते हैं, जिसे घटाकर प्रति यात्री ₹ 0.35 दिया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान यात्रा बीमा का विकल्प का चयन करने वाले कुल यात्रियों की संख्या 32.67 करोड़ थी। इस सेवा के लिए एकत्र किया गया प्रीमियम ₹ 13.92 करोड़ था।

- **रियायत बुकिंग:** रियायत बुकिंग सुविधा भी पत्रकारों और दिव्यांग (दिव्यांग) यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट और भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान किए गए आईडी कार्ड का उपयोग करके मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए उपलब्ध है।

- **रेलवे पास धारकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग:** रेलवे पास का उपयोग कर आरक्षित रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सेवा में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। इन बुकिंग के लिए सुविधा शुल्क और यात्रा बीमा लागू नहीं है।

- **रेल खानपान:** भारतीय रेलवे ने 2017 में नई खानपान नीति जारी की थी जिसे अब लागू कर दिया गया है और यात्रियों के खानपान सेवाओं की गुणवत्ता और ऑन-बोर्ड भोजन के अनुभव में सुधार के लिए गाड़ियों के सम्पूर्ण मोबाइल खानपान को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

- **विस्टाडोम कोच:** भारतीय रेलवे का पहला विस्टाडोम कोच जिसमें शीशे की छत, एलईडी लाइटें, लाउंज में एक बड़ी ऑब्ज़र्वेशन विंडो, बेहतर देखने के लिए 360 डिग्री रोटेटेबल सीटें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, सिरेमिक टाइल वाले शौचालय, एक मिनी पेंट्री और सर्विस स्टेशन, और शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के प्रवेश के लिए एक चौड़ा साइड डोर हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित सुरम्य अराकू घाटी में संचालित किया जा रहा है। विस्टाडोम कोच भी मुंबई और गोवा के बीच संचालित किए जा रहे हैं।

  विस्टाडोम कोच भी निम्नलिखित गाड़ियों में शुरू किए गए हैं:

  18551- 52- वीएसकेपी - केआरडीएल एक्सप्रेस
  16515-16-वाईपीआर -केएडब्ल्यूआर एक्सप्रेस
  16575-76- वाईपीआर - एमएजेएन एक्सप्रेस
  16539-40- वाईपीआर - एमएजेएन एक्सप्रेस
  16579-80- वाईपीआर - एसएमईटी इंटरसिटी एक्सप्रेस
  15887-88- बीपीबी - जीएचवाई टूरिस्ट एक्सप्रेस
  15907-08- टीएसके - एनएचएल विस्टाडोम एक्सप्रेस
  15777-78- एनजेपी-एपीडीजे टूरिस्ट एक्सप्रेस
  12087-88-एनएचएलएन - जीएचवाई शताब्दी एक्सप्रेस
  12123-24- सीएसएमटी - पुणे डेक्कन क्वीन
  11007-08- सीएसएमटी- पुणे डेक्कन एक्सप्रेस
  12051-52- सीएसएमटी- एमएओ जन शताब्दी एक्सप्रेस
  12009-10- एमएमसीटी - आदि शताब्दी एक्सप्रेस

- **एग्जीक्यूटिव लाउंज:** रेलवे स्टेशनों पर एक्जीक्यूटिव लाउंज में सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे वाश एवं चेंज, वाई-फाई इंटरनेट, लाइव टीवी, संगीत चैनल, समाचार पत्र/बुक स्टैंड, बुफे सेवाएं, यात्रियों को प्रस्थान से पहले और आगमन के बाद सहायता आदि जो भुगतान आधारित हैं। हाल में, आईआरसीटीसी 08 एक्जीक्यूटिव लाउंज यानी नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड और अजमेरी गेट साइड), आगरा कैंट, जयपुर, अहमदाबाद, मदुरै, सियालदह और वाराणसी का प्रबंधन कर रहा है।

  हाल ही में, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 02 विश्व स्तरीय एग्जीक्यूटिव लाउंज की शुरुआत की है जो भारतीय रेलवे के विकास का एक भाग हैं।

महत्वपूर्ण सामर्थ्य

- ऑनलाइन रेलवे टिकट बिक्री के लिए एकमात्र अधिकृत इकाई।
- भारत में सभी गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर बोतलबंद पेयजल के वितरण में शामिल एकमात्र इकाई।
- यह यात्रा उद्योग में वन स्टॉप सोल्यूशन हैं जो ऑनलाइन टिकटिंग, टूर पैकेज, बोतलबंद पेयजल और खानपान सहित कई सेवाएं प्रदान करता है।
- गाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान करने वाली एकमात्र अधिकृत संस्था हैं अपनी सेवाओं का विस्तार करने और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत के सभी स्टेशनों पर फूड प्लाजा/स्टॉल स्थापित किए हैं। पेशेवरों द्वारा तैयार किए गए स्वच्छ भोजन का वितरण करने के लिए कंपनी का सतत प्रयास क्वालिटी फूड ड्राइव पर हैं।
- यात्रा करने वाले यात्रियों को पूर्व-प्रस्थान और आगमन के बाद की सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर एग्जीक्यूटिव लाउंज स्थापित करने वाली एकमात्र अधिकृत संस्था।
- भारतीय रेलवे पर विश्रामालयों के संचालन, रखरखाव और विपणन के लिए अधिदेशित।
- भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए चलने वाली विशेष गाड़ियां, इसकी यात्रा और पर्यटन उद्योग में मजबूत उपस्थिति हैं। आईआरसीटीसी ने पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में ग्राहकों के लिए वन-स्टॉप सोल्यूशन के रूप में उपस्थिति दर्ज करने के लिए निजी संस्थाओं के साथ भी समझौता किया है।
- कंपनी का मजबूत नेतृत्व और विशेषज्ञ प्रबंधन टीम साल-दर-साल मजबूत वित्तीय परिणाम और निरंतर वृद्धि प्रदान करने की ताकत प्रदान करती है।

बाधाएं

- रेल मंत्रालय द्वारा प्रतिकूल नीति परिवर्तन जो कंपनी के राजस्व को प्रभावित करती हैं जिसमें मेनू और टैरिफ सीमा पर रेल मंत्रालय द्वारा नीति विनियमों शामिल हैं।
- आरक्षित रेल टिकटों की मांग और आपूर्ति संकट के कारण ग्राहकों में असंतोष।
- हमारे ब्रैंड की उपभोक्ता जागरूकता बनाए रखने या बढ़ाने में कोई विफलता।
- खानपान, यात्रा और पर्यटन, और इंटरनेट-टिकटिंग व्यवसाय के संबंध में हमारी विकास रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने में असमर्थता।
- यात्रा उद्योग में व्यवधान या गिरावट।
- मौसमी बदलाव जो हमारे उत्पादों और सेवाओं की मांग को प्रभावित कर सकते हैं।
- परिचालन लागत में उतार-चढ़ाव और हमारे वित्तीय परिणामों पर प्रभाव।
- हमारे लिए लागू विनियमों के अनुपालन नहीं होने या इसमें परिवर्तन हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

अवसर

- आईआरसीटीसी का अपना पेमेंट गेटवे बिजनेस जो फिनटेक कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए है।
- आईआरसीटीसी डिजिटल एसेट का डेटा मुद्रीकरण।
- अन्य संगठनों को ऑनलाइन टिकटिंग समाधान प्रदान करना।
- ऑनलाइन कारोबार में वृद्धि।
- महामारी के बाद पर्यटन और यात्रा को पुनः चालू करना।
- यात्रा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल।
- खाद्य और पेय पदार्थों में समग्र वृद्धि से परिचालन और कारोबार के विस्तार के अच्छे अवसर उत्पन्न होते हैं।
- यात्राओं में वृद्धि विकास के अवसरों में सहायता करेगी।

3. आईआरसीटीसी की पहल

आपकी कंपनी **का मानना है कि गेम चेंजर बनने के लिए पहल करना महत्वपूर्ण है।**

वर्ष 2021–22 में कंपनी द्वारा खंड–वार की गई प्रमुख पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- **इंटरनेट टिकटिंग:**
    - आईआरसीटीसी वेबसाइट पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में मल्टी लैप इंक्वायरी सुविधा की शुरुआत।
    - आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में विश्रामालय की बुकिंग सुविधा।
    - आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में प्रिविलेज पास/पीटीओ धारकों के लिए रेल ई–टिकट बुकिंग।
    - बस सुविधा का आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और आईआरसीटीसी वेबसाइट (www.irctc.co.in) के आईआरसीटीसी एक्सक्लूसिव सेक्शन में एकीकरण।
    - आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप और वेबसाइट में एस्कॉर्ट के साथ शिशु दिव्यांग रियायती बुकिंग।
    - एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस का आईआरसीटीसी ई–टिकटिंग के लिए यात्रा बीमा भागीदारों के रूप में एकीकरण जिसमें प्रीमियम राशि को 49 पैसे से संशोधित कर 35 पैसे किया गया हैं।
    - ई–गिफ्ट वाउचर विकल्प का आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के 'आईआरसीटीसी एक्सक्लूसिव' सेक्शन के समावेश।
    - ईएमआई आधारित भुगतान विकल्प का आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप में एकीकरण।
    - अर्धसैनिक बलों के लिए उनके कर्मियों, जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए आरक्षित रेल ई–टिकट बुक करने के लिए ई–टिकटिंग एप्लिकेशन का विकास।
    - बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से रुपे प्लेटफॉर्म पर आईआरसीटीसी बीओबी लॉयल्टी कोब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत।
    - आस्कदिशा चैटबॉट के माध्यम से पूर्ण विकसित ई–टिकट बुकिंग की शुरूआत।
- **पर्यटन**

    हालांकि कोविड–19 महामारी ने पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आईआरसीटीसी पर्यटन दल सक्रिय रूप से कार्रवाई करके कोविड–19 बाधाओं को अवसरों में बदल सकती है। कोविड–19 की स्थिति की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं;

    - संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसपी) ताकि यात्री गाड़ियों, पर्यटक गाड़ियों और टूर पैकेजों के संचालन के लिए कोविड–19 के प्रसार को रोका जा सके जो यात्रियों के बीच भय को कम करने में मदद करती है।
    - पर्यटन उत्पादों की बिक्री में वृद्धि जहाँ किफायती और प्रतिस्पर्धी पैकेज लॉन्च करने के लिए होटल और परिवहन कंपनियों के साथ सीधे गठबंधन किया गया है।
    - अतिथि किटों में सुरक्षा किट एक मानक वस्तु बन गई है जो अधिकांश एयर पैकेजों के लिए प्रदान की जाती हैं।
    - संशोधित नीति में संशोधन के साथ, सुरक्षा किट उन व्यक्तियों के अनुरोध पर प्रदान की जाती थी जो आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट ट्रेनों में अपने स्वयं के मास्क/सैनिटाइज़र आदि नहीं लाते थे।
    - आईआरसीटीसी ने आंशिक भुगतान सुविधा के ऑनलाइन और ऑफलाइन ग्राहकों को अपने पर्यटन पैकेज बुक करने और सम्पूर्ण राशि को ब्लॉक किए बिना अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाने की सुविधा प्रदान की है।
    - आउटबाउंड पैकेज लॉन्च और संचालित किए जिसमें मुख्य ध्यान पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने पर था।
    - कोविड–19 की दूसरी लहर के बाद, आईआरसीटीसी ने यात्रियों की समूह आवाजाही शुरू की है। ऐसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं
        - मदुरै से भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन का दिनांक 03.08.2021 से 13.08.2021 तक परिचालन। गाड़ियों के अंदर सामान का सेनिटाइज़ेशन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा दिशानिर्देशों की कड़ी निगरानी की गई है।
        - आईआरसीटीसी कॉरपोरेट ट्रेनों यानी एलजेएन – एनडीएलएस और एडीआई– एमएमसीटी तेजस गाड़ियों का संचालन 07.08.2021 से शुरू किया।
        - 07 से 24 नवंबर, 2021 तक वातानुकूलित डीलक्स पर्यटक गाड़ी के साथ रामायण यात्रा का परिचालन किया जिसमें भगवान राम के सभी प्रमुख स्थलों जैसे अयोध्या–सीतामढ़ी–जनकपुर–वाराणसी–प्रयागराज–चित्रकूट–नासिक–हंपी–रामेश्वरम–काचीपुरम–भद्राचलम शामिल थे।
- **रेलनीर**

क. **600 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादन:** आईआरसीटीसी ने कुल 600 किलोवाट क्षमता का सौर पीवी बिजली संयंत्र स्थापित किया है। नांगलोई (दिल्ली), दानापुर (बिहार), पालूर (तमिलनाडु), अंबरनाथ (महाराष्ट्र) और बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित कंपनी के स्वामित्व वाले पांच रेल नीर संयंत्रों में से प्रत्येक में 120 किलोवाट हैं।

इससे रेल नीर बोतलबंद पेयजल संयंत्रों के ऊर्जा बिल में कमी आई है, साथ ही ग्रिड को अधिशेष बिजली की बिक्री से राजस्व अर्जित किया जा रहा हैं। किलोवाट इकाइयों की वार्षिक खपत में लगभग 7.2 लाख यूनिट की कमी आई है, फलस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 50 लाख रुपये की बचत हुई है।

ख. **सौर वाष्पीकरण तालाब:** रेल नीर संयंत्रों में सौर वाष्पीकरण तालाब उपलब्ध कराये गए हैं, जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) इकाई से जल उपचार प्रक्रियाओं के दौरान उच्च कुल घुलित ठोस (टीडीएस) रिजेक्ट वाटर को सौर वाष्पीकरण तालाब के माध्यम से प्राकृतिक रूप से वाष्पित किया जा सकता है।

ग. **वृक्षारोपण:** रेल नीर के व्यवसाय मॉडल के भाग के रूप में, संयंत्र आगे शुद्धिकरण और प्रसंस्करण के लिए भूमिगत जल का स्रोत हैं। हम वनीकरण गतिविधि में भी संलग्न हैं, जिससे संभावित वर्षा और भूजल स्तर में सुधार के लिए एक चक्र शुरू किया जा रहा है। वर्ष के दौरान 1,000 से अधिक पौधे जगीरोड, मनेरी, हापुड़, नांगलोई, पलूर, दानापुर, अंबरनाथ और बिलासपुर में रेल नीर संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों में रोपित किए गए हैं।

- **खानपान सेवाएं–**

  - **अप्रयुक्त लाइसेंस शुल्क का रिफंड**– महामारी की स्थिति के कारण नियमित गाड़ियों के गैर–संचालन के दौरान इच्छुक लाइसेंसधारियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, आईआरसीटीसी ने अप्रयुक्त लाइसेंस शुल्क का 90% वापस कर दिया, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारियों द्वारा अग्रिम रूप से जमा किया गया था।

  - **खाने के लिए तैयार (रेडी टु इट)(आरटीई) एजेंसी का पैनल–** कोविड–19 के बाद, आईआरसीटीसी को विशेष गाड़ियों में केवल आरटीई भोजन परोसना अनिवार्य किया गया था। यात्रियों के लिए किस्मों की रेंज का विस्तार करने के लिए आईआरसीटीसी ने 11 ब्रांडों को सूचीबद्ध किया, फलस्वरूप राजमा–चावल, छोले–चावल, पोहा, उपमा, सांभर–चावल, कढ़ी–चावल, शाकाहारी/नॉन–वेज बिरयानी, शेज़वान फ्राइड राइस आदि जैसे व्यंजन आरटीई के रूप में उपलब्ध थे।

  - **गाड़ियों में पका हुआ भोजन पुनः शुरू करना –** रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ियों में पका हुआ भोजन पुनःशुरू करने के संबंध में जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप, आईआरसीटीसी ने निर्देश प्राप्ति के 03 महीने के भीतर 159 मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) गाड़ियों और 235 एसबीडी बिना की गाड़ियों को पके हुए भोजन की व्यवस्था के साथ पुनः शुरू किया।

  - **प्री–पेड भोजन की व्यवस्था उन यात्रियों के लिए जिन्होने टिकट बुक करते समय भोजन बुक नहीं कराया था–** रेलवे बोर्ड ने पूर्व–कोविड अवधि के दौरान प्रचलित पके हुए भोजन और सेवाओं को फिर से शुरू करने की सलाह दी। न्यूनतम समय में फिर से शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए, प्री–पेड गाड़ियों के यात्रियों को आईआरसीटीसी की साइट से भोजन को प्री–बुक करने की सुविधा प्रदान की गई थी, यदि उन्होंने टिकट की बुकिंग के समय भोजन बुक नहीं किया था।

  - **एंड–टू–एंड ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) अनुबंध –** अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए समय कम करने और पेंट्री कारों के बिना अधिकतम संख्या में गाड़ियों में सेवा देने के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने एंड–टू–एंड टीएसवी अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीकृत निविदाएं जारी की थीं। ये जोनल स्तर पर पहले से तय सेक्शनल टीएसवी अनुबंधों के अतिरिक्त थे। इस पहल से महामारी के मुश्किल दौर में अतिरिक्त राजस्व अर्जित हुआ।

  - **डिजिटल भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन:** आईआरसीटीसी ने मोबाइल और स्थिर खानपान इकाइयों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है जहाँ भुगतान सहित यात्रियों को बिलिंग और कैशलेस भुगतान सुविधा के लिए भीम/यूपीआई के माध्यम से किए जाने चाहिए।

  - कोविड के कारण स्थिर इकाइयों (फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार, सेल किचन, एक्जीक्यूटिव लाउंज) के सेवा प्रदाताओं को राहत और सहायता प्रदान करने के लिए इस अवधि के दौरान कम लाइसेंस शुल्क लिया गया है।

  - अपग्रेडेड किचन यूनिट में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए में सीसीटीवी कैमरों को भी पुनःस्थापित किया गया है। हाल ही में लाइव स्ट्रीमिंग आईआरसीटीसी के डैश बोर्ड पर उपलब्ध है।

  - क्यूआर कोड (स्टिकर और सॉफ्टवेयर) का प्रापण और किचन यूनिट/बेस किचन में इसका कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया गया है। सभी जोनों को सलाह दी गई है कि वे सभी अपग्रेडेड किचन यूनिट में कार्यान्वयन के लिए इसे खरीदें।

  - पीओएस मशीन और विभिन्न डिजिटल मोड द्वारा भुगतान अर्थात। फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार में भीम/यूपीआई को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है।

  - खानपान कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया गया है।

  - वित्तीय गणना में आसानी के लिए ई–कैटरिंग प्रणाली का स्वचालित समाधान।

  - आईआरसीटीसी ई–कैटरिंग में जीएसटी कार्यान्वयन जो ई–कॉमर्स फूड एग्रीगेटर्स के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित शासन के अनुसार हैं।

  - सिस्टम में सुधार के भाग के रूप में डिलीवरी मार्किंग मैकेनिज्म में सुधार जिससे ऑर्डर बुकिंग के पूर्व–कोविड स्तर को हासिल किया गया।

4. व्यवसाय क्षेत्र अवलोकन – मुख्य बल

क. **इंटरनेट टिकटिंग:** इंटरनेट टिकटिंग: भारतीय रेलवे के लिए ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं पर वर्तमान में आईआरसीटीसी का एकाधिकार है और यह विशेष रूप से संचालन करता है। प्रति माह 34.5 मिलियन से अधिक के लेन–देन की मात्रा और प्रति दिन 6.27 मिलियन लॉगिन के साथ, कंपनी एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाली और लेन–देन वाली वेबसाइटों में से एक का संचालन करती है। 31 मार्च, 2022 तक, 20 लाख से अधिक यात्रियों ने दैनिक आधार पर भारतीय रेलवे में यात्रा की, जिसमें प्रति दिन औसतन 11.44 लाख टिकट ऑनलाइन बुक किए गए थे, जिसमें भारतीय रेलवे के आरक्षित टिकटों का लगभग 80.43% ऑनलाइन बुक किया गया था।

ऑनलाइन टिकट शेयर

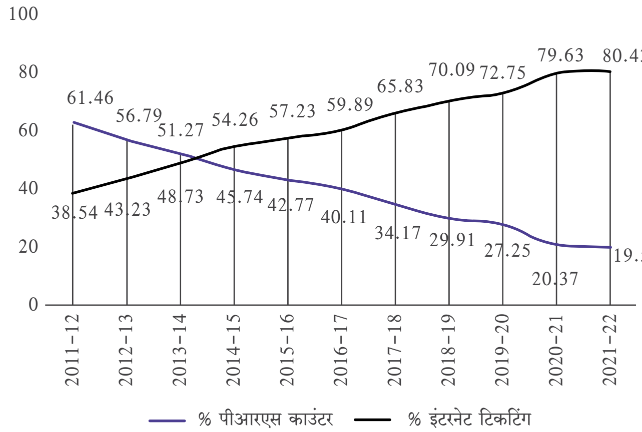

- एनजीईटी प्रणाली: आईआरसीटीसी की नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग (एनजीईटी) सिस्टम इंटरफेस कई यात्री-अनुकूल सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है, जो आसान लॉग-इन के साथ अव्यवस्था मुक्त अनुभव, साइट नेविगेशन और बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करता है। अतः, टिकट बुकिंग 2014 में 7200 प्रति मिनट से बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक 26,000 टिकट प्रति मिनट से अधिक हो गई है। कंपनी ने एक नया डेटा सेंटर भी बनाया है ताकि क्षमता और दैनिक बुकिंग के प्रवाह को बाया जा सके। इंटरनेट - टिकटिंग प्रणाली को भारतीय रेल के आईटी शाखा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) के साथ मिलकर डिजाइन और संचालित किया जाता है। कंपनी के पास एक मजबूत ग्राहक डेटाबेस है और इस शक्ति का प्रयोग अपने उत्पाद को बेचने अपने उत्पाद को जोड़ने के लिए और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और उच्च वृद्धि प्राप्त करने के लिए करती है।

तुलना (वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22)

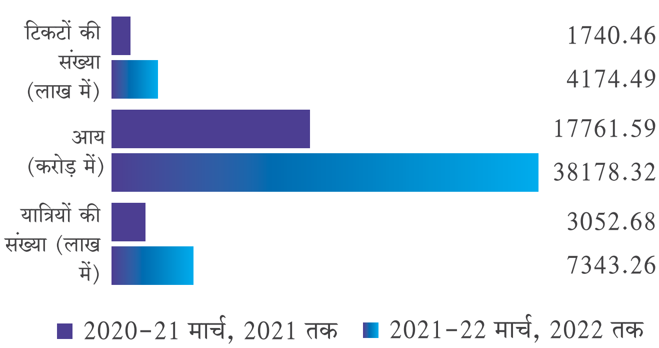

- **आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप ई-टिकटिंग:** वित्त वर्ष 2021-22 में कुल औसत मोबाइल टिकट बुकिंग 5.25 लाख प्रतिदिन थी। मोबाइल ऐप के कुल 7.81 करोड़ डाउनलोड हैं। दैनिक मोबाइल लॉगिन 43.45 लाख हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1915 लाख से अधिक टिकट बुक किए गए जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 808 लाख टिकट बुक की गई थी। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल गूगल प्ले स्टोर में भारत के टॉप मोस्ट रेटेड मोबाइल ऐप में से एक है। अब रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

- **मोबाइल ई-टिकटिंग शेयर**

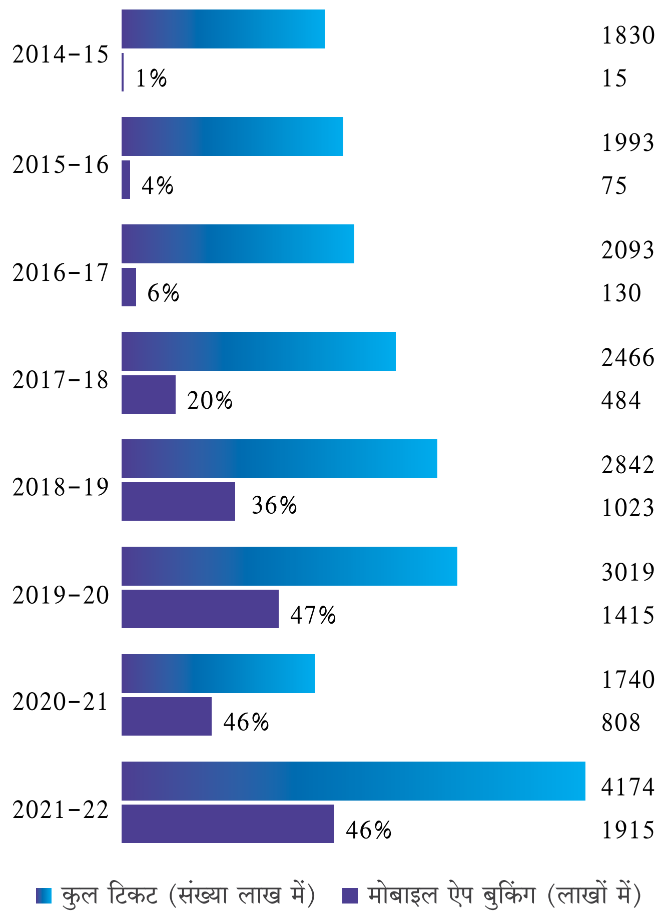

- **आईआरसीटीसी आई-पे-पेमेंट एग्रीगेटर:** आईआरसीटीसी का अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे- आईआरसीटीसी आई-पे (एक पीसीआई-डीएसएस अनुपालन भुगतान सोल्यूशन) वन-स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन है जो सभी भुगतान मोड (जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई अकाउंट और ऑटोपे) से भुगतान और मर्चेंट वेबसाइट, कई इस्सूइंग संस्थानों, अधिग्रहण करने वाले बैंकों और भुगतान गेटवे प्रदाताओं के बीच सुरक्षित लेनदेन की सुविधा देता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, आई-पे ने अच्छे लाभ मार्जिन के साथ ₹ 52.88 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। प्रति दिन औसतन 1.35 लाख बुकिंग लेनदेन और 25,000 रद्दीकरण लेनदेन को संभाला गया है।

ख. बोतलबंद पेयजल (रेल नीर):

कंपनी का पूरे भारत में सभी रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में बोतलबंद पेयजल बनाने और वितरित करने का एकाधिकार है। कंपनी 'रेल नीर' ब्रांड के अंतर्गत अपना बोतलबंद पेयजल बेचती है। वर्तमान में, कंपनी नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ, अमेठी, परसाला, बिलासपुर, हापुड़, साणंद, मंडीदीप, जागीरोड, नागपुर, मनेरी, सांकराइल और ऊना में स्थित 15 'रेल नीर' संयंत्रों का संचालन करती है। प्रति दिन लगभग 1.48 मिलियन लीटर की स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ, यह रेलवे परिसर और गाड़ियों में बोतलबंद पेयजल की वर्तमान मांग का लगभग 70% पूरा करती है।

अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी को भुसावल, विजयवाड़ा, सिम्हाद्री, भुवनेश्वर और कोटा में नए रेल नीर संयंत्र के निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। ऊना (हिमाचल प्रदेश) में एक नया रेल नीर संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है और इसका वाणिज्यिक परिचालन 13 जुलाई, 2021 से शुरू हो गया है। विजयवाड़ा, भुसावल, विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर में रेल नीर संयंत्र निर्माणाधीन है। भुसावल और विशाखापत्तनम में रेल नीर संयंत्र चालू होने के अंतिम चरण में है और वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त, 2022 से शुरू होना अपेक्षित है। भुवनेश्वर और कोटा में रेल नीर संयंत्र 2022-23 तक चालू होने की संभावना है।

ग. यात्रा और पर्यटन::

1999 में संगठन के निगमन के बाद से, यात्रा और पर्यटन व्यवसाय चार्टर गाड़ियों और कोचों के साथ शुरू हुआ, जिसे समय के साथ आगे बढ़ाया गया और विभिन्न पर्यटन उत्पादों जैसे हिल चार्टर, भारत दर्शन पर्यटक गाड़ी, रेल टूर पैकेज, हॉलिडे पैकेज, बुद्धिस्ट सर्किट पर्यटक गाड़ी, होटल बुकिंग, पर्यटन पोर्टल का शुभारंभ, शैक्षिक पर्यटन, चार्टर कोच/गाड़ी यात्राएं, महाराजा एक्सप्रेस, कॉर्पोरेट यात्रा व्यवसाय, एयर टिकटिंग, राज्य विशेष गाड़ियां, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पैकेज, कार्यक्रम (एमआईसीई), तीर्थयात्रा विशेष गाड़ियाँ, चुनाव विशेष गाड़ियाँ, सैलून कार, तीर्थयात्रा विशेष गाड़ियाँ, क्रूज पैकेज, साहसिक यात्राएँ, तेजस गाड़ियाँ आदि को अम्ब्रेला में जोड़ा गया हैं।

वर्षों के बीतने के साथ, आईआरसीटीसी मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है जो विश्वास, मूल्य और गुणवत्ता के साथ निजी खिलाड़ियों को भी प्रतिस्पर्धा देता हैं। यहां तक कि विभिन्न फीडबैक और शिकायत विकल्पों के लॉन्च के साथ, टूर पैकेज और सेवाएं ग्राहकोन्मुखी होती जा रही हैं।

पहले पर्यटन और यात्रा विभाग रेल आधारित पर्यटन सेगमेंट की ओर अधिक झुका हुआ था और वर्तमान परिदृश्य में रेल बिना आधारित पर्यटन गतिविधियों जैसे माइस, कॉर्पोरेट यात्रा व्यवसाय, हॉलिडे पैकेज, होटल बुकिंग, क्रूज/रिवर पैकेज आदि के लॉन्च के साथ इस घटना को बदला है।

वर्तमान परिदृश्य में, आईआरसीटीसी ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टमाइज़्ड होटल और पर्यटन पैकेज भी प्रदान करता है। इसमें लाउंज, होटल और विश्राम कक्ष हैं, जिन्हें 4 स्टार और उससे अधिक रेटिंग दी गई है जो अधिकतम आराम और सुविधा प्रदान करेगा। इसने अन्य संपत्तियों के साथ-साथ ओयो रूम्स और होटलों के साथ गठबंधन भी किया है ताकि ग्राहकों की मांग पूरी की जा सके। एक विविध पोर्टफोलियो के साथ, कंपनी निकट भविष्य में अन्य सेगमेंट जैसे हेलीकॉप्टर यात्रा, चिकित्सा पर्यटन और अन्य में प्रवेश/विस्तार करने की भी योजना बना रही है।

पर्यटक गाड़ी में बदलाव और भारत गौरव नीति के लॉन्च के साथ, आईआरसीटीसी बजट श्रेणी यात्रियों को आकर्षित करने हेतु संघर्ष कर रहा है, जो स्लीपर के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन ₹ 900/1100 और भारत दर्शन/ तीर्थयात्रा विशेष गाड़ी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन ₹ 1100/1500 का भुगतान करके यात्रा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कंपनी के साथ रखने के लिए आईआरसीटीसी विभिन्न रेल टूर पैकेज के साथ-साथ एफटीआर ट्रेन/कोच टूर लॉन्च करने के प्रयास में है।

भारत गौरव गाड़ियों के मॉडिफाइड रेक मिलने के बाद आईआरसीटीसी इन पैकेजों को पूरे भारत में लॉन्च और संचालित करने के लिए तैयार है।

घ. खानपान:

- **मोबाइल खानपान:** इस व्यवसाय खंड में गाड़ियों में कैटरिंग सेवाएं, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से बुक किए गए भोजन पहुंचाना शामिल है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, तेजस और वंदे भारत जैसी गाड़ियों में और एक्सप्रेस गाड़ियों में पैंट्री कार के साथ या बिना सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बिना पैंट्री कार वाली गाड़ियों में गाड़ी साइड वेंडिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन परोसा जाता है। खानपान नीति 2017 के अनुसार बेस किचन का एक नेटवर्क मोबाइल गाड़ियों में भोजन की आपूर्ति में मदद करता है। 31 मार्च, 2022 तक आईआरसीटीसी ने 391 गाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाएं प्रदान कीं। ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के माध्यम से, आईआरसीटीसी ने 486 गाड़ियों में ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाएं प्रदान कीं।
- **स्टेटिक कैटरिंग:** इस सेगमेंट में स्टेशन परिसर में दी जाने वाली खानपान सेवाएं फास्ट फूड यूनिट, फूड प्लाजा, जन आहार, रिफ्रेशमेंट रूम, बेस किचन और स्टेशन परिसर में एग्जीक्यूटिव लाउंज और बजट होटल और रेल यात्री निवास सहित अन्य ऑफ-बोर्ड सुविधाएं शामिल हैं। 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी ने 55 जन आहार, 180 रिफ्रेशमेंट रूम, 6 सेल किचन, 11 बेस किचन और 306 फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट का प्रबंधन किया।

5. जोखिम और चिंताएं – मजबूत रणनीतियां

जोखिम प्रकार	जोखिम की परिभाषा	गंभीरता को कम करने की रणनीतियां
महामारी जोखिम	2020 में कोविड-19 के प्रकोप के पश्चात, वैश्विक लॉकडाउन और यात्रा और विभिन्न परिचालनों पर विश्व भर में संबंधित सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। दूसरी और तीसरी लहर ने इस घटना की अवधि की अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है, और विश्व भर में लोगों और व्यवसायों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है।	आईआरसीटीसी के 2020 की महामारी के अनुभव के कारण प्रणाली उपलब्ध थी जिसकी शुरुआत कोविड-19 प्रोटोकॉल से सुरक्षित और परिचालन वातावरण का सख्त पालन करना था। कोविड-19 संक्रमणों से अधिकतम बचाव सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों जिनमें ग्राहकों या यात्रियों के संपर्क में आने वाले कार्यरत कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। हमने परिचालन वर्टिकल (खानपान, पर्यटन, रेल नीर आदि) के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं भी विस्तृत की हैं, जो कई मैन्युअल प्रक्रियाओं के स्वचालन के साथ-साथ मानव इंटरफ़ेस के कारण होने वाले जोखिमों से निपटने में सहायता करती हैं।

जोखिम प्रकार	जोखिम की परिभाषा	गंभीरता को कम करने की रणनीतियां
निर्भरता जोखिम	कंपनी का व्यवसाय और इसका राजस्व रेल मंत्रालय की नीतियों और भारतीय रेलवे के संचालन पर काफी हद तक निर्भर है। किसी भी नीति में बदलाव या कोई प्रतिकूल निर्णय कंपनी के राजस्व को प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए 2016 में सेवा शुल्क समाप्त करने के निर्णय से कंपनी का राजस्व प्रभावित हुआ।	एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, कंपनी को भारतीय रेलवे की ओर से जनता को विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिया सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। साथ ही समय-समय पर रेल मंत्रालय से ऑपरेटिव समर्थन भी प्राप्त होता हैं। रेलवे से संबंधित कोई भी कार्य आईआरसीटीसी को प्राथमिकता के आधार पर उसकी पहुंच और संचालन के पैमाने के कारण दिया जाता है। इसलिए, भारत सरकार से आदेशों और अनुबंधों नियमित रूप से मिलने पर कंपनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके व्यापक सेवा पोर्टफोलियो के कारण इसकी राजस्व गतिशीलता विविध बनी रहती हैं।
प्रतिस्पर्धा का जोखिम	यदि भारत सरकार या रेल मंत्रालय निजी क्षेत्रों के लिए बाजार खोलती है तो कंपनी बाजार पर अपना एकाधिकार खो सकती है। तीव्र प्रतिस्पर्धा का कंपनी के संचालन और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	आईआरसीटीसी का अनुभवी प्रबंधन पूरी तरह से रणनीतिक निर्णय लेने के लिए तैयार है जो कंपनी को अच्छी तरह अग्रिम सूचना देने के साथ निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए कंपनी का मार्गदर्शन भी करता है।
मानव संसाधन जोखिम	कंपनी एक गहन श्रम उद्योग में काम करती है और कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध के आधार पर श्रमिक को काम पर रखती है। मजदूरों की हड़ताल या बढ़ी हुई मजदूरी और लाभ की मांग कंपनी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा, आईटी (इंटरनेट टिकटिंग) और एयर-टिकटिंग बिजनेस के क्षेत्र में जनशक्ति सीमित है और अधिकांश आउटसोर्स प्रारूप पर हैं, जो चिंता का कारण है और समीक्षा की आवश्यकता है।	कंपनी अपने मानव संसाधन को एक प्रमुख संपत्ति के रूप में मानती है और इसलिए, नियमित अंतराल पर प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिभाशाली कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए नीति का अनुसरण करती है। यह पेशेवर वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक पैकेज और अवसर भी प्रदान करता है। अपर्याप्त मानव शक्ति के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी ने तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के साथ भी सहयोग किया है ताकि जरूरत पड़ने पर मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। पदोन्नति कैलेंडर के अनुसार सभी स्तरों पर समय-समय पर पदोन्नति लागू करना आवश्यक है। उद्योग से नई प्रतिभाओं को शामिल करके विभिन्न स्तरों पर मौजूदा नीति के अनुसार नई भर्ती की जानी चाहिए जो बाजार की आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करेगी।
साइबर सुरक्षा जोखिम	सुरक्षा में सेंधमारी, चाहे आंतरिक या बाहरी रूप से हो, व्यवसाय को भौतिक और प्रतिकूल रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनेट पर सुरक्षित लेन-देन कंपनी के व्यावसायिक संचालन के लिए आवश्यक हैं। ग्राहक डेटा की हैकिंग या साइबर खतरों से राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है और कंपनी की ब्रांड छवि को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।	कंपनी उसके डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता मौजूदा साइबर सुरक्षा खतरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर करती है। कंपनी अपने डेटा की सुरक्षा उन्नत सुरक्षा प्रणालि से करती है और मेलीशियस वायरस या अन्य साइबर खतरों से सफलतापूर्वक बचाव करती है। नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट सीईआरटी-इन पैनलबद्ध बाहरी सूचना सुरक्षा ऑडिट एजेंसियों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

जोखिम प्रकार	जोखिम की परिभाषा	गंभीरता को कम करने की रणनीतियां
व्यापार निरंतरता जोखिम	बिना अनुसूची के रेल यात्री सेवाओं को काफी अवधि तक संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण से नहीं चलाने से व्यवसाय में घाटा।	कंपनी का प्रबंधन दल कोविड 19 सम्बद्ध जोखिमों की पहचान करने के लिए प्रमुख स्थानीय और वैश्विक घटनाक्रम पर लगातार नज़र रखती है। कंपनी ने 2020 और 2021 में भारत में कोविड 19 की स्थिति की पृष्ठभूमि में किए गए हस्तक्षेपों से मिली सीख पर विचार-विमर्श किया है और अब बाद की लहरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। इसके अलावा, कंपनी ने कुछ बाजार निकटता और बाजार परिवर्तन की पहचान की है।
वित्तीय जोखिम	वित्तीय कुप्रबंधन या लापरवाही से व्यवसाय संचालन, वित्तीय और किसी भी जारी परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।	कंपनी के पास पेशेवरों की एक समर्पित टीम है जो कंपनी में सभी वित्तीय लेनदेन की निगरानी करती है। कंपनी किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के लिए वित्तीय विवेक और वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन करती है और किसी भी जोखिम का अनुमान लगाने और उसके अनुसार अनुकूलन करने के लिए वित्तीय बाजारों पर कड़ी नजर रखती है।
प्रौद्योगिकी जोखिम	कंपनी अपने सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्नत तकनीक पर निर्भर है। किसी भी तकनीकी खराबी, रुकावट या सिस्टम की विफलता से राजस्व का नुकसान हो सकता है क्योंकि इसकी वेबसाइट के माध्यम से हर मिनट लगभग 26000 टिकट बुक किए जाते हैं। इससे कंपनी की ब्रांड छवि प्रभावित होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप राजस्व कम हो सकता है।	कंपनी इस तरह के जोखिमों को कम करने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक पर निर्भर है और इसकी अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग वेबसाइट प्रति मिनट 26,458 टिकटों की रिकॉर्ड बुकिंग के साथ प्रति मिनट 26000 से अधिक टिकट बुक करने की क्षमता है। कंपनी के पास महत्वपूर्ण डेटा लॉस को रोकने के लिए बैक-अप सिस्टम और आकस्मिक योजनाएँ भी हैं और इसकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुचारू संचालन और सेवाएँ सुनिश्चित करती हैं।
गुणवत्ता जोखिम	भोजन और खानपान सेवा को अधिकारियों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना चाहिए। भोजन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित कोई भी प्रतिकूल दावा, मीडिया अटकलें या अन्य सार्वजनिक बयान कंपनी की प्रतिष्ठा और कॉर्पोरेट छवि को भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, या अन्यथा कुशलता से व्यावसायिक संचालन करने की इसकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।	रेलवे मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कंपनी ने महामारी की स्थिति में स्वास्थ्यकर और गुणवत्ता युक्त आरटीई (केवल उपयोग के लिए तैयार भोजन) आरटीई (रेडी टू ईट मील) बेच रही थी। हालांकि, पका हुआ भोजन नवंबर 2021 से चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया गया था क्योंकि महामारी नियंत्रण में थी और साथ ही मंत्रालय ने पके हुए भोजन की सेवा को मंजूरी दी थी। कंपनी ने स्वास्थ्यकर और गुणवत्तापूर्ण भोजन की सेवा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जांच की है।
नकली उत्पादों से जोखिम	अन्य के द्वारा हमारे ब्रांड नाम से नकली उत्पाद से बाजार में हिस्सेदारी कम हो सकती है और ब्रांड छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।	कंपनी में अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए अपने ब्रांड का उपयोग करने के विरुद्ध एक मजबूत नीति है और ट्रेडमार्क का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। कंपनी जागरूकता फैलाकर, टोल फ्री नंबर के साथ शिकायत केंद्र प्रदान करके या लिखित शिकायतों और औचक निरीक्षण के माध्यम से कड़ी निगरानी रखती है।

जोखिम प्रकार	जोखिम की परिभाषा	गंभीरता को कम करने की रणनीतियां
उपभोक्ता वरीयता जोखिम	कंपनी के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खानपान और पर्यटन से प्राप्त होता है। उपभोक्ता वरीयता में कोई भी बदलाव कंपनी के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।	मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरटीई की शुरुआत के साथ ही स्वस्थकर भोजन सेवा के कार्यान्वयन के माध्यम से जो कोविड अवधि के दौरान उपयुक्त था, लेकिन प्राप्त फीडबैक के आधार पर ग्राहकों की पसंद का विकल्प नहीं था और राजस्व को भी प्रभावित करता था। हालांकि, पके हुए भोजन को नवंबर 2021 से चरणबद्ध तरीके से फिर से पेश किया गया था, जिससे उपभोक्ताओं के लिए आरटीई चयन करने के विकल्प और पके हुए भोजन को भी जोड़ा गया है। साथ ही, उपभोक्ता वरीयता के आधार पर आकर्षक योजनाओं और उत्पाद अनुकूलन के साथ विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लॉन्च के साथ पर्यटन के लिए लक्षित बाजार के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
वाणिज्यिक जोखिम	अतिथि व्याकुल और शिकायत करते हैं जो कोचों की खराब स्थिति, एलएचबी कोचों की अनुपलब्धता, महंगे चार्जिंग प्रिंसिपल, मेल एक्सप्रेस रेक के एलएचबी रूपांतरण और मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में कक्ष की अनुपलब्धता के कारण होता है। साथ ही, भारत गौरव ट्रेनों (बीजीटी) के संचालन के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नई नीति पेश की गई है, जो भारत दर्शन/तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ियों के साथ-साथ एफटीआर कोच/ट्रेन व्यवसाय की अवधारणा का स्थान लेगी। बीजीटी का चार्जिंग प्रिंसिपल भी बहुत महंगा है।	1. जोनल रेलवे के साथ समन्वय ताकि आईसीएमएस में सभी पर्यटक गाड़ियों को शामिल करने के लिए रेलवे बोर्ड के साथ समन्वय के साथ-साथ मांग के अनुसार नए कोच उपलब्ध कराए जा सके। 2. भारत गौरव अवधारणा के अंतर्गत पर्यटक गाड़ियों को संचालित करने के लिए शुरुआत में थीम आधारित सर्किट के संचालन के लिए एक/दो रेक (आईसीएफ कोच) पर विचार किया जा सकता है। पूरे भारत में परिचालन सुनिश्चित करने के लिए अनुभव लाभ और बाजार की मांग के आधार पर रेलवे से अतिरिक्त रेक लिए जा सकते हैं। इसके लिए एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल का पता लगाया जा सकता है ताकि व्यवहार्य संचालन और राजस्व सृजन सुनिश्चित किया जा सके।
खानपान परिचालन जोखिम	अनधिकृत वेंडिंग के संबंध में काफी समय से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा, पैंट्री कारों सहित खानपान इकाइयों में स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इकाइयां प्लेटफार्मों पर स्थित हैं और पूरे देश में गाड़ियां चलती हैं।	1. अनधिकृत वेंडिंग को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान और नियमित निगरानी की जा रही है। रेलवे लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा सहायता के लिए भी अनुरोध किया गया है। 2. खाद्य सुरक्षा के लिए नियमित ऑडिट के साथ सैनिटाइजेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किचन में सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। रेलवे को ट्रेनों/प्लेटफार्मों पर सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पिच करने की भी सलाह दी जाएगी जो इस संबंध में आईआरसीटीसी के प्रयासों का अनुपूरक होगा।

6. भविष्य की रणनीतियां– आगे बढ़ना

कंपनी का विजन और मिशन इस प्रकार है:

विजन

"ग्राहक संतुष्टि के लगातार उच्च स्तर के साथ, ग्राहक खंडों की एक श्रृंखला के लिए उच्च गुणवत्ता वाली यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य से संबंधित सेवाओं का अग्रणी प्रदाता बनना।"

मिशन

"आईआरसीटीसी आतिथ्य सेवाओं, यात्रा और पर्यटन, बोतलबंद पेयजल और इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में स्वयं को यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके एक नेता के रूप में स्थापित करेगा, जहां रेलवे और गैर– रेलवे से संबंधित सेवाएं समान रूप से, एक लचीले व्यापार पोर्टफोलियो का निर्माण करेगी जो स्केलेबल है और मुख्य दक्षताओं पर आधारित है।"

कंपनी को भारतीय बाजार में रेलवे खानपान और इंटरनेट टिकटिंग में अग्रणी ब्रांडों में से एक के रूप में माना जाता है। कंपनी का लक्ष्य यात्रा और पर्यटन पैकेज और बोतलबंद पेयजल सहित अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में लगातार स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों और सेवाओं के साथ, रेलवे और रेलवे बिना दोनों सम्बन्धी सेवाओं और इसी तरह की सेवाओं को लक्षित करते हुए, आईआरसीटीसी भारतीय रेल को खानपान और संबंधित सेवाएं देने में अपनी मुख्य दक्षताओं के आधार पर एक व्यवसाय पोर्टफोलियो का निर्माण करना जारी रखती हैं।

अपने हितधारकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभिन्न पहलों की योजना बनाई है, जिसमें तीसरे पक्ष के संगठनों/ऑपरेटरों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से चैटबॉट सेवाओं और गाडी सूचना पूछताछ सेवाओं का मुद्रीकरण, गाड़ियों में डिजिटल बिल जारी करने और कैशलेस भुगतान, चैटबॉट के माध्यम से टिकट बुकिंग, ई–टिकटिंग मोबाइल ऐप पर ईएमआई–आधारित भुगतान, सरकार/पीएसयू के लिए ऑनलाइन कॉरपोरेट यात्रा सेवाएं, भुगतान समय कम करने हेतु होटलों और बस एग्रीगेटर्स/वेंडरों को स्वचालित भुगतान, वेलनेस पैकेजों का शुभारंभ और पांच वेलनेस संस्थानों/योग केंद्रों/होटलों आदि के साथ करार, लक्जरी पर्यटक गाड़ियों (महाराजा, गोल्डन चैरिएट और बुद्धिस्ट पर्यटन) आदि के लिए एजेंट बुकिंग मॉड्यूल आदि शामिल है।

7. चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति

चूंकि आईआरसीटीसी एक पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी है, इसलिए कंपनी ने भारत गौरव नीति के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां बनाई हैं:

- **यात्रा और पर्यटन**

  टीकाकरण अभियान और यात्रियों/पर्यटकों के बीच अधिक जागरूकता के साथ, यह अनुमान लगाया जाता है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुनःशुरू होने की संभावना है और दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबंधों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है।

क. **पर्यटक गाड़ी नीति में बदलाव के कारण – भारत गौरव गाड़ी,** निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गया है:

- **कोचों का संशोधन:** भारत गौरव गाड़ी के रेक में यात्रा के दौरान पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं जैसे बायो–टॉयलेट, कूड़ेदान, एक शौचालय को बाथरूम में बदलना आदि के अनुसार संशोधन किया जा रहा है।
- **स्वदेश दर्शन– एफटीआर गाड़ियां:** आईआरसीटीसी भारत दर्शन /तीर्थयात्रा विशेष पर्यटक गाड़ियों के नियमित पर्यटकों को रखने के लिए सभी समावेशी पैकेजों के साथ एफटीआर चार्जिंग प्रिंसिपल पर भारत भर में विभिन्न स्वदेश दर्शन गाड़ियों का संचालन कर रहा है।
- **भारत गौरव यात्रा कार्यक्रम की योजना और लागत:** आईआरसीटीसी भारत गौरव गाड़ी के यात्रा कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है जहां इसे अधिक उचित और मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कम अवधि के पैकेजों के संचालन पर विचार किया जा रहा हैं।
- **गैर–किराया राजस्व के लिए योजना:** आईआरसीटीसी गैर–किराया राजस्व (एनएफआर) उत्पन्न करने का प्रस्ताव करेगी ताकि रेक के स्थान/क्षेत्रों के विपणन और बिक्री के माध्यम से भारत गौरव गाड़ी को चलाने के लिए लगाए गए ढुलाई शुल्क की भरपाई की जा सके।

ख. **एयर टिकटिंग/कॉरपोरेट यात्रा सेवाएं:**

- **एयर स्टाफ प्रशिक्षण:** कॉरपोरेट यात्रा सेवाओं और एयर ग्रुप को संभालने वाले लगभग 100 कर्मचारी सदस्यों को प्रशिक्षण विभिन्न एयरलाइंस, जीडीएस, आईटी और कॉरपोरेट अकाउंट/ग्रुप टीम के सहयोग से आयोजित किया गया है। टीम को उत्पादों को समझने और कुशलता से काम करने के लिए।
- **कॉरपोरेट गठबंधन:** भारत भर में कॉरपोरेट यात्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू के साथ गठबंधन किया जाता है।
- **सरकारी प्राधिकारी के लिए ऑनलाइन एयर टिकटिंग:** सरकारी प्राधिकारियों के लिए ऑनलाइन एयर टिकट की सुविधा मंत्रालयों, विभागों आदि के कर्मचारियों के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों में उनकी यात्रा को पूरा करने के लिए सक्षम की गई है।
- **रक्षा बल:** सशस्त्र बलों के कर्मियों (सेवारत और सेवानिवृत्त और उनके आश्रितों) की सुविधा के लिए आईआरसीटीसी एयर टिकटिंग वेबसाइट पर विशेष किराया एयर टिकट सेवाएं शुरू की गई हैं।
- **कॉरपोरेट यात्रा कार्यालय:** कॉरपोरेट को उनकी एयर टिकटिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए 24*7 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विशेष छूट: एयरलाइंस के सहयोग से ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग पर विशेष छूट ऑफर की जाती है।
- **कॉरपोरेट टूल:** कॉरपोरेट बुकिंग के लिए सेल्फ–बुकिंग टूल सुविधा चालू कर दी गई है।

ग. होटल आवास:

ऑनलाइन होटल बुकिंग यात्रा का एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है। हमारे पोर्टल पर चयन के लिए होटलों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। आईआरसीटीसी वेबसाइट www.hotel.irctctourism.com और इसके सहयोगी पोर्टल पर एक्स्ट्रानेट/एपीआई लेबल/इन्वेंटरी आधारित सोल्यूशन के माध्यम से बिक्री के लिए आवास सूची प्रदान करने के लिए अधिक चेन होटल और एग्रीगेटर (आवास भागीदार) को सूचीबद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **इंटरनेट टिकटिंग**

अधिक तीव्र तीसरी लहर के साथ तीसरे वर्ष के लिए कोविड 19 महामारी की निरंतरता के बावजूद, आईआरसीटीसी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ कुछ नई परियोजनाओं को अपने प्रणाली में लाने की योजना बनाई है जो न केवल आईआरसीटीसी ब्रांड नाम को बढ़ावा देने का वचन देती हैं बल्कि कंपनी की विशेषज्ञता और बाजार में प्रचलित प्रौद्योगिकियां में नवीनतम नवीनता के लिए अनुकूलन क्षमता भी साबित करती हैं। साथ ही, यह नए व्यवसाय बनाने और कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने का भी अनुमान है। आईआरसीटीसी अपने व्यापार क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए प्रणाली में सुधार के लिए प्रचलित नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा।

इंटरनेट टिकटिंग द्वारा की जाने वाली कुछ भविष्य की परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:

क. चैटबॉट सेवाओं का तीसरे पक्ष के संगठनों तक विस्तार करके मुद्रीकरण: अपने ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट पूछताछ सेवा चलाने का अनुभव प्राप्त करने के बाद, आईआरसीटीसी अब एआई आधारित चैटबॉट सेवाओं को (जैसे एआई चैटबॉट्स, वॉयसबॉट्स, वीडियोबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटेलिजेंट आरपीए, और बॉट्स आदि) विभिन्न कार्यक्षेत्रों और कार्यों में सरकारी और निजी संगठनों के लिए विस्तार करेगी।

एआई पावर्ड मल्टी-फॉर्मेट, मल्टी-लिंगुअल और मल्टी-चैनल वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों की स्वीकार्यता, जुड़ाव और संतुष्टि को बढ़ाने के अलावा परिचालन/समर्थन लागत बचाने और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने में संगठनों की मदद करेगा।

ख. राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप: आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) के सहयोग से राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली विकसित की है जिसके माध्यम से आगंतुक प्रवेश और सवारी के लिए अग्रिम रूप से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। वर्तमान में फिजिकल टिकट बुकिंग एनआरएम के प्रबंधन के अधीन है। एनआरएम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्रवेश द्वारों पर लंबी कतारों से बचा जा सकेगा, एनआरएम में कैश हैंडलिंग कम होगी, आगंतुकों का डेटा अपने आप प्राप्त होगा और डिजिटलीकरण और कैश फ्री लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह एनआरएम की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट भी प्रदान करेगा। आईआरसीटीसी क्यूआर कोड टिकटों को स्कैन करके वैलिडिटी/कन्फर्मेशन के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित करेगा। इसके अतिरिक्त, आईआरसीटीसी प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से विभिन्न सवारी काउंटरों पर बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगी। रेलवे के लिए संग्रहालय टिकटिंग और क्यूआर कोड द्वारा सवारी का सत्यापन, आईआरसीटीसी के लिए एक नया उद्यम होगा और कंपनी अतिरिक्त राजस्व भी अर्जित करेगी।

ग. गाड़ी सूचना पूछताछ सेवाएं तृतीय पक्ष संचालको को: आईआरसीटीसी द्वारा गाड़ी सूचना पूछताछ सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के एकीकरण के लिए नीति तैयार की गई है। प्रामाणिक गाड़ी सूचना (उपलब्धता और किराया, स्टेशनों के मध्य गाड़ियां, क्लस्टर स्टेशन सूची, गाड़ी अनुसूची, चने के स्टेशनों की सूची, पीएनआर पूछताछ, आदि) के प्रसार के लिए तृतीय पक्ष संचालको को गाड़ी सूचना पूछताछ सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा उन फर्मों के साथ एकीकृत की जाएगी जो ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग सेवा प्रदान करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन अपने ग्राहकों को गाड़ी संबंधी जानकारी प्रदान करने में इच्छुक हैं। यह न केवल ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि में वृद्धि करेगी अपितु आईआरसीटीसी के लिए राजस्व का एक नया जरिया बनाने में भी मदद मिलेगी वह भी ग्राहकों से बिना किसी शुल्क वसूले।

घ. ई-मार्केट प्लेस: आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ई-मार्केट प्लेस और बिल भुगतान/रिचार्ज सेवाएं और ऑनलाइन बीमा जैसी अन्य तृतीय पक्ष सेवाएं प्रदान करेगा जो लोकप्रिय ई-कॉमर्स फर्मों जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी लाइफ आदि के साथ साझेदारी में होगी। यह न केवल कंपनी को अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करके और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम करेगा, बल्कि ई-कॉमर्स इकोसिस्टम और ग्राहक प्रतिधारण को बनाए रखने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

ङ. फिनटेक कंपनी के रूप में आईआरसीटीसी का विविधीकरण: आईआरसीटीसी आईपे एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है जिसका स्वामित्व और संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है और यह आईआरसीटीसी की पहली फिनटेक पहल है। आईपे का उपयोग वर्तमान में आईआरसीटीसी के इन-हाउस उत्पादों/सेवाओं (एयर, ट्रेन, पर्यटन, ई-टिकटिंग आदि) में किया जा रहा है। इसके उपयोग का विस्तार करने के लिए, आईआरसीटीसी तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म (सरकारी व्यवसायों में) को पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करेगा।

च. प्रणाली में सुधार

- **ग्राहक संतुष्टि:** हम प्राप्त कुल मात्रा के 50% तक लिखित और वॉइस क्वेरी को स्वचालित करने की योजना बना रहे हैं। यह मानव हस्तक्षेप के बिना त्रुटि मुक्त और प्रश्नों का समय पर निपटान सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, हमने ई-टिकटिंग कॉलसेंटर जैसे 139, 100, 102 के लिए सिंगल शॉर्ट कोड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। यह ई-टिकटिंग कस्टमर

केयर ब्रांडिंग में मदद करेगा और साथ ही जनता के लिए इसे याद रखना आसान होगा।

- **स्वचालित भाषण पहचान:** 139 हेल्पलाइन सेवाओं के लिए उभरती हुई नवीन प्रौद्योगिकी शुरू की जाएगी। आईवीआरएस प्राकृतिक भाषा आधारित ऑटोमेशन स्पीच फीचर को ग्राहक को 13 भाषाओं में बातचीत का प्राकृतिक अनुभव प्रदान करने में सक्षम करेगा। सिस्टम को निरंतर सुधार के लिए अपग्रेड किया जाएगा ताकि स्वचालित उत्तर को सक्षम करके और देश के विभिन्न हिस्सों के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा को आसान बनाया जा सके।

- दलाली गतिविधियों को कम करना: एंटी-टूटिंग और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस के पायलट रन के सफल परिणामों के बाद, आईआरसीटीसी गहन और इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस के माध्यम से दलाली गतिविधियों के सक्रिय शमन के लिए नियमित आधार पर इस विश्लेषण को लागू करेगा। यह आईआरसीटीसी को टिकट बुकिंग में लाभ प्राप्त करने और नेटवर्क स्तर पर उन्हें ब्लॉक/ब्लैकलिस्ट करने के लिए दलालों द्वारा अवैध तत्काल सॉफ़्टवेयर के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क को वर्गीकृत करने में सक्षम करेगा। यह विश्लेषण में जोखिम प्रबंधन के लिए यूजर प्रोफाइल का अध्ययन भी शामिल होगा। एंटी-टूटिंग और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस एनजीईटी प्रणाली का कार्यान्वयन आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर उद्यम स्तर पर दलालों की अवैध सॉफ्टवेयर आधारित पहुंच को कम करने की परिकल्पना करता है। तदनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप अधिक वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ होंगे। इससे बुकिंग पोर्टल में विभिन्न गतिविधियों की दृश्यता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

- **रेलनीर**

वर्तमान स्थिति से उबरने, अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी नए रेल नीर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। भुसावल, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम में नए रेल नीर संयंत्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा, कोटा में एक नए रेल नीर संयंत्र को मंजूरी दी गई है। विशाखापत्तनम और भुसावल में रेल नीर संयंत्र चालू होने के अग्रिम चरण में है और वाणिज्यिक उत्पादन कैलेंडर वर्ष 2022 में शुरू हो जाएगा और भुवनेश्वर और कोटा में रेल नीर संयंत्र वित्त वर्ष 2022-23 में चालू होना अपेक्षित है।

कंपनी मौजूदा रेल नीर संयंत्रों में बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रीफॉर्म उत्पादन इकाई स्थापित करने की भी संभावना खोज रही है।

- **खानपान**

देश में खाद्य और पेय पदार्थों और आतिथ्य व्यवसाय की समग्र वृद्धि और मांग में वृद्धि के साथ, संगठन अपने मौजूदा दायरे को परिसीमित कर सकता है और रेलवे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और रेलवे के बाहर अपने व्यापार क्षेत्र के विस्तार पर ध्यान दे सकता है। संगठन के पास समग्र निधि है जिसका उपयोग ऐसे व्यावसायिक अवसरों में निवेश के लिए किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, संगठन इन व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में विकास की भविष्य की क्षमता का लाभ लेने के लिए फूड आउटलेट स्थापित करने के अलावा होटल के विकास के लिए भूमि खंड की पहचान कर सकता है। इन्हें लचीले और उपयुक्त वित्तीय और परिचालन मॉडल पर विकसित किया जा सकता है। संगठन भोजन की आपूर्ति के लिए मेगा किचन के विकास जैसे अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे का भी निर्माण कर सकता है।

खानपान के अंतर्गत भविष्य में की जाने वाली कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:

- **तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता लेखापरीक्षा-यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के लिए:** आईआरसीटीसी सेवा प्रदाता को मोबाइल और स्टेटिक इकाई के लिए एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित एजेंसी को तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता लेखापरीक्षा का अनुबंध देने की दिशा में काम कर रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती-** सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर खाद्य उत्पादन की निगरानी के लिए आईआरसीटीसी उत्पादन इकाइयों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को तैनात करेगी।
- **भोजन का प्रयोगशाला परीक्षण और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण-** भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए यादृच्छिक नमूने एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे।
- **दीर्घकालिक अनुबंध-** बुनियादी ढांचे और संबंधित गतिविधियों में उचित निवेश सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं के लिए दीर्घकालिक 05 वर्षीय अनुबंध देने की योजना बना रहा है।
- **अतिरिक्त किचन यूनिट का अपग्रेडेशन-** वर्तमान में स्थित 48 अद्यतन किए किचन यूनिट के अतिरिक्त, आईआरसीटीसी गाड़ियों में सेवा के लिए भोजन सप्लाय को अधिकतम करने के लिए किचन की और संख्या की पहचान और अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। यह खानपान नीति-2017 के अनुसार अनबंडलिंग के अनुपालन को आगे बढ़ाएगा।

- ओवरचार्जिंग पर अंकुश लगाने के लिए- बिलिंग और मुद्रित/अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आईआरसीटीसी प्रिंट और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करेगा।
- ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं की निगरानी के लिए अतिरिक्त 250 ऑन-बोर्ड पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे।
- अपग्रेड किए गए किचन यूनिट में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की तैनाती भी प्रक्रियाधीन है।
- सुगमाया भारत अभियान के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए, स्टैटिक यूनिट को रैंप और निर्धारित बैठने के स्थान की व्यवस्था के साथ सक्षम करने की सलाह दी गई है।
- यात्रा करने वाले यात्रियों को आने वाले स्टेशनों पर ऑर्डर बुक करने के लिए एसएमएस/व्हाट्सएप मैसेजिंग।
- भारत भर में कई स्थानों पर ब्रांडों के सहयोग जैसे, पिंड बलूची, हल्दीराम, गोविंदा (इस्कॉन), बीकानेरवाला, केएफसी, क्वालिटी वॉल्स, बीटीडब्ल्यू आदि।
- टिकटिंग प्लेटफॉर्म के साथ एसडीके (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट) एकीकरण।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली – प्रक्रिया उत्कृष्टता

प्रक्रिया उत्कृष्टता आंतरिक नियंत्रण एक संगठन द्वारा मुख्य रूप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग के क्षेत्रों में, और परिचालन प्रसंस्करण कानूनों और विनियमों के अनुपालन के क्षेत्रों में जोखिमों को कम करने के लिए अपनाए गए व्यवस्थित और प्रक्रियात्मक कदम हैं।

आंतरिक नियंत्रण (आईसी) अनिवार्य रूप से संगठन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए जोखिम शमन कदम हैं साथ ही त्रुटियों और अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने में मदद करते हैं। शमन के वास्तविक कदम (जैसे समीक्षा, अनुमोदन, भौतिक गणना, कर्तव्य का पृथक्करण) को 'नियंत्रण गतिविधियां' कहा जाता है।

कंपनी ने एक स्वतंत्र बाहरी फर्म को नियुक्त किया है जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंट आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में शामिल हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य अर्धवार्षिक आधार पर किए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा टीम व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को कवर करते हुए पूरे वर्ष व्यापक लेखापरीक्षा करती है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (ळ) के अंतर्गत कंपनी के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अन्य फर्म को भी काम पर रखा है।

उसके बाद जारी की गई रिपोर्ट को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया गया है। वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करती है ताकि अनुमोदन के लिए बोर्ड के सिफारिश की जा सके।

9. परिचालन कार्यनिष्पादन वित्तीय हाइलाइट्स के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार विमर्श

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व 126.58% बढ़कर ₹ 861.64 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 1952.30 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर पूर्व लाभ 245.43% बढ़कर ₹ 257.51 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 889.51 करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर पश्चात लाभ 254.87% बढ़कर ₹ 187.02 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 663.69 करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों का तुलनात्मक निष्पादन नीचे दिया गया है:

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन (%)
परिचालन से राजस्व	1879.48	776.66	142.00
ब्याज, मूल्यह्रास, आपवादिक मदों और कर पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	953.56	272.74	249.62
कटौती: ब्याज और वित्त प्रभार	11.05	8.27	33.62
कटौती: मूल्यह्रास	48.99	46.35	5.70
आपवादिक मदों से पहले कर पूर्व लाभ (पीबीटी)।	893.52	218.12	309.64
आपवादिक मदें : हानि(-)/लाभ(+)	(4.01)	39.39	(110.18)
आपवादिक मदों के बाद कर पूर्व लाभ (पीबीटी)।	889.51	257.51	245.43
कटौती: कराधान के लिए प्रावधान	225.82	70.49	220.36
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	663.69	187.02	254.87
नकद आधार पर लाभांश (इक्विटी शेयर पूंजी के % के रूप में)।	240	40	500
अंतिम लाभांश - नकद आधार पर (इक्विटी शेयर पूंजी के % के रूप में)	120	80	50
निवल मूल्य	1883.88	1455.81	29.40
प्रति शेयर आय (₹)	8.30	2.34	254.70

क्षेत्र-वार निष्पादन

राशि (करोड़ ₹ में)

	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन (%)
खानपान			
रेलनीर	498.96	223.08	123.68
इंटरनेट टिकटिंग	172.26	57.24	200.95
पर्यटन	1020.97	442.48	130.74
राज्य तीर्थ	156.97	53.86	191.45
क्षेत्रवार लाभ	30.31	-	-
खानपान			
रेलनीर	26.02	(83.54)	131.15
इंटरनेट टिकटिंग	(14.68)	(4.46)	(229.11)
पर्यटन	(46.13)	(71.49)	35.47
राज्य तीर्थ	2.97	-	-

वित्तीय अनुपात का विश्लेषण:

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 25% या उससे अधिक का परिवर्तन) सहित उनके विस्तृत स्पष्टीकरणों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन (%)	टिप्पणियां
देनदार कारोबार (दिनों की संख्या)	106.23	305.30	65.20	वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परिचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण अनुपात में सुधार हुआ
इन्वेंटरी टर्नओवर (दिनों की संख्या)	5.65	19.60	71.17	वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बिक्री में वृद्धि से अनुपात में सुधार

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	परिवर्तन (%)	टिप्पणियां
ब्याज की कवरेज का अनुपात	27.77	10.86	155.71	लीज भुगतान में वृद्धि की तुलना में कोविड–19 प्रतिबंधों में छूट और कोविड–19 के बाद आर्थिक गतिविधियों के खुलने के कारण चालू वित्त वर्ष 2021–22 में ईबीआईटीडीए में काफी वृद्धि हुई है।
वर्तमान अनुपात	1.87	1.76	6.25	--
ऋण इक्विटी अनुपात *	0.06	0.05	20.00	--
ईबीआईडीटीए मार्जिन (%)	50.74	35.12	44.48	ईबीआईटीडीए में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई जबकि राजस्व में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई।
शुद्ध लाभ अंतर(%)	35.31	24.08	46.64	शुद्ध लाभ में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई जबकि राजस्व में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई।
शुद्ध आय पर रिटर्न	0.40	0.14	185.71	शुद्ध लाभ में लगभग 3.5 गुना वृद्धि हुई जबकि निवल मूल्य में लगभग 1.3 गुना वृद्धि हुई।

*ऋण केवल लीज देयताओं को दर्शाता है।

10. मानव संसाधन में सामग्री विकास – परिसंपत्ति देखभाल

कंपनी के प्रभुत्व के इन सभी वर्षों में आपकी कंपनी के निरंतर शानदार कार्यनिष्पादन के पीछे कर्मचारी ही प्रेरक शक्ति हैं। आपकी कंपनी के मूल मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को आपसी सम्मान, विश्वास और विकास और सफलता में एक प्रगतिशील भागीदार होने की भावना के आधार पर प्रभावी बनाया गया था। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के साथ संचार बैठकें, विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं का आयोजन जोनल, क्षेत्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय में किया गया।

कर्मचारियों और प्रबंधन दोनों ने आपकी कंपनी के हित को आगे बढ़ाने में एक-दूसरे के प्रयासों को पूरा किया साथ ही इसके हितधारकों के लिए भी जो समग्र सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंधों को दर्शाता और उजागर करता है।

सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को बनाए रखने के लिए, कंपनी का मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, योग्यता और प्रतिभा को विकसित करने और उन्नत करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित पर ध्यान केंद्रित करता है।

आईआरसीटीसी अपने कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए उनके प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है। ध्यान अब नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर है। आईआईएम और एमडीआई जैसे प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकन के लिए मध्य स्तर और वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों के कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए कोविड जागरूकता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, पॉश, एमडीपी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वर्चुअल कैंपस आदि से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए स्टाफ की संख्या	कार्य दिवस
2021–22	26	3323	6538

कंपनी ने प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक पैकेज प्रदान कर, प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आभार व्यक्त करके और पुरस्कृत करके और विकास के अवसर प्रदान करके एक आकर्षक कर्मचारी संनिघर्षण दर को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। 31 मार्च 2022 तक, कंपनी के सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में कुल 1363 पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी हैं। 2021–22 के दौरान अनुकंपा के आधार पर 02 नए कर्मचारियों की भर्ती की गई।

अस्वीकरण

भविष्य की संभावनाओं से संबंधित एमडीए अनुभाग में कुछ बयान भविष्योन्मुखी बयान हो सकते हैं जिनमें कई अंतर्निहित पहचाने गए / गैर-पहचाने गए जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जो वास्तविक परिणाम को भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं। मैक्रो-वातावरण में पूर्वगामी परिवर्तनों के अलावा, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी कंपनी और उस वातावरण के लिए एक अप्रत्याशित, अभूतपूर्व, अनिर्धारणीय और लगातार विकसित होने वाला जोखिम (जोखिम) पैदा कर सकती है जिसमें यह संचालित होता है।

उपलब्ध आंतरिक और बाहरी सूचनाओं के आधार पर की गई इन धारणाओं के परिणाम, रिपोर्ट में बताए गए कुछ तथ्यों और आंकड़ों को निर्धारित करने का आधार हैं। चूंकि इन धारणाओं के अंतर्निहित कारक समय परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए जिन अनुमानों पर वे आधारित हैं, वे भी तदनुसार परिवर्तन के अधीन हैं। ये दूरंदेशी बयान केवल कंपनी के वर्तमान इरादों, विश्वासों या अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कोई भी दूरंदेशी बयान केवल उस तारीख के बारे में बोलता है जिस दिन इसे बनाया गया था। कंपनी किसी भी दूरंदेशी बयान को संशोधित या अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं मानती है, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं, या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08083674

दिनांक: 21.06.2022
स्थान: नई दिल्ली

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉरपोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शन

"कॉरपोरेट अभिशासन....... नियमों और प्रथाओं की एक प्रणाली जिसके द्वारा संगठनों और संस्थानों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है"

कॉरपोरेट अभिशासन का उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों को स्थापित करना है और उन उद्देश्यों को पूरा करने के साधनों का सीमांकन करने के साथ-साथ उनकी निगरानी और समन्वय करना है। आईआरसीटीसी कुशल कॉरपोरेट अभिशासन के मानदंडों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जो पारदर्शिता के उच्च मानक, विश्वास और अखंडता, प्रदर्शन अभिविन्यास, व्यावसायिकता, जवाबदेही और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के अनुपालन और निवेशकों, निदेशकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों या सामान्य रूप से समुदाय सहित हितधारकों के लिए मूल्य के स्थायी संवर्धन के लिए स्व-अनुशासित कोड के माध्यम से किया जाता हैं। उपर्युक्त के आधार पर, कॉरपोरेट अभिशासन पर कंपनी का दर्शन है:

निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके लंबे समय में हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए जो न केवल वैधानिक नियमों का पालन करते हैं अपितु पूरे संगठन में नैतिक आचरण को भी बढ़ावा देते हैं।

कॉरपोरेट अभिशासन के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी निम्नलिखित प्रमुख मूल्य द्वारा निर्देशित है:

- उत्कृष्टता के लिए जोश और परिवर्तन के लिए उत्साह;
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता;
- व्यक्तियों की गरिमा और क्षमता का सम्मान;
- प्रतिबद्धताओं का कड़ाई से पालन;
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करना;
- सीखने, रचनात्मकता और टीम वर्क को बढ़ावा देना;
- आईआरसीटीसी के लिए निष्ठां और गर्व।

आपकी कंपनी कॉरपोरेट अभिशासन के चार स्तंभों में दृढ़ता से विश्वास करती है:

- **ज़िम्मेदारी**

एक सरकारी कंपनी और केंद्रीय सीपीएसई होने के नाते, कंपनी के सभी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय, यानी रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी का व्यवसाय समग्र रूप से निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। हालांकि, दैनिक परिचालन के लिए संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर, कंपनी के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों की वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करने वाली शक्ति की अनुसूची (एसओपी) है।

बोर्ड की बैठक और इसकी सभी उप-समितियों के लिए कार्यसूची के लेख विस्तृत तरीके से तैयार किए जाते हैं और बोर्ड/समितियों के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड/समितियों द्वारा निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और निर्धारित लागू विनियमों के अनुसार ही लिए जाते हैं। बोर्ड और संबंधित समितियां अपने निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की नियमित रूप से निगरानी करती हैं। साथ ही, विचारार्थ विषय, कोरम, बैठक की अवधि आदि बोर्ड की प्रत्येक समिति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को सभी अनुबंधों में अपनी रुचि और अपनी शेयरधारिता का भी खुलासा करना आवश्यक है, जिसे बोर्ड को सूचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है। डीपीई, स्कोप, आईआईएम, आईएमटी आदि सहित प्रतिष्ठित संगठनों/निकाय द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन को नामित किया जाता है।

कंपनी की वर्तमान बोर्ड के सदस्यों की संख्या और संरचना सेबी के निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है। हालांकि, कंपनी इसे हल करने के लिए नियमित रूप से मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाती रही है।

- **जवाबदेही**

कंपनी सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के अंतर्गत बताए गए कॉरपोरेट अभिशासन के सिद्धांतों का जहां तक संभव हो, अनुपालन सुनिश्चित करती है।

यह कंपनी का हितधारकों और नियामकों को प्रकट की जा रही सभी सूचनाओं में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने का एक प्रयास है। कंपनी लागू कानूनों के अनुपालन का अनुसरण करती है और कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

कंपनी की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि इसके सभी हितधारकों के लिए तुरंत सूचना उपलब्ध हो सके। सूचना में वित्तीय परिणाम, लाभांश की सूचना, कंपनी की नीतियां, शेयरधारकों के लिए नोटिस आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, प्रेस विज्ञप्ति, कंपनी की वेबसाइट और अन्य मीडिया के माध्यम से संबंधित हितधारकों को विभिन्न घोषणाओं का प्रसार करती है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू होते हैं और अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सभी आवश्यक सूचना भारत के नागरिकों को प्रदान की जाती है।

कंपनी में एक सतर्कता विभाग भी है, जिसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी में एक व्हिसल ब्लोअर तंत्र को उचित रूप से लागू किया गया है, जो कर्मचारियों को कंपनी में होने वाली अनैतिक या अवैध या अनैतिक गतिविधि की किसी भी चिंता को बताने का अवसर देता है।

- **पारदर्शिता**

कंपनी प्रेस विज्ञप्ति, आधिकारिक वेबसाइट और/या स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सूचना का प्रसार करती है और इन सभी तरीकों तक पहुंच सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क है। कंपनी की वेबसाइट और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में परिचालन के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय स्थिति और अभिशासन प्रथाओं के बारे में विस्तृत सूचना शामिल है।

कंपनी अपने निवेशकों को नवीनतम वित्तीय प्रदर्शन के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ उनकी शंकाओं/टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए तिमाही/वार्षिक परिणाम जारी होने के तुरंत बाद निवेशक/विश्लेषकों की बैठक भी आयोजित करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्धारित सचिवीय मानकों के अनुसार, कंपनी सभी बैठकों (बोर्ड / बोर्ड स्तर की समितियों / सामान्य बैठक) की कार्यवाही का कार्यवृत्त भी बनाए रखती है।

कंपनी मुख्य रूप से जीईएम पोर्टल से सामान खरीदती है और एमएसई से खरीद बढ़ाने की पहल भी करती है। कंपनी के पास एक पूर्ण विकसित ई-ऑफिस प्रणाली है और कंपनी के भीतर विभागों के बीच लगभग सभी संचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाता है।

आईआरसीटीसी ने अपने ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के साथ अपने व्यवहार में ई-गवर्नेंस को अपनाया है। ई-टेंडरिंग साइट और जीईएम के जरिए टेंडर जारी और तय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार बिल भी ई-बिल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से जमा और पास किए जाते हैं। यह अत्यधिक पारदर्शिता के साथ बिना किसी संपर्क के खरीद प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।

- **निष्पक्षता**

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके सभी इक्विटी शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो। शेयरधारकों की प्रभावी भागीदारी के लिए, कंपनी शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना पहले ही भेज देती है। कंपनी उन सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजती है जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर संचार के अलावा कंपनी और/या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपनी ई-मेल आईडी प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी निवेशकों को ईमेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट सहित संचार प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कंपनी ने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू विधानों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक होने पर शेयरधारकों की मंजूरी मांगी है।

कंपनी के पास बोर्ड स्तर की हितधारक संबंध समिति है जो शेयरधारकों के परिवाद के निवारण के लिए समय-समय पर बैठक आयोजित करती है। शेयरधारकों के पास सीधे कंपनी के साथ-साथ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से संपर्क करने की सुविधा होती है, ताकि वे अपने प्रश्नों/शिकायतों का समाधान कर सकें, जो आम तौर पर एक पखवाड़े के भीतर हल हो जाते हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 संरचना

निदेशक मंडल शेयरधारकों द्वारा गठित शीर्ष निकाय है जो कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख रखती हैं। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को रणनीतिक दिशा, नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करता है और कंपनी के हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के उद्देश्य से कंपनी के कार्यनिष्पादन की निगरानी भी करता है। निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 बाद में सेबी (एलओडीआर) के रूप में संदर्भित, ज्ञापन और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देश, जो कंपनी पर लागू हो सकते हैं, के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

आईआरसीटीसी रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक "**सरकारी कंपनी**" है, कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 67.40% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय के माध्यम से) के पास है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त/नामांकित करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार में निहित है।

कंपनी के अंतर्नियमों के संदर्भ में, हमारे बोर्ड की संख्या तीन निदेशकों से कम और पंद्रह निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक (सरकारी/गैर-सरकारी) निदेशक हो सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और तीन पूर्णकालिक निदेशक अर्थात निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन और विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) पूर्णकालिक निदेशक हैं जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन का नेतृत्व करते हैं। रणनीतिक निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत लिए जाते हैं, जिसमें सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 को, कंपनी के बोर्ड में सात निदेशक शामिल थे, जिसमें तीन कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक (एक महिला निदेशक सहित), दो सरकारी नामित निदेशक (रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व) और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। हालाँकि, निदेशक मंडल की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी एलओडीआर विनियमों और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि इसके बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

कंपनी अधिनियम के लागू वैधानिक प्रावधानों, 2013, कॉर्पोरेट अभिशासन पर सेबी एलओडीआर विनियम और डीपीई दिशानिर्देश के अनुपालन को सक्षम करने के लिए कंपनी ने अपने बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए समय-समय पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है।

क. 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल की संरचना और श्रेण

क्र. सं..	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के साथ निदेशकों का नाम	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यात्मक) (कार्यकारी)		
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** (डीआईएन: 08083674)	निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	**श्री अजीत कुमार** (डीआईएन: 07247362)	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
3	**श्री देबाशीष चंद्रा** (डीआईएन: 08641893)	निदेशक (खानपान सेवाएं)
अंशकालिक (गैर-कार्यकारी) स्वतंत्र निदेशक)		
4.	**श्री नीरज शर्मा** (डीआईएन: 08177824)	कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेल मंत्रालय, भारत सरकार।
5.	**श्री विश्वनाथ शंकर** (डीआईएन: 07903588)	कार्यकारी निदेशक (योजना), रेल मंत्रालय, भारत सरकार।
स्वतंत्र निदेशक (नॉन-एग्जीक्यूटिव)		
6	**श्री विनय कुमार शर्मा** (डीआईएन: 03604125)	अंशकालिक (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशक
7	**श्री नामग्याल वांगचुक** (डीआईएन: 09397676)	अंशकालिक (गैर-सरकारी) स्वतंत्र निदेशक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री विनय श्रीवास्तव (डीआईएन: 08638850), कार्यकारी निदेशक (पीएसयू), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के आदेश संख्या ईआरबी-I/2017/2/35 दिनांक 13 सितंबर, 2021 के अनुसार 13 सितंबर 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नहीं रहे।
2. श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन: 03604125), को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2019/पीएल/57/22 दिनांक 09 नवंबर, 2021 के अनुसार 09 नवंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।
3. श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676), को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2019/पीएल/57/22 दिनांक 09 नवंबर, 2021 के अनुसार 09 नवंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।
4. श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2019/पीएल/49/14 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के अनुसार 14 दिसंबर, 2021 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (सरकार नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया था।
5. श्री देबाशीष चंद्रा (डीआईएन: 08641893) को रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2019/ई (ओ)II/40/10 दिनांक 18 जनवरी, 2022 के अनुसार 18 जनवरी, 2022 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में नियुक्त किया गया था।

ख. नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण जो विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति का संकेत देता है उन कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशक हैं और बोर्ड/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता कंपनी की 23वें आम वार्षिक बैठक के आमंत्रण नोटिस में संलग्न हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक https://www.irctc.com/board-of-directors.html पर उपलब्ध है।

ग. व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यकतानुसार निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता:

बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता लाते हैं।

निदेशक मंडल ने 3 दिसंबर, 2010 को आयोजित अपनी 49वीं बैठक में, बोर्ड चार्टर को मंजूरी देते हुए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड स्तर के पदों के लिए नौकरी विवरण, योग्यता और अनुभव को भी मंजूरी दी थी। पदाधिकारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, खानपान, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, विपणन आदि में आवश्यकताओं के अनुसार हैं। कार्यात्मक निदेशकों की भर्ती के समय, नौकरी का विवरण, वांछनीय योग्यता और आवश्यक अनुभव रिक्ति की घोषणा और उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से रिक्ति सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को भेजी जाती है।

प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय, भारत सरकार और/या सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा पहचान की गई आईआरसीटीसी के निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं का सारांश नीचे दिया गया है:

घ. बोर्ड के पास वास्तव में उपलब्ध मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची

क्र सं.	निदेशक का प्रकार	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
1.	**पूर्णकालिक निदेशक**	
	i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**अनिवार्य:** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित:** तकनीकी/एमबीए योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ होगा। **अनुभव:** आवेदक के पास प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। आतिथ्य / पर्यटन / आईटी / वित्त / विपणन में अनुभव वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ होगा। उपरोक्त क्षेत्रों में रेलवे से संबंधित अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा
	ii) निदेशक (वित्त)	**अनिवार्य:** (i) आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या पूर्णकालिक एमबीए/पीजीडीएम होना चाहिए। (ii) संगठित समूह 'ए' लेखा सेवाओं के अधिकारी अर्थात। भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय पी एंड टी लेखा और वित्त सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवा उपयुक्त स्तर पर काम करने वालों को इन शैक्षिक योग्यताओं से छूट दी गई है। (iii) इसके अलावा, केंद्र सरकार/संघ की सशस्त्र सेना/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को भी उपरोक्त (i) के अनुसार शैक्षिक योग्यता से छूट दी जाएगी, बशर्ते आवेदकों के पास नीचे पैरा (iii) में उल्लिखित अनुसार प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए। संगठित समूह 'ए' लेखा सेवाओं/केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के संबंध में, चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार/एमबीए/पीजीडीएम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता होगी। **अनुभव:** (i) आवेदक के पास प्रतिष्ठित संगठन में कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन और खातों के विभिन्न पहलुओं में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। (ii) संगठित समूह 'ए' लेखा सेवाओं के आवेदकों को कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/लेखा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। (iii) केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के संबंध में 'प्रासंगिक अनुभव' में कॉरपोरेट वित्तीय प्रबंधन/लेखा जोखा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम सात वर्ष का संचयी अनुभव शामिल होगा।

क्र सं.	निदेशक का प्रकार	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
	iii) निदेशक (पर्यटन और विपणन)	**अनिवार्य:** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए **वांछित:** पर्यटन/यात्रा/एमबीए योग्यता रखने वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ होगा। **अनुभव:** आवेदक को प्रतिष्ठित संगठन में पिछले दस वर्षों के दौरान रेल पर्यटन/यात्रा/आतिथ्य क्षेत्र में विपणन/व्यवसाय विकास में कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए।
	iv) निदेशक (खानपान सेवाएं)	**अनिवार्य:** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित:** तकनीकी/एमबीए योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ होगा। **अनुभव:** आवेदक के पास प्रतिष्ठित संगठन में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, जिसमें से पिछले दस वर्षों के दौरान कम से कम पांच वर्ष सेवा और आतिथ्य उद्योग में कार्यरत होना चाहिए। रेल खानपान सेवाओं के प्रबंधन, परिवहन और यात्रा से संबंधित व्यवसाय के प्रबंधन, ऑन बोर्ड सेवाओं, एफ एंड बी सिद्ध, बहु-विषयक टीमों के प्रबंधन में क्षमता, मानव संसाधन विकास और अनुबंध संबंधी गतिविधियों के अनुभव वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ होगा। आधुनिक प्रबंधन तकनीकों में अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता, बहु-विषयक टीम प्रबंधन, खरीद और सूची नियंत्रण और आउटसोर्सिंग वांछनीय है।
2.	**सरकार द्वारा नामित निदेशक (अंशकालिक आधिकारिक) निदेशक (2 निदेशक)**	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा तय किया जा सकता है
3.	**स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी) निदेशक (6 निदेशक)**	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा तय किया जा सकता है

घ. निदेशक मंडल में वास्तव में उपलब्ध मूल कौशल/विशेषज्ञताओं/दक्षताओं की सूची:

कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के पास कंपनी के प्रभावी और कुशल कामकाज में सहायता के लिए अपेक्षित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताएं हैं।

नीचे दी गई तालिका में, प्रत्येक निदेशक मंडल के सदस्यों (31 मार्च, 2022 और उसके बाद) के फोकस या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है:

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की प्रमुख योग्यताएं								
	विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	यात्रा और पर्यटन	खानपान एवं आतिथ्य	आईटी क्षेत्र में विशेषज्ञता	कॉरपोरेट योजना एवं रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व गुण	निदेशक मंडल प्रथा और अभिशासन	व्यवसाय विकास
श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का (अतिरिक्त प्रभार)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री देबाशीष चंद्र, निदेशक (खानपान सेवाएं)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नीरज शर्मा, सरकारी नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विश्वनाथ शंकर, सरकारी नामित	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विनय कुमार शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नामग्याल वांगचुक, स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

ङ. निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है, जिन्हें आम तौर पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है, जो भी घटना हो पहले हों।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक, नामांकन प्राधिकारी के विवेक पर या रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी नहीं रहने पर कंपनी के बोर्ड से निदेशक नहीं रहेंगे।

स्वतंत्र निदेशकों को रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन (3) वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के विनियम 46(2) (बी) के अंतर्गत आवश्यक है, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/T&C-for-Appointment-of-Independent-Directors.pdf पर उपलब्ध हैं।

च. बोर्ड की बैठकों/समिति की बैठकों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

कंपनी सचिव, कंपनी के अध्यक्ष और संबंधित बोर्ड समितियों के अध्यक्ष के परामर्श से क्रमशः प्रत्येक बोर्ड बैठक और समिति की बैठकों में चर्चा के लिए एजेंडा और सहायक कागजात तैयार करता है।

अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में चर्चा के लिए मामलों को लाने के अधिकार के अलावा, बोर्ड या समितियों के सदस्य एजेंडे में शामिल किए जाने वाले किसी भी आइटम का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। सूचना और डेटा जो सामान्य रूप से कंपनी के व्यवसाय को समझने के लिए बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं और संबंधित मामलों

को बैठक में चर्चा के लिए रखा गया है। एजेंडा बैठक से पूर्व ही बोर्ड के सदस्यों को लिखित रूप में परिचालित किया जाता है।

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदान किए गए संचलन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड या समिति की बाद की बैठक में नोट किया जाता है।

कंपनी निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले सकें, यदि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जैसा कि नियम के अंतर्गत अनुमति दी जा सकती है।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। विस्तृत एजेंडा नोट, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए आम तौर पर बोर्ड की बैठक से कम से कम सात दिन पहले एक परिभाषित प्रारूप में परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड के एजेंडा पेपर पासवर्ड एन्क्रिप्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। इस अभ्यास ने छपाई और कागज की लागत को समाप्त कर दिया है और साथ ही कार्बन फुट प्रिंट में कमी आई है। हालांकि, बैठक के दौरान उपस्थित अध्यक्ष और सभी निदेशकों की अनुमति के साथ, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी और अल्प सूचना पर एजेंडा वाली कार्यसूची को बोर्ड/समिति की प्रासंगिक बैठक में रखा जाता है।

कंपनी सचिव बोर्ड और समितियों की सभी बैठकों में भाग लेता है और ऐसी बैठकों का मसौदा तैयार करता है, जो सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक के समापन के पंद्रह दिनों के भीतर विधिवत रूप से परिचालित किया जाता है। निदेशकों ने मसौदा कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियों को इसके प्रसारण की तारीख से सात दिनों के भीतर संप्रेषित करते हैं। निदेशकों से प्राप्त टिप्पणियों का विवरण संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाहियों के स्वीकृत कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तिका में बैठक के समापन के तीस दिनों के भीतर विधिवत रूप से दर्ज किया जाता है।

अनुवर्ती तंत्र के लिए, बोर्ड/समिति के निर्णयों पर एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संबंधित बोर्ड/समिति की बाद की बैठकों में रखी जाती है, जो लिए गए निर्णयों की प्रभावी समीक्षा में मदद करती है।

छ. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचना:

बोर्ड की कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच है। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड/समिति द्वारा चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बैठक के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। सामान्यतः बोर्ड को उसके विचारार्थ प्रदान की जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट और कोई भी अपडेट।

ii. पूंजीगत बजट और कोई अपडेट।

iii. तिमाही परिणाम और इसके परिचालन प्रभाग या व्यावसायिक खंड।

iv. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

v. मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटाने सहित निदेशक मंडल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की सूचना।

vi. कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, जो सामग्री रूप से महत्वपूर्ण हैं।

vii. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, कोई भौतिक प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएँ।

viii. सूचीबद्ध इकाई के लिए और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा बेचे गए सामानों के लिए पर्याप्त गैर–भुगतान।

ix. लेन–देन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।

x. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

xi. बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

xii. कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए हितों का प्रकटीकरण।

xiii. कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही रिपोर्ट जो स्टॉक एक्सचेंजों में फाइल की गई।

xiv. निवेशक परिवाद निवारण पर तिमाही रिपोर्ट जो स्टॉक एक्सचेंजों में फाइल की गई। किसी भी नियामक, सांविधिक या लिस्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन न करना और शेयरधारकों की सेवा जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि ।

xv. सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी जानकारी।

ज. आपस में सम्बंधित निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटन

कंपनी का कोई भी निदेशक आपस में सम्बन्धी नहीं है। कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त/नामित करने की शक्ति रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

झ. गैर-कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या

जैसा कि उनके द्वारा खुलासा किया गया है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास आईआरसीटीसी का कोई शेयर नहीं था।

ञ. निदेशकों के परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वेब-लिंक

नियुक्ति पर, नव नियुक्त निदेशकों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण देने वाली एक स्वागत किट प्रदान की जाती है और कंपनी के विजन, मिशन, रणनीतिक दिशा, मूल मूल्यों, वित्तीय मामलों और व्यावसायिक संचालन के संबंध में उनके कानूनी और नियामक दायित्वों और अभिविन्यास पर आवश्यक सूचना दी जाती है। आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियों के माध्यम से जिसमें वार्षिक रिपोर्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन शामिल हैं, जो उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं, प्रथाओं और जोखिम प्रोफाइल से परिचित कराने में मदद करते हैं। नवनियुक्त निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और इसकी गतिविधियों पर उन्मुखीकरण प्रस्तुति दी जाती है। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://irctc.com/assets/images/DETAILS%20OF%20FAMILIARIZATION%20PROGRAMMES%20TO%20IRCTC'S%20BOARD%20OF%20DIRECTORS.pdf पर प्रकट किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है, जो वेब लिंक https://www.irctc.com/assets/images/training_policy_for_directors_irctc-new.pdf पर उपलब्ध है। डीपीई, स्कोप और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर भाग लेने के लिए कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर नामित किया जाता है।

ट. वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अंतिम में एजीएम :

क्र सं.	निदेशक पहचान संख्या के साथ निदेशक	बोर्ड की बैठकों की संख्या			पिछली एजीएम में उपस्थिति* (29 सितंबर, 2021 को आयोजित)
		सम्बंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लिया	उपस्थिति का %	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन 08083674)** निदेशक (पर्यटन और विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	8	8	100%	उपस्थित
2.	**श्री अजीत कुमार (डीआईएन: 07247362)** निदेशक (वित्त)	8	8	100%	उपस्थित
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा (डीआईएन: 08641893)** निदेशक (खानपान सेवाएं) (18 जनवरी, 2022 से प्रभावी)	2	2	100%	लागू नहीं
4.	**श्री नीरज शर्मा (डीआईएन 08177824)** सरकार नामित निदेशक	8	8	100%	उपस्थित
5.	**श्री विनय श्रीवास्तव (डीआईएन 08638850)** सरकार नामित निदेशक (12 सितंबर, 2021 तक)	3	3	100%	लागू नहीं छ
6.	**श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588)** सरकार द्वारा नामित निदेशक (14 दिसंबर, 2021 से प्रभावी)	2	2	100%	लागू नहीं

क्र सं.	निदेशक पहचान संख्या के साथ निदेशक	बोर्ड की बैठकों की संख्या			पिछली एजीएम में उपस्थिति* (29 सितंबर, 2021 को आयोजित)
		सम्बंधित निदेशक के कार्यकाल में आयोजित बैठकें	बैठक में भाग लिया	उपस्थिति का %	
7.	**श्री विनय कुमार शर्मा** **(डीआईएन: 03604125)** स्वतंत्र निदेशक (9 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	3	100%	लागू नहीं
8.	**श्री नामग्याल वांगचुक** **(डीआईएन: 09397676)** स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	3	100%	लागू नहीं

* कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्र) 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र जिसे दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 के साथ पठित और सेबी परिपत्र दिनांक 23 जुलाई 2021, 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित 12 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसार और अधिनियम और सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर) विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, 22वीं एजीएम कंपनी का संचालन सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया गया था।

ठ. 31 मार्च 2022 को अन्य कंपनियों में निदेशक और सदस्यता / समिति के अध्यक्ष के रूप में विवरण:

क्र सं.	निदेशकों	31.03.2022 तक अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या*	31.03.2022 को अन्य कंपनियों में आयोजित समिति सदस्यता (सदस्यों) की संख्या (आईआरसीटीसी सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप में**
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** **(डीआईएन 08083674)** निदेशक (पर्यटन और विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	शून्य	शून्य	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/परिवाद समिति) आईआरसीटीसी
2.	**श्री अजीत कुमार** **(डीआईएन: 07247362)** निदेशक (वित्त)	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा** **(डीआईएन: 08641893)** निदेशक (खानपान सेवाएं) (18 जनवरी, 2022 से प्रभावी)	शून्य	शून्य	शून्य
4.	**श्री नीरज शर्मा** **(डीआईएन 08177824)** सरकार नामित निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य
5.	**श्री विश्वनाथ शंकर** **(डीआईएन: 07903588)** सरकार नामित निदेशक (14 दिसंबर, 2021 से प्रभावी)	1 रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	(हितधारक संबंध/परिवाद समिति) आईआरसीटीसी और (लेखापरीक्षा समिति)/आरसीआईएल

क्र सं.	निदेशकों	31.03.2022 तक अन्य कंपनियों में निदेशकों की संख्या*	31.03.2022 को अन्य कंपनियों में आयोजित समिति सदस्यता (सदस्यों) की संख्या (आईआरसीटीसी सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप में**
6.	**श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन: 03604125) स्वतंत्र निदेशक (9 नवंबर, 2021 से प्रभावी)**	शून्य	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/परिवाद समिति) आईआरसीटीसी	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/परिवाद समिति) आईआरसीटीसी
7.	**श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676) स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)**	शून्य	शून्य	1 (लेखा परीक्षा समिति)/ आईआरसीटीसी

* अनुभाग 8 कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक शामिल नहीं है।

** सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए, केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध/परिवाद समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।

सूचीबद्ध इकाइयों का नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक की श्रेणी

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध इकाई का नाम	निदेशक की श्रेणी
श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588)	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार नामित निदेशक

टिप्पणियाँ:

(i) कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है।

(ii) निदेशकों/केएमपी का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है (पारिश्रमिक को छोड़कर, बैठक शुल्क सहित, जिसके लिए वे पात्र हैं);

(iii) कंपनी का कोई भी निदेशक सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में किसी भी समय निदेशक के पद पर नहीं है।

(iv) कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) समितियों से अधिक का सदस्य या पांच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिस कंपनी में वह निदेशक है।

(v) कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं है।

(vi) सचिवीय मानकों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य स्थानों पर निदेशकों की सुविधा के लिए भी किया जाता है।

ड. बोर्ड की बैठकों की संख्या तिथि सहित

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल की आठ बार बैठक हुई। 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं	बोर्ड बैठक संख्या	बोर्ड बैठक संख्या	निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या	
				स्वयं	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
1.	113वीं	16 जून, 2021	4	2	2
2.	114वीं	29 जून, 2021	4	2	2
3.	115वीं	12 अगस्त, 2021	4	2	2
4.	116वीं	29 सितम्बर, 2021	3	3	0
5.	117वीं	1 नवंबर, 2021	3	2	1
6.	118वीं	10 दिसंबर, 2021	5	4	1
7.	119वीं	8 फरवरी, 2022	7	4	3
8.	120वीं	24 मार्च, 2022	7	5	2

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रम सं. 18(17)/2005-जीएम दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अनुसार पर्यटन स्थलों पर कोविड 19 मामलों की पूरे भारत में वृद्धि के कारण कोई बैठक नहीं हो सकीं।

ढ. बोर्ड की स्वतंत्रता:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आईआरसीटीसी के बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7), अनुसूची IV और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 16 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया कि कंपनियों के नियम 6 के उप-नियम (1) और (2) (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में उनका नाम शामिल है।) नियम, 2014। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता, विशेष ज्ञान, अनुभव और सक्षमता है।

इसके अलावा, किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश के आधार पर निदेशक के रूप में पद धारण करने से वंचित नहीं किया गया है।

ण. स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के विस्तृत कारण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी से त्यागपत्र नहीं दिया है।

3. बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्वरित विचार और निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंप दिया है हैं। बोर्ड की समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. हितधारक संबंध/परिवाद समिति
4. सीएसआर और एसडी समिति;
5. जोखिम प्रबंधन समिति;
6. निवेश समिति;
7. शेयर हस्तांतरण समिति;

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन के कारण समय-समय पर ऊपर उल्लिखित निदेशक मंडल की समितियों को पुनर्गठित किया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समिति(समितियों) की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो, जिसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति(समितियों) द्वारा अनिवार्य रूप से अनुशंसित किया जाना आवश्यक है।

4. लेखा परीक्षा समिति

a. **विचारार्थ विषय:**

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार जिसे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी के अनुसार पठनीय हैं, और समय समय पर संशोधित है, निम्नानुसार हैं:

i. कंपनी (सूचीबद्ध इकाई) की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अनदेखी और उसके वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;

ii. सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को सिफारिश करना;

iii. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति;

iv. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेषकर निम्न संदर्भ में:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड सी के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले;

ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं और उसके कारण में परिवर्तन, यदि कोई हो;

ग. प्रबंधन के निर्णय के कार्यान्वयन के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

च. एफ। किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;

छ. ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;

v. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

vi. किसी इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि) के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज// प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का विवरण और निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की प्राप्तियों के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

vii. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

viii. संबंधित पार्टियों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;

ix. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच;

x. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;

xi. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

xii. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xiii. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारी और विभाग के प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xiv. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

xv. आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदेहास्पद धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना;

xvi. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा, लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा;

xvii. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना;

xviii. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;

xix. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;

xx. लेखापरीक्षा समिति के विचारणीय मदों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।

xxi. सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10% से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश की समीक्षा, जो भी मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश मौजूदा ऋण सहित कम हो तारीख।

xxii. विलय से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना, सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर डीमर्जर, अविलयन आदि।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना की समीक्षा करती है:

1. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
2. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
3. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
4. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
5. विचलन का विवरण:

क) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन (ओ) का तिमाही विवरण।

ख) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज़/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

b. समिति की संरचना:,

जब कभी भी बदलाव होता है तो वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 10 फरवरी, 2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)**	सदस्य

c. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बार बैठक हुई। कंपनी अधिनियम कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश और सेबी एलओडीआर के अनुसार वर्ष के दौरान लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का समय व्यतीत नहीं हुआ था।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की संख्या	बैठक की तिथि	समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	60वीं	16 जून, 2021	3	3
2.	61वीं	29 जून, 2021	3	3
3.	62वीं	12 अगस्त, 2021	3	3
4.	63वीं	10 दिसंबर, 2021	4	4
5.	64वीं	8 फरवरी, 2022	4	4
6.	65वीं	23 मार्च, 2022	3	3

2021-22 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			उपस्थिति का %
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		
				स्वयं	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	**श्री नीरज शर्मा,** सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष (29 मार्च, 2021 से 11 नवंबर, 2021) सदस्य (12 नवंबर, 2021 से 9 फरवरी, 2022)	6	0	6	100
2.	**श्री विनय श्रीवास्तव,** सरकारी नामित निदेशक	सदस्य (12 सितंबर, 2021 तक)	3	0	3	100
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन और विपणन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य	6	6	0	100
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	3	0	100
5.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	2	1	100

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

निदेशक (वित्त) और सीएफओ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं।

बैठकों में जीजीएम (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधि/लागत लेखा परीक्षक विशेष आमंत्रित के रूप में, जब भी आवश्यक हो, भाग लेते हैं। समिति को आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए वरिष्ठ कार्यकारी एग्ज़ीक्यूटिव और व्यापार खंड प्रमुखों को भी उनकी आवश्यकता के अधीन आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था।

5. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसार, कंपनी को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना अपेक्षित है। हालांकि एमसीए ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 द्वारा सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 178 (2), (3), और (4) की प्रयोज्यता से छूट दी है जो निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और प्रदर्शन के मूल्यांकन आदि से संबंधित है। समान छूट सेबी से विनियम 19 की प्रयोज्यता के लिए अभी भी प्रतीक्षित है।

आईआरसीटीसी ने शुरू में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था ताकि डीपीई दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को देय प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) सहित वेतन और भत्तों की समीक्षा और अनुमोदन किया जा सके। हालांकि, कंपनी की लिस्टिंग के बाद, एचआर नीति से संबंधित सभी मामलों को आवृत्त करने के लिए समिति का दायरा बढ़ा दिया गया है।

a. **विचारार्थ विषय:**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका संक्षेप में इस प्रकार है:

i. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने के लिए की सिफारिश की जाती है;

ii. वरिष्ठ प्रबंधन को किसी भी रूप में देय सभी पारिश्रमिक की बोर्ड को सिफारिश;

iii. कार्यकारी और यूनियनों में न शामिल पर्यवेक्षकों को वार्षिक बोनस दिए जाने/ परिवर्तनीय वेतन पूल / कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन और इसकी नीति का इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार सीमा में निर्धारित;

iv. कार्यकारी के लिए परिलब्धियां और भत्ते उपलब्ध करने हेतु स्किम तैयार तथा आशोधित करना;

v. कार्यकारी और गैर-कार्यकारी के लिए जैसा भी मामला हो, क्षतिपूर्ति की कोई नई स्किम;

vi. ऐसी अन्य गतिविधियाँ करना जो बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं और/या कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत वैधानिक रूप से निर्धारित हैं।

*वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति पर लागू होता हैं। वरिष्ठ प्रबंधन का अर्थ कंपनी के अधिकारी/कार्मिक से होगा जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल होंगे, यदि वे बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं) और विशेष रूप से कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (बोर्ड स्तर से नीचे) और कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

b. **समिति की संरचना:**

वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशकों में बदलाव होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 8 फरवरी, 2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र सं.	सदस्यों का नाम	पद
1.	**श्री नामग्याल वांगचुक,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्री नीरज शर्मा,** सरकार नामित निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

निदेशक (खानपान सेवाएं) और समूह महाप्रबंधक (एचआरडी) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में स्थायी रूप से आमंत्रित होते हैं।

c. **वर्ष के दौरान बैठक एवं उपस्थिति:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की तीन बार बैठक हुई, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्र सं.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति के सदस्य की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	19वीं	10 दिसंबर, 2021	3	3
2.	20वीं	7 फरवरी, 2022	3	3
3.	21वीं	23 मार्च, 2022	3	3

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			उपस्थिति का %
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		
				स्वयं वीडियो	कांफ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	**श्री नीरज शर्मा,** सरकार नामित निदेशक	अध्यक्ष (29 मार्च, 2021 से 11 नवंबर, 2021 तक) और 12 नवंबर, 2021 से सदस्य	3	0	3	100
2.	**श्री विनय श्रीवास्तव,** सरकार नामित निदेशक	सदस्य (12 सितंबर, 2021 तक)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य (11 नवंबर, 2021 तक)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	2	1	100
5.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	3	0	100

d. **बोर्ड के सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन:**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के अपने परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के प्रावधानों से छूट दी है, जिसके लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सर्कुलर ने सरकार को और छूट दी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से कंपनियाँ, जो बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके और बोर्ड की रिपोर्ट में अपनी समितियों व्यक्तिगत निदेशक के बारे में प्रदान करती हैं, यदि निदेशकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है मंत्रालय जो अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक रूप से प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया है कि स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

6. निदेशकों का पारिश्रमिक:

i. **पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशकों का पारिश्रमिक:**

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और सरकारी कंपनी होने पर, पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती हैं और सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ में)

क्र सं.	निदेशकों का नाम	वेतन	सुविधाएं	अन्य लाभ	कार्यनिष्पादन पुरस्कार	पीएफ में योगदान	एनपीएम में अंशदान	कुल
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	41,93,251	9,76,432	4,59,232	24,91,140	4,10,379	3,27,563	**88,57,997**
2.	**श्री अजीत कुमार** निदेशक (वित्त)	41,23,332	8,78,216	7,00,991	84,110	4,03,553	3,22,104	**65,12,306**

(₹ में)

क्र सं.	निदेशकों का नाम	वेतन	सुविधाएं	अन्य लाभ	कार्यनिष्पादन पुरस्कार	पीएफ में योगदान	एनपीएम में अंशदान	कुल
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा** निदेशक (खानपान सेवाएं) (18 जनवरी, 2022 से)	9,65,487	13,915	53,088	15,29,192	88,370	70,512	**27,20,564**
कुल		**92,82,070**	**18,68,563**	**12,13,311**	**41,04,442**	**9,02,302**	**7,20,179**	**1,80,90,867**

ii. सरकारी द्वारा नामित निदेशकों को पारिश्रमिक:

रेल मंत्रालय द्वारा निदेशक मंडल में नामित सरकारी नामित निदेशक को उनकी निदेशक की भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अंतर्गत उनका पारिश्रमिक प्राप्त होते हैं।

iii. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी

निदेशक मंडल, सीएफओ और कंपनी सचिव के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक समय-समय पर बोर्ड को अनुमोदित/रिपोर्ट किया जाता है जैसा लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची (II) के भाग ए (ई) में निर्दिष्ट हैं।

iv. स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा प्रत्येक निदेशक मंडल या समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 15,000/- बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्न अनुसार है:

(₹ में)

क्र सं	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क*		कुल
		बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 03604125)	45,000	1,35,000	1,80,000
2.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 09397676)	45,000	1,50,000	1,95,000
	कुल	**90,000**	**2,85,000**	**3,75,000**

*बैठक शुल्क के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए बोर्डिंग/आवास/वाहन व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

डीपीई ओ.एम. संख्या 9(23)/2014-एमजीएमटी दिनांक 16 दिसंबर, 2019, एसोसिएशन के लेख और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान के आलोक में, निदेशक मंडल ने 24 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी 120वीं बैठक में बैठक शुल्क में वृद्धि की है जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक को प्रत्येक बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) और प्रत्येक बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) का भुगतान करना होगा।

7. हितधारक संबंध / शिकायत समिति:

क. विचारार्थ विषय:

हितधारक संबंध/शिकायत समिति की भूमिका है वही होगी जैसाकि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग डी में निम्न प्रकार निर्दिष्ट है:

(i) शेयरों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठक आदि से संबंधित शिकायतों सहित आईआरसीटीसी के सिक्योरिटी धारकों की शिकायतों का समाधान करना।

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(iii) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आईआरसीटीसी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

ख. संरचना, बैठक और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष के दौरान,जब भी निदेशकों में बदलाव होता है समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 8 फरवरी, 2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक, हितधारक संबंध/शिकायत समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र सं.	सदस्य	पद
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री विश्वनाथ शंकर** सरकार नामित निदेशक	सदस्य
3.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	हितधारक संबंध/ शिकायत समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	3rd	7th फरवरी 2022	3	3

2021-22 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध/शिकायत समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्य	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		उपस्थिति का%
				स्वयं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** एवं सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	सदस्य	1	1	0	100%
2.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार नामित निदेशक	सदस्य (7 फरवरी, 2022 तक)	1	0	1	100%
3.	**श्री विश्वनाथ शंकर** सरकार नामित निदेशक	सदस्य (8 फरवरी, 2022 से प्रभावी)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	1	1	0	100%

ग. निवेशकों की शिकायत का निवारण:

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों, सुझावों और परिवादों का शीघ्र से समाधान करती है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उनका हल करती है।

शेयर हस्तांतरण के लिए कोई अनुरोध 30 दिनों से अधिक लंबित नहीं है। शेयरों के डी-मैटेरियलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा पुष्टिकरण करके सभी अनुरोध निवेशकों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सामान्य रूप से आरटीए द्वारा 10-12 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किए जाते हैं ।

वर्ष के दौरान, लाभांश/आईपीओ/ओएफएस आदि की प्राप्ति सहित 17 शिकायतें प्राप्त हुईं और समय पर उनका निपटान किया गया।

घ. शिकायतों का निपटारा:

निवेशक नीचे बताए गए तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

क्रम सं.	शिकायत की प्रकृति	संपर्क	की जाने वाली कार्रवाई
1	लाभांश (अंतरिम लाभांश) और आईपीओ/ओएफएस से संबंधित मामले; **भौतिक शेयरों के लिए–** पता, स्थिति, बैंक खाता, मैंडेट, ईसीएस मैंडेट आदि में बदलाव।	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, पता: 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110055 फोन नंबर 011- 42541234/ 011- 42541954 फैक्स नंबर: 011- 42541201 वेबसाइट: www.alankit.com ईमेल: virenders@alankit.com rta@alankit.com and abhinavka@alankit.com	शिकायत की प्रकृति बताते हुए सादे कागज पर पत्र जिसमें फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करना होगा; मूल शेयरों और अन्य दस्तावेजों/लिखतों को दर्ज करना, जैसा भी मामला हो।

क्रम सं.	शिकायत की प्रकृति	संपर्क	की जाने वाली कार्रवाई
2	डीमैट में धारित शेयरों के लिए, पता, स्थिति, बैंक खाता, मैंडेट, ईसीएस मैंडेट आदि में परिवर्तन।	शेयरधारक ने जिस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपना खाता रखा हुआ है।	संबंधित डीपी के निर्देशानुसार।
3	किसी अन्य श्रेणी की शिकायतें	कंपनी सचिव इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड फोन: 011-23327746 investors@irctc.com	सादे कागज पर शिकायत की प्रकृति, फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर, नाम और पता, ईमेल आईडी और संपर्क विवरण बताते हुए।

लाभांश के निर्बाध भुगतान के लिए, सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने ग्राहक मास्टर (डीपी के साथ अनुरक्षित) को सही बैंक विवरण और आईएफएससी और ईमेल पते के साथ अपडेट करें। भौतिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित बैंक खाते में सीधे लाभांश के हस्तांतरण के लिए बैंक मैंडेट प्रदान करें।

8. सीएसआर और एसडी समिति

क. विचारार्थ विषय:

सीएसआर और एसडी समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

(i) सीएसआर नीति बनाना और बोर्ड को सिफारिश करने जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाएगी;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की समीक्षा करना और अनुशंसा करना;

(iii) समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की समीक्षा करना;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

(v) कंपनी के सीएसआर पहलों पर कार्यनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;

(vi) कोई अन्य मामला जिसे सीएसआर समिति निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद या समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्दे शित किए जाने के बाद उचित समझे।

ख. संरचना, बैठक और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष के दौरान, जब भी निदेशकों में बदलाव होता है समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 8 फरवरी, 2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रम सं.	सदस्य	पद
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	**श्री जीत कुर** नदेशक (वग़ा)	सदस्य
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
4.	**श्री नीरज शर्मा,** सरकार नामित निदेशक	सदस्य
5.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

श्री संदीप त्रिवेदी (जीजीएम एचआरडी), सीएसआर और एसडी समिति के नोडल अधिकारी होने के नाते समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 5 (पांच) बैठकें हुईं। जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सीएसआर और एसडी समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	33वीं	11 अगस्त, 2021	3	3
2.	34वीं	1 नवंबर, 2021	3	3
3.	35वीं	10 दिसंबर, 2021	4	4
4.	36वीं	7 फरवरी, 2022	4	4
5.	37वीं	23 मार्च, 2022	5	5

2021-22 के दौरान आयोजित सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सदस्य	पद	बैठकों की संख्या			उपस्थिति का%
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		
				स्वयं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	5	5	0	100%
2.	**श्री अजीत कुमार,** निदेशक (वित्त)	सदस्य	5	5	0	100%
3.	**देबाशीष चंद्रा** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य (8 फरवरी, 2022 से प्रभावी)	1	1	0	100%
4.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार नामित निदेशक	सदस्य	5	0	5	100%
5.	**श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक**	सदस्य (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	3	2	1	100%

9. जोखिम प्रबंधन समिति:

क. विचारार्थ विषय:

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय, संक्षेप में, नीचे उल्लिखित हैं:

(i) जोखिम प्रबंधन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ii) व्यवसाय जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

(iii) संगठन के व्यापक जोखिम पोर्टफोलियो की समीक्षा करना और बते जोखिम के विरुद्ध इस पर विचार करना।

(iv) कंपनी के लिए जोखिम क्षमता को परिभाषित करना। जोखिम पहलों पर व्यावसायिक इकाइयों पर परामर्श देना/ कार्यों का समर्थन करना।

(v) कंपनी की जोखिम उठाने की क्षमता में बदलाव की समीक्षा करना और अनुमोदन करना ।

(vi) जोखिम प्रबंधन तकनीकों में सुधार का सुझाव देना और प्रबंधन जागरूकता बढ़ाना।

(vii) मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रमुख जोखिमों की स्थिति पर लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से बोर्ड को त्रैमासिक अद्यतन प्रदान करना।

(viii) उभरते मुद्दों की निगरानी करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना।

(ix) व्यवसाय जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करना।

(x) प्रबंधन के उत्तरोत्तर स्तरों के लिए नीतियों और मानकों का संप्रेषण सुनिश्चित करना।

(xi) निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित किसी अन्य मद पर विचार करना।

(xii) कंपनी अधिनियम 2013, सेबी विनियम और डीपीई दिशानिर्देश में परिवर्तन/संशोधन के कारण समिति को सौंपी गई कोई अन्य भूमिका।

ख. संरचना, बैठक और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष के दौरान,जब भी निदेशकों में बदलाव होता है समिति का पुनर्गठन किया जाता है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 8 फरवरी, 2022 को किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रम सं.	सदस्य	पद
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	**श्री अजीत कुमार,** निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
4.	**श्री वडनाथ शईक्र** सरकार नात नदेशक	सदस्य
5.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और विधि अधिकारी समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित हैं।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की दो बार बैठक हुई। जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

क्रम सं.	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	11वीं	11 अगस्त, 2021	3	3
2.	12वीं	10 दिसंबर, 2021	4	4

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चशालशीी	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		उपस्थिति का%
				स्वयं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन और विपणन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष	2	2	0	100%
2.	**श्री अजीत कुमार** निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2	0	100%
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य (8 फरवरी, 2022 से प्रभावी)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार नामित निदेशक	सदस्य (7 फरवरी, 2022 तक)	2	0	2	100%
5.	**श्री विश्वनाथ शंकर** सरकार नामित निदेशक	सदस्य (8 फरवरी, 2022 से प्रभावी)	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (12 नवंबर, 2021 से प्रभावी)	1	1	0	100%

10. अन्य कार्यात्मक समितियाँ:

10.1 निवेश समिति

डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी की निवेश समिति का गठन इस उद्देश्य के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन सरप्लस निधि की अल्पकालिक नियोजन के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए किया गया है। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (खानपान सेवाएं) शामिल हैं। समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती हैं और इसमें सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है।

10.2 कार्यकारी बोर्ड समिति

आईआरसीटीसी में कार्यकारी बोर्ड की समिति का गठन ई-6 तक के कर्मचारियों की भर्ती, समाहित किए जाने और पदोन्नति के चैनलों की नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया है और इसमें मुद्दों में नए उद्यम, व्यवसाय क्षेत्रों की वृद्धि, परिचालन निष्पादन का उद्देश्य कंपनी का आंतरिक विश्लेषण आदि है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यकारी बोर्ड की 4 (चार) बार बैठक, 27 जनवरी, 2022, 9 फरवरी, 2022, 4 मार्च, 2022 और 16 मार्च, 2022 को हुई थी। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव समिति की सचिव हैं।

वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भी आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

10.3 प्रशासनिक समिति

बैंक खाते खोलने और बंद करने के अनुमोदन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है; कंपनी की परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थानों से संपर्क करने; और उत्पाद शुल्क, आयकर और अन्य लागू प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण के लिए कंपनी की ओर से अधिकारियों को अधिकृत करने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए किया गया है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) शामिल हैं।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशासनिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

10.4 शेयर हस्तांतरण समिति

शेयर हस्तांतरण समिति शेयरों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, री- मैटेरियलाइज़ेशन, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, रिन्यूअल और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि के अनुरोधों पर विचार करती है।

समिति में निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन और विपणन) और कंपनी सचिव शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की 2 (दो) बैठक 28 सितंबर, 2021 और 3 जनवरी, 2022 को हुई और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

11. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, धारा 149 और कंपनी अधिनियम, 2013 के स्वतंत्र निदेशक संहिता और डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 24 मार्च, 2022 को आयोजित की गई थी।

उक्त बैठक में दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया और बैठक के कार्यवृत्त निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

12. आम सभा की बैठकें

12.1 वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित हुआ है
22वीं	2020-21	29 सितंबर, 2021	बुधवार	1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल तरीके ("ओएवीएम") के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड कक्ष)	नहीं
21वीं	2019-20	27 अक्टूबर, 2020	मंगलवार	1130 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल तरीके ("ओएवीएम") के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड कक्ष)	नहीं
20वीं	2018-19	28 अगस्त, 2019	बुधवार	1630 बजे	समिति कक्ष (कमरा नं 237), दूसरी मंजिल, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001	हां i. एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलने के लिए ii. कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676) की नियुक्ति;

12.2 विशेष आम बैठक

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सदस्यों की कोई विशेष आम बैठक नहीं हुई।

12.3 पोस्टल बैलेट

(i) **पोस्टल बैलेट द्वारा पारित संकल्प का विवरण:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से **कोई संकल्प पारित नहीं किया गया। हालांकि दो विशेष और दो साधारण संकल्प** 10 अप्रैल, 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई-वोटिंग') से मतदान करके पारित किए गए थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क) विशेष संकल्प

i. कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन: 03604125) की नियुक्ति;

ii. कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676) की नियुक्ति;

ख) साधारण संकल्प

iii. कंपनी के बोर्ड में श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड की अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति;

iv. कंपनी के बोर्ड में श्री देबाशीष चंद्रा, जीजीएम, आईआरसीटीसी डीआईएन: 08641893 की निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में नियुक्ति।

(ii) मतदान पैटर्न का विवरण:

संकल्प	रिमोट ई-वोट						संकल्प पारित हुआ या नहीं
	डाले गए वोटों की संख्या			वोटों का प्रतिशत (%)			
	पक्ष में	विरुद्ध में	कुल	पक्ष में	विरुद्ध में	कुल	
कंपनी के बोर्ड में श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन: 03604125) की एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	613201201	1135337	614336538	99.82	0.18	100	पारित किया गया
कंपनी के बोर्ड में श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन: 09397676) की एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	608624778	5711507	614336285	99.07	0.93	100	पारित किया गया
कंपनी के बोर्ड में श्री विश्वनाथ शंकर (डीआईएन: 07903588), ईडी (योजना), रेलवे बोर्ड की अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति	588122610	26213598	614336208	95.73	4.27	100	पारित किया गया
कंपनी के बोर्ड में श्री देबाशीष चंद्रा, जीजीएम, आईआरसीटीसी डीआईएन: 08641893 की निदेशक (खानपान सेवाएं) के रूप में नियुक्ति	580883733	33453623	614337356	94.55	5.45	100	पारित किया गया

(iii) वह व्यक्ति जिसने उपरोक्त पोस्टल बैलेट करवाया:

श्री नरेश कुमार सिन्हा (आईसीएसआई सदस्यता संख्या एफसीएस 1807), कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, कंपनी सचिव ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उक्त पोस्टल बैलेट का संचालन किया।

(iv) क्या पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव दिया गया है:

जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो (02) विशेष संकल्प, जिन्हें मार्च, 2022 के महीने में पोस्टल बैलेट के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव था, जिसे अप्रैल, 2022 के महीने में पारित किया गया था।

(v) पोस्टल बैलेट के लिए की जानेवाली प्रक्रिया:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 110 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी (इसके बाद सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित) सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 के साथ, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या फिर से लागू होने के समय के लिए लागू होने सहित) के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कंपनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं लीं। उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने पंजीकृत शेयरधारकों को भेजा, जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी)/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के पास कट ऑफ दिनांक यानी 4 मार्च 2022 को पंजीकृत/उपलब्ध थी।

कट-ऑफ दिनांक यानी 4 मार्च, 2022 को सदस्यों के नाम में पंजीकृत शेयरों के पेड-अप मूल्य पर मतदान के अधिकार की गणना की गई थी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने के इच्छुक सदस्यों से ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी 10 अप्रैल, 2022 को कार्य समय समाप्त होने से पहले वोट करने का अनुरोध किया गया था।

जांचकर्ता ने जांच पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) को सौंपी। उन्होंने जांचकर्ता की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर किए और साथ ही अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत

बनाए गए नियमों और आम बैठकों पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार मतदान परिणामों की घोषणा की। परिणाम को 12 अप्रैल, 2022 को एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) के साथ घोषित किए गए थे। परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए थे, जिन्हें वेब लिंक: https://irctc.com/assets/images/SEintimationofresultsofevotingthrougpostalballot.pdf पर देखा जा सकता है।

13. संचार के साधन

कंपनी अपने हितधारकों को वार्षिक रिपोर्ट, त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम, समाचार विज्ञप्ति, प्रस्तुति आदि और कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर समय-समय पर किए गए प्रकटन के माध्यम से जानकारी देती है।

- **वार्षिक रिपोर्ट:** वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों और इसके पात्र अन्य लोगों को परिपत्रित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है।
- **त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम:** कंपनी नियमित रूप से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को गैर-लेखापरीक्षित और साथ ही लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना देती है। परिणाम को व्यापक प्रसार के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर भी होस्ट किया गया है।
- **समाचार विज्ञप्तियाँ, प्रस्तुतियाँ:** आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ और आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ आम तौर पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
- **समाचार पत्र प्रकाशन:** जैसा कि उल्लेख किया गया है, ये वित्तीय परिणाम आम तौर प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं, जिनका राष्ट्रव्यापी प्रसार होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान तिमाही परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए हैं:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र संस्करण
30 जून, 2021 को समाप्त पहली तिमाही	13 अगस्त, 2021	हिंदुस्तान टाइम्स और मिंट (अंग्रेजी संस्करण) और हिंदुस्तान (हिंदी संस्करण)
30 सितंबर, 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक	2 नवंबर, 2021	द इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और जनसत्ता (हिंदी संस्करण)
31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ माह	9 फरवरी, 2022	बिजनेस स्टैंडर्ड, द इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी संस्करण) और बिजनेस स्टैंडर्ड और जनसत्ता (हिंदी संस्करण)
31 मार्च, 2022 को चौथी तिमाही और समाप्त वर्ष	31 मई, 2022	हिंदुस्तान टाइम्स और मिंट (अंग्रेजी संस्करण) और हिंदुस्तान (हिंदी संस्करण)

- **वार्षिक आम बैठक का वेबकास्ट:** कंपनी ने 29 सितंबर, 2021 को आयोजित 22वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट प्रदान किया है।
- **वेबसाइट:** कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com में अलग समर्पित खंड 'इन्वेस्टर रिलेशंस' है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है। पूरी वार्षिक रिपोर्ट, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, नीतियां, एमओयू और कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट आदि भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनी के बारे में जानकारी, नवीनतम अपडेट और घोषणाओं को कंपनी की वेबसाइट पर नीचे बताए अनुसार देखी जा सकती है:
  - o तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम
  - o तिमाही शेयरहोल्डिंग पैटर्न
  - o तिमाही कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट
  - o विश्लेषकों के साथ सम्मेलनों का प्रतिलेख
  - o समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाने वाली सूचनाएं।
  - o कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) और अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए) की ई-मेल आईडी विशेष रूप से निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से वेबसाइट पर "इन्वेस्टर कॉर्नर के तहत निवेशक संपर्क" शीर्षक के तहत प्रदर्शित की गई है।
- **एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और एनएसई डिजिटल एक्सचेंज:** एनईएपीएस और एनएसई डिजिटल एक्सचेंज कॉरपोरेट के लिए एनएसई द्वारा डिज़ाइन किया गया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, मीडिया रिलीज, निवेशक शिकायतों के विवरण जैसे सभी आवधिक / इवेंट आधारित अनुपालन फाइलिंग एनईएपीएस और एनएसई डिजिटल एक्सचेंज पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की जाती हैं।
- **बीएसई कॉरपोरेट अनुपालन और लिस्टिंग केंद्र ("लिस्टिंग सेंटर"):** बीएसई का लिस्टिंग सेंटर कॉरपोरेट के लिए डिज़ाइन किया गया

एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। सभी आवधिक/इवेंट आधारित अनुपालन फाइलिंग जैसे शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट, मीडिया रिलीज, निवेशक शिकायतों के विवरण, अन्य के साथ-साथ लिस्टिंग केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाता है।

- **सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर):** निवेशक शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली में संसाधित किया जाता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं: सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) का ऑनलाइन अपलोड और शिकायत पर की गई कार्रवाई और इसकी वर्तमान स्थिति को निवेशकों द्वारा ऑनलाइन देखना।
- **नामित विशिष्ट ईमेल-आईडी:** कंपनी के पास निवेशक सेवाओं के लिए ईमेल आईडी investors@irctc.com निर्दिष्ट की है।

14. शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी

क. चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक:

दिन: शुक्रवार

दिनांक: 26 अगस्त, 2022

समय: 12:30 बजे।

स्थान: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

ख. वित्तीय वर्ष:

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

ग. समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय कैलेंडर (संभावित) परिणाम

30 जून, 2022 - अगस्त, 2022 का दूसरा सप्ताह

30 सितंबर, 2022 - नवंबर, 2022 का दूसरा सप्ताह

31 दिसंबर, 2022 - फरवरी, 2023 का दूसरा सप्ताह

31 मार्च, 2023 - मई, 2023 का चौथा सप्ताह

वार्षिक आम बैठक - अगस्त / सितंबर, 2023

आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियों में लेन-देन के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित की जाती है और कंपनी के नामित कर्मचारियों को संचारित करने के अलावा इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट की जाती है। कंपनी के 'इनसाइडर्स' के लिए ट्रेडिंग विंडो आम तौर पर, प्रत्येक तिमाही के अंत से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम दर्ज किए जाने के बाद 48 घंटे तक बंद रहती है और आम तौर पर उपलब्ध हो जाती है, जब तक कि कंपनी सचिव द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है।

घ. बुक क्लोजर:

शनिवार, 20 अगस्त, 2022 से शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022 (इसमें दोनों दिन शामिल है) तक कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकों का रजिस्टर बंद रहेगा।

ङ. लाभांश वितरण नीति:

कंपनी की लाभांश वितरण नीति है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है । इस नीति के पीछे का उद्देश्य व्यापक रूप से उन मापदंडों को निर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाना चाहिए और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं/नहीं कर सकते हैं और कैसे प्राप्त आय का उपयोग किया जा सकता है । सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए की आवश्यकता के अनुसार, नीति को कंपनी की वेबसाइट के लिंक https://irctc.com/assets/images/IRCTC_DIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-_31.07.2019_CB%20Comments%20[05.08.2019].pdf पर अपलोड किया गया है

च. लाभांश का भुगतान:

कंपनी ने मार्च, 2022 के महीने में 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1.5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। तदनुसार, वर्ष के लिए कुल लाभांश 3.5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर आता है, यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अंतिम लाभांश को मंजूरी दी जाती है।

छ. लाभांश इतिहास:

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (करोड़ में रुपये)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ में रुपये)	बोर्ड बैठक/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया था	अंतरिम / अंतिम
2009-10	20.00	4.00 (2.00 रुपये प्रति शेयर)	24 नवंबर, 2009	अंतरिम
		8.61 (4.305 रुपये प्रति शेयर)	28 सितंबर, 2010	अंतिम
2010-11	20.00	12.16 (6.08 रुपये प्रति शेयर)	22 सितंबर, 2011	अंतिम
2011-12	20.00	12.16 (6.08 रुपये प्रति शेयर)	29 मार्च, 2012	अंतरिम
		5.71 (2.855 रुपये प्रति शेयर)	27 सितंबर, 2012	अंतरिम

वित्तीय वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (करोड़ में रुपये)	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ में रुपये)	बोर्ड बैठक/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया था	अंतरिम / अंतिम
2012-13	20.00	11.77 (5.885 रुपये प्रति शेयर)	27 सितंबर, 2013	अंतिम
2013-14	20.00	14.40 (7.20 रुपये प्रति शेयर)	11 सितंबर, 2014	अंतिम
2014-15	20.00	26.13 (13.065 रुपये प्रति शेयर)	18 सितंबर, 2015	अंतिम
2015-16	20.00	75.45 (37.725 रुपये प्रति शेयर)	27 सितंबर, 2016	अंतिम
2016-17	40.00	37.50 (9.375 रुपये प्रति शेयर)	10 मार्च, 2017	अंतरिम
		47.18 (11.795 रुपये प्रति शेयर)	20 सितंबर, 2017	अंतिम
2017-18	40.00	88.81 (22.202 रुपये प्रति शेयर)	27 सितंबर, 2018	अंतिम
2018-19	160.00	60.00 (3.75 रुपये प्रति शेयर)	20 दिसंबर, 2018	अंतरिम
		62.37 (3.898 रुपये प्रति शेयर)	28 अगस्त, 2019	अंतिम
2019-20	160.00	160.00 (10 रुपये प्रति शेयर)	12 फरवरी, 2020	अंतरिम
		40 (2.5 रुपये प्रति शेयर)	27 अक्टूबर, 2020	अंतिम
2020-21	160.00	80 (5.00 रुपये प्रति शेयर)	29 सितंबर, 2021	अंतिम
2021-22	160.00	160.00 (2.00 रुपये प्रति शेयर)	8 फरवरी, 2022	अंतरिम

आईईपीएफ के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के नोडल और उप नोडल अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है:

नोडल अधिकारी: श्रीमती सुमन कालरा
कंपनी सचिव
फोन नंबर: +91 11 23327746
ईमेल आईडी: companysecretary@irctc.com

उप नोडल अधिकारी: श्री प्रशांत सिंह
सहायक प्रबंधक / सचिवीय
फोन नंबर.: +91 11 23311263
ईमेल आईडी: prashant.singh@irctc.com

कंपनी के नोडल अधिकारी और उप नोडल अधिकारी का विवरण और भुगतान न की गई लाभांश राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों से संबंधित अन्य विवरण वेब लिंक https://irctc.com/assets/images/Nodal%20&%20Deputy%20Nodal%20Officer%20for%20IEPF.pdf

ज. स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग:

कंपनी निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
पता: फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 स्क्राइप कोड: 542830 **आईएसआईएन:** INE335Y01020	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 सिम्बल: आईआरसीटीसी **आईएसआईएन:** INE335Y01020

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किया गया है। एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक अभिरक्षक शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी किया गया है।

झ. आईआरसीटीसी का बाजार मूल्य डेटा और सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन:

बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के साथ आईआरसीटीसी शेयर मूल्य (01.04.2021 से 31.03.2022 तक) की तुलना नीचे दी गई है:

i. बीएसई सेंसेक्स और आईआरसीटीसी शेयर मूल्य

माह	एनएसई निफ्टी			एनएसई पर आईआरसीटीसी शेयर मूल्य		
	उच्च	निम्न	बंद हुआ	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद हुआ (₹)
अप्रैल-21	50375.77	47204.5	48782.36	1820	1541	1790.4
मई -21	52013.22	48028.07	51937.44	1940.75	1680.5	1901.7
जून -21	53126.73	51450.58	52482.71	2184.15	1888.7	2033.7
जुलाई-21	53290.81	51802.73	52586.84	2479.45	2030.1	2329.6
अगस्त-21	57625.26	52804.08	57552.39	2759.5	2423	2751.4
सितम्बर -21	60412.32	57263.9	59126.36	4017	2711	3797
अक्टूबर-21*	62245.43	58551.14	59306.93	6393	650.1	845.65
नवम्बर-21*	61036.56	56382.93	57064.87	929.65	750.05	794.35
दिसम्बर-21*	59203.37	55132.68	58253.82	878.05	781	831.8
जनवरी-22*	61475.15	56409.63	58014.17	918.3	784.3	867.8
फरवरी-22*	59618.51	54383.2	56247.28	900	735.2	809.05
मार्च-22*	58890.92	52260.82	58568.51	822.05	708.7	774.6

* आईआरसीटीसी के 10/- रुपये के अंकित मूल्य वाले (1) इक्विटी शेयर को रिकॉर्ड तिथि यानी 29 अक्टूबर, 2021 को 2/- रुपये के अंकित मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया गया था।

ii. बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आईआरसीटीसी शेयर मूल्य का प्रदर्शन:

बीएसई सेंसेक्स और आईआरसीटीसी शेयर मूल्य

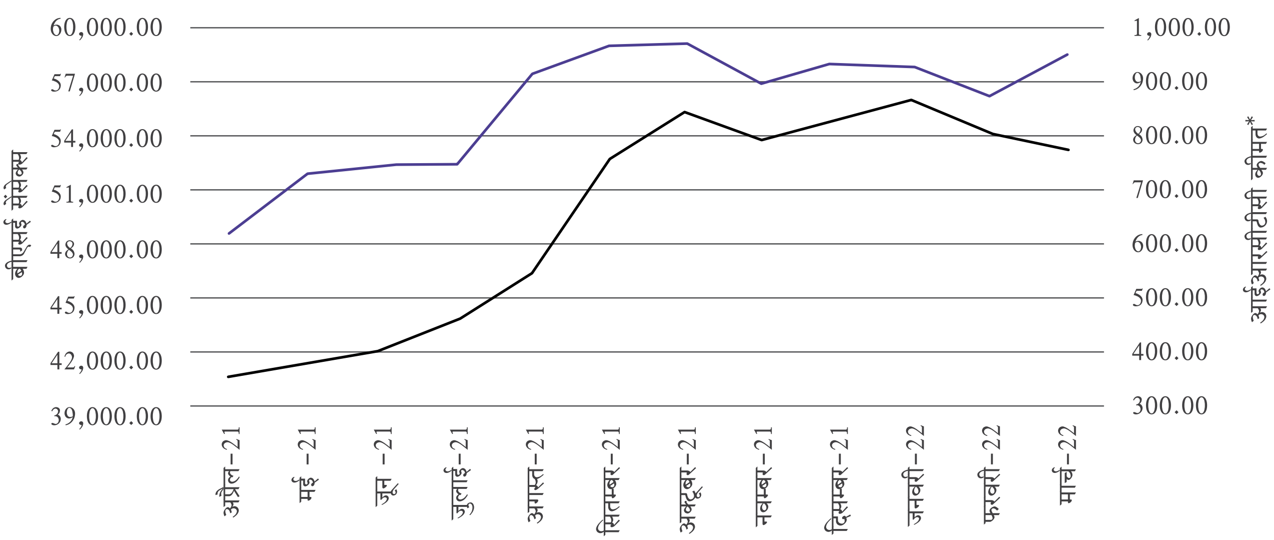

* आईआरसीटीसी के इक्विटी शेयर मूल्य को स्प्लिट के लिए एडजस्ट किया गया है।

iii. एनएसई निफ्टी और आईआरसीटीसी शेयर मूल्य

माह	एनएसई निफ्टी			एनएसई पर आईआरसीटीसी शेयर मूल्य		
	उच्च	निम्न	बंद हुआ	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद हुआ (₹)
अप्रैल-21	15044.35	14151.40	14631.10	1,818.00	1,550.00	1,791.40
मई -21	15606.35	14416.25	15582.80	1,941.15	1,681.50	1,903.20
जून -21	15915.65	15450.90	15721.50	2,184.00	1,888.00	2,033.85
जुलाई-21	15962.25	15513.45	15763.05	2,479.95	2,030.30	2,331.30
अगस्त-21	17153.50	15834.65	17132.20	2,759.50	2,422.35	2,752.00
सितम्बर -21	17947.65	17055.05	17618.15	4,019.70	2,718.00	3,798.50
अक्टूबर-21*	18604.45	17452.90	17671.65	6,396.30	639.45	845.70
नवम्बर-21*	18210.15	16782.40	16983.20	929.00	750.55	795.15
दिसम्बर-21*	17639.50	16410.20	17354.05	878.20	780.70	831.75
जनवरी-22*	18350.95	16836.80	17339.85	918.65	784.80	868.00
फरवरी-22*	17794.60	16203.25	16793.90	899.90	735.00	809.35
मार्च-22*	17559.80	15671.45	17464.75	822.00	708.40	774.70

*आईआरसीटीसी के ₹ 10/- रुपये के अंकित मूल्य वाले (1) इक्विटी शेयर को रिकॉर्ड तिथि यानी 29 अक्टूबर, 2021 को ₹ 2/- रुपये के अंकित मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया गया था।

v. एनएसई निफ्टी की तुलना में आईआरसीटीसी शेयर मूल्य का प्रदर्शन:

एनएसई निफ्टी और आईआरसीटीसी शेयर की कीमत

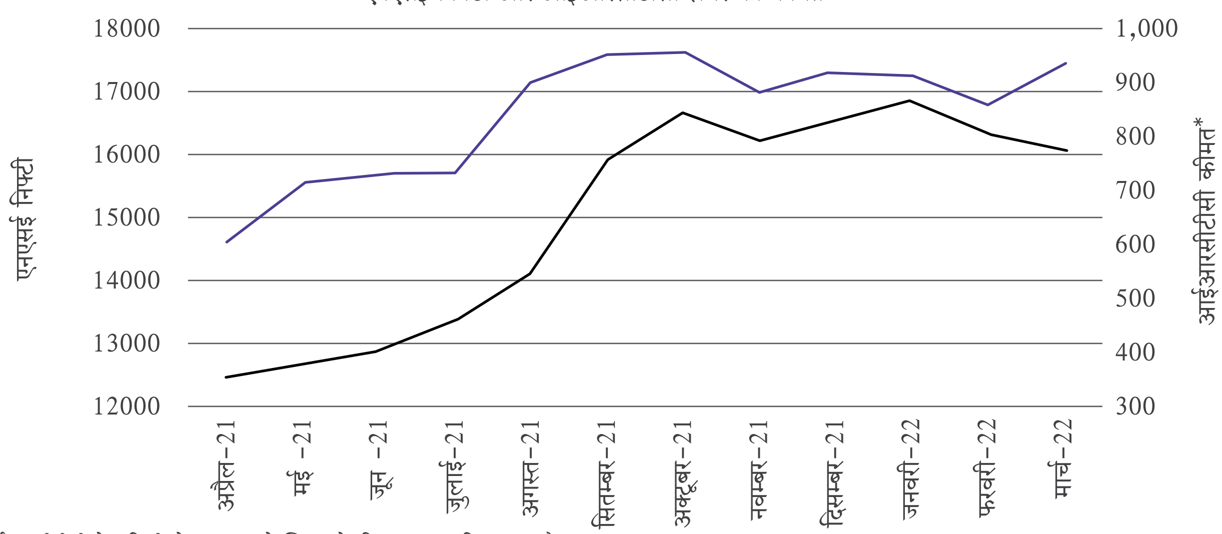

*आईआरसीटीसी के इक्विटी शेयर मूल्य को स्प्लिट के लिए एडजस्ट किया गया है।

ञ. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया है।

ट. शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,
पता: 4ई/2, अलंकित हाउस,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली-110055
ईमेल आईडी: rta@alankit.com
फोन नंबर: 011-42541234

ठ. शेयर ट्रांसफर सिस्टम:

सेबी ने निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन मामलों को छोड़कर) को प्रभावित करने के अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रतिभूतियों को डिपॉजिटरी में डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। हालांकि, निवेशकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड भौतिक और डीमैट शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस भी है।

री-मैटेरियलाइज़ेशन, कंसोलिडेशन और डुप्लीकेट शेयर जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोध पर शेयर ट्रांसफर समिति द्वारा शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इस प्रकार समीक्षित प्रतिभूतियों के अंतरण/ट्रांसमिशन का सारांश शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समिति के कार्यवृत्त के साथ बोर्ड की बैठकों में रखा जाता है। विधिवत समर्थित शेयर प्रमाणपत्र

शेयरधारकों को आरटीए द्वारा भेजे जाते हैं। शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के अनुरोध के संबंध में पुष्टि संबंधित डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल को शीघ्रता से भेजी जाती है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियम 40 के अनुसार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त हुआ प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि हस्तांतरण, उप-विभाजन, कंसोलिडेशन, रिन्यूअल, कॉल/अलॉटमेंट मनी के एक्सचेंज या एनडोर्समेंट के लिए सभी प्रमाणपत्र तीस दिनों के भीतर जारी किए थे और उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तत किया गया था।

ड. 31 मार्च, 2022 तक शेयरधारिता पैटर्न:

i) 31 मार्च, 2022 तक विभिन्न श्रेणियों की शेयरधारिता:

वित्तीय वर्ष	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या	% में धारिता
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	1	539172170	67.40
म्यूचुअल फंड्स	11	773192	0.10
वैकल्पिक निवेश कोष	2	92147	0.01
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	380	51370819	6.42
वित्तीय संस्थान / बैंक	3	986840	0.12
बीमा कंपनी	11	39859605	4.98
भविष्य निधि/पेंशन निधि	1	60000	0.01
निवासी व्यक्ति	2156906	155611034	19.45
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	3	2675	0.00
कॉरपोरेट निकाय	1729	3042325	0.38
क्लीयरिंग सदस्य	202	2418779	0.30
कर्मचारी	261	212972	0.03
अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	13910	3902577	0.49
विदेशी राष्ट्रिक	2	205	0.00
एचयूएफ	12067	2485990	0.31
ट्रस्ट	15	8670	0.00
कुल	2185504	800000000	100

ii) 31 मार्च, 2022 तक आईआरसीटीसी के शेयरों की धारिता के आकार के अनुसार वितरण:

माह	शेयरधारकों की संख्या			धारिता का %	शेयरों की संख्या			शेयर धारिता का %
	फिजिकल धारक	डीमैट धारक	कुल धारक		फिजिकल धारक	डीमैट धारक	कुल धारक	
1 से 500	4	2142203	2142207	98.02	160	105154158	105154318	13.14
501 से 1000	0	27727	27727	1.27	0	20001974	20001974	2.50
1001 से 2000	0	9866	9866	0.45	0	13900320	13900320	1.74
2001 से 3000	0	2640	2640	0.12	0	6535327	6535327	0.82
3001 से 4000	0	967	967	0.04	0	3384256	3384256	0.42
4001 से 5000	0	638	638	0.03	0	2969439	2969439	0.37
5001 से 10000	1	803	804	0.04	7500	5604398	5611898	0.70
10001 से अधिक*	0	655	655	0.03	0	642442468	642442468	80.31
कुल	5	2185500	2185504	100.00	7660	799992340	800000000	100.00

*539172170 इक्विटी शेयरों के धारक भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हैं

iii) 31 मार्च, 2022 तक शीर्ष 10 शेयरधारक:

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	539172170	67.3965
भारतीय जीवन बीमा निगम	23283604	2.9105
भारतीय जीवन बीमा निगम - पी एंड जीएस फंड	9452942	1.1816

श्रेणी	शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारिता का %
सिंगापुर सरकार	4903401	0.6129
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4115000	0.5144
वेनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वेनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक श्रंखला	3693019	0.4616
वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	3355123	0.4194
आईशेयर्स कोर इमर्जिंग मार्केट्स मॉरीशस कंपनी	2228722	0.2786
पीपल्स बैंक ऑफ चाइना	1847756	0.231
गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	1832000	0.229
कुल	593883737	74.2355

iv) 31 मार्च, 2022 तक शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण:

शहर का नाम	फोलियो/धारकों की संख्या	प्रतिशत	होल्डिंग	प्रतिशत
नई दिल्ली*	114650	5.10	550848723	68.86
मुंबई	164651	7.32	114004071	14.25
बैंगलोर	70357	3.13	7513340	0.94
पुणे	69730	3.10	5739951	0.72
कलकत्ता	52906	2.35	5652665	0.71
हैदराबाद	45272	2.01	4686659	0.59
अहमदाबाद	40907	1.82	3988818	0.50
चेन्नई	40410	1.80	4307341	0.54
मुंबई – कल्याण	35039	1.56	1799825	0.22
सूरत	30539	1.36	1968266	0.25
अन्य शहर	1521043	70.45	99490341	12.42
कुल	2185504	100	800000000	100

*539172170 इक्विटी शेयरधारकों में भारत के राष्ट्रपति शामिल हैं

ढ. शेयरों का अभौतिकीकरण:

कंपनी के शेयर डिमटेरियलाइज्ड प्रारूप में हैं और दोनों डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के सिस्टम के अंतर्गत ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का समाधान यह पुष्टि करता है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है, जिसकी सूचना बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजी जाती है। 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के लगभग 99.99% से अधिक इक्विटी शेयर डीमैटरियलाइज्ड रूप में हैं।

31 मार्च, 2022 तक डीमैटरियलाइज्ड और फिजिकल मोड में धारित शेयरों की संख्या

श्रेणी	शेयरों की कुल सं.	शेयरधारिता का %
फिजिकल मोड में धारित शेयर	7660	बहुत कम
एनएसडीएल के साथ अभौतिक रूप में शेयर	703133312	87.89
सीडीएसएल के साथ अभौतिक रूप में शेयर	96859028	12.10
कुल	800000000	100

डिपॉजिटरी के नाम और पते इस प्रकार हैं:

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – 400 013	मैराथन फ्यूचरेक्स, ए-विंग, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013

ण. भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन का इतिहास

वित्तीय वर्ष	आवंटन की तिथि	इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य (₹)	इक्विटी शेयरों की संचयी संख्या	संचयी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (₹)	लेन–देन की प्रकृति और आवंटी का नाम
1999-00	27 सितंबर, 1999	7	10	7	70	एमओए को सदस्यता
2000-01	30 जून 2000	4,999,993	10	5,000,000	50,000,000	आगे का मुद्दा
2001-02	3 अगस्त 2001	15,000,000	10	20,000,000	200,000,000	आगे का मुद्दा
2017-18	30 मार्च, 2017	20,000,000	10	40,000,000	400,000,000	1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू
2019-20	29 मार्च, 2019	120,000,000	10	160,000,000	1,600,000,000	3:1 के अनुपात में बोनस इश्यू
2021-22	29 अक्टूबर, 2021 (रिकॉर्ड तिथि)	-	2	800,000,000	1,600,000,000	1:5 के अनुपात में विभाजित

त. तरलता:

कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार वाले शेयर हैं। आईआरसीटीसी के शेयर लगातार कारोबार किए जानेवाले शेयर की संख्या के साथ-साथ मूल्य दोनों के मामले में शीर्ष पर अक्सर कारोबार करने वाले शेयर में रेंक करते है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के औसत दैनिक टर्नओवर के प्रासंगिक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

विवरण	बीएसई	एनएसई
शेयर (सं.)	23168	4789847
मूल्य (₹)	568072224	8591544324

स्रोत: यह जानकारी बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध आंकड़ों से संकलित है

थ. कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:

इस खंड के अंतर्गत प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं होता है।

द. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत:

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है जिसका इक्विटी पर प्रभाव हो। इसलिए, 31 मार्च 2022 तक कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं हैं।

ध. संयंत्र स्थान / परिचालन इकाइयां

कंपनी का पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, कंपनी अपने रेल नीर संयंत्रों के साथ-साथ भारत भर में विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालन करती है। विभिन्न राज्यों में रेल नीर संयंत्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

न. पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार के लिए पता (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल कॉरपोरेट अभिशासन मामलों के संबंध में)

श्रीमती सुमन कालरा,
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001
टेलीफोन: 91-11-23327746
ई-मेल आईडी: companysecretary@irctc.com
वेबसाइट: www.irctc.com

प. मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) का संपर्क विवरण:

सीआईआरओ की अध्यक्षता वाला विभाग भारत और विदेश में टेली-कॉन्फ्रेंसिंग, निवेश बैंकरों, अनुसंधान विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ नियमित बातचीत सहित आवधिक बैठकों के माध्यम से निकट के संपर्क बनाए रखने और जानकारी साझा करने में सहायक होता है।

श्री अनिल कुमार शर्मा, एजीएम/वित्त/लेखा को कंपनी द्वारा सीआईआरओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और उन्हें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से यूपीएसआई की जानकारी के प्रसार और प्रकटीकरण से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीआईआरओ का संपर्क विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और नीचे भी उल्लेखित है:

श्री अनिल कुमार शर्मा,
एजीएम/वित्त
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001
टेलीफोन: 91-11-23701230
ई-मेल आईडी: CIRO@irctc.com
वेबसाइट: www.irctc.com

फ. कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग्स की सूची:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी एजेंसी से कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं ली है।

ब. निदेशकों और अधिकारियों का बीमा

आईआरसीटीसी हर वर्ष डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) लेती है। चालू डी एंड ओ पॉलिसी ₹20 करोड़ की है और इसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं।

15. अन्य प्रकटीकरण

(i) **भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित रूप से संभावित टकराव हो सकता है:** संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन सामान्य रूप से आर्म लेंथ पर किए जाते हैं और इसका प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और प्रासंगिक लेखा मानक (कंपनी के वित्तीय विवरण के नोट्स में) की आवश्यकता के अनुसार किया गया है। कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए भौतिकता सीमा निर्धारित करने के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है और अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के आधार पर कंपनी और इसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन से निपटने के तरीके को निर्धारित किया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पार्टी लेनदेन संबंधी नीति को कंपनी की वेबसाइट: https://irctc.com/assets/images/IRCTC_Related%20Party%20Transactions-_03.08.2019.pdf पर देखा जा सकता है।

(ii) कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013, लागू सचिवीय मानकों और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, *सिर्फ वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर, जिसके कारण कंपनी 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में अनुपालन नहीं कर रही थी।* कंपनी ने पहले ही रेल मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियुक्ति प्राधिकारी से कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शीघ्रता से करने का अनुरोध किया है, ताकि कंपनी के लागू वैधानिक प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश का अनुपालन किया जा सके।

(iii) **पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुपालन नहीं करने पर शेयर बाजार या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया दंड का आकार या पूंजी बाजार से संबंधित कोई मामले का विवरण:** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का पालन न करने के कारण प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई और एनएसई) से चार (4) पेनल्टी नोटिस प्राप्त हुए हैं। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	स्टॉक एक्सचेंज या किसी वैधानिक प्राधिकरण से नोटिस	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन न करना	प्रासंगिक तिमाही	कर सहित दंड की राशि (₹ में)	कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई	कंपनी के अनुरोध पर स्टॉक एक्सचेंज या किसी वैधानिक प्राधिकरण की प्रतिक्रिया
1.	बीएसई	विनियम 17(1), 17(2ए), 18 (1), 19 और 20	30 जून, 2021	9,97,100	सेबी एसओपी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार लगाए गए जुर्माने से छूट के लिए एक्सचेंज की नीति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विस्तार से बताए गए कारणों के कारण जुर्माने से छूट का अनुरोध किया है।	जुर्माने से छूट पर स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	एनएसई			9,97,100		
3.	बीएसई	विनियम 17(1), 17(2ए), 18 (1), 19, 20 और 21	30 सितंबर, 2021	13,52,280		
4.	एनएसई			13,52,280		
5.	बीएसई	विनियम 17(1), 17(2), 18 (1), 19 , 20 और 21	31 दिसंबर, 2021	10,69,080		
6.	एनएसई			10,69,080		
7.	बीएसई	विनियम 17(1) और 18 (1)	31 मार्च, 2022	6,25,400		
8.	एनएसई			6,25,400		

वैधानिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की निगरानी के लिए कंपनी के पास प्रणालियां मौजूद हैं। बोर्ड को तिमाही आधार पर इसकी स्थिति की सूचना दी जाती है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) **सतर्कता तंत्र:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, कंपनी पुष्टि करती है कि उसके सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सतर्कता तंत्र मौजूद है जहां आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति के माध्यम से किसी भी अवैध या अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी के बारे में रिपोर्ट सीवीओ या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीधे की जा सकती है। सतर्कता विभाग वर्तमान में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में है। आईआरसीटीसी के सतर्कता विभाग में सीवीओ सहित 12 अधिकारी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए 'निवारक सतर्कता' पर जोर जारी रहा, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ी और विवेकाधिकार की गुंजाइश कम हुई।

आईआरसीटीसी की व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। कंपनी आगे पुष्टि करती है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से मना नहीं किया गया है। व्हिसलब्लोअर नीति का उद्देश्य एक कामकाजी माहौल प्रदान करना है जहां कर्मचारी किसी भी गलत काम और अस्वीकार्य प्रथाओं के बारे में चिंता व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करते हैं जो उन्हें लगता है कि कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कंपनी में अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करना है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर वेबलिंक: https://www.irctc.com/assets/images/Whistle_Blowers_new.pdf के साथ उपलब्ध है।

(v) **वेब लिंक जहां 'भौतिक' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का प्रकटन किया गया है:** कंपनी की वर्तमान में, कोई सहायक कंपनी नहीं है। भौतिक सहायक के निर्धारण के लिए नीति को वेबलिंक: https://irctc.com/assets/images/IRCTC-Policy%20for%20determining%20Material%20Subsidiary.pdf पर अपलोड किया गया है

(vi) **संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति के लिए वेब लिंक:** संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने वाली नीति को वेब-लिंक: https://irctc.com/assets/images/IRCTC_Related%20Party%20Transactions-_03.08.2019.pdf पर अपलोड किया गया है

(vii) **सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 32 (7ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट पक्षपातपूर्ण आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण:** वर्ष के दौरान, पक्षपातपूर्ण आवंटन या योग्य संस्थान नियोजन के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

(viii) **निदेशकों की अयोग्यता के लिए प्रमाण पत्र:** सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V के पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में: मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ने प्रमाण पत्र दिया, जिसमें कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है और इसे **परिशिष्ट-"बी-4"** में रखा गया है।

(ix) **बोर्ड की समितियों की सिफारिशें:** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड की समितियों द्वारा समय-समय पर की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है।

(x) **सांविधिक लेखापरीक्षक को कंपनी द्वारा समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क:** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क, कर लेखापरीक्षा शुल्क और सीमित समीक्षा शुल्क**	0.24

(xi) **वर्ष 2021-22 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:** कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	31 मार्च, 2022 तक लंबित शिकायतों की संख्या
एक(01)	**एक(01)**	**शून्य**

(xii) **बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता:**

कंपनी ने 'बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन (कोड) के लिए 'व्यापार और नैतिकता का मॉडल कोड' अपनाया है। कोड कंपनी की वेबसाइट https://irctc.com/assets/images/code-of-conducts-for-board-members-and-senior-management.pdf पर उपलब्ध है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति

की पुष्टि करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **परिशिष्ट–"बी–1"** के रूप में संलग्न है।

(xiii) आईआरसीटीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कोड:

समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी ने 'इनसाइडर्स द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता' और 'इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण प्रथा संहिता' तैयार और कार्यान्वित की है।

संहिता का उद्देश्य किसी आंतरिक सूत्र द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकना है। इस संहिता के अंतर्गत नामित कर्मचारी/आंतरिक व्यक्ति (सभी निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, सभी समूह महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी इकाइयों/प्रभागों/क्षेत्रों के वित्त प्रमुख, सभी जोन/क्षेत्रों/संयंत्रों के प्रमुख (किसी भी पद पर), डीजीएम और उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्मचारी, कॉरपोरेट वित्त के लेखा पुस्तकों, बजट, वित्तीय सेवा और प्रत्यक्ष कराधान अनुभागों में कार्यरत सभी कर्मचारी, कंपनी सचिवालय और कानूनी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी, सीएमडी के सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारी/ कार्यात्मक निदेशक, कोई भी सहायक कर्मचारी जैसे आईटी कर्मचारी जिनको यूपीएसआई का एक्सेस है और अन्य कोई प्रमुख व्यक्ति, जो अनुपालन अधिकारी की राय में नामित कर्मचारी में शामिल हैं और उनके निकट संबंधियों को कंपनी की ट्रेडिंग विंडो और अन्य निर्दिष्ट अवधि (अवधियों) के बंद होने के दौरान कंपनी के शेयरों/डेरिवेटिव में सौदा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

निर्धारित संहिता के अनुसार, आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक लेनदेन करने के लिए, अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी नामित कर्मचारियों को भी समय-समय पर संहिता में परिभाषित संबंधित जानकारी को प्रकट करना आवश्यक है।

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड की प्रति, कंपनी की वेबसाइट के लिंक: https://irctc.com/assets/images/Amended%20Code%2008.02.2022.pdf पर उपलब्ध है

(xiv) कंपनी ने समय-समय पर संशोधित बोर्ड, समितियों और कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 से 27 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है; और वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 46 के अंतर्गत आवश्यक कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखना और अद्यतन रखना, जिसके कारण कंपनी निदेशक मंडल और उनकी समितियों की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन किया गया था। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची V के भाग सी के अनुसार कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रासंगिक जानकारी जैसे कि कंपनी के व्यवसाय का विवरण, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, व्यापार आचार संहिता और बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन आदि के लिए नैतिकता का प्रकटन उसकी वेबसाइट www.irctc.com पर किया है।

(xv) डीमैट सस्पेंस खाते/अनक्लेम्ड सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	इक्विटी शेयरों की संख्या
1 अप्रैल, 2021 तक शेयरधारकों की कुल संख्या और सस्पेंस खातों में पड़े बकाया शेयर	1	40
वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयरधारक	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, एक शेयरधारक ने सस्पेंस खाते में पड़े शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए कंपनी से संपर्क किया। आरटीए द्वारा विस्तृत सत्यापन के बाद, कंपनी आईपीओ के समय मूल आवेदक को शेयर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है।	
वे शेयरधारक जिन्हें वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए थे	–	–
वे शेयरधारक जिनके शेयर अधिनियम की धारा 124 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं	–	–
31 मार्च, 2022 तक शेयरधारकों की कुल संख्या और सस्पेंस खातों में पड़े बकाया शेयर	1	200*

* कंपनी ने 29 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 22वीं वार्षिक आम बैठक में इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन के लिए 10 प्रति शेयर से 2 प्रति शेयर के लिए विशेष संकल्प पारित किया था। इसके बाद, सस्पेंस खाते में पड़े 40 इक्विटी शेयरों को 200 इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया गया।

(xvi) फर्मों/कंपनी जिसके नाम और राशि में निदेशक रूचि रखते उन्हें ऋण के समान ऋण और अग्रिम देना: निदेशक जिन फर्मों/कंपनियों में रूचि रखते हैं, उन्हें ऋण के समान कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है

(xvii) अदावी लाभांश: कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्ष के लिए भुगतान न किए गए / दावा न किए गए लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। अभी तक, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरण के लिए कोई राशि बकाया नहीं है।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतरिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम

लाभांश, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतरिम लाभांश के लिए 31 मार्च, 2022 को भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश की राशि कंपनी की वेबसाइट पर वेबलिंक: https://irctc.com/iepf.html द्वारा अपलोड की गई है।

(xviii) **वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय का विवरण:**

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
अन्य व्यय	108.23	92.12
वित्तीय लागत	11.05	8.28
कुल व्यय	1058.79	643.53
अन्य व्यय/कुल	10.22	14.31
व्यय (%)	1.04	1.29

(xix) कंपनी ने निदेशक(यों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ किसी भी महत्वपूर्ण, वित्तीय और व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे या तो सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशकों और/ या भागीदार की तरह शामिल हैं ।

(xx) वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा पुस्तकों में व्यय की कोई भी मद डेबिट नहीं की गई है, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं है।

(xxi) **किए गए व्यय जो प्रकृति में व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं:** वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है जो निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत प्रकृति का है सिवाय इसके कि भारत सरकार के वेतनमान के अनुसार उन्हें भुगतान किया गया पारिश्रमिक, जिसे इस रिपोर्ट में और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनती नोट संख्या 44 में बताया गया है।

(xxii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(xxiii) इंटीग्रेशन शुल्कों के लिए आय निर्धारण को छोड़कर लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं। लेखांकन नीति में परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 84 में पहले ही प्रकट किया जा चुका है।

(xxiv) कंपनी जोखिम भरे क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में समय-समय पर बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवरण को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में 'जोखिम और चिंताएं' शीर्षक के तहत दर्शाया गया है।

16. विवेकपूर्ण अपेक्षाएं:

क) **निदेशक मंडल:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की समाप्ति और/या निदेशकों की नियुक्ति का उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट में कहीं और किया गया है।

ख) **शेयरधारकों के अधिकार:** कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं। निवेशकों/विश्लेषकों की बैठक की सूचना, कॉल ट्रांसक्रिप्ट को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता हैं और भौतिक घटनाओं से संबंधित सूचनाओं को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया जाता है ताकि शेयरधारकों और जनता को ऐसे आयोजनों के बारे में जागरूक किया जा सके।

ग) **लेखापरीक्षा की योग्यता:** कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। लेखापरीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों के लिए, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर मैसर्स पी.आर. मेहरा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट असंशोधित है।

घ) **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** आंतरिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा समिति तक सीधी एक्सेस होती है।

17. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 (8) के संदर्भ में, श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) और श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र 30 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति के समक्ष और बाद में उसी दिन आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र **परिशिष्ट-"बी-2"** के रूप में संलग्न है।

18. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन पर रेटिंग

जैसा कि सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस, 2010 पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है, आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट निर्दिष्ट प्रारूप में रेल मंत्रालय और डीपीई को निर्धारित समय के भीतर प्रदान की है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आईआरसीटीसी को 2020-21 के दौरान कॉरपोरेट अभिशासन की श्रेणी के तहत उत्कृष्ट रेटिंग दी है। स्व-मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी को वर्ष 2021-22 के लिए भी **"उत्कृष्ट"** रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

19. सचिवीय लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, सचिवीय लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 की आवश्यकताओं के अनुसार, मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स ने लागू सेबी दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन की जांच की है और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी की है, जिसे 21 मई, 2022 को स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किया गया था।

20. कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन

कंपनी ने सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमों का, गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, का विशेष रूप से रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है और स्टॉक एक्सचेंज को उपयुक्त उत्तर दिया गया था। इसके अलावा, अनुसूची V भाग सी के पैरा 2--10 में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

यह रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकट किए जाने वाले डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग और सेबी (एलओडीआर) विनियमों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र को इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-"बी-3"** के रूप में शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08083674

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, रजनी हसीजा, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करती हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की पुष्टि की है।

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08083674

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

(क) हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के तिमाही/ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणों में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरण नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छोड़ नहीं दिया गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये विवरण एक साथ कंपनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(ख) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा चौथी तिमाही/वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई लेनदेन नहीं किया गया है, जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करते हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को यह प्रकटन किया है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कोई कमी नहीं है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को बताया है:

i. कि वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ii. इंटीग्रेशन शुल्कों के लिए आय निर्धारण को छोड़कर, लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ हैं, को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय अनुमोदन के समय अनुमोदित किया गया है और वित्तीय परिणामों के नोट में इसका प्रकटन किया गया है।

iii. धोखाधड़ी के ऐसे कोई महत्वपूर्ण मामले सामने नहीं आए हैं जिसकी हमें जानकारी न हो।

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ)
डीआईएन: 07247362

(अजीत कुमार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 08083674

दिनांक: 30.05.2022
स्थानः नई दिल्ली

कॉरपोरेट अभिशासन अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड नई दिल्ली –110001

हमने **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड** (जिसे यहां से 'कंपनी' कहा जाएगा) की 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि की कॉरपोरेट पर सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा सी और डी और मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों अनुसार, वर्ष के दौरान अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में कॉरपोरेट अभिशासन पर लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और हमें ऐसे रिकॉर्ड, दस्तावेज़, प्रमाणन आदि प्रदान किए गए हैं, जिनकी हमें आवश्यकता थी।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त सेबी लिस्टिंग विनियमों और डीपीई में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है सिवाय कि निदेशक मंडल के कोरम, बोर्ड और इसकी समितियों की रचना, अपने बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त न करने से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च, 2022 तक, इसके बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और निदेशक मंडल के कोरम, बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना से संबंधित 'सार्वजनिक उद्यम विभाग' द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश के अनुपालन में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) ने सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधानों के अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सेबी एसओपी परिपत्र के खंड 3 (ए) के अनुसार लगाए गए जुर्माने से छूट के लिए एक्सचेंज की नीति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने जुर्माने से छूट के लिए अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति कंपनी के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

हम आगे सूचित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(कंपनी सचिव)

सीएस अमित अग्रवाल
(प्रोप्राइटर)
सदस्यता संख्या F5311
सी.पी.संख्या : 3647
पीर रिव्यू प्रमाणपत्र सं. 853/2020
यूडीआईएन: F005311D000513819

दिनांक: 21.06.2022
स्थान: नई दिल्ली

निदेशकों को अपात्र न माने जाने संबंधी प्रमाण–पत्र

(उक्त लिस्टिंग विनियमों के विनियम 34(3) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड सी के पैरा (10) के उप–पैरा (i) के अनुसार)

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड नई दिल्ली –110001, भारत

हमने **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड** जिसका सीआईएन नं. **L74899DL1999GOI101707** है और पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली– 110001 (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) ने हमें भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) जिसे अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10 (i) के साथ पा जाएगा, उसमें अपेक्षित के लिए सम्बंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे कंपनी ने उपरोक्त के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से अनुरोध किया था।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और सत्यापन के अनुसार पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) जैसा आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार , हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा कंपनियों के कंपनी के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती रजनी हसीजा	08083674	18.05.2018
2.	श्री अजीत कुमार	07247362	29.05.2020
3.	श्री देबाशीष चंद्रा	08641893	18.01.2022
4.	श्री नीरज शर्मा	08177824	12.07.2018
5.	श्री विश्वनाथ शंकर	07903588	14.12.2021
6.	श्री विनय कुमार शर्मा	03604125	09.11.2021
7.	श्री नामग्याल वांगचुक	09397676	12.11.2021

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स के लिए
(कंपनी सचिव)

सीएस अमित अग्रवाल
(प्रोप्राइटर)
सदस्यता संख्या F5311
सी.पी.संख्या : 3647
पीर रिव्यू प्रमाणपत्र सं. 853/2020
यूडीआईएन: F005311D000513874

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

आईआरसीटीसी अपनी सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पहल के माध्यम से अपनी सीएसआर नीति में उल्लिखित नीचे दिए गए प्रमुख मूल्यों को प्राप्त करना चाहता है:

"रेलवे यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई बने रहना।"

आईआरसीटीसी का सीएसआर विजन दान और उसके विधिक दायित्वों से परे है। कंपनी सामाजिक, पर्यावरण और नैतिक चिंताओं को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में एकीकृत करने के लिए सभी कदम लेती है ताकि संचालन के क्षेत्र में और आसपास के स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके, जिससे समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आम जनता के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ाया जा सके।

हितधारकों के प्रति आईआरसीटीसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि इसके कॉरपोरेट मिशन, विजन और संगठन द्वारा अपनाई जा रही नीतियों से होती है। सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी गतिविधियों को नीति में रेखांकित व्यापक उद्देश्यों यानि संगठन में सभी स्तरों पर बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से संचालित करने के लिए, और अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से आईआरसीटीसी के लिए एक सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करने और कॉरपोरेट इकाई के रूप में आईआरसीटीसी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को मजबूत करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है।

अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों से सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करते समय, कंपनी उन मुद्दों को प्राथमिकता देती है जो स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और पोषण जैसे राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण हैं।

आईआरसीटीसी सामाजिक-आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव को अधिकतम करने के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग, विशेषज्ञता और क्षमताओं की सहक्रियता के लिए मेगा-परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में अन्य सीपीएसई के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

31 मार्च, 2022 तक सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद/ निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें वर्ष के दौरान भाग लिया
1	श्रीमती रजनी हसीजा	निदेशक (पर्यटन और विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	5	5
2	श्री अजीत कुमार	निदेशक (वित्त) और सीएफओ	5	5
3	श्री देबाशीष चंद्रा	निदेशक (खानपान सेवाएं) (8 फरवरी, 2022 से सदस्य)	1	1
4	श्री नीरज शर्मा	सरकार नामित निदेशक	5	5
5	श्री नामग्याल वांगचुक	स्वतंत्र निदेशक (12 नवंबर, 2021 से सदस्य)	3	3

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है, वे वेब-लिंक बताएं:

https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf

4. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

चूंकि कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में दस करोड़ रुपये या उससे अधिक का औसत सीएसआर दायित्व नहीं है, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में, अपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन की एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराने की आवश्यकता, आईआरसीटीसी पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली कोई सीएसआर परियोजना नहीं थी, और जो एक वर्ष से कम समय में पूरी नहीं हुई हो। हालांकि, सभी सहयोगी एनजीओ/संगठनों को आईआरसीटीसी की परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा प्राप्त धन का उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। प्रभाव मूल्यांकन के लिए, कंपनी के पास अपने क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आंतरिक कार्यान्वयन निगरानी समूह (आईएसजी) है। साथ ही, कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए बाहरी एजेंसियों को शामिल करने की योजना बना रही है।

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो, उसका विवरण।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
1	2019-20	- शून्य -	- शून्य -
2	2020-21	- शून्य -	2,03,14,610/-
3	2021- 22	2,03,14,610/-	- शून्य -

6. **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:** ₹ 494.90 करोड़

7. **(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:** ₹ 9,90,00,000/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य -

(ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : ₹ 2,03,14,610/-

(घ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क +7ख - 7ग) : ₹ 7,86,85,390/-

8. **(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:**

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल व्यय की गई राशि (₹ में)	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित कुल राशि जिसे सीएसआर खाते में हस्तांतरित किया		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
7,8685390/-	1,24,39,696/-	28.04.2022	स्वच्छ भारत कोष	1,33,27,649/-	31.03.2022
			पीएम केयर फंड	3,00,00,000/-	31.03.2022

(ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 में चालू परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम।	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान।		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित राशि सीएसआर खाते में हस्तांतरित (रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर (पंजीकरण संख्या)
1	आईआरसीटीसी ने स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद के लिए डॉ. बीएमएच/ बायकुला अस्पताल को वित्तीय सहायता दी (सीएसआर बजट 2021-22 से 32 सीएसआर में स्वीकृत)	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	महाराष्ट्र	बायकुला	वित्तीय वर्ष 2021–22	17,87,702	शून्य	17,87,702	नहीं	केंद्रीय रेलवे अस्पताल, बायकुला	लागू नहीं
2	आईआरसीटीसी ने जम्मू में विकलांगों के लिए सहायता और सहायक उपकरण के प्रावधान के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम को आर्थिक रूप से सहायता की।	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	वित्तीय वर्ष 2021–22	25,00,000	18,75,000	6,25,000	नहीं	एलिम्को	सीएसआर 00000532
3	जानकी स्थान, सीतामढ़ी में 9 सीट वाले सुलभ शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए आईआरसीटीसी ने सुलभ इंटरनेशनल को वित्तीय सहायता दी।	स्वास्थ्य देखभाल / आकांक्षा जिला।	नहीं	उत्तर प्रदेश	सीतामढ़ी	वित्तीय वर्ष 2021–22	31,08,716	15,54,358	15,54,358	नहीं	सुलभ इंटरनेशनल	सीएसआर 00000185
4	आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश के गुना में एक चेलेशन पंप, लाइब्रेरी कम थैलेसीमिया वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए 'धी विशिंग फैक्ट्री' को वित्तीय सहायता दी।	स्वास्थ्य देखभाल / आकांक्षा जिला।	नहीं	मध्य प्रदेश	गुना	वित्तीय वर्ष 2021–22	18,00,000	9,00,000	9,00,000	नहीं	धी विशिंग फैक्ट्री	सीएसआर 00009569

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान।					धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित राशि सीएसआर खाते में हस्तांतरित (रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)।	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
क्र. सं.	परियोजना का नाम।			राज्य	ज़िला	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)			नाम	सीएसआर (पंजीकरण संख्या)
5	जम्मू-कश्मीर में डोडा जिले में चंगा गोंडोह भलेसा में लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए आईआरसीटीसी ने सेवा भारती, जम्मू और कश्मीर को वित्तीय सहायता दी।	शिक्षा	नहीं	जम्मू-कश्मीर	डोडा	वित्तीय वर्ष 2021-22	48,48,000	24,24,000	24,24,000	नहीं	सेवा भारती	सीएसआर 00001542
6	नर्मदा के पास के गांव के लोगों को एक नदी एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी ने नर्मदा समग्र को वित्तीय सहायता प्रदान की।	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	मध्य प्रदेश		वित्तीय वर्ष 2021-22	38,52,500	26,96,750	11,55,750	नहीं	नर्मदा समग्र	सीएसआर 00019987
7	आईआरसीटीसी ने एननोबल सोशल इनोवेशन, येलोग्रीन स्कूल को लद्दाख में सरकारी स्कूल, थारुक में केंद्रीय आवासीय विद्यालय में बुनियादी ढांचे और क्लस्टर गुणवत्ता शिक्षा में सुधार के लिए आर्थिक रूप से समर्थन दिया।	शिक्षा	नहीं	लद्दाख	लेह	वित्तीय वर्ष 2021-22	70,23,012	30,30,126	39,92,886	नहीं	एननोबल सोशल इनोवेशन	सीएसआर 00003180
	कुल						₹ 2,49,19,930	₹ 1,24,80,234	₹ 1,24,39,696/-			

ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में चालू परियोजनाओं को छोड़कर अन्य मद में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम।	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान।		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य.	ज़िला			नाम	सीएसआर (पंजीकरण संख्या)
1	कमजोर बच्चों को पोषण और मनोरंजक सहायता प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी ने रेलवे चिल्ड्रन इंडिया को वित्तीय सहायता दी।	स्वास्थ्य देखभाल और पोषण	नहीं	उत्तर प्रदेश	गाज़ियाबाद	5,00,000	नहीं	रेलवे चिल्ड्रन इंडिया	सीएसआर 00003904
2	किचन अपग्रेडेशन के लिए फूड ट्रक की खरीद के लिए डॉ. प्रसून चैटर्जी, एम्स द्वारा प्रस्तुत "हेल्दी एजिंग इंडिया" को आईआरसीटीसी को आर्थिक रूप से सहायता दी।	स्वास्थ्य देखभाल और पोषण	नहीं	नई दिल्ली	दिल्ली ईस्ट	4,00,000	नहीं	हेल्दी एजिंग इंडिया	सीएसआर 00005412
3	आईआरसीटीसी कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के लिए एनआरसीएच के कोविड सेल को भोजन और रेलनीर प्रदान कर रहा है।	स्वास्थ्य देखभाल और पोषण	हां	नई दिल्ली	मध्य दिल्ली	5,17,466	नहीं	आईआरसीटीसी उत्तर क्षेत्र	लागू नहीं
4	आईआरसीटीसी ने टीवीएस डिवीजन के 5 रेलवे स्टेशनों पर पेट बॉटल क्रशर यूनिट उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी।	पर्यावरण स्थिरता	हां	केरल	तिरुवनंतपुरम	3,72,125	हां	जीईएम	लागू नहीं
5	आईआरसीटीसी ने 1 एलईडी प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम के लिए ग्रासक ग्रामीण रोजगार अवाम समाज कल्याण समिति, एमपी को वित्तीय सहायता दी।		नहीं	मध्य प्रदेश	भोपाल	2,95,000	नहीं	ग्रासक ग्रामीण रोजगार अवाम समाज कल्याण समिति	सीएसआर 00009523
6	आईआरसीटीसी ने दृष्टिबाधित लोगों के 15 बच्चों की शिक्षा सहायता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्राइट फ्यूचर ऑर्गनाइजेशन फॉर ब्लाइंड मुंबई को वित्तीय सहायता दी।	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	महाराष्ट्र	मुंबई	60,000	नहीं	ब्राइट फ्यूचर ऑर्गनाइजेशन फॉर ब्लाइंड मुंबई	सीएसआर 00010134
7	आईआरसीटीसी ने वृंदावन में मध्यान्ह भोजन के वितरण के लिए अक्षय पात्र संगठन को इलेक्ट्रिक वाहन (ऑटो) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी।	सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता को कम करना	नहीं	उत्तर प्रदेश	वृंदावन	4,50,000	नहीं	अक्षय पात्र संगठन	सीएसआर 00000286
8	आईआरसीटीसी ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए आर्म्ड फोर्सिस फ्लैग डे फंड (एएफएफडीएफ) में योगदान दिया।	शिक्षा	नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया	5,00,000	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम।	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान।		चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य.	ज़िला			नाम	सीएसआर (पंजीकरण संख्या)
9	आईआरसीटीसी ने खड़क, छतरपुर, दक्षिणी दिल्ली के ग्रामीण गांव के विकलांग व्यक्तियों के लिए (बैसाखी और व्हीलचेयर) को खरीद कर दान देने के लिए अनमोल-एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की वित्तीय सहायता दी।	सशस्त्र सेना	नहीं	नई दिल्ली	दक्षिण दिल्ली	5,00,000	नहीं	अनमोल -एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	सीएसआर 00005420
10.	आईआरसीटीसी ने खाद्य पैकेजिंग के लिए कृषि अपशिष्ट से बने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर इनक्यूबेटर और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान के लिए आईआईटी/एम को वित्तीय सहायता दी	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	महाराष्ट्र	मुंबई	60,50,000	नहीं	आईआईटी बॉम्बे	लागू नहीं
11.	केंद्रीय कल्याण कोष में सशस्त्र सेना के तहत निधि में योगदान के लिए सीआरपीएफ का प्रस्ताव	अनुसंधान एवं विकास	नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया	2,87,000	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	स्वच्छ भारत के लिए वित्तीय सहायता	सशस्त्र सेना	नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया	1,33,27,649	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
13.	कोविड-19 की सहायता के लिए पीएम केयर्स फंड के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	पैन इंडिया	पैन इंडिया	3,00,00,000	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
		कुल				5,3259,240			

(घ) प्रशासनिक उपखर्च में खर्च की गई राशि: ₹ 5,06,220/-

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8b +8c +8d + 8e): ₹ 7,86,85,390/-

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।			आने वाले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	हस्तांतरण की तिथि	
1.	2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	2019-20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	2020-21	8,72,000/-	6,72,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	2,00,000/-

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि। (₹ में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/ चल रही है
1.	आईआरसीटीसी-सीएसआर आईडी -05/2020-21	शुजालपुर ब्लॉक में गांवों के युवाओं को तकनीकी ज्ञान बढ़ाने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करने के लिए खेल उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	2020-21	1 वर्ष से अधिक	3,00,000	3,00,000	3,00,000	समाप्त हुआ
2.	आईआरसीटीसी-सीएसआर आईडी -15/2020-21	1 ई-टेम्पो के प्रायोजन के लिए मैसर्स नवचेतना स्वाभिमान चैरिटेबल फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	2020-21	1 वर्ष से अधिक	3,72,000	3,72,000	3,72,000	समाप्त हुआ
3.	आईआरसीटीसी-सीएसआर आईडी -04/2020-21	मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के 08 प्रखंडों में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण अभियान के आयोजन हेतु साथी जनशिक्षण एवं संस्कृति समिति को वित्तीय सहायता	2020-21	1 वर्ष से अधिक	2,00,000	शून्य	शून्य	चल रहा है
		कुल			8,72,000	6,72,000	6,72,000	

10. **पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण)।**

    क. **पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तारीख :** लागू नहीं

    ख. **पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि :** लागू नहीं

    ग. **संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि :** लागू नहीं

    घ. **सृजित या अधिग्रहीत की गई पूंजीगत परिसंपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित) :** लागू नहीं

11. **यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो उसका कारण बताएं:** लागू नहीं

दिनांकः 21.06.2022	**(रजनी हसीजा)**	**(अजीत कुमार)**	**(संदीप त्रिवेदी)**
स्थानः नई दिल्ली	सीएसआर और एसडी समिति के अध्यक्ष	निदेशक (वित्त) और सीएफओ	सीएसआर के लिए नोडल अधिकारी के रूप में समूह महाप्रबंधक (मा.स.वि.)

व्यापारिक उत्तरदायित्व सतत रिपोर्ट (बीआरएसआर)

इस आधुनिक दुनिया में, व्यवसायों के कार्य करने के तरीके में एक प्रतिमान बदलाव आया है। महामारी ने केवल इस सकारात्मक परिवर्तन को गति दी। महामारी और उसकी लहरों द्वारा हुए व्यवधान का सामना करने की क्षमता से आईआरसीटीसी की समुत्थानशक्ति का पता चलता है। जैसा कि इस अध्ययन में देखा जाएगा, हमने पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है। वर्तमान और भविष्य दोनों में, अपने हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों को बनाए रखने और उससे अधिक करने की हमारी क्षमता, हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मजबूत प्रशासन और सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों पर लगातार ध्यान देकर हमने व्यावसायिक सफलता प्राप्त की है।

आईआरसीटीसी ने हमेशा अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण के केंद्र में स्थिरता को रखा है। आज और कल के लिए, अपने हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की हमारी क्षमता हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने अनुकरणीय प्रशासन और पारिस्थितिक और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही पर ध्यान देने के साथ सफलता को संतुलित किया है।

जिम्मेदार व्यवसाय के शुरुआती प्रस्ताव के रूप में, हमने अपने कार्यों में पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन (ईएसजी) कारकों को एकीकृत करने के अपने दायित्व को स्वीकार कर लिया है।

हमारे बीआरएसआर में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34(2)(एफ) द्वारा परिभाषित प्रमुख सिद्धांतों पर हमारी प्रथाओं और प्रदर्शन पर किए सवालों के जवाब शामिल हैं, जिसमें ईएसजी आयामों के विषय शामिल हैं।

भाग क: सामान्य प्रकटीकरण

I. लिस्टेड इकाई का विवरण

1.	**लिस्टेड इकाई का कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन)।**	L74899DL1999GOI101707
2.	**लिस्टेड इकाई का नाम**	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
3.	**निगमन का वर्ष**	1999
4.	**पंजीकृत कार्यालय का पता**	11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
5.	**कॉरपोरेट पता**	11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
6.	**ईमेल**	investors@irctc.com
7.	**टेलीफोन**	011-23311263-64
8.	**वेबसाइट**	www.irctc.com
9.	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है**	वित्तीय वर्ष 2021-22
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं**	बीएसई लिमिटेड (बीएसई) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
11.	**प्रदत्त पूंजी**	₹ 160 करोड़
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है**	**नाम**: श्री संदीप त्रिवेदी **पदनाम**: समूह महाप्रबंधक (मा.स.वि.) **दूरभाष नंबर**: 011-23701238 **ईमेल आईडी**: ggmhrd@irctc.com
13.	**रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (इकाई और सभी इकाई के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, जिसे एक साथ लिया जाता है) किया जाता है।**	इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर किए जाते हैं।

II. उत्पाद/ सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1	कैटरिंग	कंपनी कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग, बोतलबंद पेयजल (रेल नीर) और राज्य तीर्थ सहित पर्यटन और टूरिज्म के व्यवसाय में लगी हुई है।	26.54
2	इंटरनेट टिकटिंग		54.32
3	रेल नीर		9.17
4	पर्यटन		8.36
5	राज्य तीर्थ		1.61

15. इकाई द्वारा बेचे जाते उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/ सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में % योगदान
1	कैटरिंग	561, 562	26.54
2	इंटरनेट टिकटिंग	631	54.32
3	रेल नीर	110	9.17
4	पर्यटन	791, 799	8.36
5	राज्य तीर्थ		1.61

III. संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्र/इकाइयों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	26 (15 रेल नीर प्लांट और 11 बेस किचन)	18 (5 जोनल कार्यालय, 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 कॉरपोरेट कार्यालय, 1 इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय और 1 पर्यटन कार्यालय)	44
अंतर्राष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

17. इकाई द्वारा सेवित बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	आईआरसीटीसी का संचालन राष्ट्रव्यापी है और कंपनी की सेवाएं पूरे भारत में उपलब्ध हैं। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय टूर और यात्रा पैकेज की बुकिंग में भी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के 13 राज्यों यानि दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अपने जोनल कार्यालय, इकाइयां, क्षेत्रीय कार्यालय और संयंत्र हैं।
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. इकाई के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है? शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त

कंपनी के समग्र व्यवसाय में रेल मंत्रालय, भारत सरकार का योगदान है, जिसमें रेल यात्रियों के लिए इंटरनेट टिकटिंग की सुविधा, भारत के भीतर ट्रेनों और स्टेशनों पर खानपान सेवाएं प्रदान करना; कंपनी द्वारा प्रस्तावित पर्यटक पैकेज (इनबाउंड और आउटबाउंड) का लाभ उठाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को बोतलबंद पेयजल (रेल नीर) प्रदान करने जैसी सुविधाएं शामिल है।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/ क)	सं.(ग)	%(ग/ क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	1408	1294	91.90 %	114	8.10%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	563	415	73.71%	148	26.29%
3.	कुल कर्मचारी (घ +ङ)	1971	1709	86.70%	262	13.30%
	श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)					
6.	कुल श्रमिक (च + छ)					

नोट:

1. आईआरसीटीसी के सभी जनशक्ति को 'कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और किसी को भी 'श्रमिक' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसलिए सभी वर्गों में, 'श्रमिक' श्रेणी के लिए मांगे गए विवरण आईआरसीटीसी पर लागू नहीं होते हैं।
2. स्थायी श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी में आउटसोर्स, प्रशिक्षु और शिक्षार्थी शामिल हैं।

ख. विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
	विकलांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	11	11	100%	शून्य	लागू नहीं
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	–	–	–	–	–
3.	कुल विकलांग कर्मचारी (घ+ङ)	11	11	100%	शून्य	लागू नहीं
	विकलांग श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (छ)					
6.	कुल विकलांग श्रमिक (च+ छ)					

* विकलांग में श्रवण, दृश्य, लोकोमोटर, आर्थोपेडिक और अन्य शामिल हैं।

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (अ)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं.(इ)	%(इ/अ)
निदेशक मंडल	7	1	14.29
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक*	4	2	50.00

* प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त) और सीएफओ, निदेशक (पर्यटन और विपणन), निदेशक (खानपान सेवाएं) और कंपनी सचिव (सीएस) शामिल हैं। इसके अलावा, केएमपी को 31 मार्च, 2022 तक के वास्तविक आधार पर लिया जाता है।

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों की प्रवृत्ति प्रकट करें)

	वित्तीय वर्ष 2021–22 का टर्नओवर दर			वित्तीय वर्ष 2020–21 का टर्नओवर दर			वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्नओवर दर		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	1.54%	0.87%	1.49%	2.37%	0	2.18%	0.60%	1.70%	0.69%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं								

V. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उपक्रम सहित)

21. (a) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रम के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग /सहायक / सहयोगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम का नाम (क)	इंगित करें कि क्या होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	लिस्टेड इकाई द्वारा रखे गए शेयरों का%	क्या कॉलम अ में दर्शाई गई इकाई लिस्टेड इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/ नहीं)

1 रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) नामक, 50:50 इक्विटी के साथ कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ कंपनी का एकमात्र संयुक्त उद्यम है, जिसे 27 नवंबर, 2008 को शामिल किया गया था,जिसका उद्देश्य लग्जरी ट्रेन प्राप्त करने, साज-सज्जा करने, बनाए रखने, प्रबंधित करने और संचालित करने और ऐसी लग्जरी ट्रेनों को केंद्र में रखकर हॉलिडे पैकेज की मार्केटिंग करना था।

तदनुसार, कंपनी द्वारा 23 कोचवाली एक लक्जरी ट्रेन का निर्माण, साज-सज्जा और वित्त पोषण किया गया था और इसे महाराजा एक्सप्रेस के नाम से विपणन किया गया था और इसे रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन चलाने, संचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से 15 वर्ष के पट्टे पर दिया गया था। हालांकि, इक्विटी भागीदारों के बीच कुछ मुद्दों के कारण, लक्जरी ट्रेन का पट्टा वापस ले लिया गया था और 10 दिसंबर, 2008 का संयुक्त उद्यम समझौते को 12 अगस्त 2011 को समाप्त कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी को उक्त लक्जरी ट्रेन संचालित करने की अनुमति दी । इसके बाद, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते की बहाली की मांग करते हुए समाधान की कार्यवाही शुरू की। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष समाधान अंतिम सुनवाई के चरण में है।

आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 388बी, 397, 398, 399 और 403 के अंतर्गत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्व कंपनी लॉ बोर्ड) के समक्ष रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध एक याचिका भी दायर की है और उक्त याचिका विचाराधीन है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। एनसीएलटी ने उक्त कंपनी (आरआईआरटीएल) को प्रबंधकीय विवाद घोषित किया है। संयुक्त उद्यम का विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नोट संख्या 37.2 और 45 के वित्तीय विवरणों के लेखों के नोट्स में शामिल है। पार्टियों ने जुलाई, 2013 में इसकी मंजूरी के बिना आरआईटीआरएल की बोर्ड और आम बैठकें आयोजित नहीं करने के लिए एनसीएलटी से भी अनुमति ली है।

VI. सीएसआर विवरण

22. i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है : हां, कृपया बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध "सी" को देखें

ii) **टर्नओवर (रुपये में):** 1879.48 करोड़

iii) **कुल मूल्य (रुपये में):** 1883.88 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / परिवाद:

कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों सहित आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग और पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय समुदाय, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, ठेकेदार, निवेशक, शेयरधारक, सरकार, नियामक, सहकर्मी और उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं)। (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	कंपनी के पास अपनी सीएसआर नीति को लागू करने के लिए समर्पित एक आंतरिक विभाग है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी के पास किसी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक विशेषज्ञता की कमी होती है, यह विशेष संगठनों, जैसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों, पंजीकृत ट्रस्टों और सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से गठित संस्थाओ की मदद लेती है। सीएसआर विज़न दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf पर देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 21 और वित्तीय वर्ष 22 के दौरान कंपनी की न तो कोई शिकायत लंबित थी और न ही कोई शिकायत प्राप्त हुई थी।						
निवेशक (रिटेल शेयरधारकों के अलावा)	वर्तमान और संभावित निवेशकों को जोखिम और समस्या सहित कंपनी के संचालन के बारे में सूचित करने के लिए आईआरसीटीसी नियमित रूप से निवेशकों और विश्लेषकों की बैठक आयोजित करता है। प्रस्तुतियाँ, प्रतिलेख, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, साथ ही स्टॉक मार्केट फाइलिंग, सभी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं। निवेशकों के सवालों का जवाब देने के लिए वित्त विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी को कंपनी द्वारा मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) भी नामित किया गया है। सीआईआरओ की जानकारी और संपर्क जानकारी के लिए लिंक कंपनी की वेबसाइट https://irctc.com/investor-contact.html पर पाया जा सकता है। निवेशकों ने वित्तीय वर्ष 21 और वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आईआरसीटीसी से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।						

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं)। (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
शेयरधारक	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की आवश्यकताओं के अनुसार, कंपनी के पास एक हितधारक संबंध समिति है जो शेयरधारक हित के विभिन्न क्षेत्रों की जांच करती है। एलनकिट असाइनमेंट्स लिमिटेड (कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट) के अनुसार, 2020-21 के दौरान 37 शेयरधारक की शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 31 मार्च, 2021 तक सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया। 2021-22 के संबंध में, 17 शिकायतें प्राप्त हुईं और तुरंत हल किया। 26 मार्च, 2018 को जारी सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/IGRD/CIR/P/2018/58 में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को संबोधित किया गया है, जो निवेशकों को सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर) का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कंपनी तुरंत उन चिंताओं को दूर करती है जो स्कोर्स पोर्टल पर दर्ज होती हैं।						
कर्मचारी और श्रमिक	आईआरसीटीसी अपने व्यवसाय को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए समर्पित है और अपने कर्मचारियों को ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित है जहां वे कंपनी द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी भी गलत कार्यों और अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के बारे में चिंताओं की सूचना देने में सहज महसूस करें। कर्मचारियों को व्हिसल ब्लोअर के रूप में कार्य करने के लिए एक आधार देने के उद्देश्य से कंपनी के पास एक व्हिसल ब्लोअर नीति है। यह उन कर्मचारियों की सुरक्षा करता है जो कंपनी में विसंगतियों के मुद्दे पर आवाज उठाना चाहते हैं। कंपनी की व्हिसिल ब्लोअर नीति को निम्नलिखित लिंक: https://irctc.com/assets/images/Whistle Blowers new.pdf पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 21 या वित्तीय वर्ष 22 के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर आरोप दायर नहीं किया गया है। हम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और इसके प्रावधानों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को खत्म करने के लिए समर्पित है और ऐसे मामलों की सूचना मिलने पर तुरंत करवाई करती है। अधिनियम के अनुपालन में, आईआरसीटीसी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय के साथ-साथ कंपनी के जोनल कार्यालयों में अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट संरचनावाली आंतरिक शिकायत समिति (समितियों) को नामित किया है। वित्तीय वर्ष 21 में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। हालांकि, कंपनी को वित्तीय वर्ष 22 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी संबंधित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने जांच की और उसका समाधान किया।						
ग्राहक	रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कंपनी के संपूर्ण संचालन में योगदान देता है, जिसमें ट्रेन यात्रियों को ऑनलाइन टिकट खरीदने का विकल्प देना, पूरे भारत में ट्रेनों और स्टेशनों पर भोजन पहुंचाना और उन्हें बोतलबंद पेयजल (रेल नीर) देना शामिल है। आईआरसीटीसी की एक समर्पित इकाई है जो अपने वेब-आधारित खानपान सेवा सूचना प्रबंधन मॉड्यूल (ई-सीआईएसएम) पर ग्राहकों की शिकायतों को संभालती है। इस पोर्टल पर, आईआरसीटीसी को खानपान को लेकर 5,596 शिकायतें मिलीं, इन सभी का समय रहते समाधान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, सीपीजीआरएएम द्वारा 1,660 शिकायतों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिनमें से 1630 शिकायतों का निपटान किया गया, शेष 30 को आगामी वित्तीय वर्ष में निपटाया जाना था। इसके अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हॉटलाइन नंबर (139) पर 99 शिकायतें प्राप्त हुईं, और उन सभी का समाधान किया गया।						
वैल्यू चैन पार्टनर्स	क्षेत्रों, ज़ोन और कार्यालयों में, विक्रेताओं, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि उनकी किसी भी समस्या या चिंताओं का तुरंत समाधान किया जा सकें। इसके अतिरिक्त, वैल्यू चैन पार्टनर्स से आग्रह किया जाता है कि वे स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा आदि के लिए कंपनी द्वारा स्थापित सुरक्षा आवश्यकताओं को बनाए रखें। साथ ही, सभी वैल्यू चैन पार्टनर्स को यह भी बताया जाता है कि कंपनी के स्थापित सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए औचक निरीक्षण किया जा सकता है। वैल्यू चैन पार्टनर्स द्वारा की गई सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों द्वारा आवधिक बैठकों के माध्यम से हल किया जाता है और वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है।						

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभाव इंगित करें:

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
1	साइबर सुरक्षा घटनाओं और डेटा उल्लंघनों के बढ़ते मामले	अवसर, जोखिम	**अवसर: –** 1. साइबर सुरक्षा सेवा का प्रस्ताव और साइबर वॉच, साइबर स्कैन, साइबर गेज़, साइबर कम्पास, साइबर नेक्स्ट के मॉड्यूल जैसे समाधानों से राजस्व में वृद्धि। 2. हमारे साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करने के लिए वैश्विक साइबर सुरक्षा समाधान कंपनियों के साथ मजबूत कार्यनीति साझेदारी स्थापित करना। 3. हमारी सूचना सुरक्षा प्रथाओं में उद्योग के अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त होने और सभी वैश्विक परिचालनों में अग्रणी डेटा गोपनीयता मानकों को अपनाने से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा।	पिछले एक वर्ष में कोविड के दौरान, हमारे कर्मचारियों ने रिमोट और हाइब्रिड कार्यबल के रूप में कुशलता से काम किया, हम साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे के परिदृश्य के बारे में लगातार सतर्क रहे। मजबूत साइबर सुरक्षा प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए, टीम विश्व स्तर पर उभरती साइबर सुरक्षा घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है ताकि उच्च अनुपालन और इसके निरंतर रखरखाव को प्राप्त किया जा सके। एक सकारात्मक साइबर सुरक्षा संस्कृति चलाना हमारी मजबूत साइबर सुरक्षा कार्यनीति का एक प्रमुख घटक है। यह विभिन्न सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।	**सकारात्मक:** उन्नत साइबर सुरक्षा समाधानों के माध्यम से आईआरसीटीसी और उसके ग्राहकों के लिए साइबर सुरक्षा खतरों को कम करना।

क्र. सं.	सामग्री समस्या की पहचान की गई	इंगित करें कि क्या जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
			जोखिम:– 1. साइबर सुरक्षा घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान से हमारी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है और हम अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। 2. गोपनीयता भंग होने पर हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है और हम पर वित्तीय देयताएं आ सकती हैं।	हम लगातार प्रोसेसर और नियंत्रक के रूप में अपनी देयताओं का आकलन करते हैं और जोखिमों को कम करने के लिए, जहां आवश्यक हो, नियंत्रण लागू करते हैं। हमने गोपनीयता उल्लंघनों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार और कार्यान्वित किया है।	
2	कार्यबल और कार्य वातावरण की बदलती अपेक्षाएँ	अवसर, जोखिम	**अवसर:** 1. सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी अनुभव की सुविधा और हमारे प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं के बीच मान्यता प्राप्त होने से हमें प्रतिभा को आकर्षित करने, नियुक्त करने और बनाए रखने में मदद मिलेगी। 2. सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उत्पादकता में सुधार के लिए विविध कार्यबल का निर्माण करना। **जोखिम:** 1. दीर्घावधि के आधार पर दूरस्थ स्थानों से बाहर काम करने के लिए कर्मचारियों की वरीयता, ग्राहकों से कार्यालय लौटने की अपेक्षाओं के साथ, यदि पर्याप्त रूप से प्रबंधित नहीं की जाती है, तो यह संघर्षण, ग्राहक संतुष्टि और लाभप्रद रूप से बढ़ने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकती है।	हमने 'कनेक्ट, कोलेबोरेट और केयर' के डिजिटल अनुभव के साथ, महामारी के कारण होने वाले व्यवधान के जवाब में, अपनी कल्याण पहलों की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाया है। हमने अपने कर्मचारियों को टीकाकरण केंद्रों, अस्पताल सहायता, कोविड देखभाल केंद्रों और अन्य जैसे उपायों के माध्यम से महामारी से निपटने में सहायता की।	**सकारात्मक:** आईआरसीटीसी कर्मचारी अनुभव में सुधार और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि।
3	विघटनकारी पर्यावरण परिवर्तन की बढ़ती संभावना	अवसर, जोखिम	**अवसर:** 1. पर्यावरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं में बढ़ी हुई मांग से राजस्व में वृद्धि। रेल नीर संयंत्रों में ऊर्जा के कम-उत्सर्जन स्रोतों (नवीकरणीय) के उपयोग से बचत। **जोखिम:** 1. पर्यावरण परिवर्तन के जोखिम हमारे व्यापार में कार्यनीतिक जोखिमों, भौतिक जोखिमों और संक्रमणकालीन (बाजार और अनुपालन) जोखिमों के रूप में तेजी से प्रकट हो रहे हैं, जो यदि पर्याप्त रूप से प्रबंधित नहीं किए जाते हैं, तो हमारे संचालन और लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं।	1. रेल नीर की सभी पैकेजिंग सामग्री को रिसाइकिल किया जा सकता है 2. आईआरसीटीसी अपना खुद का रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित कर सकती है।	**सकारात्मक:** आईआरसीटीसी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और इसकी स्थिरता, कम कार्बन संक्रमण का उपयोग कर ग्राहकों की प्राथमिकताओं का लाभ उठाना और डिजिटल / आईटी विशेषज्ञता का उपयोग करके अपने ग्राहकों को उनकी स्थिरता और कम कार्बन यात्रा में मदद करना है। **नकारात्मक:** पर्यावरण मानकों को पूरा करने में परिचालन लागत में वृद्धि।

भाग ख: प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

इस भाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण का प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1.ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/ नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
1.ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	पी1	• बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता (https://irctc.com/assets/images/code-of-conducts-for-board-members-and-senior-management.pdf); • कर्मचारियों के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता (https://irctc.com/assets/images/code-of-conducts-for-board-members-and-senior-management.pdf); • व्हिसल ब्लोअर नीति (https://irctc.com/assets/images/Whistle_Blowers_new.pdf); • धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति (https://irctc.com/assets/images/fraud-prevention-policy.pdf)							

प्रकटीकरण का प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	पी2	• खरीद नीति (https://irctc.com/procurement-policy.html); • पीएडी इम्पैनलमेंट नीति (https://irctc.com/empanelment.html); • रेडी टु इट नीति (https://irctc.com/assets/images/RTE%20updated%20%20October%202021%20(1).pdf)							
	पी3	सेवा की सामान्य स्थिति, सामान्य सेवा आचरण नियम, पदोन्नति, डी एंड एआर, छुट्टी, लीज, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा, दयापूर्ण आधार पर नियुक्ति, और इसी तरह की मानव संसाधन नीतियां हमारे इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।							
	पी4	• सीएसआर विजन दस्तावेज (https://irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf); • लाभांश वितरण नीति (https://irctc.com/assets/images/IRCTC_DIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-_31.07.2019_CB%20Comments%20[05.08.2019].pdf); • संबंधित पार्टी लेनदेन नीति (https://irctc.com/assets/images/IRCTC_Related%20Party%20Transactions-_03.08.2019.pdf); • भौतिकता नीति (https://irctc.com/assets/images/Materiality_Policy.pdf); • घटनाओं या प्रकटीकरणों की भौतिकता के निर्धारण पर नीति (https://irctc.com/assets/images/IRCTC_Policy%20on%20determination%20of%20materiality%20of%20events%20or%20disclosures.pdf)							
	पी5	सेवा की सामान्य स्थिति, सामान्य सेवा आचरण नियम, पदोन्नति, डी एंड एआर, छुट्टी, लीज, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा, दयापूर्ण आधार पर नियुक्ति, और इसी तरह की मानव संसाधन नीतियां हमारे इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं।							
	पी6	सीएसआर विजन दस्तावेज (https://irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf);							
	पी7	–							
	पी8	• सीएसआर विजन दस्तावेज (https://irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document.pdf); • खरीद नीति (https://irctc.com/procurement-policy.html); • पीएडी इम्पैनलमेंट नीति (https://irctc.com/empanelment.html); • रेडी टु इट नीति (https://irctc.com/assets/images/RTE%20updated%20%20October%202021%20(1).pdf)							
	पी9	• खानपान सेवा सूचना प्रबंधन या (ई-सीएसआईएम) (www.catering.irctc.co.in) • रेल मदद (www.railmadad.indianrailways.gov.in) • ट्रेन सूचना पूछताछ सेवाएं (https://contents.irctc.co.in/en/TIES_Policy.pdf)							
2. **क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां /नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3. **क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके वैल्यू चैन पार्टनर्स तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं)**	कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार अपने संबंधित अनुबंधों/करारों और निविदाओं के नियमों और शर्तों में इस तरह के भाग को शामिल करके भूमि के कानून का पालन करते हैं।								

प्रकटीकरण का प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
4. **आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों (फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्ट) मानकों (एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किए गए।**	• नांगलोई (नई दिल्ली), दानापुर (बिहार), पलूर (तमिलनाडु) और बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में रेल नीर संयंत्र को आईएसओ: 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन और रेल नीर संयंत्र अंबरनाथ को आईएसओ: 22000-2015 प्रमाणन प्राप्त है। • कीटनाशक अवशेषों के लिए रेल नीर की गुणवत्ता यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के मानदंडों के अनुरूप है; • कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार रेल नीर की पैकेज्ड पेयजल की बोतलों के लेबल पर उत्पाद जानकारी दर्शाती है; • संयंत्र प्रौद्योगिकी बीआईएस मानक आईएस 14543-2004 के अनुरूप पानी की गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के आठ चरणों का उपयोग करती है; • खाद्य पदार्थों के नमूने नियमित रूप से एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे जाते हैं; • एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आरटीई के खाद्य नमूनों और पीएडी वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है; • अपने यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के लिए पीसीआई डीएसएस सुरक्षा प्रमाणन।								
5. **इकाई द्वारा परिभाषित समयसीमा के साथ निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धता, लक्ष्य और उद्देश्य, यदि कोई हो।**	वित्तीय वर्ष 23 के लिए कंपनी की निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य हैं: • कोच में सुधार, भारत गौरव यात्रा कार्यक्रम और लागत, गैर-किराया राजस्व की योजना आदि सहित कई उपायों को भारत गौरव ट्रेनों का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए ध्यान में लिया गया है; • पूरे भारत में कॉरपोरेट यात्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू के साथ साझेदारी; • आईआरसीटीसी वेबसाइट www.hotel.irctctourism.com और इसके सहयोगी पोर्टल पर एक्स्ट्रानेट/एपीआई लेबल/इन्वेंटरी आधारित समाधान के माध्यम से बिक्री के लिए आवास सूची प्रदान करने के लिए अधिक चेन होटल और एग्रीगेटर (आवास भागीदार) को सूचीबद्ध करना; • तीसरे पक्ष के संगठनों तक विस्तार करके चैटबॉट सेवाओं का मुद्रीकरण; • राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप; • अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी लाइफ जैसी लोकप्रिय ई-कॉमर्स फर्मों के साथ साझेदारी में अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ई-मार्केट प्लेस और बिल भुगतान/रिचार्ज सेवाएं और अन्य तृतीय-पक्ष सेवाएं जैसे ऑनलाइन बीमा प्रदान करना। • तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म को भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करना; • 139 हेल्पलाइन सेवाओं के लिए ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन – एक उभरती हुई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रारंभ करना; • नए रेल नीर संयंत्रों की स्थापना और उपयोग; • थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ऑडिट- यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जा रही है ; • ट्रेन में प्रदान करने के लिए भोजन की अधिकतम आपूर्ति के लिए ज्यादा रसोइ का उन्नयन; • एसडीके (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट) को टिकटिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करना; • उत्पादन इकाइयों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना।								
6. **विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो उसका कारण दे।**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रकटीकरण का प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9

प्रशासन, नेतृत्व और निरीक्षण

7. **व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा विवरण, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों की मुख्य बाबतों को उल्लेखित किया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के प्लेसमेंट के संबंध में छूट है)**

आईआरसीटीसी में, हम पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू करके और प्रदूषण से बचने, कम करने और नियंत्रित करने वाली सामग्री का उपयोग करके अपने संचालन, उत्पादों और सेवाओं से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की पहल की हैं। हमारा मजबूत कॉरपोरेट अभिशासन तंत्र प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों के अनुपालन और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करता है।

खानपान के संचालन में, कंपनी ने ऊर्जा और पानी बचाने के लिए कई तकनीकों को अपनाया है जैसे कि पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर के बजाय पाइप्ड प्राकृतिक गैस आधारित खाना पकाने और बेस किचन एनडीएलएस में सफाई, धुलाई और बाथरूम में आरओ अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करना। इसने 3x36 वाट / 2x40 वाट लाइट को ऊर्जा-कुशल 28-वाट एलईडी लाइट फिक्स्चर से बदल दिया है। हमारा उद्देश्य एक स्वच्छ, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को उत्तरोत्तर अनुकूलित/कम करना है।

रजनी हसीजा

निदेशक (पर्यटन और विपणन) और सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार)

8. **व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण का विवरण।**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में कंपनी का निदेशक मंडल सर्वोच्च प्राधिकारी है, जो शेयरधारकों के हित की सुरक्षा और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रस्टी की क्षमता में, बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और उससे अधिक करने के लिए एक स्पष्ट विज़न, मिशन और लक्ष्य हैं
9. **क्या संस्था के पास सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/ निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/ नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें**	सीएसआर और सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कंपनी के पास बोर्ड स्तर की सीएसआर और सतत विकास समिति है। समूह महाप्रबंधक (एचआरडी) सीएसआर और एसडी समिति के नोडल अधिकारी हैं। 31 मार्च, 2022 तक सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्र. सं.	विवरण	पद
1.	**श्रीमती रजनी हसीजा** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष
2.	**श्री अजीत कुमार** निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	सदस्य
3.	**श्री देबाशीष चंद्रा** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
4.	**श्री नीरज शर्मा** सरकार नामित निदेशक	सदस्य
5.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

10. **कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**

समीक्षा का विषय	**बताएं कि क्या समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी**	**आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)**
	पी1 पी2 पी3 पी4 पी 5 पी6 पी7 पी8 पी 9	**पी1 पी2 पी3 पी4 पी 5 पी6 पी7 पी8 पी 9**
उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	एक अभ्यास के रूप में, कंपनी की बीआर नीतियों की समय-समय पर या आवश्यकता के आधार पर विभागीय और खंड प्रमुखों द्वारा समीक्षा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावकारिता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।	
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	सभी जीजीएम स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन नोट के बाद विभिन्न लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।	तिमाही

प्रकटीकरण का प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन करवाया है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी6	पी 7	पी 8	पी9
	सर्वोत्तम प्रथाओं के दृष्टिकोण के साथ-साथ जोखिम के दृष्टिकोण से, नीतियों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और विभिन्न विभागीय और खंड प्रमुखों द्वारा अद्यतन किया जाता है और प्रबंधन या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नियमित रूप से, बीआर नीतियों के कार्य का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। आने वाले समय में, कंपनी इसके लिए बाहरी मूल्यांकन भी कर सकती है।								
12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है (नीति में सभी सिद्धांत शामिल नहीं हैं), तो कारण बताएं									
प्रश्न	**पी 1**	**पी 2**	**पी 3**	**पी 4**	**पी 5**	**पी6**	**पी 7**	**पी 8**	**पी9**
संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां/नहीं)									
इकाई उस चरण में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू कर सके (हां/नहीं)									
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)					**लागू नहीं**				
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

भाग ग: सिद्धांत-वार कार्य निष्पादन का प्रकटीकरण

सिद्धांत 1	**व्यापारिक गतिविधियां नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं चलाई और संचालित की जानी चाहिए।**

आवश्यक संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का%
निदेशक मंडल	2	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम और सार्वजनिक उद्यम विभाग और आईसीएआई द्वारा सीपीएसई के गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों की क्षमता निर्माण पर ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। **प्रभाव:** प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें निदेशक मंडल द्वारा भाग लिया गया था, उसका उद्देश्य उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों, सहयोगी नेतृत्व, उचित बोर्ड प्रथाओं, विकासशील और कार्यान्वयन नीतियों और प्रक्रियाओं और आदि के लिए एक स्वतंत्र परिप्रेक्ष्य प्रदान करना था।	100
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	15	सतर्कता जागरूकता, खरीद/आपूर्ति अनुबंध और कमाई अनुबंध, खानपान व्यवसाय (खतरे और अवसर), सामान्य वित्तीय नियम और लेखा परीक्षा, निविदा समिति में वित्त की भूमिका और परिचालन मामले - उद्देश्य और सीमाएं, आईआरसीटीसी निविदाओं/अनुबंधों से संबंधित कानूनी मामले, आरटीआई, श्रम कानून आदि, गुणवत्ता नियंत्रण, ग्राहक सेवा, शिकायत निपटान और निरीक्षण-रिपोर्ट, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा-सामान्य जागरूकता, सामान्य संचालन प्रबंधन के सिद्धांत और अभ्यास, सेवा आचरण नियम और डी एंड एआर, पावर और इनसाइडर ट्रेडिंग की अनुसूची (प्रारंभिक ज्ञान), डी एंड एआर के तहत प्रक्रियात्मक कोड जैसे पत्र जारी करना, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच के आदेश देना, क्या करें और क्या न करें और अनुशासनात्मक प्राधिकरण, कंपनी कानून (प्रारंभिक ज्ञान), पोश (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम)	100

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का%
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है **केएमपी और कर्मचारियों पर प्रभाव:** केएमपी और कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रचलित नियमों और प्रथाओं के बारे में जवाबदेही और जागरूकता लाई गई। इन प्रशिक्षणों का फोकस नियमों के बेहतर पालन और उन्नत तकनीकों के ज्ञान में वृद्धि और अधिक आत्म-जागरूक होकर काम में बदलाव लाने पर था।		
श्रमिक	लागू नहीं		

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/सजा/अवार्ड/कम्पाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण:** शून्य

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में, अपील/संशोधन के विवरण उन मामलों में पसंद किए जाते हैं जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है:** लागू नहीं।

4. **क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

   हां, आईआरसीटीसी ने दो अलग-अलग संहिता निर्धारित की हैं, जैसे बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यापार नैतिकता और आचार संहिता और कंपनी का विज़न और मिशन के अनुरूप आईआरसीटीसी के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। कंपनी के पास व्हिसल ब्लोअर तंत्र और धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति भी है। संगठन के भीतर कर्मचारियों के लिए किसी भी नैतिक मुद्दे की सूचना देने के लिए व्हिसल ब्लोअर तंत्र निर्धारित किया गया है।

   धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति आईआरसीटीसी के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक,अंशकालिक या एडहॉक/अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों) के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या आईआरसीटीसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) के प्रतिनिधियों से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के लिए प्रकटीकरण की प्रणाली प्रदान करती है।

व्हिसल ब्लोअर नीति	https://www.irctc.com/assets/images/Whistle_Blowers_new.pdf
धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति	https://www.irctc.com/assets/images/fraud-prevention-policy.pdf
कर्मचारियों के लिए आचार संहिता और व्यापार आचरण	https://www.irctc.com/assets/images/code_conduct%20_employees.pdf
बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता और व्यापार आचरण	https://www.irctc.com/assets/images/code-of-conducts-for-board-members-and-senior-management.pdf

5. **निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:** कोई नहीं

6. **हित के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:** कोई नहीं

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें:** कोई नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर वैल्यू चैन पार्टनर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए:**

आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए वैल्यू चैन पार्टनर्स का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के अनुसार)।
कंपनी अपने वैल्यू चेन पार्टनर्स (ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं) के लिए बोली पूर्व बैठकें, परामर्श बैठकें, वेबिनार आदि के माध्यम से समय-समय पर सीबीएसपी (सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण) पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती रही है।		

नेतृत्व संकेतक

2. **क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।**

   हां, कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने बोर्ड के सदस्यों और केएमपी से उन संस्थाओं पर एक वार्षिक घोषणा (समय-समय पर संशोधित) प्राप्त करती है, जिनमें वे रुचि रखते हैं और क़ानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करते हैं और साथ ही ऐसी संस्थाओं / व्यक्तियों के साथ लेन-देन करने से पहले कंपनी की नीतियां लागू की जाती हैं।

सिद्धांत 2	**व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा ऐसी सामग्री और सेवाएं उपलब्ध कराइ जानी चाहिए, जो सुरक्षित हों और पूरी कार्यावधि के भीतर निरंतर योगदान देती हों।**

आवश्यक संकेतक

1. **उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और कैपेक्स निवेश है।**

   आपकी कंपनी विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं नहीं करती है क्योंकि इस तरह के डोमेन में इसकी उपस्थिति नहीं है। हालांकि, तकनीकी क्षमता में सुधार करने और क्षमता बढ़ाने के लिए, कुछ तरीकों और तकनीकों को विकसित किया गया है और इसके व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए नवीन प्रणालियां शुरू की गई हैं। कंपनी द्वारा उपर्युक्त गतिविधियों पर खर्च किए गए कैपेक्स का उल्लेख नीचे किया गया है

विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण+
अनुसंधान एवं विकास	--	--	लागू नहीं
कैपेक्स	₹ 51.99 करोड़	₹ 77.34 करोड़	आईआरसीटीसी द्वारा अपने संचालन, उत्पादों और सेवाओं से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रथाओं, सामग्रियों और उत्पादों का उपयोग करके प्रदूषण से बचने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास और पहल की जाती हैं।

2. क. **क्या संस्था के पास सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)** – हां

   ख. **यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था?**

   कंपनी ने अच्छी तरह से प्रलेखित सामग्री प्रबंधन नीति के साथ कच्चे माल की सतत सोर्सिंग के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया लागू की है। कंपनी के पास दीर्घावधि के अनुबंधों और दर-अनुबंधों के लिए नीतियां हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संचालन और व्यावसायिक गतिविधियों को बाहरी कारणों से नुकसान न हो। लगभग सभी कच्चे माल के लिए, निर्बाध आपूर्ति को बनाए रखने के लिए आपूर्ति के एक से अधिक स्रोत सुनिश्चित किए जाते हैं।

   रेल नीर का वितरण और बिक्री कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी (सीएफए) नामक चयनित एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। सीएफए संयंत्र से उत्पाद एकत्र करता है, इसे भारतीय रेलवे की स्थिर और मोबाइल इकाइयों को बिक्री और वितरण के लिए अधिदिष्ट रेलवे स्टेशनों के डेस्टिनेशन/ गोदाम तक पहुंचाता है। सीएफए बिक्री आय भी एकत्र करता है और इसे कंपनी के खाते में जमा करता है। रेल नीर अग्रिम आवर्ती जमा के एवज में सीएफए को भेजा जाता है और सीएफए के लिए प्रत्येक संयंत्र का वितरण क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

   कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी (सीएफए) को लाइसेंसधारियों को हैंडहेल्ड टर्मिनलों (एचएचटी) के माध्यम से चालान जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिससे पायलट परियोजना के रूप में एक संयंत्र में ट्रेनों और खानपान इकाइयों को लाइव रिकॉर्ड और स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति के सामंजस्य किए जा सके। इसने बिल निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया है, इसे वास्तविक समय के समाधान की पेशकश करते हुए इसे सटीक बनाया है। इसके परिणामस्वरूप स्टेशनरी और समाधान के समय की भी बचत होती है। इसके अलावा, इसे आईआरसीटीसी के सर्वर पर पॉप्युलेट करने का प्रस्ताव है ताकि ऑनलाइन डेटा तक आसान एक्सेस को सक्षम किया जा सके, और रेल नीर के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में इसकी उपयोगिता प्रदान की जा सके।

3. **(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित), (ख) ई-कचरे (ग) खतरनाक कचरे और (घ) अन्य कचरे के, उपयोग के बाद पुन: उपयोग, रिसाइकल और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)

   प्रति यूनिट पानी, ईंधन के उपयोग का मापन, संयंत्र स्तर पर नियमित अंतराल पर किया जाता है। आज तक, 1 लीटर पानी की बोतल के उत्पादन के लिए प्रति बोतल 0.05 kWh की निर्धारित ऊर्जा खपत और 1.6 लीटर भूजल निकासी दर्ज की गई है। कंपनी ने ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सभी नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है।

पेट बोतलों के उपयोग को कम करने के लिए, आईआरसीटीसी ने पेट प्रीफॉर्म और एचडीपीई कैप का वजन क्रमशः 22 ग्राम से घटाकर 20 ग्राम और 2.2 ग्राम से 1.6 ग्राम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान उत्पादन स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग में सालाना लगभग 470.64 मीट्रिक टन की कमी आई है।

पीईटी प्रीफॉर्म के कम वजन के परिणामस्वरूप प्रति प्रीफॉर्म पर लगभग 20 पैसे की बचत हुई है। आईआरसीटीसी ने 2021-22 में लगभग 19.86 करोड़ रेल नीर की बोतलों का उत्पादन किया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3.97 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसी तरह, कैप के अनुकूलित वजन ने लगभग 0.03 रुपये प्रति कैप की बचत में योगदान दिया, जिससे 2021-22 में 0.39 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

ख) ई-कचरा

आईआरसीटीसी के आईटी विभाग ने ई-कचरे को रीसायकल करने और खराब आईटी बुनियादी ढांचे के निपटान के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। प्रिंटर/कंप्यूटर/यूपीएस/कीबोर्ड/माउस/मिनी स्विच आदि जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक/आईसीटी/ऑफिस ऑटोमेशन मदों की पहचान करने के लिए मौजूदा तंत्र का पालन किया जा रहा है, जिनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी हैं या जिनकी सर्विस नहीं की जा सकती हैं या निष्क्रिय हैं और इसका निपटान नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इस तरह का निपटान मान्यता प्राप्त बोलीदाताओं के माध्यम से किया जाता है जो भारत सरकार के ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2011 और अन्य देश-स्तरीय नियमों का पालन करते हैं।

ग) खतरनाक कचरा

उपभोग्य वस्तुएं जैसे समाप्त या खाली प्रिंटर टोनर और प्रिंटर कार्ट्रिज नियमित आधार पर ग्रीन आईटी री-साइकिल योजनाओं के अंतर्गत ओईएम मैसर्स हेवलेट पैकर्ड द्वारा एकत्र किए जाते हैं। प्रमुख आईटी वस्तुएं जैसे सर्वर का निपटान नहीं किया जाता है लेकिन नई खरीद के लिए बायबैक योजना के माध्यम से उन्हें ओईएम को वापस कर दिया जाता है। इसी तरह, एयर-कंडीशनर इकाइयों जैसी वस्तुएं बाय-बैक योजना के अंतर्गत ओईएम के अधिकृत चैनल भागीदारों को वापस कर दी जाती हैं। 20% से अधिक इंटरनेट टिकटिंग ई-कचरा/ख़राब आईटी परिसंपत्ति का या तो नीलामी के माध्यम से निपटान किया जाता है या ओईएम की ग्रीन आईटी रीसायकल योजना के अंतर्गत वापस कर दिया जाता है।

4. **क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।**

हां, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और दिनांक मार्च, 2018 के संशोधन के अनुसार, पैकेज्ड पेयजल (रेल नीर) के उत्पादक के रूप में आईआरसीटीसी को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना है। ईपीआर अनुपालन के तहत, आईआरसीटीसी को प्लास्टिक रीसाइक्लिंग संयंत्रों को स्क्रैप प्लास्टिक सामग्री, मुख्य रूप से पेट बोतलों के संग्रह और आपूर्ति की व्यवस्था करनी है। 2021-22 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 4171 मीट्रिक टन प्लास्टिक, मुख्य रूप से पेट बोतलों का उपयोग किया।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए आईआरसीटीसी ने ईपीआर अनुपालन की व्यवस्था के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है। आईआरसीटीसी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) नई दिल्ली में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, और ईपीआर अनुपालन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीपीसीबी को कार्य योजना भी प्रस्तुत की है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, चयनित एजेंसी को निम्नलिखित करने का कार्य सौंपा गया है:

(i) सीपीसीबी के साथ पंजीकरण और सीपीसीबी के लिए तिमाही ईपीआर अनुपालन;
(ii) आईआरसीटीसी द्वारा उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री के बराबर ईपीआर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों या अन्य स्रोतों से पेट बोतलों और श्रृंक-रैपिंग सामग्री का संग्रह;
(iii) बोतल क्रशिंग मशीनों से उत्पन्न कुचली हुई सामग्री को एकत्र करने की व्यवस्था करना
(iv) पास के स्थानों (रेलवे स्टेशनों के बाहर) में बॉटल क्रशिंग मशीनों की स्थापना;
(v) पेट/पीई प्लास्टिक रिसाइकिल के मीट्रिक टन के समतुल्य टेक बैक क्रेडिट की व्यवस्था करना;
(vi) अपने स्वयं के संग्रह नेटवर्क से ईपीआर अनुपालन के लिए कमी की मात्रा को पूरा करना।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (निर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए लाइफ साइकल पेर्स्पेक्टिव/मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?** शून्य

2. **यदि कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि लाइफ साइकल पेर्स्पेक्टिव/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में भी बताएं।**

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
	लागू नहीं	

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य द्वारा) में रिसाइकल की गई या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत:

4. उत्पादों के उपयोग के बाद पुन: प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, पुन: उपयोग, रिसाइकल और सुरक्षित रूप से निपटान की गए मात्रा (मीट्रिक टन में):

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुन: प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में):

प्रश्न 3 से प्रश्न 5 का उत्तर शून्य है, क्योंकि रेल नीर के पैकेज्ड पेयजल के उत्पादन के लिए किसी भी रिसाइकल की गई सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है।

सिद्धांत 3	व्यापारिक गतिविधियों को कंपनी के सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और जीवन-स्तर को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उनके वैल्यू चैन के कर्मचारी भी शामिल होंगे।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के जीवन-स्तर के लिए किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्न में कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूति सुविधाएं		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	(क)	सं. (ख)	सं. (ख)/(क)	सं. (ग)	सं. (ग)/(क)	सं. (घ)	सं. (घ)/(क)	सं. (ङ)	सं. (ङ)/(क)	सं. (च)	सं. (च)/(क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	1294	1294	100%	1294	100%	छअ	छअ	1294	100%	छअ	छअ
महिला	114	114	100%	114	100%	114	100%	छअ	छअ	0	0
कुल	1408	1408	100%	1408	100%	114	100%	1294	100%	0	0
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	415	407	98.07%	0	0	छअ	छअ	0	0	0	0
महिला	148	148	100%	0	0	148	100%	छअ	छअ	0	0
कुल	563	555	98.57%	0	0	148	100%	0	0	0	0

ख. श्रमिकों के जीवन-स्तर के लिए किए गए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		प्रसूति सुविधाएँ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	(क)थ	सं. (ख)	सं. (ख)/(क)	सं. (ग)	सं. (ग)/(क)	सं. (घ)	सं. (घ)/(क)	सं. (ङ)	सं. (ङ)/(क)	सं. (च)	सं. (च)/(क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

2. सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारियों के% के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	लागू नहीं	हां	100%	लागू नहीं	हां
उपादान	100%	लागू नहीं	हां	100%	लागू नहीं	हां
ईएसआई*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-

* संगठन के सभी कर्मचारी ईएसआईसी योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा से ऊपर हैं।

3. **कार्यस्थलों की उपलब्धता:**

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई उपाय किया गया हैं।

हां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, आईआरसीटीसी के परिसर/कार्यालय विकलांग कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं। विकलांग लोगों के लिए आईआरसीटीसी के कार्यालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में कार्यालय के साथ-साथ केबिनों के अंदर व्हील चेयर के लिए मुक्त रूप से गतिविधि करने की जगह, फ्रंट ऑफिस और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं कि कैसे विकलांग व्यक्तियों से बातचीत/सहायता की जाए; सीढ़ियों का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए हाथ की रेलिंग; चिन्हित क्षेत्रों में व्हीलचेयर की उपलब्धता शामिल है।

4. **क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें।**

अभी तक,कंपनी के पास उपरोक्त के लिए कोई विशिष्ट नीति नहीं है। हालांकि, एक सरकारी कंपनी और रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसई होने के नाते, कंपनी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और वार्षिक आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान का अनुपालन करती है।

5. **पैतृक (पेटर्नल) छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरें:**

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
लिंग	काम पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	आईआरसीटीसी निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से शिकायतों का निवारण करता है: क. कर्मचारी पोर्टल ख. कर्मचारी शिकायत रजिस्टर ग. 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम' के लिए आंतरिक शिकायत समिति। घ. प्रबंधन कार्यक्रम से बात करके।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	आईआरसीटीसी निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से शिकायतों का निवारण करता है: क. कर्मचारी शिकायत रजिस्टर ख. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति।

7. **सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (संस्थाओं) या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / श्रमिक (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संस्था (संस्थाओ) या यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख / क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / श्रमिक (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संस्था (संस्थाओ) या यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ / ग)
स्थायी कर्मचारी की कुल संख्या	शून्य					
– पुरुष						
– महिला						
स्थायी श्रमिकों की कुल संख्या						
– पुरुष						
– महिला						

8. **कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22					वित्तीय वर्ष 2020–21				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख)/(क)	सं. (ग)	% (ग)/(क)		सं. (ङ)	% (ङ)/(घ)	सं. (च)	%(च / घ)
कर्मचारी										
पुरुष	1294	249	19.24%	1152	89.02%	1303	577	44.28 %	401	30.98%
महिला	114	56	49.12%	66	57.89%	114	111	97.37%	88	77.19%
कुल	**1408**	**305**	**21.66%**	**1218**	**86.50%**	**1417**	**688**	**48.55%**	**489**	**34.51%**
श्रमिक										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

9. **कर्मचारियों और श्रमिकों का कार्य निष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2020–21		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी (स्थायी कर्मचारियों के लिए प्रदान किया गया विवरण)						
पुरुष	1294	1294	100%	1303	1303	100%
महिला	114	114	100%	114	114	100%
कुल	**1408**	**1408**	**100%**	**1417**	**1417**	**100%**
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

10. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:**

क) क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां /नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज और इकाई द्वारा कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

हां, आईआरसीटीसी अपने कर्मचारियों, सहयोगियों और वैल्यू चैन पार्टनर्स को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन समझता है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और उसके कर्मचारियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसकी सफलता और विकास आकांक्षाओं का अभिन्न अंग है। आईआरसीटीसी की मुख्य गतिविधियां इंटरनेट टिकटिंग, पर्यटन, खानपान और रेल नीर हैं, जिसके माध्यम से आईआरसीटीसी राजस्व उत्पन्न करता है। रेल नीर संयंत्रों और ट्रेनों में खानपान सेवा प्रदान करने को छोड़कर उपर्युक्त गतिविधियों का अधिकांश कार्य कार्यालय परिसर में किया जाता है। तदनुसार, आईआरसीटीसी निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं और कार्यों के माध्यम से अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थान को प्रकट करता है:

- हमने ऐसी प्रक्रियाओं और उपायों को अपनाया है जो व्यावसायिक संबंधित दुर्घटनाओं, चोटों, बीमारी की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं;
- आईआरसीटीसी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जागरूकता सुनिश्चित करता है और योग सत्र, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसे उचित प्रशिक्षण आयोजित करके सभी स्तरों पर सहयोगियों में व्यक्तिगत और टीम व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जिम्मेदारी संभालने के लिए क्षमता का निर्माण करता है।
- आईआरसीटीसी अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मिशन में अपने आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ परामर्श कर उन्हें भागीदारी के माध्यम से शामिल करता है, जहां कंपनी उनके साथ अपनी अपेक्षाओं को साझा करती है और स्थिर आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ जुड़ती है।

- आईआरसीटीसी ने अपने कार्यालय में एक वरिष्ठ चिकित्सक को नियुक्त किया है, जिनकी सेवाएं सभी कर्मचारी (नियमित और गैर-नियमित) समय-समय पर प्राप्त करते हैं;
- कार्यालयों, रेल नीर संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और ऑन-बोर्ड कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं;
- कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ग) क्या आपके पास कर्मचारियों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से बचाने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

लागू नहीं

घ) क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? (हां/नहीं)

हां, आईआरसीटीसी के अपने मेडिकल अटेंडेंस नियम हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा का एक निर्धारित उपाय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक उपचार के लिए नगदी रहित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है और ओपीडी के लिए कर्मचारियों को उनके वेतन घटक के रूप में हर महीने मूल वेतन का 7% चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। आईआरसीटीसी चिकित्सा सुविधा किसी भी निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के बिना, बीमारियों के आंतरिक उपचार को कवर करती है जो सभी के लिए लाभदायक है।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण दें:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	शून्य	
	श्रमिक		
कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें	कर्मचारी		
	श्रमिक		
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी		
	श्रमिक		
घातक कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी		
	श्रमिक		

12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कार्यस्थल के विशिष्ट खतरों में विद्युत उपकरणों, आग, उचित रोशनी, लड़खड़ाना, गिरना, फिसलना आदि से संबंधित जोखिम शामिल हैं। जोखिमों की समय पर पहचान और उसे कम करने से कंपनी को अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल बनाने में मदद मिली है। महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को कम करने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में नियमित साइट समीक्षा और निरीक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण देना, आग का पता लगाने, अलार्म और दमन प्रणाली का प्रावधान और रखरखाव, इनडोर वायु गुणवत्ता की डिजिटल निगरानी और एचवीएसी डक्ट की समय-समय पर सफाई, नियमित कर्मचारी सगाई कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित निर्णय	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित निर्णय	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य					
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं						

14. वर्ष के लिए आकलन:

सुरक्षा घटना/संख्या	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पार्टी द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	शून्य
काम करने की स्थिति	

15. **सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें : लागू नहीं**

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या संस्था निम्नलिखित की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है:**

   (क) कर्मचारी (हां/नहीं) – हां

   (ख) श्रमिक (हां/नहीं) – लागू नहीं

2. **वैल्यू चैन पार्टनर्स द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें।**

   आईआरसीटीसी के सभी वैल्यू चैन पार्टनर्स अपने संबंधित अनुबंधों का पालन करते हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि वे जीएसटी, भविष्य निधि, श्रम कानून या वैधानिक प्राधिकरण से पंजीकरण/अनुमोदन सहित लागू कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, वैल्यू चैन पार्टनर्स द्वारा बिलों के साथ जमा किए गए चालानों के माध्यम से काटे गए और जमा किए गए वैधानिक बकाया राशि की जांच करने के लिए आईआरसीटीसी के पास एक प्रणाली है।

3. **उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें जिन्हें घातक कार्य संबंधी चोट/बीमारी/मौत का सामना किया हो (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार के लिए नियुक्त किया गया है : शून्य**

4. **क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं) – नहीं**

5. **वैल्यू चैन पार्टनर्स के मूल्यांकन पर विवरण:**

   ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं/विक्रेताओं सहित वैल्यू चैन पार्टनर्स को देश के कानून का पालन करने की सलाह दी जाती है और इसी तरह के अनुच्छेद उनके निर्णय पत्र और निविदा शर्तों में शामिल किए जाते हैं।

6. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और वैल्यू चैन पार्टनर्स की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं**

सिद्धांत 4	व्यावसायिक गतिविधियों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   हितधारक के प्रबंधन में पहला कदम विभिन्न हितधारक श्रेणियों को समझना है क्योंकि वे कार्यबल योजना से संबंधित हैं। कई अलग-अलग प्रकार के हितधारक हैं जो हमारे व्यवसाय और निर्णयों में रुचि रखते है, उनमें से कुछ हमारे संगठन के भीतर से हैं और कई इसके बाहर से हैं। हितधारक की पहचान लोगों को सशक्त बनाने, स्थायी परिवर्तन बनाने, संबंध बनाने और एक बेहतर संगठन बनाने में मदद करती है। आईआरसीटीसी ने हमेशा माना है कि उसकी मानव पूंजी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम पूरी तरह से जानते हैं कि अपने ग्राहकों के बिना व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता है। कंपनी को निवेशकों के साथ मजबूत संबंध रखने का सौभाग्य प्राप्त है। हमारे आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/ठेकेदारों ने हमेशा हमें अपने वादों को तुरंत पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। अन्य अत्यंत प्रासंगिक हितधारकों में सरकार, नियामक, सजातीय समूह और समाज शामिल हैं।

   उपर्युक्त के आधार पर, कंपनी ने वंचित, कमजोर और सीमांत हितधारकों सहित आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग और पहचान की है। हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय समुदाय, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, ठेकेदार, निवेशक और शेयरधारक, सरकार, नियामक और सहकर्मी और उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।

2. **आपकी इकाई के लिए पहचाने गए प्रमुख हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति प्रदान करें।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और वंचित समूह के रूप में पहचाना गया है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / तिमाही / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
ग्राहक	नहीं	कार्यक्रम; मेलर्स; एसएमएस, न्यूज़लेटर्स; ब्रोशर, वेबसाइट।	आवश्यकतानुसार	नए ग्राहकों को प्राप्त करना और मौजूदा लोगों को सेवा प्रदान करना
शेयरधारक / निवेशक	नहीं	प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस; ईमेल एडवाइज़री; सुविधा का दौरा; व्यक्तिगत बैठकें; निवेशक सम्मेलन; कॉन्फरन्स कॉल्स।	तिमाही: वित्तीय विवरण, आय के लिए कॉल; एक्सचेंज सूचनाएं; प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्षिक: • वार्षिक आम बैठक • वार्षिक रिपोर्ट आवश्यकता पड़ने पर: • प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कार्य निष्पादन और सारांश • आईआरसीटीसी वेबसाइट पर निवेशक पेज।	आईआरसीटीसी के व्यावसयिक मॉडल और कार्यनीतियों के बारे में निवेशक समुदाय को शिक्षित करना। • निवेशकों को कंपनी की नीतियों, रिपोर्टिंग, कार्यनीति आदि के बारे में उनकी चिंताओं को दूर करने में मदद करना। • शेयरधारक की अपेक्षाओं को समझना
नियामक और सरकार	नहीं	• सम्मेलन और सेमिनार। • कार्यसमिति की बैठकें। • सर्वेक्षण। • अन्य बैठकें।	आवश्यकता पड़ने पर	नियमों, संशोधनों, अनुमोदनों और आकलनों के संबंध में नियामक निकायों के साथ चर्चा।
कर्मचारी	नहीं	परामर्श सत्र, इंटरएक्टिव बैठकें, आंतरिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम और वेबिनार।	आवश्यकता पड़ने पर: आईआरसीटीसी का न्यूज़लेटर, आईआरसीटीसी का कॉरपोरेट पोर्टल, लक्ष्यों/केआरए के लिए बैठकें।	कंपनी में प्रमुख विकास विषयों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक रखना और उनके मुद्दों को संबोधित करना
समुदाय/एनजीओ	हां	बैठकें और ब्रीफिंग, सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भागीदारी, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, प्रभाव आकलन, वेबसाइट और सोशल मीडिया।	जब और जैसे आवश्यक हो।	सीएसआर परियोजनाओं का समर्थन
विक्रेता/सहयोगी	नहीं	विक्रेता मूल्यांकन और समीक्षा, बैठकें, कॉल, प्रशिक्षण, कार्यशाला और वेबिनार, वेबसाइट, सोशल मीडिया,	जब और जैसे आवश्यक हो।	मौजूदा व्यवसाय की सेवा प्रदान करना

नेतृत्व संकेतक

1. **हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया बोर्ड को कैसे प्रदान की जाती है।**

बोर्ड अपने निदेशकों के माध्यम से निवेशकों/विश्लेषकों की कॉल में भाग लेता है और हितधारकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर विचार-विमर्श करता है। इसके अलावा, बोर्ड हितधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों को हल करने के लिए एक होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाता है। कंपनी सीपीजीआरएएम, रेल मदद आदि जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों की शिकायतें/प्रतिक्रिया लेती है। कंपनी नियमित रूप से कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रम भी आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों के परिणाम संबंधित प्रमुखों और निदेशक मंडल को उनकी समीक्षा के लिए, आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

सीएसआर के प्रति कंपनी का दृष्टिकोण भारत सरकार के विजन के अनुरूप है, जिसमें कंपनी आकांक्षी जिलों को लक्षित करती है। हम इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि सीएसआर एक-बारगी की गतिविधि नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों के जीवन को बदलने के लिए एक होलिस्टिक दृष्टिकोण होना चाहिए।

समावेशी विकास पर केंद्रित, एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, आपकी कंपनी ने सीएसआर के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण का पालन किया है। भारत सरकार के दृष्टिकोण जैसे सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, राष्ट्र की प्रगति के लिए अग्रणी, कंपनी ने इसे प्राप्त करने की दिशा में कई पहल की।

2. **क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)। यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।**

   हां, पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है। कंपनी का सीएसआर मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हितधारकों से प्राप्त जानकारी को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, कंपनी ने हितधारकों के परामर्श से उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है जहां यह प्रत्यक्ष परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के सीएसआर भाग में पाया जा सकता है।

3. **कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।**

   कंपनी विभिन्न कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों के साथ जुड़ी हुई है और जब भी जरूरत होती है, उनके साथ बात करके उनकी चिंताओं को दूर करती है। कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों के साथ हमारे जुड़ाव के बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के सीएसआर भाग में पाया जा सकता है।

सिद्धांत 5 व्यावसायिक गतिविधियों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में, कर्मचारियों और श्रमिकों को मानव अधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/ क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ/ ग)
कर्मचारी						
स्थायी	1408	1178	83.66	1417	736	51.94
स्थायी के अलावा	–	–	–	–	–	–
कुल कर्मचारी	1408	1178	83.66	1417	736	51.94
श्रमिक						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अलावा						
कुल कर्मचारी						

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों एवं श्रमिकों को भुगतान किये जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण प्रदान करें:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021-22					वित्तीय वर्ष 2020-21				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/ क)	सं. (ग)	% (ग / क)		सं. (ङ)	% (ङ / घ)	सं. (च)	% (च/ घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	1294	शून्य	शून्य	1294	100%	1303	शून्य	शून्य	1303	100%
महिला	114	शून्य	शून्य	114	100%	114	शून्य	शून्य	114	100%
स्थायी के अलावा										
पुरुष	415	8	1.92%	407	98.07%	423	8	1.89%	415	98.10%
महिला	148	4	2.71%	144	97.29%	150	4	2.66%	146	97.33%
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										

3. **निम्नलिखित प्रारूप में, पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण प्रदान करें:**

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी की औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी की औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	लागू नहीं*			
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)				
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी				
श्रमिक				

* कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है (उस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित)। तदनुसार, निदेशक मंडल (बीओडी), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी के संबंध में गणना प्रदान नहीं की जाती है। इस संबंध में प्रकटन निदेशकों की रिपोर्ट के मानव संसाधन विकास खंड में भी कहा गया है।

4. **क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न हुए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार कोई केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है? (हां /नहीं)**

क) हां, कंपनी विकलांगता, लिंग, जाति, धर्म, जाति, राज्य, पृष्ठभूमि, रंग के आधार पर कोई भेदभाव किये बिना समान रोजगार के अवसर प्रदान करने और उपरोक्त विचारों के आधार पर उत्पीड़न से मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1971 के प्रावधानों का पालन करते हुए, कर्मचारियों और ठेकेदारों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन अधिनियम के निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करता है।

ग) रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी और एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम होने के नाते, इसकी मानव संसाधन नीतियां और प्रथाएं मानव अधिकारों के समावेश को दर्शाती हैं, जो अनुबंध की शर्तों के माध्यम से विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से संबंधित सभी कर्मचारियों और संबंधित पहलुओं को कवर करती हैं।

घ) इसके अलावा, आईआरसीटीसी 'सीडीए नियम' भी कर्मचारियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में नियुक्त लोगों सहित) के लिए वांछनीय और गैर-वांछनीय कृत्यों और आचरण को परिभाषित करता है। निर्धारित शर्तों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ किसी भी अनुचित या अवांछित यौन-उन्मुख व्यवहार के मामले के लिए की जानेवाली कार्रवाई के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।

अनुच्छेद (क) से (घ) में उल्लिखित मानवाधिकार मुद्दों की निगरानी आईआरसीटीसी के मानव संसाधन प्रमुख, यानी जीजीएम/एचआरडी द्वारा सीएमडी/आईआरसीटीसी और निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, की देखरेख में की जाती है।

ङ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति कंपनी की शून्य-सहिष्णुता नीति है, जिसे सभी स्थानों और प्रतिष्ठानों में लागू किया गया है। यौन उत्पीड़न के सभी रिपोर्ट किए गए मामलों की जांच एक आंतरिक शिकायत समिति द्वारा की जाती है। यौन उत्पीड़न पर प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है। यदि साबित हो जाता है, तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए नियम) के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। निष्पक्ष और न्यायसंगत रोजगार संबंध को बढ़ावा देने के लिए, कर्मचारियों की शिकायत निवारण योजना भी मौजूद है जो शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है।

च) आईआरसीटीसी के पास एक समर्पित सतर्कता विभाग है, जो व्हिसल ब्लोअर तंत्र की देखरेख करता है। इसकी एक व्यापक व्हिसल ब्लोअर नीति है जो कर्मचारियों को अधिकार के दुरुपयोग या दुष्प्रयोग, धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी के नियमों के उल्लंघन, हेरफेर, और कंपनी के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है और साथ ही व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी प्रदान करती है।

5. **मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें – हां, जैसा ऊपर बताया गया है**

6. **निम्नलिखित पर कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान दाखिल की गई	वर्ष के अंत में लंबित निर्णय	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दाखिल की गई	वर्ष के अंत में लंबित निर्णय	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	1	0	वर्ष के दौरान एक शिकायत का समाधान किया गया।	0	0	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य					
बाल मजदूरी						
बंधवा मजदूरी /अनैच्छिक मजदूरी						
वेतन						
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे						

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को हो सकते प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए तंत्र।**

प्रतिकार गंभीर चिंता का विषय है, खासकर उन मामलों में जहां कथित उत्पीड़क उच्च पद का हो। भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर हो सकते प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं:

- आईआरसीटीसी प्रबंधन जांच के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करता है और शिकायतकर्ता की सुरक्षा करता है।
- कार्यालय के भीतर उत्पीड़न की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी शिकायतकर्ता की समय-समय पर जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई प्रतिकूल क्रिया नहीं की गई है। यदि कोई व्यक्ति, शिकायतकर्ता को निशाना बनाने में शामिल पाया जाता है, तो सीडीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

8. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/ नहीं)**

हां, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार अपने संबंधित अनुबंधों/समझौतों में इस तरह के खंडों को शामिल करके मानवाधिकारों के संबंध में स्थानीय कानून का पालन करते हैं।

9. **वर्ष के लिए आकलन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पार्टी द्वारा)
बाल मजदूरी	सभी संयंत्रों और कार्यालयों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और वर्ष 2021-22 के दौरान बाल मजदूरी, बंधवा/अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और मजदूरी कानून से संबंधित नियमों के अनुपालन में पाया गया है।
बंधवा मजदूरी /अनैच्छिक मजदूरी	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. **ऊपर दिए गए प्रश्न 9 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।** लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानव अधिकार शिकायतों/समस्याओं को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण–** आईआरसीटीसी अपने कर्मचारियों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त के अनुरूप, कंपनी ने विभिन्न कार्यक्रम, प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं जहां कर्मचारी मुद्दों के बारे में सूचित कर सकते हैं या कार्यस्थल पर हो रही चिंताओं के बारे में बता सकते हैं। निदेशकों की रिपोर्ट के मानव संसाधन विकास खंड में ऐसे कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है।

2. **किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण –** जैसा कि प्रश्न 1 के उत्तर में बताया गया है।

3. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय विकलांग आगंतुकों के लिए सुलभ है? –** हां

4. **वैल्यू चैन पार्टनर्स के मूल्यांकन पर विवरण:**

	वैल्यू चेन पार्टनर्स का प्रतिशत (ऐसे पार्टनर्स के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था
बाल मजदूरी	सभी वैल्यू चैन पार्टनर्स को स्थानीय कानून का पालन करने की सलाह दी जाती है और आवश्यक अनुपालन के लिए इस तरह के अनुच्छेद निर्णय पत्र और निविदा शर्तों में शामिल किए जाते हैं।
बंधवा मजदूरी /अनैच्छिक मजदूरी	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

5. **ऊपर दिए गए प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे सुधारात्मक कार्यों का विवरण प्रदान करें।** लागू नहीं

सिद्धांत 6 व्यावसायिक गतिविधियों को पर्यावरण का सम्मान और उसकी रक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **निम्न प्रारूप में, कुल ऊर्जा खपत (जूल में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
कुल बिजली खपत (क)*	35377056068	13945109509
कुल ईंधन खपत (ख)	400760640	151748238.3
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	2214938916	838687847.3
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)	37992755624	14935545594.6
कारोबार के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/कारोबार जो रुपये में है)	2.02	1.92
ऊर्जा की तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	–	–

* इसमें कॉरपोरेट कार्यालय, आईटी केंद्र, पुंज हाउस और पूरे भारत में स्थित रेल नीर संयंत्रों की खपत शामिल है।

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार के प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकटन करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करें, यदि कोई हो: लागू नहीं**

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:**

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	78204	207910.90
(ii) भूजल	284602.95	790943.33
(iii) तृतीय पक्ष जल	15240	59978.31
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	–	–
(v) अन्य	–	–
पानी निकालने की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	378046.95	1058832.55
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	–	–
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	0.0002	0.0019
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	–	–

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

4. **क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण दें।** नहीं

5. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

मापदंड	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
एनओएक्स		शून्य	शून्य
एसओएक्स			
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक			
यौगिक (वीओसी)			
हवा के खतरनाक			
प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य - कृपया			
निर्दिष्ट करें			

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

6. **निम्नलिखित प्रारूप में, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजित करना, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य का मीट्रिक टन	शून्य	शून्य
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजित करना, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य का मीट्रिक टन		
टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

7. **क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें:** नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में, इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:**

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
प्लास्टिक कचरा (क)		
ई-कचरा (ख)	4370	1656
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	-	-
निर्माण और डिमोलिशन के अपशिष्ट (घ)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें (छ)	-	-
अन्य उत्पन्न हुए गैर-खतरनाक अपशिष्ट (ज)। यदि कोई हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें	-	-
(रचना के अनुसार ब्रेक-अप अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री अनुसार)	-	-
कुल (क+ख + ग + घ + ङ + च + छ + ज)	4370	1656

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
उत्पन्न हुए अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से एकत्र किये गए अपशिष्ट की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) रिसाइकल किया गया	-	-
(ii) पुनः उपयोग किया गया	-	-
(iii) अन्य पुनः प्राप्ति के कार्य	-	-
कुल	-	-
उत्पन्न होते अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान के तरीके द्वारा निपटाए गए अपशिष्ट की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) अपशिष्ट भरण	-	-
(iii) अन्य निपटान तरीके	-	-
कुल	-	-

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

9. **आपके संस्थानों में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें?**

रेल नीर संयंत्रों में कोई खतरनाक और जहरीला रसायन उत्पन्न नहीं होता है। संयंत्र में उत्पन्न होते रिसाइकल योग्य प्लास्टिक कचरे को एक एजेंसी के माध्यम से रिसाइकलर को भेजा जाता है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी के रेल नीर संयंत्रों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकसित संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित बायोडाइजेस्टर का उपयोग करता है। ठोस और तरल सीवेज अपशिष्ट को बायोडाइजेस्टर में इनोकुलम के साथ डाला जाता है, रोगज़नक़ों को 99% से अधिक कम करता है और स्वच्छ पानी उत्पन्न करता है। इसके बाद उत्पन्न हुए स्वच्छ पानी का उपयोग बागवानी में किया जाता है।

10. **यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आस-पास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:**

क्र. सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/क्लीयरेंस की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो, तो सुधारात्मक कार्रवाई प्रदान करें
		शून्य	

11. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण दें:**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया है (हां / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए है (हां / नहीं)	संबंधित वेब लिंक
			शून्य		

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/नियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्र. सं.	वे कानून/विनियम/दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका पालन नहीं किया गया था	अनुपालन न करने का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा दिया गया जुर्माना/दंड/ की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
		शून्य		

नेतृत्व संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में, नवीकरणीय और गैर–नवीकरणीय स्रोतों से की गई खपत की कुल ऊर्जा (जूल या गुणकों में) का ब्रेक–अप प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (क)	–	–
ईंधन की कुल खपत (ख)	–	–
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	615260.81	232968.84
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की गई कुल खपत (क+ख+ग)	615260.81	615260.81
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
बिजली की कुल खपत (घ)	–	–
ईंधन की कुल खपत (ङ)	111322.4	42152.29
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (च)	–	–
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की गई कुल खपत (घ+ङ+च)	111322.4	42152.29

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

2. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	179400	72816
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	179400	72816

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

3. **जल संकट वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और पानी छोड़ना (किलोलीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निर्धारित प्रारूप में जल निकासी, खपत और पानी छोड़ने का विवरण निम्नानुसार है:

(i) संचालन की प्रकृति: बोतलबंद पेयजल

(ii) क्षेत्र का नाम:

क) नांगलोई

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	71349	28528
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	71349	28528
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	71349	28528
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	19	19
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं	–	–
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	–	–
(ii) भूजल को	38856.02	15536.14
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	–	–
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं	–	–
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	–	–
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं	–	–
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	–	–
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं	–	–
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	–	–
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	38856.02	15536.14

ख) दानापुर

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	24578	4018
(iii) तृतीय पक्ष जल		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	24578	4018
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	24578	4018
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	19	19
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं	13215.74	2160.58
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	13215.74	2160.58

ग) पालूर

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	50137	15929
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	50137	15929
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	50137	15929
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	13	13
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	16813.56	5341.80
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	16813.56	5341.80

घ) अंबरनाथ

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	78204	29416
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	78204	29416
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	78204	29416
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	22	22
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	47416.79	17835.64
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	47416.79	17835.64

ङ) बिलासपुर

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	21177	17321
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	21177	17321
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	21177	17321
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	40	40
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं	16586.16	15566.09
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	16586.16	15566.09

च) अमेठी

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	20957	8906
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	20957	8906
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	20957	8906
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	12	12
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं	6370.99	2707.16
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	6370.99	2707.16

छ) पारासल्ला

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल		
(iii) तृतीय पक्ष जल	15240	3872
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	15240	3872
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	15240	3872
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	17	17
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं	7578.41	1925.25
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	7578.41	1925.25

ज) हापुड़

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	14900	6051
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	14900	6051
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	14900	6051
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	12	12
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं	3863.25	1568.59
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	3863.25	1568.59

झ) साणंद

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	22736	10146
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	22736	10146
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	22736	10146
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	24	24
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	14462.11	6453.86
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	14462.11	6453.86

ञ) मंडीदीप

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	16148	7416
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	16148	7416
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	16148	7416
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	12	12
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	4616.52	2118.47
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	4616.52	2118.47

ट) नागपुर

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	9094	2592
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	9094	2592
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	9094	2592
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	11	11
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं	1890.76	538.99
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1890.76	538.99

ढ) जागी रोड़

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	11432	532
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	11432	532
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	11432	532
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	9	9
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	5716	2066
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v)अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	5716	2066

ण) संकरेल

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	20404	8575.38
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	20404	8575.38
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	20404	8575.38
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	12	12
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
– कोई उपचार नहीं	5871.27	2467.57
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	5871.27	2467.57

त) जबलपुर

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	5726	3268
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	5726	3268
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	5726	3268
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	11	11
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को	1042.69	595.38
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1042.69	595.38

थ) ऊना

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल	1671	
(iii) तृतीय पक्ष जल		
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1671	
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1671	
टर्नओवर के प्रति रुपये पानी की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	17	
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है		

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल को		
- कोई उपचार नहीं	815.33	
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
छोड़े गए पानी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	815.33	

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान उपर्युक्त रेल नीर संयंत्रों के लिए बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन नहीं किया गया है।

4. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में, स्कोप 3 के कुल उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजित करना, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समतुल्य का मीट्रिक टन	शून्य	शून्य
टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 3 का उत्सर्जन		शून्य	शून्य
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा संबंधित मीट्रिक का चयन किया जा सकता है		शून्य	शून्य

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/प्रमाणन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। नहीं।

5. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था द्वारा हो सकते महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

   पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में कोई परियोजना स्थित नहीं है।

6. **यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन की क्षमता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या साधन का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / बहिःस्राव निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होते प्रभावों को कम किया है, तो कृपया नीचे दिया गया है प्रारूप में, उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल के परिणाम प्रदान करें:**

क्र. सं.	की गई पहलें	की गई पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जा सकता है)	पहलों का परिणाम
1.	सौर वाष्पीकरण तालाब	हमने अपने रेल नीर संयंत्रों के चारों ओर सौर वाष्पीकरण तालाबों का निर्माण किया है, जिससे आरओ इकाइयों से जल उपचार प्रक्रियाओं के दौरान पूर्णतः घुले हुए ठोंस पदार्थ (टीडीएस) वाले अस्वीकृत पानी को सौर वाष्पीकरण तालाब के माध्यम से वाष्पीकरण के लिए छोड़ा जा सके।	आरओ का अस्वीकृत पानी का प्राकृतिक रूप से वाष्पीभवन होता है।

7. **क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में विवरण/वेब लिंक प्रदान करें**

आईआरसीटीसी के समग्र व्यवसाय में रेल मंत्रालय, भारत सरकार का योगदान है और इसमें खानपान और आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, बोतलबंद पेयजल और इंटरनेट टिकटिंग जैसे मुख्य खंड शामिल हैं। उच्चतम गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करके वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्रों में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखते हुए, कंपनी की योजना नए क्षेत्रों / अवसरों में प्रवेश करने की भी है। कंपनी का लक्ष्य यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के तौर पर स्थापित करना है, जिसके लिए उसने अभी से कार्य शुरू कर दिए हैं। कंपनी आकर्षक स्थानों पर नए बजट होटल स्थापित करने, कार्यक्षम खानपान के लिए अधिक बेस किचन और ई-केटरिंग के व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रही है। यह आने वाले वर्षों में और अधिक रेलनीर संयंत्र स्थापित करके रेलनीर की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का भी विचार कर रही है। पर्यटन के संबंध में, कंपनी रेल पर्यटन के अलावा गैर-रेल पर्यटन, हवाई टिकट, चिकित्सा पर्यटन आदि जैसे विशिष्ट उत्पादों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी आई-पे एग्रीगेटर के क्षेत्र में प्रवेश करके स्वयं को फिनटेक कंपनी बनाने की राह पर है।

8. **इकाई के वैल्यू चैन से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का प्रकटन करें। इस संबंध में इकाई द्वारा इसको कम करने या अनुकूलित करने के लिए कौनसे उपाय किए गए हैं?**

भूमिगत जल को निकालने से भू-जल स्तर कम हो गया है। इसे कम करने के लिए, सभी रेल नीर संयंत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अलावा, कंपनी वनरोपण गतिविधि में भी लगी हुई है, जिससे वर्षा और भूजल स्तर में सुधार के लिए एक चक्र शुरू हो गया है। वर्ष के दौरान, रेलनीर संयंत्रों के आसपास 1,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

9. **वैल्यू चैन पार्टनर्स का प्रतिशत (ऐसे पार्टनर्स के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।** लागू नहीं

सिद्धांत 7	**व्यावसायिक गतिविधियां , जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने लगे, तो इसे उत्तरदायी और पारदर्शक तरीके से चलाई जाती है।**

आवश्यक संकेतक

1. **क. ट्रेड और उद्योग मंडलों/ एसोसिएशन के साथ संबद्धता की संख्या।** कृपया नीचे दिया गया उत्तर देखें

ख. उस टॉप 10 ट्रेड और उद्योग मंडलों/एसोसिएशन की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिसकी इकाई सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	ट्रेड और उद्योग मंडलों/एसोसिएशन के नाम	ट्रेड और उद्योग मंडलों/एसोसिएशन की उपलब्धता (राज्य/राष्ट्रीय)
1	स्टेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइसेस (स्कोप),	राष्ट्रीय
2	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)	राष्ट्रीय
3	इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स	राष्ट्रीय
4	इंडिया हैबिटेट सेंटरर (आईएचसी),	राष्ट्रीय
5	ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए),	राष्ट्रीय
6	ट्रावेल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
7	एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
8	पैसिफिक एशिया ट्रावेल एसोसिएशन	राष्ट्रीय
9	फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
10	होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया	राष्ट्रीय
11	होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
12	एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर	राष्ट्रीय
13	इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन	राष्ट्रीय

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
	शून्य	

नेतृत्व संकेतक

1. **इकाई द्वारा समर्थित लोक-नीति के पदों का विवरण:**

क्र. सं.	लोक नीति के समर्थन	इस तरह समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध है? (हां/ नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

आतिथ्य-सत्कार के क्षेत्र में कंपनी की सशक्त उपस्थिति है जिसमें इसके अधिकांश व्यापारिक क्षेत्र रेलवे पर निर्भर हैं । कंपनी ज्ञान साझा करने की प्रणाली, सर्वेक्षणों पर प्रतिक्रिया, उद्योग की जरूरतों संबंधी फीडबैक आदि के माध्यम से दूसरों के बीच अपने विचारों को प्रकट करती है। कंपनी रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती है और अपने इनपुट प्रदान करके विभिन्न नीति निर्माण में भाग लिया है।

सिद्धांत 8 **व्यावसायिक गतिविधियों को समग्र वृद्धि और न्याय संगत विकास का समर्थन करना चाहिए।**

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	पब्लिक डोमेन में परिणाम सूचित किए गए (हां /नहीं)	संबंधित वेब लिंक

चूंकि, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का, 10 करोड़ रूपये या उससे अधिक का औसत सीएसआर दायित्व नहीं है, इसलिए स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, इसकी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने की आवश्यकता, लागू नहीं होती है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली कोई सीएसआर परियोजना नहीं थी, और जो कम से कम एक वर्ष में पूरी हुई हो। हालांकि, सभी भागीदार एनजीओ/संगठनों को आईआरसीटीसी की परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा प्राप्त धन का उपयोग प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। प्रभाव मूल्यांकन के लिए, कंपनी के पास अपने क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आंतरिक कार्यान्वयन निगरानी समूह (आईएसजी) है। साथ ही, कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन करवाने के लिए बाहरी एजेंसियों को शामिल करने की प्रक्रिया में है।

2. **निम्नलिखित प्रारूप में, उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किए जा रहे हैं:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आरएंडआर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (₹ में)

लागू नहीं

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए स्थापित किए गए तंत्र का वर्णन करें।**

आईआरसीटीसी में हमारा मानना है कि हमारी सीएसआर और सतत् विकास गतिविधियों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना चाहिए और यह कि गतिविधियों का चयन केवल आउटपुट या परिणामों के बजाय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर केंद्रित होना चाहिए। हम अपनी गतिविधियों को इस तरह से करने का प्रयास करते हैं कि सीएसआर और सतत् विकास का दर्शन हमारे संगठन में अंतर्हित हो और हमारी संगठनात्मक संस्कृति में परिलक्षित हो और विविध व्यवसाय संचालन और गतिविधियों में लगे सभी कर्मचारियों को शामिल करें। कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक चिंताओं को एकीकृत करने के लिए सभी कदम उठाती है ताकि हमारे संचालन के क्षेत्र में और आसपास के स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके, समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर आम जनता के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ा सके।

वर्ष 2021-22 के लिए आईआरसीटीसी का सीएसआर फंड भारत सरकार द्वारा उल्लिखित नीतियों के अनुरूप खर्च किया गया था। 9.90 करोड़ रुपये के कुल सीएसआर बजट में से 1.33 करोड़ रुपये की राशि स्वच्छ भारत कोष को और 3 करोड़ रुपये पीएम केयर फंड को प्रदान की गई। शेष राशि शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण स्थिरता, स्वच्छता आदि पर आधारित परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई थी।

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के रूप में संलग्न है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट):**

	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त किया जाता है	5.57%	19.35%
सीधे जिले और पड़ोसी जिलों से प्राप्त किया गया	कंपनी की उपस्थिति पुरे भारत में है। सभी जोन अपनी आवश्यकता के अनुसार, सामग्री या सेवाओं की खरीद जहां वे स्थित है उस जिले और आसपास के जिलों से करते हैं	

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किन्हीं भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ:**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. **सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (₹ में)
1.	बिहार	सीतामढ़ी	₹31,08,716/-
2.	एमपी	गुना	₹18,00,000/-

3. **(क) क्या आपके पास एक विशेष खरीद नीति है जहां आप सीमांत /कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी करने को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं):** हां

   (ख) आप कौनसे सीमांत/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

   सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसई उद्यमियों से सामग्री या सेवाएं खरीदती है।

   (ग) यह कुल खरीद (मूल्य पर) का कितना प्रतिशत है?

   कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसई सहित एमएसई से 62.93 करोड़ रुपये की कुल खरीद का 30.75% खरीदा।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, आपकी संस्था के स्वामित्व या अर्जित प्रज्ञात्मक संपत्ति से प्राप्त और साझा किए गए लाभों (वर्तमान वित्तीय वर्ष में) का विवरण:**

क्र. सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित प्रज्ञात्मक संपत्ति	स्वामित्व/अधिग्रहीत (हां/नहीं)	लाभ साझा किया (हां/ नहीं)	लाभ के हिस्से की गणना करने का आधार
लागू नहीं				

5. **प्रज्ञात्मक संपत्ति संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	कमजोर बच्चों को पोषण और आनंदप्रद सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे चिल्ड्रन इंडिया।	52	100%
2	डॉ. प्रसून चैटर्जी, एम्स द्वारा किचन अपग्रेडेशन के लिए फूड ट्रक की खरीद के लिए प्रस्तुत 'हेल्दी एजिंग इंडिया' का प्रस्ताव।	500	100%
3	आईआरसीटीसी, उत्तर क्षेत्र का प्रस्ताव: कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए एनआरसीएच के कोविड सेल को भोजन और रेल नीर उपलब्ध कराने हेतु।	7000	100%
4	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के माध्यम से एक आकांक्षी जिले को गोद लिया।	58	100%
5	जानकीस्थान, सीतामढ़ी में 9 सीट वाले सुलभ शौचालय परिसरों के निर्माण के लिए सुलभ इंटरनेशनल।	117	100%
6	सिंगरौली/दमोह/गुना, मध्य प्रदेश में चेलेशन पंप, लाइब्रेरी-कम-थैलेसीमिया वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए द विशिंग फैक्ट्री।	500	100%
7	जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में चंगा गोंडोह भलेसा, जम्मू-कश्मीर में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के लिए सेवा भारती।	200	30%
8	टीवीएस विभाग के 5 रेलवे स्टेशनों पर पेट बॉटल क्रशर यूनिट उपलब्ध कराने के लिए डीसीएम/टीवीएस।	500	30%
9	दृष्टिबाधित लोगों के 15 बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देकर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ब्राइट फ्यूचर ऑर्गनाइजेशन फॉर ब्लाइंड, मुंबई।	500	100%
10	अक्षय पात्र संगठन: वृंदावन में मध्यान्ह भोजन के वितरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ऑटो) की खरीद।	500	30%
11	नर्मदा समग्र की ओर से नर्मदा समीपवर्ती ग्राम के लोगों को एक नदी एंबुलेंस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।	500	70%
12	दक्षिणी दिल्ली के खड़क, छतरपुर गांव में विकलांग लोगों के लिए बैसाखी और व्हीलचेयर की खरीद के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए अनमोल-एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रस्ताव।	50	100%
13	प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन्क्यूबेटरों और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान के संबंध में आईआईटी/एम से दो प्रस्ताव	500	30%
14	लेह के दो सरकारी स्कूलों में एननोबल सोशल इनोवेशन, येलोग्रीन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का प्रस्ताव	450	50%

सिद्धांत 9 **व्यावसायिक गतिविधियों में अपने ग्राहकों को एक जिम्मेदाराना तरीके से सम्मान दिए जाने ककी व्यवस्था होनी चाहिए।**

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र निम्नलिखित हैं:

(i) **आईआरसीटीसी कस्टमर केयर कॉल सेंटर:** वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान प्रति दिन लगभग 29,738 कॉल और लगभग 7,492 मेल हैंडल किए गए। औसत कॉल परित्याग दर प्रति माह 2% है और मेल पेंडेंसी व्यावहारिक रूप से शून्य है। सख्त गुणवत्ता जांच, सख्त एसएलए प्रवर्तन और समय पर प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप सेवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

(ii) **शिकायत तंत्र और फीडबैक प्रणाली:** आईआरसीटीसी विभिन्न चैनलों से प्राप्त इंटरनेट टिकटिंग शिकायतों को निम्नानुसार संभालती है:

क) टिकटों के रिफंड या आईआरसीटीसी टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in पर बुकिंग के दौरान ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी समस्या से संबंधित एसपीजीआरएएम शिकायतें

ख) एसपीजीआरएएम पोर्टल पर रेल मंत्रालय से प्राप्त मॉर्ली मामले।

ग) सोशल मीडिया, ट्विटर, रेल मदद (पहले सीओएम के रूप में जाना जाता था), उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आईएनजीआरएएम पर प्राप्त शिकायतें।

घ) लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीपीजी/पीएमओ से प्राप्त शिकायतों को प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हल करना होता है जबकि मॉर्ली से प्राप्त शिकायतों को प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर हल करना होता है।

ङ) ई-सीआईएसएम शिकायतें खानपान से संबंधित हैं।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्न के बारे में जानकारी है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदाराना उपयोग	लागू नहीं
रिसाइकल करना और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2020-21		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित निर्णय	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित निर्णय	टिप्पणियां
डेटा प्राइवेसी	शून्य					
विज्ञापन	शून्य					
साइबर सुरक्षा	शून्य					
आवश्यक सेवाओं का वितरण						
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य (सीपीजीआरएएम /मॉर्ली/सोशल मीडिया, ट्विटर, रेल मदद (पहले सीओएम के रूप में जाना जाता था), और आईएनजीआरएएम /डीपीजी	1,05,469	76		43630	शून्य	
कस्टमर केयर कॉल सेंटर	1,34,03,080	NIL		92,25,985	शून्य	

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस लेना का कारण
स्वैच्छिक रूप से वापस लेना	शून्य	
जबरदस्ती वापस लेना		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक फ्रेमवर्क/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

कंपनी अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता और अपने डेटा को प्रचलित साइबर सुरक्षा खतरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर है। कंपनी अपने डेटा को उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ सुरक्षित करती है और खराब वायरस या अन्य साइबर खतरों से सफलतापूर्वक प्रणाली की रक्षा करती है।

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग प्रणाली एक अच्छी तरह से संरक्षित प्रणाली है, जो साइबर खतरों और डेटा चोरी से सुरक्षा के लिए उद्योग-मानक वाले अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों से लैस है। इसमें नेटवर्क फ़ायरवॉल, नेटवर्क इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल शामिल हैं। वेबसाइट एक्सटेंडेड वैलिडेशन (ईवी) एसएसएल/टीएलएस सर्टिफिकेट पर चलती है जो वेबसाइट और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन प्रदान करता है। उपयोगकर्ता पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा को डेटाबेस में एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत किया जाता है।

नेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड सहित सभी ऑनलाइन भुगतान एकीकरण यूआरएल-रिडायरेक्शन मॉडल पर लागू किए जाते हैं, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए संबंधित बैंकों/पेमेंट गेटवे वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट किया जाता है, जिससे आईआरसीटीसी की ओर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड का डेटा लीकेज होने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

पिछले वर्ष, कंपनी ने अपनी यात्रा एवं पर्यटन तथा खानपान सेवाओं के लिए आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिफ्रेश किया था और साइबर सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से कई साइबर सुरक्षा समाधान जैसे कि वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सिक्योर ईमेल गेटवे और मैलवेयर सैंडबॉक्सिंग सोल्यूशन लागू किए थे।

साइबर सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए, कंपनी ने अपने यात्रा और पर्यटन व्यवसाय के लिए पीसीआई डीएसएस सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए फरवरी 2022 में पीसीआई क्यूएसए सेवाओं को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 23 में पीसीआई डीएसएस प्रमाणन प्राप्त होने की अपेक्षा है।

साइबर सुरक्षा पर आईआरसीटीसी की गोपनीयता नीति सहित सूचना सुरक्षा नीतियां आईआरसीटीसी कॉरपोरेट पोर्टल (कर्मचारी लॉगिन के तहत) पर अपलोड की गई हैं। वेब लिंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

6. **विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस लेने के मामलों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें**

आवश्यक सेवा का वितरण:

- आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग एंटी–फ्रॉड (आईटीएएफ) टीम ने पिक तत्काल के दैनिक बुकिंग विवरण के आधार पर संदिग्ध लॉगिन के आईपी स्तर के ब्लॉक लगाने की पहल की है। इससे आम यात्रियों के लिए इंटरनेट टिकटिंग की उपलब्धता में सुधार हुआ है। मार्च, 2022 तक कुल 09 वीपीएस/क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के आईपी को सामान्य उपयोगकर्ता के लिए ब्लॉक किया गया और आईआरसीटीसी अधिकृत विक्रेताओं के लिए उन्हें व्हाइटलिस्ट किया गया।
- आईआरसीटीसी ने गहन और बुद्धिमत्तापूर्ण डेटा विश्लेषण के माध्यम से दलाली गतिविधियों की सक्रियता को कम करने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित फर्म के माध्यम से 'एंटी–टाउटिंग एंड साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिसिस' आयोजित किया है। विश्लेषण के परिणामस्वरूप अवैध तत्काल सॉफ़्टवेयर के उपयोग के माध्यम से होती दलाली गतिविधि की प्रभावशीलता कम हुई है जिससे आम जनता को सेवा की निर्बाध डिलीवरी की सुविधा मिल रही है।

साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता:

आईआरसीटीसी ने अपने ओर से आईआरसीटीसी सिस्टम और ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए, जब भी आवश्यक हो, आईआरसीटीसी एप्लिकेशन और सिस्टम में रिपोर्ट किए गए एप्लिकेशन स्तर और सिस्टम स्तर की भेद्यता को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा लगभग 32 ऐसी भेद्यता को सफलतापूर्वक कम किया गया था।

कंपनी अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता और अपने डेटा को प्रचलित साइबर सुरक्षा खतरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर है। कंपनी अपने डेटा को उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ सुरक्षित करती है और खराब वायरस या अन्य साइबर खतरों से सफलतापूर्वक प्रणाली की रक्षा करती है। सी–डैक के माध्यम से नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं।

उत्पाद वापस लेने की घटनाएं; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई की कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

इंटरनेट टिकटिंग

https://www.irctc.co.in/nget/train-search
http://contents.irctc.co.in/en/Rules.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/IRCTC_andriod_App.html
https://apps.apple.com/in/app/irctc-rail-connect/id1386197253
https://contents.irctc.co.in/en/Terms%20and%20conditions.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/About_IRCTC_eWallet.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/AboutSBICobrandCard.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/AboutIRCTCLoyaltyProgram.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/InsuranceTermCondition.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/Senior_Citizen_Concession.pdf
http://contents.irctc.co.in/en/Alert_Fraudulent_Emails.pdf

ई–कैटरिंग

https://www.ecatering.irctc.co.in/

पर्यटन

https://www.irctctourism.com/

माहाराजस एक्सप्रेस

https://www.the-maharajas.com/

बुद्धिस्ट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन

https://www.irctcbuddhisttrain.com/index

गोल्डन चेरियट

https://www.goldenchariot.org/

बस टिकट बुकिंग

https://www.bus.irctc.co.in/home

2. **उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदाराना उपयोग के बारे में सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

उपभोक्ता को शिक्षित और जागरूकता के लिए, इंटरनेट टिकटिंग सेवा से संबंधित विभिन्न विशेषताएं, ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए नियम और शर्तें, रिफंड के नियम, और सेवाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in और बिंदु संख्या 1 में ऊपर उल्लिखित लिंक पर उपलब्ध हैं।

3. **उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।**

उपभोक्ताओं को जानकारी वेबसाइट/मोबाइल ऐप पर अलर्ट के रूप में, पंजीकृत मेल आईडी पर मेल संचार के माध्यम से और उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर, पुश नोटिफिकेशन आदि के रूप में प्रसारित की जाती है।

4. **क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें। क्या आपकी संस्था ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि, इकाई या संपूर्ण इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/ नहीं)**

चूंकि आईआरसीटीसी द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवा में भारतीय रेलवे के ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकट जारी करना है, यात्री को जारी किए गए ट्रेन टिकट में यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण, ट्रेन नंबर, श्रेणी, यात्रियों के नाम, बोर्डिंग और गंतव्य स्टेशन, टिकट किराया साथ ही रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुसार रद्द करने/रिफंड आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

कंपनी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार रेल नीर बोतलबंद पेयजल के लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है।

5. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों की संख्या – शून्य

ख. ग्राहक की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत– शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08083674

दिनांक : 21.06.2022
स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म संख्या एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस
बाराखंबा रोड नई दिल्ली -110001, भारत

हमने **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट कार्य विधियों का पालन करने के संबंध में सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई है जिस से मुझे कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर मेरे द्वारा अपना मत व्यक्त किये जाने के लिए यथोचित आधार प्राप्त हो।

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी की लेखा पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्म और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन, और कंपनी के अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और समझ और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आम तौर पर यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में एतद पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अध्ययधीन यथोचित व्यापक आधार वाली प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र की व्यवस्था है।

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लेखा पुस्तकें, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, फॉर्म और फाइल किए गए रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम इसमें कोई विदेशी निवेश की सीमा तक विदेश में प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण;

(v) निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित है:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का भौतिक अधिग्रहण और अधिकार में लेना) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, **2014 लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का इश्यू और सूचीकरण) विनियम, **2008 लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम के बारे में और **ग्राहक के साथ व्यवहार लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं;**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुर्नखरीद) विनियम, **1998 लेखा परीक्षाअवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं; तथा**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)** विनियम, 2015।

(vi) कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू अन्य कानून:

क) डीपीई दिशानिर्देश;

ख) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002;

ग) दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954;

घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

ङ) ई-वेस्ट (प्रबंधन और प्रबंधन) नियम, 2011;

च) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के साथ पढ़ा जाए; तथा

छ) श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानून यथासंभव

ज) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 को जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) नियम 1975 के साथ पढ़ें

झ) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974

ञ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

ट) कारखाना अधिनियम, 1945

ठ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2016

ड) कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009

हमने मानकों की लागू धाराओं के अनुपालन की भी निम्न जांच की है:

(i) बोर्ड और कंपनी की आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 के अंतर्गत सूचीबद्धता करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लेखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन निम्नलिखित अवलोकन के अधीन किया है:

क्र. स.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए गए थे।	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) रेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक “सरकारी कंपनी” है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित । इसके अलावा, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 67.40% हिस्सा है। तदनुसार, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद संख्या 58 (ई) के अनुसार, इसके बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। कंपनी सेबी एलओडीआर नियम, कंपनी अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देश के लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए नियमित आधार पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को अपने बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के मुद्दे के बारे में सूचित करती रही है।
2	समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड स्तरीय समितियों अर्थात लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना अनुपालन में नहीं थी।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना यानी लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की रचना, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुपालन में नहीं थी। दो (02) स्वतंत्र निदेशकों, श्री विनय कुमार शर्मा और श्री नामग्याल वांगचुक की कंपनी के बोर्ड में क्रमशः 09 नवंबर, 2021 और 12 नवंबर, 2021 से नियुक्ति के साथ,सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार बोर्ड स्तरीय समितियों यानी लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का तुरंत पुनर्गठन किया गया।

क्र. स.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
		31 मार्च, 2022 तक, बोर्ड स्तर की सभी समिति यानी लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति, सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015, कंपनी अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुपालन में हैं
3	कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) नियम, 2015 के अंतर्गत अपेक्षित समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए है	कंपनी अपने संयुक्त उद्यम (जेवी), रॉयल इंडिया रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) का कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (50% शेयर के साथ संयुक्त उद्यम भागीदार) के साथ वित्तीय वर्ष 2011 से चल रहे मुकदमेबाजी और आरआईआरटीएल के वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के कारण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में सक्षम नहीं है और मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष न्यायाधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक अनुसूची की सूचना पर्याप्त नोटिस पर दी गई थी, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट बैठक से सात दिन पहले भेजे जाते है सिवाय उनके जिसे कम समय के नोटिस पर आयोजित की जाती है, और एक ऐसी प्रणाली उपलब्ध है जिसमें बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त की जा सकती है जिससे बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी हो सके।

अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं तथापि असहमत सदस्यों के विचार प्राप्त करके कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में रखे जाते हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों के रखरखाव की समीक्षा लेखापरीक्षा में नहीं की गई हैं क्योंकि यह नामित व्यावसायिक वैधानिक वित्त लेखापरीक्षक की समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (BSE) ने सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 17, 18, 19, 20 और 21 के प्रावधानों के अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। सेबी के एसओपी परिपत्र के खंड 3 (क) के अनुसार लगाए गए जुर्मने से छूट के लिए एक्सचेंज की नीति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने दंड में छूट देना का अनुरोध किया है क्योंकि एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

कृते **अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
(कंपनी सचिव)

सीएस अमित अग्रवाल
प्रोपराइटर
सीपी नं. 3647, एम नं.5311
यूडीआईएनः F005311D000513885

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

इस रिपोर्ट को मेरे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसे "**अनुलग्नक- क**" के रूप में संलग्न किया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में,
सदसय गण,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस
बाराखंबा रोड नई दिल्ली –110001, भारत

सम दिनांक की मेरी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट निम्न के साथ पी जाए:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. सचिवीय रिकॉर्ड की विषय वस्तु की सत्यता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और कार्य विधियों का अनुसरण किया है। इसका सत्यापन हमने परीक्षण के आधार पर किया था ताकि, सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्यों का दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। हमें विश्वास हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं कार्य विधियां हमारी राय के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उनकी उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां भी अपेक्षित था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटित होने वाली घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करने कि जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता की कोई कार्यकुशलता हैं, जिसके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

सीएस अमित अग्रवाल
प्रोपराइटर
सीपी नं. 3647, एम नं.5311
यूडीआईएन: F005311D000513885

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

(2021–22 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 1	वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 में रेलवे बोर्ड द्वारा बिक्री मूल्यांकन के संबंध में अभ्यास के रूप में, वित्तीय वर्ष 2019–20 में किए गए टैरिफ संशोधन के कारण लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से राजस्व की गैर–मान्यता के संबंध में नोट संख्या 79 की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत (%) निर्धारित करेगी, जो अभी भी प्रगति पर है। चूंकि मान्यता प्राप्त राजस्व को इस स्तर पर विश्वसनीय तरीके से मापा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे स्थगित कर दिया गया है।	सीसी–60 के अनुसार, कोविड महामारी के कारण बिक्री का आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि या तो ट्रेनें नहीं चल रही थीं या बहुत ही कम संख्या में पर चल रही थीं। इसलिए उपरोक्त परिपत्र के कारण आय को वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 में बुक नहीं किया गया था। बिक्री मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है और इसके पूरा होने पर आय दर्ज की जाएगी।
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 2	मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में नोट संख्या 77 की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जिसके लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा है।	कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन किया है जिसके लिए एएआर का निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है: सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से जनहित में आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों से लिया जाता सेवा शुल्क को माफ कर दिया था। भारत सरकार ने 2017–18, 2018–19 और 2019–20 (जुलाई–19 तक) के लिए क्रमशः 8000 लाख, 8800 लाख और 3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 (2), केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को कर योग्य आपूर्ति से बाहर रखती है, इसलिए केंद्र सरकार के तहत भारतीय रेलवे द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उपरोक्त प्रतिपूर्ति के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था। यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मुफ्त में यात्रा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने नि:शुल्क बीमा प्रदान किया है जिसके लिए रेल मंत्रालय को 47 करोड़ रुपये के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कंपनी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था। एक्वायरर बैंकों से प्राप्त हुआ एमडीआर एमडीआर पर लगाए गए शुल्क की दर या मर्चेंट सेवा प्रदाता पर लगाया शुल्क के लिए, आईआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2019–20 में एक्वायरर बैंकों से 300 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी के रूप में गिना है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी को आपूर्ति के मूल्य से बाहर रखा जाता है और इस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
		आईआरसीटीसी ने खानपान नीति, 2017 के अनुसार एसबीडी ट्रेनों के कैटरिंग का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय रेलवे से यथानुपात लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया है, जो वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए 1385 लाख रुपये, 7058 लाख रुपये, 125 लाख रुपये है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था, इस तथ्य के मद्देनजर कि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं होती है क्योंकि यह भारतीय रेलवे द्वारा जीएसटी लागू करने से पहले लाइसेंसधारी से प्राप्त किया गया था और इसकी प्राप्ति के समय वित्त अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को देय लाइसेंस के अनुदान पर सेवा कर लागू नहीं था। भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को भुगतान की गई आनुपातिक राशि निविदा अवधि के शेष भाग के लिए है जिसे जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी आईआरसीटीसी को लाइसेंस देने से लेन-देन का तरीका नहीं बदलता है क्योंकि लाइसेंस जीएसटी के लागू करने से पहले प्रदान किया गया है। कर वह है जब सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान/आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, लाइसेंस प्रदान करने वाली सेवा भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने के समय प्रदान की गई थी। कंपनी ने अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण को इस संबंध में जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध किया है।
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट- 3	वैट आयुक्त ने दिनांक- 23 मार्च 2006 को आदेश जारी कर ट्रेनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री के रूप में मानते हुए उस पर वैट लगाने के संबंध में नोट संख्या 37.2 (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते है श्र कंपनी की याचिका को अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और अब एसएलपी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। कंपनी ने पिछले वर्षों में 8,251.01 लाख रुपये (समान वैट इनपुट और भुगतान किए गए सेवा कर का शुद्ध) के वैट देयता के लिए प्रावधान किया है क्योंकि कंपनी का तर्क है कि इनमें से केवल एक कर लागू किया जा सकता है। 1,119 लाख रुपये की वैट इनपुट राशि को अन्य वर्तमान संपत्ति के तहत वैधानिक प्राधिकरणों के बकाया राशि के रूप में बताया गया है।	मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के पास लंबित है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37.2(iii) में इसका प्रकटन पहले ही किया जा चुका है।
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट- 4	(i) बड़ी संख्या में टिकट बुकिंग और रद्दीकरण और (ii) स्वचालित समाधान प्रणाली के लिए आवश्यक बैंकों से लेनदेन-वार दैनिक डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी के इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में संचालित किए जा रहे कई बैंक खातों में लेन-देन को लेनदेन समाधान द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसके संबंध में नोट संख्या 38 है।	(i) कंपनी टिकट बुकिंग और रद्दीकरण लेनदेन के एन्ड टु एन्ड समाधान प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता खोजने की प्रक्रिया में है और इस संबंध में निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। (ii) आज की तारीख में 13 बैंक हैं, जो डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का लेनदेन-वार विवरण प्रदान नहीं कर रही हैं। डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों के लिए लेन-देनवार विवरण प्रदान करने के लिए इन बैंकों को लगातार सूचना दी जा रही है, इसलिए एन्ड टु एन्ड तक का समाधान किया जा सके।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 5	बड़ी संख्या में लेगेसी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के संबंध में नोट संख्या 85, जिसमें रेलवे से / के लिए खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित और व्यापार प्राप्तियों, विविध लेनदारों, प्राप्त जमा आदि के संबंध में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता बही के बीच अंतर शामिल हैं, जो 31 मार्च, 2022 तक पुष्टि/समाधान और समायोजन के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, हम व्यापार देय और अन्य देयताओं में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान और वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा प्रस्तुत व्यापार देय और प्राप्तियों के एजिंग पर निर्भर हैं। हमारी राय में, व्यापार देय और देय और प्राप्तियों के एजिंग की पहचान की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ये सही ढंग से उल्लेखित हो।	व्यापार प्राप्ति/व्यापार देय के संबंध में अधिकांश बकाया विभिन्न जोनल रेलवे और सरकारी संस्थाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा, रेलवे नकद आधार पर लेखांकन करता है और इसलिए प्राप्य/देय के संबंध में किसी विशेष तिथि पर रेलवे द्वारा शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है। तथापि, रेलवे से बकाया राशि के समाधान और वसूली के लिए संबंधित जोनल रेलवे के साथ नियमित समाधान बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रेलवे/सरकारी निकायों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भी भेजा जा चुका है, लेकिन पार्टियों की ओर से संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुए है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पहली बार मैन्युअल आधार पर देयताओं की व्यापार देय/व्यापार प्राप्य और अन्य देयताओं में उनकी एजिंग के साथ पहचान/वर्गीकरण किया गया है। हालांकि, सिस्टम जनरेटेड डेटा प्राप्त करने के लिए इसे ईआरपी में ही लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 6	रेलवे टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए कंपनी के पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से प्राप्त एकीकरण शुल्क (एकमुश्त गैर–वापसी योग्य) की आय के लिए लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध में नोट संख्या 84 जिसे अब तक एक से तीन वर्ष की प्रारंभिक अनुबंध अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि अब इसे ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर भारतीय लेखा मानक 115 की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुबंध अवधि (अनुमानित 20 वर्ष) में मान्यता दी जा रही है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 पिछले वर्ष के लाभ में 56.04 लाख रुपये की कमी हुई है (18.85 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में 342.27 लाख रुपये (115.13 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) की कमी हुई है और 31 मार्च, 2020 को अन्य इक्विटी जिसमें प्रतिधारित आय शामिल है, वह भी 1,325.70 लाख रुपये (445.91 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) कम हो गई।	रेलवे टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कंपनी को बुकिंग एजेंटों (नॉन रिफंडेबल एकबारगी शुल्क) से वार्षिक रखरखाव शुल्क के साथ इंटीग्रेशन शुल्क प्राप्त हो रहा है, जो टिकट बुकिंग की मात्रा आदि के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। भारतीय लेखा मानक के अनुसार लेखांकन के अनुरूप राजस्व को स्थगित करने के लिए प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2020–21 तक 03 वर्ष के बजाय 20 वर्ष का जीवन लिया है और और उसी का प्रभाव लेखा मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखा में भी लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरण में इंटीग्रेशन शुल्क पर नोट 84 के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय पर हुए प्रभाव का विवरण भी दिया गया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 7	राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी सूचना दिनांक 25.02.2022 के संबंध में नोट संख्या 37.2(v), जिसमें कंपनी के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने पर कर की दर में कमी होने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले पीने के पानी के रेल नीर ब्रांड के एमआरपी में आनुपातिक कमी न करके उपभोक्ताओं को कर की दर में कमी का लाभ नहीं देने और 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि तक 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया। कंपनी का तर्क है कि रेल नीर पेयजल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल, बिजली, मानव संसाधन की कीमत, माल-भाड़ा (फ्रैट) में हुई वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी ने अभी तक उपरोक्त नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को सही ठहराती है।	रेलवे द्वारा विभागीय रूप से संचालित रेल नीर संयंत्रों से लाभ का 15% और लाइसेंस के माध्यम से संचालित रेल नीर संयंत्रों के लिए 40% राजस्व हिस्सेदारी की रेलवे की मांग के संदर्भ में, सभी रेल नीर के लिए 15% लाभ के आईआरसीटीसी के प्रस्ताव पर रेलवे द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि ये विभागीय रूप से संचालित होते हैं। इसके अलावा, रेलवे द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2020-21 के लिए 27.13 करोड़ रुपये का लाभ साझा करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया हैं, जो भारतीय रेल और आईआरसीटीसी के बीच किसी भी बकाया राशि के समाधान के अधीन है।
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 8	राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी सूचना दिनांक 25.02.2022 के संबंध में नोट संख्या 37.2(v), जिसमें कंपनी के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने पर कर की दर में कमी होने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले पीने के पानी के रेल नीर ब्रांड के एमआरपी में आनुपातिक कमी न करके उपभोक्ताओं को कर की दर में कमी का लाभ नहीं देने और 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि तक 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया। कंपनी का तर्क है कि रेल नीर पेयजल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल, बिजली, मानव संसाधन की कीमत, माल-भाड़ा (फ्रैट) में हुई वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी ने अभी तक उपरोक्त नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को सही ठहराती है।	रेलवे द्वारा एमआरपी तय की जाती है और आईआरसीटीसी का रेल नीर बोतलबंद पेयजल की एमआरपी पर कोई नियंत्रण नहीं है। तदनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण आईआरसीटीसी द्वारा मुनाफाखोरी के आरोप वाले नोटिस का जवाब 06-06-2022 को मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है। मामले को न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 9	अप्रैल 2022 में 7,400 लाख रुपये की राशि के मध्यस्थता पुरस्कार साथ ही जनवरी 2018 से 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, जिसे कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए वेलकम ड्रिंक की आपूर्ति के लिए दावों की मूल राशि का प्रतिनिधित्व करता है और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, उसकी प्रतिपूर्ति इन लाइसेंसधारियों को की गई थी, उसके संबंध में नोट संख्या 37.2 (iv) । कंपनी का तर्क है कि इस मामले पर रेलवे से निर्देश प्राप्त करने के लिए उनको मामला भेजा गया है क्योंकि इस मामले में मुख्य देयता रेलवे की होगी और कंपनी को रेलवे से वसूली करने का अधिकार है, अगर उसे अंततः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।	मामला रेलवे को भेजा गया है और इस मामले में मुख्य जिम्मेदारी रेलवे की होगी। आगे उक्त मामले को दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आपत्तियों के माध्यम से चुनौती दी जाएगी।
महत्वपूर्ण विषय का पॉइंट– 10	रेलवे, अन्य पार्टियों और बैंकों को भेजे गए बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर के संबंध में नोट संख्या 39। रेलवे से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी और वर्तमान में, रेलवे के साथ बकाया का आवधिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली / तंत्र नहीं है जिसमें 31 मार्च, 2022 तक पर्याप्त निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट पुष्टि शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई शेष पुष्टि का जवाब योग्य नहीं था । वर्ष के अंत में बकाया राशि का उचित खुलासा सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई पार्टियों की पहचान को ठीक से प्रलेखित और दर्ज करने की आवश्यकता है।	देनदारों के साथ-साथ लेनदारों को कन्फर्मेशन पत्र सभी पार्टियों (रेलवे के साथ-साथ गैर रेलवे) को भेजा जाता है। रेलवे लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन कर रहा है जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करता है और आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच बड़ी मात्रा में लेनदेन चल रहा है। देय/प्राप्ति योग्य के समाधान के लिए जोनल रेलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तृतीय पार्टी के बैलेंस कन्फर्मेशन से प्रतिक्रिया के संबंध में, पार्टियों को पुष्टिकरण भेजने के लिए सख्ती से निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा, एमएसएमई पार्टियों की पहचान/निगरानी के लिए आईटी टीम द्वारा विकसित किए गए बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस) में आवश्यक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ईआरपी में एमएसएमई पार्टियों की पहचान के लिए प्रक्रिया/प्रणाली भी विचाराधीन है।
अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट का पॉइंट 2 (ए)	रेलवे, अन्य देनदारों, लेनदारों से/को देय राशियों के लिए बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र प्राप्त न होने और बैंक के पास शेष/जमा राशि को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।	व्यापार प्राप्य/व्यापार देय के संबंध में अधिकांश बकाया विभिन्न जोनल रेलवे और सरकारी संस्थाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा, रेलवे नकद आधार पर लेखांकन करता है और इसलिए किसी विशेष तिथि पर रेलवे द्वारा प्राप्य/देय के संबंध में शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा सकती है हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे/सरकारी निकायों और अन्य देनदारों, लेनदारों को आवश्यकता के अनुसार बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भी भेजा गया है। अब से, तृतीय पार्टी की बैलेंस कन्फर्मेशन के संबंध में, पार्टियों को भी पुष्टिकरण भेजने के लिए सख्ती से निर्देश दिया जाएगा।
लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-1 का पॉइंट 1 (ए)	इन परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) का मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	आईआरसीटीसी पहले से ही परिसंपत्तियों को पहचान संख्या देता है और सभी प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान संख्या है। हालांकि, यह कुछ नई खरीदी गई परिसंपत्तियों /छोटी परिसंपत्तियों को संख्या नहीं दी गई है। इसे पालन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश आईआरसीटीसी के सभी जोनल कार्यालयों को निरंतर जारी किए जा रहे हैं।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1 का पॉइंट i (सी)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, स्थायी परिसंपत्तियों के टाइटल डीड (स्थायी परिसंपत्तियों के अलावा जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टे के समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है) का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटन कंपनी के नाम पर है, सिवाय वे परिसंपत्तियों के जिनके संबंध में मूल बिक्री / पट्टा विलेख हमें प्रस्तुत नहीं किया गया था या टाइटल दस्तावेज अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं और तदनुसार, हम असमर्थ यह टिप्पणी देने के लिए कि क्या ये कंपनी के नाम पर हैं। (नोट देखें :- 74)	खजुराहो, केवड़िया और डब्ल्यूआर फ्लैट्स मुंबई में संपत्तियों के लेखा परीक्षा के अवलोकन के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सभी संपत्तियां संबंधित अधिकारियों द्वारा आईआरसीटीसी को आवंटित की गई हैं। आवश्यकता के अनुसार पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी ताकि संपत्तियों का पंजीकरण आईआरसीटीसी के नाम पर किया जा सके।
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1 का पॉइंट xiv (ए)	ज़ोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों और रेलनीर संयंत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा को छोड़कर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसे हमारी राय में, कंपनी द्वारा संचालित व्यवसाय के कवरेज के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है और वर्ष-अंत लेनदेन सामग्री सहित लेन-देन लेखापरीक्षा में भी इसे अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त कवरेज की आवश्यकता है;	पैन इंडिया के आधार पर सीएजी की सूचीबद्ध सूची से एक सीमित निविदा मंगाकर सीए फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है और कंपनी के संचालन के अनुरूप काम के विस्तृत दायरे के अनुसार लेखा परीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के दौरान जोन और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के कवरेज पर लेखा परीक्षक द्वारा दी गई सिफारिश को प्रबंधन द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1 का पॉइंट xiv (बी)	हमने 28 फरवरी, 2022 को समाप्त 11 महीने की अवधि की हमें प्रस्तुत की गई आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को ध्यान में लिया है;	लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के समय मार्च 2022 तक की सभी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा की गई थी। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ज़ोन में अंतरिम लेखापरीक्षा के समय, कुछ ज़ोन की आंतरिक लेखापरीक्षा चल रही थी और केवल उस समय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई थी।
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–2 का पॉइंट 5(i)	कुछ सहायक और नियंत्रण लेखा पुस्तकों के बीच अंतर मौजूद है, प्रबंधन द्वारा राशियाँ निर्धारित नहीं की गई है, जिन्हें अभी तक पहचाना जाना है, लेखा पुस्तकों में मिलान और सुधार किया जाना है। इसके अलावा, व्यापार और अन्य देयताओं में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान की प्रणाली और चालान के साथ भुगतान को जोड़ने सहित व्यापार देय और प्राप्तियों की एजिंग को वित्तीय विवरणों में उनकी उचित प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा पूर्ण समीक्षा और विश्लेषण की आवश्यकता है।	ओरेकल की टीम की मदद से जीएल और सब लेजर के बीच अंतर की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। मतभेद के वास्तविक कारणों का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहली बार मैन्युअल आधार पर एजिंग के साथ व्यापार देय/व्यापार प्राप्य और अन्य देयताओं में देयताओं की पहचान/वर्गीकरण किया गया है। हालांकि, सिस्टम जनरेटेड डेटा प्राप्त करने के लिए इसे ईआरपी में ही लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–2 का पॉइंट 5(ii)	रेलवे को भेजे गए बैलेंस कन्फर्मेशन पत्रों के लिए कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2022 तक पर्याप्त निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सहित रेलवे के साथ बकायों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली / तंत्र मौजूद नहीं है। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई बैलेंस कन्फर्मेशन का उत्तर उचित रूप से प्राप्त नहीं हुआ था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर बैलेंस कन्फर्मेशन प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए।	देनदारों के साथ-साथ लेनदारों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र सभी पार्टियों (रेलवे के साथ-साथ गैर रेलवे) को भेजा जाता है। रेलवे लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन कर रहा है जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करता है और आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच बड़ी मात्रा में लेनदेन चल रहा है। देय/प्राप्ति योग्य के समाधान के लिए जोनल रेलों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तृतीय पार्टी बैलेंस की पुष्टि की प्रतिक्रिया के संबंध में, पार्टियों को पुष्टिकरण भेजने के लिए सख्ती से निर्देश दिया जाएगा।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की मद	लेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–2 का पॉइंट 5(iii)	सिस्टम–आधारित स्वचालित नियंत्रणों, जांच और बैलेंस के बजाय मैन्युअल नियंत्रणों का पालन किया जाता है क्योंकि तृतीय पार्टी एप्लिकेशन / पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन मैन्युअल रूप से ईआरपी में एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करके पोस्ट किए जाते हैं क्योंकि मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कंपनी के कुछ कार्यों / खंडों के साथ एकीकृत नहीं है।	उस प्रक्रिया में बदलाव होगा जहां से मूल डेटा पर चर्चा की जा रही है और तृतीय पार्टी एप्लिकेशन जैसे एयर पोर्टल, टिकटिंग और पर्यटन आदि के एकीकरण के साथ एक स्वचालित समाधान को डिजाइन और विकसित किया जाएगा। अत्यधिक विशाल डेटा प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए व्यावसायिक फर्म को काम पर रखने के लिए जीईएम में निविदा जारी करने को मंजूरी दी गई। आंतरिक आईटी टीम ने पहले ही लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए सिस्टम आधारित नियंत्रणों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–2 का पॉइंट 5(iv)	लेगेसी प्रविष्टियों सहित निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की पहचान के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं जिन्हें क्रमशः बट्टे खाते में डालने (राइट–ऑफ) और वापस लेने (राइट–बैक) की आवश्यकता है, अस्तित्व में नहीं हैं, इसलिए उन्हें तैयार / निर्धारित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।	खानपान नीति में परिवर्तन के कारण अधिकतर प्रविष्टियां रेलवे से संबंधित हैं। प्रचलित डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के साथ लेगेसी मदों का समाधान और पहचान प्रगति पर है।
लेका परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–3 का पॉइंट 1	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन के एक बड़े हिस्से को आईटी के माध्यम से संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हालांकि, कुछ मॉड्यूल (उदाहरण के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्ति और संपत्ति उपयोग का अधिकार, पेरोल और एआरसीएस (एकाउंट्स रेकन्सिलीऐशन क्लाउड सेवाएं)। के लंबित कार्यान्वयन को देखते हुए ओरेकल सिस्टम का मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन एंड टू एंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग राशि, पर्यटन के एमसीडीओ डेटा, ई–कैटरिंग, रेलनीर संयंत्र डेटा और लेनदेन एक्सेल में संकलित किए जाते हैं और ईआरपी के वित्तीय लेखा मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से अपलोड/पोस्ट किए जाते हैं, क्योंकि इन तृतीय पार्टी एप्लिकेशन में से लिया गया मास्टर डेटा और लेनदेन डेटा ईआरपी एप्लिकेशन के साथ संगत नहीं है। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया में खातों की अखंडता के संबंध में कोई भौतिक समस्या नहीं है।	स्थायी परिसंपत्ति मॉड्यूल लागू करने की प्रक्रिया में है। आईआरसीटीसी की व्यावसायिक प्रक्रिया के अनुसार एआरसीएस मॉड्यूल के संपूर्ण उपयोग की समीक्षा की जाएगी। डेटा को एकीकृत करने के उद्देश्य से, रेलनीर संयंत्रों के लिए विकसित की गई एसीएम ऐप पहले से ही ज़ोन और क्षेत्रों में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। ईआरपी के साथ तृतीय पार्टी एप्लिकेशन (टिकटिंग और पर्यटन) से एमसीडीओ के विशाल लेनदेन संबंधी डेटा के एकीकरण के लिए, आईटी विभाग ऐसे काम के लिए कुशल संसाधनों वाली एक एजेंसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08083674

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

फार्म सं. एओसी –2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुपालन में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) सहित कुछ आर्म्स लेंथ लें-दें के अंतर्गत उसकी तृतीय पार्टी प्रावधानों में उल्लेखानुसार संबद्ध पार्टियों के साथ कंपनी ने संविदाएं/व्यवस्थाएं की हैं, उनसे संबंधित विवरणों का खुलासा करते हुए फॉर्म इस प्रकार है:

1. संविदा या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो आर्म्स लेंथ के अंतर्गत नहीं आते हैं:

संबद्ध पार्टी का नाम	संबद्धता की प्रकृति	संविदा अवधि	प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियां	राशि रुपये में	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो

शून्य

2. भौतिक संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण जो आर्म्स लेंथ के अंतर्गत नहीं आते हैं:

संबद्ध पार्टी का नाम	संबद्धता की प्रकृति	संविदा अवधि	प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियां	राशि रुपये में	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो

शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रजनी हसीजा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08083674

दिनांक: 21.06.2022
स्थानः नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यों,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (अब इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संबोधित किया जाएगा) के सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप, 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य निष्पादन), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुच्छेद लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं से कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम नीचे दिए गए मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में रेलवे बोर्ड द्वारा बिक्री मूल्यांकन के संबंध में अभ्यास के रूप में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए गए टैरिफ संशोधन के कारण लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से राजस्व की गैर-मान्यता के संबंध में नोट संख्या 79 की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत (%) निर्धारित करेगी, जो अभी भी प्रगति पर है। चूंकि मान्यता प्राप्त राजस्व को इस स्तर पर विश्वसनीय तरीके से मापा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे स्थगित कर दिया गया है।

2. मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए कंपनी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में नोट संख्या 77 की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जिसके लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा है।

3. वैट आयुक्तने दिनांक- 23 मार्च 2006 को आदेश जारी कर ट्रेनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं को बिक्री के रूप में मानते हुए उस पर वैट लगाने के संबंध में नोट संख्या 37.2 (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते है श्र कंपनी की याचिका को अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और अब एसएलपी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। कंपनी ने पिछले वर्षों में 8,251.01 लाख रुपये (समान वैट इनपुट और भुगतान किए गए सेवा कर का शुद्ध) के वैट देयता के लिए प्रावधान किया है क्योंकि कंपनी का तर्क है कि इनमें से केवल एक कर लागू किया जा सकता है। 1,119 लाख रुपये की वैट इनपुट राशि को अन्य वर्तमान संपत्ति के तहत वैधानिक प्राधिकरणों के बकाया राशि के रूप में बताया गया है।

4. (i) बड़ी संख्या में टिकट बुकिंग और रद्दीकरण और (ii) स्वचालित समाधान प्रणाली के लिए आवश्यक बैंकों से लेन-देन-वार दैनिक डेबिट और क्रेडिट रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, कंपनी के इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में संचालित किए जा रहे कई बैंक खातों में लेन-देन को लेनदेन समाधान द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसके संबंध में नोट संख्या 38 है।

5. बड़ी संख्या में लेगेसी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के संबंध में नोट संख्या 85, जिसमें रेलवे से / के लिए खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित और व्यापार प्राप्तियों, विविध लेनदारों, प्राप्त जमा आदि के संबंध में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता बही के बीच अंतर

शामिल हैं, जो 31 मार्च, 2022 तक पुष्टि/समाधान और समायोजन के लिए लंबित हैं।

इसके अलावा, हम व्यापार देय और अन्य देयताओं में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान और वित्तीय विवरणों में कंपनी द्वारा प्रस्तुत व्यापार देय और प्राप्तियों के एजिंग पर निर्भर हैं। हमारी राय में, व्यापार देय और देय और प्राप्तियों के एजिंग की पहचान की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में ये सही ढंग से उल्लेखित हो।

6. रेलवे टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए कंपनी के पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से प्राप्त एकीकरण शुल्क (एकमुश्त गैर-वापसी योग्य) की आय के लिए लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध में नोट संख्या 84 जिसे अब तक एक से तीन वर्ष की प्रारंभिक अनुबंध अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई थी, जबकि अब इसे "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" पर भारतीय लेखा मानक 115 की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए अपेक्षित अनुबंध अवधि (अनुमानित 20 वर्ष) में मान्यता दी जा रही है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 पिछले वर्ष के लाभ में 56.04 लाख रुपये की कमी हुई है (18.85 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में 342.27 लाख रुपये (115.13 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) की कमी हुई है और 31 मार्च, 2020 को अन्य इक्विटी जिसमें प्रतिधारित आय शामिल है, वह भी 1,325.70 लाख रुपये (445.91 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) कम हो गई।

7. 2007-08 से 2020-21 की अवधि के लिए रेल नीर विभाग के लाभ का 15% हिस्सा यानि 2,713.32 लाख रुपये के संबंध में नोट संख्या 54 (बी) और 83 (ii), जिसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे को किया गया है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने कंपनी का यह तर्क कि रेल नीर कैटरिंग विभाग का हिस्सा है और कैटरिंग विभाग घाटे में है, और इसे लाभ और हानि विवरण में एक असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है, उसको स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, रेलवे बोर्ड पीपीपी संयंत्रों के राजस्व का 40% हिस्सा मांग रहा है जबकि कंपनी ने तर्क दिया है कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंस के आधार पर संचालित नहीं किए जाते हैं और तदनुसार इन संयंत्रों के लाभ का 15% हिस्सा भुगतान किया जाता है जो उपरोक्त भुगतान में शामिल है। चालू वर्ष के व्यय के रूप में 2,713.32 लाख रुपये के उपरोक्त भुगतान के मद्देनजर कंपनी को चालू वर्ष के लाभ में रेलवे के हिस्से के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं लगा है। ये मामले रेलवे द्वारा/के साथ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।

8. राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी सूचना दिनांक 25.02.2022 के संबंध में नोट संख्या 37.2(v), जिसमें कंपनी के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने पर कर की दर में कमी होने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले पीने के पानी के रेल नीर ब्रांड के एमआरपी में आनुपातिक कमी न करके उपभोक्ताओं को कर दर में कमी का लाभ नहीं देने और 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि तक 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया। कंपनी का तर्क है कि रेल नीर पेयजल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल, बिजली, मानव संसाधन की कीमत, माल-भाड़ा (फ्रैट) में हुई वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी ने अभी तक उपरोक्त नोटिस का जवाब नहीं दिया है, लेकिन कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को सही ठहराती है।

9. अप्रैल 2022 में 7,400 लाख रुपये की राशि के मध्यस्थता पुरस्कार साथ ही जनवरी 2018 से 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, जिसे कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए वेलकम ड्रिंक की आपूर्ति के लिए दावों की मूल राशि का प्रतिनिधित्व करता है और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, उसकी प्रतिपूर्ति इन लाइसेंसधारियों को की गई थी, उसके संबंध में नोट संख्या 37.2 (iv) श्र कंपनी का तर्क है कि इस मामले पर रेलवे से निर्देश प्राप्त करने के लिए उनको मामला भेजा गया है क्योंकि इस मामले में मुख्य देयता रेलवे की होगी और कंपनी को रेलवे से वसूली करने का अधिकार है, अगर उसे अंततः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।

10. रेलवे, अन्य पार्टियों और बैंकों को भेजे गए बैलेंस कन्फर्मेशन लेटर के संबंध में नोट संख्या 39। रेलवे से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी और वर्तमान में, रेलवे के साथ बकाया का आवधिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली / तंत्र नहीं है जिसमें 31 मार्च, 2022 तक पर्याप्त निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट पुष्टि शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई शेष पुष्टि का जवाब योग्य नहीं था वर्ष के अंत में बकाया राशि का उचित खुलासा सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई पार्टियों की पहचान को ठीक से प्रलेखित और दर्ज करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में, संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

आकस्मिक देयताओं के मुकदमो का आकलन और संबंधित प्रकटीकरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट नंबर 2 (ओ)- अनुमानों और निर्णयों का उपयोग-प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति और "आकस्मिक देयताओं" और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी के उपरोक्त नोट्स में उल्लेखित विभिन्न मामलों से संबंधित मुकदमे चल रहे है।

आर्थिक संसाधनों के भौतिक बहिर्वाह की संभावना और क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं, उसका निर्धारण करने के लिए ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए प्रबंधन के अर्थपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। उचित माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कानूनी सलाह के साथ निर्णय को समर्थित किया जाता है।

चूंकि मुकदमों का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है और प्रबंधन द्वारा ली गई स्थिति उनके सर्वोत्तम निर्णय पर आधारित होती है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह, कानूनों/विनियमों की व्याख्या से संबंधित सलाह सहित संबंधित कानूनी सलाह के अधीन हो सकती है, इसलिए इसकी पहचान हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।

हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- हमने प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से संबंधित मुकदमों के आकलन संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा, उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया;
- हमने इन मामलों पर विभिन्न अदालतों/प्राधिकारियों के नवीनतम आदेशों/निर्णयों को पढ़ा और उन्हें ध्यान में रखा;
- हमने इन-हाउस लीगल हेड, कर सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ताकि महत्वपूर्ण मुकदमों के सबसे संभावित परिणाम पर उनके आकलन को समझ सके और इन मुकदमों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार को समझा जा सके;
- हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं /अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया;
- जहां प्रासंगिक हो वहां, हमने प्रबंधन द्वारा प्राप्त, बाहरी कानूनी राय को ध्यान में लिया;
- हमने समान मामलों में पूर्ववर्ती सेट को समझकर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया और प्रबंधन के पिछले अनुमानों/निर्णयों की विश्वसनीयता का आकलन किया;
- हमने उन मामलों के बारे में प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है या जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि भौतिक बहिर्वाह की संभावना को प्रबंधन द्वारा न्यूनतम माना जाता है; तथा
- हमने कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।

उपरोक्त किए गए कार्य के आधार पर, मुकदमों के संबंध में प्रबंधन का आकलन और आकस्मिक देयताओं/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की जानकारी सहित मंडल की रिपोर्ट, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक विवरण गलत है, तो हमें अभिशासन के प्रभारी को मामले से अवगत कराना आवश्यक है । ऐसी अन्य जानकारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लंबित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन, और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देता है।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेका रिकार्डों का रखरखाव भी शामिल होता है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके; समुचित लेखाकरण का चयन करके उन्हें लागू किया जा सके; निर्णय लिए जा सकें तथा वे अनुमान तैयार किए जा सकें जो उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण हों; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव किया जा सके; जो लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के किए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए अपेक्षित थे, जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं और किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो सकती है, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की योग्यता के आकलन का उत्तरदायी होता है कि वह चल रहे कारोबार को जारी रखे, जैसा लागू हो,

चल रहे कारोबार से संबंधित मामलों को प्रकट करे और जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने का प्रयास करे अथवा कार्यों को रोक दे अथवा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु उसे ऐसा करना पड़े, तब तक चल रहे कारोबार को लेखांकन का आधार बनाया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलकर वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के कारण है, जिसमें हमारी रे शामिल होती है। पर्याप्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं होती है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाया जा सके। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यों की गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि अकेले से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होने संभावित हो सकते है।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करते है, कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, और उन जोखिमों के प्रति उपयोगी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और लागू करते है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है, जो हमारी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होता हैं, के क्रम में लेखापरीक्षा के अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण की जानकरी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और उक्त नियंत्रणों के संचालन की कोई प्रभाविता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की पर्याप्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- चल रहे कारोबार के लेखांकन के संबंध में पर्याप्तता का निष्कर्ष, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होता हैं, भले ही गतिविधियों अथवा स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो, जो चल रहे कारोबार को जारी रखने में कंपनी की योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कराती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण करने के लिए हमें ध्यानाकर्षित करना अपेक्षित है, अथवा यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त हो, तो हमें अपनी राय में संसोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी होने की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की गतिविधियां या स्थितियां कंपनी के चल रहे कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- संपूर्ण प्रस्तुति, स्ट्रक्चर और वित्तीय विवरणों की सामग्री सहित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना और यह देखने कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेनदेन और गतिविधियों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जिससे निष्पक्ष स्थिति प्रकट होती है।

हम इन से समन्वय करते हैं जिन पर अन्य मामलों के साथ-साथ, नियोजित दायरे और लेखापरीक्षा के समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों के संचालन का प्रभारी होता है, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान सामने लाते हैं।

हम ऐसे प्रभारियों को एक विवरण भी देते है, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित नीतिगत आवश्यकताओं को लेकर संकलित किया होता है और उनके साथ उन समस्त संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में भी समन्वय करते हैं, जो पर्याप्त रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहां करते है और जहां लागू हो, सुरक्षा से संबद्ध हों।

गवर्नेंस प्रभारियों से जिन मामलों पर समन्वय किया गया है, हम मानते हैं कि वे मामले वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करते हैं जब तक कि विधि या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को शामिल न करते हों अथवा जब, बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामो से काफी हद तक उक्त समन्वय से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसे अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के शर्तों में केंद्र सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में अपेक्षित है, हमने अनुलग्नक 1 में पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लेखित मामलों पर विवरण दिया है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं:

   (क) रेलवे, अन्य देनदारों, लेनदारों से/को देय राशियों और बैंकों के पास शेष/जमा के लिए शेष पुष्टि पत्र प्राप्त न होने के सिवाय, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं:

(ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक 2 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारी रिपोर्ट में एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अपेक्षारनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

ii. कंपनी ने डेरिवेटिव संविदा सहित किसी भी दीर्घकालिक संविदा का समझौता नहीं किया है।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को कंपनी द्वारा कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कंपनी द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी "अंतिम लाभार्थियों" द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगी;

(ग) ऐसी परिस्थितियों में हमारी द्वारा उचित मानी जाती लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि पैराग्राफ (iv)(E) और (बी) के तहत हमें दिए गए प्रकटन में कोई गलतबयानी नहीं है।

v. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम और अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 082648
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2022
यूडीआईएन: 22082648AJYEAB5737

"अनुलग्नक 1"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ1 में संदर्भित "अनुलग्नक 1"

i. क. (क) कंपनी ने इन परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा वर्ष के अंत में सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में एक उचित अंतराल है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति देखी नहीं गई है;

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीड (अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) कंपनी के नाम पर है, सिवाय उन संपत्तियों के जिनके संबंध में मूल बिक्री / पट्टा विलेख हमें प्रस्तुत नहीं किए गए थे या टाइटल दस्तावेज अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं और तदनुसार, क्या ये कंपनी के नाम पर हैं, इस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए हम असमर्थ हैं;

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर लिया गया	प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
ग्राम बिमीठा, खजुराहो, मध्य प्रदेश में भूमि	₹ 66.98 लाख	टिप्पणियां देखें	टिप्पणियां देखें	03.09.2013 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
केवड़िया, गुजरात में होटल के लिए भूमि	₹ 1,275 लाख	टिप्पणियां देखें	लागू नहीं होता है	15.10.2020 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
आवासीय भवन डी/91 और डी/141। वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, मुंबई	₹ 325 लाख	टिप्पणियां देखें	लागू नहीं होता है	03.10.2012 से	रेलवे द्वारा आवंटित लाइसेंस अनुबंध अभी निष्पादित किया बाकी जाना है।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(i)(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम अंतर्गत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है;

ii. क. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन (अधिकांश डिपो में तैयार स्टॉक को छोड़कर जिसकी तीसरे पक्ष द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की गई थी) आयोजित किया जाता है और प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल 10 % या उससे अधिक की कोई विसंगति देखी नहीं गई है;

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंक के पास सावधि जमा प्राप्ति के एवज में ओवरड्राफ्ट के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत (नवीकृत) की गई है। हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया था और कंपनी द्वारा कोई रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी;

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधारपर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों या फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान

नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

iv. ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के संबंध में उपरोक्त पैराग्राफ (iii) में हमारी टिप्पणियों के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता है;

v. कंपनी ने जनता से जमा मानी जाती ऐसी कोई जमा या कोई राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) अंतर्गत उसके द्वारा निर्मित उत्पादों और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vii. क. 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होने के बाद से वर्ष के दौरान बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संबंध में कंपनी की कोई निर्विवाद देयता नहीं है, इन सांविधिक बकाया को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के लिए मासिक जीएसटी बकाये की आंशिक राशि की कुल ₹ 2,930 लाख की राशि के लिए उपलब्ध आईटीसी के विरुद्ध जमा/समायोजन में देरी को छोड़कर, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, आयकर, और उस पर लागू अन्य भौतिक वैधानिक देय राशि सहित अविवादित वैधानिक देय राशि को उपयुक्त अधिकारियों को जमा कराने में नियमित है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को जीएसटी, भविष्य निधि, आयकर, और अन्य भौतिक वैधानिक देय राशि के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि, उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक देय राशि जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है, वह इस प्रकार है:

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल राशि लाख में रुपये	भुगतान की गई राशि लाख में रुपये	चुकाने योग्य कुल लाख में रुपये
प्रवेश कर	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 ीं 2012-13	उच्च न्यायालय	0.90	-	0.90
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	01.04.2007 ीं 31.03.2012	सीईएसटीएटी	7,902.16	-	7,902.16
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	2012-13 ीीं गींपश 2017	सीईएसटीएटी	23.05	2.31	20.74
सेवा कर	खानपान, टूर संचालन, माल परिवहन आदि पर मांग।	2014-15	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल /अपीलीय प्राधिकरण	177.87	13.34	164.53
सेवा कर	बोतलबंद पेयजल की बिक्री पर	2008-09 ीं 2012-13	सीईएसटीएटी / आयुक्त (अपील)	38.57	-	38.57
वैट	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 ीं गींपश 2017	उच्चतम न्यायालय	8,251.01	-	8,251.01
वैट	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 । 2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)	373.30	26.82	346.48
वैट	आईटीसी इनकार, मोबाइल कैटरिंग पर मांग	2010-11 ीं 2012-13	ट्रिब्यूनल	161.70	80.87	80.83
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008●09 ीं 2011-12	उच्चतम न्यायालय	915.80	-	915.80
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल /अपीलीय प्राधिकरण	73.24	-	73.24
वैट दिल्ली	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2012-13	वैट अधिकारी, विशेष ओएचए	77.74	-	77.74
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2009-10 ीं 2010-11	विशेष आयुक्त (डीवैट)	599.38	-	599.38

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल राशि लाख में रुपये	भुगतान की गई राशि लाख में रुपये	चुकाने योग्य कुल लाख में रुपये
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2013-14 ों 2015-16	डीवैट ओएचए	427.97	8.03	419.94
वैट झारखंड	जुर्माना	2010-11 ों 2012-13	एडीसी	46.31	23.16	23.15
वैट झारखंड	मांग	2010-11 ों 2012-13	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल /अपीलीय प्राधिकरण	40.03	–	40.03
वैट केरल	कंपाउंडिंग दर से इनकार	2014-15	एसीटीओ	47.57	–	47.57
वैट ओडिशा	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 ों 2013-14	आयुक्त, ट्रिब्यूनल	147.56	11.36	136.20
वैट ओडिशा	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12 ों 2012-13	ट्रिब्यूनल	14.11	3.00	11.11
वैट राजस्थान	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 ों 2016-17	एसीटीओ	32.56	–	32.56
वैट यूपी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2008-09	आयुक्त (यूपी वैट)	17.08	6.83	10.25
वैट	मांग	2016-17	उपचारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन	10.98	0.55	10.43
दिल्ली सीएसटी	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	84.61	–	84.61
दिल्ली वैट अधिनियम	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	0.46	–	0.46
आर वैट	मांग	2015-16	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2.26	–	2.26
आर वैट	मांग	2017-18	वाणिज्यिक कर अधिकारी	0.85	–	0.85
सीजीएसटी अधिनियम 2021	मांग	2017-18, 2018-19 । 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	41.34	–	41.34
टीएन वैट अधिनियम	मांग	2014-15	सहायक आयुक्त	5.91	2.83	3.08
सेवा कर अधिनियम	मांग	2014-15 (2पव क्त्रश्रष ूशरी । 2015-16	उप-आयुक्त	7.15	0.54	6.61
जीएसटी टीएस	मांग	2017-18 ों 2020-21	सहायक आयुक्त (एसटी)	51.53	–	51.53
जीएसटी ओडी	मांग	2018-19	सीटी और जीएसटी अधिकारी	0.21	–	0.21
टीएन वैट	मांग	2015-16 ों 2017-18	सहायक आयुक्त (एसटी)	319.13	–	319.13
जीएसटी अधिनियम	मांग	2020-21	जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा के अधीक्षक	3.47	–	3.47
जीएसटी अधिनियम	मांग	2014-15	केरल उच्च न्यायालय	44.05	–	44.05
वित्त अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मांग	2015-17	आयुक्त (अपील II) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा	2.17	0.16	2.01

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल राशि लाख में रुपये	भुगतान की गई राशि लाख में रुपये	चुकाने योग्य कुल लाख में रुपये
सेवा कर	मांग	2011 ीं 2015	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा के सहायक आयुक्त का आदेश	39.36	2.95	36.41
सीएसटी	मांग	2014-15 । 2015-16	सहायक आयुक्त (एसटी)	43.84	-	43.84
दिल्ली सीएसटी	मांग	2017-18	विशेष सुनवाई प्राधिकरण	8.63	-	8.63
सीजीएसटी अधिनियम	मांग	2017-18 ीं 2019-20	संयुक्त आयुक्त अपील	24.08	-	24.08
सेवा कर	मांग	2010-11 ीं 2013-14	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा	449.74	449.74	-
आय-कर टीडीएस	मांग	2007-08 ीं 2021-22	टीडीएस प्राधिकरण	44.80	-	44.80
आय-कर	मांग	2017-18	सीआईटी (ए)	14.48	14.48	-
		कुल		**20,566.96**	**646.97**	**19,919.99**

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को अभ्यर्पित या प्रकटन नहीं किया है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत, कर निर्धारण में लेखा पुस्तकों में आय के रूप में पूर्व में दर्ज नहीं किया गया था;

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंकों के पास सावधि जमा के खिलाफ बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी के अलावा, कंपनी ने किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने ऋण चुकाने या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंक द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(सी) लागू नहीं होता है;

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड इकट्ठा नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है;

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने खाते में या अपने संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix) (ई) लागू नहीं होता है;

(ष) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix) (एफ) लागू नहीं होता है;

x. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई पक्षपातपूर्ण आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(x) (ए और बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xi. क. कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई है।;

ख. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत हमारे द्वारा केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

ग. हमें कंपनी द्वारा बताया गया है कि वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर (मुखबिर) शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं;

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो वहां, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और लेखापरीक्षा पर लागू मानकों के अपेक्षानुसार, इस तरह के लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है;

xiv. क. ज़ोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों और रेल नीर संयंत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा को छोड़कर, कंपनी के पास अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसे हमारी राय में, कंपनी द्वारा किए गए कारोबार के कवरेज के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है और साथ ही वर्ष के अंत में भौतिक लेनदेन सहित लेनदेन लेखापरीक्षा को अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त कवरेज की आवश्यकता है।;

ख. हमने, 28 फरवरी, 2022 को समाप्त 11 महीने की अवधि के लिए हमें प्रस्तुत की गई आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया है;

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ख ए अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvii. कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष में और तत्कालीन पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी घाटा नहीं हुआ है;

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देयताओं के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हम यह माने कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह बताती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख तक मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, कंपनी द्वारा देय होने पर पूरी कर दी जाएगी;

xx. क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xx) (ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ख. अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर आवश्यकताओं में से, 31 मार्च, 2022 तक शेष अव्ययित 124.39 लाख रुपये की राशि, चल रही परियोजनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 082648
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2022

"अनुलग्नक 2"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित "अनुलग्नक 2"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2022 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जोकि कंपनी के उस दिन से समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ है।

1. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

   कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ओफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य भागों पर विचार लिया जाता है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समुचित डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल रहता है, ताकि कंपनी के कारोबार सहित इसकी नीतियों का नियमानुसार और कुशलतापूर्वक संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता तथा जैसे अधिनियम, के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना सुनिश्चित हो सके।

2. **लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी**

   हमारा उत्तरदायित्व, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्दर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों पर हमारी लेखापरीक्षा की है, जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुरूप निर्धारित मन जाता है, जो दोनों आंतरिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होता है और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाया गया तथा उसे बनाए रखा गया था और क्या उक्त नियंत्रणों का हर तरह से प्रभावी संचालन किया गया था।

   हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना तथा उनके संचालन की प्रभाविता शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री में निहित कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आंकलित जोखिम के आधार पर डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण के संचालन की प्रभाविता का परिक्षण और मूल्यांकन शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, चाहे वह धोखधड़ो के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

   हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध करते हैं।

3. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विवरण, सटीकता तथा निष्पक्षता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और अवस्थिति को दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन उपलब्ध करतें है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्ज किया जाता ह जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक होते हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय के विवरण प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या अवस्थिति का समय पर पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं, जिनसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं सहित त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के के कारण टकराव होने अथवा प्रबंधन का समुचित नियंत्रण न होने से, गलत बयानी होने की संभावना रहती है और उसका पता नहीं लग पता। साथ ही, भावी अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का पता लगाने के लिए भी जोखिम रहता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

5. **हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को हमारी निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:**

   i. कुछ सहायक और नियंत्रण बही खाते के बीच अंतर मौजूद है, प्रबंधन द्वारा राशि निर्धारित नहीं की गई है, जिन्हें अभी पहचाना जाना है, लेखा पुस्तकों में मिलान और सुधार किया जाना है।

   इसके अलावा, कारोबार और अन्य देयताओं में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान की प्रणाली और चालान के साथ भुगतान को जोड़ने सहित व्यापार देय और प्राप्तियों की एजिंग की वित्तीय विवरणों में उनकी उचित प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा पूर्ण समीक्षा और विश्लेषण की आवश्यकता है।

   ii. रेलवे को भेजे गए शेष पुष्टि पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला है और रेलवे के साथ बकाये का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली / तंत्र मौजूद नहीं है जिसमें 31 मार्च, 2022 तक पर्याप्त निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट शेष शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि की प्रतिक्रिया नगण्य थी और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने एवं उसे और मजबूत करने की आवश्यकता थी।

   iii. सिस्टम–आधारित स्वचालित नियंत्रणों, चेक और शेष राशि के बजाय मैन्युअल नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तीसरी पार्टी के एप्लिकेशन/ पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन मैन्युअल रूप से ईआरपी में एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करके पोस्ट किए जाते हैं क्योंकि मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कंपनी के कुछ कार्यों / खंडों के साथ एकीकृत नहीं है।

   iv. लीगेसी प्रविष्टियों सहित निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट शेष की पहचान के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं, जिन्हें क्रमशः बट्टे– खाते में डालने (राइट–ओफ) और वापिस लिखने (राइट–बैक) की आवश्यकता है, वह अस्तित्व में नहीं हैं जिन्हें तैयार / निर्धारित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

6. **राय**

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और उपरोक्त हमारे अवलोकनों के साथ पठित, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण विषय, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और 31 मार्च, 2022 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 082648
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई, 2022

"अनुलग्नक 3"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 2 (छ) में संदर्भित "अनुलग्नक 3"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का जवाब
1. क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो बताए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन के एक बड़े हिस्से को आईटी के माध्यम से संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। तथापि, कुछ मॉड्यूल जैसे कि (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त और संपत्ति उपयोग का अधिकार, पेरोल और एआरसीएस (लेखांकन मिलान क्लाउड सेवाएं) के लंबित कार्यान्वयन को देखते हुए ओरेकल प्रणाली का मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन एंड टू एंड एकीकृत लेखांकन प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की राशि, पर्यटन के एमसीडीओ डेटा, ई-कैटरिंग, रेल नीर संयंत्र डेटा और लेनदेन एक्सेल में संकलित किए जाते हैं और मास्टर डेटा के रूप में ईआरपी के वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से अपलोड/पोस्ट किए जाते हैं और इन तीसरी-पार्टी एप्लिकेशन में कैप्चर किया गया लेन-देन डेटा ईआरपी एप्लिकेशन के साथ संगत नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण में खातों की अखंडता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण मामला सामने नहीं आया है।
2. क्या मौजूदा ऋण की पुनः संरचना की गई है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है?	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनः संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसी कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य करने योग्य नहीं थी। पिछले वर्षों में प्राप्त सरकारी अनुदान के संबंध में, लागू इंड भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इसका लेखा किया जा रहा है।

कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या 000051N)

अशोक मल्होत्रा
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 082648

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को तुलनपत्र

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I. परिसम्पत्तियां			
1 गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(a) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण		20,528.19	19,707.28
(b) पूंजीगत कार्य – प्रगति पर		2,616.96	2,430.31
(c) निवेश सम्पत्ति		2,695.95	2,733.56
(d) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति		536.46	669.25
(e) परिसम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार		9,781.18	8,024.57
(f) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	6.1	–	–
(ii) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	6.2	34.36	27.28
(g) अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति		9,473.22	7,633.75
(h) अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति		4,946.79	3,406.89
		50,613.11	**44,632.89**
2 चालू परिसम्पत्तियां			
(a) सूची		792.79	654.04
(b) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	57,264.06	52,134.22
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	36,820.38	34,502.41
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10.3	1,36,336.50	1,11,547.15
(iv) अन्य	10.4	10,304.69	11,425.83
(c) चालू कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		6,459.94	3,617.70
(d) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		85,126.04	56,803.65
		3,33,104.40	**2,70,685.00**
कुल परिसंपत्तियां		**3,83,717.51**	**3,15,317.89**
II. इक्विटी एवं देयता			
1 इक्विटी			
(a) इक्विटी शेयर पूंजी		16,000.00	16,000.00
(b) अन्य इक्विटी		1,72,388.05	1,29,581.14
		1,88,388.05	**1,45,581.14**
2 देयताएं			
(i) गैर चालू देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार		–	–
(ia) लीज देयताएं	75	8,516.75	6,070.25
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	2,218.90	1,941.36
(b) प्रावधान		5,435.35	7,036.08
(c) अन्य गैर–चालू देयताएं		695.39	863.16
		16,866.39	**15,910.85**
(ii) चालू देयताएं			
(a) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार		–	–
(ia) लीज देयताएं	75	2,149.39	1,875.45
(ii) व्यापार देय: –	18.1		
(a) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा		844.20	39.36
(b) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		67,015.82	58,190.36
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	31,969.96	27,595.71
(b) अन्य चालू देयताएं		73,644.12	64,618.87
(c) प्रावधान		2,839.58	1,044.54
(d) चालू कर देयता (शुद्ध)		–	461.61
		1,78,463.07	**1,53,825.90**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**3,83,717.51**	**3,15,317.89**
यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं	1-90		

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2022

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफआ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

राशि (लाख ₹ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालन से राजस्व	22	1,87,947.84	77,665.77
II	अन्य आय	23	7,282.55	8,498.38
III	**कुल आय (I+II)**		**1,95,230.39**	**86,164.15**
	खर्च			
	उपभोज्य सामग्री की लागत	24	4,012.81	1,273.60
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	25	6,579.63	3,215.50
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	26	(42.84)	241.66
	खानपान सेवाओं का व्यय	27	27,083.01	10,896.22
	पर्यटन और ट्रेन परिचालन का व्यय	28	16,694.58	7,035.89
	विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय	29	11,103.80	6,263.57
	कर्मचारी हित खर्च	30	23,743.75	20,628.51
	वित्तीय लागत	31	1,105.00	827.72
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	4,898.84	4,634.73
	हानि क्षति	46	(122.97)	122.97
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	51	990.00	1,052.72
	अन्य व्यय	33	9,833.04	8,159.50
IV	**कुल व्यय (IV)**		**1,05,878.65**	**64,352.59**
V	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		**89,351.74**	**21,811.56**
VI	असाधारण मदें	33.2	(400.45)	3,939.81
VII	**कर पूर्व लाभ (V + VI)**		**88,951.29**	**25,751.37**
VIII	कर खर्च:			
	(1) चालू कर	34		
	– वर्ष के लिए		23,802.31	7,452.78
	– पहले वर्ष के लिए		766.87	270.72
	(2) आस्थगित कर			
	– वर्ष के लिए		(929.40)	(674.77)
	– पहले वर्ष के लिए		(1,057.40)	–
IX	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**66,368.91**	**18,702.64**
X	अविछिन्न परिचालन से लाभ		–	–
XI	अविछिन्न परिचालन का कर व्यय		–	–
XII	अविछिन्न परिचालनों से लाभ (X - XI)		–	–
XIII	**अवधि के लिए लाभ (IX + XII)**		**66,368.91**	**18,702.64**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	A (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया		–	–
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	B (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		–	–
	– पोस्ट रोजगार लाभ के दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	35	585.33	417.85
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(147.33)	(105.17)
XV	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		438.00	312.68
XVI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XV) (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)**		**66,806.91**	**19,015.32**
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	36	8.30	2.34
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में)	36	8.30	2.34
XVIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)		–	–
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में)		–	–
XIX	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(निरंतर और अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में)	36	8.30	2.34
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में)	36	8.30	2.34
	यह महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं	1-90		

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2022

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2022 के लिए कैश फ्लो का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो		
कर पूर्व लाभ	88,951.29	25,751.37
निम्न के लिए समायोजन: –		
मूल्यह्रास	4,898.84	4,634.73
हानि क्षति	(122.97)	122.97
फिक्स परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)।	25.50	3.10
ब्याज आय	(4,778.62)	(6,509.67)
म्युचुअल फंड से लाभांश आय	(335.96)	(260.93)
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय	736.99	638.88
निवेश संपत्ति से किराया से आय	(234.98)	(234.98)
पूंजी अनुदान का परिशोधन	(44.16)	(44.16)
आस्थगित सुरक्षा जमा के परिशोधन से आय-देयता	(182.00)	(198.96)
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति पर ब्याज आय	(1.06)	(6.11)
सुरक्षा जमा देयता पर छूट की समाप्ति	170.00	188.84
लीज देयताओं में संशोधन	(0.24)	-
प्रतिभूति जमा आस्तियों पर छूट की समाप्ति	1.33	5.22
पूंजीगत प्रगति पर कार्य को बट्टे खाते में डाला गया	16.05	-
अतिरिक्त प्रावधान पुनरांकित	(2,312.87)	(2,934.54)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,063.48	1,764.61
परिचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनिक लाभ	**87,850.62**	**22,920.37**
निम्न के लिए समायोजन: –		
वस्तुसूची में कमी / (वृद्धि)।	(138.75)	322.26
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)।	(6,193.32)	22,673.50
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(6.02)	68.96
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	769.03	6,147.90
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(28,322.39)	(693.23)
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)।	0.08	(4.15)
अन्य गैर चालू वित्तीय देयता में (कमी) / वृद्धि	107.54	(476.98)
गैर चालू प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि	(1,015.40)	426.18
अन्य गैर चालू देयताओं में (कमी) / वृद्धि	58.39	329.46
व्यापार देय में (कमी)/ वृद्धि	9,630.30	979.41
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी) / वृद्धि	6,687.12	(5,237.65)
अन्य मौजूदा देयताओं में (कमी) / वृद्धि	9,025.26	(15,956.56)
चालू प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि	1,795.04	(48.68)
	(7,603.12)	8,530.42
परिचालन से प्राप्त कैश	80,247.50	31,450.79
प्रदत्त आयकर (रिफंड का शुद्ध)	(27,873.03)	(6,696.94)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश	**52,374.47**	**24,753.85**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान से	60.95	9.41
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद	(2,191.11)	(7,734.12)
ब्याज प्राप्त	5,130.73	4,860.06
लाभांश प्राप्त.	335.96	260.93
	-	-
अन्य बैंक में जमा राशि में बदलाव	(24,789.35)	(41,643.77)
निवेश संपत्ति से किराया से आय	234.98	234.98
वर्ष के दौरान दिए गए पूंजीगत अग्रिम	(3,024.01)	(1,293.63)
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद्ध नकद	**(24,241.85)**	**(45,306.14)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
लीज देयता के प्रमुख भाग का भुगतान	(1,077.66)	(45.83)
लीज देनदारी के ब्याज के भाग का भुगतान	(736.99)	(638.88)
प्रदत्त लाभांश	(24,000.00)	(4,000.00)

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2022 के लिए कैश फ्लो का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद	(25,814.65)	(4,684.71)
नकद और नकद समकक्ष शुद्ध में वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	2,317.97	(25,237.00)
अथशेष नकद और नकद समकक्ष	34,502.41	59,739.41
इतिशेष नकद और नकद समकक्ष	36,820.38	34,502.41
नकद और नकद समकक्ष का समाधान		
नकद और नकद समक्ष में शामिल हैं		
नकद हस्ते	36.14	9.82
बैंकों में अधिशेष:		
– चालू खाते में	36,667.91	34,075.95
– फ्लेक्सी खाते में	116.33	416.64
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	36,820.38	34,502.41

टिप्पणियाँ:–

1. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी कैश फ्लो विवरण भारतीय लेखा मानक–7 में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया हैं।
2. कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय लेखा मानक– 7 प्रभावी संशोधन को अपनाया, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर–नकदी से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं। प्रकटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक एवं समापन शेष के बीच एक सामंजस्य को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अथशेष	7,945.70	8,079.76
नकद प्रवाह:–		
–पुनर्भुगतान	1,814.65	684.71
–आय		
गैर–नकद:–		
–उचित मूल्य	736.99	638.88
–बढ़ी हुई लीज देनदारियों और अन्य समायोजनों के बदले में संपत्ति के उपयोग के अधिकार में शुद्ध वृद्धि	3,798.10	(88.23)
इतिशेष	10,666.14	7,945.70

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:–082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2022

कृते और उनकी ओर से :–
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:– 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:– 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	लाख में
1 अप्रैल, 2021 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपये का 1600 लाख इक्विटी शेयर)	1,600.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2021 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	1,600.00	16,000.00
शेयरों के विभाजन पर समाप्त हुए शेयर (नीचे टिप्पणी देखें)	-1,600.00	-
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
प्रत्येक 2/- रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर जो वर्ष के दौरान विभाजन के दौरान जारी किए गए (नीचे टिप्पणी देखें)	8,000.00	-
31 मार्च, 2022 तक अधिशेष (प्रत्येक 2/- रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	**8,000.00**	**16,000.00**

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रत्येक 10/- रुपये के अंकित मूल्य का एक इक्विटी शेयर को प्रत्येक 2 रुपये के इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था और पूरी तरह से भुगतान किया गया।

ख अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2021	52,491.70	77,089.44	1,29,581.14
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	**52,491.70**	**77,089.44**	**1,29,581.14**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		66,368.91	66,368.91
वर्ष के लिए कर पश्चातअन्य व्यापक आय	-	438.00	438.00
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	**-**	**66,806.91**	**66,806.91**
प्रतिधारित आय से हस्तांतरण	3,500.00		3,500.00
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(8,000.00)	(8,000.00)
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(16,000.00)	(16,000.00)
सामान्य रिज़र्व में हस्तांतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2022	55,991.70	1,16,396.35	1,72,388.05

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2022

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफआ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	लाख में
1 अप्रैल, 2020 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपये का 1600 लाख इक्विटी शेयर)	1,600.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2020 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	1,600.00	16,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
31 मार्च, 2022 तक अधिशेष (प्रत्येक 10/- रूपये का 100 लाख इक्विटी शेयर)	**1,600.00**	**16,000.00**

ख अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2020	48,991.70	66,390.47	1,15,382.17
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 52 और 84 का संदर्भ लें)	-	(816.35)	(816.35)
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	**48,991.70**	**65,574.12**	**1,14,565.82**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		18,702.64	18,702.64
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	-	312.68	312.68
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	**-**	**19,015.32**	**19,015.32**
प्रतिधारित आय से हस्तांतरण	3,500.00		3,500.00
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(4,000.00)	(4,000.00)
सामान्य रिज़र्व में हस्तांतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2021	**52,491.70**	**77,089.44**	**1,29,581.14**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2022

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफआ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

नोट-1: कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी

रेल मंत्रालय द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड (इसके बाद से "कंपनी" के रूप में संबोधित किया जाएगा) की स्थापना की गई है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 27 सितंबर, 1999 को भारतीय कंपनियों में शामिल किया गया था, और इसका मूल उद्देश्य रेलवे के खानपान और पर्यटन की समस्त गतिविधियों को एक नए कंपनी को सौंपना था ताकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन सेवाओं को व्यावसायिक बनाया जा सके और इनका उन्नयन किया जा सके। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य की एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रावेल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के सहयोग से अत्यधिक ऊंचाई हासिल करने का विशिष्ट साधन होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी-148 स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार के द्वारा कंपनी को प्रदत्त शेयर पूंजी के 12.6% की हिस्सेदारी को विनिवेश करने के निर्णय के अनुसार, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव 30 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया था और 14 अक्टूबर, 2019 को कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध किए गए थे। तदनुसार, 201.6 लाख (दो करोड़ एक लाख साठ हजार कुल शेयर) शेयर यानी कुल पूंजी का 12.6%, जिनकी फेस वेल्यू प्रति शेयर 10/- रुपये थी, जनता को बिक्री के लिए प्रस्तावित किए गए थे जिनमें से 1.6 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए (कुल जारी का लगभग 0.79%) आरक्षित रखे गए थे ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदत्त शेयर पूंजी के 20% की बिक्री द्वारा प्रस्तावित किए गए परिणामस्वरूप कुल विनिवेश 32.6% हो गया और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयर हिस्सेदारी घटकर 67.4% हो गई।

नोट-2: तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भा.ले.मा.) के अनुसार चल रहे कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

कंपनी ऐतिहासिक कोस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिए प्रोद्भवन आधार का पालन कर रही है, जिसका आकलन अपेक्षित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उचित वेल्यू पर किया गया है।

i. परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ii. उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय लिखत पर नीति देखें)।

ग) आकलन और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान तैयार करने होते हैं जो लेखांकन नीतियों को लागू करने पर अपना को प्रभाव छोड़ते हैं तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटन और आय और व्यय की राशि को प्रभावित करते है। ऐसे आकलनों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी अवधि, कमर्चारियों के लाभार्थ व्यय, प्रावधान, राजस्व मान्यता आदि में निष्पादन की बाध्यता की संतुष्टि शामिल हैं, जिसके परिणाम इन आकलन से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन और अंतर्निहित पूर्वानुमान की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन आकलन और वास्तविक परिणामों तथा उस अवधि में मान्यता प्राप्त आकलनों के बीच परिवर्तन के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिस अवधि में परिणामों का पता लगता है/ उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

घ) भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी और सभी वेल्यू को,जहां अन्यथा उल्लेखित न हो, लाख रुपए की नजदीकी वेल्यू में दो दशमलव बिंदुओं तक पूर्णांकित किया जाता है ।

ङ) चालू प्रकृति के कारण चालू देयता और चालू परिसंपत्तियों को विधिक बकाया के भुगतान और रिफंड योग्य माना जाता है।

च) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष तरीके के उपयोग से किया जाता है, जबकि बिना नकदी वाले लेनदेन और किसी पूर्व या भविष्य के स्थगन अथवा प्रोद्भवन नकद प्राप्तियां या भुगतान के लिए कर पूर्व लाभ को समायोजित किया जाता है। कंपनी का परिचालन, वित्तीय और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग किए जाते हैं।

रोकड़, बैंकों में रोकड़ और बैंकों में डिमांड डिपॉज़िट सहित नकदी प्रवाह, नकदी और नकदी समकक्ष के विवरण के उद्देश्य से, डिमांड पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट को कंपनी के नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा समझा जाता है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 7 के संशोधन को अपनाया है, जिसमें उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे प्रकटन करें, जिससे वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता वित्तीय गतिविधियों से उपजी देयताओं में परिवर्तन के साथ-साथ नकदी प्रवाह और नकदी के बिना वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सकेंगे तथा वित्तीय गतिविधियों से उपजी देयताओं के लिए तुलनपत्र में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच पुनर्गणना को शामिल करना का प्रस्ताव भी दे सकेंगे ताकि प्रकटन कि अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

छ) **विदेशी मुद्रा**

i. **कार्यकारी और प्रेजेंटेशन मुद्रा**

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल के साथ-साथ प्रेजेंटेशन मुद्रा भी है।

ii. **लेनदेन और बैलेंस**

लेन-देन की तारीख पर चल रहे विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लेनदेन को दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं को तुलनपत्र जारी होने की तारीख पर विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे लेनदेन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा विनिमय के लाभ और हानि और विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्ति तथा देयता को वर्ष के अंत में विनिमय दरों के अनुसार लाभ और हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

ज) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिसमें मान्यता मानदंड पूरे होने पर, स्थापना शुल्क और अन्य संबंधित व्यय शामिल होते है।

ii. मान्यता मानदंड पूरे होने पर प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत को पूंजी में परिणत किया जाता है।

iii. कंप्यूटरों के मामले में, कंप्यूटर के साथ खरीदे गए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की लागत को कंप्यूटरों के साथ पूंजी में परिणत किया गया है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv. कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर लिए गए भवनों पर व्यय को पट्टा अवधि-कार्यालय विकास के रूप में पूंजी में में परिणत किया गया है

v. खानपान इकाइयों में रखे गए उपकरण और संयंत्रों को, जैसा आवशयक हो वैसे, लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्ति के वेल्यू की अनुपलब्धता के कारण, भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी परिसंपत्ति को कंपनी के जोनल कार्यालयों की लेखा पुस्तकों में ₹ 1/- प्रति मद के नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

vi. लक्जरी टूरिस्ट ट्रैन को पूंजी में परिणत किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में "लक्जरी टूरिस्ट ट्रैन'' के रूप में उल्लेखित है, इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान के लिए सरकारी अनुदान पर नीति को देखें।

vii. परिसंपत्तियों की बिक्री पर, लागत और संचित मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में उल्लेखित किया जाता है।

झ) **मूल्यह्रास और ऋणमुक्तिः –**

(क) कुछ मदों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य अवधि के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। कुछ परिसंपत्तियां जिसकी कार्य अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अंतर्गत नहीं है, वे इस प्रकार है:-

विवरण	उपयोग अवधि
रेल नीर संयंत्रों के अतिरिक्त, रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर किए गए व्यय को, लीजहोल्ड सुधार कार्य माना गया है और दस वर्ष की अवधि का मूल्यह्रास निकाला गया है।	10 वर्ष
रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए हैं और उतनी ही अवधि का मूल्यह्रास निकाला गया है।	30 वर्ष
कंपनी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ और परसाला में रेलनीर संयंत्र लगाने के लिए रेलवे से भूमि पट्टे पर ली है। पट्टे की अवधि के आधार पर भवन और भूमि (संपत्ति उपयोग के अधिकार के अंतर्गत) पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।	पट्टा करार के अनुसार पट्टे की अवधि
सौर ऊर्जा संयंत्र और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन	25 वर्ष
डीजी सेट, वाटर ब्लोइंग मशीन, कंप्रेसर	10 वर्ष
संयंत्र के लिए एयर कंडीशनर और चिलर	5 वर्ष

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(ख) मूल्यह्रास की गणना उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से स्ट्रेट लाइन के आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान बिक्री, परिसंपत्तियों के अलग होने तथा उनकी हानि की तारीख तक मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(ग) रेल नीर से संबंधित किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक हिस्से का उस स्थिति में अलग से मूल्यह्रास होता है, यदि हिस्से की लागत उस मद की कुल लागत से संबंधित हो और उक्त हिस्से की उपयोग अवधि उस शेष संपत्ति से भिन्न हो, जो इनहाउस टेक्नीकल एक्सपर्ट के पूर्वानुमान एवं प्रमाणन पर आधारित हो। साथ ही, जिन संयंत्रों के लिए कंपनी द्वारा पूंजी सहायता प्रदान की जाती है, उनमें सभी सिविल कार्य और संयंत्र की अनुमानित जीवनकाल इनहाउस तकनिकी समिति द्वारा क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष तय की गई है।

(घ) कार्यालय परिसर और पट्टा भूमि (जिसके लिए पट्टा करार किया गया है) के संबंध में पट्टाधारक कार्यालय के विकास कार्यों को पट्टे-अवधि पर मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति प्रदान की जाएगी। रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों (जिसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है) पर सिविल कार्य पर किए गए व्यय को लीजहोल्ड के सुधार कार्यों के रूप में माना गया है और मूल्यह्रास की गणना दस वर्ष की अवधि के लिए की गई है।

(ङ) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास के तरीके, उपयोगी अवधि और अवशिष्ट वेल्यू की समीक्षा की जाती है।

(च) मूल्यह्रास की गणना मूल्यह्रास योग्य राशि पर की जाती है, अर्थात लागत से इसके अवशिष्ट वेल्यू को कम किया जाता है।

(क) लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में, मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि की अवधि तक प्रभारित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण मदों की चालू और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोग अवधि इस प्रकार है:

विवरण	उपयोग अवधि
संयंत्र एवं मशीनरी	15वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
नेटवर्क एवं सर्वर	6 वर्ष
एयर कंडीशनर	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष

विवरण	उपयोग अवधि
फैक्ट्री भवन	30 वर्ष
रेल नीर संयंत्र भवन के अलावा भवन	60 वर्ष
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैन (बेयर शेल)	15 वर्ष
अमूर्त परिसंपत्तियां	4 वर्ष
विद्युतीय संस्थापनाएं एवं उपकरण	10 वर्ष

ञ) चल रहे पूंजीगत कार्य/पूंजी अग्रिम: –

चल रहे पूंजी कार्यों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की वे लागत शामिल हैं, जो उनके उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होते हैं तथा तुलनपत्र जारी होने की तारीख तक परिसंपत्ति की लागत का उपयोग नहीं किया जाता जाता है। पीपीई प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को अन्य "गैर-चालू परिसंपत्ति" के तहत "पूंजीगत अग्रिम'' के रूप में दिखाया गया है।

ट) अमूर्त परिसंपत्तियां: –

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, वेब पोर्टल, टूरिज़्म पोर्टल आदि अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि के रूप में दर्ज किया जाता है और अमूर्त परिसंपत्ति की उपयोग अवधि 4 वर्ष मानी गई है।

ठ) संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश को भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत के रूप में अलग वित्तीय विवरण में मापा जाता है।

ड) निवेश संपत्तियां

(क) निवेश संपत्तियों को लागत, निकाले गए शुद्ध मूल्यह्रास और निकाली गई हानि, यदि कोई हो, के नुकसान के अनुसार दर्शाई जाती है।

(ख) कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्धारित, संपत्ति के अनुमानित उपयोग अवधि पर संपत्ति में निवेश के भवन के हिस्सों में मूल्यह्रास लगाया जाता है।

(ग) निवेश संपत्तियों की मान्यता तब समाप्त होती है, जब या तो उनका निपटान किया जाता है या उनका उपयोग करना स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ संभावित नहीं होता है। शुद्ध निपटान प्रक्रिया और संपत्ति की वहां राशि के बीच अंतर गैर-मान्यता की अवधि में लाभ या हानि के द्वारा तय किया जाता है।

ढ) चालू और गैर–चालू परिसंपत्तियों के लिए परिचालन चक्र

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू के रूप में वर्गीकृत किया है, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों की अवधि के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है और अन्य सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ण) आकलन और निर्णयों का उपयोग – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

अ. प्रावधान: –

प्रावधानों को उन देयताओं के संबंध में मान्यता दी जाती है, जिन्हें केवल आकलन के पर्याप्त स्तर का उपयोग करके मापा जा सकता है, जब:

(क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई बाध्यता हो

(ख) आर्थिक लाभ समेटे संसाधनों का संभावित आउटफ्लो बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित होगा; और

(ग) बाध्यता राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है। प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय की प्रतिपूर्ति को तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्राप्त प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

प्रावधान जो 12 महीने के बाद निपटाए जाने संभावित है, की माप कर–पूर्व छूट की दर का उपयोग से वर्तमान वेल्यू देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता हुए मापी जाती है। समय के कारण प्रावधान में बढ़ोतरी को ब्याज के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इ. आकस्मिक देयताएं

(क) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है:

i. पिछली घटना से उपजी एक वर्तमान बाध्यता, जब यह संभावित न हो कि बाध्यता के निपटान के लिए संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगा; या

ii. वर्तमान बाध्यता का विश्वसनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है; या

iii. एक संभावित बाध्यता, जब तक कि संसाधन के आउटफ्लो की संभावना दूर न हो।

(ख) आकस्मिक देयता की तुलना में आवश्यक आकस्मिक देयता और प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

(ग) आकस्मिक देयता प्रावधानों का शुद्ध आकलन है जिसमें निपटान के संभावित आउटफ्लो पर विचार किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) आकस्मिक परिसंपत्ति का प्रकटन तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का इनफ्लो संभावित हो।

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

त) राजस्व की मान्यता: –

कंपनी कैटरिंग सेवाओं (मोबाइल और स्टेटिक यूनिट दोनों) के प्रबंधन, विभागीय कैटरिंग यूनिट के संचालन, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बजट होटलों के प्रबंधन, फूड प्लाजा, स्टेटिक कैटरिंग स्टॉल, वाटर वेंडिंग मशीन के संचालन के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के माध्यम से रेल की टिकट की बुकिंग, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेल संपर्क–139 कॉल सेंटर का प्रबंधन, प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटरों के माध्यम से पैकेज टूर की व्यवस्था, संपूर्ण टूर पैकेज का प्रबंधन, रेलनीर–बोतलबंद पेयजल के उत्पादन और वितरण आदि के व्यवसाय में शामिल है।

(क) भारतीय लेखा मानक–115 में निर्धारित पांच चरणों के आधार पर कंपनी ने ग्राहकों के साथ संविदा करके राजस्व अर्जित किया है:–

(i) ग्राहक के साथ संविदाओं की पहचान करना: – दो अथवा दो से अधिक पार्टियों के बीच संविदाओं को करार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे लागू किए जाने वाले अधिकार और बाध्यताएं उत्पन्न होती है और प्रत्येक संविदा के लिए मानदंड निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ii) संविदा में कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पहचान करें: संविदा में कार्यनिष्पादन की बाध्यता ग्राहक के साथ एक वादा होता है कि ग्राहक को एक अच्छी सेवा देनी है।

(iii) लेन–देन मूल्य का निर्धारण: लेन–देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, जिस पर कंपनी अपेक्षा करती है कि ग्राहकों को वादे अनुसार सामग्री अथवा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देती है, जिसमें तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है।

(iv) संविदा में कार्यनिष्पादन बाध्यता के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करना: ऐसी संविदा जिसमें एक से अधिक

कार्यनिष्पादन की बाध्यता हो, कंपनी कार्यनिष्पादन की प्रत्येक बाध्यता के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है, जो विचारार्थ राशि का उल्लेख करता है, जिस पर कंपनी कार्यनिष्पादन की प्रत्येक बाध्यता के लिए हक पाने की अपेक्षा करती है।

(v) जब अथवा जैसे ही कंपनी ग्राहक को वादा की हुई सामग्री या सेवाएं प्रदान करके कार्यनिष्पादन की बाध्यता को पूरा करती है, तो वह राजस्व प्राप्त करती है। जब ग्राहक किसी संपत्ति पर अपना नियंत्रण जमा लेता है तो संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है।

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से कोई भी मानदंड पूरा होता है, तो कार्यनिष्पादन की बाध्यता पूरी होती है और ओवरटाइम राजस्व की प्राप्ति होती है:

a) वैकल्पिक उपयोग के साथ कार्यनिष्पादन से कोई परिसंपत्ति तैयार नहीं होती है और कार्यनिष्पादन पूरा हो जाने की तारीख को भुगतान का एक लागू अधिकार मिलता है।

b) कार्यनिष्पादन एक ऐसी संपत्ति तैयार करता है या उसमें वृद्धि करता है जहां ग्राहक तैयार और बढ़ी हुई परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है।

c) साथ ही साथ ग्राहक प्रदान किए गए लाभ प्राप्त करता है तथा उनका उपभोग करता है।

कार्यनिष्पादन बाध्यताओं के लिए, जहां उपरोक्त में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता, वहां कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। कार्यनिष्पादन बाध्यता अथवा सेवा कार्य पूरा होने पर एक संविदा आधारित परिसंपत्ति तैयार होती है, जिस पर कार्यनिष्पादन द्वारा प्रतिफल अर्जित होता है। जहां किसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि से अधिक हो जाती है, तो इससे संविदा की देयता बढ़ जाती है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके लिए भुगतान और छोड़े गए कर तथा शुल्क की संविदा में निर्धारित शर्तों पर विचार किया जाता है।

राजस्व को उस सीमा तक पता लगाया जाता है, जहां यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और यदि लागू हो तो, राजस्व और लागत का विश्वसनीय रूप से माप हो सके।

i. बिक्री:

रेल नीर-बोतलबंद पेयजल, खाद्य और पेय पदार्थों की मेड उस समय स्वीकार की जाती हैं, जब सामान बेचा जाता है तथा सेवा प्रदान की जाती है और भारतीय लेखा मानक-115 के संदर्भ में शुद्ध जीएसटी आदि दर्ज की जाती है। इसमें इंटर-डिपो और इंटर-यूनिट हस्तांतरण शामिल नहीं है।

ii. इंटरनेट टिकटिंग से आय: –

(a) सेवा प्रभार से आय: कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से विदेशी ग्राहक द्वारा बुक किए गई टिकटों पर अर्जित सेवा प्रभारों को उचित मूल्य पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है । ऐसी टिकटों की बिक्री पर अर्जित सकल सेवा प्रभारों को प्रोद्भवन आधार पर कंपनी की आय माना जाता है और रेलवे के तुलनात्मक शेयर व्यय के रूप में दर्शाएं जाते हैं।

(b) सुविधा शुल्क से आय: कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से घरेलू ग्राहकों द्वारा बुक किए गए टिकटों पर अर्जित सुविधा शुल्क को उचित मूल्य पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी टिकटों की बिक्री से अर्जित सकल सुवधा शुल्कों का प्रोद्भवन आधार पर कंपनी की आय की गणना की जाती है और इस आय पर रेलवे को कोई शेयर नहीं दिया जाता है।

iii. कैटरिंग सेवाओं से आय: –

कंपनी को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा आदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थलों पर खानपान सेवाओं को अपग्रेड किया जाए और व्यावसायिक बनाया जाए। कंपनी निम्नलिखित नीतियों के अनुसार अपनी खानपान सेवाओं से आय को मान्यता देती है।

- **ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं से आय:**

कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर राजधानी, दूरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही है। भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए दिए गए बील से प्राप्त आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

- **रियायत शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार और लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय: –**

कंपनी निम्नलिखित से आय प्राप्त करती है: –

क्रम सं.	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	लाइसेंसधारियों से प्राप्त शुल्क की प्रकृतिथथ
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा अवधि के लिए एक बारगी रियायत शुल्क (नवीकरण अवधि सहित, यदि कोई हो), और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क।
2.	एसबीडी (स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट) करार और खानपान नीति, 2017 के अंतर्गत रेलवे द्वारा कंपनी को ट्रैन में खानपान सेवाएं देने का कार्य सौंपा गया	संविदा अवधि के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
3.	मेल/जन शताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं देने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
4.	भारतीय रेलवे परिसर में फूड प्लाजा की स्थापना और उसके संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करना	(i) कंपनी की पूर्व नीति के तहत किए गए संविदा के मामले में निर्धारित मासिक उपयोगकर्ता शुल्क और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क। (ii) संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क।
5.	रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएम) के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	प्रत्येक डब्ल्यूवीएम की सेवाओं की शुरुआत की तिथि से निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
6.	रेलवे स्टेशनों पर स्टेटिक यूनिट के लिए लाइसेंस प्रदान करना	(i) कंपनी की नीति के अंतर्गत किए गए संविदाओं के मामले में निर्धारित लाइसेंस शुल्क। (ii) संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क
7.	भारतीय रेलवे परिसर में बजट होटलों के पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना	संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क और लाइसेंस शुल्क।
8	विलंबित भुगतान, यदि कोई हो, पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज	विलंबित भुगतान पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज, यदि कोई हो तो, लाइसेंसधारी और विक्रेताओं से मिलने पर मान्यता दी जाती है।

इन शीर्षों के अंतर्गत आय को मान्यता/लेखांकन निम्नानुसार किया गया है: –

- **रियायती शुल्क:** राजस्व मान्यता से संबंधित भारतीय लेखा मानक-115 में निर्धारित समय की अवधि के लिए, आय को प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर मान्यता दी जाती है। कंपनी द्वारा प्राप्त एकबारगी रियायत शुल्क (व्यतीत न हुआ रियायत शुल्क) को अग्रिम रूप से प्राप्त आय मानी गई है। यदि रेल प्रशासन द्वारा ट्रैन के रद्द होने/वापस लिए जाने के कारण उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती है, तो उतनी अवधि में आय को मान्यता दी जाती है, जितनी अवधि में संविदा लागू रही हो।

- **उपयोगकर्ता प्रभार:** फूड प्लाजा और बजट होटल लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान योग्य उपयोगकर्ता प्रभार की गणना परियोजना के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- **लाइसेंस शुल्क: –**

  (a) कंपनी द्वारा प्राप्त निर्धारित लाइसेंस शुल्क की गणना, संविदा चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर की जाती है।

  (b) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को गणना ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

  (c) लाइसेंस शुल्क को गणना पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा संचालित बजट होटलों के अनुमानित टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। जहां, लेखापरीक्षित खातों के अनुसार लाइसेंसधारी के टर्नओवर के आधार पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त

लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाता है, जिसकी प्राप्ति के आधार पर गणना की जाती है।

- **संविदाओं के जब्त किए जाने से अर्जित आय:** – नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त किए गए कैटरिंग संविदाओं से आय की मान्यता निम्नानुसार की गई थी:

    I. समाप्ति की तिथि तक, आय को मासिक समर्थक अनुपात के आधार पर संविदा की अवधि के लिए रियायती शुल्क के संबंध में मान्यता प्राप्त है और अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क के मामले में ट्रैन मासिक प्रो–राटा आधार पर परिचालन में है।

    II. अन्य आय: रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क और संविदा की जब्ती पर प्रतिभूति की शेष राशि को वर्ष के दौरान अर्जित अन्य आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

iv. पैकेज टूर से आय: –

कंपनी रेल–आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूल्य वर्धित पर्यटन के तहत स्पेशल ट्रेनों, विशेष कोच चार्टर और बर्थ की बुकिंग और हवाई टिकटों की बुकिंग में कार्यरत है। कंपनी समूह के आधार पर विदेश पर्यटन की बुकिंग में भी कार्यरत है। स्पेशल ट्रैन/कोच चार्टर्स से प्राप्त होने वाली आय में रेलवे द्वारा निर्धारित किराए के निर्धारित प्रतिशत के रूप में कंपनी का सेवा प्रभार शामिल होता है। मूल्य वर्धित पर्यटन के मामले में, आय में किराया, ऑन–बोर्ड/ऑफ़ बोर्ड व्यय के लिए शुल्क और कंपनी के सेवा शुल्क शामिल हैं। हवाई टिकट से प्राप्त होने वाली आय में ग्राहकों से हवाई टिकट की बुकिंग के लिए लिया गया सेवा शुल्क शामिल है।

संपूर्ण टूर पैकेज, बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रैन और भारत दर्शन ट्रेनों के मामले में, आय में ग्राहक से एकत्रित किए हुए जीएसटी की कुल राशि शामिल है।

यात्रा की तिथि के आधार पर आय को प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर बुक किया जाता है।

v. ट्रैन परिचालन से आय

कंपनी जोनल रेलवे से प्राप्त होनेवाली ट्रैन के धुलाई प्रभारो के सैद्धांतिक आधार पर संचालन में लगी हुई है। स्पेशल ट्रैन के परिचालन से प्राप्त आय में कंपनी द्वारा यात्रियों से लिया गया किराया शामिल है। ट्रैनों के संचालन से होने वाली आय को भारतीय लेखा–115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रैन के संचालन अवधि के दौरान संचालन कार्यों से प्राप्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

vi. इंटीग्रेशन प्रभार

आरक्षित रेल ई–टिकटिंग सेवा के लिए कंपनी के साथ पंजीकरण और इंटीग्रेशन के लिए, प्रधान सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी को भुगतान करने वाली एक–बारगी इंटीग्रेशन शुल्क को 20 वर्ष की अवधि के लिए मान्य किया गया है।

vii. वाटर वेंडिंग मशीन

कंपनी वाटर वेंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंसधारी के साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया में है और मध्यस्थता के आदेश के अनुसार, लाइसेंसधारी के साथ क्लस्टर व्यवस्था के तहत प्रथम डब्ल्यूवीएम के चालू होने की तिथि पर राजस्व की तत्काल मान्यता के विरुद्ध प्रत्येक वाटर वेंडिंग मशीन के चालू होने की तिथि के आधार पर राजस्व की पहचान/अर्जित किया गया है।

viii. टीडीआर और लाभांश आय सहित सावधि जमा से प्राप्त ब्याज आय: –

सावधि जमा और टीडीआर के ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कंपनी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

ix. ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस:

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के अंतर्गत सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस) के तहत ड्यूटी स्क्रिप्स (पावती–पत्र) निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय होंगे और इनका मुद्रीकरण किया जा सकता है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत जारी स्क्रिप केवल आयात पर लगने वाले बेसिक सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उपयोगी होंगे। नई नीति के तहत स्क्रिप भुगतान करके वापस लिए जा सकने योग्य होते हैं।

ड्यूटी क्रेडिट की पात्रता की गणना संबंधित विभाग द्वारा उनके अनुमोदन किए जाने पर की जाती है, और लंबित रहने पर उनकी पात्रता को आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई जाती है।

थ) व्यय: –

व्यय की मदों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है, तथापि कुछ व्यय/दावे, जो निश्चित नहीं होते, उनके सुनिश्चित होने पर उनकी गणना की जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(i) रेलनीर–बोतलबंद पेयजल और विभागीय खानपान गतिविधि पर व्ययः –

व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और सभी पहचाने गए नुकसान और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है।

वर्ष के लिए रेलनीर और विभागीय खानपान विभाग से अर्जित शुद्ध लाभ के 15% को रेलवे के राजस्व हिस्से पर व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

(ii) इंटरनेट टिकटिंग पर व्ययः –

व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और सभी पहचाने गए नुकसान और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है

(iii) भुगतान किए गए खानपान प्रभारः

(a) ऑन–बोर्ड खानपान प्रभारः

ठेकेदार को भुगतान किए गए खानपान प्रभारो की गणना भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(b) रियायती शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस शुल्कः –

इस शीर्ष के तहत व्यय को निम्नानुसार मान्यता/गणना की गई हैः–

- भुगतान किए गए रियायती शुल्कः ऑन बोर्ड कैटरिंग संविदा के संबंध में भारतीय रेलवे को देय रियायती शुल्क को संविदा अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर मान्यता दी जाती है। भारतीय रेलवे को अव्ययीत रियायती शुल्क के भुगतान को अग्रिम के रूप में माना जाता है। यदि रेल प्रशासन द्वारा ट्रैन रद्द होने/नहीं चलाने के कारण उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो उतनी अवधि में आय को मान्यता दी जाती, जितनी अवधि में संविदा लागू रही हो।
- भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभारः फूड प्लाजा और बजट होटलों द्वारा भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्ता प्रभार की गणना परियोजना के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।
- भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्कः –

  (a) कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित लाइसेंस शुल्क की गणना संविदा के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर की जाती है।

  (b) भारतीय रेलवे को देय परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क की गणना ठेकेदार द्वारा प्रदत्त खानपान सेवाओं/बिक्री की एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- ट्रैन संचालन के लिए अभिरक्षा/ढुलाई शुल्कः–

  (a) कंपनी द्वारा जोनल रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक प्रभार की गणना प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर ट्रैनों के संचालन में रहने की अवधि तक की जाती है।

  (b) परिवर्तनीय ढुलाई प्रभारः– जोनल रेलवे को देय शुल्क की गणना प्रोद्भवन आधार पर प्रति किमी की निर्धारित दर पर रेलवे की सहमति के अनुसार की जाती है।

  (c) अभिरक्षा प्रभारः– कंपनी द्वारा जोनल रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक अभिरक्षा प्रभार की गणना प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर ट्रैन के संचालित रहने की अवधि तक की जाती है

- पर्यटन व्ययः –

  संपूर्ण टूर पैकेज और बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रैन के मामले में, टिकट की लागत, सेवा शुल्क और अन्य ऑन बोर्ड/ऑफ बोर्ड शुल्क की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती हैं। ट्रैन संचालन के मामले में, रेलवे द्वारा निर्धारित/परिवर्तनीय ढुलाई/अन्य शुल्कों के कारण होने वाले व्यय और खानपान/अन्य खर्चों की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

द) पट्टेः –

जहां कंपनी पट्टेदार हैः

(i) कंपनी पट्टे की शरुआत की तारीख से उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति तथा पट्टा देयता को स्वीकार करती है। उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति का आकलन आरंभ में लगत से की जाती है जिसमे पट्टा देयता की राशि को शरुआत की तारीख को अथवा उससे पहले समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत अनुमान का आकलन उक्त संपत्ति को समाप्त करने अथवा हटाने अथवा उक्त संपत्ति की उसी स्थान पर, जहां वह मौजूद थी, पर बहाली के लिए किया जाता है, जिसमें से प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन रही को घटा दिया जाता है।

(ii) उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को बाद में स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके उसके आरंभ की तारीख से उस संपत्ति के उपयोग की अवधि तक या पट्टा समाप्ति तक का मूल्यह्रास निकाला जाता है। उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति के अनुमानित उपयोग की अवधि का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति की क्षीणता के कारण होने वाली हानियों, यदि कोई हो, से उसका आवधिक ह्रास होता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः आकलन का समायोजन किया जाता है।

(iii) आरंभ में पट्टा देयता का आकलन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है, जो उसकी आरंभिक तारीख से भुगतान न किए गए हों, पट्टे में दर्शाई गई ब्याज दर के उपयोग से छूट दी गई हो अथवा, यदि उस दर का तत्काल निर्धारण नहीं हो पता और कंपनी की बढ़ती ऋण दर पर आकलन किया जाता है।

(iv) पट्टा देयता की माप ब्याज के प्रभावी तरीके का उपयोग से परिशोधन लागत से की जाती है, यदि भविष्य में इंडेक्स या दर में किसी परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन हो, तो इसका पुनः माप किया जाता है। जब इस तरीके से पट्टा देयता का पुनः माप किया जाता है, तो उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति की वहन राशि का एक तुलनात्मक समायोजन किया जाता है, अथवा यदि उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति की वहन राशि घटकर शून्य रह जाती है, तो इसे लाभ और हानि के रूप में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी तुलन पत्र के मुख-पृष्ठ पर उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को "उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति" में तथा तुलनपत्र में पट्टा देयताओं को "अन्य वित्तीय देयताओं" में दर्शाती है।

(vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टेः - कंपनी ने ऐसी अल्पावधि वाली और कम मूल्यवाली परिसंपत्ति को पट्टे के उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को मान्यता न देने का विकल्प चुना है जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम हो। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध भुगतानों को पट्टा अवधि में एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

जहां कंपनी पट्टादाता हो:

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में काम करती है, तो इसे पट्टे का आरंभ माना जाता है, चाहे वह एक वित्तीय पट्टा हो अथवा एक परिचालनिक पट्टा हो। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी एक पूर्ण आकलन करती है, कि क्या पट्टे में उक्त संपत्ति के मालिकाना हक के आकस्मिक जोखिम और रिवार्ड का काफी हद तक पट्टा हस्तांतरण हो गया है। यदि ऐसा मामला हो, तो पट्टा एक वित्तीय पट्टा होता है, यदि नहीं तो वह एक परिचालनिक पट्टा होता है। आकलन के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ सकेतों पर विचार करती है कि क्या पट्टा परिसंपत्ति कि आर्थिक स्थिति के बड़े हिस्से के लिए है।

कंपनी परिचालनिक पट्टे के अंतर्गत प्राप्त भुगतानों को एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पर पट्टा अवधि के दौरान "अन्य आय" के रूप में आय को मान्यता देती है।

ध) परिसंपत्तियों की हानिः –

जैसा भारतीय लेखा मानक 36 में परिभाषित है नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयां तुलनपत्र की तारीख को 'परिसंपत्तियों की हानि' के साथ ही साथ वहन राशि की पहचान करती है। उससे वसूली जा सकने वाली राशि और हानि, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के खाते में रखा जाता है। यदि क्षति के किसी नुकसान के बाद में आरक्षित रखा जाना हो, तो उसे रिवर्सल वर्ष में रखा जाता है।

न) उधारी लागतः –

सामान्य और विशिष्ट उधारी लागतें अर्हक परिसंपत्तियों के सीधे अधिग्रहण, निर्माण अथवा उतप्दान के फलस्वरूप मानी जाती है, जिन्हें अब तक उस परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा माना जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसके उपयोग हेतु तैयार करने के लिए पर्याप्त अवधि की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधारी लागतें को उस अवधि में, जब वे वहन की जाती हैं, उस अवधि के लाभ और हानि विवरणों में मान्यता दी जाती है।

ऩ) कर्मचारी हितः –

(क) अल्पावधि के कर्मचारी लाभ

सेवाएं प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे वेतन, मजदूरी, और अल्पावधि अनुपस्थिति की प्रतिपूर्ति आदि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ख) दीर्घावधि कर्मचारी लाभः

दीर्घावधि कर्मचारी लाभ जैसे दीर्घावधि अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति, अर्ध वेतन छुट्टी और एलटीसी को उसी तरह मान्यता दी जाती है जैसा नीचे (सी)(ii) में परिभाषित लाभ योजनाओं में उल्लेख किया गया है-

(ग) रोजगार के बाद के लाभ

(i) **परिभाषित योगदान योजनाएंः** भविष्य निधि योजना के संबंध में कंपनी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित अंशदान देती है। योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किया गया / भुगतान योग्य अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ii) **परिभाषित लाभ योजनाएंः** कंपनी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों की पात्रता आमतौर पर इस शर्त के साथ होती है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा और न्यूनतम सेवा अवधि के पूरा होने तक सेवा में रहेगा। इन लाभों की अपेक्षित लागत नियोजन कि उस अवधि में आती हैं, जिसमें परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए समान लेखा-जोखा का तरीका अपनाया जाता है।

(iii) ग्रेच्युटी रोजगार के बाद मिलनेवाली लाभ योजना है। देयता को तुलन पत्र में परिभाषित लाभ देयता की वर्तमान मूल्य माना जाता है, जिसमें तुलन-पत्र की तिथि को परिसंपत्तियों के योजना में उचित मूल्य को कम किया जाता है। परिभाषित लाभ देयता की गणना रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) तरीके का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा की जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(iv) पुनः माप से होने वाले लाभ और हानि को समायोजन के अनुभव और बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तनों से परिभाषित लाभ योजनाओ के संबंध में, उन्हें उसी अवधि में मान्यता दी जाती है, जब वे सीधे व्यापक आय में उत्पन्न होते है। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरणों में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

(घ) विदेशी सेवा अंशदान में प्रावधान/देयताएं– प्रतिनियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति माने जानेवाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों और विनियमों की शर्तों के अनुसार पेंशन और छुट्टी वेतन दिए जाते है और उन्हें प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

प) इन्वेंटरी:

(i) इन्वेंटरी का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, स्टोर, पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों के मामले में, लागत में शुल्क और कर (आईटीसी का शुद्ध, जहां भी लागू हो) शामिल होते हैं और इसकी गणना एफआईएफओ के आधार पर की जाती है।

(iii) तैयार माल की लागत और कार्य जारी रहने की प्रक्रिया में कच्चे माल की लागत, पैकिंग सामग्री, निर्धारित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का उचित शेयर, लागू सीमा शुल्क और अन्य लागतें इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए अन्य उत्पन्न लागतें शामिल होती है।

(iv) पीडी मद (ट्रेडेड गुड्स) का मूल्यांकन एफआईएफओ के आधार पर लागत या एनआरवी पर किया जाता है।

फ) कराधान: –

(क) चालू आयकर: –

(i) लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके वर्तमान आयकर सहित करों की गणना की जाती है।

(ii) राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं जहां कंपनी संचालित होती है तथा कर योग्य आय अर्जित करती है।

(iii) वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए चालू आयकर परिसंपत्ति और देयताओं की गणना वसूली जा सकने वाली संभावित राशि पर की जाती है अथवा अतिरिक्त कर, यदि कोई हो, की देयता के लिए कर प्राधिकरणों को भुगतान की जाती है, जिन्हें आकलनों के पूरा होने पर उपलब्ध कराया /भुगतान किया जाता है।

(iv) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती हैं।

(ख) आस्थगित कर

कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक– 12 के अनुरूप आस्थगित कराधान के लिए “आयकर” की गणना की है।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें अधिनियमित या रिपोर्टिंग तिथि पर मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

ii. आस्थगित आयकर संपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां संभव हो कि उन काटे जाने योग्य अस्थाई अंतरों पर कर लाभ उपलब्ध होगा और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभव न हो सके कि उपयोग की जानेवाली आस्थगित आयकर संपत्ति को संपूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

ब) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण के लिए, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या में उस अवधि में बकाया शेयरों की संख्या की औसत को लिया जाता है। प्रति शेयर मिश्रित आय का निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ और उस अवधि में बकाया शेयरों की संख्या की औसत को इक्विटी शेयरों की सभी मिश्रित क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाता है।

भ) अनुदान

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदानों को, संबंधित परिसंपत्तियों की संभावित जीवन अवधि के अनुसार, आस्थगित आय और सिस्टेमेटिक आधार पर लाभ या हानि में किए गए क्रेडिट में शामिल किया जाता है तथा उसे अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. राजस्व व्यय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्ययों में समायोजित किया जाता है। राजस्व के अप्रयुक्त हिस्से और पूंजी अनुदान को देयता के रूप में दिखाया गया है।

iii. गैर–मौद्रिक संपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

म) नकदी एवं नकदी समकक्ष

नकदी एवं नकदी समकक्षों में रोकड़, ड्राफ्ट/चेक, बैंक बैलेंस, बैंकों में जमा और अल्पावधि निवेश शामिल हैं, जो अल्प अवधि वाले (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम), उच्च मात्रा वाले निवेश होते हैं, जिन्हें तत्काल नकदी में बदला जा सकता है और जिनसे मूल्य में किन्ही परिवर्तनों का कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं होता।

य) पुराने चेक

वे चेक जो 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर क्लियर नहीं किया जाते हैं, उन्हें पुराने चेक खाते में जमा कर दिया जाता है। निजी पार्टियों से संबंधित पुराने चेक जो पुराने चेक में हस्तांतरण होने की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुराने हैं और सरकारी निकायों से संबंधित चेक जो पुराने चेक में हस्तांतरण होने की तिथि से 6 वर्ष से अधिक से पुराने हैं और जो पुराने चेक खाते में भी क्लियर नहीं हुए है उन्हें विविध आय में जमा किया जाता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए, उसे विविध व्ययों में डेबिट किया जाता है

a) वित्तीय साधन: –

आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को उनके उचित मूल्य सहित अथवा लेनदेन लागतों को कम करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय साधनों के अधिग्रहण अथवा उन्हें जारी करने के लिए सीधे देय है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

यदि किसी व्यापारिक गतिविधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसका उद्देश्य इन संविदात्मक परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को बनाए रखना होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ाता है, जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज के पूरी तरह से भुगतान को कम करता हैं। प्रभावी ब्याज दर में से परिशोधन, यदि कोई हो, को कम करते हुए परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की माप की जाती है। ईआईआर ऋणमुक्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है: –

(i) प्रतिभूति जमा
(ii) प्रतिधारण राशि
(iii) नकदी और नकदी समकक्ष
(iv) अन्य वित्तीय साधनों के साथ समायोजित अग्रिम

अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों में नकदी प्रवाह को बढाती है जो पूरी तरह से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान होता है।

ऋण इंट्रूमेंट एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल होता है जिसकी आरंभिक माप के साथ– साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर माप भी की जाती है। उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में रखा जाता है। तथापि, कंपनी ब्याज से प्राप्त आय को मान्यता देती है, परिशोधन हानियों एवं रिवर्सल तथा विदेशी मुद्रा लाभ अथवा लाभ एवं हानि में हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ईआईआर तरीके के उपयोग से अर्जित ब्याज को स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति मानित करने के लिए चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है । यदि ऐसा करने से माप की आवश्यकता कम होती है या समाप्त होती है या मान्यता में निरंतरता नहीं होती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों की उचित मूल्य पर माप की जाती है जिसमें लाभ और हानि के विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति जमा, वापसी योग्य अग्रिम और प्रतिधारण राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें आरंभ में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर लाया जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देयताएं निर्दिष्ट नहीं की है।

मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का कोई हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्ति के समूह का एक हिस्सा) को तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति और तदुपरांत परिसंपत्ति के मालिकाना हक के सभी जोखिमों और रिवार्ड का हस्तांतरण करता है।

वित्तीय देयता

एक वित्तीय दायित्व को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता समाप्त हो जाती है या रद्द हो जाती है या समाप्त हो जाती है। जब कोई वित्तीय देयता महत्वपूर्ण रूप से भिन्न शर्तों पर, किसी अन्य समान ऋणदाता के साथ बदली जाती है अथवा किसी विद्यमान देयता की शर्तें काफी हद तक बदली जाती हैं, तो ऐसी कोई आदान-प्रदान अथवा आशोधन मूल देयता को अमान्य माना जाता है और नई देयता की मान्यता और संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके भत्तों की हानि को मान्यता देती है, जिसका लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता। व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता जिसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है, को लाइफटाइम ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ईसीएल को 12-महीने के ईसीएल की बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि आरंभिक मान्यता से किसी क्रेडिट जोखिम में कोई वृद्धि न हो, ऐसे मामले में उनकी माप लाइफटाइम ईसीएल पर की जाती है। ईसीएल (या रिवर्सल) की राशि, जो रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि भत्ते को उस राशि में समायोजित करने के लिए अपेक्षित होती है, जिसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, उसे लेखा के लाभ और हानि खाते के विवरण में क्षीण लाभ या हानि पर मान्यता दी जाती है।

ऱ) उचित मूल्य की माप

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों का आकलन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति की बिक्री किसी देयता के हस्तांतरण से पैमाइश की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच सही रूप से लेनदेन के द्वारा प्राप्त होता है। उचित मूल्य का मूल्यांकन इस पूर्वानुमान पर आधारित होता हैं कि संपत्ति की बिक्री के लिए लेनदेन या देयता के हस्तांतरण इनमें से किसी रूप में हो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार न होने की स्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभकारी बाजार में।

कंपनी की प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार में पैठ होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का माप वे अनुमान लगाकर किया जाता है कि बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय इन अनुमानों का उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं और उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, जिसके लिए अपेक्षित ध्यान देने योग्य इनपुट का अधिकतम तथा ध्यान न देने योग्य इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्ति और देयता जिनके लिए उचित मूल्य की माप की जाती है या वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को उचित मूल्य के वर्गीकरण में रखा जाता है, जिसे निम्नानुसार वर्णित किया गया है, जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित होता है जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है::

- स्तर 1 ‑ समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 ‑ मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुस्पष्ट उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 ‑ मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो अस्पष्ट रूप से उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या वर्गीकरण के स्तर के बीच हस्तांतरण हुए हैं, जिसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है) किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करती है, जिनका लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्माप या पुनर्मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी से सहमत होते हुए नवीनतम मूल्यांकन में मुख्य इनपुट का उपयोग करके सत्यापन करती है।

कंपनी अपेक्षित बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या परिवर्तन उचित है या नहीं?

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के आधार पर, जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां उचित मूल्य के स्तर का क्रम निर्धारित किया है।

टिप्पणी:– 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन: फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट	भवन: लीज़होल्ड सुधार	भवन: फैक्ट्री भवन– लीज़होल्ड	संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत लगाना एवं उपकरण	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालय उपकरण: एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण: कार्यालय उपकरण		लग्ज़री पर्यटन गाड़ियां	कुल
सकल आगे बढ़ाई वेल्यू												
01 अप्रैल 2020 को	876.61	–	1,940.23	4,291.96	9,163.27	580.67	8,611.62	509.47	1,542.90	651.32	5,202.46	33,370.51
जुड़ी	–	3,636.93	625.77	36.64	490.39	7.93	1,683.71	3.60	73.28	20.67	–	6,578.92
निपटान/समायोजन	–	–	3.46	–	44.86	–	61.58	5.59	47.44	3.23	–	166.16
31 मार्च, 2021 को	876.61	3,636.93	2,562.54	4,328.60	9,608.80	588.60	10,233.75	507.48	1,568.74	668.76	5,202.46	39,783.27
जुड़ी	1,493.79	475.08	58.17	327.93	701.67	26.20	235.22	11.74	72.12	16.91		3,418.83
निपटान/समायोजन			17.47	14.00	64.51	76.90	253.98	24.69	169.74	14.32		635.61
31 मार्च, 2022 को	2,370.40	4,112.01	2,603.24	4,642.53	10,245.96	537.90	10,214.99	494.53	1,471.12	671.35	5,202.46	42,566.49
संचित मूल्यह्रास एवं हानि												
01 अप्रैल, 2020 को	–	–	861.79	610.44	3,456.64	360.05	6,840.44	335.98	1,187.95	411.91	3,720.22	17,785.42
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	–	6.59	151.15	153.17	850.51	39.08	835.94	31.11	98.66	34.49	240.05	2,440.75
हानि												
निपटान/समायोजन					44.56		56.97	5.31	40.38	2.96		150.18
31 मार्च, 2021 को	–	6.59	1,012.94	763.61	4,262.59	399.13	7,619.41	361.78	1,246.23	443.44	3,960.27	20,075.99
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		63.47	231.95	279.80	766.50	31.90	732.60	34.02	92.08	39.13	240.01	2,511.46
हानि												
निपटान/समायोजन			17.11	1.82	32.45	63.36	242.56	21.24	157.70	12.91	–	549.15
31 मार्च, 2022 को	–	70.06	1,227.78	1,041.59	4,996.64	367.67	8,109.45	374.56	1,180.61	469.66	4,200.28	22,038.30
शुद्ध वहन वेल्यू												
31 मार्च, 2022 को	2,370.40	4,041.95	1,375.46	3,600.94	5,249.32	170.23	2,105.54	119.97	290.51	201.69	1,002.18	20,528.19
31 मार्च, 2021 को	876.61	3,630.34	1,549.60	3,564.99	5,346.21	189.47	2,614.34	145.70	322.51	225.32	1,242.19	19,707.28
01 अप्रैल 2020 को	876.61	–	1,078.44	3,681.52	5,706.63	220.62	1,771.18	173.49	354.95	239.41	1,482.24	15,585.09

नोट :– 3.1 वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान, कंपनी ने पैन इंडिया लक्ज़री पर्यटन गाड़ी का अधिग्रहण किया। उक्त गाड़ी की कुल लागत 5,046.57 लाख थी। पर्यटन मंत्रालय ने 1,237.00 लाख रूपये की पूंजी सब्सिडी दी थी जिसे आस्थगित अनुदान में मान्यता दी गई और मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित किया गया।

नोट :– 3.2

रेलनीर संयंत्रों के अलावा अन्य रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों में सिविल कार्य पर किए गए व्यय को लीज़ होल्ड सुधार के रूप में लगाया गया है और दस वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास किया गया है।

नोट :– 3.3

आईआरसीटीसी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ और परसाला में रेलनीर संयंत्र लगाने के लिए रेलवे से भूमि लीज पर ली है। इन भूमि पर स्थित भवनों पर मूल्यह्रास नीति के अनुसार प्रदान किया गया है। हालांकि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 से शुरू होने वाले 10 वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर अंबरनाथ और पालूर संयंत्र के भवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। अन्य भूमि पर स्थित रेलनीर संयंत्रों के लिए, 30 वर्षों की अवधि में भवनों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अनुसार किया गया है।

नोट :– 3.4

लीज़होल्ड परिसंपत्ति (उपयोग का अधिकार) के विवरण के लिए नोट 5बी और अचल परिसम्पत्तियों के हक़ विलेख के लिए नोट नं 74 देखें, जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है।

नोटः – 4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	रेलनीर संयंत्र – विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)	रेलनीर संयंत्र–भुसावल (महाराष्ट्र)	रेलनीर संयंत्र–भुवनेश्वर (उड़ीसा)	रेलनीर संयंत्र–ऊना (हिमाचल प्रदेश)	रेलनीर संयंत्र–सिम्हाद्री (एपी)	बजट होटल	प्रशिक्षण केंद्र, फरीदाबाद	अन्य	कुल
01 अप्रैल, 2020 को अधिशेष	–	274.61	–	137.22	–	352.01	–	856.95	1,620.79
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	106.40	132.67		547.39	124.45	560.83	–	659.93	2,131.67
समायोजन							–	1,322.15	1,322.15
31 मार्च, 2021 को अथशेष	106.40	407.28	–	684.61	124.45	912.84	–	194.73	2,430.31
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	89.74	103.11	42.00	42.00	312.33	477.49	41.32	49.09	1,157.08
समायोजन				726.61				243.82	970.43
31 मार्च, 2022 को अथशेष	196.14	510.39	42.00	–	436.78	1,390.33	41.32	–	2,616.96

नोट: – 4.1 (ए) पूंजीगत कार्य प्रगति पर की परिपक्वन अनुसूची

31 मार्च 2022 को सडबल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1066.01	939.18	591.89	19.88	2616.96
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

31 मार्च 2021 को सडबल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1690.61	708.79	5.11	25.80	2430.31
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	–	–	–	–	–

नोट: – 4.1 (बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के परिपक्वन अनुसूची जिसकी पूर्णता इसकी मूल योजना की तुलना में अतिदेय है

31 मार्च 2022 को

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल – लखनऊ	1,227.15	–	–	–	1,227.15
रेलनीर संयंत्र– विजयवाड़ा	196.14	–	–	–	196.14
रेलनीर संयंत्र– भुसावल	510.39	–	–	–	510.39

31 मार्च 2021 को

राशि (लाख ₹ में)

उरळींरश्र थेांज़ ळप झीसीशीी	ढे लश लेाश्रिशींव ळप				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
रेलनीर संयंत्र– विजयवाड़ा	106.40	–	–	–	106.40
रेलनीर संयंत्र– भुसावल	407.28	–	–	–	407.28

नोट:– 31 मार्च, 2022 को ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो अपनी मूल योजनाओं की तुलना में अपनी लागत से अधिक हो।

नोटः– 5 निवेश सम्पत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में भवन	कुल
1 अप्रैल, 2020 को अधिशेष	464.66	2,336.31	2,800.97
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	–	32.21	32.21
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अथशेष	464.66	2,368.52	2,833.18
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2022 को अथशेष	464.66	2,368.52	2,833.18
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2020 को अधिशेष	–	62.15	62.15
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	37.47	37.47
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अथशेष	–	99.62	99.62
वर्ष के दौरान परिशोधन	–	37.61	37.61
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2022 को अथशेष	–	137.23	137.23
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2022 को	464.66	2,231.29	2,695.95
31 मार्च, 2021 को	464.66	2,268.90	2,733.56
01 अप्रैल, 2020 को	464.66	2,274.16	2,738.82

नोटः–5.1 31 मार्च, 2022 को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 7935.00 लाख रूपये है, जिसका मूल्यांकन एक मौजूदा बाजार दरों के अपनाने के द्वारा भूमि और भवन विधि के आधार पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत किया गया हैं।

5.2 अन्य प्रकटन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31, मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31, मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण में निवेश संपत्तियों के लिए मान्यता प्राप्त राशियाँ		
किराए से आय	234.98	234.98
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त हुई	19.86	19.86
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त नहीं हुई	–	–
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से प्राप्त हुई आय	215.12	215.12
मूल्यह्रास और परिशोधन	37.61	37.47
निवेश संपत्तियों से आय (शुद्ध)	177.51	177.65

नोटः– 5क अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाइसेंस	कुल
1 अप्रैल, 2020 को अधिशेष	3,279.98	1,445.07	4,725.05
वर्ष के दौरान जोड़	523.90	–	523.90
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–		–
31 मार्च, 2021 को अथशेष	3,803.88	1,445.07	5,248.95
वर्ष के दौरान जोड़	38.88	–	38.88
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	2,588.86	1,374.55	3,963.41
31 मार्च, 2022 को अथशेष	1,253.90	70.52	1,324.42

नोट:– 5क अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाइसेंस	कुल
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2020 को अधिशेष	2,895.19	1,395.79	4,290.98
वर्ष के दौरान परिशोधन	264.55	24.17	288.72
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2021 को अथशेष	3,159.74	1,419.96	4,579.70
वर्ष के दौरान परिशोधन	158.77	12.90	171.67
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	−2,588.86	−1,374.55	−3,963.41
31 मार्च, 2022 को अथशेष	729.65	58.31	787.96
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2022 को	524.25	12.21	536.46
31 मार्च, 2021 को	644.14	25.11	669.25
01 अप्रैल, 2020 को	384.79	49.28	434.07

*टिप्पणी:– चालू वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन उन सॉफ्टवेयरों और लाइसेंसों को दर्शाता है जो निरर्थक थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और वर्तमान में उपयोग में नहीं हैं।

नोट 5ख परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	भवन	वाहन	कुल
सकल आगे बढ़ाई वेल्यू				
01 अप्रैल 2020 को इतिशेष	3,896.15	3,707.90	3,783.73	11,387.78
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	247.89	55.78	15.58	319.25
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	3.58	150.40	14.73	168.71
31 मार्च 2021 को अथशेष	**4,140.46**	**3,613.28**	**3,784.58**	**11,538.32**
वर्ष के दौरान जोड़ी गई	174.93	1,674.05	2,310.17	4,159.15
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	347.41	–	–	347.41
31 मार्च 2022 को अथशेष	3,967.98	5,287.33	6,094.75	15,350.06
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2020 को इतिशेष	198.84	751.35	581.49	1,531.68
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	188.83	477.40	1,201.57	1,867.79
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	8.69	8.69
वर्ष के दौरान हानि	–	–	122.97	122.97
31 मार्च 2021 को अथशेष	387.67	1,228.75	1,897.34	3,513.75
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	191.29	790.14	1,196.67	2,178.10
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	0	–
वर्ष के दौरान रिवर्स हानि क्षति (नोट सं 46 देखें)	–	–	−122.97	−122.97
31 मार्च 2022 को अथशेष	578.96	2,018.89	2,971.04	5,568.88
शुद्ध वहन वेल्यू				
31 मार्च, 2022 को	3,389.02	3,268.44	3,123.71	9,781.18
31 मार्च, 2021 को	3,752.79	2,384.53	1,887.24	8,024.57
01 अप्रैल, 2020 को	3,697.31	2,956.55	3,202.24	9,856.10

* नोट:– भवन में रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट शामिल हैं जो 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज़ पर हैं और उस अवधि में उनका मूल्यह्रास किया गया है।

नोट:– 6 वित्तीय परिसंपत्तियां– गैर चालू

नोट:– 6.1 गैर–चालू निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
रॉयल इण्डियन रेल टूर्स लिमिटेड के प्रत्येक 10 रूपये के 25 लाख इक्विटी शेयर	250.00	250.00
घटाएं: निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)
कुल निवेश	–	–

नोट:– 6.1 क कुल गैर चालू निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कोट न किए गए निवेशों की सकल राशि	250.00	250.00
निवेश मूल्य में हानि की सकल राशि	(250.00)	(250.00)
निवेश का कुल उचित मूल्य	–	–

नोट 37.2 (ii), 44.4 और 45 देखें

नोट:– 6.2 अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) सावधि जमा जो बैंक गारंटी के एवज में मार्जिन मुद्रा के रूप में ली गई	8.06	8.06
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
ख) सुरक्षा जमा	26.30	19.22
कुल	34.36	27.28

नोट:– 7 आस्थगित कर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. आस्थगित कर देयताएं		
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	566.65	571.32
आस्थगित कर देयताओं का योग	566.65	571.32
ख आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
कर्मचारी लाभ	1,553.80	1,931.83
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	–	–
संदिग्ध कर्ज	2,794.04	2,547.13
संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	4,034.77	2,725.67
निवेश	62.93	62.93
लीज़ देयता (आर ओ यु का शुद्ध)	303.16	253.05
आस्थगित राजस्व	762.17	582.39
दावों/हानि के लिए प्रावधान	529.00	102.06
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	10,039.87	8,205.07
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों	9,473.22	7,633.75

नोट:– 7 आस्थगित कर (जारी..)

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) का संचलन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध कर्ज	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	लीज़ देयता (आर ओ यु का शुद्ध)	आस्थगित राजस्व	दावों/हानि के लिए प्रावधान	कुल
1 अप्रैल 2020 को इतिशेष (नोट सं 52 और 84 देखें)	(515.88)	1,952.55	2,102.97	2,725.67	62.93	134.71	509.70	91.49	7,064.15
वर्ष के दौरान प्रभारित/(क्रेडिट) (नोट सं 52 और 84 देखें)									
लाभ एवं हानि के लिए	(55.44)	84.45	444.16	–	–	118.34	72.69	10.57	674.77
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(105.17)	–	–	–	–	–		(105.17)
31 मार्च 2021 को अथशेष	(571.32)	1,931.83	2,547.13	2,725.67	62.93	253.05	582.39	102.06	7,633.75
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)।									
लाभ एवं हानि के लिए	4.67	(230.70)	246.91	1,309.10	–	50.11	179.78	426.94	1,986.80
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(147.33)	–	–	–	–	–		(147.33)
31 मार्च 2022 को अथशेष	(566.65)	1,553.80	2,794.04	4,034.77	62.93	303.16	762.17	529.00	9,473.22

नोट:– 8 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) पूंजीगत अग्रिम		
फ्लैट निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को अग्रिम पूंजी	571.43	211.43
फ्लैट निर्माण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को अग्रिम पूंजी	1,374.00	780.00
एयर इंडिया से फ्लैट की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी	463.93	671.63
लखनऊ में भूमि (॥) की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी	2,070.01	–
केवडिया में भूमि के लिए अग्रिम पूंजी	–	1,275.00
ख) अन्य		
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	467.24	467.56
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	0.18	1.27
कुल	**4,946.79**	**3,406.89**

* यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के एक अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :– 9 वस्तुसूची (जैसाकि लिया गया, मूल्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कच्चा माल	464.88	367.26
तैयार माल	310.58	266.68
व्यापारिक माल–पैक्ड (पीडी) मदें	17.33	20.10
लागत के निचले स्तर पर कुल सूची और शुद्ध वसूली मूल्य	**792.79**	**654.04**

नोट:– 10 वित्तीय परिसंपत्तियां

नोट :– 10.1 व्यापार प्राप्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उचित समझा – सुरक्षित	–	–
उचित समझा – असुरक्षित (अग्रिम का शुद्ध)	53,366.56	47,069.34
व्यापार प्राप्तियां जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	4,777.15	6,971.19
व्यापार प्राप्तियां क्रेडिट असामान्य	10,221.03	8,130.89
घटाए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(11,100.68)	(10,037.20)
कुल व्यापार प्राप्तियां	**57,264.06**	**52,134.22**

नोट 63 देखें

नोट 10.2 : नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
हाथ में पैसा	36.14	9.82
चेक/ड्राफ्ट हस्ते	–	–
बैंकों के अधिशेष:		
– चालू खाते में	36,667.91	34,075.95
– फ्लेक्सी चालू खाते में	116.33	416.64
कुल	**36,820.38**	**34,502.41**

नोट:– 10 वित्तीय परिसंपत्तिया (जारी..)

नोट :– 10.3 : नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ जमा लेकिन 12 महीने से कम (नोट सं 53 देखें)	1,36,162.21	1,11,383.57
अनुसूचित बैंक के साथ प्रतिबंधित शेष		
अदत्त लाभांश खाते	16.69	9.73
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ जमा लेकिन 12 महीने से कम (नोट 10.3.1 देखें)	3.75	–
बैंक गारंटी के लिए मार्जिन मनी	153.85	153.85
कुल	**1,36,336.50**	**1,11,547.15**

नोट 10.3.1 : 3.75 लाख रुपये की सावधि जमा मदिरा लाइसेंस के लिए जिला आबकारी कार्यालय गाजियाबाद के पक्ष में ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित टीडीआर का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट:– 10.4 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तिया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपार्जित ब्याज लेकिन सावधि और फिक्स जमा पर देय नहीं	3,121.42	3,473.53
असुरक्षित, उचित समझा गया		
प्रतिभूति जमा	1078.36	1124.97
अन्य प्राप्तियां	6,104.91	6,827.33
कुल	**10,304.69**	**11,425.83**

नोट:– 11 प्रचलित कर परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
आयकर वापसी	4,073.74	3,617.70
कर एवं टीडीएस के लिए अग्रिम (31 मार्च, 2022 को ₹ 23802.31 लाख आयकर के लिए शुद्ध प्रावधान)	2,386.20	–
कुल	**6,459.94**	**3,617.70**

नोट:– 12 अन्य प्रचलित परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य अग्रिम	3,631.72	2,447.57
घटाए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(82.50)	(82.50)
सरकारी प्राधिकारी के पास अधिशेष	3,454.19	2,948.09
रेलवे के पास अन्य जमा	77,277.06	50,692.07
अन्य		
प्रदत्त व्यय	844.17	797.16
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	1.40	1.26
कुल	**85,126.04**	**56,803.65**

* यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :– 13 इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक ₹ 2 के 12500 लाख इक्विटी शेयर		25,000.00
(31 मार्च 2021 को– प्रत्येक ₹ 10 के दर से 2500 लाख इक्विटी शेयर)		**25,000.00**
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 2 के 8000 लाख इक्विटी शेयर		16,000.00
(31 मार्च 2021 को– प्रत्येक ₹ 10 के दर से 1600 लाख इक्विटी शेयर)		
	16,000.00	16,000.00

नोट:– 13.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	1,600.00	16,000.00	1,600.00	16,000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
शेयरों के विभाजन पर समाप्त हुए शेयर (नीचे नोट देखें)	-1,600.00			
प्रत्येक ₹ 2/– रूपये के दर से 8000 लाख इक्विटी शेयर विभाजन पर वर्ष के दौरान जारी किए गए (नीचे नोट देखें)	8,000.00		–	–
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के अंत में बकाया (नीचे नोट देखें)	8,000.00	16,000.00	1,600.00	16,000.00

नोट: वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रत्येक ₹ 10/– रुपये के अंकित मूल्य का एक इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक ₹ 2/– रुपये के 5 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था।

नोट 13.2:– शेयरों से सम्बंधित अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर जिसका सम मूल्य प्रतिशयर ₹ 2 है (31 मार्च, 2021 को प्रत्येक ₹ 10/– रुपये)। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर के लिए एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में लिया जाना हैं। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं है, अतः लिक्विडेशन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट:– 13.3 कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की सं लाख में	होल्डिंग का%	शेयरों की सं लाख में	होल्डिंग का%
इक्विटी शेयर				
रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं इसके नामित (शेयरों की संख्या के लिए नोट संख्या 13.1 में फुट नोट देखें)	5,392.00	67.40%	1,078.40	67.40%
कुल	5,392.00	67.40%	1,078.40	67.40%

नोट :– 13 इक्विटी शेयर पूंजी (जारी..)

नोट 13.4 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

वर्ष (2021–22) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/– रुपये	कुल शेयरों का%	% वर्ष के दौरान बदलाव
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित	5,392.00	67.40%	वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी के शेयरों के विभाजन के परिणामस्वरूप, प्रत्येल ₹ 10 रुपये के अंकित मूल्य का एक (01) शेयर प्रत्येक ₹ 2/- रूपये के अंकित मूल्य के पांच (5) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया गया था।हालांकि, 31 मार्च, 2022 को कंपनी की शेयर पूंजी में कोई % बदलाव नहीं हुआ था
कुल	**5,392.00**	**67.40%**	

वर्ष (2020–21) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/– रुपये	कुल शेयरों का%	% वर्ष के दौरान बदलाव
रेल मंत्रालय, भारत सरकार और उसके नामित	1,078.40	67.40%	वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी की 20% प्रदत्त इक्विटी पूंजी को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के निर्देशों के अनुसार, "ऑफर फॉर सेल" (ओएफएस) स्वरा विनिवेश किया गया था। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को आईआरसीटीसी में भारत के राष्ट्रपति की हिस्सेदारी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 87.40% से घटकर 67.40% हो गई है।
कुल	**1,078.40**	**67.40%**	

नोट :– 13.5 रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद से पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	संख्या लाखो में	संख्या लाखो में	संख्या लाखो में	संख्या लाखो में	संख्या लाखो में
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	1,200.00	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**1,200.00**	**-**

नोट : – 14 अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
सामान्य रिजर्व	55,991.70	52,491.70
प्रतिधारित कमाई	1,16,396.35	77,089.44
कुल	**1,72,388.05**	**1,29,581.14**

नोट : – 14 अन्य इक्विटी (जारी..)

नोट:– 14.1 सामान्य रिजर्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
ओपनिंग बैलेंस	52,491.70	48,991.70
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00	3,500.00
क्लोजिंग बैलेंस	**55,991.70**	**52,491.70**

नोट :– 14.2 प्रतिधारित आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
ओपनिंग बैलेंस	77,089.44	66,390.47
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन और लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव (नोट 52 और 84 देखें)	–	(816.35)
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित अवधि के दौरान लाभ	66,368.91	18,702.64
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	438.00	312.68
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	(8,000.00)	(4,000.00)
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान	(16,000.00)	–
सामान्य रिजर्व में अंतरण	(3,500.00)	(3,500.00)
क्लोजिंग बैलेंस	**1,16,396.35**	**77,089.44**

प्रस्तावित और वितरित किया गया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किए गए नकद लाभांश		
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए): ₹10/- अंकित मूल्य (पिछले वर्ष: प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के ₹ 2.50 प्रति शेयर) के ₹5.00 प्रति शेयर	8,000.00	4,000.00
वर्ष के दौरान प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य का ₹ 2.00 प्रति शेयर अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया (31 मार्च, 2021 शून्य प्रति शेयर)	16,000.00	–
	24,000.00	**4,000.00**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश *		
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश: प्रत्येक ₹ 2/- के अंकित मूल्य का 1.50 प्रति शेयर (31 मार्च, 2021 ₹ 10/- के अंकित मूल्य का ₹ 5.00 प्रति शेयर)	12,000.00	8,000.00
	12,000.00	**8,000.00**

* इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2022 तक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 15 :– वित्तीय देयताएं– गैर चालू

नोट 15.1 :– अन्य

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्रतिभूति	2,218.90	1,941.36
कुल	**2,218.90**	**1,941.36**

नोट:– 16 प्रावधान– गैर चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति लाभ ((नोट 20, 37.1 और 42 देखें)	5,435.35	7,036.08
कुल	**5,435.35**	**7,036.08**

नोट :– 17 अन्य गैर चालू देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
आस्थगित अनुदान	128.00	172.16
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	545.86	473.10
प्राप्त अग्रिम	21.53	217.90
कुल	**695.39**	**863.16**

*यह आरंभिक मान्यता और व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट:– 18 वित्तीय देयताएं– चालू

नोट :– 18.1 व्यापार देय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(र) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	844.20	39.36
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		
वस्तुओं हेतु	1,464.42	1,941.27
सेवाओं हेतु (अग्रिम का शुद्ध)*	65,551.40	56,249.09
कुल	**67,860.02**	**58,229.72**

* यह व्यापार के नियमित क्रम के दौरान किए गए अग्रिम भुगतानों का शुद्ध है

एमएसएमई अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
1. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज:		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	844.20	39.36
उपरोक्त पर देय ब्याज*	–	–
2. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	–	–
3. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि	–	–
4. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	–	–
5. सफल वर्षों में जब तक कि उस तिथि तक ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में देय और देय राशि की भी अधिक राशि भुगतान करने के लिए भुगतान की जाती है।	–	–

नोट:– 18 वित्तीय देयताएं– चालू (जारी..)

31 मार्च 2022 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	787.70	17.32	19.94	19.24	844.20
(ii) अन्य	28,680.48	5,450.54	6,380.25	19,010.77	59,522.04
(iii) विवादित देय राशि – एमएसएमई	45.93	–	–	–	45.93
(iv) विवादित बकाया – अन्य	337.07	–	–	–	337.07
(v) बिना बिल किया हुआ	407.96	181.02	490.60	6,031.20	7,110.78
कुल	30,259.14	5,648.88	6,890.79	25,061.21	67,860.02

31 मार्च 2021 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	39.36	–	–	–	39.36
(ii) अन्य	14,074.38	7,111.01	5,700.77	15,433.31	42,319.42
(iii) विवादित देय राशि – एमएसएमई	–	–	–	–	
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	
(v) बिना बिल किया हुआ	2,184.88	117.57	385.62	13,182.82	15,870.89
कुल	16,298.62	7,228.58	6,086.39	–	58,229.72

नोट :– 18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
प्रतिभूति जमा	9,746.94	9,555.03
बयाना राशि जमा	4,343.47	3,969.59
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	6,822.62	1,332.15
अन्य के प्रति देय के लिए -व्यय का प्रावधान	7,192.53	8,881.50
लीज किराया अग्रिम	1,741.50	1,741.50
अग्रिम वापसी योग्य (राज्य तीर्थ)	2,106.21	2,106.21
बकाया लाभांश	16.69	9.73
कुल	31,969.96	27,595.71

नोट :– 19 अन्य चालू देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
a) अनुबंध देयता		
असमाप्त रियायत शुल्क	0.43	83.80
असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क	43.19	–
असमाप्त लाइसेंस शुल्क	14,598.70	10,034.22
अग्रिम प्राप्त	7,439.36	2,574.20
	22,081.68	12,692.22

नोट :– 19 अन्य चालू देयताएं (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
b) अन्य		
रोलिंग जमा	34,397.60	38,323.09
वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (नोट संख्या 37.4 देखें)	8,251.01	8,251.01
सेवा कर के लिए प्रावधान	2,578.03	2,578.03
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	139.15	99.12
वैधानिक बकाया	6,152.49	2,631.24
आस्थगित अनुदान	44.16	44.16
कुल	**73,644.12**	**64,618.87**

*यह आरंभिक मान्यता और किए गए व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट:– 20 प्रावधान– चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 16, 37.1 और 42 देखें)	737.86	639.06
दावों और नुकसानों के लिए प्रावधान (नोट 37.1 देखें)	2,101.72	405.48
कुल	**2,839.58**	**1,044.54**

नोट :– 21 वर्तमान कर देयता

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
आयकर के लिए प्रावधान (31 मार्च, 2021 को 7110.24 लाख का अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	–	461.61
आयकर, अग्रिम कर का शुद्ध और टीडीएस का प्रावधान	**–**	**461.61**

नोट:– 22 संचालन से राजस्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
A. उत्पादों की बिक्री				
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)	16,880.22		5,603.97	
खानपान				
– खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री	2,539.41		1,655.84	
गैर–रेलवे व्यवसाय				
– खानपान से आय	436.73		331.68	
	19,856.36		**7,591.49**	
कुल–उत्पाद की बिक्री		**19,856.36**		**7,591.49**
B. सेवाओं की बिक्री				
i) इंटरनेट टिकटिंग				
अर्जित सेवा शुल्क–आईआर टिकट	1.97		3.03	
सुविधा शुल्क	69,407.48		29,912.72	
लाइसेंस शुल्क–कॉल सेंटर से आय	16.74		13.24	
विज्ञापन/एसबीआई को–ब्रांडेड कार्ड और लॉयल्टी कार्ड से आय	13,123.16		5,533.37	
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि के शुल्क से आय।	19,547.39		8,786.09	
(a)	**1,02,096.74**		**44,248.45**	

नोट:– 22 संचालन से राजस्व (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
ii) खानपान सेवाओं से आय					
ऑन बोर्ड कैटरिंग और अन्य सेवाओं प्रदान करने से कैटरिंग और व्यापक सेवाओं से अर्जित आय- राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम/श्रमिक स्पेशल ट्रैन/आइसोलेशन कोच		13,403.50		8,730.91	
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय					
रियायत शुल्क से आय		248.82		-	
लाइसेंस शुल्क से आय		30,802.21		11,189.70	
उपयोगकर्ता शुल्क-फूड प्लाजा से आय		2.87		1.02	
लाइसेंस शुल्क-फूड प्लाजा से आय		2,445.88		397.04	
	(b)	46,903.28		20,318.67	
iii) पर्यटन और ट्रैन संचालन					
पर्यटन और ट्रैन संचालन		15,033.65		5,060.81	
राज्य तीर्थ से आय		3,031.37		-	
उपयोगकर्ता शुल्क-रेल यात्री निवास से आय		165.57		142.01	
लाइसेंस शुल्क-रेल यात्री निवास से आय		214.08		183.06	
महाराजा एक्सप्रेस-राजस्व		283.96		-	
	(c)	18,728.63		5,385.88	
iv) रेलनीर					
लाइसेंस शुल्क - रेलनीर (नोट संख्या 56 (ए) देखें)		329.41		111.84	
	(d)	329.41		111.84	
सेवाओं की कुल-बिक्री	(a+b+c+d)		1,68,058.06		70,064.84
C. अन्य परिचालन राजस्व					
स्क्रैप बिक्री-रेल नीर		16.12		7.95	
स्क्रैप बिक्री-खानपान		17.30		1.49	
		33.42		9.44	
			33.42		9.44
परिचालन से राजस्व (सकल)			1,87,947.84		77,665.77

नोट :– 23 अन्य आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय			
एफडीआर और टीडीआर पर ब्याज आय (सकल)		4,778.62	6,509.67
ब्याज आय - अन्य		0.54	4.24
म्युचुअल फंड से लाभांश आय		335.96	260.93
	(a)	5,115.13	6,774.84
अन्य गैर-परिचालन आय			
काउंटरमांडिंग शुल्क और जमा प्रतिभूति जब्त		72.92	30.32
अनुबंधों की जब्ती पर अर्जित आय		110.97	27.90
निविदा प्रपत्रों की बिक्री		2.59	1.23
पूंजीगत अनुदान का परिशोधन		44.16	44.16
आस्थगित प्रतिभूति के परिशोधन से आय- देयता		182.00	198.96
प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय		1.06	6.11

नोट :– 23 अन्य आय (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
संविदात्मक जुर्माना और दंड से प्राप्त आय	902.65		638.26	
सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस से आय	158.09		311.15	
निवेश संपत्ति पर किराये की आय	234.98		234.98	
विविध आय	458.00		230.47	
(b)	2,167.42		1,723.54	
कुल		7,282.55		8,498.38

नोट:– 24 उपयोग की गई सामग्री की लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)				
ओपनिंग स्टॉक	350.45		380.76	
जोड़ें: खरीद और व्यय	4,004.39		1,086.12	
	4,354.84		1,466.88	
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक	453.85		350.45	
(a)	3,900.99		1,116.43	
विभागीय खानपान				
ओपनिंग स्टॉक	16.81		67.09	
जोड़ें: खरीद और व्यय	106.04		106.89	
	122.85		173.98	
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक	11.03		16.81	
(b)	111.82		157.17	
कुल (a+b)		4,012.81		1,273.60

नोट :– 25 स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
पुनर्विक्रय के लिए पीडी/पके हुए खाद्य पदार्थों की खरीद	1,723.94		1,179.41	
खरीद – गैर–रेलवे खानपान	230.93		212.96	
खरीद – रेलनीर (पीपीपी)	4,624.76		1,823.13	
	6,579.63		3,215.50	
कुल		6,579.63		3,215.50

नोट:– 26 तैयार सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति और व्यापार के लिए स्टॉकें

रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	254.58	481.81
कार्य प्रगति	12.10	30.22
	266.68	512.03

नोट:– 26 तैयार सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति और व्यापार के लिए स्टॉकें (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
क्लोजिंग स्टॉक				
तैयार माल	275.32		254.58	
कार्य प्रगति	35.26		12.10	
	310.58		266.68	
(वृद्धि)/ कमी		(43.90)		245.35
विभागीय खानपान				
ओपनिंग स्टॉक				
तैयार माल	0.07		0.07	
पीडी वस्तुएं	3.63		1.65	
	3.70		1.72	
क्लोजिंग स्टॉक				
तैयार माल	0.07		0.07	
पीडी वस्तुएं	3.33		3.63	
	3.40		3.70	
(वृद्धि)/ कमी		0.30		-1.98
लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनें				
ओपनिंग स्टॉक				
तैयार माल	16.40		14.69	
घटाएं: आबकारी अधिकारियों द्वारा अधिग्रहीत स्टॉक की हानि	1.71		-	
शुद्ध ओपनिंग स्टॉक	14.69		14.69	
क्लोजिंग स्टॉक				
तैयार माल	13.93		16.40	
(वृद्धि)/ कमी		0.76		(1.71)
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी		(42.84)		241.66

नोट :– 27 लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं के व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रदान की जाने वाली खानपान और व्यापक सेवाओं का व्यय				
ऑन बोर्ड खानपान और अन्य शुल्क – राजधानी और शताब्दी/प्रीमियम/श्रमिक स्पेशल ट्रैन/आइसोलेशन कोच	13,663.37		6,242.71	
	13,663.37		6,242.71	
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का व्यय				
रियायत शुल्क	99.55		-	
लाइसेंस शुल्क	12,311.71		4,477.25	
उपयोगकर्ता शुल्क – फूड प्लाजा	1.15		0.41	
लाइसेंस शुल्क – फूड प्लाजा	978.35		158.81	
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	28.88		17.04	
	13,419.64		4,653.51	
		27,083.01		10,896.22

नोट :– 28 पर्यटन और ट्रैन संचालन का व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
पर्यटन और ट्रैन संचालन	12,537.07		5,863.77	
राज्य तीर्थ का व्यय	2,636.08		-	
लाइसेंस शुल्क - रेल यात्री निवास	85.63		73.22	
उपयोगकर्ता शुल्क - रेल यात्री निवास	66.23		56.80	
लाइसेंस शुल्क भुगतान रेलवे भूमि - रेल यात्री निवास	-		0.04	
रखरखाव और अन्य शुल्क	740.82		465.64	
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैनों का खर्च	628.75		576.42	
	16,694.58		7,035.89	
		16,694.58		7,035.89

नोट :– 29 विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
रेल नीर (पैकेज्ड पेयजल)				
- संचालन और रखरखाव शुल्क	1,136.36		746.27	
- लाइसेंस शुल्क भूमि	15.50		27.95	
- विद्युत और ईंधन	818.48		304.99	
-मरम्मत और रखरखाव - संयंत्र और मशीनरी	4.14		6.94	
- मरम्मत और रखरखाव - अन्य	28.27		21.52	
(a)	2,002.75		1,107.67	
खानपान				
- आगत लदान और उतरन भाड़ा-खानपान	0.20		0.78	
- खाद्य निरीक्षण व्यय	1.87		12.72	
- ईंधन	69.77		83.06	
- अन्य प्रत्यक्ष व्यय	1,311.44		520.34	
(b)	1,383.28		616.90	
इंटरनेट टिकटिंग				
- रखरखाव और अन्य शुल्क	3,012.62		2,738.02	
- रद्दीकरण प्रभार	-		0.41	
- रेलवे शेयर	115.78		50.99	
- इंटरनेट उपयोग शुल्क	78.76		73.60	
- कमीशन का भुगतान	3,575.64		1,232.06	
- मैसेज पर खर्च	934.97		443.92	
(c)	7,717.77		4,539.00	
कुल (a+b+c)		11,103.80		6,263.57

नोट :– 30 कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारी लाभ व्यय				
वेतन, मजदूरी और बोनस	20,362.60		17,364.01	
भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण और अन्य निधियों में अंशदान	2,601.39		2,635.81	
उपादान	553.39		576.30	
कर्मचारी कल्याण व्यय	226.37		52.39	
	23,743.75		20,628.51	
		23,743.75		20,628.51

नोट :– 31 वित्त लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रतिभूति जमा पर छूट को समाप्त करना	170.00		188.84	
लीज देयता पर ब्याज खर्च	736.99		638.88	
आयकर पर ब्याज	198.01		–	
	1,105.00		827.72	
		1,105.00		827.72

नोट :– 32 मूल्यह्रास और परिशोधन लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
मूर्त संपत्ति पर मूल्यह्रास (नोट -3 और 5 देखें)	2,549.07		2,478.22	
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (नोट -5 ए देखें)	171.67		288.72	
संपत्ति के उपयोग अधिकार पर मूल्यह्रास (नोट-5बी देखें)	2,178.10		1,867.79	
	4,898.84		4,634.73	
		4,898.84		4,634.73

नोट :– 33 अन्य व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत और पानी	187.80	172.29
कार्यालय किराया	177.42	512.75
शुल्क, दरें और कर	292.72	335.17
मरम्मत रखरखाव और अन्य	856.48	835.47
बीमा	128.23	118.54
यात्रा खर्च	335.34	216.94
परिवहन व्यय	138.74	140.79
निदेशक का बैठने का शुल्क	3.75	6.30
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या-33.1 देखें)	26.89	24.05
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	2.50	2.50
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	4.50	4.50
सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	0.33	0.33
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	948.18	446.76
संचार व्यय	124.70	169.74
माल जावक और सीएफए शुल्क	2,706.78	1,184.59
दान (पीएम केयर फंड)	–	1,200.99
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	69.96	97.24
विज्ञापन व्यय	227.61	171.83
व्यवसाय विकास/मार्केटिंग व्यय	156.13	170.64
विक्रेता आयोग	76.24	21.41
प्रतिभूति व्यय	365.34	337.98
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	21.76	–
अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	25.50	3.10
संदेहजनक ऋणों के लिए भत्ता	1,063.48	1,764.61
दावों और नुकसान के लिए प्रावधान	1,696.24	41.98
विविध व्यय	196.42	179.00
कुल	9,833.04	8,159.50

नोट :– 33.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षक के रूप में भुगतान का विवरण		
लेखापरीक्षा का शुल्क	12.50	9.74
कर लेखापरीक्षा का शुल्क	3.50	3.48
अन्य क्षमता में		
सीमित समीक्षा शुल्क	8.25	9.50
यात्रा पर प्रतिपूर्ति/व्यय	2.64	1.33
कुल	**26.89**	**24.05**

नोट :– 33.2 आपवादिक मदें (नोट संख्या 83 देखें)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अतिरिक्त बकाया लिखित प्रावधान	2,312.87	2,934.54
रेलनीर खंड के लाभ में रेलवे का शेयर	(2,713.32)	-
पैसेंजर फीडबैक सिस्टम पर सेवाओं से आय	-	1,005.27
कुल	**(400.45)**	**3,939.81**

नोट :– 34 आयकर खर्च

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू आयकर:		
चालू आयकर शुल्क	23,802.31	7,452.78
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में (नोट 52 और 84 देखें)	(1,986.80)	(674.77)
कुल	**21,815.51**	**6,778.01**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के संबंध में	147.33	105.17
	147.33	**105.17**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधान :

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर संचालन से कर पूर्व लेखा लाभ	88,951.29	25,751.37
आयकर से पहले लेखा लाभ	**88,951.29**	**25,751.37**
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.17% (31 मार्च, 2020-25.17%) पर	22,389.04	6,481.62

नोट :– 34 आयकर खर्च (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं होने वाली राशियों का कर प्रभाव		
जोड़ें: आयकर में भारतीय लेखा मानक समायोजन की अनुमति नहीं है	(2.95)	(2.78)
देर से कर जमा करने पर दंड/ब्याज का भुगतान	1.45	5.98
आयकर के तहत अनुमत वस्तुओं का प्रभाव	190.15	(3.92)
सीएसआर व्यय	249.18	262.76
पिछले वर्ष के लिए आयकर का प्रभाव	766.87	270.72
रेलवे देय पर आस्थगित कर का प्रभाव	(1,057.40)	-
आयकर पर ब्याज	49.84	-
दर और अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	(3.80)	34.33
	193.34	**567.10**
प्रभावी आयकर दर पर	**22,582.38**	**7,048.72**
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय (निरंतर संचालन से संबंधित)	22,582.38	7,048.73
प्रभावी कर दर	**25.39%**	**27.37%**

नोट :– 35 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई रिजर्व	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (लाभ/(हानि))		
- उपादान	474.15	426.12
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	111.18	(8.27)
कुल	**585.33**	**417.85**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर कर	(147.33)	(105.17)
कुल	**(147.33)**	**(105.17)**

नोट :– 36 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	(₹ प्रति शेयर)	
	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस		
निरंतर संचालन से	8.30	2.34
संचालन बंद करने से	-	-
डाइल्यूटेड ईपीएस		
निरंतर संचालन से	8.30	2.34
संचालन बंद करने से	-	-

नोट :– 36 प्रति शेयर आय (जारी..)

36.1 प्रति शेयर मूल आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को लाभ:		
निरंतर संचालन से	66,368.91	18,702.64
संचालन बंद करने से	–	–
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय	**66,368.91**	**18,702.64**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)*	8,000.00	8,000.00

36.2 प्रति शेयर कम की गई आय

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को लाभ:		
निरंतर संचालन	66,368.91	18,702.64
संचालन बंद करने से	–	–
निरंतर संचालन से प्रति शेयर आय में कमी की गणना में प्रयुक्त आय	**66,368.91**	**18,702.64**

प्रति शेयर आय कम करने के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मिलान निम्नानुसार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या*	8000.00	8000.00
डाइल्यूशन का प्रभाव:	–	–
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या*	**8000.00**	**8000.00**

*नोट:– चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 10/– रुपये के अंकित मूल्य के एक इक्विटी शेयर को 2/– रूपये के पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था जिसका पूरी तरह से भुगतान किया गया। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर आय की गणना शेयरों के विभाजन के कारण प्रति शेयर आय और शेयरों की संख्या में उपरोक्त परिवर्तनों को दर्शाती है।

नोट :– 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

नोट :– 37.1 प्रावधान,

भारतीय लेखा मानक –37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति'' के अनुसार, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में किए गए प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है: –

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता		पेंशन का प्रावधान		छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)		उपादान के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)	
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अथशेष	10,037.20	8,279.10	82.50	75.98	96.01	161.4	948.51	980	1,452.14	1641.02
जोड़	1,063.48	1,758.10	–	6.52	–	4.05	441.85	603.54	79.24	150.17
उपयोगिता/योगदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(339.05)
समायोजन / रिवर्सल	–	–	–	–	(8.65)	(69.44)	(600.55)	(635.03)	–	–
इतिशेष	11,100.68	10,037.20	82.50	82.50	87.36	96.01	789.81	948.51	1,531.38	1,452.14

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	विकल्प देनेवालों के लिए पेंशन का प्रावधान		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान		अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान		एलटीसी के लिए प्रावधान		दावों और नुकसान के लिए प्रावधान (नोट 56 (ए) देखें)	
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अथशेष	801.96	1,053.27	1,432.20	1227.5	2,783.24	2529.99	161.08	164.28	405.48	363.50
जोड़	–	–	89.62	210.81	178.13	256.94	(5.57)	0.53	1,696.24	41.98
उपयोगिता/योगदान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
समायोजन / रिवर्सल	(143.11)	(251.31)	(1,572.88)	(6.11)	(1.52)	(3.69)	(9.56)	(3.73)	–	–
इतिशेष	658.85	801.96	(51.06)	1,432.20	2,959.85	2,783.24	145.95	161.08	2,101.72	405.48

(i) प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए (आईआरसीटीसी –रेलवे) मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेनेवालों के लिए प्रावधान किया गया है ताकि, आईआरसीटीसी की पेंशन देयता के अंतर के 100% परिवर्तन का पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सके जिससे पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचा जा सकता है। मानिद प्रतिनियुक्ति विकल्पों के लिए छुट्टी नकदीकरण भुगतान के प्रावधान में 1.33 लाख शामिल हैं।

(iv) पेंशन के लिए प्रावधान उन कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 तक अपना एनपीएस खाता नहीं खोला है।

(v) 31 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना में 51.06 लाख की डेबिट बैलेंस, प्रीपेड व्यय में "नोट: – 12 अन्य वर्तमान परिसंपत्ति" के तहत दर्शाई गई है।

(vi) दावों और नुकसान के लिए प्रावधान में पिछले वर्षों के दौरान लाइसेंसधारियों को दिए गए लाइसेंस शुल्क के रिफंड के रूप में देय 796.59 लाख की राशि के लाइसेंसधारियों को जीएसटी रिफंड का प्रावधान शामिल है।

नोट :– 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तिया (जारी..)

नोट :– 37.2 आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित, परिमाणित और प्रमाणित)

(i) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
a.	सेवा कर	8,560.16	8,148.80
b.	वैट और अन्य कर	3,454.07	3,121.64
c.	आयकर	59.28	–
d.	जीएसटी	164.68	–
e.	अन्य	10,407.97	769.70
	कुल	**22,646.16**	**12,040.14**

(ii) रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग (सी एंड के) का एक संयुक्त उद्यम है, जो दिनांक 10.12.2008 के जेवी समझौते के आधार पर आईआरसीटीसी से 15 वर्ष की लीज पर लग्जरी टूरिस्ट ट्रैन, महाराजा एक्सप्रेस को चलाने, संचालन और प्रबंधन के लिए ली जाएगी। इसने एक सीजन के लिए ट्रैन का संचालन किया और उसके बाद दोनों कंपनियों के प्रबंधन के बीच विवाद पैदा हो गया।

सीएंडके ने आईआरसीटीसी और आरआईआरटीएल के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ राहत की मांग करते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की है जिसमें निम्न मांग की गई है- (i) जेवी समझौते को विशेष रूप से निष्पादित किया जाए (ii) जेवी समझौते को समाप्त किया जाए, (iii) जब तक सुनवाई और दावे के अंतिम निपटान तक लंबित है तब तक, यह निर्देश दिया जाएं कि ट्रैन आरआईआरटीएल के हिस्से के रूप में चलेगी (iv) आईआरसीटीसी को जेवी कंपनी के अनन्य उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ट्रैन के रेक/कोचों का उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए (v) जेवी समझौते के अनुसार ट्रैन के लिए एक औपचारिक पट्टा समझौता निष्पादित करना (vi) आईआरसीटीसी को जेवी कंपनी की कार्यशील पूंजी की हानि के लिए 2000 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और (vii) वैकल्पिक रूप से और अप्रत्याशित घटना में जेवी समझौते के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो 3,5100 लाख की राशि के नुकसान का दावा करने की मांग।

दिनांक 26.07.2021 की कार्यवाही के दौरान, कॉक्स एंड किंग के वकील ने एक बयान दिया कि "दावेदार अपने दावे को 2270 लाख तक सीमित करना चाहता है, साथ ही ब्याज इस अनुबंध में खर्च की गई लागत ह"। समाधान की कार्यवाही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और 08/09-06-2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

उपरोक्त 37.2 (i) (ई) में शामिल 2270 लाख के दावे को, आईआरसीटीसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उक्त राशि केवल विचार योग्य है और किसी प्राधिकरण/अर्ध न्यायिक निकाय द्वारा तय नहीं की गई है। इस प्रकार, लेखा पुस्तकों में प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(iii) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर वैट मामला

आईआरसीटीसी उन ट्रैनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान कर रहा है जिनके रेलवे किराए में खानपान शुल्क शामिल है। वैट के आयुक्त ने अपने दिनांक 23.03.2006 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(जेडसी)(vii) के अर्थ के भीतर ट्रैनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवा को वस्तुओं की बिक्री माना है।

आईआरसीटीसी ने वैट के अपीलीय प्राधिकारी समक्ष अपील दायर की। प्राधिकरण ने दिनांक 07.09.2006 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, यह टिपण्णी दी कि केंद्रीय अधिनियम से संबंधित यह कार्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कर केवल उन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगेगा जो राज्य से बहार एक से दूसरे राज्य के भीतर होता है।

आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश का विरोध किया और प्रार्थना की कि आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 के तहत मूल्य वर्धित कर लगाया नहीं जा सकता हैं और यह कि आईआरसीटीसी की ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं मुख्य रूप से ऐसी सेवाएं हैं जिनमें भोजन और पेय पदार्थ प्रदान किए जाते हैं और केवल सेवा कर के दायरे में आती हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैट आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आईआरसीटीसी वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, यह पहले से चुकाए गए सेवा कर का रिफंड ले सकता है।

निर्णय से व्यथित होकर, आईआरसीटीसी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 19.7.2010 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। 2010 की एसएलपी 25292-25319 को स्वीकार कर लिया गया है और वह अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने वैट प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर यथास्थिति के रूप में अंतरिम निर्देश दिया है। इसलिए मामला न्यायाधीन है और आईआरसीटीसी वर्तमान में वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, आईआरसीटीसी ने विवेकसम्मत लेखा नीति के कारण

नोट :– 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तिया (जारी..)

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक (30 जून, 2017 तक) पूरे भारत में 8251.01 लाख के सेवा कर की वैट देयता प्रदान की है और ऊपर 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है। संबंधित वैट इनपुट ग्राह्यता को सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष के रूप में दिखाया गया है।

(iv) कुछ लाइसेंसधारी जो ट्रैनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी के ठेकेदार हैं, ने भारतीय रेलवे द्वारा जारी 2013 के सीसी 67 के साथ पठित 2013 के सीसी 63 के अनुसार नियमित भोजन और कॉम्बो भोजन की दरों में अंतर के कारण मुआवजे की मांग करते हुए मध्यस्थता खंड के बारे में सूचित किया और 2014 के सीसी 32 के संदर्भ में 2014 से अब तक की अवधि के लिए प्रदान किए गए वेलकम पेय की कीमत के लिए दावे की मांग की। मध्यस्थ ने जनवरी 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए उपरोक्त सेवाओं के लिए 13 याचिकाओं में 7400 लाख (लगभग) की राशि का निर्णय सुनाया। आईआरसीटीसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।

तथ्यात्मक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दावेदार ने यात्रियों को प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं के लिए दिए गए चालान जमा करते समय कथित राशि का दावा नहीं किया। ये सभी अनुबंध एसबीडी अनुबंध हैं और खानपान नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। यह भी ध्यान में लेना चाहिए कि भारतीय रेलवे के यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गईं और भारतीय रेलवे को आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, निर्णय के परिणामस्वरूप आईआरसीटीसी की कोई देयता नहीं होगी और उपरोक्त निर्णयों के अनुसार प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी निर्णय पर विवाद करना चाहती है और कंपनी को अंततः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होने की स्थिति में रेलवे से वसूली करने का अधिकार भी है। हालांकि, इसे ऊपर 37.2 (i) में शामिल किया गया है।

(v) राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण से 5041.44 लाख के लिए प्राप्त डिमांड नोटिस:

आईआरसीटीसी रेल नीर बोतलबंद पेयजल का उत्पादक है, जो पीपीपी मॉडल पर 5 संयंत्रों और 10 संयंत्रों के माध्यम से सिर्फ ऑनबोर्ड और रेलवे स्टेशनों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। 01.07.2017 से जीएसटी लागू होने के बाद, उत्पाद पर कर देयता 24% (उत्पाद शुल्क 12.5% (45% की कमी के साथ) + वैट 12.5%) से घटाकर 18% जीएसटी कर दी गई। भले ही जीएसटी लागू करने के बाद जीएसटी दरों में कोई कमी नहीं हुई, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने देखा कि कर का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया गया है और इस तरह, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के अंतर्गत 5041.44 लाख की मुनाफाखोरी राशि के लिए नोटिस जारी की गई।

स्टेशनों और ऑन-बोर्ड पर खानपान सेवाओं जैसे नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत रेल नीर आता है। यह भी एक तथ्य है कि रेल नीर की कीमत विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 72 के 2012 के माध्यम से वर्ष 2012 में 15/- की वर्तमान एमआरपी तय की गई थी। हालांकि रेल नीर का हस्तांतरण मूल्य 0-75 किलोमीटर मीटर के लिए 10 है, 75 किमी से ऊपर के लिए 10.50 और पूर्व रेल नीर संयंत्र 9.33 है जो रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। वर्ष 2012 से कच्चे माल, बिजली और मानव संसाधन की लागत में हुई वृद्धि के बावजूद, रेल मंत्रालय ने बाजार दर से कम कीमत पर मानकीकृत रेल नीर की आपूर्ति में अनिवार्य सरकारी कार्यों और सरकारी उद्देश्यों के एक हिस्से के रूप में रियायती दर को बरकरार रखा है। प्राधिकरण ने जीएसटी अधिनियम की धारा 171 की गलत व्याख्या समझी है और केंद्रीय पीएसयू के खिलाफ कारण शोकॉज नोटिस वापिस लेने की पूरी संभावना है, जो अनुमानों पर आधारित है। विशेष अधिवक्ता को नियुक्त कर शोकॉज नोटिस का विरोध किया जा रहा है। मामला अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए उक्त राशि के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे उपरोक्त नोट 37.2 (i) में भी शामिल नहीं किया गया है।

(vi) केरल सरकार ने केरल राज्य में रेलनीर की बिक्री के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रेलनीर की प्रति लीटर बोतल का एमआरपी 13/- निर्धारित किया है और कंपनी को 15/- के बजाय 13/- पर रेलनीर की बोतल बेचने की सलाह दी है। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। चूंकि, इसके लिए वित्तीय अनुमानों का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आकस्मिक देयता के रूप में उपरोक्त नोट 37.2 (ळ) में शामिल नहीं किया गया है।

नोट :– 37.3 आकस्मिक परिसंपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	पार्टी का नाम	विवरण	अपीलीय प्राधिकरण	पारितोषित राशि
1	ए.के. रॉय बनाम आईआरसीटीसी	2577-78, 5279-80, 2395-96, 9165/66/67-68, 2555-56,2569-70, 2213-14,2203-04, 2061-62, 2209-10, 1043-44	पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित	21.95
2	सीकेके कैटरर्स	वसूली के लिए मुकदमा	मुकदमा लंबित	102.00
3	ट्रावेल खाना	सेवा प्रदाता ने ई-कैटरिंग के संबंध में राशि जमा नहीं की	मध्यस्थता	13.29
4	रेलवे	यात्री प्रतिक्रिया प्रणाली	लागू नहीं	638.41

रेलवे से वसूली के अधिकार के लिए नोट 37.2 (iv) का संदर्भ लें, यदि कंपनी को अंततः इन दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है और नोट 56 (बी) के संबंध में आईटीसी का दावा अभी तक डीसीओ पर उठाया जाना है।

नोट :– 38 भुगतान गेटवे और बैंक समाधान

कंपनी इंटरनेट के माध्यम से रेलवे आरक्षण को संभाल रही है जिसके लिए पांच भुगतान गेटवे और लगभग सभी बैंकों के पैंतीस से अधिक नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। इन सभी खातों में बड़ी मात्रा में लेन–देन होती है और टिकटों की बुकिंग दिन–प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। उक्त को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में लेन–देनवार समाधान नहीं किया गया है।

हालांकि, पुरानी साइट से संबंधित कुछ पुराने पीजी खाते जो निष्क्रिय थे और कुछ बैंक साइड/तकनीकी मुद्दों के कारण समाधान के लिए लंबित थे। चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2021 के दौरान कुल डेबिट बकाया का 50%) के दौरान लंबित समाधान, 4 18.51 लाख (कुल डेबिट बकाया का 100%) के संदिग्ध के लिए प्रावधान किया गया है।

नोट:– 39: अधिशेष पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्तिया

a. रेलवे अधिशेष

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, भुगतान किए गए अग्रिम और प्रतिभूति जमा के रूप में रेलवे बकाया, रेलवे से समाधान और पुष्टि के अधीन हैं और इसमें रेलवे से खानपान के अधिग्रहण से पिछले बकाया भी शामिल हैं। कंपनी ने रेलवे से बकाया की पहचान करने और उसे अलग करने की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रेलवे/सरकारी निकायों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भी भेजे जा चुके हैं लेकिन पार्टियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021 ₹ 5067.05 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार रेलवे से प्राप्तियों के विरुद्ध 5164.45 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के संदेह में है।

b. तृतीय पक्ष अधिशेष

तृतीय पक्ष पार्टी का अधिशेष विभिन्न पार्टी से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2019–20 से तीसरे पक्ष पार्टी से शेष राशि पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है और नियमित आधार पर समाधान प्रक्रिया और पुष्टिकरण को औपचारिक रूप से एक प्रथा मानकर सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, प्राइवेट पार्टियों को भी बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भेजे जा चुके हैं लेकिन पार्टियों का जवाब संतोषजनक नहीं है। आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021 ₹ 4970.15 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार प्राप्तियों के विरुद्ध 5936.22 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के लिए संदिग्ध हैं।

अन्य देय और बैंक

ये शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। हालांकि, आईआरसीटीसी ने इन पार्टियों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भेजे हैं लेकिन रिस्पांस संतोषजनक नहीं है

नोट :– 40 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

31 मार्च 2022 को 8114.09 लाख की राशि के लिए प्रदान नहीं किए गए पूंजीगत खाते पर शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 31 मार्च 2021 को 8598.27 लाख थी।

नोट :– 41

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है, तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होनेवाली राशियां और व्यवसाय से देय राशि/ अन्य पार्टियों और बैंक बैलेंस सहित व्यापार प्राप्तियों / देय राशियों का बैलेंस पुष्टि और समाधान के अधीन है।

नोट :- 42 कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं/परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण:

(i) **उपादान:** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की वेतन की दरसे सेवा छोड़ने पर देय है। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए 20 लाख की उपादान सीमा पर विचार किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकनसभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) **छुट्टी नकदीकरण:** स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए तुलनपत्र की तारीख को, मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी वेतन का प्रावधान किया जाता है।

(iii) **अर्धवेतन छुट्टी:** उन पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र की है। तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।

(iv) **छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) :** योग्य कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

(v) **भविष्य निधि:** कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12% और कॉर्पोरेशन के समतुल्य योगदान को जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है इसका लेखा जोनल भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है। भविष्य निधि में कॉर्पोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(vi) **इतर सेवा योदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तियों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉर्पोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तियों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए इतर सेवा योगदान प्रोद्भवन आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(vii) **राष्ट्रीय पेंशन योजना:** एनपीएस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित योगदान योजना है। इस तरह की योजना के तहत देय मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10% योगदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है तो कंपनी ऐसी योजना के लिए देय योगदान को व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(viii) **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** तुलनपत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, प्रदान किया गया।

परिभाषित दायित्वों के संबंध में भारतीय लेखा मानक -19 “कर्मचारी लाभ” के तहत आवश्यक अन्य प्रकटीकरण हैं:

(a) बीमांकिक अनुमान

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.18%	6.80%
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2012-14)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2012-14)
(iii)	परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	7.18%	6.80%
(iv)	वेतन वृद्धि	10%	10%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमांकिक मूल्यांकन में भावी देयता वृद्धि के अनुमान पर विचार किया जाता है, मुद्रास्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है		

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ (जारी..)

(b) बीमांकिक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (झणउ) बीमांकिक विधि का उपयोग सेवानिवृत्ति, सेवा काल में मृत्यु और वापसी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सेवा में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(c) नियोक्ता व्यय के घटक

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान*		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	चालू सेवा लागत	454.65	464.71	452.23	457.72	229.84	239.62	12.35	14.63	97.98	119.08
(ii)	पिछली सेवा लागत	–	–								
(iii)	संक्षेप लागत										
(iv)	समापन लागत										
(v)	कुल सेवा लागत	454.65	464.71	452.23	457.72	229.84	239.62	12.35	14.63	97.98	119.08
	शुद्ध ब्याज लागत										
(vi)	डीबीओ पर ब्याज व्यय	373.95	349.88	361.23	324.38	189.26	172.04	10.95	11.17	102.83	83.47
(vii)	ब्याज (योजना परिसंपत्ति पर आय)	(275.20)	(238.29)	(296.82)	(259.22)						
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	98.75	111.59	64.41	65.17	189.26	172.04	10.95	11.17	102.83	83.47
(ix)	तत्काल स्वीकृत (लाभ)/हानि अन्य दीर्घावधि लाभ			(74.79)	80.66	(240.97)	(154.72)	(28.88)	(25.27)		
(xi)	**पी एंड एल में शामिल तय लाभ लागत**	**553.40**	**576.30**	**441.85**	**603.54**	**178.13**	**256.94**	**(5.58)**	**0.53**	**200.81**	**202.55**

(d) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–	–	–		
(ii)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	(339.84)	–	(350.27)	–	(179.68)	–	(10.51)	–	(78.04)	

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(iii)	डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(146.01)	(416.94)	228.33	88.28	(61.29)	(154.72)	(18.37)	(25.27)	(33.15)	8.27
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसंपत्ति (से अधिक)/ से कम	11.70	(9.18)	(47.15)	(7.62)						
(v)	ओसीआई में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(474.15)	(426.12)					–	–	(111.18)	8.27
(vi)	लाभ और हानि और ओसीआई (तय लाभ लागत) में मान्यता प्राप्त कुल लागत										
(vii)	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत	553.39	576.30	441.85	603.54	178.13	256.94	(5.58)	0.53	200.81	202.55
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित पुनर्मापन	(474.15)	(426.12)					–	–	(111.18)	8.27
(ix)	**कुल तय लाभ लागत**	79.24	150.18	441.85	603.54	178.13	256.94	(5.58)	0.53	89.63	210.82

(E) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान*		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,816.12	5,499.20	5,683.81	5,312.21	2,959.86	2,783.24	145.95	161.08	1,520.87	1,432.20
(ii)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	4,284.74	4,047.07	4,895.32	4,365.04					1,571.93	–
(iii)	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(हानि)	(1,531.37)	(1,452.14)	(788.48)	(947.17)	(2,959.86)	(2,783.24)	(145.95)	(161.08)	51.06	(1,432.20)
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागतें										
(v)	तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/(देयता) की स्वीकृति	(1,531.37)	(1,452.14)	(788.48)	(947.17)	(2,959.86)	(2,783.24)	(145.95)	(161.08)	51.06	(1,432.20)
(vi)	नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य										
(vii)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य										

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान*		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
	चालू देयताएं	175.27	119.52	200.97	147.47	128.31	107.11	145.95	161.08	–	7.87
	गैर–चालू देयताएं	1,356.10	1,332.62	587.51	799.70	2,831.55	2,676.13	–	–	–	1,424.33

* कंपनी द्वारा वित्त पोषित

(f) समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,499.20	5,145.30	5,312.21	4,770.33	2,783.24	2,529.99	161.08	164.29	1,432.20	1,227.50
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	454.65	464.71	452.23	457.72	229.84	239.62	12.35	14.63	97.98	119.08
(iii)	ब्याज लागत	373.94	349.88	361.23	324.38	189.26	172.04	10.95	11.17	102.83	83.47
(iv)	योजना संशोधन										
(v)	पूर्व सेवा लागत										
(vi)	संक्षेप	–	–								
(vii)	अधिग्रहण समायोजन	–	10.94	–	7.08						
(viii)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(485.85)	(416.94)	(121.93)	88.28	(240.97)	(154.72)	(28.88)	(25.27)	(111.18)	8.27
(ix)	भुगतान किए गए लाभ	(25.83)	(54.69)	(319.93)	(335.58)	(1.52)	(3.69)	(9.56)	(3.74)	(0.95)	(6.12)
(x)	परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य (समापन)	5,816.12	5,499.20	5,683.81	5,312.21	2,959.86	2,783.24	145.95	161.08	1,520.88	1,432.20

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ (जारी..)

(g) योजना परिसंपत्तियों के मूल्यों के ओपनिंग और क्लोजिंग का मिलान

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	4,047.07	3,504.29	4,365.04	3,812.00	–	–			–	–
(ii)	अधिग्रहण समायोजन					–	–				
(iii)	योजना परिसंपत्ति पर निर्धारित रिटर्न	275.20	238.30			–	–				
(iv)	योगदान	–	350.00	280.61	286.19			–	–		
(v)	भुगतान किए गए लाभ	(25.83)	(54.69)	–	–					(1,571.93)	–
(vi)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	(11.70)	9.18	249.68	266.84			–	–		
(vii)	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	4,284.74	4,047.08	4,895.32	4,365.04	–	–			(1,571.93)	–

(h) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	ओपनिंग ओसी (संचयी अस्वीकृत हानि/(लाभ)										
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(485.85)	(416.94)	(74.79)	88.28	(240.97)	(154.72)	(28.88)	(25.27)	(111.18)	8.27
(iii)	संपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	11.70	(9.18)	(47.15)	(7.62)						
(iv)	परिशोधन बीमांकिक (हानि)/लाभ										
(v)	ओसीआई में नेशुद्ध वृद्धि	(474.15)	(426.12)	(121.94)	80.66	(240.97)	(154.72)	(28.88)	(25.27)	(111.18)	8.27
(vi)	पूर्व सेवा लागत का परिशोधन										
(vii)	अन्य व्यापक आय में कुल स्वीकृति	(474.15)	(426.12)							(111.18)	8.27

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ (जारी..)

(i) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/ देयता	(1,452.14)	(1,641.02)	(947.17)	(958.32)	(2,783.24)	(2,529.99)	(161.08)	(164.29)	(1,432.20)	(1,227.50)
(ii)	अवधि की शुरुआत में संचित ओसीआई/हानि में स्वीकृत राशि	–	–								
(iii)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि की शुरुआत में समायोजन से पहले)	(1,452.14)	(1,641.02)	(947.17)	(958.32)	(2,783.24)	(2,529.99)	(161.08)	(164.29)	(1,432.20)	(1,227.50)
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/आय	(553.39)	(576.30)	(441.85)	(603.54)	(178.13)	(256.94)	5.57	(0.53)	(200.81)	(202.55)
(v)	नियोक्ता का योगदान	–	339.06	600.55	614.69	1.52	3.69	9.56	3.74	1,572.88	6.12
(vi)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि के अंत में समायोजन से पहले)	(2,005.53)	(1,878.26)	(788.47)	(947.17)	(2,959.85)	(2,783.24)	(145.95)	(161.08)	(60.13)	(1,423.93)
(vii)	अवधि के अंत में संचित अन्य व्यापक आय/(हानि) में स्वीकृत राशि	474.15	426.12					–	–	111.18	(8.27)
(viii)	शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/(देयता) वर्ष की अंत की अवधि में स्वीकृति	(1,531.38)	(1,452.14)	(788.47)	(947.17)	(2,959.85)	(2,783.24)	(145.95)	(161.08)	51.05	(1,432.20)

नोट :– 42 कर्मचारी लाभ (जारी..)

(j) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपादान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंपनी ने छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए एलआईसी से ग्रुप लीव इनकैशमेंट स्कीम ली है।

(k) संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि (लाख ₹ में)

	अनुमानों में परिवर्तन	उपादान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	अर्धवेतन वेतन पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	पीआरएमबी पर प्रभाव
छूट दर	0.50% की वृद्धि	-409.59	-416.34	-213.80	-11.80	-
	0.50% की कमी	452.71	471.81	241.99	11.75	-
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	107.04	450.57	231.11	-	-
	0.50% की कमी	-120.46	-411.76	-211.44	-	-

उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण धरना में परिवर्तन के आधार पर होता है जबकि अन्य सभी मान्यताओं को निरंतर रखता जाता है । व्यवहार में, यह होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, वही स्थिति (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

(l) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	वर्ष	उपादान	छुट्टी नकदीकरण	अर्ध वेतन छुट्टी	एलटीसी	पीआरएमबी
a	0 से 1 वर्ष	175.27	200.97	128.31	145.95	-
b	1 से 2 वर्ष	191.00	179.23	87.11	-	-
c	2 से 3 वर्ष	154.19	176.68	96.67	-	-
d	3 से 4 वर्ष	227.91	255.26	129.91	-	-
e	4 से 5 वर्ष	152.52	162.37	80.77	-	-
f	5 से 6 वर्ष	165.06	155.19	79.17	-	-
g	6 वर्ष बाद	4,750.16	4554.12	2,357.92	-	-

नोट :– 43

वर्ष 2021-22 के दौरान, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन और खानपान नीति के अनुसार, विभिन्न जोनल रेलवे के साथ भागीदारी की गई है।

नोट :– 44 संबंधित पार्टी प्रकटन

भारतीय लेखा मानक- 24 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं: -

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	(i) श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (टी एंड एम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ (ii) श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ (iii) श्री नीरज शर्मा (नामित निदेशक) (iv) श्री विनय श्रीवास्तव (नामित निदेशक) (13.09.2021 से समाप्त) (v) श्री विनय कुमार शर्मा (स्वतंत्र निदेशक) (09.11.2021 से नियुक्त)

नोट :– 44 संबंधित पार्टी प्रकटन (जारी..)

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
	(vi) श्री नामग्याल वांगचुक (स्वतंत्र निदेशक) (12.11.2021 से नियुक्त)
	(vii) श्री विश्वनाथ शंकर (नामित निदेशक) (14.12.2021 से नियुक्त)
	(viii) श्री देबाशीष चंद्रा निदेशक (खानपान सेवाएं) (18.01.2022 से नियुक्त)
	(ix) श्रीमती सुमन कालरा (कंपनी सचिव)

नोट:– 44.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

वर्ष के दौरान निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक इस प्रकार था:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
लघु अवधि के लाभ	197.52	228.68
रोजगार उपरांत लाभ	20.00	22.07
	217.52	250.75
नोट :– 44.2 स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क	3.75	6.30

नोट :– 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

आईआरसीटीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा बहुसंख्यक शेयरों को धारण करके किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिस इकाई पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है। आईआरसीटीसी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूटों को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ आईआरसीटीसी के महत्वपूर्ण लेन–देन शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, वे निम्नानुसार है: –

कंपनी का नाम: रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेन–देन:–

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2021–22	2020–21
1	रेलवे	खानपान और व्यापक सेवाओं, ऑन बोर्ड खानपान और अन्य सेवाओं से आय– राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम ट्रैन	13,403.50	8,730.91
2	रेलवे	लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं पर रेलवे का शेयर	13,419.64	4,653.51
3	रेलवे	2007–08 से 2020–21 की अवधि के लिए रेलनीर पर रेलवे का शेयर	2,713.32	–
4	रेलवे	आईवीआरएस यात्री फीडबैक सिस्टम	–	1,005.27
5	रेलवे	इंटरनेट टिकट सेवा शुल्क और विज्ञापन, कार्यालय किराया और पानी और बिजली पर रेलवे शेयर	248.99	201.15
6	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस, तेजस और अन्य ट्रैनों पर ढुलाई शुल्क	6,694.06	5,356.75
7	रेलवे	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	611.04	274.10
8	रेलवे	फ्लैटों के निर्माण के लिए पूंजी अग्रिम	360.00	–
9	क्रिस	रखरखाव और विकास पर व्यय और इंटरनेट टिकटिंग के लिए लीज्ड लाइन व्यय	1,477.83	1,385.74

नोट :– 44 संबंधित पार्टी प्रकटन (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2021–22	2020–21
10	क्रिस	आय–एकीकृत 139 एवं रेल मदद	537.25	580.21
11	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लीज लाइन और रखरखाव और विकास व्यय	392.44	640.31
12	रेल विकास निगम लिमिटेड	फ्लैटों के निर्माण के लिए पूंजी अग्रिम।	594.00	–

अन्य प्रकटन:

* कंपनी ने उसके माध्यम से बुक की गई ट्रैन टिकटों के भुगतान के संबंध में रेल मंत्रालय को इंटरनेट टिकटिंग के लिए 31 मार्च, 2022 तक 76,897.16 लाख (31 मार्च, 2021 को 50790.58 लाख) रोलिंग जमा के रूप में दिए।

ये लेन–देन कंपनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते है।

नोट :– 44.4 संयुक्त उद्यम के साथ शेष राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	31–03–2022	31–03–2021
(i)	निवेश	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	250.00	250.00
(iii)	अग्रिम लीज किराया	1,741.50	1,741.50
(iv)	लीज किराया प्राप्ति	269.08	269.08
(v)	व्यापार देयताएं	(1,471.71)	(1,471.71)

कंपनी के शेयर के निवेश मूल्य में क्षति अर्थात 250.00 लाख का आरआईआरटीएल के संचयी हानि को इसके शुद्ध मूल्य से हटा दिया गया है। इसके अलावा, आरआईआरटीएल के 2011–12 से 2021–22 के तुलनपत्र को अंतिम रूप मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ लंबित विवाद नहीं सुलझाने के कारण नहीं दिया गया है।

नोट :– 45 संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

कंपनी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50–50 बराबर भागीदारी के साथ रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 10 दिसंबर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया। हालांकि इक्विटी भागीदारों के बीच मुद्दों के कारण, आईआरसीटीसी ने 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ समझौते समाप्त कर दिया, और आरआईआरटीएल से ट्रैन भी वापस ले ली।

संयुक्त उद्यम कंपनी में कंपनी के स्वामित्व हित का शेयर, परिसंपत्ति, देयता, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं और पूंजी प्रतिबद्धताओं का दोनों पार्टियों के बीच विवाद के चलते उनके लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 31 मार्च, 2022 तक उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुरूप अपेक्षित समग्रित वित्तीय विवरण नहीं बना है। ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार अलग हैं।

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं	संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का %	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजी प्रतिबद्धताएं
1	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

नोट :– 46 परिसंपत्तियों की क्षति

आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2022 को कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त और आरओयू परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि में हानि के किसी भी संकेत के लिए आकलन किया है। इस तरह के आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, आईआरसीटीसी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 को आरओयू परिसंपत्तियों के हानि आकलन में, सभी संपत्तियों को इसके वसूली योग्य मूल्य से कम बताया गया है। तदनुसार, तेजस एक्सप्रेस (लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ) ट्रैनों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान की गई ₹122.97 लाख की हानि को, अब वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रिवर्स कर दिया गया है।

नोट :– 47 कंपनी द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	2021–22	2020–21
पूंजीगत वस्तुएं	NIL	NIL

नोट :– 48 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (लाख ₹ में)

व्यय की प्रकृति	2021–22	2020–21
निदेशक की विदेश यात्रा पर होनेवाले व्यय	–	–
विदेश यात्रा पर होनेवाले व्यय –अन्य	0.62	–
अन्य व्यय	–	0.61
कुल	**0.62**	**0.61**

नोट:– उपरोक्त में पूर्व अवधि में निदेशक के ₹ 1.91 लाख के विदेश यात्रा के खर्च शामिल नहीं है, जिसकी चालू वर्ष के दौरान गणना की गई है।

नोट :– 49 विदेशी मुद्रा में आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	2021–22	2020–21
अन्य आय	1937.2	985.02

नोट :– 50 ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, "सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस)" के तहत शून्य (पिछले वर्ष ₹ 311.15 लाख) की राशि के लिए ड्यूटी क्रेडिट लाइसेंस का उपयोग/रीडीम किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के लिए क्रमशः शून्य और 13.30 लाख की छूट का शुद्ध है। तथापि, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 164.85 लाख की शुल्क क्रेडिट पात्रता प्राप्त हुई है, जिसे नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों के रूप में उसकी गणना की गई है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एसईआईएस योजना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। सरकारी अधिसूचना संख्या 57/2015-20 दिनांक 31.03.2020 (डीजीएफटी) के अनुसार "1 अप्रैल 2020 से प्रदान की गई सेवाओं के लिए, योजना को जारी रखने का निर्णय बाद में लिया जाएगा और तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा" यानि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए, एक समिति की रचना की जाएगी, जो तय करेगी कि यह योजना चालू रेहनी चाहिए या नहीं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए किसी आय/आकस्मिक परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

नोट :– 51 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(a) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि ₹ 990.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1044 लाख) है।

(b) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 990.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1044 लाख)।

(c) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण:–

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं	विवरण	2021–22			2020–21		
		नकद में (अ)	चल रही परियोजनाओं पर नकद में व्यय किया जाना शेष है (इ)	कुल (अ+इ)	नकद में (अ)	चल रही परियोजनाओं पर नकद में व्यय किया जाना शेष है (इ)	कुल (अ+इ)
i)	**किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण**	–	–	–	–	–	–
ii)	**ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर**						–
a)	स्वच्छ भारत कोष और गंगा जीर्णोद्धार कोष पर व्यय	133.28	–	133.28	344.52	–	344.52
b)	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय	122.21	99.85	222.06	26.61	–	26.61
c)	इच्छित जिला	24.55	24.54	49.09		–	–
d)	स्वच्छता, सामाजिक सशक्तिकरण एवं पर्यावरण पर व्यय	6.67	–	6.67	51.68	–	51.68
e)	सशस्त्र सेनाएँ	7.87	–	7.87	–	–	–
f)	आईआईटी के लिए अनुसंधान एवं विकास	60.50	–	60.50	–	–	–
g)	प्रशासनिक व्यय	5.06	–	5.06	–	–	–
h)	पीएम केयर फंड	300.00	–	300.00	650.00	–	650.00
i)	अन्य (रेलनीर सामुदायिक भोजन की आपूर्ति एवं प्रशासनिक व्यय आदि)	205.47	–	205.47	174.34	–	174.34
	कुल	**865.61**	**124.39**	**990.00**	**1247.15**	**–**	**1247.15**
j)	घटाएं: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 1044 लाख की आवश्यकता के विरुद्ध 203.15 लाख के अतिरिक्त व्यय को संपत्ति के रूप में दिखाया गया है	–	–	–	203.15	–	203.15
k)	**कुल**	**865.61**	**124.39**	**990.00**	**1,044.00**	**–**	**1,044.00**
l)	जोड़ें: 2020–21 के लिए व्यय (नीचे नोट देखें)	–	–	–	8.72	–	8.72
	लाभ और हानि के विवरण में दिखाई गई राशि	**865.61**	**124.39**	**990.00**	**1052.72**	**–**	**1052.72**

नोट: (i) 2020–21 की चल रही परियोजनाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–21 में सीएसआर व्यय के लिए ₹ 8.72 लाख का प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि धनराशि को अलग बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीएसआर व्यय के तहत अब ₹ 8.72 लाख की राशि को चालू वर्ष में पूर्व अवधि के खर्च के रूप में दर्ज की गई है।

(ii) वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ।

(iii) 31 मार्च 2022 तक अधिक खर्च की गई राशि

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अतिरिक्त राशि

राशि (लाख ₹ में)

ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	क्लोजिंग बैलेंस
203.15	786.85	990	0

नोट :– 51 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (जारी..)

31 मार्च 2021 तक अधिक खर्च की गई राशि

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अतिरिक्त राशि

ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	क्लोजिंग बैलेंस
0	1247.15	1044	203.15

नोट :– 52 पूर्व अवधि की मदें

52.1 पूर्व अवधि के लेन–देन इस प्रकार हैं:

राशि (लाख ₹ में)

प्रकृति	2021–22
पूर्व अवधि आय	
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि से आय।	532.20
लाइसेंस शुल्क से आय	(61.99)
खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री	(642.76)
महाराजा एक्सप्रेस – राजस्व	5.84
पर्यटन और ट्रैन संचालन से आय	(1.99)
गैर रेलवे व्यवसाय – कैटरिंग से आय	(26.14)
विविध आय	53.55
जवाबी कार्रवाई के शुल्क और प्रतिभूति जमा जब्त	21.36
प्राप्त संविदात्मक जुर्माना और दंड	198.27
उप–कुल	**78.34**
पूर्व अवधि के व्यय	
लाइसेंस शुल्क व्यय	38.58
विधिक और व्यावसायिक व्यय	39.58
उपदान व्यय	(261.02)
सीएसआर व्यय	8.72
लाइसेंस शुल्कवाली भूमि	(15.96)
पर्यटन और ट्रैन संचालन व्यय	5.71
दरें और कर	(348.69)
व्यय तेजस ट्रेनें – परिवर्तनीय ढुलाई	137.50
बीमा व्यय	35.66
खरीद – रेलनीर (पीपीपी)	(65.47)
ट्रेड–रेलनीर पीपीपी में स्टॉक की खरीद	6.11
यात्रा खर्च	4.63
विविध व्यय	1.19
पुनर्विक्रय के लिए पीडी/पकी हुई वस्तुओं की खरीद	0.36
मरम्मत और रखरखाव – अन्य	6.33
विज्ञापन व्यय	3.42
पट्टा अधिकारों का परिशोधन	12.64
छूट की अनबाइंडिंग – पट्टा	25.10
आस्थगित कर	19.57
उप कुल	**(346.04)**
कुल	**(267.70)**

नोट :– 52 पूर्व अवधि की मद (जारी..)

52.2 लाभ पर प्रभाव के साथ पूर्व अवधि के लेन–देन में संसोधन।

52.2.1 तुलनपत्र की मदों पर प्रभाव इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

मदें	2020–21 पर प्रभाव	1 अप्रैल 2020 से पहले	कुल
चालू व्यापार प्राप्ति	575.40	(551.29)	24.11
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	6.32	6.32	12.64
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	(34.67)	54.23	19.56
कुल परिसंपत्ति	547.06	(490.74)	56.32
चालू व्यापार देय	–	9.51	9.51
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं	158.83	120.55	279.38
अन्य वर्तमान देयताएं	(449.55)	88.51	(361.04)
प्रावधान	(19.20)	(241.82)	(261.02)
पट्टा देयताएं	4.49	4.65	9.15
कुल देयता	(305.43)	(18.60)	(324.02)
शुद्ध परिसंपत्ति (इक्विटी)	241.63	(509.34)	(267.70)

राशि (लाख ₹ में)

प्रकृति	2020–21
पूर्व अवधि आय	
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि से आय।	532.20
लाइसेंस शुल्क से आय	32.16
पर्यटन और ट्रैन संचालन से आय	0.49
विविध आय	54.23
प्राप्त संविदात्मक जुर्माना और दंड	11.04
उप–कुल	**630.12**
पूर्व अवधि व्यय	
लाइसेंस शुल्क व्यय	0.66
विधिक और व्यावसायिक व्यय	5.05
उपदान व्यय	(19.20)
सीएसआर व्यय	8.72
लाइसेंस शुल्कवाली भूमि	(8.25)
दरें और कर	(442.33)
तेजस ट्रैन- परिवर्तनीय ढुलाई का व्यय	137.50
बीमा व्यय	1.20
खरीद – रेलनीर (पीपीपी)	(65.47)
ट्रेड–रेलनीर पीपीपी में स्टॉक की खरीद	6.11
विविध खर्च	1.02
मरम्मत और रखरखाव – अन्य	2.11
पट्टा अधिकारों का परिशोधन	6.32
छूट की अनबाइंडिंग – लीज	12.74
आस्थगित कर	(34.67)
उप कुल	(388.49)
शुद्ध प्रभाव	**241.63**
कर भुगतान के बाद लाभ	**241.63**

नोट :- 52 पूर्व अवधि की मदें (जारी..)

52.2.3 प्रति शेयर आय (मूल और डाइल्यूटेड) पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव:

राशि (लाख ₹ में)

वर्ष	2021-22	2020-21
इक्विटी शेयर धारकों के लिए लाभ पर प्रभाव (लाख में)	267.70	(241.63)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	8,000.00	8,000.00
प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल और डाइल्यूटेड)	0.03	-0.03

नोट :- 53 नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त बैंक बैलेंस

आईआरसीटीसी ने भारतीय स्टेट बैंक से 12,000 लाख (पिछले वर्ष 11,892.52 लाख) की सावधि जमा पर 10,000 लाख (पिछले वर्ष 10,000 लाख) की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लाभ के लिए इस अवधि में सावधि जमा की दर से 0.25% अधिक होगी। सावधि जमा दावा करने योग्य है।

नोट :- 54 रेलवे शेयर

(a) लाइसेंस शुल्क/सेवा शुल्क सकल मूल्य पर दिखाया गया है और भारतीय रेलवे को तद्रूप शेयर का भुगतान/बकाया को नोट संख्या 27, 28, 29 और 33.2 के तहत व्यय के रूप में दिखाया गया है।

(b) रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच दिनांक 17.01.2007 को हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, रेलनीर पर रेलवे को दिए जाते राजस्व का उल्लेख श्रेणी ख "यात्री सुविधाएं जैसे स्टाल का प्रबंधन, रेलवे स्टेशन पर जलपान कक्ष, पेंट्री कार सेवाएं, रेल नीर आदि जहां सेवाएं भुगतान किए गए यात्रियों तक ही सीमित हैं और वस्तुओं की बिक्री और टैरिफ रेलवे द्वारा निर्धारित और नियंत्रित किए जाते हैं। इस गतिविधि के लिए सेवा प्रदाता को मिलने वाला लाभ बहुत सीमित होता है" में किया गया है। ऐसे मामले में आईआरसीटीसी द्वारा अर्जित राजस्व पर 15% राजस्व का हिस्सा देय है। विभागीय इकाइयों के मामले में, आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे को शुद्ध लाभ का 15% देना होगा।

पूर्व में, रेलवे ने रेल नीर की बिक्री से होने वाली कमाई पर वर्ष 2011 और 2012 में राजस्व के हिस्से की मांग की, जिसे कंपनी ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया था कि रेल नीर संयंत्र एक विभागीय इकाई है और सभी विभागीय खान-पान इकाई एक साथ हानि में है, इसलिए रेल नीर की बिक्री पर अलग से कोई हिस्सा देय नहीं है और कहा कि इससे रेलवे की मांगों का निपटान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तक इस विषय पर रेलवे से कोई और मांग प्राप्त नहीं हुई थी और इसलिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 तक लेखा पुस्तकों में रेलवे शेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

थापि, रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से, रेलवे शेयर के मुद्दे को उठाया और कंपनी को दिनांक 19.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी रेल नीर संयंत्रों के रेलवे शेयर का भुगतान करने के लिए सूचित किया।

दिनांक 20.07.2021 के पत्र के जवाब में, कंपनी ने वही आधार पर प्रतिनिधित्व किया जैसा कि पूर्व में किया था। तथापि, रेलवे बोर्ड ने कंपनी के तर्क को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 30.09.2021 के पत्र द्वारा लाइसेंसधारियों द्वारा चलाए जा रहे पीपीपी संयंत्रों के लिए खानपान नीति 2017 के संदर्भ में विभागीय संयंत्रों के लिए लाभ का 15% और 40% राजस्व हिस्सेदारी साझा करने की सलाह दी।

कंपनी अब पीपीपी संयंत्रों सहित सभी संयंत्रों के लिए 15% लाभ साझा करने के लिए सहमति दी है और दिनांक 24.02.2022 के पत्र के माध्यम से रेलवे बोर्ड को इस बारे में सूचित किया और 2713.32 लाख की बकाया राशि का भुगतान किया जिसे रेलवे बोर्ड ने समाधान के अधीन स्वीकार किया। तथापि, कंपनी ने तर्क दिया कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंसी मॉडल पर संचालित नहीं होते हैं क्योंकि ये संयंत्र आईआरसीटीसी द्वारा स्थापित किए गए हैं और रेल नीर की बिक्री केवल आईआरसीटीसी के चालान पर होती है।

तदनुसार, कंपनी ने 31.3.2021 तक रेलनीर संयंत्रों पर रेलवे के हिस्से के रूप में 2713.32 लाख की राशि के लिए व्यय की गणना की है और इसे 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में "विशेष मद" के रूप में वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे शेयर के लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि रेलनीर खंड रेलनीर खंड के मुनाफे के लिए 2713.32 लाख के अधिक भुगतान चार्ज करने के बाद चालू वर्ष के लिए हानि दिखाता है।

नोट :- 55 फ्लैट और भूमि के लिए पूंजी अग्रिम

फ्लैट्स और भूमि की खरीद/निर्माण के लिए निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया गया था जो आज तक लंबित हैं: -

- वर्ष 2002-03/2006-07/2021-22 में भारतीय रेल को 571.43 लाख का भुगतान।
- वित्तीय वर्ष 2010-11/2018-19/2021-22 में आरवीएनएल को 1374.00 लाख।

नोट :– 55 फ्लैट और भूमि के लिए पूंजी अग्रिम (जारी..)

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में एयर इंडिया लिमिटेड से फ्लैटों की खरीद के लिए 463.93 लाख।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में होटल के लिए लखनऊ में भूमि खरीदने के लिए 2070.01 लाख।

नोट :– 56

(a) पीपीपी मॉडल के अंतर्गत रेल नीर संयंत्रों के अनुबंध समझौते के अनुसार, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) समझौते में निर्धारित लाइसेंस शुल्क (एलएफ) की निर्धारित राशि का भुगतान करेगा और आईआरसीटीसी डीसीओ को मात्रा में कमी का भुगतान करेगा यदि एक वर्ष में वास्तविक प्रेषण रियायत समझौते में निर्धारित प्रेषण स्तर से कम हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने निर्णय लिया कि कोविड–19 महामारी के दौरान कोई कमी मुआवजा देय नहीं होगा। ईबी ने आगे निर्णय लिया कि चूंकि यह स्थिति "गैर राजनीतिक अपेक्षित घटना" से संबंधित है, जैसा कि समझौते के खंड 16.2 में प्रदान किया गया है, लाइसेंस शुल्क का लाभ डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को प्रो–राटा आधार पर दिया जा सकता है, जो वास्तविक उत्पादन और विधिवत निष्पादित समझौतों के अनुसार स्थापित की गई क्षमता से संबंधित है।

तदनुसार, आईआरसीटीसी द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सभी डीसीओ को सूचित कर दिया गया था। लेकिन कुछ डीसीओ ने कंपनी के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है और छूट दिए हुए लाइसेंस शुल्क के शुद्ध वित्तीय अनुमान की गणना 194.44 लाख (पिछले वर्ष 243.17 लाख) की गई है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने निर्णय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए डीसीओ से फिर से संपर्क किया, लेकिन कुछ डीसीओ ने इसे प्रदान नहीं किया है। आईआरसीटीसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने अब लेखा पुस्तकों में वित्तीय अनुमान प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान "दावों और क्षतियों के लिए प्रावधान" के रूप में कुल 437.61 लाख की राशि प्रदान की गई है।

(b) निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेलनीर संयंत्रों के संबंध में, डीसीओ को उनके द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के शुद्ध बिक्री पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जानी है। लेकिन, गलती से, 3 संयंत्रों के डीसीओ द्वारा दावा किए गए आईटीसी पर विचार किए बिना, बिक्री पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, डीसीओ द्वारा 2 संयंत्रों के लिए दावा किए गए आईटीसी की राशि को चालू वित्तीय वर्ष में रेल नीर की खरीद की लागत को 186.48 लाख कम करके और 65.47 लाख को पिछले वित्तीय वर्ष की पूर्व अवधि के खर्चों में कमी के रूप में मान्यता दी गई है। हापुड़ स्थित रेल नीर संयंत्र के डीसीओ द्वारा 01.04.2020 से 31.3.2022 की अवधि के लिए दावा किए गए आईटीसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में इसका अनुमान करके लेखा नहीं किया जा सका।

नोट :– 57

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कंपनी ने लागत के आधार पर 3 श्रेणी के कोचों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय से 1200 लाख प्राप्त किए थे, जिसमें से 121.66 लाख की शेष राशि पर्यटन मंत्रालय को वापस कर दी गई है।

नोट :– 58 खंडवार रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट नियोजन के लिए सीओडीएम और प्रबंधक कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति, संगठन संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर व्यवसाय निष्पादन की जांच की हैं और इसके व्यवसाय के पांच रिपोर्ट की जानेवाले खंडों की पहचान की है: –

- खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन और ट्रैन संचालन
- राज्य तीर्थ
- इंटरनेट टिकटिंग.

निगम मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के किए प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व और प्रत्यक्ष व्यय उन मदों के आधार पर आबंटित किए जाते हैं जिनकी अलग–अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पेहचाह की जा सकती है, जबकि शेष लागतों को अनाबंटित व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि इन व्यय के लिए खंड प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्यय को अनाबंटित के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और केवल कॉर्पोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इस तरह के अनाबंटित व्यय का समग्र प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है।

कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति और देयताओं की पहचान किसी भी रिपोर्ट करने योग्य खंड के लिए नहीं की जाती है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा को यथार्थ रूप से अलग करना कठिन हो सकता है।

नोट :– 58 खंडवार रिपोर्टिंगें (जारी..)

खंडवार रिपोर्टिंग

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	खानपान		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन और ट्रैन संचालन		राज्य तीर्थ		विलोपन		कुल	
	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष	मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
राजस्व														
उत्पादों की बिक्री	2,976.14	1,987.52	16,880.22	5,603.97	-	-	-	-	-	-			19,856.36	7,591.49
सेवाओं की बिक्री	46,903.28	20,318.67	329.41	111.84	1,02,096.74	44,248.45	15,697.26	5,385.88	3,031.37	-			1,68,058.06	70,064.84
अन्य परिचालन आय	17.30	1.49	16.12	7.95	-	-							33.42	9.44
अंतर –खंडवार बिक्री			399.49	1,701.22							(399.49)	(1,701.22)	-	-
अन्य आय	1,309.98	668.39	113.21	169.87	487.57	788.17	249.69	101.35	7.51	-			2,167.96	1,727.78
ब्याज और लाभांश आय			-	-									5,114.59	6,770.60
कुल राजस्व	51,206.70	22,976.07	17,338.96	5,893.63	1,02,584.31	45,036.62	15,946.95	5,487.23	3,038.88	-	-	-	1,95,230.39	86,164.15
खंडवार परिणाम	1,996.32	(9,194.30)	1,037.85	(659.32)	85,743.53	32,273.18	(4,801.81)	(7,378.60)	261.27	-			89,351.74	21,811.56
अनाबंटित कॉर्पोरेट आय													-	-
अनाबंटित कॉर्पोरेट व्यय													-	-
कर पूर्व लाभ (आपवादिक मद से पहले)	1,996.32	(9,194.30)	1,037.85	(659.32)	85,743.53	32,273.18	(4,801.81)	(7,378.60)	261.27	-			89,351.74	21,811.56
आपवादिक मदें	605.81	840.50	(2,506.00)	213.22	1,275.27	2,656.56	188.54	229.54	35.93	-	-	-	(400.45)	3,939.81
कर से पूर्व लाभ	2,602.13	(8,353.80)	(1,468.15)	(446.10)	87,018.80	34,929.73	(4,613.27)	(7,149.06)	297.20	-	-	-	88,951.29	25,751.37
आय कर													22,582.38	7,048.73
शुद्ध लाभ	2,602.13	(8,353.80)	(1,468.15)	(446.10)	87,018.80	34,929.73	(4,613.27)	(7,149.06)	297.20	-	-	-	66,368.91	18,702.64
अन्य प्रकटन														
ब्याज व्यय	213.88	165.04	72.43	42.28	428.73	327.29	377.27	293.11	12.69	-	-	-	1,105.00	827.72
मूल्यह्रास	745.21	565.63	1,208.90	1,113.53	1,567.87	1,439.97	1,351.32	1,515.60	25.54	-	-	-	4,898.84	4,634.73
कुल मूल्यह्रास	745.21	565.63	1,208.90	1,113.53	1,567.87	1439.97	1,351.32	1515.60	25.54	-			4,898.84	4,634.73

नोट:

1. आईआरसीटीसी को मुख्य रूप से भोजन तैयार करने और भोजन वितरण को अनबंडल करने के लिए आदेश दिया गया, इस प्रकार विभागीय और लाइसेंसधारी खंडों को एकीकृत किया गया । (खानपान में विभागीय, गैर-रेलवे खानपान और लाइसेंसधारी खानपान शामिल है)
2. अंतर-खंडवार बिक्री को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।
3. कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति और देयताओं में किसी भी उचित खंड की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर उपयोग के लिए किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा का सार्थक पृथ्थकरण हो सकता है।
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित / पुनर्समूहित और पुनः वर्गीकृत किया गया है, ताकि जहां आवश्यक हो उनका वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से मिलान किया जा सके।

नोट:– 59 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय लेखा मानक–115 के तहत प्रकटीकरण

(a) राजस्व का विसमूहन

(i) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विसमूहन नीचे दिया गया है: उत्पादों के प्रकार और सेवा के अनुसार

राशि (लाख ₹ में)

वस्तु या सेवा का प्रकार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	19,856.36	7,591.49
सेवा की बिक्री–		
i) इंटरनेट टिकटिंग	1,02,096.74	44,248.45
ii) खानपान सेवाओं से आय	13,403.50	8,730.91
iii) रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय।	33,499.78	11,587.76
iv) पर्यटन और ट्रैन संचालन	18,728.63	5,385.88
v) रेलनीर लाइसेंस शुल्क	329.41	111.84
vi) अन्य परिचालन आय	33.42	9.44
कुल	**1,87,947.84**	**77,665.77**

(ii) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विसमूहन नीचे दिया गया है: खंडवार

राशि (लाख ₹ में)

खंडवार	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
खानपान	51,206.70	22,976.07
रेलनीर	17,338.96	5,893.63
इंटरनेट टिकटिंग	1,02,584.31	45,036.62
पर्यटन और ट्रैन संचालन	15,946.95	5,487.23
राज्य तीर्थ	3,038.88	–
कुल	**1,90,115.80**	**79,393.55**

(b) खंड रिपोर्टिंग से राजस्व ₹ 190115.80 लाख (वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 79393.55 लाख) है।

(c) अनुबंध शेष

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
व्यापार प्राप्य (नोट 10.1)	57,264.06	52,134.22
अनुबंध परिसंपत्ति	–	–
अनुबंध देयताएं (नोट 19)	22,081.68	12,692.22

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज मुक्त होते हैं और ग्राहक प्रोफ़ाइल में रेल मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

(ii) अनुबंध संपत्ति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लाइट सेवाओं का कार्यनिष्पादन किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि संलग्न शर्त यानी भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत है, अर्थात भविष्य की सेवाएं जिनमें बिल बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसंपत्ति	–	–
प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि के कारण अनुबंध परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण	–	–
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	–	–

नोट:– 59 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय लेखा मानक–115 के तहत प्रकटीकरण (जारी..)

(iii) अनुबंध देयताएं असमाप्त होनेवाले रियायत शुल्क, असमाप्त लाइसेंस शुल्क, असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क, असमाप्त एकीकरण शुल्क और पैकेज टूर के लिए अग्रिम से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं	12,692.22	20,385.98
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं*	22,081.68	12,692.22

**असमाप्त होनेवाले असमाप्त रियायती शुल्क, असमाप्त लाइसेंस शुल्क, पैकेज टूर के एवज में अग्रिम से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के लिए दिए गए रिफंड और पूर्व में किए गए दीर्घावधि लाइसेंसधारी अनुबंध के बजाय विशेष ट्रैनों के संचालन के लिए अल्पावधि लाइसेंसधारी अनुबंध के कारण संविदा देयता में कमी।

नोट:– 60 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि कंपनी शेयर धारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी इसके पूंजीगत ढांचे को चलाने और वित्तीय करारों की आवश्यकता के लिए इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए समायोजन करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या पूंजी प्रबंधन की प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नोट:– 61 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक			31 मार्च 2021 तक		
	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई **	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई **	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
(i) निवेश	–	–	–	–		–
(ii) प्रतिभूति जमा	–	–	1,104.66	–		1,144.19
(iii) व्यापार प्राप्य	–	–	57,264.06	–		52,134.22
(iv) नकद और नकद समकक्ष	–	–	36,820.38	–		34,502.41
(v) नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस	–	–	1,36,336.50	–		1,11,547.15
(vi) अन्य	–	–	9,234.39	–		10,308.92
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**–**	**–**	**2,40,759.99**	**–**		**2,09,636.89**
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा	–	–	11,965.84	–		11,496.39
(ii) अग्रिम धन जमा			4,343.47			3,969.59
(iii) व्यापार देय	–	–	67,860.02	–		58,229.72
(iv) पट्टा देयताएं	–	–	10,666.14			7,945.70
(v) अन्य	–	–	17,879.55	–		14,071.09
कुल वित्तीय देयताएं	**–**	**–**	**1,12,715.02**	**–**		**95,712.49**

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

नोट:– 61 उचित मूल्य माप (जारी..)

(ii) संपत्ति और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक		31 मार्च 2021 तक	
	मूल कीमत	उचित कीमत	मूल कीमत	उचित कीमत
वित्तीय परिसंपत्ति				
प्रतिभूति जमा राशि	1,104.66	1,092.55	1,144.19	1,144.86
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	**1,104.66**	**1,092.55**	**1,144.19**	**1,144.86**
वित्तीय देयताएं				
प्रतिभूति जमा राशि	11,965.84	13,682.97	11,496.39	11,615.31
पट्टा देयताएं	10,666.14	10,666.14	7,945.70	7,945.70
कुल वित्तीय देयताएं	**22,631.98**	**24,349.11**	**19,442.09**	**19,561.01**

a. व्यापार प्राप्ति, व्यापार देय, अल्पावधि प्रतिभूति जमा, नकद और नकद समकक्ष और अन्य लघु अवधि की प्राप्ति और अन्य देय राशि की तुलना में उनकी लघु प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

b. लंबी अवधि की प्रतिभूति जमा राशियों के उचित मूल्य की गणना सावधि जमाओं की वर्तमान बाजार दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह में छूट के आधार की गई थी। गैर लक्ष्यों के इनपुट में शामिल करने के कारण इन्हें स्तर –3 के अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उचित मूल्य का अनुक्रम

स्तर 1 – चिह्नित परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – उद्धृत मूल्य के अलावा स्तर 1 में जोकि परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से उत्पन्न) रूप से शामिल किया जाता है।

स्तर 3 – परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जोकि बाजार डेटा (गैर अवलोकन योग्य इनपुट) के अवलोकन पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित में उचित मूल्य माप अनुक्रम, वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर और परिशोधित लागत के आधार पर मापा जाता है।

31 मार्च 2022 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि		–	1,092.55	1,092.55
	–	–	1,092.55	1,092.55

31 मार्च 2022 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि		–	13,682.97	13,682.97
पट्टा देयताएं		–	10,666.14	10,666.14
	–	–	24,349.11	24,349.11

नोट:– 61 उचित मूल्य माप (जारी..)

31 मार्च 2021 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	–	–	1,144.86	1,144.86
	–	–	1,144.86	1,144.86

31 मार्च 2021 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	–	–	11,615.31	11,615.31
पट्टा देयताएं	–	–	7,945.70	7,945.70
	–	–	19,561.01	19,561.01

नोट :– 62 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हो सकते है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति देता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:–

a) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होनेवाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढाव कर देता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार, जमा और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य बाजार के ब्याज दर में बदलाव के उतार– चढ़ाव के कारण होता है। कंपनी, कंपनी नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। विदेशी मुद्रा लेनदेन की कम मात्रा को देखते हुए, विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से कोई वास्तविक जोखिम मौजूद नहीं है। कंपनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम को रोक नहीं लगा सकती है।

b) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी को व्यापार प्राप्य, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाले नुकसान को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

नोट :- 62 वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी..)

c) वित्तीय साधन और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अनुमोदित प्रतिपक्ष के साथ किया जाता है।

d) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यथासंभव सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, क्योंकि जब भी देय हो, तो इसकी देयताओं को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता होगी, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत, अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा के जोखिम के बिना रहेगी।

कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष और संचालन से उत्पन्न होता नकदी प्रवाह है। कंपनी पर कोई बैंक का कर्ज नहीं है। कंपनी का मानना है कि अपनी वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है। कोई भी अल्पावधि- कार्यशील पूंजी प्रबंधन और अन्य परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक राशि से अधिक उत्पन्न अधिशेष नकद को नकद और बैंक के साथ अल्पावधि जमाओं में निवेश के रूप में रखा जाता है। उक्त निवेश उचित परिपक्वता और पर्याप्त तरलता वाले उपकरणों में किए जाते हैं।

नोट:- 63 अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते और व्यापार प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची

(i) अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्त

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		3 वर्ष तक	3 से अधिक 5 से कम	5 वर्ष से अधिक	डिफॉल्ट
रेलवे / सरकार	सकल वहन राशि	39846.20	7061.97	2,165.08	3,540.64
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	0%	75%-	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)	-	-	1623.81	3,540.64
	व्यापार प्राप्तियों की सकल वहन राशि	39,846.20	7,061.97	541.27	-
गैर-रेलवे/गैर-सरकारी	सकल वहन राशि	6,458.39	2,612.07	1,678.39	5,001.99
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	25%	100%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)	-	653.02	1,678.39	3,604.81
	व्यापार प्राप्तियों की सकल वहन राशि	6,458.39	1,959.05	-	1,397.18

*1. डब्ल्यूवीएम अनुबंधों के लिए 1493.82 लाख की विवादित प्राप्तियों पर ईसीएल प्रावधान, यदि लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, रेलवे के 40% शेयर के भुगतान करने की देयता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए, कंपनी के प्राप्य राशि के 60% पर प्रावधान किया गया है।

*2. 3 वर्ष तक 1579.86 लाख की विवादित प्राप्तियों में, बिक्री मूल्यांकन पर बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क, चाय और कॉफी देने और भोजन शुल्क दर में वृद्धि से संबंधित लाइसेंसधारी के बकाया दावें शामिल हैं। विवाद समझौते के समय, लाइसेंसधारी से दावे की वसूली नहीं होने की स्थिति में, रेलवे के 45% शेयर (रखरखाव शुल्क सहित) का भुगतान करने का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कंपनी द्वारा प्राप्य राशि के 55% पर प्रावधान किया गया है।

3. निजी पक्ष से अविवादित प्राप्य पर 05 वर्ष से अधिक के लिए ईसीएल प्रावधान को 100% (पिछले वर्ष 50%) और रेलवे और सरकार से अविवादित प्राप्य पर 05 वर्ष से अधिक के लिए ईसीएल प्रावधान को 75% (पिछले वर्ष 50%)) पर प्रदान किया गया है 50%) पर प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में 1380.47 लाख की वृद्धि हुई।

(ii) 31 मार्च 2022 को व्यापर प्राप्ति की एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - जो अच्छा माना जाता है*	32,109.29	1,792.75	2,526.42	6,422.52	7,061.97	49,912.96
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	4,777.15	4,777.15

नोट:– 63 अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते और व्यापार प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची (जारी..)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान					1,678.39	1,678.39
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– जो अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान	–	10.42	31.28	3,234.31	5,266.62	8,542.64
(vii) बिल न की गई राशि	2,726.02	42.18	199.09	486.32	–	3,453.61

31 मार्च 2021 को व्यापर प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – जो अच्छा माना जाता है*	17,310.13	5,841.62	10,829.85	7,389.02	5,870.77	47,241.39
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है					6,971.19	6,971.19
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान						–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– जो अच्छा माना जाता है						–
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान				3,233.75	4,897.14	8,130.89
(vii) बिल न की गई राशि	917.94	306.46	486.32			1,710.72

* 1870.61 लाख राशि की पूर्व अवधि मदों के कारण समायोजन शामिल नहीं है।

नोट:– 64 आकलन एवं अनुमान

निम्नलिखित प्रमुख अनुमान भविष्य में चिंता के करक हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनकी अगली वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्ति और देयताओं की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

a) **निष्पक्ष मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया**

डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को मापा जाता है। जहां तक संभव हो वहां, इन तरीकों के लिए इनपुट प्रत्यक्ष बाजारों से लिए गए हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए एक परिमाण निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी का जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे विचारशील इनपुट शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मूल्यांकन में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

नोट:– 64 आकलन एवं अनुमान (जारी..)

b) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिससे हानि के विरुद्ध उपयोग महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के उपयोग से किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्ति की पहचान करने के लिए अपेक्षित संभावित समय और भावी कर नियोजन कार्यनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ स्तर दोनों को आधारित माना जा सकता है।

c) परिभाषित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, इन मान्यताओं में परिवर्तन के लिए एक परिभाषित लाभ दायित्व अत्यंत संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

d) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन अवधि

नोट 2(एन) में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि दी गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

e) पट्टे

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं, पट्टा अनुबंध को बढ़ाने या उसे समाप्त करने का विकल्प होगा या नहीं। इसके अलावा, कंपनी पट्टों में अनुमानित उचित दर से पट्टे की अवधि में छूट की गणना करती है। रेलवे से पट्टे पर ली गई भूमि की कोई निर्धारित अवधि नहीं होती है और इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। किसी निश्चित अवधि के बिना, पट्टे के लिए 10 वर्ष की अवधि जैसे कि भविष्य में पट्टे की अवधि के रूप में भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार परिवर्तन की तारीख के रूप में लिया गया है।

नोट :– 65 ट्रैन संचालन

कंपनी रेलवे से प्राप्त ट्रैनों के मूल आधार पर धुलाई प्रभार के परिचालन में लगी हुई है। विशेष ट्रैन के संचालन से होने वाली आय में यात्रियों से लिया गया मूल किराया, खानपान शुल्क और कंपनी द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क शामिल हैं। ट्रैनों के संचालन से होने वाली आय को भारतीय लेखा मानक–115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रैन के संचालन के समय की अवधि में मान्यता दी जाती है।

नोट :– 66 टिकट जमा रसीद धन वापसी (टीडीआर) मामल

भारतीय रेलवे से प्राप्त होने के बाद टीडीआर रिफंड कंपनी द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। 31 मार्च 2022 तक, लंबित मामलों की संख्या 25614 (पिछले वर्ष 14101) थी जिसका मूल्य ₹ 232.48 लाख (पिछले वर्ष ₹ 153.91 लाख) है ।

नोट :– 67 पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलनीर संयंत्र

5 स्व-संचालित रेल नीर संयंत्रों के अलावा, कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर पीपीपी मॉडल आधारित 15 रेल नीर स्थापित करने का निर्णय लिया था। इन 15 संयंत्रों में से 10 संयंत्र अभी परिचालन में हैं और अन्य 5 रेल नीर संयंत्र आने वाले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। इन संयंत्रों के लिए संबंधित संयंत्र संचालकों के साथ किए अनुबंध समझौते के अनुसार ठेकेदारों को आईआरसीटीसी द्वारा पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी।

नोट:– 68

आरओयू संपत्तियों को छोड़कर, कंपनी ने सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिमों सहित ₹ 5199.07 लाख का कुल पूंजीगत व्यय किया है (पिछले वर्ष 7734.12 लाख)।

नोट:– 69

मीडिया में आई खबरों के अनुसार पूर्व रेल मंत्री सहित आईआरसीटीसी के पूर्व-वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध सीबीआई जांच के संबंध में कंपनी किसी भी वित्तीय दायित्व का पूर्वानुमान नहीं करती है।

नोट:– 70

31 मार्च, 2022 को नोट 12 में "सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष" में शामिल ₹ 433.52 लाख की जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी पोर्टल और जीएसटी रिटर्न 2बी पर दिखाई देने वाली राशि का कुल) आज की तारीख में जीएसटीआर 2बी में क्रेडिट के लिए लंबित है।

नोट :– 71

आधिकारिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारी की वास्तविक कठिनाइयों से बचने हेतु कर्मचारी को अग्रिमों का भुगतान किया जाता है। बाद में कर्मचारियों को खर्च की अलग से प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, तथापि, अग्रिम गैर–वापसी योग्य है जब तक कि रोजगार छूट नहीं जाता है और इसे वर्तमान प्रकृति के रूप में माना जाता है।

नोट :– 72

आईआरसीटीसी ने निजी पार्टियों "ऑपरेटर" के साथ समझौता किया है, जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा रेल नीर की खरीद, सीएफए और परिवहन सेवाओं के लिए आईआरसीटीसी के स्वामित्व वाली भूमि पर जल उपचार संयंत्र की स्थापना (निर्माण और संयंत्र मशीनरी), संचालन और रखरखाव के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार है। समझौते की शर्तों में प्रावधान है कि अनुबंध अवधि के समाप्त होने के बाद, भवन सहित संयंत्र में कमीशन की गई संपत्ति को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। चूंकि ऐसे ओ एंड एम ठेकेदार के लिए अनुबंध हेतु निविदा दी जाती है और व्यावसायिक बोलियों के आधार पर चयन किया जाता है। भवन और संयंत्र की लागत और परम्परावादी दृष्टिकोण से परिसंपत्तियों की लागत के बारे में अतिरिक्त विचार का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी के आभाव में मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार ऐसी परिसंपत्तियों की गणना टेकओवर के समय तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है।

नोट :– 73

नोट 27 के अनुसार लाइसेंसधारी शुल्क में वाटर वेंडिंग मशीनों पर प्राप्त लाइसेंस शुल्क में 25% रेलवे शेयर (परिपत्र 36/2015 के अनुसार 15%) का आकस्मिक प्रावधान शामिल है, जो खानपान नीति 2017 के अंतर्गत रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण लंबित है।

नोट 74:31.03.2022 तक अचल परिसंपत्ति की सूची जिसका टाइटल डीड आईआरसीटीसी के नाम से नहीं है

राशि (लाख ₹ में)

तुलनपत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिनके नाम पर टाइटल डीड है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, या प्रमोटर*/ निदेशक का रिश्तेदार है या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण **
A	B	C	D	E	F	G
पीपीई	गांव बिमीथा, जिला छतरपुर, खजुराहो में होटल के लिए भूमि	₹ 66.98 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	03.09.2013	टाइटल डीड का निष्पादन अभी बाकी है।
	केवड़िया रेलवे स्टेशन के पास केवड़िया में होटल के लिए भूमि	₹ 1275 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	15.10.2020	टाइटल डीड का निष्पादन अभी बाकी है।
परिसंपत्ति का उपयोग अधिकार	**आवासीय भवन**					
	डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, बांद्रा, मुंबई	₹ 325 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	03.10.2012	रेलवे के साथ लाइसेंस करार लंबित है

नोट :– 75 पट्टे

a) **पट्टेदार के रूप में कंपनी**

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे अनुबंधों किए है, जिसमें भूमि, कार्यालय के स्थान और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 के उपयोग से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती थी।

कंपनी के पास कार्यालयों और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी जिसकी अवधि 12 महीने या उससे कम हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पाधि पट्टा' मान्यता की छूट लागू करती है।

परिसंपत्ति का उपयोग अधिकार

मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि और वर्ष के दौरान हुए मूवमेंट का प्रकटन नोट 5बी में किया गया है।

पट्टा देयता

मान्यता प्राप्त पट्टा देयता की वहन राशि और वर्ष के दौरान मूवमेंट नीचे दर्शाई गए हैं:

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	7,945.70	8,079.76
जोड़/समायोजन (शुद्ध)	3798.10	-88.23
ब्याज की मान्यता	736.99	638.88
भुगतान	1,814.65	684.71
वर्ष के अंत में बैलेंस	**10666.14**	**7945.70**
चालू	2,149.39	1,875.45
गैर चालू	8,516.75	6,070.25

31 मार्च 2022 को बिना छूट दिए, किए गए पट्टे देयता की अवधि समाप्ति का विश्लेषण इस प्रकार है :–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
पट्टा देयताएं	2,748.01	2,642.41	5,257.89
	2,748.01	**2,642.41**	**5,257.89**

31 मार्च 2021 को बिना छूट दिए, किए गए पट्टे देयता की अवधि समाप्ति का विश्लेषण इस प्रकार है:– :–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
पट्टा देयताएं	2,205.01	1,489.42	5,040.01
	2,205.01	**1,489.42**	**5,040.01**

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियां

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय (नोट 32 देखें)	2,178.10	1,867.79
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 31 देखें)	736.99	638.88
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 33 देखें)	176.09	511.42
	3091.18	**3018.09**

नोट :– 75 पट्टा (जारी..)

कंपनी के पास कई पट्टे अनुबंध हैं जिनमें बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर चर्चा की जाती है और कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाता है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन अनुबंध बढ़ाने और समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किया जाना यथोचित रूप से उचित है।

बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होते लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं होते है।

b) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने पट्टे पर अपनी परिसंपत्ति दी है, जिसका विवरण नोट 5 निवेश परिसंपत्ति के अंतर्गत दिया गया है।

वर्ष के दौरान पट्टा किराए के ₹ 234.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 234.98 लाख) को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

पट्टा भुगतान प्राप्तियों की अवधि समाप्ति का विवरण इस प्रकार है:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
एक वर्ष के भीतर	234.96	78.32
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष से अधिक नहीं	313.28	–
पांच वर्ष के बाद	–	–

नोट :– 76 तेजस और महाकाल एक्सप्रेस ट्रैन:

रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को तेजस ट्रैनों के 02 रेक और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रैनों का 01 रेक को यात्री ट्रैनों के रूप में संचालित करने का आदेश दिया था ताकि यात्रियों को प्रीमियम खंड की निजी ट्रैनों में यात्रा करने का विकल्प प्रदान किया जा सके। आईआरसीटीसी ने दोनों ट्रैनों का उद्घाटन क्रमशः 4 अक्टूबर, 2019 और 17 जनवरी, 2020 को लखनऊ–नई दिल्ली–लखनऊ और अहमदाबाद–मुंबई–अहमदाबाद सेक्टर पर किया।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में, दोनों तेजस ट्रैन अक्टूबर, 2020 के महीने से संचालित की गई हैं और कोविड–19 महामारी और यात्री ट्रैनों की सेवाओं के बंद होने के कारण बंद कर दी गई हैं। वर्तमान महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान गैर परिचालन अवधि के लिए तेजस और काशी महाकाल दोनों ट्रैन के लिए निर्धारित प्रतिबद्धताओं में छूट देने के लिए रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 11.5.2021 के पत्र संख्या टीसी–II/2910/20/ट्रैन के माध्यम से, केवल गैर–परिचालन के लिए आईआरसीटीसी यात्री ट्रैनों के लिए निर्धारित लागत की गणना और प्रभार लागू करने में "अच्छी ट्रेनों के लिए रास्तों के नुकसान" के घटक को 31.12.2020 तक की अवधि तक माफ करने पर सहमति व्यक्त की है और निर्णय लिया है कि अन्य लागू शुल्क वही रहेंगे। आईआरसीटीसी ने फिर से रेलवे बोर्ड से तीन ट्रैन की गैर–परिचालन अवधि को प्राकृतिक आपदा स्थिति मान कर, 2793 लाख की राशि के निर्धारित शुल्क (निश्चित ढुलाई और अभिरक्षा शुल्क) को माफ करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि कोविड–19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाना आईआरसीटीसी के नियंत्रण से बाहर था। तथापि, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में तेजस और काशी महाकाल एक्सप्रेस दोनों ट्रैन के निर्धारित शुल्क का पूरा प्रावधान किया है। मामला लंबित है।

नोट :– 77 कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन किया है जिसके लिए एएआर का निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है:

1. सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से, जनहित में आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैन टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों से सेवा शुल्क लेने को माफ कर दिया था। भारत सरकार ने 2017–18, 2018–19 और 2019–20 (जुलाई–19 तक) के लिए क्रमशः 8000 लाख, 8800 लाख और 3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 (2), केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को कर योग्य आपूर्ति के मूल्यांकन से बाहर रखती है, इसलिए केंद्र सरकार होने के नाते भारतीय रेलवे से प्राप्त होने वाली राशि को प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है । इसलिए उपरोक्त प्रतिपूर्ति के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

2. यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ट्रैन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने नि:शुल्क बीमा प्रदान किया जिसके लिए रेल मंत्रालय को 4700 लाख के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की गई थी जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कंपनी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

3. एक्वायरर बैंकों से प्राप्त एमडीआर। आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक्वायरर बैंकों से एमडीआर शुल्कों के अपने हिस्से के लिए 300 लाख रुपये प्राप्त किए हैं, जो मर्चेंट सेवा प्रदाताओं पर लगने वाली दर या शुल्क है। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी के रूप में माना है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी को आपूर्ति के आकलन से बाहर रखा जाता है और जीएसटी लागू करने के लिए किए जाते विचार का हिस्सा नहीं बनेगा।

4. आईआरसीटीसी ने कैटरिंग नीति, 2017 के अनुसार एसबीडी ट्रेनों के कैटरिंग का कार्यभार सँभालने के लिए भारतीय रेलवे से यथानुपात लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया है, जो वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः 1385 लाख, 7058 लाख, 125 लाख था और उपरोक्त राशियों पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं होता है क्योंकि यह जीएसटी लागू होने से पहले भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंसधारी से प्राप्त किया गया था और इसकी प्राप्ति के समय वित्त अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को देय लाइसेंस के अनुदान पर सेवा कर लागू नहीं था। भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को भुगतान की गई आनुपातिक राशि निविदा अवधि के शेष भाग के लिए थी जिसे जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी सहायक कंपनी आईआरसीटीसी को लाइसेंस देने से लेन-देन की पद्धति नहीं बदलती है क्योंकि लाइसेंस जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान की गई थी। कर लागू करने की घटना वह है, जब सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान/आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, "लाइसेंस प्रदान करने" वाली सेवा, भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने के समय प्रदान की गई थी।

नोट :- 78 एसबीडी संविदाओं की स्थिति

(a) रेल मंत्रालय द्वारा जारी कैटरिंग नीति-2017 के अनुसरण में, आईआरसीटीसी को भारतीय रेलवे पर मोबाइल इकाइयों की संविदा लेने के लिए आदेश दिया गया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने क्षेत्रीय रेलवे, आईआरसीटीसी और लाइसेंसधारी के बीच त्रिपक्षीय समझौते को निष्पादित करके क्षेत्रीय रेलवे से 184 संविदाओं का अधिग्रहण किया है। 31.3.2022 तक एसबीडी संविदाओं की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	संविदाओं की संख्या
1	क्षेत्रीय रेलों से लिए गए संविदाओं की कुल संख्या	184
2	प्रारंभिक 05 वर्षों के पूरा होने के बाद नवीनीकृत संविदाओं की कुल संख्या	120
3	नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है	16
4	लाइसेंसधारी कार्यनिष्पादन के पुनर्मूल्यांकन के दौरान विफल रहा है, लेकिन न्यायालय में	5
5	लाइसेंसधारी कार्यनिष्पादन के पुनर्मूल्यांकन में विफल रहा। अत: समाप्त कर दिया गया	6
6	लाइसेंसधारी द्वारा समर्पण, इसलिए आईआरसीटीसी द्वारा समाप्त कर दिया गया	32
7	ट्रैन को बंद किया गया, इसलिए समाप्त कर दिया गया	4
8	लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण संविदा समाप्त कर दी	1

(b) इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 23.02.2021 को जारी निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने दिनांक 02.03.2021 और 04.03.2021 के पत्र द्वारा आईआरसीटीसी के अंतर्गत सभी मौजूदा एसबीडी संविदाओं को समाप्त कर दिया।

(c) कैटरिंग एसोसिएशनों द्वारा 2020 केडब्ल्यूपी 6253 और 6254 दायर करके उक्त निर्णय का विरोध किया और मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्ति के आदेशों को रद्द किया। उक्त निर्णय को 2021 के डब्ल्यूए 1895 और 1896 के माध्यम से विरोध किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। महा न्यायभिकर्ता डब्ल्यूए में आरबी और आईआरसीटीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके शीघ्र ही सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

(d) आगे, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2020/केटरिंग/600/05/पीटी दिनांक 19.11.2021 के माध्यम से, सूचित किया है कि बोर्ड द्वारा ट्रैनों में कैटरिंग सेवाओं के संबंध में मौजूदा कारकों जैसे कि महामारी में गिरावट, रेस्तरां, सार्वजनिक भोजनालयों और एयरलाइन में पकाए जाने वाले खाने की बहाली और यात्रियों की मांग के आकलन की समीक्षा करने के बाद, बोर्ड ने तय किया है कि पके हुए भोजन की सेवा फिर से शुरू की जाए और आरटीई भी जारी रहेंगे।

(e) पत्र संख्या 2019/केटरिंग/600/04 दिनांक 19.11.2021 के माध्यम से, रेलवे बोर्ड ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष यथास्थिति आदेश को रद्द करने और 2021 की अपील संख्या 1895 और 1896 को वापस लेने का अनुरोध किया है और यात्रियों को पका हुआ भोजन प्रदान करने के कार्यक्षेत्र से जुड़े मोबाइल कैटरिंग के सभी मौजूदा संविदाओं को समाप्त करने के लिए बोर्ड के दिनांक 23.02.2021 के पत्र को वापस ले लिया है।

(f) तदनुसार, रेलवे बोर्ड के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में, आईआरसीटीसी ने दिनांक 21.11.2021 के पत्रों के माध्यम से समाप्ति को वापस लेने के लिए पत्र जारी किया है।

नोट :– 79

a. रेल मंत्रालय ने सीसी–60/2019 दिनांक 14.11.2019 के तहत राजधानी/शताब्दी/दुरंतो की खानपान सेवाओं और भारतीय रेलवे पर मानक भोजन के मेनू और टैरिफ को संशोधित किया जो मेल/एक्सप्रेस ट्रैनों के लिए 18.11.2019 से प्रभावी हुए। तथापि, उक्त निर्देशों को कोविड–19 महामारी के कारण रेल मंत्रालय द्वारा नियमित यात्री ट्रैन सेवाओं के बंद करने के कारण राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रैनों में लागू नहीं किए गए।

b. लाइसेंस शुल्क (एलएफ) को आईआरसीटीसी द्वारा मेल/एक्सप्रेस ट्रैनों में संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार संशोधित किया जाना है जो बिक्री का पुनर्मूल्यांकन है (18.11.2019 से 22.03.2020 की अवधि के लिए)। तथापि, नियमित ट्रैन सेवाओं के बंद होने के कारण पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि कोविड 19 के बाद खानपान सेवाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ और वर्तमान संविदाओं के तहत मूल्यांकन करना संभव नहीं था।

c. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने सीसी–60/2019 के अनुसार मेल एक्सप्रेस ट्रैन के लिए खानपान शुल्क में वृद्धि के कारण एसबीडी ट्रैनों के लिए उद्धृत लाइसेंस शुल्क पर लाइसेंस शुल्क को 15.50% बढ़ाने का निर्णय लिया गया और तदनुसार सभी लाइसेंसधारियों को बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया।

d. मैसर्स ग्रिहम फूड एंड होटल प्राइवेट लिमिटेड ने माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक डब्ल्यू पी (सी) नंबर 2979/2021 दायर किया था, जो कि इंडियन रेलवे ऑनबोर्ड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएट एंड एएनआर–बनाम–द यूनियन ऑफ इंडिया और 2 ओआर है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पैरा–19 में निम्नलिखित आदेश पारित किया, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है, तदनुसार, रेलवे अधिकारी आज से 2 (दो) सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता नंबर 2 द्वारा दिनांक 27.05.2021 को प्रस्तुत अभ्यावेदन को निपटाने के लिए स्वतंत्र होंगे, यह न्यायालय निर्देश देता है कि, अंतरिम और अगले आदेश तक, दिनांक 13.05.2021 के विवादित निर्णय के साथ पठित विवादित मांग नोटिस दिनांक 25.05.2021 के संदर्भ में रेलवे अधिकारी याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ कोई भी निग्रही कारवाई का प्रयोग नहीं करेंगे।.

e. जैसा कि मामला विचाराधीन है और अनिश्चितता है और यह होने की सम्भावना भविष्य में किसी निश्चित घटना घटने के परिणाम पर निर्भर है, सीसी–60/2019 के निष्पादन के बाद लाइसेंस शुल्क में औसत प्रतिशत वृद्धि के आधार पर बढ़ी हुई लाइसेंस शुल्क की अनुमानित राशि लगभग 1491.36 लाख है, जिसमें से 15.50 % को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

   इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी संविदाओं के लिए बिक्री मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तदनुसार, बिक्री मूल्यांकन के पूर्ण होने पर सीसी–60 के अनुसार टैरिफ वृद्धि के कारण संशोधित लाइसेंस शुल्क को लागू किया जाएगा।

नोट :– 80

मानक भोजन/वस्तुओं का मेनू और टैरिफ रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें दिनांक 12.12.2019 को सीसी–64 द्वारा संशोधित किया गया और बढ़ाया गया था। निर्देशों के अनुसार, इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था और एक अंतरिम उपाय के रूप में, लाइसेंस शुल्क को बढ़ाने के बाद उसका क्या प्रभाव होता है उसका आकलन करने के लिए सीमित इकाइयों में बिक्री का मूल्यांकन किया गया था। तदनुसार, 28.01.2020 को दिशा–निर्देश जारी किए गए थे ताकि लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को इकाई के लाइसेंस शुल्क में किए गए बढ़ोतरी को जोड़कर या 6 महीने के भीतर बिक्री का मूल्यांकन करके, जो भी अधिक हो, शामिल किया जा सके। तथापि, अनपेक्षित कोविड महामारी शुरू हो गई और यात्री ट्रैन संचालन को 23.03.2020 से बंद कर दिया गया। इकाइयां बंद थीं और गंभीर प्रतिबंधों के कारण बिक्री मूल्यांकन नहीं हो पाया। 20.01.2021 को लाइसेंस शुल्क पर 20% कम लाइसेंस शुल्क लेने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए क्योंकि कोविड का प्रभाव चल रहा था। इसके अतिरिक्त, 04.10.2021 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें 31.10.2021 तक 20% कम लाइसेंसधारी शुल्क लागू करने और फुटफॉल के आधार पर 01.11.2021 से लाइसेंस शुल्क लेने के लिए नई पद्धति लागू करने के लिए कहा गया था।

सब कुछ सामान्य न हो जाए तब तक, चल रही संविदाओं के लिए इस अंतरिम पद्धति का पालन किया जाना था, जब चल रहे संविदाओं का बिक्री मूल्यांकन किया जाएगा जिसका ऐसे संविदाओं में पालन नहीं किया गया था। तदनुसार, आय को वित्तीय वर्ष 19–20 और वित्तीय वर्ष 20–21 में पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई थी। कोविड के दौरान संविदाओं से एग्जिट के लिए, अंतरिम पद्धति का पालन किया गया है।

कंपनी ने अब ₹ 164.01 लाख के राजस्व की पहचान की है जिसमें पिछले वर्षों के लिए ₹ 113.14 लाख शामिल हैं और इसे पूर्व अवधि की आय के रूप में माना गया है।

नोट :– 81 – कंपनी पर कोविड –19 का प्रभाव

वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी का मानना है कि वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता के मामले में, कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर कोविड 19 महामारी का कोई भौतिक प्रभाव नहीं हुआ है।

नोट :- 81 - कंपनी पर कोविड -19 का प्रभाव (जारी..)

लिक्विडिटी

कंपनी के पास अपने संचालन के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है।

कंपनी वर्तमान आर्थिक स्थितियों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर व्यापार के सामान्य क्रम में परिसंपत्ति, व्यापार प्राप्तियों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों आदि सहित अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की अपेक्षा करती है।

कोविड-19 के भावि प्रभाव का अनुमान

प्रबंधन को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोविड-19 के कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के कारण राजस्व और लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव होने की अपेक्षा नहीं है। तथापि, जैसे हम चालू वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ते है, वैसे ही प्रतिबंधों के प्रभाव का समय-समय पर आकलन करना होगा और इसकी सूचना देनी होगी। टीकाकरण सहित राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी नियंत्रण प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ कोविड -19 के प्रसार और इसके भावि के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं है।

जैसे भारत और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति विकसित हो रही है, वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव किये हुए अनुमान से भिन्न हो सकता है। तथापि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में हुए किसी भी भौतिक परिवर्तन के लिए बारीकी से निगरानी रखेगी। 2022-23 के दौरान पर्याप्त नकदी, लाभप्रदता और परिचालन में अपेक्षित सुधार को देखते हुए, भविष्य में परिचालन में कोई बड़ा व्यवधान होने की अपेक्षा नहीं है और आईआरसीटीसी भविष्य में बिना किसी भौतिक अनिश्चितता के अपने संचालन को जारी रखने की अपेक्षा रखता है।

नोट:- 82 अनुपात

31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपात इस प्रकार हैं:

विवरण	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	भिन्नता (% में)
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.87	1.76	6.25
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण(1)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.06	0.05	20.00
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (4)	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय (2)	ऋण सेवा(3)	27.77	10.86	155.71
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) (5)	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक की इक्विटी की औसत	0.40	0.14	185.71
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (6)	बिक्री	सूची की औसत	64.61	18.62	246.99
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (7)	संचालन से राजस्व	व्यापार प्राप्य की औसत	3.44	1.20	186.67
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (8)	सेवाओं की बिक्री और खरीद की लागत	औसत व्यापार देय	1.04	0.51	103.92
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (9)	आय	कार्यशील पूंजी	1.22	0.66	84.85
शुद्ध लाभ अनुपात (10)	शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	0.35	0.24	46.64
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओई) (11)	ब्याज और करों से पहले आय	नियोजित पूंजी (कुल मूल्य और दीर्घावधि पट्टा देयताएं)	0.46	0.18	155.56
निवेश पर रिटर्न (आरओआई)	निवेश से अर्जित आय	समय भारित औसत निवेश	0.04	0.05	(20.00)

(1) ऋण केवल पट्टे की देयताओं को दर्शाता है।

(2) करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय / आय और ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान।

(3) चालू वर्ष के लिए पट्टे का भुगतान।

(4) पट्टे के भुगतान में वृद्धि की तुलना में, कोविड-19 प्रतिबंध हटाने से और कोविड-19 के बाद आर्थिक गतिविधियों के खुलने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ईबीआईटीडीए में काफी वृद्धि हुई है।

(5) वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कर पश्चात शुद्ध लाभ में काफी वृद्धि हुई है।

नोट:– 82 अनुपात (जारी..)

(6) कोविड-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बिक्री दो गुना से अधिक बढ़ गई है और इन्वेंट्री में लगभग 25% की कमी हुई है।

(7) कोविड-19 प्रतिबंधों के हटने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान परिचालन से प्राप्त राजस्व दो गुना से अधिक बढ़ गया है, जबकि औसत व्यापार प्राप्तियों में लगभग 15% की कमी आई है।

(8) औसत व्यापार देय में 10% की वृद्धि की तुलना में सेवाओं की बिक्री और खरीद की लागत में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई।

(9) वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है जबकि राजस्व में हुई वृद्धि के अनुपात में कार्यशील पूंजी में हुई वृद्धि कम है।

(10) शुद्ध लाभ 3.5 गुना बढ़ा जबकि राजस्व 2.5 गुना बढ़ा ।

(11) शुद्ध लाभ 3.5 गुना बढ़ा जबकि नियोजित पूंजी 1.3 गुना बढ़ी।

नोट:– 83 विशेष मद

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, विशेष मदों के शुद्ध व्यय के रूप में ₹ 400.45 लाख की राशि में शामिल हैं: (i) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए 2248.54 लाख अतिरिक्त प्रावधान हैं, (ii) 31.3.2011 तक रेलनीर संयंत्रों पर रेलवे के हिस्से के कारण 2713.32 लाख का व्यय (नोट 55 देखें) और (iii) विभिन्न अन्य व्यय से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए ₹ 64.33 लाख अतिरिक्त प्रावधान हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, 3939.81 लाख की विशेष मदों से अर्जित आय में शामिल हैं: (i) कार्यनिष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) से संबंधित पिछले वर्षों के लिए 2576.18 लाख के अतिरिक्त प्रावधान, (ii) जुलाई, 2015 से प्रभावी किए गए यात्री फीडबैक के भुगतान के लिए रेलवे पर 1005.27 लाख का दावा किया जा रहा है, जिसमें रेलवे दावे के लिए सहमत है और (iii) विभिन्न अन्य व्यय से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए 358.36 लाख (पिछले वर्ष ₹ 111.40 लाख) केअतिरिक्त प्रावधान थे।

नोट :– 84 इंटीग्रेशन प्रभार

अब तक रेलवे टिकट ऑनलाइन बुकिंग के लिए कंपनी के पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बुकिंग एजेंटों से प्राप्त इंटीग्रेशन शुल्क (नॉन-रिफंडेबल वन-टाइम) को वित्तीय वर्ष 2020-21 तक एक से तीन वर्ष की आरंभिक संविदा अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी ने तर्क दिया कि नवीनीकरण कंपनी के विकल्प पर एकतरफा है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने संविदा की अपेक्षित अवधि (पिछले अनुभव के आधार पर अनुमानित 20 वर्ष) पर इंटीग्रेशन प्रभार से अर्जित आय को दर्ज किया है, क्योंकि कंपनी का अनुमान है कि इंटीग्रेशन और वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए ये संविदा आमतौर पर कंपनी द्वारा नवीनीकृत किए जाते हैं, और इसलिए इन्हें अलग-अलग संविदाओं के रूप में माना नहीं जा सकता है और तदनुसार, इंटीग्रेशन प्रभार से अर्जित आय को भारतीय लेखा मानक 115 की आवश्यकताओं के अनुसार संविदा की अपेक्षित अवधि (अनुमानित 20 वर्ष) पर "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" पर मान्यता दी जानी चाहिए। लेखांकन तरीके/नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में 342.27 लाख (₹ 115.13 लाख के आस्थगित कर का शुद्ध) की कमी हुई है (पिछले वर्ष ₹ 56.04 लाख (₹ 18.85 लाख के आस्थगित कर का शुद्ध) और 31 मार्च, 2020 तक बनाए रखी गई कमाई सहित अन्य इक्विटी में 1325.70 लाख (₹ 445.91 लाख रुपये के आस्थगित कर का शुद्ध) की कमी हुई है।

इंटीग्रेशन में परिवर्तन का प्रभाव

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष पर प्रभाव		
	2021-22	2020-21	2020-21 से पहले
अन्य वर्तमान देयताएं	2560.74	1846.50	1771.61
वृद्धि/ कमी	**2560.74**	**1846.50**	**1771.61**
ईपीएस पर असर			
इक्विटी शेयर धारकों के कारण लाभ पर प्रभाव (लाख में रुपये)	(457.40)	(74.89)	(1771.61)
आस्थगित कर का प्रभाव	115.13	18.85	445.91
इक्विटी शेयर धारकों को दिए जाते लाभ पर शुद्ध प्रभाव (लाख में रुपये)	**(342.27)**	**(56.04)**	**(1325.70)**
इक्विटी शेयरों की संख्या पर औसत (लाख में)	8000	8000	8000
प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूल और मिश्रित)	(0.06)	(0.01)	(0.22)

नोट :– 85

पुराने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली लीगेसी मदों और नियंत्रण और सहायक बैलेंस के बीच कुछ अंतर की पहचान/समाधान/समायोजन प्रगति पर है। साथ ही, व्यापार देय के रूप में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान की प्रणाली और प्राप्त/बनाए गए चालानों के लिए किए गए भुगतानों के लिंकिंग सहित देय/प्राप्तियों की एजिंग की समीक्षा की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2022–23 में इसे सुधारा जाएगा।

नोट :– 86 भारतीय लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) की अनुसूची खखख के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण

कंपनी ने संबंधित मदों या तुलनपत्र के लेनदेन और लाभ और हानि के विवरण के संबंध में उपयुक्त स्थान पर प्रकटन किया है। कोई भी गैर–प्रकटीकरण संबंधित लेन–देन के न होने के कारण होता है।

नोट :– 87

वर्ष के दौरान कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

नोट :– 88 अन्य नियामक सूचना

(i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, कोई प्रकटीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद हो गई कंपनियों के साथ निम्न विवरण के अनुसार लेन–देन किए है:–

बंद कर दी गई कंपनी का नाम	बंद कर दी गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	बकाया राशि (लाख में)	बंद कर दी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
जी लाइट एनर्जी प्रा.लि.	देय	6.06	
ओडब्ल्यूएल टेक प्रा.लि.	देय	2.47	
रेडगार्ड इंडिया प्रा.लि.	देय	0.27	
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.08	

(iii) कंपनी को कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसका वैधानिक अवधि के भीतर अभी तक आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(iv) कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं दिया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ:

(a) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या

(b) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की वस्तुएं प्रदान करेगा

(vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) यह अनुमान के साथ कि कंपनी:

(a) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या

(b) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की अन्य वस्तुएं प्रदान करेगा

(vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य संबंधित प्रावधान)

(viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

नोट :– 88 अन्य नियामक सूचना (जारी..)

(ix) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेयर की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(x) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xi) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

नोट:– 89 मानक/संशोधन जारी लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 23 मार्च 2022 की अधिसूचना द्वारा भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 जारी किया था। भारतीय लेखा मानक संशोधन नियम, 2022 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किया गया है:-

1. पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाना (भारतीय लेखा मानक-101)
2. व्यावसायिक संयोजन (भारतीय लेखा मानक-103)
3. वित्तीय साधन (भारतीय लेखा मानक-109)
4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भारतीय लेखा मानक-16)
5. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति (भारतीय लेखा मानक-37)
6. कृषि (भारतीय लेखा मानक-41)

इन संशोधनों की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। अभी, कंपनी संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है और अभी तक वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का निर्धारण नहीं किया है।

नोट :– 90 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

30 मई, 2022 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने का अनुमोदन दिया गया था।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **पीआर मेहरा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000051एन

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक मल्होत्रा
पार्टनर
एम.नं.:-082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2022

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 08083674

अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक ,नई दिल्ली
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

संख्या/पी.डी.ए./आर.सी./AA-IRCTC/48-03/2022-23/210 दिनांक: 29.07.2022

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ग्यारवा-बारवा माला, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली- 110 001.

महोदय,

विषय: **31 मार्च** 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 **की धारा** 143(6)**(बी)** के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

मैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के **31 मार्च** 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 **की धारा** 143(6)**(बी)** के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

विक्रम डी· मुरुगराज
29.07.2022

विक्रम डी मुरुगराज
प्रधान निदेशक (रेलवे वाणिज्यक)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 30 मई 2022 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेदारी पूरी की है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा कथित दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत जिस पर कोई टिप्पणी की जाए या सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

विक्रम डी मुरुगराज
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्यक, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2022

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम - मिनी रत्न श्रेणी-I)

पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय

11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
टेलीफ़ोन 011-23311263/64 | **फैक्स** 011-23311259
सीआईएन L74899DL1999GOI101707

a K&A creation | www.kalolwala.com